



गैल (इंडिया) लिमिटेड
भारत का **यंगेस्ट** महारत्न

भारत की
नं.1
प्राकृतिक
गैस
कम्पनी

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17



नवजीवन • नवस्पंदन • नवनिरूपण



विषय-सूची

सहयोगी कम्पनियों
और संयुक्त उद्यमों
संबंधी जानकारी

167

प्रबंधन चर्चा
और विश्लेषण

36

नियंत्रक और
महालेखापरीक्षक की
टिप्पणियां – अनुपूरक
लेखापरीक्षा

169

अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
का संदेश

2

निगमित
नियंत्रण संबंधी
रिपोर्ट

44

स्थायी
परिसंपत्तियों की
अनुसूची
(टाउनशिप)

170

निगमित
परिदृश्य

5

व्यवसाय
उत्तरदायित्व
रिपोर्ट

81

निदेशक
मंडल

18

पंचवर्षीय
रूपरेखा

95

आय एवं व्यय
(टाउनशिप, आदि)

171

निदेशकों
की रिपोर्ट

21

स्वतंत्र
लेखापरीक्षक
की रिपोर्ट

103

समेकित
वित्तीय विवरण

172

वित्तीय
विवरण

109

नियंत्रक और
महालेखापरीक्षक
की टिप्पणियां –
अनुपूरक लेखापरीक्षा

241

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

“ मुझे विश्वास है कि आपकी कंपनी भारत में गैस उद्योग के पथ प्रदर्शक के रूप में नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करने और देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को उचित और पारदर्शी तरीके से बढ़ाने और परिपक्व करने में मदद करेगी। ”

श्री. बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान गेल (इंडिया) लिमिटेड ने रिकार्ड मुनाफा दर्ज किया जो हमारे सभी व्यापार खंडों में वृद्धि का परिचायक है। पेट्रोकेमिकल खंड में पाता के विस्तार से और असम की सहायक कंपनी द्वारा अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन करने से विपणन मात्रा दोगुनी हो गई। आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक एलएनजी करार पर सफलतापूर्वक फिर से बातचीत करने से गैस बाजार में स्थिरता आई और विकास हुआ। यह वर्ष गेल के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसे पूर्वी भारत में प्रतिष्ठित 'प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा' पाइपलाइन परियोजना सौंपी गई जिसे 2020 तक कार्यान्वित किया जाना है। इस उत्साहपूर्ण घटना ने गेल के लिए नए बाजार में विकास के अवसरों की तलाश करने के लिए बेशुमार संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं।

कार्य वातावरण

पिछले वित्तीय वर्ष में आपकी कंपनी कई क्षेत्रों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों से उत्पन्न अनिश्चितता के माहौल में व्यवसाय करती रही। वर्ष 2016 के दौरान एशियाई बाजार में एलएनजी का मूल्य 5.5 डॉलर/एमएमबीटीयू के आसपास रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में एलएनजी स्पॉट ट्रेड मूल्यों में 40% की औसत गिरावट दर्शाता है। दुनिया भर में नए बाजारों और विशेष रूप से एशिया ने वार्षिक आधार पर एलएनजी की खपत में 5% की बढ़ोतरी के अवसर का लाभ उठाया, जो ऑस्ट्रेलिया और अमरीका से प्रचुर मात्रा में मांग के बढ़ने के कारण हुआ था। कच्चे तेल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ओपेक के सदस्यों के कमजोर तालमेल के कारण भी एलएनजी के व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। विश्व स्तर पर, प्रतिभागियों द्वारा पूंजीगत व्यय के अगले चरण में पर्याप्त दिलचस्पी न दिखाए जाने के कारण उद्योग को काफी निराशा हुई क्योंकि अंतिम उपभोक्ता ने गैस/एलएनजी खरीदने के लिए तत्काल निर्णय लेने का दृष्टिकोण अपनाया। अब उद्योग के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

कई भू-राजनीतिक घटनाओं जैसे ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से उनकी व्यापार नीति के दृष्टिकोण में आए बदलाव तथा बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के प्रति दुनिया में बढ़ते आकर्षण के कारण बाजार के कई क्षेत्रों में अनिश्चितता का माहौल बना रहा।

एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में खरीदारी की होड़ में शामिल होते हुए, भारत ने भी पीएसडीए योजना के तहत विद्युत क्षेत्र में खपत को पूरा करने के लिए 19 एमएमटीपीए एलएनजी का आयात किया और वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान घरेलू और आयातित गैस में भी बराबर की खपत दर्ज की। भारत में गैस उपभोक्ता अब वैश्विक रुझान के अनुसार श्रेणियों की परवाह किए बिना अल्प से मध्यम अवधि आधार के लिए आपूर्ति करार कर रहे हैं। साथ ही, घरेलू उत्पादक मध्यम अवधि आधार पर नई खोजों से गैस के नीलामी आधारित विपणन को परख रहे हैं। इसके अलावा, नोडल मंत्रालय भी एक गैस ट्रेडिंग हब बनाने का इच्छुक है। हालांकि ये घटनाक्रम खोजी चरण में हैं, फिर भी यह भारत में प्राकृतिक गैस कारोबार में ढांचागत बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर होने का संकेत देते हैं।

आपकी कंपनी के पेट्रोकेमिकल पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है, जो भारत

सरकार की नीति में बदलाव करने से अल्पकालिक अनिश्चितता के बाद उद्योगों में व्यापक पारदर्शिता और व्यापार करने की राह आसान होने की वजह से हुआ है। इसके अलावा, चिरपेक्षित माल और सेवा कर (जीएसटी) आधारित टैक्स कोड के लागू किए जाने से वर्ष के दौरान परिचालन में होने वाले बदलावों की आवश्यकता को पूरा करने की तैयारी चलती रही। मैक्रो-आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि को देखते हुए वर्ष की तिमाही की समाप्ति के दौरान बाजार में व्याप्त उपभोक्ता रुझान के कारण पेट्रोकेमिकल की अत्यधिक बिक्री हुई और नया रिकार्ड बनाया गया।

विषम परिस्थितियों के बावजूद विकास

अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने बीते वर्ष अनेक मोर्चों पर कई कीर्तिमान स्थापित किए। सभी व्यावसायिक खंडों में वास्तविक प्रदर्शन से पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से बढ़ते रुझान को दर्ज किया और कंपनी के शुद्ध लाभ में लगभग 73% वृद्धि का योगदान दिया। लागत को कम करने और राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के भी बेहतर परिणाम प्राप्त हुए। आपकी कंपनी द्वारा बिक्री रणनीति की नए सिरे से रूपरेखा बनाई गई, जैसे क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने और रिकार्ड बिक्री हासिल करने के लिए नोटबंदी के मद्देनजर निर्यात बाजार के विकल्प को फिर से खोला गया। गेल ने पिछले वर्षों से भिन्न इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए भारत सरकार के डिजिटल अभियान का स्वागत किया। आपकी कंपनी में वर्षों से मौजूद डिजिटल ढांचे की वजह से जीएसटी व्यवस्था को अपनाने में आसानी हुई।

एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, गेल को प्रतिष्ठित 'प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा' के अंतर्गत जगदीशपुर से हल्दिया-बोकारो-धामरा तक 2600 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण की मंजूरी प्राप्त हुई है, जो पांच राज्यों से गुजरते हुए पूर्वी भारत को गैस ग्रिड नेटवर्क से जोड़ेगी। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से परियोजना को सहायता देने के लिए 40% पूंजी अनुदान दिया है, जो देश में प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे के विकास में अपनी तरह का पहला उदाहरण है। इसके अतिरिक्त, इस व्यापक पैकेज में पाइपलाइन के मार्ग में पड़ने वाले सात स्थानों पर सिटी गैस वितरण और गेल के पाइपलाइन ग्रिड के लिए एकीकृत टैरिफ तंत्र के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु सैद्धांतिक मंजूरी भी शामिल थी, ताकि परियोजना के चालू होने के साथ ही इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। पाइपलाइन नेटवर्क का निष्पादन कार्य चरणबद्ध ढंग से चल रहा है और गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में पुनरुद्धार के तहत तीन उर्वरक संयंत्रों और दुर्गापुर में यूरिया विनिर्माण इकाई को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पाइपलाइन जोड़े जाने की उम्मीद है। गेल ने धामरा, ओडिशा में निर्माणाधीन पुनर्गैसीकरण टर्मिनल में 1.5 एमएमटीपीए तरलीकरण क्षमता का करार करके पाइपलाइन के दोनों सिरों से गैस का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने तथा पश्चिमी तट स्रोतों से आवश्यकता पड़ने पर फीड सुनिश्चित करने हेतु विजयपुर-औरैया-फूलपुर खंड का उन्नयन करने के लिए कदम उठाए हैं। पूर्वी भारत में इन परियोजनाओं के साथ, गेल कोच्चि-मैंगलुरु खंड सहित अन्य प्रमुख पाइपलाइन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई कर रहा है और 2020 तक 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। आपकी कंपनी में सामूहिक वाहक पाइपलाइन के इस बुनियादी ढांचे के पूरा होने पर यह विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन साबित होगा, क्योंकि इससे देश में प्राकृतिक गैस के बाजार का आधार बड़ेगा।



उर्वरक क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में आरजीपीपीएल को गैस की आपूर्ति के नए और बाजार आधारित करार होने की संभावना ने भी इस वर्ष आरएलएनजी खंड के लिए नई उम्मीद जगाई है। आपकी कंपनी ने भारत के उपभोक्ताओं के लिए एलएनजी की प्रतिस्पर्धी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अमरीका से आने वाली मात्रा से भारत में चार्टर दरों को कम करने की अदला-बदली करार अवधारणा को लागू करने के लिए शिपिंग बाजार में मौजूद वर्तमान स्थितियों का भी फायदा उठाया है। पर्याप्त मात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों के साथ समय के अनुरूप अदला-बदली विकल्पों का करार करते हुए यूएसए के साथ किए गए एलएनजी करार में जोखिम को हटाने के लिए भी पहल की गई है। इसके साथ-साथ, गैल बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होने वाले ग्राहकों के संबंधों को भी अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, ताकि करार द्वारा व्यक्त विश्वास और करार की सत्यनिष्ठा को बरकरार रखते हुए बेजोड़ सेवा प्रदान की जा सके जो इस उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं का आधार है।

पाता और बीसीपीएल, असम में नई क्षमता के बढ़ने के कारण, आपकी कंपनी के पेट्रोकेमिकल डिविजन ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान वार्षिक 70% से अधिक की बिक्री की। अपनी तहर के विशेष ग्रेडों का विकास चल रहा है और आगामी तिमाहियों में, गैल विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए भारत और विदेशों में उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद निकालना जारी रखेगा। आपकी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात का रणनीतिक रूप से विस्तार करने की दृष्टि से पड़ोसी एशियाई देशों के साथ पेट्रोकेमिकल निर्यात फिर से शुरू कर दिया है क्योंकि हम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह समर्पित और मूल्य वर्धन करना जारी रखना चाहते हैं। वर्तमान में आपकी कंपनी दक्षिणी भारत में पेट्रोकेमिकल कारोबार में निवेश करने पर विचार कर रही है, क्योंकि पाता इकाई के विस्तार और ग्रीन फील्ड बीसीपीएल संयंत्र के चालू होने के बाद अब प्रचालन स्थिर हो गया है।

विकास के अवसरों का लाभ उठाना

मेन ग्रिड प्रणाली में गैस की बढ़त को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी मुख्य रूप से एलपीजी और प्रोपेन उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी के विस्तार के लिए समृद्ध हाइड्रोकार्बन के निष्कर्षण के लिए कई प्रचालन उपाय कर रही है। आपकी कंपनी अन्य भागीदारों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र के आसपास ग्रीनफील्ड मूल्यवर्धित पेट्रोकेमिकल संयंत्र की स्थापना करने की संभावना भी तलाश रही है। एनजी/एलपीजी पाइपलाइनों, पेट्रोकेमिकल, पुनः गैसीकरण टर्मिनल और तलचर उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए कोयला गैसीकरण परियोजना में नए परियोजना निवेश के तहत पूंजीगत व्यय के अगला चरण शुरू किए जाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

आपकी कंपनी को पूर्वी भारत के सात नगरों/शहरों में सिटी गैस वितरण का प्राधिकार मिलने और माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा बेंगलुरु नगर गैस परियोजना का हाल ही में उद्घाटन यह दर्शाता है कि भारत सरकार आम जनता को प्राकृतिक गैस के रूप में स्वच्छ और सुविधाजनक ईंधन शीघ्र उपलब्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सर्वोच्च प्रबुद्ध संस्थान, नीति आयोग ने हाल के महीनों में जारी अपनी अनेक रिपोर्टों में यह परिकल्पना अभिव्यक्त की है कि प्राकृतिक गैस अनिवार्य रूप से घरेलू रसोई और परिवहन क्षेत्रों में मध्यम से दीर्घ कालिक ईंधन के रूप में निश्चित रूप से काफी प्रगति करेगा। यह भारत की मिश्रित ऊर्जा में उद्योग के विकास में एक नया अध्याय लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछले वर्ष के दौरान, पीएनजी और सीएनजी के गैस

रिटेलिंग खंड ने दो अंकों में वृद्धि दर्ज की, जिसमें विभिन्न वितरण कंपनियों में गैस की खपत 12-15% के बीच थी। इस उभरते बदलाव से विद्युत क्षेत्र में गैस की खपत के काफी अधिक बढ़ने की संभावना है। आपकी कंपनी की संयुक्त उद्यम कंपनी – महानगर गैस लिमिटेड – का पिछले वित्त वर्ष के दौरान पैसठ गुणा अधिक अंशदान होने और वर्तमान में 2.5 एक्स पर इसका कारोबारी प्रस्तावित मूल्य इस बात का उत्साहजनक संकेत है कि विकास संपूर्ण क्षेत्र का हो रहा है।

आपकी कंपनी ऊर्जा और उर्वरकों के शीर्ष उद्योग खंड सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश में प्राकृतिक गैस के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का समर्थन करने और उसकी रूपरेखा बनाने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। आपकी कंपनी सुधारवादी जीएसटी संरचना के तहत प्राकृतिक गैस को शामिल करने के लिए भारत सरकार को विभिन्न रिपोर्टें भी प्रस्तुत कर रही है क्योंकि ट्रांसमिशन सेवाएं अन्य प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों की तुलना में पहले से ही पर्यावरण अनुकूल ईंधन की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी कंपनी भारत में गैस उद्योग के पथप्रदर्शक के रूप में नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करने और देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को उचित और पारदर्शी तरीके से बढ़ाने और परिपक्व करने में मदद करेगी।

मूल्य सृजन के लिए निरंतर विश्वास और निवेश

बढ़ते प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में गैस बाजार में व्याप्त अनिश्चितताओं के बीच आपकी कंपनी के इस रोमांचक सफर में, मैं कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों में आपके द्वारा पूरी आस्था से निवेश को जारी रखने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लगातार आठवीं बार 'शून्य' रिपोर्ट दी गई है जो इस बात का प्रमाण है कि आपकी कंपनी द्वारा लेखांकन मानकों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है।

मैं देश भर में हमारे द्वारा नियुक्त विभिन्न समुदायों और उनके द्वारा प्राकृतिक गैस को अपनाने के लिए 'हवा बदलो' जागरूकता अभियान में जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी संख्या बढ़कर अब बीस लाख से अधिक हो गई है।

आपकी कंपनी अपने विभिन्न प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल, तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादों और ट्रांसमिशन सेवाओं का बेहतर कल के लिए इस्तेमाल करने की प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं के अतुलनीय विश्वास की सराहना करती है।

गैल बोर्ड उद्यमों के लिए मूल्य वर्धन करने में प्रयासरत रहता है, अतः पूरे बोर्ड की ओर से मैं इस अवसर पर स्वच्छ ऊर्जा समाधान का विस्तार करने के लिए हमारे प्रयासों का समर्थन करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों, विनियामकों, विक्रेताओं, भागीदारों और अन्य हितधारकों का आभार व्यक्त करता हूँ।

बोर्ड की ओर से, मैं आपकी कंपनी के विकास को आकार देने में सभी कर्मचारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

बी.सी. त्रिपाठी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विज्ञान

प्राकृतिक गैस तथा इतर क्षेत्रों में विश्व स्तरीय उपस्थिति के साथ ग्राहक-सेवा, सभी स्टैकहोल्डरों के लिए मूल्य सृजन और पर्यावरण के लिए अपने दायित्व के प्रति समर्पित एक अग्रणी कंपनी बनना



मिशन

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में प्राकृतिक गैस और इसके अंशों के मितव्ययी और प्रभावी उपयोग में तीव्रता लाना और वृद्धि करना

संपूर्ण गैस मूल्य श्रृंखला का विस्तार

पर्यावरण अनुकूल भारत के लिए प्रतिबद्धता



प्राकृतिक गैस

- 11,000 कि.मी. से अधिक का नेटवर्क (206 एमएमएससीएमडी)
- 15,000 कि.मी. तक के विस्तार की ओर अग्रसर
- आरजीपीपीएल में भागीदारी (5 एमएमटीपीए एलएनजी पुनः गैसीकरण सुविधा)
- दीर्घकालिक आयात पोर्टफोलियो: 14 एमएमटीपीए



पेट्रोकेमिकल

- घरेलू बाजार में हिस्सा – 15%
- पाता (उ.प्र.) में पेट्रोकेमिकल संयंत्र की क्षमता में 0.81 एमएमटीपीए विस्तार
- बीपीसीएल तथा ओपॉल में भागीदारी



शहर गैस वितरण

- सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से 19 लाख से अधिक वाहनों तथा 19 लाख से अधिक परिवारों की सेवा में रत
- 100% सहायक कंपनी गैल गैस लिमिटेड ने बेंगलुरु, देवास, सोनीपत, कोटा, मेरठ तथा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क स्थापित किया है।



विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा

- 118 मेगावाट पवन विद्युत संयंत्र तथा 5 मेगावाट सौर विद्युत संयंत्र
- आरजीपीपीएल में भागीदारी (क्षमता 1,967 मेगावाट)

तरल हाइड्रोजन कार्बन

- एलपीजी, प्रोपेन, पेंटेन, नाफथा आदि का उत्पादन करने वाले 6 गैस प्रसंस्करण संयंत्र
- एलपीजी परिवहन क्षमता 3.8 एमएमटीपीए (2,038 कि.मी.)



अन्वेषण और उत्पादन

- 12 ब्लॉकों में हिस्सेदारी (ऑपरेटर-1 ब्लॉक)
- म्यांमार तथा अमरीका में उपस्थिति



प्रमुख वित्तीय विशेषताएं


सकल बिक्री

(₹ करोड़ में)




सकल मार्जिन (ईबीआईडीटीए)

(₹ करोड़ में)




लाभप्रदत्ता

(₹ करोड़ में)




शेयरधारक निधि

(₹ करोड़ में)




ईपीएस, डीपीएस और बही मूल्य प्रति शेयर

[₹]




बाजार पूंजीकरण-एनएसई




*इन वर्षों के आंकड़े भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार हैं। इन सभी वर्षों के सभी अनुपातों की गणना इंड एएस के अनुसार आंकड़ों के आधार पर की गई है। अतः ये संख्या पूर्ण रूप से पिछले वर्षों से तुलनीय नहीं है।


कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में लागत और लाभ



वित्त वर्ष 2016-17 में राजस्व और लाभ प्रोफाइल



राजस्व प्रोफाइल



लाभ प्रोफाइल

अमेकित वित्तीय निष्पादन

कारोबार (सकल)

(₹ करोड़ में)



सकल मार्जिन (पीडीबीआईटी)

(₹ करोड़ में)



कर पूर्व लाभ (पीबीटी)

(₹ करोड़ में)



कर पश्चात् लाभ (पीबीटी)

(₹ करोड़ में)



*इन वर्षों के आंकड़े भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार हैं।

प्रचालनात्मक निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

गैस की मात्रा का रुझान (एमएमएससीएमडी)



गैस ट्रांसमिशन सम्मिश्रण



गैस विपणन सम्मिश्रण



- एपीएम/एनएपीएम
- एसपीओटी
- आरएलएनजी
- मध्य अवधि
- पीएमटी
- आरआईएल

पेट्रोकेमिकल बिक्री

(टीएमटी)



तरल हाइड्रोकार्बन बिक्री

(टीएमटी)



एलपीजी ट्रांसमिशन

(टीएमटी)



गैस स्रोत और क्षेत्र-वार आपूर्ति (वित्त वर्ष 2017)

गैस स्रोत

(एमएमएससीएमडी, %शेयर)



क्षेत्र-वार आपूर्ति



- आयातित गैस में मुख्य रूप से दीर्घावधि आरएलएनजी, मध्यावधि आरएलएनजी और स्पॉट शामिल हैं
- घरेलू गैस के मुख्य स्रोत ओएनजीसी (एपीएम एवं गैर-एपीएम), एपीएम में पीएमटी एवं पीएससी की कीमतों, रावा, रावा सेटेलाइट, आदि हैं
- विद्युत और उर्वरक कंपनियों से प्राकृतिक गैस की सबसे ज्यादा मांग

*अन्य में इस्पात, रिफाइनरी, स्पंज आयरन, पेट्रोकेमिकल्स, और गेल की आंतरिक खपत आदि शामिल है।

गेल की यात्रा

मूल्य सृजन के तीन दशक

1987
 भारत की प्रथम एनजी पाइपलाइन-एचवीजे का शुभारंभ

1999
 पाता में प्रथम पेट्रोकेमिकल संयंत्र

2001
 जेएलपीएल, विश्व की सबसे लंबी एलपीजी ट्रांसमिशन पाइपलाइन का प्रारम्भ

2011
 यूएस में शेल गैस एकरिज अर्जित करने वाला पहला पीएसयू
 • यूएस में सहायक कंपनी

2012
 • 2200 कि.मी. लंबी दाहेज-विजयपुर-भटिण्डा पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित
 • बीएसई ग्रीनेक्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी बनी

2013
 • महारत्न दर्जा प्राप्त
 • दाभोल टर्मिनल एवं दाभोल-बंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रारम्भ
 • यूएस में कोव प्वाइंट एलएनजी टर्मिनल में क्षमता बुकिंग

2014
 • तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड का गठन

2015
 • जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ
 • पाता में पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता दुगुनी

2016
 • ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित
 • वाराणसी सीजीडी परियोजना का शिलान्यास

2017
 • भुवनेश्वर और कटक में सीजीडी परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ
 • बंगलुरु सीजीडी परियोजना का उद्घाटन

भारत के प्राकृतिक गैस क्षेत्र के अग्रणी

भारत की प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के 3/4 भाग का प्रचालन

भारत में बेचे जाने वाले प्राकृतिक गैस में से 3/5 से अधिक भाग का योगदान

भारत के उत्पादित उर्वरक में से लगभग 3/5 भाग के लिए गैस की आपूर्ति

भारत के गैस आधारित विद्युत के लगभग 3/4 भाग के लिए गैस आपूर्ति

सहयोगी कंपनियों के माध्यम से भारत के कुल सीएनजी स्टेशनों के 2/3 से अधिक का संचालन

भारत की पोलीथिलीन के 1/5 का उत्पादन

भारत के कुल एलपीजी ट्रांसमिशन के 1/6 के लिए जिम्मेदार

भारत में प्रत्येक 20वें एलपीजी सिलेण्डर के लिए एलपीजी का उत्पादन

हमारी दुनिया

भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थायी ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित रखते हुए

सहायक कंपनियां

गेल गैस लिमिटेड
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड
गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक
गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी

संयुक्त उद्यम

अवंतिका गैस लिमिटेड
भाग्यनगर गैस लिमिटेड
सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड
गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड
ग्रीन गैस लिमिटेड
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
महानगर गैस लिमिटेड

महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
ओएनजीसी पेट्रो-एडिशनस लिमिटेड
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
रत्नागिरी गैस एड पॉवर प्रा. लिमिटेड
तालेचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड
त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड

गेल स्थिरता आकांक्षा 2020

वित्त वर्ष 2010-11 को आधार मानते हुए जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता में 33% की कमी का लक्ष्य



विशिष्ट ऊर्जा खपत (पेट्रोकेमिकल और एलएचसी खंड उत्पाद) में 5% की कमी का लक्ष्य



वित्त वर्ष 2010-11 को आधार मानते हुए जल खपत तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य



सृजित अपशिष्ट जल के 5% तक अपशिष्ट जल रिसाइकिल में वृद्धि का लक्ष्य



100% कर्मचारियों को स्थायी जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य



निदेशक मंडल



वाएं से दाएं

श्री गजेन्द्र सिंह, निदेशक (विपणन) (05.04.2017 से)
श्री पी. के. गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) (01.02.2017 से)
श्री सुबीर पुरकयस्थ, निदेशक (वित्त)
डा. आशुतोष कर्नाटक, निदेशक (परियोजनाएं)
श्री बी.सी. त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आशीष चटर्जी, निदेशक (सरकारी नामिती) (23.12.2016 से)
श्री एस.के. श्रीवास्तव, स्वतंत्र निदेशक
श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ, स्वतंत्र निदेशक
श्री संजय टंडन, स्वतंत्र निदेशक
श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव, स्वतंत्र निदेशक (31.01.2017 से)
डॉ अनूप के. पुजारी, स्वतंत्र निदेशक (31.01.2017 से)



श्री एम. रविन्द्रन
निदेशक (मानव संसाधन)
(31.01.2017 तक)



श्री अनंत कुमार सिंह
निदेशक (सरकारी नामिती)
(11.05.2017 तक)




श्री आशुतोष जिंदल
निदेशक (सरकारी नामिती)
(23.12.2016 तक)



श्रीमती अनुपमा जायसवाल
स्वतंत्र निदेशक
(31.01.2017 से 18.03.2017 तक)

बोर्ड का ढांचा



बोर्ड की समितियों का ब्यौरा

लेखा-परीक्षा समिति

- श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ – अध्यक्ष
- निदेशक (विपणन)
- श्री एस.के. श्रीवास्तव
- श्री संजय टंडन

आमंत्रित:

- क. निदेशक (वित्त)
- ख. निदेशक (एचआर)
- ग. आईए का प्रमुख

व्यवसाय विकास और विपणन समिति

- श्री एस.के. श्रीवास्तव – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (एचआर)
- निदेशक (विपणन)
- संयुक्त सचिव, एमओपीएंडएनजी
- श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव

निगमित सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर)

- सीएमडी – अध्यक्ष
- निदेशक (एचआर)
- श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ
- श्री संजय टंडन

अधिकार प्राप्त संविदाएं और प्रापण समिति सीएमडी और सभी कार्यात्मक निदेशक सीएमडी समिति का अध्यक्ष होता है।

अधिकार प्राप्त समिति (प्राकृतिक गैस, एलएनजी और पॉलीमर)

- सीएमडी – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (एचआर)
- निदेशक (विपणन)

वित्त समिति

- श्री एस. के. श्रीवास्तव – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- श्री संजय टंडन
- डॉ अनूप के. पुजारी

एच. आर. समिति

- सीएमडी – अध्यक्ष
- सभी कार्यात्मक निदेशक
- श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ
- डॉ अनूप के. पुजारी

परियोजना मूल्यांकन समिति

- सीएमडी – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- संबंधित कार्यात्मक निदेशक
- श्री एस.के. श्रीवास्तव
- श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

- श्री संजय टंडन – अध्यक्ष
 - श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव
 - डॉ अनूप के. पुजारी
- आमंत्रित:**
- क. निदेशक (वित्त)
 - ख. निदेशक (एचआर)

शेयरधारक संबंध समिति

- श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव – अध्यक्ष
- निदेशक (परियोजनाएं)
- निदेशक (एचआर)

शेयरधारक शिकायत निवारण समिति

- श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- संबंधित कार्यात्मक निदेशक जो विषय विवाद में शामिल न हो, जैसे:
 - परियोजना से संबंधित विवाद हेतु – निदेशक (एचआर)
 - विपणन से संबंधित विवाद हेतु – निदेशक (परियोजनाएं)
 - एचआर से संबंधित विवाद हेतु – निदेशक (वित्त) और
 - बीडी से संबंधित विवाद हेतु – निदेशक (विपणन)

स्थायी विकास समिति

- डॉ अनूप के. पुजारी – अध्यक्ष
- निदेशक (परियोजनाएं)
- निदेशक (एचआर)

निदेशकों की रिपोर्ट





निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, हमें वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों सहित अपनी महारत्न कंपनी की 33वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत के विकास में भागीदार - प्राकृतिक गैस में अग्रणी

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कंपनी, गेल (इंडिया) लिमिटेड आज दुनिया की शीर्ष प्राकृतिक गैस (एनजी) कंपनियों में से एक है। यह एलपीजी, प्रोपेन, पेंटेन, नाफ्था, मार्केटिंग और ट्रांसमिशन या पेट्रोकेमिकल्स जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए अन्वेषण से गैस प्रोसेसिंग तक सम्पूर्ण गैस मूल्य श्रृंखला में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।

आपकी कंपनी के पास एक विस्तृत पाइपलाइन नेटवर्क है जिसमें 11,000 किलोमीटर से अधिक एनजी पाइपलाइन और 2000 किलोमीटर से अधिक एलपीजी पाइपलाइन शामिल हैं। इसके अलावा, इसने विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए भौगोलिक सीमाओं से परे व्यापारिक अवसरों का पालन किया गया है। आपकी कंपनी का शेल गैस के लिए अमेरिका में, सिंगापुर में एलएनजी प्रचालन ट्रेडिंग कार्यालय तथा प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिन्न और चीन में सीटी गैस वितरण (सीजीडी) संयुक्त उद्यम है। इसके अलावा, आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय करार (एसपीए) के माध्यम से भी गैस की आपूर्ति कर रही है।

आपकी कंपनी का पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उर्जा गंगा: भारत सरकार ने आपकी कंपनी को 2600 किमी लंबी जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना को देश के पूर्वी राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने का कार्य सौंपा है। पांच राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को वहनीय और समान आधार पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने से फायदा होगा। परियोजना के पूरा होने पर इन राज्यों में उर्वरक संयंत्रों और सीजीडी

परियोजना गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में यह मदद करेगी, जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आपकी कंपनी को वाराणसी, पटना, रांची, भुवनेश्वर, कटक, जमशेदपुर और कोलकाता में सात शहरों के सीजीडी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है ताकि घरेलू प्रयोजनों के लिए स्वच्छ ईंधन अर्थात् पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के रूप में प्राकृतिक गैस और वाहनों में ईंधन भरने तथा जीवन की गुणवत्ता को बदलने के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का विकास करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

वित्तीय विशेषताएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 16 फरवरी 2015 की अधिसूचना के जरिए भारतीय कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 को अधिसूचित करते हुए आईएफआरएस लागू करने की रूपरेखा निर्धारित करते हुए बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अलावा मानक आईएनडी एस को भारतीय कंपनियों में परिवर्तित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियां, जिनका निवल मूल्य 500 करोड़ या इससे अधिक है, 1 अप्रैल 2016 से अनिवार्य रूप से परिवर्तित हो जाएंगी।

आपकी कंपनी 1 अप्रैल 2016 से आईएनडी एस में कवर होती है। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के तुलनात्मक आंकड़ों सहित वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 के प्रारंभिक रिजर्व में और वित्तीय वर्ष 2015-16 के लाभ एवं हानि विवरण में भारतीय सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धांत से आईएनडी एस में परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित कर लिया है। इसके अलावा, आईएनडी एस के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से आपकी कंपनी, सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों की शेयरधारिता को भी आईएनडी एस में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2016-17 के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	2016-17		2015-16*	
	यूएस डॉलर मिलियन में	(₹ करोड़ में)	यूएस डॉलर मिलियन में	(₹ करोड़ में)
सकल बिक्री	7,457	48,789	7,773	52,003
अन्य आय (अन्य परिचालन आय सहित)	194	1,271	162	1,084
बिक्री की लागत (असाधारण वस्तुओं सहित ब्याज और मूल्यह्रास को छोड़कर)	6,491	42,474	7,162	47,915
निवल असाधारण वस्तुएं (निवेश की बिक्री पर लाभ और परिसंपत्तियों की हानि)	(46)	(299)	-	-
सकल मार्जिन	1,114	7,287	773	5,172
वित्त लागत	73	479	120	800
मूल्यह्रास	213	1,397	196	1,310
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	827	5,411	457	3,062
कर के लिए प्रावधान	292	1,908	125	836
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	535	3,503	333	2,226
विनियोजन	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	58	381	57	381
अंतरिम लाभांश	165	1,078	47	317
कॉर्पोरेट लाभांश कर	45	295	21	142
बांड रिडेम्पशन रिजर्व में / से निवल अंतरण	15	98	5	35
सीएसआर रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	(0)	(1)
जनरल रिजर्व के लिए स्थानांतरण	54	350	34	230
विनियोजन के बाद निवल अधिशेष	199	1,301	168	1,122
1 यूएस डॉलर को संबंधित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को विनिमय दर पर भारतीय रूप में परिवर्तित किया गया	65.43		66.9	

*इंड-एस वित्त वर्ष 2016-17 में लागू हो गया है, वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय आंकड़ों को आईएनडी-एस के अनुसार पुनः स्थापित किया गया है।



माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला माननीय गवर्नर, उत्तर प्रदेश श्री राम नाइक, माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान और कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में रखी।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिवेश

भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2017 को सीएसईएस ईटीएफ-II के माध्यम से 1,53,15,380 शेयरों का विनिवेश किया था। विनिवेश के बाद, भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता में 69,63,80,452 इक्विटी शेयर हैं, जो गैल के 54.90% प्रदत्त शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत सरकार ने मार्च 2017 में पुनः सीपीएसई ईटीएफ-III के शेयरों के बोनस आबंटन के बाद 78,55,657 शेयरों का विनिवेश किया। विनिवेश के बाद, भारत के राष्ट्रपति की आज की तारीख में शेयरधारिता 92,06,51,612 इक्विटी शेयर हैं, जो गैल की प्रदत्त शेयर पूंजी के 54.43% का प्रतिनिधित्व करती है।

लाभांश

आपकी कंपनी के पास लाभांश भुगतान का सुसंगत ट्रैक-रिकॉर्ड है। अब तक, इसने भारत सरकार को 9,120 करोड़ रुपये के लाभांश सहित अपने शेयरधारकों को 15,120 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश दिया है।

आपके कंपनी के निदेशक मंडल ने पहले प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (8.50 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) पर 85% अंतरिम लाभांश का भुगतान अनुमोदित किया था, जो कंपनी की उस समय प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 1078 करोड़ रुपए बैठती है (1268.48 करोड़ रुपए), जिसका फरवरी, 2017 में भुगतान किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2016-17 की 457 करोड़ रुपए की राशि के लिए प्रत्येक 10 रुपए (बोनस शेयरों के विस्तारित इक्विटी पश्चात् इश्यू पर 2.70 रुपए प्रति इक्विटी शेयर अर्थात् 1691.30 करोड़ रुपए) के इक्विटी शेयर पर 27% की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है।

इससे, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल लाभांश भुगतान 1691.30 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर 1,535 करोड़ रुपए होगा, जो कि पीएटी का 43.81% है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएम) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में 30,699 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवल मूल्य के 5% के बराबर है। शेयरधारकों को लाभांश के भुगतान के अलावा, आपकी कंपनी ने 295 करोड़ रुपए का लाभांश का भुगतान किया है।

आपकी कंपनी द्वारा 17,000 करोड़ रुपए (पूँजी राजसहायता का निवल) के पूँजीगत व्यय को मुख्य रूप से पाइपलाइनों (उर्जा गंगा पाइपलाइन और अन्य), सीजीडी और अन्य व्यवसाय के विस्तार पर जेवी आदि के जरिए खर्च करने की योजना है। तदनुसार, कंपनी को आंशिक रूप से पूँजीगत व्यय के लिए लाभ/आंतरिक संसाधनों को वापस लेना होगा।

राजकोष में अंशदान

आपकी कंपनी ने वर्ष 2015-16 में 4,929 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2016-17 में

लाभांश, शुल्क, कर और अन्यों के जरिए राजकोष में 5,909 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है।

क्रेडिट रेटिंग

• घरेलू दर

आपकी कंपनी को आईसीआरए, सीएआरई और क्रिसिल द्वारा उच्च घरेलू क्रेडिट रेटिंग 'एएए' मिली है जो भारत में सबसे उच्चतम क्रेडिट रेटिंग हैं और कम्पनी के न्यूनतम क्रेडिट जोखिम का संवाहक है।

• अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग

अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी, मूडिज इंटरनेशनल, हांगकांग ने भी पोजिटिव आउटलुक के साथ कॉर्पोरेट जारीकर्ता रेटिंग बीएए3 दी है जो भारत की उत्तम रेटिंग से एक पायदान ऊपर है। इसके अलावा, फिच रेटिंग ने भी स्थिर आउटलुक के साथ दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफाल्ट रेटिंग बीबीबी-का दर्जा प्रदान किया है जो भारत की उत्तम रेटिंग के समान है। एजेंसियों ने संकेत दिया है कि एक बार भारत की संप्रभु रेटिंग में सुधार होने के बाद आपकी कंपनी की रेटिंग बढ़ जाएगी।

व्यापार रणनीति

आपकी कंपनी 2020 तक के दशक के लिए परिकल्पित मास्टर कार्यनीति में पहचान किए गए अनुसार विकास के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि कार्यनीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उसमें अपेक्षित सुधार किए जाते हैं, गैल प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला सहित अपने विस्तार में प्रगति कर रहा है।

• राष्ट्रीय गैस ग्रिड


आपकी कंपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है और देश भर में बुनियादी ढांचे के विस्तार के आधार के रूप में राष्ट्रीय गैस ग्रिड संरचना के विकास के लिए काम करती है। घरेलू गैस बाजार में परिपक्वता लाने के लिए भारत सरकार ग्रिड विकास को गति देने पर केंद्रित है। इस प्रयास में आपकी कंपनी 11,000 किलोमीटर से ज्यादा के नेटवर्क के लिए कई पाइपलाइनों पर काम कर रही है। जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) से 12,940 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत पर नेटवर्क के अतिरिक्त 60% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। चरण-वार अनुसूची के अनुसार परियोजना का कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार ने पहले ही इस परियोजना के लिए 40% पूंजी अनुदान को मंजूरी दे दी है और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 450 करोड़ रुपए के अनुदान की पहली किस्त वितरित की गई थी। आपकी कंपनी जेएचबीडीपीएल को फीड गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 672 कि.मी. लंबी विजयपुर-औरैया-फुलपुर पाइपलाइन (वीएपीपीएल) का कार्य निष्पादित कर रही है। इसके अलावा, कोच्चि-कूटानाद-मैंगलोर-बेंगलुरु



पाइपलाइन (केकेएमपीएल) परियोजना का 873 कि.मी. का भी कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं के साथ, आपकी कंपनी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन क्षेत्र में अपने नेतृत्व की स्थिति को और सुदृढ़ करेगी।

• **एलएनजी विपणन**

वर्ष 2016-17 के लिए देश की गैस खपत लगभग 139 एमएमएससीएमडी थी जिसमें घरेलू उत्पादकों की खपत लगभग 68 एमएमएससीएमडी थी। भारत की ऊर्जा खपत में पिछले वित्तीय वर्ष से पहली बार यह संकेत मिला है कि घरेलू और आयातित स्रोतों से प्राकृतिक गैस की बिक्री समान अनुपात में थी। आपकी कंपनी में 60:40 अनुपात में घरेलू गैस और आरएलएनजी की बिक्री मिली-जुली थी। गैल का एक प्रमुख कंपनी के रूप में भारत में लगभग 60% की बाजार हिस्सेदारी है।



आपकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में एलएनजी के लिए अनुबंध किया है और कैलेण्डर वर्ष 2018 से अमेरिका में सेबाइन पास लिक्विफिकेशन एंड डोमिनियन कोव प्वाइंट से 5.8 एमएमटीपीएल मात्रा प्राप्त होने की संभावना है। पिछली कुछ तिमाहियों में, आपकी कंपनी ने पोर्टफोलियों में जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न सौदे किए हैं और भारतीय टर्मिनलों पर प्रतिस्पर्धात्मक डिलीवरी आधारित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए ढांचों की अदला-बदली की है। घरेलू और विदेशी बाजार भागीदारों से प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया के आधार पर अवशिष्ट मात्रा का भी अनुबंध होने की संभावना है। आपकी कंपनी की सहायक कंपनी, गैल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एलएनजी ट्रेडिंग कार्यकलाप कर रही है।

आपकी कंपनी ने धामरा, ओडिशा में प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनल में 1.5 एमएमटीपीएल रेगास क्षमता की बुकिंग के लिए धामरा एलएनजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (डीएलटीपीएल) के साथ गैर-बाध्यकारी टोलिंग टर्म शीट को कार्यान्वित किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी डीएलटीपीएल में इक्विटी खरीदने की संभावना भी तलाश रही है।

आपकी कंपनी एलएनजी पोतों को चार्टर पर लेने की योजना बना रही है और विभिन्न स्रोतों से विशेष रूप से अमरीका से एलएनजी की कारगर ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए संभार-तंत्र अनुकूल मॉडल पर भी काम कर रही है।

• **शहर गैस वितरण**

घरेलू, वाहन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने और स्मार्ट शहरों का विकास करने के लिए, आपकी कंपनी अपने शहर गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है। आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गैल गैस लिमिटेड, कोटा, देवास, मेरठ के शहरों में तथा

सोनीपत, बेंगलुरु और ताज ट्रेपीजियम और हरिद्वार, उत्तरी गोवा और वडोदरा में अपने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से सीजीडी परियोजनाओं को लागू कर रही है। इसके अलावा, उर्जा गंगा परियोजना (जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना) के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी स्वयं या अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से पूर्वी भारत के छह नए शहरों में सीजीडी लागू करेगी। कोलकाता में सीजीडी को हमारे संयुक्त उद्यम के माध्यम से संचालित किया जाएगा। आपकी कंपनी की अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से सीएनजी स्टेशनों में 63% और घरेलू पीएनजी कनेक्शन में 50% हिस्सेदारी है।

• **पेट्रोकेमिकल्स**

आपकी कंपनी के पास पाता में 810 केटीए यूनिट से प्रति वर्ष 1 मिलियन टन से अधिक और सहायक कंपनी ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) द्वारा संचालित 280 के.टी.ए. संयंत्र में पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीलीन उत्पादों का विपणन पोर्टफोलियो है। आपकी कंपनी और इसकी सहायक कंपनी की देश में उच्च घनत्व और लाइनर कम घनत्व पॉलीथीन बाजार में 25% संयुक्त उत्पादन हिस्सेदारी है। इसके अलावा, आपकी कंपनी के दहेज में पेट्रोकेमिकल संयुक्त उद्यम अर्थात् ओएनजीसी पेट्रो-एडिशनस को भी वर्ष के दौरान चालू किया गया था।

• **मानव संसाधन विकास**

आपकी कंपनी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतिक उद्देश्यों सहित मानव संसाधन विकास पहल के साथ तालमेल बनाने के महत्व को समझती है। कौशल विकास और क्षमता निर्माण, प्रतिभा अधिग्रहण, विकास और प्रतिधारण कार्यनीतियों के लिए परसंदिदा नियोक्ता के रूप में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं।

व्यवसाय निष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी का खंड-वार व्यावसायिक निष्पादन निम्नानुसार है:

• **प्राकृतिक गैस विपणन**

प्राकृतिक गैस व्यापार में व्यवसाय कारोबार का 70% शामिल है और यह आपकी कंपनी का मुख्य व्यवसाय बना हुआ है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, गैस की बिक्री पिछले वित्त वर्ष के 73.67 एमएमएससीएमडी की तुलना में 81.21 एमएमएससीएमडी हुई है। घरेलू गैस की उपलब्धता 48.5 एमएमएससीएमडी पर स्थिर रही, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में दीर्घावधि आयातित मात्रा में वृद्धि हुई है। 20 एमएमएससीएमडी में सीजीडी द्वारा गैस की खपत सबसे तेजी से बढ़ने वाले खंड के रूप में हुई है।

• **ट्रांसमिशन**

➤ **प्राकृतिक गैस**

आपकी कंपनी लगभग 11000 किमी लम्बा प्राकृतिक गैस उच्च दबाव ट्रंक पाइपलाइन नेटवर्क का स्वामित्व प्रचालन करती है जिसकी अखिल भारतीय क्षमता लगभग 206 एमएमएससीएमडी मात्रा को नियंत्रित करने की है। वर्ष 2016-17 के दौरान औसत गैस ट्रांसमिशन 100.38 एमएमएससीएमडी था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 92.09 एमएमएससीएमडी था। तृतीय पक्ष ट्रांसमिशन की हिस्सेदारी 22.18 एमएमएससीएमडी थी।

• **उर्वरक क्षेत्र**

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने उर्वरक क्षेत्र में 25.74 एमएमएससीएमडी (12.09 एमएमएससीएमडी घरेलू गैस सहित) प्राकृतिक गैस (घरेलू + आरएलएनजी) की कुल बिक्री की है। आपकी कंपनी गैस की आपूर्ति के लिए आगामी / पुनर्जीवित उर्वरक इकाइयों के साथ चर्चा कर रही है और उम्मीद है कि गैस की आपूर्ति के लिए इस वर्ष 2017 में समझौता हो जाएगा।

• **विद्युत क्षेत्र**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने विद्युत क्षेत्र में 23.81 एमएमएससीएमडी (19 एमएमएससीएमडी घरेलू गैस सहित) प्राकृतिक गैस (घरेलू + आरएलएनजी) की कुल बिक्री की है। गैस आधारित ऊर्जा क्षेत्र के लिए विद्युत मंत्रालय की पीएसडीएफ योजना वित्तीय वर्ष 16-17 के दौरान जारी रही और

आपकी कंपनी ने पूल ऑपरेटर के रूप में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को वृद्धिशील आरएलएनजी के लिए लगभग 4.0 एमएमएससीएमडी की आपूर्ति की, जिसे विद्युत क्षेत्र की कुल बिक्री में शामिल कर लिया गया है। यह योजना 31 मार्च 2017 को बंद कर दी गई है और आपकी कंपनी गैस आधारित बिजली उत्पादन इकाइयों को सस्ती कीमतों पर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के अवसरों की तलाश कर रही है।

➤ एलपीजी

आपकी कंपनी दो प्रमुख नेटवर्कों में तीसरे पक्ष के उपयोग के लिए एलपीजी ट्रांसमिशन के लिए 2038 कि.मी. लम्बी विशिष्ट पाइपलाइनों का स्वामित्व और प्रचालन करने के लिए भारत में अद्वितीय है। जामनगर-लोनी और विजाग-सिकंदराबाद पाइपलाइन नेटवर्क ने पिछले वित्त वर्ष को 2.82 एमएमटीपीए की तुलना में इस वर्ष 3.36 एमएमटीपीए का थ्रूपुट प्राप्त किया है।

➤ पेट्रोकेमिकल्स

वर्ष 2016-17 में पॉलिमर का कुल उत्पादन 6.04 लाख एमटी था, जबकि इस अवधि में कंपनी ने 5.77 लाख एमटी का विपणन किया था। आपकी कंपनी की सहायक कंपनी ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) द्वारा उत्पादित पॉलिमर सहित कुल पॉलिमरों का विपणन 6.65 लाख एमटी था, जो वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में लगभग 100% की वृद्धि दर्शाता है।

➤ एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादन

आपकी कंपनी के देश में पांच स्थलों पर एलपीजी संयंत्र हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 13 लाख एमटी है। वर्ष 2016-17 में, कुल तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादन 1.11 मिलियन एमटी था, जिसमें से 80% से अधिक एलपीजी और प्रोपेन था।

➤ अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी)

पोर्टफोलियो में निरंतर सामंजस्य स्थापित करने के कारण, आपकी कंपनी को अब 12 ईएंडपी ब्लॉक में भागीदारी हित हैं, जिनमें से 10 ब्लॉक भारत में हैं और शेष दो ब्लॉक म्यांमार में हैं। इनमें से, आपकी कंपनी कैंबे बेसिन में एक ऑनलैंड ब्लॉक नामतः सीबी-ओएनएन-2010/11 में ऑपरेटर है जो उसे एनईएलपी-IX बोली चरण के दौरान प्रदान किया गया था। चार (पांच में से) ब्लॉकों में ड्रिलिंग कार्यकलाप जारी रहा।

सरकार को दो ब्लॉकों में हाइड्रोकार्बन खोज के बारे में अधिसूचित किया गया है, अर्थात् जीके-ओएसएन-2010/1 और सीबी-ओएनएन-2010/8. शेष एनईएलपी-IX ब्लॉक एए-ओएनएन-2010/2 में सर्वेक्षण कार्यकलाप चल रहे हैं। चार ब्लॉकों (म्यांमार और कैंबे बेसिन में प्रत्येक में दो ब्लॉक) से आय के कारण ईएंडपी व्यवसाय लगातार तीसरे वर्ष राजस्व स्व-स्थायी रहा है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान इन ब्लॉकों से 615.28 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है।



भुवनेश्वर और कटक में शहर गैस वितरण परियोजना के कार्यान्वयन का शुभारंभ माननीय सांसद (भुवनेश्वर) डॉ प्रसन्न कुमार पाटसानी (बाएं से तीसरे), माननीय सांसद (कटक) श्री भर्तुहरी महताब (दाएं से तीसरे) और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया।

भावी विकास के लिए पहल

➤ पेट्रोकेमिकल्स

अपनी कंपनी को विशेषकर एशिया में पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए निर्यात क्षमता को विकसित करने पर ध्यान दिया गया था। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए गेल ने 14,000 एमटी पॉलिमर का निर्यात किया। आपकी कंपनी का इस क्षेत्र में अवसरों के आधार पर निर्यात जारी रखने का लक्ष्य है।

आपकी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड नाफ्था/इथेन-आधारित पेट्रोकेमिकल परिसर स्थापित करने के लिए विभिन्न अध्ययन कर रही है।

➤ एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल

आपकी कंपनी देश में एलएनजी पुनः गैसीकरण क्षमता की स्थापना/बुकिंग के लिए विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन कर रही है। इसने प्रस्तावित धमरा एलएनजी टर्मिनल में 1.5 एमएमटीपीए क्षमता की बुकिंग के लिए धमरा एलएनजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (डीएलटीपीएल) के साथ गैर-बाध्यकारी टोलिंग टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहले से ही दाभोल और दहेज में बुक की गई 6.5 एमएमटीपीए की क्षमता से अधिक है।

➤ एलएनजी शिपिंग

वर्तमान में, आपकी कंपनी संयुक्त राज्य अमरीका के पूर्वी तट से एफओबी अनुबंधित एलएनजी मात्रा के लिए समुद्री कैरियर को किराए पर ले रही है। इस संबंध में कंपनी ने भारतीय शिपिंग निगम की सेवाएं ली हैं। जहाजों को भाड़े पर लेने की संख्या को अंतरराष्ट्रीय बिक्री और अदला-बदली लेनदेन पर विचार करने के बाद अमरीका से सीधे भारत में लाई जाने वाली अवशिष्ट मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

➤ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कर्नाटक, गुजरात, गोवा, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब के विभिन्न पाइपलाइन नेटवर्कों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए लगभग 437 किलोमीटर की अंतिम मील कनेक्टिविटी सहित 14 पाइपलाइन परियोजनाएं पूरी की हैं। केजी और कावेरी बेसिन में पाइपलाइन सुधार परियोजनाओं का 90% से अधिक और गुजरात में 80% से अधिक कार्य पूरा हो गया है और चालू वर्ष के दौरान इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

➤ गैर-पारंपरिक ऊर्जा

आपकी कंपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी की पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं (डब्ल्यूईजी) की कुल स्थापित क्षमता 118 मेगावाट है और उसने पवन ऊर्जा से राजस्व में 43% की वृद्धि दर्ज की है।

सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, आपकी कंपनी पाता, उत्तर प्रदेश में अपने पेट्रोकेमिकल परिसर में 5.76 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रही है। उत्पादित बिजली का उपभोग पेट्रोकेमिकल परिसर में किया जाएगा और यह गेल की लागत तथा कार्बन फुटप्रिंट में भी पर्याप्त रूप से कमी लाते हुए ग्रिड से ली जाने वाली बिजली को प्रतिस्थापित करेगा।

➤ कोयला गैसीकरण

आपकी कंपनी तलचर में सतह कोयला गैस आधारित यूरिया परियोजना स्थापित करके कोयला गैसीकरण में भी कदम रख रही है। परियोजना की 8000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2200 एमटीपीडी अमोनिया और 3850 एमटीपीडी यूरिया का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है जिसके परिसंघ भागीदारों में गेल, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) शामिल हैं। परियोजना-पूर्व कार्यकलाप जोर-शोर से चल रहे हैं और मैसर्स शैल का लाइसेंस के रूप में चयन किया जा रहा है। सीसीईए/भारत सरकार से अनुमोदन प्रक्रिया के वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियां शुरू की जा सकें।

संबंधित पक्ष - सहायक कंपनियां/सहयोगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी ने सीजीडी, पेट्रोकेमिकल्स, एलएनजी, गैस ट्रेडिंग, बिजली उत्पादन और शेल गैस के लिए सहायक कंपनियां/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यम का



गठन किया है। इसने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के जरिए घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस आपूर्तियों के लिए शहर गैस परियोजनाएं शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। संविदा या प्रबंधन/संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया तथा स्वतंत्र एवं समानता के आधार पर किए गए थे।

आपकी कंपनी की सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने अपनी व्यापार विस्तार गतिविधियों में पर्याप्त योगदान दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रथम परंतुक के अनुसार आपकी कंपनी की सहायक कंपनियों, एसोशिएट कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषता सहित विवरण, जिसमें अवधि के दौरान कंपनी के समग्र निष्पादन के लिए सभी सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के व्यक्तिगत योगदान का ब्यौरा शामिल है, समेकित वित्तीय विवरण के अंतर्गत दिया गया है।

सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रचालन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

प्राकृतिक गैस, एलएनजी और विद्युत

• गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई. लि. (जीजीएसपीएल) को मुख्य रूप से आपकी कंपनी की विदेशी निवेशक शाखा के रूप में गठित किया गया था और यह वर्ष 2012 में एलएनजी व्यापार के प्रचालन में आई थी। इसने मई 2012 में अपना व्यवसाय प्रचालन प्रारंभ किया। 31 मार्च 2017 तक, जीजीएसपीएल ने 54 एलएनजी कार्गो की ट्रेडिंग की है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 23 की ट्रेडिंग की गई थी। वर्ष 2016-17 का कारोबार 494 मिलियन डॉलर था।



आपकी कंपनी द्वारा जीजीएसपीएल को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संयुक्त राज्य अमेरिका से हेनरी हब से संबद्ध एलएनजी मात्रा के भाग का विपणन करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस मात्रा का विपणन करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। उक्त खंडों की आपूर्ति वर्ष 2018 से शुरू होने की उम्मीद है।

• गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक (जीजीआईआई) को गेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसका उद्देश्य ईंगल फोर्ड शेल गैस परिसंपत्ति में निवेश करना और यूएस शेल गैस बाजार में प्रवेश करना तथा शेल गैस प्रौद्योगिकी को भारत लाना था। जीजीआईआई ने टेक्सस में ईंगल फोर्ड शेल परिसंपत्ति में एक गैर-निगमित संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए सितंबर, 2011 को मैसर्स कार्रिजो ऑयल एंड गैस इंक, यूएसए (कैरिजो) के साथ एक समझौता करार किया है। सहायक कंपनी ने इस संयुक्त उद्यम में 20% भागीदारी प्राप्त की है। शेष 80% भागीदारी हित के साथ कैरिजो संयुक्त उद्यम ऑपररेटर के रूप में कार्य करता है।



वर्ष के दौरान, सात कुएं ऑनलाइन लिए गए जिससे 31 दिसंबर 2016 तक कुओं की कुल संख्या 106 हो गई। कैलेंडर वर्ष 2016 के दौरान जीजीआईआई की सकल उत्पादन मात्रा 669 मिलियन बैरल तेल समकक्ष (एमबोई) हो गई।

• गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी (जीजीयूएलएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी (जीजीयूएलएल) ने अपने कोव प्वाइंट टर्मिनल में 2.3 एमएमटीपीए की एलएनजी टोलिंग क्षमता बुक करने के लिए डोमिनियन कोव प्वाइंट एलएनजी, एलपी (डीसीपी) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उसने टर्मिनल पर द्रवीकरण के लिए गैस की सोर्सिंग हेतु डब्ल्यूजीएल मिडस्ट्रीम, इंक के साथ गैस बिक्री एवं क्रय करार (जीएसपीए) पर भी हस्ताक्षर किए थे। टर्मिनल में निर्माण गतिविधियां समय अनुसार चल रही हैं और इसके दिसंबर 2017 तक चालू होने की उम्मीद है।



• गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड

मुख्य रूप से चाइना में गैस क्षेत्र के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड का गठन किया गया था। आपकी कंपनी के पास एक समान भागीदार के रूप में चीन गैस होल्डिंग्स लिमिटेड में 50% इक्विटी हिस्सेदारी है।

• पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल)

पीएलएल का गठन 1998 में भारत में एलएनजी आयात और रि-गैसीफिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए किया गया था। वर्तमान में यह दाहेज, गुजरात में 15 एमएमटीपीए क्षमता वाले एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल का स्वामित्व और प्रचालन करती है। इसकी क्षमता का 17.50 एमएमटीपीए तक विस्तार किया जा रहा है। पीएलएल ने 5 एमएमटीपीए की क्षमता सहित कोच्चि, केरल में एक पुनः गैसीकरण टर्मिनल भी स्थापित किया है।



आपकी कंपनी के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) सहित समान भागीदार के रूप में पीएलएल में 12.5% की इक्विटी धारित रखती है।

• रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल)



आरजीपीपीएल को 1967.08 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त साइकिल पावर ब्लॉक और 5 एमएमटीपीए एलएनजी ब्लॉक सहित पूर्व दाभोल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और संचालन करने के लिए एनटीपीसी का एक संयुक्त उद्यम बनाया गया था। परिसंपत्ति को अक्टूबर 2005 में आरजीपीपीएल को स्थानांतरित कर दिया गया था।

वर्तमान में आपकी कंपनी की आरजीपीपीएल में 25.51% इक्विटी हिस्सेदारी है, तथा एनटीपीसी की शेयरधारिता 25.51%, एमएसईबी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की शेयरधारिता 13.51% और भारतीय वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी 35.47% है।

विद्युत ब्लॉक को पुनर्जीवित किया गया और यह 19 मई, 2009 के बाद से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन है। हालांकि, घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण इसे वित्त वर्ष 2014-15 में प्रचालित नहीं किया जा सका था।

पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) योजना के अंतर्गत स्ट्रेस्ड पॉवर प्लांट के लिए भारत सरकार की सहायता से आरजीपीपीएल ने 26 नवंबर, 2015 को महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में रेलवे की आपूर्ति के लिए 500 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू किया है। पीएसडीएफ स्कीम केवल 31 मार्च, 2017 तक ही उपलब्ध थी। वर्ष 2016-17 के वित्तीय वर्ष के दौरान, 857.4 एमएमएससीएम प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए भारतीय रेल को कुल 4426 बीओयू आपूर्ति की गई थी। वित्तीय वर्ष 16-17 में ऊर्जा की बिक्री से कुल अर्जित राजस्व 2105.67 करोड़ रुपए था।

आरजीपीपीएल ने 1 अप्रैल, 2017 से पांच वर्षों के लिए 500 मेगावाट बिजली के लिए रेलवे के साथ बिजली खरीद करार वा तथा गेल के साथ गैस बिक्री करार पर हस्ताक्षर किए। परिणामस्वरूप, वर्तमान में विद्युत संयंत्र चल रहा है और इससे लगभग 470 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसकी आपूर्ति रेलवे को की जा रही है।

एलएनजी टर्मिनल का वाणिज्यिक प्रचालन मई, 2013 में शुरू हुआ था। आरजीपीपीएल ने गेल के साथ वाणिज्यिक ऑपररेटर के रूप में 25 वर्ष तक के लिए टोलिंग आधार पर एक ढांचागत करार किया। इसके अस्तित्व में आने के बाद से कुल 63 कार्गो को सफलतापूर्वक अनलोड किया गया है जिसमें से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 15 कार्गो को अनलोड किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान एलएनजी टर्मिनल द्वारा संयंत्र से अर्जित कुल राजस्व 266.69 करोड़ रुपए था और इसके चालू होने से लेकर 31 मार्च 2017 तक लगभग 1007 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। हालांकि, ब्रेकवॉटर सुविधा उपलब्ध न होने के कारण टर्मिनल अभी भी आंशिक क्षमता (5 एमएमटीपीए की तुलना में लगभग 1.5 एमएमटीपीए) पर काम कर रहा है। ब्रेकवॉटर निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है और टर्मिनल के 2019-20 के दौरान पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है।

संशोधित आरबीआई मानदंडों के अंतर्गत बिजली और एलएनजी ब्लॉकों का विलय समाप्त करने और ब्रेकवॉटर के निर्माण के लिए धन की उपलब्धता की प्रक्रिया चल रही है ताकि एलएनजी टर्मिनल की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सके।

शहर गैस वितरण (सीजीडी)

• गेल गैस लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

गेल गैस का गठन वर्ष 2008 में किया गया था। गेल गैस ने वर्ष दर वर्ष आधार पर मात्रा में 82% की अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1356 एमएमएससीएम गैस की बिक्री की थी।



कंपनी का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष की तुलना में 39 करोड़ रुपए बढ़ा है, जबकि बिक्री राजस्व 1248 करोड़ रुपए बढ़ा है। औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्राहक आधार का ठोस विपणन प्रयासों से विस्तार किया गया है। कंपनी ने सीएनजी की खुदरा दुकानों की पहुंच का विस्तार करने और सीएनजी की बढ़ती मांग और उपलब्धता को पूरा करने के लिए ओएमसी के साथ समझौता किया है। गेल गैस ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में सोनीपत, मेरठ, देवास और टीटीजेड भौगोलिक क्षेत्रों में अतिरिक्त 10 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं जो ग्रीन ईंधन की उपलब्धता बढ़ाएंगे। कंपनी ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न विपणन पहल की है।



बेंगलुरु सिटी गैस वितरण परियोजना का उद्घाटन माननीय संसदीय कार्य तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री अनंत कुमार (बाएं से तीसरे) ने माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गोड़ा (बाएं से चौथे), माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान (बाएं से दूसरे) और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया।

कंपनी ने डिजिटल प्लेटफार्मों अर्थात् (1)घरेलू ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (2) ऑनलाइन भुगतान गेटवे (3) मोबाइल एप्लीकेशन (4) ऑनलाइन फीडबैक प्रस्तुति (5) ऑनलाइन औद्योगिक पीएनजी अनुरोध प्रणाली आदि के विकास के जरिए ग्राहकों के साथ अपने विभिन्न इंटरफेस को सुदृढ़ किया है। गेल गैस की सीएनजी बिक्री में वर्ष दर वर्ष आधार पर 30% की वृद्धि हुई है।

बेंगलुरु भौगोलिक क्षेत्र में, गेल गैस ने 42 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन और 245 किलोमीटर एमडीपीई पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया है। वर्ष के दौरान 19,370 घरेलू ग्राहकों को जोड़ा गया है। कंपनी ने बेंगलुरु में 03 सीएनजी स्टेशन की स्थापना भी की है और 01 सीएनजी स्टेशन में वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10 सीएनजी स्टेशनों की योजना बनाई गई है।

• अवंतिका गैस लिमिटेड (एजीएल)

एजीएल को मध्य प्रदेश में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए गठित किया गया था। 31 मार्च, 2017 को एजीएल द्वारा इन्दौर भौगोलिक क्षेत्र (उज्जैन सहित) और ग्वालियर भौगोलिक क्षेत्र में 9 छोटे स्टेशनों, 9 ऑनलाइन स्टेशनों और 4 मदर स्टेशनों सहित 22 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन किया गया है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 को एजीएल ने अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग 12658 घरेलू, 58 वाणिज्यिक और 75 औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति कर रहा था। एजीएल क्षेत्र में प्रचालित लगभग 22,190 सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता की पूर्ति भी कर रहा है। गेल की बराबर के भागीदार के रूप में एचपीसीएल के साथ 49.97% हिस्सेदारी है।

• भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीएल)

बीजीएल को संयुक्त आंध्र प्रदेश में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए गठित किया गया था। 31 मार्च, 2017 को बीजीएल 41 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा था जिसमें 33 छोटे स्टेशन, 5 ऑनलाइन स्टेशन और 3 मदर स्टेशन शामिल थे।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 तक बीजीएल अपने अधिकृत



भौगोलिक क्षेत्रों में 6608 घरेलू, 59 वाणिज्यिक और 5 औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति कर रहा था। बीजीएल इस क्षेत्र में प्रचालित लगभग 39246 सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता को पूरा कर रहा है। गेल की बराबर के भागीदार के रूप में एचपीसीएल के साथ 49.97% हिस्सेदारी है।

• सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल)

उत्तर प्रदेश में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए सीयूजीएल का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2017 तक, सीयूजीएल 18 सीएनजी स्टेशनों को संचालित कर रहा था जिसमें 3 डॉटर स्टेशन, 11 ऑनलाइन स्टेशन और 4 मदर स्टेशन शामिल थे।



इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 तक, सीयूजीएल ने अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में 19333 घरेलू, 177 वाणिज्यिक और 51 औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति की। सीयूजीएल इस क्षेत्र में संचालित लगभग 56599 सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता को पूरा कर रहा है। गेल की बराबर के भागीदार के रूप में बीपीसीएल के साथ 25% हिस्सेदारी है।

• ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल)

जीजीएल को उत्तर प्रदेश में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए निगमित किया गया था। 31 मार्च 2017 तक, जीजीएल 19 सीएनजी स्टेशनों सहित 7 डॉटर स्टेशनों, 6 ऑनलाइन स्टेशनों और 6 मदर स्टेशनों का संचालन कर रहा था।



इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 तक, जीजीएल ने अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में लगभग 16200 घरेलू, 23 वाणिज्यिक और 8 औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति की। जीजीएल इस क्षेत्र में प्रचालित लगभग 41,318 सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता को पूरा कर रहा है। गेल की बराबर के भागीदार के रूप में आईओसीएल के साथ 49.97% हिस्सेदारी है।

• इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)

आईजीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसपास के नगरों में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए गठित किया गया था। 31 मार्च 2017 तक, आईजीएल 421 सीएनजी का संचालन कर रहा था जिसमें 45 डॉटर स्टेशन, 306 ऑनलाइन स्टेशन और 70 मदर स्टेशन शामिल थे।



इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 तक आईजीएल ने अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 742206 घरेलू, 1816 वाणिज्यिक और 932 औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति की। आईजीएल इस क्षेत्र में प्रचालित 892319 सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। गेल की बराबर के भागीदार के रूप में बीपीसीएल के साथ 22.5% हिस्सेदारी है।

• महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल)

एमजीएल को मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए गठित किया गया था। 31 मार्च, 2017 को एमजीएल 32 डॉटर स्टेशनों, 151 ऑनलाइन स्टेशनों और 20 मदर स्टेशनों सहित 203 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा था।



इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 को एमजीएल अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 9,48,892 घरेलू, 3220 वाणिज्यिक और 62 औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति कर रहा था। एमजीएल क्षेत्र में 5,45,505 सीएनजी वाहनों की ईंधन की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है।

आपकी कंपनी ने महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) को महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) के समकक्ष पूर्ण प्रदत्त आरक्षित अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (सीजीडी) जारी करने के लिए अनुमोदन दिया है, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार की इक्विटी धारिता कुल प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 10% तक बढ़ गई है। इसके अलावा, अपनी कंपनी ने उसके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों और बीजी एशिया पैसिफिक होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड (बीजीएपीएच) के प्रत्येक के 12.5% एमजीएल इक्विटी को प्रारंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के जरिए ऑफ-लोड करने के लिए भी अनुमोदन दे दिया है।

एमजीएल इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध थे। आपकी कंपनी की आईपीओ के बाद एमजीएल में इक्विटी धारिता बराबर के भागीदार के रूप में बीजीएपीएच के साथ 32.5% है।



• महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)

एमएनजीएल को पुणे में और उसके आसपास सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के गठित किया गया था। 31 मार्च, 2017 को एमएनजीएल 17 छोटे डॉटर, 20 ऑनलाइन स्टेशनों और 5 मदर स्टेशनों सहित 42 सीएनजी स्टेशनों को प्रचालित कर रहा था।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 को, एमएनजीएल अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 5,08,51 घरेलू, 169 वाणिज्यिक और 129 औद्योगिक उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति कर रहा था। एमएनजीएल क्षेत्र में प्रचालित 1,40,378 सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता की भी पूर्ति कर रहा है। गेल की बराबर के भागीदार के रूप में बीपीसीएल के साथ 22.5% हिस्सेदारी है।

• त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल)

टीएनजीसीएल को अगरतला में सीजीडी परियोजनाओं को लागू करने के लिए गठित किया गया था। 31 मार्च, 2017 को टीएनजीसीएल 3 डॉटर स्टेशनों और 3 मदर स्टेशनों सहित 6 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा था।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 को टीएनजीसीएल अपने अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 28669 घरेलू, 354 वाणिज्यिक और 50 औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति कर रहा था। टीएनजीसीएल क्षेत्र में प्रचालित 9103 सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता की भी आपूर्ति कर रहा है। गेल की टीएनजीसीएल में 48.98% हिस्सेदारी है।

• वडोदरा गैस लिमिटेड (वीजीएल)

आपकी कंपनी की सीएनजी स्टेशन के हस्तांतरण तथा गेल गैस लिमिटेड की 17.07% और वीएमएसएस की 50% शेयरधारिता के समकक्ष शेयरों को जारी करने की तुलना में स्तंप सेल आधार पर बाजार मूल्य में सीएनजी स्टेशन को जोड़ने के लिए नगर में बिछाई जाने वाली संबद्ध पाइपलाइन के एवज में वीजीएल में 32.93% हिस्सेदारी है। वीजीएल वडोदरा में 9 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन करता है जिसकी संपीड़न क्षमता 98,550 कि.ग्रा./दिन से अधिक है।

वीजीएल घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अपने उपभोक्ताओं की पाइपड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। यह 940 किलोमीटर लंबी पीई पाइपलाइन वितरण ग्रिड और 3 डिस्ट्रिक्ट दबाव नियंत्रित प्रणाली के जरिए नगर में 84,432 घरों और 2,456 वाणिज्यिक क्षेत्रों को पीएनजी आपूर्ति करती है। यह वडोदरा शहर में और उसके आसपास घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों की पीएनजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया एमडीपीई नेटवर्क भी विकसित कर रहा है।

पेट्रोकेमिकल्स

• ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल)

बीसीपीएल को वर्ष 2007 में गठित किया गया था। आपकी कंपनी की ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) में 70% इक्विटी हिस्सेदारी है, जबकि ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) और असम सरकार प्रत्येक की 10% इक्विटी हिस्सेदारी है। बीसीपीएल ने असम में 2,80,000 टीपीए क्षमता का पॉलीमर संयंत्र लगाया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 99540 मीट्रिक टन पॉलीमर और 14129 मीट्रिक टन तरल हाइड्रोकार्बन का उत्पादन किया गया है। बीसीपीएल द्वारा उत्पादित पॉलिमर को गेल द्वारा विपणन करार के अंतर्गत विपणन किया जाता है।

• ओएनजीसी पेट्रो-एडिशनल्स लिमिटेड (ओपाल)

गेल, ओएनजीसी और जीएसपीसी द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम कंपनी, ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड (ओपाल) ने अंतिम उत्पाद के रूप में 1.4 एमएमटीपीए पॉलीमर्स (पॉलीथीलीन-पीई और पॉलीप्रोपीलीन-पीपी) की उत्पादन क्षमता के साथ दहेज, गुजरात में एक हरित क्षेत्र पेट्रोकेमिकल परियोजना स्थापित की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 07 मार्च, 2017 को यह संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया था। आपकी कंपनी ने ओपाल में 994.945 करोड़ रुपए का निवेश किया है।



अन्य

• तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल)

आपकी कंपनी तुर्कमेनिस्तान के गल्कयांश क्षेत्र से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) पाइपलाइन परियोजना कार्यरत हैं। देश में 38 एमएमएससीएमडी गैस आयात करने के लिए पहले से ही गैस बिक्री क्रय करार (जीएसपीए) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। टीपीसीएल को प्रस्तावित तापी पाइपलाइन का निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन करने के लिए 'आइल ऑफ मैन' में गठित किया गया है। इसने पाइपलाइन के अफगानिस्तान-पाकिस्तान खंड के लिए परियोजना प्रबंधन और एफईईडी कंसल्टेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया है। आपकी कंपनी की टीपीसीएल में 5% इक्विटी धारिता है। शेयरधारक समझौते और निवेश करार पर भी हस्ताक्षर हो गए हैं। परियोजना निष्पादन कुछ पूर्व शर्तों के अधीन है।

• दक्षिण-पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (एसईएजीपी)

एसईएजीपी का गठन वर्ष 2010 में म्यांमार-चीन सीमा के लिए म्यांमार में ए1/ए3 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान, इस पाइपलाइन ने औसतन 14 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस का परिवहन किया था। आपकी कंपनी की एसईएजीपी में 4.17% इक्विटी हिस्सेदारी है।

• तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

ओडिशा के अंगुल जिले में एफसीआईएल तलचर उर्वरक इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए 2015 में आपकी कंपनी, सीआईएल, आरसीएफ और एफसीआईएल का एक परिसंघ बनाया गया था। परिसंघ के भागीदारों द्वारा 05 सितम्बर, 2013 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात् संयुक्त उद्यम कंपनी, राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को 13 नवंबर, 2015 को निगमित किया गया था। कंपनी को 31 मई, 2016 को 'तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' नाम दिया गया था। आपकी कंपनी की इस संयुक्त उद्यम कंपनी में 29.67% हिस्सेदारी है। नार्थ अर्खापाल कोल माइन के आवंटन (50%) का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

ऋण, निवेश और कॉर्पोरेट गारंटी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत शामिल निवेश, ऋण और गारंटी के ब्यौरे को वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक अलग खंड के रूप में वित्तीय विवरण का भाग बनाया गया है।

आईटी उन्नयन और कार्यात्मक उत्कृष्टता

आपकी कंपनी ने आईटी प्रणाली को संयंत्र और पाइपलाइन के साथ एकीकृत करके संयंत्र प्रचालन एवं रखरखाव सहित गेल के विभिन्न व्यवसाय कार्यों को समर्थन देने के लिए अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक, गतिशीलता और सहाय्योग प्लेटफार्म का लाभ लेने के लिए एक 'डिजिटल गेल' पहल प्रारंभ की है।

आपकी कंपनी की ईआरपी प्रणाली का नियामक एवं वैधानिक अनुपालन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) तत्परता के लिए एक पूर्व-अपेक्षिता के रूप में नवीनतम कर प्रक्रिया में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया गया है।

आपकी कंपनी ने 1 जुलाई 2017 से सभी स्थलों पर जीएसटी को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। कंपनी के अन्य व्यापार क्षेत्रों जैसे गैस ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल, और एलपीजी/एलएचसी आदि को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपकी कंपनी ने जीएसटी के लिए शेयरधारकों में जागरूकता पैदा करने के लिए विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न कार्य केन्द्रों में जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

आपकी कंपनी ने कर्मचारी सहयोग बढ़ाकर ऑडियो-वीडियो क्षमता के साथ अगली पीढ़ी एकीकृत संचार और सहयोग प्लेटफार्म लागू किया है।

नवीनतम आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ढांचे के सफल कार्यान्वयन के बाद, साइबर सुरक्षा जोखिम के नए प्रकार का उपशमन करने के लिए उन्नत सतत जोखिम उपशमन प्रणाली सहित एक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित की गई है। आपकी कंपनी ने अत्याधुनिक प्राइवेट कलाउड ढांचे को भी कार्यान्वित किया है और नेटवर्क कनेक्टिविटी और सूचना सुरक्षा में सुधार के लिए कई नई परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

पाइपलाइन परियोजनाओं की निगरानी और नियंत्रण को डिजिटलाइज करने के लिए आपकी कंपनी में एक परियोजना निगरानी प्रणाली विकसित की गई है। यह प्रणाली प्रबंधन को चार्टों और रिपोर्टों के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर परियोजनाओं को समझने में मदद करेगी तथा मुद्दों पर निर्णय लेने और इनके शुरुआती चरण में समाधान की सुविधा प्रदान करेगी।

आपकी कंपनी एसएपी ट्रेजरी और जोखिम प्रबंधन (टीआरएम) मॉड्यूल, जो विभिन्न राजकोष कार्यों की रूपरेखा बनाने में मदद करेंगे, को कॉर्पोरेट कार्यालय से केन्द्रीय रूप में संचालित किया जा रहा है। उपर्युक्त के अलावा, टीआरएम में भविष्य निधि और पेंशन से संबंधित निवेश का कार्यान्वयन और प्रबंधन भी शामिल होगा।

भारत सरकार के 'डिजी-धन' अभियान के अनुसार, आपकी कंपनी ने गेल के विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के बीच डिजिटल भुगतान और नगदी रहित लेनदेन, ठेका श्रमिकों आदि के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक पहल की है।

• पाइपलाइन अनुचित हस्तक्षेप जांच प्रणाली (पीआईडी):

पाइपलाइनों की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, गेल ने परीक्षण आधार पर पियाला से लोनी तक 72 किमी खंड में तथा विजाग से सिकंदराबाद तक एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क में लगभग 175 किलोमीटर खंड में पाइपलाइनों की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन अनुचित हस्तक्षेप जांच प्रणाली (पीआईडी) लगाई है। पहचान प्रणाली पाइपलाइन में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के उपयोग द्वारा वितरित ध्वनि संवेदन प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है। विभिन्न कार्यकलाप जैसे हाथ के औजारों से खुदाई करना, मशीन से खुदाई करना, वाहन संचलन, कृषि गतिविधियों, वाल्व अपरेशन का पता लगाने, फाइबर ब्रेक, स्क्रैपर पिग स्थान आदि की स्वतः पहचान की जाती है और ऑपरेटर्स के एचमआई ग्राफिक्स स्क्रीन पर तदनुसार अलार्म लगाए जाते हैं।

• एकीकृत सुरक्षा कमान और नियंत्रण केंद्र:

घनी आबादी वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में गैस/एलपीजी पाइपलाइनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, इनफोहब, नोएडा में एक एकीकृत सुरक्षा कमान और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। पाइपलाइन आरओयू निगरानी, पाइपलाइन सुविधाओं की लाइव सीसीटीवी फुटेज, महत्वपूर्ण पाइपलाइन रखरखाव कार्यकलाप आदि जैसे उत्तरी क्षेत्र में प्रचालनरत 2000 किलोमीटर गैस और एलपीजी पाइपलाइन के कार्यों की चौबीस घंटे निगरानी की जा रही है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एच एस ई) प्रबंधन

• कॉर्पोरेट एचएसई नीति:

एचएसई नीतियां मुख्यतः निगमित एचएसई नीति के माध्यम से आगे बढ़ती हैं और हर नीति का पालन आपके प्रबंधन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपकी कंपनी बेहतर व्यावसायिक स्वास्थ्य, संयंत्रों और पाइपलाइन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए एकसमान उत्कृष्ट डिजाइन वाली एचएसई प्रबंधन प्रणाली लगाई गई है। आपकी कंपनी अपना व्यापार प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए करती है और स्थायी विकास को प्रोत्साहित करती है। कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को सुरक्षित कार्य आदतें और व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि एचएसई नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को कारगर बनाया जा सके जिसके अंतर्गत किसी असुरक्षित कार्य, जो उत्पन्न हो सकता है, को अधिसूचित करने और रोकने का अधिकार होता है।

• सुरक्षा निष्पादन

आपकी कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन को "एचएसई स्कोर" के माध्यम से मापा जाता है जिसका आकलन महत्वपूर्ण एचएसई प्रबंधन प्रणाली घटकों के आधार पर किया जाता है। आपकी कंपनी ने 90 प्रतिशत एमओयू लक्ष्य की तुलना में 93 प्रतिशत एचएसई स्कोर हासिल किया है।

• सुरक्षा प्रशिक्षण

प्रशिक्षण लोगों और परिसर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपनी कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और क्षमता को उन्नत बनाने के लिए व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वे अपने एचएसई कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें और एक प्रभावी सुरक्षा संस्कृति का विकास कर सकें। ठेका कामगारों, टैंकर ड्राइवरों और अन्यो को उनके कार्य क्षेत्र में संभावित खतरों से

अवगत कराने के लिए नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ताकि असुरक्षित कार्यों से बचा जा सके।

• सुरक्षा ऑडिट

सुरक्षा आडिट नियमित रूप से एचएसई प्रबंधन प्रणाली दिशा-निर्देश और आपातकालीन तत्परता के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं। ये आडिट बाह्य सुरक्षा लेखा-परीक्षकों और अनुभवी आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किए जाते हैं।

आपकी कंपनी एचएसई प्रबंधन दिशानिर्देश एवं आपातकालीन तैयारी के सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए अनेक सुरक्षा आडिट आयोजित कराती है। ये आडिट आंतरिक टीम और बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा कराई जाती हैं।

• व्यावसायिक स्वास्थ्य

आपकी कंपनी ने निश्चित दिशानिर्देशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए व्यावसायिक हाइजीन उपायों और चिकित्सा निगरानी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्य केन्द्रों पर सभी कर्मचारियों का समय-समय पर चिकित्सा परीक्षा की जाती है। कॉर्पोरेट व्यावसायिक स्वास्थ्य समिति आपकी कंपनी में व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए तिमाही आधार पर बैठक बुलाती है और इसकी प्रभावकारिता का आंतरिक बहु विषयक टीमों के जरिए मूल्यांकन किया जाता है।



गेल और सिलिकॉन वैली आधारित ब्लूम एनर्जी ने भारत में बिजली का उत्पादन करने के लिए अत्याधुनिक प्राकृतिक गैस आधारित ईंधन सेल प्रौद्योगिकी लगाने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता-ज्ञापन पर श्री बी सी त्रिपाठी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (बाएं से दूसरे) और डॉ. के आर श्रीधर, सीईओ और संस्थापक, ब्लूम एनर्जी (बाएं) द्वारा माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान (दाएं से दूसरे), और श्री ए पी साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

स्थिरता पहल

इस वर्ष आपकी कंपनी ने ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) जी-4 दिशानिर्देशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए अपनी सातवीं स्थिरता रिपोर्ट - 'जीर्णोद्धार, प्रतिध्वनि, पुनः परिभाषित' प्रकाशित की है। स्थिरता रिपोर्टिंग ने आपकी कंपनी के निष्पादन को मापने और निगरानी करने तथा संगठन के अंदर स्थिरता संस्कृति को पैदा करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं से आगे जाकर कार्य करने में मदद की है। इसने एक महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन के रूप में कार्य किया है और हमारी प्रणाली, नीतियों और प्रक्रियाओं का पुनरुद्धार करने में मदद की है। आपकी कंपनी की सतत विकास समिति, जिसमें कार्यात्मक निदेशक होते हैं और एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अध्यक्ष होता है, स्थिरता पहल के अंतर्गत नियमित रूप से निष्पादन की निगरानी करते हैं।

आपकी कंपनी का मानना है कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिरता चुनौतियों का सामना करने और एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए उद्योग के नेताओं, संघों और सहयोगियों के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण है। आपकी कंपनी ने



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बीसी त्रिपाठी (बाएं से दूसरे) एक संवाददाता सम्मेलन में (बाएं से दाएं) श्री गजेंद्र सिंह, निदेशक (विपणन), श्री सुबीर पुराकायस्थ, निदेशक (वित्त), डॉ. आशुतोष कर्नाटक, निदेशक (परियोजनाएं) और श्री पी के गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) की उपस्थिति में कंपनी के वार्षिक परिणाम 2016-17 की घोषणा करते हुए

भारतीय पेट्रोलियम उद्योग परिषद (एफआईपीआई) और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा 'जलवायु परिवर्तन जोखिम: तेल और गैस क्षेत्र के लिए तैयारी' विषय पर किए गए अध्ययन में सहयोग किया है।

सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं, व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट (बीआरआर) 2016-17 को वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग खंड के रूप में शामिल किया गया है।

सतर्कता

आपकी कम्पनी का निगमित सतर्कता विभाग आईएसओ आवश्यकताओं के अनुपालन में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अधिग्रहण के लिए आईएसओ-9001:2008 प्रमाणित है। आपकी कम्पनी में प्रणाली एवं प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लाभ हेतु पहले से ही बिल वॉच सिस्टम, ई-टेंडरिंग आदि जैसी विभिन्न पहलें कार्यान्वित की गई हैं। अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कई सुधार पहलें भी की हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने और सुशासन सुनिश्चित करने में सहायता करेंगी। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- मूल अनुबंध मूल्य पर वास्तुकार/सलाहकार को देय पेगिंग प्रतिशत शुल्क प्रणाली का कार्यान्वयन।
- कार्य देने से पहले अपेक्षा अनुसार तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) की समय पर नियुक्ति करना।
- संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए कंपनी के व्यापार लेनदेन से संबंधित कई स्मार्ट फोन समर्थित आवेदनों का कार्यान्वयन।

निगमित कार्यालय और सभी कार्य केन्द्रों में 31 अक्टूबर से 05 नवंबर, 2016 तक 'अखंडता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार उन्मूलन में सार्वजनिक भागीदारी' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2016 मनाया गया। युवाओं और कॉलेज के छात्रों में भ्रष्टाचार और इसके प्रभावों के प्रति बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे वाद-विवाद, भाषण, पेनल चर्चा आदि को कोलकाता, चेन्नई, गुना, बेंगलुरु, झुबुआ, जयपुर, नोएडा, दिबियापुर और वडोदरा के कॉलेजों/स्कूलों में आयोजित किया गया। भ्रष्टाचार और इसके दुष्परिणामों, नैतिकता और मूल्यों के महत्व, ईमानदारी और निष्ठा, नैतिकता, शासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में युवा क्या योगदान दे सकते हैं और ऐसे संबंधित विषय इन प्रतियोगिताओं में वाद-विवाद का विषय थे। गेल कर्मचारियों और संबंधित कार्य बल में जागरूकता पैदा करने के लिए निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, पोस्टर पेंटिंग, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और वाद-विवाद जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं को सप्ताह के दौरान आयोजित

किया गया। बैनर/पोस्टर/चित्रकला प्रदर्शन, और जुलूस एवं रैलियों सहित अन्य कार्यक्रमों को भी विभिन्न कार्य केन्द्रों पर आयोजित किया गया।

'जागरूक', जिसमें सीवीसी परिपत्रों, सतर्कता संबंधित पहेलियों, कार्टून, लेख और मामला अध्ययन को शामिल किया जाता है, नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की गई। व्यापार खंड में ग्राहक परस्पर चर्चा बैठक का एनसीआर ज़ोनल कार्यालय और मंगलौर में आयोजन किया गया।

क्षमता निर्माण

• मानव पूंजी

आपकी कंपनी अपेक्षित प्रतिभा को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के लिए पसंदीदा नियुक्ता होने के लिए समर्पित संसाधनों का निवेश करती है। कंपनी की बौद्धिक पूंजी को ध्यानपूर्वक पोषित किया जाता है ताकि यह अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवसाय योजनाओं को पूरा कर सके। प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य उपलब्ध संसाधनों और व्यापार के अवसरों के इष्टतम और उत्पादक उपयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए, प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य 218.38 लाख रुपए था।

• नेतृत्व विकास कार्यक्रम

आपकी कंपनी अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करने को प्राथमिकता देती है। नेतृत्व विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में, हमने व्यक्तिगत कार्यकारी के विकास के पहलुओं पर व्यापक ध्यान देते हुए वरिष्ठ प्रबंधन विकास केंद्र (एसएमडीसी) प्रक्रिया लागू करना जारी रखा। आपकी कंपनी का मानना है कि कर्मचारी का क्षमता निर्माण करना और उसकी योग्यता बढ़ाना कार्यनीतिक योजना के सफल निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में, ई-6 ग्रेड और उससे अधिक के लगभग सभी वरिष्ठ कार्यकारियों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

एसएमडीसी कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए, आपकी कंपनी ने ई-5 ग्रेड के कार्यकारी को भी समान लाभ प्रदान किए हैं। वर्ष के दौरान प्रारंभिक तौर पर 300 से अधिक कार्यकारियों को इसमें शामिल किया गया।

• क्षमता विकास

गेल प्रशिक्षण संस्थान (जीटीआई) सतत आधार पर संगठन के अंदर सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित और ढांचागत कार्यक्रमों का आयोजन करता है। की गई पहल को देखते हुए, जीटीआई को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार - 2016 से सम्मानित किया गया था।

आपकी कंपनी हाइड्रोजन क्षेत्र दक्षता परिषद (एचएसएससी) के सृजन में सक्रिय भागीदारी द्वारा तथा सिटी गैस वितरण नेटवर्क के लिए कुशल जनशक्ति के पूल का सृजन करके दक्षता आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और मध्यम स्तर पर हाइड्रोजन उद्योग को सहायता प्रदान करके सक्रिय भूमिका निभा रही है।

• प्राथमिकता वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी समय-समय पर सीधी भर्ती के लिए भारत सरकार की ओर से जारी आरक्षण, छूट, रियायत, अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) आदि से संबंधित सरकारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करती है।

31 मार्च, 2017 को आपकी कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का समूह-वार विवरण नीचे दिया गया है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	पीडब्ल्यूडी
क	3149	497	202	579	46
ख	537	102	61	108	11
ग	603	102	22	188	35
घ	61	17	06	16	01
सी एम डी निदेशक और सीवीओ	05	-	-	-	-
कुल	4355	718	291	891	93

वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी में कुल 121 नए कर्मचारियों ने कार्यभार ग्रहण किया। 31 मार्च, 2017 को कुल कर्मचारी संख्या 4355 (पूर्णकालिक निदेशक एवं सीवीओ सहित) पहुंच गई है जिसमें अ.जा. श्रेणी से संबंधित 16.48 प्रतिशत कर्मचारी, अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित 6.68 प्रतिशत, अ.पि.व. से संबंधित 20.45 प्रतिशत, अल्पसंख्यक से संबंधित 7.99 प्रतिशत और पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित 2.13 प्रतिशत कर्मचारी हैं। 31 मार्च, 2017 को आपकी कंपनी में 257 महिला कर्मचारी हैं।

• राजभाषा

निगमित और कार्य केन्द्र स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए त्रैमासिक आधार पर बैठकें आयोजित करती हैं।

जीटीआई, जयपुर और नोएडा तथा अन्य कार्य केंद्रों में हिंदी कार्यशालाएं/प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण सत्र इन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, 1897 कर्मचारियों को 101 कार्यशालाओं के माध्यम से औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 से 28 सितंबर 2016 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। आपकी कंपनी अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रशासनिक आदेश बनाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम इस सुविधा को लागू करने वाले कुछेक सार्वजनिक उपक्रमों में से एक हैं।

26 और 27 नवंबर, 2016 को हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और कंपनी में राजभाषा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 17वां 'राजभाषा सम्मेलन' आयोजित किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, किए गए उपायों की समीक्षा के लिए पाता, बंगलूरु, हरिद्वार, कोच्चि और मुंबई कार्यालयों का निरीक्षण किया और हमारे द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

हिंदी सलाहकार समिति की बैठक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में 22 अप्रैल, 2017 को आयोजित की गई थी। आपकी कंपनी ने भी इस बैठक में भाग लिया और वर्ष 2015-16 के लिए पेट्रोलियम राजभाषा पुरस्कार (सांत्वना) प्राप्त किया।

• कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसरण में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम, निषेध एवं निवारण पर "नीति" बनाई है। यौन शोषण से संबंधित मामलों पर प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, यौन शोषण संबंधी तीन (3) शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका निवारण कर दिया गया था।

अभिनवता, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

संगठन में अभिनवता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी कंपनी ने कर्मचारियों से विचारों और प्रक्रिया सुधार प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक सुझाव योजना लागू की है। सुझावों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाता है और उन्हें व्यवहार्यता के आधार पर लागू किया जाता है। सबसे अच्छे सुझाव को सीएमडी ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाता है। गुणवत्ता सर्किल पहलों के जरिए उत्तरोत्तर नई खोज को भी प्रोत्साहित किया जाता है।



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बी सी त्रिपाठी ने स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए 50 करोड़ रुपए की कॉर्पस निधि से गेल की 'पंख' नामक स्टार्टअप पहल का शुभारंभ किया है, और उन्हें कंपनी के प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् प्राकृतिक गैस और इसके डेरिवेटिव में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

आपकी कंपनी गैस प्रोसेसिंग और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, संचरण और वितरण प्रणालियों की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने की महत्वपूर्ण उद्योग चुनौतियों का सामना करने, खर्च को नियंत्रित करने और उत्पादकता बढ़ाने, तथा पर्यावरण प्रबंधन को बनाए रखने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर अपने पीएटी का 1% खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान में आपकी कंपनी चयनित प्रमुख क्षेत्रों में मूल, अनुप्रयुक्त और प्रायोगिक आरएंडडी परियोजनाओं के एक विवेकपूर्ण पोर्टफोलियो पर आगे कार्रवाई करने के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के साथ व्यापक आरएंडडी सहयोग किया है। मौजूदा संस्थापनाओं की सुरक्षा और दक्षता में सुधार लाने के लिए स्थलों पर विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी शुरू किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुरू की गई प्रमुख अनुसंधान पहलों में पाइपलाइन की निगरानी के लिए उच्च रिजॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी का अनुप्रयोग, पाइपलाइन के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए रोबोट का विकास, पाइपलाइन डेटा अंतरण के लिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क का प्रायोगिक परीक्षण, अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में



परिवर्तित करने के लिए प्रायोगिक परियोजना की स्थापना, प्राकृतिक गैस के कम दबाव भंडारण के लिए नई अवशोषक सामग्रियों का विकास, तथा 5 किलोवाट पीईएम ईंधन सेल की जांच और सीओ 2 परिवर्तन और उपयोग पर परियोजनाएं शामिल हैं।

आपकी कंपनी नए स्रोतों के माध्यम से गैस की आपूर्ति बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। समुद्री गैस हाइड्रेट्स से मीथेन रिकवरी पर बेंच-स्केल कार्य करने के अलावा, आपकी कंपनी नेशनल गैस हाइड्रेट कार्यक्रम से भी जुड़ी है। यह सोलर एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया एंड यूएसए (सेरियस) कार्यक्रम के अंतर्गत इंडो-यूएस कार्यनीतिक अनुसंधान पहल के लिए भी एक औद्योगिक पार्टनर बन गया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी स्टार्ट-अप में निवेश करने की भी योजना बना रही है क्योंकि उनमें मौजूदा कारोबार में सुधार करने, नया व्यवसाय बनाने और विनिर्माण आधार को बढ़ाने की क्षमता है। सरकार की नीतियाँ भी स्टार्ट-अप के पक्ष में हैं। आपकी कंपनी ने सरकार के प्रयासों में तेजी लाने और स्टार्ट-अप पोर्टफोलियो से लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए का एक कार्पस आवंटित किया है। स्टार्ट-अप पहल वर्तमान कैलेंडर वर्ष के दौरान शुरू की जा रही है।

सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से व्यापार प्रक्रियाओं का मानकीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 92% ग्राहक संतुष्टि स्तर हासिल किया है और आगे अपना रैंक सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी कंपनी प्रभावी गुणवत्ता प्रथाओं, नवाचार और मानकीकरण के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत और स्थायी सुधार का प्रयास कर रही है। प्रबंधन प्रणाली और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली विभिन्न पाइपलाइनों और प्रक्रिया यूनिटों और कॉर्पोरेट तथा विपणन कार्यालयों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के साथ लागू की गई है। आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को गुणवत्ता सर्किल परियोजनाओं में नियुक्त करती है जिससे कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) से प्रापण

भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), आदेश 2012 के लिए एक सार्वजनिक प्रापण नीति अधिसूचित की है।

उक्त नीति के संदर्भ में, वार्षिक खरीद के कुल पात्र मूल्य में से एमएसई से की गई कुल खरीद 811.63 करोड़ रुपए थी जो 25.85% बैठती है।

समझौता-ज्ञापन निष्पादन

प्रत्येक वर्ष आपकी कंपनी और इसके प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया जाता है जिसके माध्यम से वर्ष के लिए कार्यनिष्पादन लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। एमओयू लक्ष्य निर्धारित करते समय कंपनी के समीक्षात्मक पहलुओं जैसे मुख्य वित्तीय मापदंड, गैस विपणन, गैस ट्रांसमिशन, परियोजना कार्यान्वयन, पूंजी व्यय एवं पॉलीमर प्रोडक्शन आदि में कार्यनिष्पादन सुधार पर विशेष जोर दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के लिए 05 अगस्त, 2016 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2015-16 में "बहुत अच्छा" एमओयू रेटिंग हासिल की है।

एमओयू 2016-17 के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है और दिसम्बर 2017 में अंतिम मूल्यांकित एमओयू स्कोर और रेटिंग की घोषणा होने की आशा है।

ख्याति

• कॉर्पोरेट

- दून एंड ब्रैडस्ट्रीट 'भारत का शीर्ष पीएसयू और पीएसयू पुरस्कार 2016' श्रेणी में 'विनिर्माण: गैस - प्रसंस्करण, संचरण और विपणन'
- स्कोप मेधावी पुरस्कार 2014-15 श्रेणी में 'सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 का अनुपालन'

- एसोचैम द्वितीय निगमित नियंत्रण शिखर सम्मेलन सह उत्कृष्टता पुरस्कार 2015-16 के अंतर्गत सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत एक विजेता के रूप में

- गेल को केवल पीएसयू 'चहुंमुखी उत्कृष्टता' श्रेणी में 'इकोनोमिक्स टाइम्स 2 गुड सीएसआर रेटिंग' से सम्मानित किया गया।

• स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

अपने प्रतिष्ठानों में एचएसई पर निरंतर ध्यान देते हुए अपनी कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैं

- माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान से निम्न श्रेणियों के लिए वर्ष 2014-15 के प्रतिष्ठित ओआईएसडी पुरस्कार प्राप्त हुए:

- श्रेणी के अंतर्गत पाता 'अन्य प्रोसेसिंग संयंत्र'
- श्रेणी के अंतर्गत विजयपुर 'अन्य प्रोसेसिंग संयंत्र'
- 'देश व्यापी पाइपलाइन - एलपीजी और गैस पाइपलाइन' श्रेणी के अंतर्गत हजीरा-विजयपुर - जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन
- सबसे सुसंगत सुरक्षा निष्पादनकर्ता - गैस प्रोसेसिंग यूनिट, गंधार गैस प्रोसेसिंग संयंत्र
- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से गेल वघोडिया जीपीयू एंड कंप्रेशर स्टेशन, वघोडिया - चौथा स्तर पुरस्कार: प्रशंसा-पत्र
- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से एचवीजे कंप्रेशर स्टेशन, विजयपुर - दूसरा स्तर पुरस्कार: श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार (रजत ट्रॉफी)
- वर्ष 2015 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई से जीपीयू गंधार सुरक्षा पुरस्कार (कांस्य ट्राफी)
- जीपीयू विजयपुर को लागत प्रबंधन-2016 में उत्कृष्टता के लिए 14वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में कम्पनी के भीतर उचित तंत्र स्थापित किया गया है। आपकी कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में अपनी यूनिट/कार्यालयों में सीपीआईओ / एसीपीआईओ / अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया है।

आपकी कंपनी ने अपनी साइट पर आरटीआई दिशानिर्देश और संबंधित जानकारी को डाला है और इन्हें http://www.gailonline.com/final_site/RTI.html से देखा जा सकता है। इसके अलावा, आरटीआई आवेदन पर एमआईएस रिपोर्ट, रिकार्ड प्रतिधारण अनुसूची और नवीनतम आरटीआई ऑडिट रिपोर्ट भी एक ही लिंक में डाली गई थी।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को जुलाई, 2016 से भारत सरकार के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर 'लाइव' बना दिया गया है, और तभी से हम ऑफलाइन मांगी गई जानकारी के अतिरिक्त वास्तविक आरटीआई आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के नियम 34 तथा कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के खंड 7.5 के अनुसरण में विस्तृत प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण इस रिपोर्ट के **संलग्नक-क** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

निगमित नियंत्रण

आपकी कंपनी इस बात पर विश्वास करती है कि अच्छा निगमित नियंत्रण एक अच्छी संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हितधारकों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व, जवाबदेही, तत्परता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित

करता है। सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 और निगमित नियंत्रण पर डीपीई दिशानिर्देशों की जानकारी इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ख** में दी गई है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या, निदेशकों की नियुक्ति पर कम्पनी की नीति और उनका पारिश्रमिक, भ्रष्टाचार उजागर तंत्र की स्थापना का विवरण और अन्य मामले आदि निगमित शासन पर रिपोर्ट का भाग हैं।

विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण एवं जरूरी आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो भविष्य में कम्पनी की प्रचालन प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हों।

कम्पनी के लेखापरीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और निगमित नियंत्रण पर डीपीई दिशानिर्देश में उल्लिखित शर्तों के संबंध में आपकी कम्पनी के अनुपालनों की जांच की है और प्रमाणित किया है। इस रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रमाणपत्र **अनुलग्नक-ग** में दिया गया है।



कंपनी द्वारा कार्यान्वित की गई उत्कृष्ट निगमित नियंत्रण प्रथाओं की मान्यता में 'सूचीबद्ध पीएसयू श्रेणी' में गेल को 'एसोचैम द्वितीय निगमित शासन शिखर सम्मेलन-सह- उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार माननीय वित्त और निगमित मामले राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल (बाएं से चौथे) द्वारा प्रदान किया गया और इसे श्री सुबीर पुराकायस्थ, निदेशक (दाएं से दूसरे) द्वारा प्राप्त किया गया था।

लेखा परीक्षक

• सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स जी. एस. माथुर एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली और मैसर्स ओ. पी. बगला एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की समीक्षा एवं रिपोर्ट, यदि कोई है, वित्तीय विवरण के भाग के रूप में है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्व-व्याख्यात्मक हैं और यह कोई भी आगे की टिप्पणी के लिए अपेक्षित नहीं हैं।

आपकी कंपनी तथा अन्य तेल क्षेत्र की पीएसयू ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ निम्नलिखित मामले उठाए हैं:

क) कर्मचारियों द्वारा अवकाश नकदीकरण पर 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना' में नियोक्ता का अंशदान

ख) सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को 300 दिनों से अधिक की आधा वेतन छुट्टी और अर्जित छुट्टी का नकदीकरण

• लागत लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स रामनाथ अय्यर एंड कं., नई दिल्ली को उत्तरी क्षेत्र के लिए, मैसर्स बंधोपाध्याय भौमिक एंड कं., कोलकाता को

उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र के लिए, मैसर्स ए सी दत्ता एंड कं., कोलकाता को दक्षिणी क्षेत्र के लिए, मैसर्स मुसीब एंड कम्पनी, मुम्बई को पश्चिमी क्षेत्र भाग-1 के लिए, मैसर्स एन डी बिरला एंड कं., अहमदाबाद को पश्चिमी क्षेत्र भाग-2 के लिए, मैसर्स संजय गुप्ता एंड एसोशिएट्स, नई दिल्ली को मध्य क्षेत्र के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। मैसर्स रामनाथ अय्यर एंड कं. मुख्य लागत लेखापरीक्षक है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षक रिपोर्ट 20 सितंबर, 2016 को कम्पनी पंजीयक के पास दाखिल कर दी गई थी।

• आंतरिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसके प्रमुख कार्यपालक निदेशक होते हैं।

• सचिवीय लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी ने वर्ष 2016-17 के लिए मैसर्स अग्रवाल एंड एसोशिएट्स को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों एवं अन्य लागू नियमों के अनुसार पेशेवर कम्पनी सचिव द्वारा अनुपालनों के अनुरूप तैयार की गई सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट **अनुलग्नक-घ** में इस रिपोर्ट के एक भाग के रूप में दी गई है। सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों का विवरण निम्नानुसार हैं:

क. कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति कंपनी (निदेशक की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(क) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के परंतुक का अनुपालन न करना।

ख. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ख) और कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संदर्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खण्ड 3.1.4 का अनुपालन न करना।

ग. की कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (खंड VIII) और सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियमन 17(10) और 25(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(8) का अनुपालन तथा कंपनी ने निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर क्रमवार स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

क. 31 मार्च, 2017 को, कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी महिला निदेशक नहीं थी। तथापि, वर्ष के दौरान, 31 जनवरी, 2017 से 18 मार्च, 2017 तक कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक थी।

ख. 31 मार्च, 2017 को, गेल के बोर्ड में सीएमडी सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकार द्वारा नामित निदेशक और पांच स्वतंत्र निदेशक थे। गेल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भारत सरकार के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है; निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है। कंपनी सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता सूचीकरण) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में भारत सरकार से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करने का निरंतर आग्रह कर रही हैं।

तथापि, 31 जनवरी, 2017 से 18 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान, गेल के बोर्ड की संरचना सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता सूचीकरण) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार थी।

ग. गेल एक सरकारी कंपनी है, और सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है और स्वतंत्र निदेशक सहित अलग-अलग निदेशक का निष्पादन मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।



इसके अलावा, निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के पैरा VII और VIII के उप-पैरा (3) के खंड (क) और (ख) के प्रावधान सरकारी कंपनी के मामले पर लागू नहीं होंगे, यदि इन पैरा में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में आवश्यकताओं को संबंधित मंत्रालयों या केंद्र सरकार के विभागों या जैसा भी मामला हो, राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है और ऐसी आवश्यकताओं का सरकारी कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाता है।

निगमित सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) किसी भी देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसलिए, इसने सीएसआर को अपने लोकाचार और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया है। अपने आउटरीच का विस्तार करने के लिए, गेल ने संविधि के अनुसार निर्धारित 2 प्रतिशत (81.47 करोड़ रुपए) के व्यय की तुलना में वर्ष 2016-17 की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यकलापों पर पिछले तीन वर्ष के औसत निवल लाभ के 2.26% का व्यय (92.16 करोड़ रुपए) किया है। खर्च की गई कुल राशि (123.58 करोड़ रुपए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल औसत लाभ का 3.03% बैठता है।

कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 134(3) और 135(2) के साथ पठित कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत अपेक्षित सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक-ड** में दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) की आवश्यकता के अनुसार नियम 8(2) कंपनी (लेखा) नियम, 2014, के संरक्षण का ब्यौरा ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के अवशोषण **अनुलग्नक-व** में इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

सम्बद्ध पार्टियों के साथ अनुबंध एवं प्रबंध के विवरण

कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) की आवश्यकताओं के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में सदर्भित सम्बद्ध पार्टियों के साथ अनुबंध एवं प्रबंध का विवरण **अनुलग्नक-छ** में निर्धारित प्रपत्र एओसी-2 में दिया गया है।

आपकी कंपनी ने सम्बद्ध पार्टी लेनदेन पर नीति प्रतिपादित की है जिसे कम्पनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/pdf/InvestorsZone/GAIL_Related_Party_Transaction_Policy.pdf पर प्रदर्शित किया गया है।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी को निदेशकों की रिपोर्ट में मध्यम कर्मचारी पारिश्रमिक आदि के बारे में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात दर्शाना आवश्यक है। इसके अलावा, कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक प्रबंधकीय कार्मिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधानों के संदर्भ में, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट में उक्त नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक लेने वाले कर्मचारियों के नाम और अन्य ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण देना होता है।

तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है इसलिए ऐसे विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।

वार्षिक रिटर्न का सार

वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-ज** में एक भाग के रूप में दिया गया है।

लाभांश वितरण नीति

सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियमन 43 के अनुसार आपकी कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। लाभांश का भुगतान कंपनी के लाभांश वितरण नीति के अनुसार है।

कंपनी की लाभांश वितरण नीति इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है और यह कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/pdf/InvestorsZone/GAIL%20Dividend%20Distribution%20Policy.pdf पर भी उपलब्ध है

शेयर जारी करना एवं स्थायी जमा

मार्च, 2017 में आपकी कंपनी ने प्रत्येक धारित 10 रुपए के प्रत्येक तीन इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक 10 रुपए के एक इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी किया है। परिणामस्वरूप, 422.82 करोड़ रुपए के सामान्य रिजर्व के पूंजीकरण द्वारा प्रदत्त इक्विटी पूंजी 1,268.48 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,691.30 करोड़ रुपए हो गई है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किसी भी स्थायी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है और, इसलिए तुलन पत्र की तारीख को कोई मूल या ब्याज राशि बकाया नहीं थी।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा कमाई 785.07 करोड़ रुपए और विदेशी मुद्रा व्यय 8711.71 करोड़ रुपए था।



श्री बी सी त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (बाएं से दूसरे) और श्री सुबीर पुराकारथ, निदेशक (वित्त) (मध्य) निवेशक और एनालिस्ट बैठक 2017 को संबोधित करते हुए

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशक

आपकी कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किए गए:

- श्री पी के गुप्ता, निदेशक (एचआर) 01 फरवरी, 2017 से
 - श्री गजेन्द्र सिंह, निदेशक (विपणन) 05 अप्रैल, 2017 से
- अवधि के दौरान, आपकी कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित की निदेशक के पद पर नियुक्त की गई:
- श्री आशीष चटर्जी को सरकारी नामित निदेशक के रूप में 23 दिसंबर, 2016 से।
 - श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव को स्वतंत्र निदेशक के रूप में 31 जनवरी, 2017 से।
 - डॉ अनूप के. पुजारी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में 31 जनवरी, 2017 से।
 - श्रीमती अनुपमा जायसवाल को स्वतंत्र निदेशक के रूप में 31 जनवरी, 2017 से।
- अवधि के दौरान, निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) आपकी कंपनी के बोर्ड में नहीं रह गए:

➤ अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री एम. रवींद्रन, निदेशक (मानव संसाधन) 31 जनवरी, 2017 से।

अवधि के दौरान, निम्नलिखित अपने कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रह गए:

- श्री आशुतोष जिंदल को सरकारी नामित निदेशक के रूप में 23 दिसंबर, 2016 से।
- श्रीमती अनुपमा जायसवाल को स्वतंत्र निदेशक के रूप में 18 मार्च, 2017 से।
- श्री अनंत कुमार सिंह को सरकारी नामित निदेशक के रूप में 11 मई, 2017 से।

बोर्ड अपनी कंपनी के साथ अपनी संबद्धता के दौरान निवर्तमान निदेशकों/केएमपी द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

आचार संहिता

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुसरण में, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी के निदेशक मंडल को अपने निजी निष्पादन और अपनी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों द्वारा किए गए औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन दर्शाने वाला एक विवरण देना आवश्यक होता है।

तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है और निदेशकों की नियुक्ति, कार्यवधि, कार्यनिष्पादन, मूल्यांकन आदि भारत सरकार द्वारा किया जाता है इसलिए ऐसे विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं। सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और इसके कर्मचारियों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेबी एलओडीआर, विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुसार, निदेशक मंडल के लिए मूल्यांकन मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं।

निदेशगण उत्तरदायित्व विवरण

आपके निदेशकगण इस बात की पुष्टि करते हैं कि:

- i) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित व्याख्या के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- ii) ऐसी चुनिंदा लेखा नीतियों का अनुपालन किया गया और उसे न्यायसंगत एवं अनुमानित बनाया गया है जो वित्त वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के लेखा विवरणों की सही एवं स्पष्ट छवि प्रस्तुत करने के लिए उचित एवं प्रामाणिक है;
- iii) कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है और किसी भी अनियमितता एवं झूठ को रोकने एवं उसकी पहचान के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं;
- iv) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को चालूगत आधार पर तैयार किया गया है;
- v) उचित कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन किया गया था और ऐसे सभी प्रणाली कुशलतापूर्वक परिचालित थी; और

vi) कम्पनी द्वारा निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पालन किया गया और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे थे।



डॉ. आशुतोष कर्नाटक, निदेशक (परियोजना) (दाएं) 'अचीवमेंट अवार्ड फॉर पब्लिक ऑफिसर' श्रेणी में 9वां निर्माण उद्योग विकास परिषद विश्वकर्मा पुरस्कार 2017 प्राप्त करते हुए

आभार

आपके निदेशकगण भारत सरकार विशेषकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों से प्राप्त सहयोग, मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।


आपके निदेशकगण सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी से प्राप्त विवेकपूर्ण सलाह एवं नियमित सहयोग एवं समन्वय के लिए उनके भी आभारी हैं।

आपके निदेशगण सभी शेरधारकों, व्यवसाय भागीदारों और गैल परिवार के सदस्यों द्वारा आपकी कंपनी के प्रति दर्शाए गए विश्वास, निष्ठा एवं भरोसे के लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं।

आपके निदेशक मंडल की ओर से मैं, आपकी कंपनी के कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण, प्रतिबद्धता एवं कार्यनिष्ठा के लिए उनकी तहे दिल से सराहना करना चाहूंगा।

आपके निदेशगण एवं कर्मचारी इसी विश्वास के साथ भविष्य में भी आगे बढ़ते रहेंगे और सभी स्टेकहोल्डरों के उज्ज्वल भविष्य के सृजन के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

कृते निदेशक मंडल की ओर से



(बी.सी. त्रिपाठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08.08.2017

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण



प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

अनुलग्नक-क

ऊर्जा क्षेत्र: एक अवलोकन

कम कीमत वाले परिदृश्य के इस दौर से सामंजस्य स्थापित करते हुए, एलएनजी व्यापार ने 2016 में 5% से अधिक की विकास दर को वर्ष दर वर्ष दर्ज किया है, जबकि प्राकृतिक गैस ने विश्व स्तर पर लगभग 1.5% की मामूली वृद्धि हासिल की है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी आपूर्ति में 25% की वृद्धि हुई है, भारत, चीन, पाकिस्तान, मिश्र आदि के बाजारों में वृद्धिशील मांग का वर्चस्व रहा है। यह रुझान एलएनजी मांग में तेजी दिखाता है जहां कई देशों में एफएसआरयू के रूप में संचालित होने वाली सी-गैस क्षमता 83 एमटीपीए है।

कच्चे तेल की मांग लगभग 1.3% है और इसके 2017 में भी इस गति को बनाए रखने की उम्मीद है। कच्चे तेल की खपत का प्रमुख विकास लगातार गैर-ओईसीडी देशों में जारी है, जिसमें भारत और चीन अपेक्षाकृत मजबूत जीडीपी विकास संभावनाओं की अगुवाई कर रहे हैं।

कार्बन को कम करने की दिशा में बढ़ते हुए, अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी प्राथमिक ऊर्जा विकास का एक-तिहाई है, हालांकि मिश्रित ऊर्जा में इसकी कुल हिस्सेदारी लगभग 3-4% रही है, जो कि अनेक देशों में कोयले का स्थान ले रही है। कोयला ने 6% से अधिक उत्पादन में गिरावट दर्ज की है और इसकी खपत में वर्ष के दौरान 50 मिलियन टन से अधिक की गिरावट हुई है।

अक्षय ऊर्जा इस दौड़ में सबसे आगे है जिससे लागत और दक्षता के ग्राफ में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा सौर ऊर्जा में वृद्धि पवन ऊर्जा से भी तेज गति से बढ़ रही है। इसके साथ-साथ, यूरोपीय संघ के राष्ट्रों ने अक्षय ऊर्जा में बदलाव को होते देखा है जो यह याद दिलाता है कि ऊर्जा की मांग को समर्थन देने के लिए हर समय अनेक प्रकार के स्थायी विकल्प मौजूद होने चाहिए। अक्षय ऊर्जा वृद्धि के लिए यूरोपीय संघ के मॉडल का विस्तार करने वाले देशों को कम कार्बन का लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए गैस के नेतृत्व में पारंपरिक बिजली उत्पादन स्रोतों को एकीकृत करने की गहन जांच करना आवश्यक है। अमरीका प्राकृतिक गैस के साथ-साथ बिजली उत्पादन के लिए अपने प्रमुख स्रोत के रूप में खपत करता है, जो खपत का एक-तिहाई है, जिसके बाद कोयला जलाकर बिजली उत्पादन प्राप्त करने में भी कमी आई है और देश में अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल की मांग बढ़ रही है।

वैश्विक ऊर्जा विकल्पों के बढ़ते आधार में, प्राकृतिक गैस और एलएनजी प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में 25% हिस्सेदारी को बनाए रखे हुए हैं। वर्ष 2017 और 2018 में कम कीमत रखते हुए एलएनजी की और अधिक मात्रा को बाजारों से जोड़े जाने की संभावना है, अतः इसके दुनिया भर में और अधिक विस्तार होने की संभावना है।

भारत में प्राकृतिक गैस

नीति आयोग से हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के साथ मिलकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्यों पर जारी की गई रिपोर्टें और एक तीन वर्षीय कार्य सूची व्यापक ऊर्जा मैट्रिक्स की ओर निश्चित संकेत देती है। ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य के अंतर्गत प्राकृतिक गैस की भूमिका का 2040-2047 की अवधि के दौरान चार-पांच गुना बढ़ने का अनुमान है। तथापि उर्वरक और विद्युत के मुख्य क्षेत्रों की सेवा करने के अलावा, नई प्रौद्योगिकियों, बिजली चालित वाहनों और अक्षय ऊर्जा का दोहन किए जाने के बावजूद प्राकृतिक गैस के घरेलू रसोई गैस (पीएनजी) और शहरी परिवहन ईंधन (सीएनजी) के व्यापक बने रहने की संभावना है।

भारत सरकार द्वारा पाइपलाइन और सी-गैस टर्मिनलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विस्तार पर बल देने से वर्ष 2021-22 तक गैस की मात्रा के 2-3 गुणा बढ़ने की क्षमता है। भंडार से गैस की आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ, स्वदेशी मात्रा के अगले दो वर्षों में बढ़ने का अनुमान है। अल्पावधि के दौरान, शहर गैस वितरण द्वारा इस वृद्धि को दो अंकों में बनाए रखने का बल किया गया है, लेकिन विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक मुद्दों पर अधिक नीतिगत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि अक्षय ऊर्जा के साथ एकीकृत गैस आधारित बिजली उत्पादन को मुख्य धारा में लाया जा सके। अनुमानों के आधार पर, प्राथमिक ऊर्जा की मांग 2030 तक दोगुनी हो जाएगी, भारत को अपनी बढ़ती खपत को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के स्वच्छ ऊर्जा मैट्रिक्स की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर, अक्षय ऊर्जा के बढ़ने के बावजूद प्राकृतिक गैस की मिश्रित ऊर्जा में एक-चौथाई से अधिक की हिस्सेदारी को बनाए हुए है, जिसमें भारत

सहित विकासशील राष्ट्रों में इस मॉडल का अनुकरण किए जाने की संभावना है।

एलएनजी की मांग में वृद्धि मुख्य रूप से एशियाई अर्थव्यवस्था के कारण है और विभिन्न अनुमानों से आने वाले वर्षों में इसके निरंतर बढ़ने का संकेत मिलता है क्योंकि भविष्य में कोयले की मांग में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। नीती आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव किया है कि सरकार को गैस आधारित ऊर्जा के लिए क्रय सहायता प्रदान करनी चाहिए, जैसा कि पवन/सौर क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए किया गया है और पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा बास्केट में अपनी हिस्सेदारी को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक सहायक व्यवस्था का सुझाव देना चाहिए। इस विजन को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हुए हमें निश्चित रूप से मध्य-चरण के बुनियादी ढांचे के उपयोग को अधिकतम करना होगा।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय बाजार में 139 एमएमएससीएमडी की खपत हुई है और निवल एलएनजी और घरेलू गैस की बिक्री लगभग बराबर है। भारत ने पिछले वर्ष के दौरान एलएनजी का रिकॉर्ड 19 एमएमटीपीए आयात किया था और निकट भविष्य में इसकी मात्रा के लगातार बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, भारत अब अधिक वैश्विक अनुबंध कर रहा है, परिणामस्वरूप घरेलू उपभोक्ता भी लघु/मध्यम अवधि के विकल्पों को चुन रहे हैं। घरेलू बाजार में घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए भारतीय उत्पादकों से बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं। इन घटनाक्रमों से खरीदारों के बढ़ते बाजार में आपूर्तिकर्ताओं की दुविधा का संकेत मिलता है। कम कीमत परिदृश्य और प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की उपलब्धता के कारण गैस बाजार ढांचे में व्यापक बदलाव आया है।

गैस आधारित विकास को निरंतर बढ़त की स्थिति में लाने के लिए, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत प्राकृतिक गैस/एलएनजी को शामिल करना आवश्यक है। अनुप्रयोगों के बावजूद टोस और तरल ईंधन के साथ प्रतिस्पर्धा ने जीएसटी संरचना और प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल ईंधन बना दिया है जो अपने पूर्ण समावेशन (जीएसटी में हस्तांतरण) की प्रतीक्षा कर रहा है।

व्यापार अवलोकन

• गैस और सी-गैस अवसंरचना का स्रोत और व्यापार

आपकी कंपनी गैस की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक गैस की बुनियादी परिसंपत्तियों में व्यापक निवेश को ध्यान में रखते हुए देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देश में प्राकृतिक गैस की मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए, आपकी कंपनी ने गैस के आयात के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इसने दीर्घकालिक मात्रा आधारित कतर और ऑस्ट्रेलिया में विपणन करने और अल्प/मध्यम/स्पॉट आधारित आर-एलएनजी के अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका (5.8 एमएमटीपीए), रूस (2.5 एमएमटीपीए) और तुर्कमेनिस्तान (तापी पाइपलाइन के माध्यम से 38 एमएमएससीएमडी के बराबर) से एलएनजी के लिए दीर्घवधि अनुबंध किए हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, के सबाइन पास और डोमिनियन कोव प्वाइंट की दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण परियोजना उपलब्धियां हासिल की हैं और चालू वर्ष 2017 की चौथी तिमाही और चालू वर्ष 2018 की पहली तिमाही के बीच आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। आपकी कंपनी सदस्य देशों द्वारा एक संयुक्त उद्यम नामतः तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) बनाकर नियोजित 1800 किलोमीटर ट्रांसनेशनल पाइपलाइन का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने के लिए तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत-पाकिस्तान (भारत) (टीएपीआई) पाइपलाइन परियोजना में भी भाग ले रही है। एलएनजी/गैस स्रोतों का एक विविध पोर्टफोलियो आपकी कंपनी को अपने ग्राहकों को लंबे समय तक प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी माहौल में सर्वोत्तम संभव तरीके से लचीलापन प्रदान करता है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू बाजार की तत्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए लघु अवधि और मौके के आधार पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से 55 एलएनजी कार्गो (लगभग 3.5 एमएमटीपीए एलएनजी के बराबर) आयात किया है।

आपकी कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न एलएनजी अनुबंधों, जिनके द्वारा चालू वर्ष-2018 के बाद से आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है, को ध्यान में रखते हुए आरजीपीपीएल के दामोल एलएनजी टर्मिनल की उपलब्धता एलएनजी व्यापार में



आपकी कंपनी को व्यापक परिचालन छूट प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष के दौरान दामोल टर्मिनल में 15 एलएनजी कार्गो की उतराई हुई थी।


आपकी कंपनी ने वैश्वीकरण की रणनीति के अनुरूप सिंगापुर की सहायक कंपनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कुछ एलएनजी पोर्टफोलियो का भी कारोबार किया है और घरेलू बाजार की आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति में अंशशोधन किया है।

आपकी कंपनी ने धामरा, ओडिशा में प्रस्तावित एलएनजी टर्मिनल के लिए 1.5 एमएमटीपीए क्षमता की बुकिंग के लिए धामरा एलएनजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (डीएलटीपीएल) के साथ एक गैर-बाध्यकारी ट्रोनिंग टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। डीएलटीपीएल में इक्विटी लेने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आरजीपीपीएल अपनी दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें संशोधित आरबीआई नियमों के अंतर्गत पुनर्गठन को सक्षम बनाने के लिए एलएनजी टर्मिनल और पावर ब्लॉक परिसंपत्तियों का विलय हटाना शामिल हैं, जिससे दोनों परिसंपत्तियों को व्यवहार्य बनाए रखने हेतु एलएनजी टर्मिनल की पूरी क्षमता हासिल करने और ऋण पुनर्गठन के लिए ब्रेक वॉटर और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए धन उपलब्ध होगा। आरजीपीपीएल पावर ब्लॉक का मालिक होगा और मैसर्स कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड (केएलएलएल) नामक एक नई कंपनी एलएनजी ब्लॉक की मालिक होगी और उसका संचालन करेगी। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से मामले पर अंतिम आदेश की प्रतीक्षा है।

• प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन

आपकी कंपनी प्राकृतिक गैस की ट्रांसमिशन सेवाएं प्रदान करने में बाजार में अग्रणी है और भारत में कुल प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन के लगभग 75% (11000 किलोमीटर से अधिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों) का संचालन करती है। वर्ष के दौरान, ट्रांसमिशन खंड ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 100.4 एमएमएससीएमडी दर्ज करके 9% की वृद्धि दर्ज की है। आपकी कंपनी द्वारा संचालित गैस ट्रांसमिशन मात्रा और सभी पाइपलाइनों का प्रतिशत क्षमता उपयोग तालिका में दिया गया है।



ग्राहक उन्मुख कंपनी के रूप में, आपकी कंपनी ने अल्प मात्रा वाले नौवाहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैस ट्रांसमिशन करार में प्रावधान किए हैं। आपकी कंपनी ने असंतुलन को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए शिपर्स के लिए असंतुलन प्रबंधन सेवाएं भी लागू की हैं।

चालू ट्रंक पाइपलाइनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 23 नई लास्ट माइल कनेक्टिविटी को आपूर्ति/परिवहन गैस शुरू की गई थी।

• राष्ट्रीय गैस ग्रिड का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी क्रॉस-कंट्री नेशनल गैस ग्रिड के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों (लगभग 4150 किमी) को कार्यान्वित कर रही है:

1. कोच्चि-कूटानाद-बेंगलुरु/मंगलोर पाइपलाइन (चरण-II, 870 कि.मी.): कोच्चि से मंगलौर पाइपलाइन का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके दिसंबर 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है।

2. विजापुर-औरैया-फूलपुर पाइपलाइन जेएचबीडीपीएल परियोजना के अपस्ट्रीम नेटवर्क की कठिनाई को दूर करने के लिए, विजयपुर से औरैया तक और फूलपुर (670 किलोमीटर) तक की समानांतर पाइपलाइन पर कार्य चल रहा है।

3. जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल): 2,600 किलोमीटर का कार्य चरणों में चल रहा है।

आपकी कंपनी 'प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना' के तहत मौजूदा प्राकृतिक गैस ग्रिड को पूर्वी भारत के साथ जोड़ देगी। यह पाइपलाइन उ.प्र., बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग से गुजरेगी। यह पाइपलाइन गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी में उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करेगी। पाइपलाइन के पास दो गैस स्रोत होंगे, जिनमें एक फूलपुर (इलाहाबाद, उ.प्र.) में और दूसरा धामरा आरएलएनजी टर्मिनल (ओडिशा) में होगा। पाइपलाइन नेटवर्क की क्षमता 16 एमएमएससीएमडी है। वास्तविक प्रगति परिकल्पित अनुसूची के अनुरूप चल रही है।

यह पाइपलाइन अपने आसपास के विभिन्न शहरों को स्वच्छ ईंधन प्रदान कराएगी। वाराणसी, पटना, रांची, जमशेदपुर, कटक और भुवनेश्वर में पाइपलाइन के साथ-साथ शहर गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समवर्ती रूप से विकसित किया जा रहा है। कोलकाता सीजीडी को गैल की एक जेवी और ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार का उद्यम) के माध्यम से विकसित किया जा रहा है।

21 सितंबर 2016 को, सीसीईए ने माननीय प्रधान मंत्री की ऊर्जा गंगा पहल को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा गैल को 40% पूंजीगत अनुदान की मंजूरी दी थी, अर्थात् जेएचबीडीपीएल परियोजना के निष्पादन के लिए 12,940 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के 5,176 करोड़ रुपए। जेएचबीडीपीएल परियोजना के चरण-I का अर्थ है - फूलपुर-डोबी खंड, जिसकी वाराणसी, गोरखपुर, बरौनी और पटना शाखाओं ने पहले ही उ.प्र. और बिहार राज्य में कार्य शुरू कर दिया है और पूरी परियोजना दिसंबर 2020 तक पूरी हो जाएगी।

इस ट्रंक पाइपलाइन निवेश से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एलएनजी टर्मिनल, उर्वरक संयंत्र पुनरुद्धार आदि में आधारभूत ढांचा सृजन के लिए निकट भविष्य में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के व्यापक निवेश हो सकता है।

आपकी कंपनी जामनगर लोनी पाइपलाइन की क्षमता में वृद्धि के तहत अपनी एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क क्षमता को 2.5 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 3.5 एमएमटीपीए तक कर रही है।

आपकी कंपनी ने विभिन्न दक्षता बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी शुरू की हैं जैसे हजीरा और विजयपुर में क्रमशः रिच-लीन गैस कॉरिडोर और अपशिष्ट ताप रिकवरी परियोजना। कावेरी बेसिन, केजी बेसिन और गुजरात क्षेत्र में पाइपलाइन की स्वस्थता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

• पेट्रोकेमिकल्स

आपकी कंपनी ने पाता में पॉलीमर उत्पादन क्षमता को 410 कंटीए से दुगना करके 810 कंटीए कर दिया है। वर्ष 2016-17 में पेट्रोकेमिकल्स परिसर से कुल उत्पादन 6,04,000 मीट्रिक टन था। आपकी कंपनी ने एशिया में 14,000 मीट्रिक टन पॉलिमर निर्यात किया है।

आपकी कंपनी के शेयर बाजार में घरेलू पॉलीथीन बाजार में काफी सुधार हुआ है और यह 1 एमएमटीपीए के पॉलीथीन के पोर्टफोलियो के साथ भारतीय बाजार में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वर्ष के दौरान गैल द्वारा 6.65 कंटीए की संयुक्त मात्रा का विपणन किया गया था। हालांकि पॉलिमर की कीमतों की प्रारंभिक रिकवरी वित्तीय वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान स्थिर रही है, फिर भी वर्ष दर वर्ष आधार पर इसमें लगभग 4% तक की समग्र गिरावट दर्ज की गई है।

• एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन

आपकी कंपनी एलपीजी की बिक्री में 15 से 20% की वृद्धि करने में सक्षम रही है और इस प्रवृत्ति को बनाए रखने की उम्मीद है।

जामनगर-लोनी पाइपलाइन (जेएलपीएल) और विजाग-सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन (वीएलपीएल) पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं। जेएलपीएल की डिजाइन क्षमता को 2.5 से बढ़ाकर 3.25 एमएमटीपीए किया जा रहा है और इसके मार्च 2018 तक चालू होने की उम्मीद है।



गेल ने कंपनी के कार्य केन्द्रों के आसपास सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता और जागरूकता अभियान के जरिए स्वच्छ भारत पखवाड़े में भाग लिया। नई दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में सफाई अभियान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री बी सी त्रिपाठी (बाएं से दूसरे), निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ भाग लिया, जिसके दौरान कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई।

• अन्वेषण और उत्पादन

अपनी कंपनी का ध्यान अपनी पूंजी को संरक्षित करने और परिचालन/प्रशासनिक लागतों को कम करने, जहां-कहीं संभव हो, होने से ईएंडपी व्यापार खंड को उसके दृष्टिकोण के अनुसार समर्थ बनाया गया है। आपकी कंपनी ने खंमात क्षेत्र में अपने कार्यों को और अधिक कुशल बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का भी उपयोग किया है।

आपकी कंपनी ने 12 ईएंडपी ब्लॉकों (भारत में 10 और म्यांमार में 2 विदेशी) में रुचि ली है। जबकि तेल और गैस का उत्पादन चार ब्लॉकों (2 घरेलू और 2 विदेशी), तीन ब्लॉकों (जहां हाइड्रोकार्बन की खोज की गई है) में चल रहा है तथा यह विकास और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। हाइड्रोकार्बन अन्वेषण को दो एनईएलईपी-IX के ब्लॉक में अधिसूचित किया गया है।

आगामी अवधि में, हालांकि कुछ मौजूदा कम संभावित ब्लॉकों में निकास विकल्प की जांच की जाएगी, अन्वेषण के अवसरों का अधिग्रहण भी इस कारोबार के अगले चरण के लिए किया जा रहा है।

आगे बढ़ते हुए, ईएंडपी अपने अनुशासित दृष्टिकोण का अनुसरण करना जारी रखेगा तथा उत्पादन, मूल्यांकन, और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा, और साथ ही साथ अन्वेषण और अधिग्रहण के अवसरों का समझदारी से आकलन करेगा।

• नवीकरण

आपकी कंपनी में 123.23 मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता है; जिनमें से 118 मेगावाट पवन ऊर्जा और 5.23 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र है। आपकी कंपनी पाता पेट्रोकेमिकल परिसर, उत्तर प्रदेश में 5.76 मेगावाट ग्रिड संबंध रूफ-टॉप कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी के कार्यालयों/कार्य केन्द्रों में कैप्टिव उपयोग के लिए रूफ-टॉप सोलर यूनिटें स्थापित की जा रही हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

• कुल बिक्री

वर्ष 2015-16 के दौरान सकल बिक्री 52,003 करोड़ रुपए से 6% घट गई और 2016-17 में 48,789 करोड़ हो गई।

• कर पश्चात् लाभ (पीएटी)

वर्ष 2015-16 के दौरान कर पश्चात् लाभ 2,226 करोड़ रुपए से 57% बढ़कर 2016-17 में 3,503 करोड़ रुपए हो गया।

• आय प्रति शेयर (ईपीएस)

पीएटी में वृद्धि को देखते हुए, 31 मार्च, 2016 को ईपीएस (वित्त वर्ष 2016-17 में बोनस अंक के बाद समायोजित) 13 रुपए प्रति शेयर से बढ़कर 31 मार्च 2016 को 21 रुपए प्रति शेयर हो गया है।

• मूल्य आय (पीई) अनुपात

कंपनी का मूल्य आय अनुपात 31 मार्च 2017 को 18 था और 31 मार्च 2016 को 20 था, जो कि आपकी कंपनी के दीर्घकालिक विकास में निवेशकों की निरंतर आश्वस्तता दर्शाता है।

• शेयरधारक की निधियां

चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर रिजर्व और अधिशेष (ट्रांसिशन रिजर्व और अन्य व्यापक आय को छोड़कर) 30,996 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 29,670 करोड़ रुपए था। 31 मार्च, 2017 तक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 31,350 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च, 2016 को 30,699 करोड़ रुपए था।

• ऋण और ब्याज

ऋण-इविवटी का अनुपात 31 मार्च 2016 के 0.26 की तुलना में 31 मार्च, 2017 को 0.16 था, जो अधिक सहज हो गया है और इसी तरह ऋण सेवा कवरेज अनुपात 31 मार्च 2017 और 31 मार्च, 2016 को दो गुणा था।

31 मार्च, 2017 को 3313 करोड़ के कुल विदेशी मुद्रा ऋण की तुलना में लगभग 84% (अर्थात् 2778 करोड़ रुपए) पूर्ण मुद्रा स्वैप से बचाए गए हैं, 14% (अर्थात् 478 रुपए) स्वाभाविक रूप से बचाए गए हैं और केवल 2% (57 करोड़ रुपए) बिना बचाव के रहे।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ऑफ टोक्यो का यूएस डॉलर 150 मिलियन का ऋण चुका दिया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने भी कम ब्याज दर पर उसी अवधि के लिए समान राशि के नए ईसीबी ऋण को बढ़ाकर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूदा ईसीबी ऋण में पुनः वित्त-पोषित किया है। आपकी कंपनी ने वित्त लागत में बचत के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) से 970 करोड़ रुपए के मौजूदा उच्च लागत वाले ऋण को भी चुकाया है।

• अनुपात विश्लेषण

31 मार्च, 2017 को कंपनी के निवल मूल्य (पीएटी / निवल मूल्य) पर प्रतिलाभ 10.83% था, जबकि यह 31 मार्च, 2016 को 7.20% था। 31 मार्च, 2016 को निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ (पीबीआईटी/पूंजीगत निवेश) 12.30% था, जबकि मार्च 31, 2017 को यह 8.18% था।

• नकदी प्रवाह

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह	5629.30	4070.62
निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह	(698.43)	(670.88)
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह	(4788.31)	(3318.03)
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि	142.56	81.71

• खंड-वार निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17		2015-16 *	
		सकल बिक्री	सकल मार्जिन (ईबीआईडीटीए)	सकल बिक्री	सकल मार्जिन (ईबीआईडीटीए)
1	ट्रांसमिशन सेवाएं				
	क) प्राकृतिक गैस	4,195	3,137	3,701	2,646
	ख) एलपीजी ट्रांसमिशन	515	310	486	315
2	गैस ट्रेडिंग	34,630	1,519	40,337	1,432
3	पेट्रोकेमिकल	5,626	892	3,041	(407)
4	एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन	3,138	1,292	3,246	795
5	गैर-आवृत्त अन्य खंड	686	138	804	390
	कुल बिक्री	48,789	7,287	51,615	5,172



• वास्तविक निष्पादन (आंतरिक खपत सहित)

विवरण	2016-17	2015-16
प्राकृतिक गैस थ्रूपुट (एमएमएससीएमडी)	100.38	92.09
प्राकृतिक गैस कारोबार (एमएमएससीएमडी)	81.21	73.67
तरल हाइड्रोकार्बन बिक्री (टीएमटी)	1,082	1,086
एचडीपीई / एलएलपीपीई बिक्री (टीएमटी)	577	334
परिवहित एलपीजी (टीएमटी)	3,362	2,819

• समेकित वित्तीय विवरण

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार, आपकी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। समेकित वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
कारोबार	49334	52552
कर पूर्व लाभ	5178	2961
कर पश्चात् लाभ	3368	1869
अन्य व्यापक आय	1300	1927

*इंड-एस को वित्त वर्ष 2016-17 से कार्यान्वित किया गया है, वित्त वर्ष 2015-16 के वित्तीय आंकड़ों को इंड-एस के अनुसार पुनः स्थापित किया गया है।

• परियोजना लाभ को अधिकतम करना (संचय)

आपकी कंपनी ने मौजूदा संसाधनों को अनुकूल बनाने, परिचालन और प्रक्रिया क्षमता में सुधार, लागत को कम करने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए आपकी कंपनी के सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में 'परियोजना संचय' के अंतर्गत एक व्यापक पहल शुरू की है। परियोजना संचय के तहत कार्यान्वित पहलों से लाभ एनपीवी आधार पर 400 करोड़ के लक्ष्य के स्तर से अधिक है। मध्यम से दीर्घावधि की पहलें चल रही हैं। पहल को आगे बढ़ाने और परिचालन उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए, अब व्यापार उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जा रहा है।

जोखिम, चुनौतियां और उपशमन

• विनियामक ढांचा

पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए 1 अक्टूबर, 2007 को केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना की थी। पीएनजीआरबी अधिनियम कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन की गतिविधियों को छोड़कर रिफाइनिंग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की बिक्री, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि इन गतिविधियों में शामिल उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, सीजीडी नेटवर्क और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के संबंध में विनियमों में कई संशोधनों को अधिसूचित किया तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन और सीजीडी नेटवर्क के संबंध में विभिन्न प्राधिकरण, आदेश, निर्णय भी जारी किए। उक्त नियमों, संशोधन, प्राधिकरण, आदेश और निर्णय का विवरण पीएनजीआरबी (www.pngrb.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और संबंधित संस्थाओं की व्यावसायिक गतिविधियों पर इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है।

पीएनजीआरबी के ये नियम, संशोधन, प्राधिकरण, आदेश और निर्णय के खिलाफ पीएनजीआरबी पीठ, अपील विभाग और न्यायालयों में अपील की जा सकती है, और तदनुसार, उनमें से आपकी कंपनी से संबंधित कुछ अपीलें भी विभिन्न चरणों में हैं। नियामक द्वारा बनाए गए नियमों में किसी भी अंतिम परिवर्तन का समय और सामग्री आपकी कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। हालांकि, विनियामक बोर्ड द्वारा आयोजित सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में किया गया नियमित संवाद और

विनियामक को लिखित में की गई प्रस्तुति हमें अनुमान लगाने या नियमों में अचानक या अप्रत्याशित परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करने में हमारी मदद करता है।

• प्राकृतिक गैस मूल्य

वर्तमान में आपकी कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से खरीदी गई प्राकृतिक गैस का विपणन करती है।

भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 2014 के अपने आदेश के अनुसार, नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 को अधिसूचित किया था। 01 नवंबर, 014 से अधिसूचना के अनुसार, एक विशिष्ट फार्मूला के अनुसार गैस की कीमत द्विवार्षिक रूप से निर्धारित की जाती है, जो संक्षेप में, दुनिया भर के प्रमुख केन्द्रों में कारोबार किए जाने वाले प्राकृतिक गैस की बारह महीने की औसत कीमत (शून्य परिवहन और उपचार शुल्क) है।

नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 ओएनजीसी और ओआईएल, एनईपीएल ब्लॉकों, पीईसी और सीबीएम ब्लॉकों के अनुसार सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता वाले एनईएलपी-पूर्व ब्लॉकों के लिए सभी नामांकित क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, जबकि ये नामांकित ब्लॉकों के छोटे और पृथक क्षेत्र जो मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश 2013 के अंतर्गत आते हैं, पर लागू नहीं होते।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 21 मार्च, 2016 के अपने आदेश के अनुसार, गहरे पानी, अति-गहरे पानी और उच्च दबाव वाले उच्च तापमान क्षेत्रों में खोज से उत्पादित गैस की मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन के बारे में दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार ने इन क्षेत्रों में उत्पादित गैस का स्वतंत्र मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। आयातित ईंधन तेल, वैकल्पिक ईंधन और एलएनजी के उतराई मूल्य के बारह महीने के न्यूनतम औसत मूल्य द्वारा गणना की गई है।

आपकी कंपनी घरेलू प्राकृतिक गैस की बिक्री पर विपणन मार्जिन कमाती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 24 दिसंबर, 2015 को अपनी अधिसूचना में 18 नवंबर, 2015 से लागू घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए उर्वरक (यूरिया) और एलपीजी उत्पादकों को 200 रुपए प्रति 1000 एससीएम के लिए विपणन मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की है।

उपर्युक्त के अलावा, आपकी कंपनी मुख्य रूप से दहेज, गुजरात में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) द्वारा आयातित प्राकृतिक गैस की खरीद करती है। इस तरह के प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की खरीद और बिक्री मूल्य अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। इसके अलावा, आपकी कंपनी दुनिया भर में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से वाहक के माध्यम से सीधे एलएनजी का आयात करती है और दहेज, गुजरात या दामोल, महाराष्ट्र में रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) रिगैसीकरण टर्मिनल में इसे रिगैसीकृत करती है।

ऐसा एलएनजी आयात या तो तीन साल या स्पॉट कार्गो खरीद के तहत एक मध्यम अवधि के समझौते के तहत होता है। मध्यम अवधि आयात के तहत, बिक्री मूल्य काफी हद तक खरीद मूल्य पर आधारित है। हालांकि, स्पॉट कार्गो आयात के तहत, बिक्री मूल्य मांग और आपूर्ति की स्थिति और ग्राहक सामर्थ्य पर निर्भर है। एलएनजी स्पॉट कार्गो का आयात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतिम उपभोक्ताओं और एलएनजी की उपलब्धता, सामर्थ्य और आवश्यकता के संपूर्ण आकलन पर आधारित होता है।

आपकी कंपनी लगातार दीर्घकालिक / मध्यम अवधि के माध्यम से देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति-मांग के अंतर को पूरा करने और एलएनजी आयात करने का प्रयास कर रही है। हालांकि वर्तमान आपूर्ति घाटे को मुख्य रूप से मध्यम और स्पॉट सौदों के माध्यम से पूरा किया जाता है, आपकी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियों ने अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आपूर्ति-मांग अंतर को पूरा करने और पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे के क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिए दो दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध किए हैं।

• सबाइन पास द्रवीकरण टर्मिनल, अमेरिका से 3.50 एमएमटीपीए एलएनजी की सोर्सिंग के लिए सबाइन पास द्रवीकरण एलएलसी के साथ एक एलएनजी बिक्री और खरीद समझौता किया है जिसकी आपूर्तियां मार्च 2018 से शुरू होंगी।

• कोव प्वाइंट एलएनजी द्रवीकरण टर्मिनल, अमेरिका में 2.30 एमएमटीपीए द्रवीकरण क्षमता की बुकिंग के लिए टर्मिनल सेवा करार के अंतर्गत आपूर्ति दिसंबर 2017 से शुरू होंगी और आनुशांगिक गैस मात्रा के लिए डब्ल्यूजीएल मिडस्ट्रीम के साथ गैस बिक्री और खरीद समझौता होगा।

आपकी कंपनी द्वारा यूएस एलएनजी के साथ अनुबंध किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करना और एसपीए को अंतिम रूप देना, बिजली क्षेत्र को भारतीय बाजार में एलएनजी का प्रमुख दीर्घकालिक खरीदार मानना था। हालांकि, एलआईएनजी से उत्पादित बिजली नवीनीकरण सहित सरते विकल्पों के कारण डीआईएससीओएम द्वारा निर्धारित नहीं की जा रही है जिससे 25,000 मेगावाट स्थापित गैस आधारित बिजली संयंत्रों में महत्वपूर्ण क्षमता का अभाव हो सकता है।

उपर्युक्त जोखिमों को कम करने के लिए, आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एचएच इंडेक्स एलएनजी मात्रा को सीधे और/या सिंगापुर आधारित सहायक कंपनी जीजीएसपीएल के माध्यम से बाजार में अवसरों की तलाश कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने पहले ही तीन बार स्वैप सौदों को पूरा कर लिया है, जिनमें वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों से एलएनजी मात्रा खरीदी गई थी जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान एचएच मात्रा के समान मात्रा को बेचने के लिए समझौता किया गया था।

समानांतर रूप से, आपकी कंपनी गंतव्य स्वैप लेनदेन के जरिए एचएच एलएनजी को अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है जिससे भारतीय बंदरगाहों में एचएच एलएनजी शिपिंग की लागत काफी कम हो सकती है और भारतीय ग्राहकों की खरीदने की क्षमता में सुधार होगा।

ऐसे संयवहारों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी ने पहले ही 2018 के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एचएच एलएनजी के साथ पर्याप्त मात्रा में/इष्टतम एचडी एलएनजी के लिए अनुबंध कर लिया है। आपकी कंपनी निर्माणाधीन/पुनर्जीवित उर्वरक इकाइयों को एलएनजी की आपूर्ति करने के लिए वार्ता अंतिम चरण में है। घरेलू बाजार में निर्माणाधीन और मौजूदा पाइपलाइनों के आसपास स्थित रिफाइनरियों और इस्पात संयंत्रों जैसे ग्राहकों को आरएलएनजी का विपणन करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने मूल्य जोखिम को कम करने के लिए कंपनी की आंतरिक खपत हेतु इस्तेमाल की जाने वाली एलएनजी मात्रा के एक भाग के लिए हेजिंग लेनदेन किया। ट्रेडिंग लेनदेन से नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के नियमित आकलन के आधार पर कर्मोडिटी हेजिंग के ऐसे उपशमन उपाय चल रहे हैं।

• एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली के लिए एकीकृत/पूल्ड टैरिफ:

पीएनजीआरबी की वर्तमान पद्धति के अनुसार प्रत्येक पाइपलाइन के लिए अलग से टैरिफ लगाया जाना आवश्यक है। हालांकि, बाजार की स्थिति के आधार पर यह देखा जाता है कि पाइपलाइन के निकट दूर-दराज के क्षेत्रों के ग्राहक स्रोत क्षेत्र के निकट मौजूद टैरिफ की मांग करते हैं ताकि इनपुट लागत का प्रबंधन हो सके या दूसरे शब्दों में उनके अंतिम उत्पाद/सेवा की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा जा सके। ऐसी एकीकृत पाइपलाइन प्रणाली के लिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और पूल्ड टैरिफ का निर्धारण क्षेत्रों के टैरिफ ढांचे में व्यापक विविधता से निपटने और एक-समान गैस आधारित आर्थिक विकास के लिए बेहतरीन समाधान प्रदान करता है। पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार होने से एकीकृत/पूल्ड टैरिफ मौजूदा और नए ग्राहकों पर लागू दरों में अंतर को हटाता है।

प्राकृतिक गैस बाजारों का समान रूप से विकास करने के लिए, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने जबकि जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना के लिए 40% पूंजी अनुदान प्रदान की है, तथा अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी आपकी कंपनी के सभी परस्पर-संबद्ध क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों के लिए एकीकृत/पूल्ड टैरिफ तैयार करने के अनुरोध की जांच करने का निदेश दिया है जो ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गैल के एकीकृत नेटवर्क के साथ सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होंगी। इसने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया है कि वह ऐसे टैरिफ का निर्धारण या तो नोडल मंत्रालय द्वारा स्वयं या चरण-वार वास्तविक/अनुमानित क्षमता उपयोग के मानदंडों, प्रचालन व्यय (बेहिंसाब गैस सहित, लाइन हानि), पिछली अंतिम दूरी कनेक्टिविटी की भावी पूंजीगत लागत आदि पर आधारित उपयुक्त निदेशों के जरिए पीएनजीआरबी द्वारा करे ताकि गैल के निवेश पर 12% कर पश्चात् प्रतिलाभ सुनिश्चित हो सके।

• नवीकरणीय ऊर्जा

घरेलू बिजली बाजार में इस तरह से व्यापक परिवर्तन हो रहा है जिससे डिस्कोम बिजली खरीद रहे हैं। कई प्रभावकारी कारकों के कारण सौर ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा लगाई गई आक्रामक बोलियों को देखते हुए, उपभोक्ता अपेक्षाओं को प्रबंधित करने के लिए इस तरह के स्रोतों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। परंपरागत ईंधन के लिए प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में गिरावट आ रही है और प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र के नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से संरचनात्मक मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। आपकी कंपनी मामले के आधार पर और बिजली क्षेत्र द्वारा प्राकृतिक गैस को बढ़ाने/उसका पुनरुत्थान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और बिजली मंत्रालय के समन्वय से काम कर रही है।

• पॉलीमर, एलपीजी और अन्य एलएचसी

आपकी कंपनी पेट्रोकेमिकल्स, एलपीजी और अन्य एलएचसी उत्पादों का विपणन भी कर रही है। इन उत्पादों की कीमतें वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित होती हैं, जो मांग, आपूर्ति और कीमत को प्रभावित करती हैं। पेट्रोकेमिकल उत्पादों की स्थिर खपत सुनिश्चित करने और पाता और असम में स्थित प्रसुविधाओं से पोर्टफोलियो को सुदृढ़ करने के लिए आपकी कंपनी ने बाजार स्वीकार्य उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित की है। एलपीजी विपणन का निर्णय पीएसयू तेल विपणन कंपनियों के समन्वय से किया जाता है। अपने सभी उत्पादों में मार्जिन का प्रबंधन करने के लिए निरंतर उपाय किए जाते हैं।

• विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव जोखिम

आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर विभिन्न नई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सामान तथा भंडार और पुर्जों का आयात, संचालन और रखरखाव करती है। इसने पूंजीगत मांग को पूरा करने और विदेशी निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा में भी ऋण लिया है। ऋण पोर्टफोलियो को व्युत्पन्न उत्पादों (मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप) के माध्यम से और प्राकृतिक बचाव के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करने के लिए आपकी कंपनी में स्वीकृत विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति है। अनुमोदित नीति के अनुसार आपकी कंपनी की विदेशी मुद्रा के अल्पावधि और दीर्घावधि जोखिम पर नजर रखी जा रही है। प्राकृतिक गैस के मूल्य जोखिम के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी ने प्राकृतिक गैस मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है। स्वीकृत नीति के अनुसार आंतरिक खपत तथा ग्राहकों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राकृतिक गैस की मूल्य जोखिम की दृष्टि से भी निगरानी की जा रही है। आपकी कंपनी विदेशी मुद्रा और वस्तु जोखिमों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए सैप प्लेटफॉर्म में एकीकृत राजकोषीय प्रबंधन मॉड्यूल भी स्थापित कर रही है।

• प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा जोखिम

विभिन्न जोखिम गैस ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़े हैं जैसे पाइपलाइनों का फटना, भूकंप, सुनामी, आतंकवादी गतिविधियों आदि।

इन जोखिमों को इन परियोजनाओं के डिजाइनिंग चरण और संचालन के समय से ही कम किया जा रहा है। हालांकि, ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम आकस्मिक घटनाएं हैं और इन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इससे आपकी कंपनी को पर्याप्त देनदारियां देनी पड़ेंगी।

• जोखिम प्रबंधन की रूपरेखा

आपकी कंपनी में संगठन और इसके शेरधारकों की रक्षा करने और मूल्य वर्धन करने के लिए एक अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य मौजूदा सांविधिक विनियमों का अनुपालन करते हुए निर्णय लेने वालों के लिए वस्तुपरक संभावित जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक जोखिम सूचना ढांचे की स्थापना करना है।

एक ठोस जोखिम प्रबंधन ढांचा आपकी कंपनी की व्यापार रणनीति और संचालन का समर्थन करता है। जोखिम प्रबंधन ढांचे को लगातार कारोबार के विस्तार और हितों से उत्पन्न नए और उभरते जोखिमों के प्रति अद्यतन किया जाता है। जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है, उनकी मात्रा निर्धारित की जाती है और प्राथमिक तथा उपशमन योजनाओं की और विभिन्न चरणों में समीक्षा और निगरानी की जाती है। कॉर्पोरेट स्तर जोखिम संचालन समिति जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रिया के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करती है और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले इनकी जोखिम प्रबंधन समिति और लेखा-परीक्षा समिति द्वारा निगरानी की जाती है।



बदलते व्यापार परिदृश्य और आपकी कंपनी के विभिन्न अन्य गतिविधियों में विस्तार को देखते हुए व्यापार जोखिम और उनकी उपशमन योजनाओं का नियमित आधार पर फिर से आकलन किया जाता है। वर्तमान में, शीर्ष प्रमुख निगमित स्तर जोखिम इस प्रकार हैं:

- दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध पर जोखिम लेना या उसका भुगतान करना। गेल द्वारा अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का दी गई कॉर्पोरेट गारंटी को बढ़ाना।
- न्यून डाउनस्ट्रीम प्राप्त होने और पाइपलाइन क्षमता के कम होने के कारण पाइपलाइन का कम उपयोग होना।
- आरओयू खोलने/स्थायी भूमि अधिग्रहण में स्थानीय प्रतिरोध के कारण परियोजना निष्पादन में देरी।
- विनियामक ढांचा कार्य का जोखिम।
- पेट्रोकेमिकल्स की लाभप्रदता में कमी
- पोत अनुबंध में अनिश्चितता।

जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में उल्लेख किया गया है, पता लगाए गए जोखिमों की गहन जांच की गई है और पता लगाए गए जोखिमों के प्रभाव को समाप्त या कम करने के लिए उचित उपशमन उपाय और सुरक्षा पहलें की गई हैं। अपनी कंपनी अपने व्यवसाय प्रचालनों से वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सक्रिय उपाय करने का प्रयास करती है।



गेल को दून एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा गैस विनिर्माण, ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग कंपनी की श्रेणी में उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कंपनी की ओर से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री गजेन्द्र सिंह, निदेशक (विपणन) (बाएं)।

निवेशक संबंध और कार्य

आपकी कंपनी की निवेशक संबंध गतिविधियों का उद्देश्य न केवल शेयरधारकों के साथ विश्वास का दीर्घावधि संबंध कायम करना है बल्कि इसमें सूचना के प्रकटीकरण की उचित प्रक्रिया के माध्यम से अन्य शेयरधारक, निवेशक और विश्लेषक भी शामिल हैं। आपकी कंपनी संचार के माध्यम को खुला रखती है क्योंकि इसका कार्य विभिन्न शेयरधारकों से होता है। इन उद्देश्यों को निरंतर प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी आवश्यक सूचना का निरंतर खुलासा करती है और विभिन्न निवेशक संबंध कार्यकलाप करती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निवेशकों के साथ प्रभावी संचार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- निवेशक और विश्लेषक सम्मेलन 2016 का आयोजन
- 2016-17 की पहली तिमाही, 2016-17 की पहली तिमाही और 2016-17 की तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद कांफ्रेंस कॉल का आयोजन किया गया।
- कंपनी ने देश के शीर्ष ब्रोकरेज घरानों द्वारा आयोजित 7 घरेलू और 1 अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन सम्मेलन में भाग लिया।

iv) कंपनी ने भी मार्च 2017 में निवेशकों के लिए दो दिवसीय संयंत्र दौरे (औरैया कांग्रेस स्टेशन और पाता संयंत्र) का भी आयोजन किया। निवेशकों ने प्रबंधन से बातचीत की जिसमें पेट्रोकेमिकल संयंत्र से संबंधित अधिकांश प्रश्नों के संतोषजनक ढंग से उत्तर दिए गए।

इन सभी बैठकों/सम्मेलनों में साइट कार्यालयों से कार्यपालकों के अलावा वित्त, विपणन, व्यवसाय विकास और परियोजनाओं के शीर्ष प्रबंधन/वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के बोर्ड ने निम्नलिखित की मंजूरी दी है:

- इनसाइडर (इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता) द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता; और
- उचित प्रकटीकरण और आचार संहिता – अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के उचित प्रकटीकरण की प्रक्रिया और पद्धति (उचित प्रकटीकरण के सिद्धांत)

निवेशक प्रस्तुति (प्रस्तुतीकरणों) को आपकी कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाता है और इसकी सूचना शेयर बाजारों को भी दी जाती है।

आपकी कंपनी अपने निवेशकों और विश्लेषकों को सही समय और सही लोगों के बारे में सूचना का खुलासा करके विश्व स्तरीय निवेशक संबंध सेवाएं प्रदान करती रहेगी। उपर्युक्त को देखते हुए, कंपनी की वेबसाइट के निवेशक जोन खंड की समीक्षा की गई है और इसे सूचनापरक और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए अद्यतन किया गया है क्योंकि आपकी कंपनी हितधारकों और पूंजी बाजार सहभागियों (शेयरधारकों, निवेशकों, और प्रतिभूति विश्लेषकों सहित) को सही सूचना का प्रसार करने की नीति का पालन करती है।

मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी का औद्योगिक संबंध माहौल सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक बने रहे। किसी प्रकार के औद्योगिक संघर्ष/अशांति के कारण कोई मानव दिवस या मानव घंटों का नुकसान नहीं हुआ।

निरंतर बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रखने के कंपनी के प्रयास के रूप में, संगठनात्मक कार्यनीति के साथ जुड़ने के लिए मानव संसाधन कार्यनीतियों और नीतियों की समीक्षा सतत आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए कर्मचारियों को मुआवजा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामान्य सेवा निबंधन और शर्तें, भर्ती, पदोन्नति पर विभिन्न मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा अपनी कंपनी को एक पसंदीदा नियोजक के रूप में बनाए रखने के लिए की गई।

पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण/अक्षय ऊर्जा का विकास/विदेशी मुद्रा संरक्षण

आपकी कंपनी द्वारा संचालित प्राकृतिक गैस और एलपीजी पाइपलाइनों ने सड़कों पर टैंकर यातायात को कम करके काफी हद तक पर्यावरण को सुरक्षित करने और एक बेहतर वातावरण बनाने में अतुलनीय योगदान दिया है तथा सुरक्षा के उच्च मानकों को भी प्रोत्साहित किया है।

• जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन

आपकी कंपनी के प्रचालनों में जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे अपशिष्ट पानी का उपचार करना कठिन हो जाता है। प्राकृतिक गैस से भारी हाइड्रोकार्बन को प्रशीतन और संघनन तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है। एलपीजी और प्रोपेन की रिकवरी के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस है, जो पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्त होती है। रिकवरी के बाद, इसे पाइपलाइन के माध्यम से डाउनस्ट्रीम ग्राहकों को भेजा जाता है। प्रतिष्ठानों से संबंधित अपशिष्ट फ्लोर वॉश, ठंडे पानी को बहाना और गंदा पानी होता है। गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों में प्रोसेस से उत्पन्न बहिःस्राव का उपचार करने के लिए एक बहिःस्राव उपचार संयंत्र होता है। परिसर के बाहर कोई बहिःस्राव जल नहीं छोड़ा जाता। उपचारित बहिःस्राव जल को रिसाइकिल करके संयंत्र और टाउनशिप परिसर के अंदर ही बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

आपकी कंपनी पानी को बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन मानती है और इसलिए इसकी खपत की बारीकी से निगरानी की जाती है और नियंत्रित किया जाता है। अपशिष्ट जल सृजन को कम करने और उसका उपचार करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। आपकी कंपनी पुनः उपयोग और पानी की पुनरावृत्ति की अवधारणा को अधिकतम करती है। सभी स्थानों पर डिस्चार्ज का संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के अनुरूप पालन किया जाता है।

• वायु गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी सबसे स्वच्छ उपलब्ध ईंधन अर्थात् सल्फर मुक्त प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करती है। चूंकि आपकी कंपनी प्राकृतिक गैस का उपयोग अपने फीडस्टॉक और ईंधन आवश्यकता के रूप में करती है, अतः प्रदूषण के स्तर को लगातार राष्ट्रीय निर्धारित मानदंडों के स्तर से काफी कम पर बनाए रखा जाता है। प्रदूषकों को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त स्टैक ऊंचाई उपलब्ध कराई गई है। सभी भट्टियों में न्यून एनओएक्स बर्नरों का प्रयोग किया जाता है। वेपर रिटर्न सर्किटों के साथ लोडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसी भी गैस रिसाव का तुरंत पता लगाने के लिए गैस डिटेक्टर लगाए गए हैं।

पाता में आपके पेट्रोकेमिकल परिसर में व्याप्त हवा और परिवेशी वायु की निगरानी करने की सुविधा है। अत्याधुनिक स्थायी परिवेश वायु निगरानी स्टेशन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोआक्साइड और शोर के स्तर पर वास्तविक समय आधार पर मापते हैं।

• टोस अपशिष्ट प्रबंधन

आपकी कंपनी अपशिष्ट के प्रकार को खतरनाक और गैर-खतरनाक आधार पर कुशलता से पृथक करके उसका उपचार और निपटान करती है।

• हरित पट्टी और जैव विविधता

अपनी कंपनी के सभी प्रतिष्ठान अपनी संबंधित कार्यस्थलों में कम से कम एक तिहाई क्षेत्र में व्यापक वनीकरण और हरित पट्टी को बनाए रखते हैं। आपकी कंपनी अपने विविध व्यापार खंड के साथ-साथ पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी अपने परिसर में मौजूद हरे-भरे सथान का मूल्य समझती है, और आम दर्शकों के लिए वनस्पतियों और प्राणियों के विशिष्ट पहलुओं का मूल्य समझती है। जैव विविधता का आकलन और प्रलेखन इसके संरक्षण की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसे ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने प्रत्येक स्थापना में वनस्पतियों और प्राणियों की 150-200 से अधिक प्रजातियों को शामिल करते हुए पांच प्रमुख प्रोसेस संयंत्रों और दामोल-बंगलुरु पाइपलाइन स्थापना में मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है।

• पर्यावरण निगरानी और लेखा परीक्षा

आपकी कंपनी एक आंतरिक टीम के माध्यम से और स्वतंत्र तृतीय पक्षकार एजेंसियों के माध्यम से नियमित आधार पर पर्यावरण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए पर्यावरणीय मानकों की निगरानी करती है। पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए अद्यतन और अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। निगरानी नियमित रूप से की जाती है और रिपोर्ट संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजी जाती है। जल और अपशिष्ट जल के नमूनों का आंतरिक प्रयोगशाला के साथ-साथ नियमित आधार पर बाहरी प्रयोगशालाओं में भी विश्लेषण किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेस संयंत्रों की लेखा परीक्षा भी की जाती है।

सततता चार्टर

एक जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी स्थिरता चार्टर का विकास करने की दिशा में कार्य कर रही है। चार्टर कॉर्पोरेट को डीएनए में पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का पालन करने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थिरता और जलवायु कार्रवाई के लिए एक नेतृत्व मंच स्थापित करना है। यह चार्टर आपकी कंपनी के भावी उद्देश्यों के लिए मार्गदर्शक शक्ति होगा और परिकल्पित अपेक्षाओं को पूरा करने में एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगा।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी के विजन के अनुसार, सीएसआर पहलें, समाज/समुदाय, जिसमें यह प्रचालन करती है, में अपनी सेवाओं, आचरण और पहलों के माध्यम से, सामाजिक कल्याण में सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मूल्य सृजन की वृद्धि पर जोर देती हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपकी कंपनी ने अति सक्रिय रूप से संबंधित सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के 3.03% का वर्धित व्यय किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

आपकी कंपनी ने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर देश के शीर्ष 10 विरासत और प्रतिष्ठित स्थलों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की 'स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल' के अंतर्गत ताज महल, आगरा को अंगीकार किया है। आपकी कंपनी जिला प्रशासन और नगर निगम, आगरा की भागीदारी से ताजमहल के आसपास सफाई में सुधार करने के लिए विभिन्न पहलों में सहयोग दे रही है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी में एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। कंपनी में व्यावसायिक इकाइयों और सेवा संस्थाओं के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित संगठनात्मक संरचना, मैनुअल और संचालन प्रक्रियाएँ हैं जो इसके कारोबार का व्यवस्थित, नीतिपरक और कुशल संचालन सुनिश्चित करती हैं।

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्षता, विश्वसनीयता, लेखा अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंधन सूचना की समय पर तैयारी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, यह सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन, अनुकूलतम उपयोग और कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जिसमें लेखा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से पेशेवर योग्य व्यक्ति शामिल हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को रिपोर्ट करता है तथा प्रशासनिक रूप से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। यह रिपोर्टिंग व्यवस्था विश्व की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है जैसे आंतरिक लेखा परीक्षा, जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा, संगठन का जोखिम प्रबंधन, व्यापार प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण लेखा-परीक्षा। लेखा-परीक्षा कार्यों को लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति नियमित रूप से आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग और सीएजी लेखा-परीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

आपकी कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को आश्वस्त करने के लिए एक सलाहकार के माध्यम से एक कार्य भी शुरू किया है। सलाहकार ने आईएफसी अनुपालन अध्ययन किया है तथा अनेक प्रक्रियाओं और विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के आरसीएम के लिए जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आर सी एम) भी बनाया है।

चेतावनी कथन

निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा विश्लेषण में दिए गए विवरण, कंपनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपणों और अनुमानों, प्रत्याशाओं, पूर्वानुमानों इत्यादि का उल्लेख करते हुए, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में "भावी कथन" हो सकते हैं। यहां उल्लिखित भावी कथन कुछ जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं जिनके कारण वास्तविक परिणाम भावी कथनों में प्रतिबिंबित परिणामों से वास्तविक रूप से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम, कार्यनिष्पादन या उपलब्धियां व्यक्त की गई या निहित, आर्थिक परिस्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों जैसे न्यूनीकरण और औद्योगिक संबंध से वास्तविक रूप से भिन्न हो सकती हैं। पाठकों को भावी कथनों पर अनावश्यक रूप से दोषारोपण न करने के लिए सचेत किया जाता है।



निगमित नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

अनुलग्नक-ख

1. शासन संहिता पर कंपनी का सिद्धांत

आपकी कंपनी भारत में ऐसी कंपनियों में से एक है जिसका नियंत्रण ढांचा सुदृढ़ है, वह अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए व्यापार के नैतिक और जिम्मेदार संचालन के उच्चतम मानकों का पालन करती है। यह प्रभावी निगमित नियंत्रण प्रथाओं को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है जिस पर सफल वाणिज्यिक उद्यमों को अंत तक बनाए रखा जाता है।

निगमित नियंत्रण पर कंपनी का सिद्धांत व्यापार कार्यनीतियों पर निगरानी रखता है और विनियामकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज को शामिल करते हुए सभी हितधारकों के लिए वित्तीय जवाबदेही, नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। सुदृढ़ नेतृत्व और प्रभावी निगमित नियंत्रण प्रथाएं कंपनी का आधार हैं जो उसे संस्कृति और लोकाचार से विरासत में मिली हैं। कंपनी की निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक नियंत्रण प्रथाओं की एक सुदृढ़ विरासत है।

निगमित नियंत्रण सिर्फ कानूनी दायित्व ही नहीं बल्कि यह अधिक व्यावसायिक जीवन जीने का एक तरीका है। सुदृढ़ नियंत्रण सिद्धांतों का पालन करने की प्रतिबद्धता में, आपकी कंपनी का बोर्ड लगातार कंपनी के दृष्टिकोण और मिशन के लक्ष्य निर्धारित करता है और कंपनी के विज्ञान और मिशन के साथ लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करता है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को एसोचौम द्वारा सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत निगमित नियंत्रण शिखर सम्मेलन सह उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था।

2. निदेशक मंडल

i. विचारार्थ विषय

सुदृढ़ निगमित नियंत्रण ढांचे के अनुसार, सभी सांविधिक, महत्वपूर्ण और सामग्रीगत सूचना, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण

बाध्यताएं और विगोपन अपेक्षाओं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 के रूप में शामिल है, कंपनी अधिनियम, 2013, लोक उद्यम विभाग (निगमित नियंत्रण के लिए डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा सीपीएसई के लिए जारी निगमित नियंत्रण दिशानिर्देशों आदि को समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ii. संयोजन

आपकी कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी के अंतर्नियम में यह निर्धारित है कि निदेशकों की संख्या 3 से कम तथा 20 से अधिक नहीं होगी।

निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) और गैर-कार्यकारी निदेशक का संयोजन है। 31 मार्च, 2017 को, निदेशक मंडल में 11 निदेशक थे जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 4 कार्यात्मक निदेशक थे, 7 गैर-कार्यात्मक निदेशक (सरकार द्वारा नामित 2 अंशकालिक तथा गैर-सरकारी 5 अंशकालिक निदेशक) थे।

आपकी कंपनी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकता को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन कर ही है। इसे अलावा, आपकी कंपनी के बोर्ड में 31.01.2017 से 17.03.2017 तक की अवधि के दौरान एक महिला निदेशक थी।

आपकी कंपनी बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष मामले को उठा रही है। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड की संरचना में सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 का पालन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, उपस्थिति का विवरण, अन्य निदेशकों की संख्या और प्रत्येक निदेशालय की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम और पदनाम	कार्यकाल के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित निदेशकता	अन्य कंपनियों में समिति की सदस्यता	अन्य कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता
I. कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक)					
श्री बी. सी. त्रिपाठी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	18	हाँ	सार्वजनिक: 02 निजी: शून्य	शून्य	शून्य
डॉ आशुतोष कर्नाटक निदेशक (परियोजना)	17	हाँ	सार्वजनिक: 02 निजी: शून्य	02	शून्य
श्री सुबीर पुरकायस्थ निदेशक (वित्त) और सीएफओ	18	हाँ	सार्वजनिक: 04 निजी: शून्य	शून्य	02
श्री पी. के. गुप्ता निदेशक (मानव संसाधन) (01.02.2017 से)	03	लागू नहीं	सार्वजनिक: 01 निजी: शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम. रविन्द्रन निदेशक (मानव संसाधन) (31.01.2017 तक)	15	हाँ	सार्वजनिक: 03 निजी: 02	शून्य	शून्य
II. गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार नामित)					
श्री अनंत कुमार सिंह	10	नहीं	सार्वजनिक: 02 निजी: शून्य	शून्य	शून्य
श्री आशुतोष जिंदल (23.12.2016 तक)	06	नहीं	सार्वजनिक: 01 निजी: शून्य	शून्य	शून्य
श्री आशीष चटर्जी (23.12.2016 से)	03	लागू नहीं	सार्वजनिक: 01 निजी: शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम और पदनाम	कार्यकाल के दौरान बोर्ड में भाग ली गई बैठकों की संख्या	पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में धारित निदेशकता	अन्य कंपनियों में समिति की सदस्यता	अन्य कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता
III. गैर-कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र)					
श्री एस.के. श्रीवास्तव	18	हाँ	सार्वजनिक: 01 निजी: शून्य	01	शून्य
श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ	17	हाँ	सार्वजनिक: शून्य निजी: शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय टंडन	15	नहीं	सार्वजनिक: 01 निजी: 02	01	शून्य
श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव (31.01.2017 से)	03	लागू नहीं	सार्वजनिक: 01 निजी: शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. अनूप कुमार पुजारी (31.01.2017 से)	03	लागू नहीं	सार्वजनिक: शून्य निजी: शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अनुपमा जायसवाल (31.01.2017 से 18.03.2017 तक)	01	लागू नहीं	सार्वजनिक: शून्य निजी: शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

- 32वीं वार्षिक आम बैठक 23.09.2016 को आयोजित की गई थी।
- संबंधित निदेशक(कों) से प्राप्त प्रकटन के आधार पर:
 - निदेशक परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और अन्य रूप से भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति है। स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।
 - निदेशक मंडल का कोई निदेशक उन सभी कंपनियों, जिनमें वह निदेशक है, में 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य अथवा 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। सदस्यता/अध्यक्षता की गणना लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति को ध्यान में रख कर की गई है।
 - किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं हैं।
 - किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के साथ वित्तीय संबंध या लेनदेन नहीं किया है।
- विदेशी कंपनियों में निदेशकता भी शामिल है।

iii. बैठक विवरण

2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की 18 (अठारह) बैठकें – वर्ष 2016 में 12 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 मई, 3 जून, 27 जून, 12 अगस्त, 26 अगस्त, 07 सितंबर, 22 सितंबर, 4 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 15 नवम्बर और वर्ष 2017 में 25 जनवरी, 31 जनवरी, 10 फरवरी, 1 मार्च और 24 मार्च को आयोजित की गई।

iv. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुसार 5 दिसंबर, 2016 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग से एक बैठक आयोजित की गई।

v. बोर्ड में शामिल करना और प्रशिक्षण

नियुक्ति पर, नवनियुक्त निदेशकों को स्वागत किट प्रदान की जाती है जिसमें उनकी कानूनी एवं विनियामक दायित्वों के बारे में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और आवश्यक जानकारी का विवरण होता है। नव नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को आपकी कंपनी के व्यवसाय और इसके कार्यकलापों पर एक उन्मुखीकरण प्रस्तुति दी गई।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण नीति भी बनाई है। आपकी कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर लोक उद्यम विभाग, स्कोप तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित

किए जाने वाले निगमित नियंत्रण, निदेशकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां तथा अन्य उद्योग संबंधी मामलों के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों के प्रशिक्षण/परिचय कार्यक्रमों के विवरण कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/pdf/Familiarization_Training_ID.pdf पर उपलब्ध हैं।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल की समितियां कंपनी के नियंत्रण विन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा इनका गठन उन विशेष क्षेत्रों/गतिविधियों को सुलझाने के लिए किया जाता है जो कंपनी से संबंध रखती हैं और जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। निदेशक मंडल विभिन्न समितियों के विचारार्थ विषयों के संदर्भों की संरचना, नामांकन, सहयोजन और निर्धारण करता है। समितियों के सभी निर्णयों और संस्तुतियों को सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदित कार्यवृत्त समिति के सदस्यों तथा निर्णय के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों/समूहों के बीच भी परिचालित किए जाते हैं। समिति के कार्यवृत्तों को सदस्यों की पुष्टि के लिए समिति की आगामी बैठक और की गई कार्रवाई की सूचना के लिए निदेशक मंडल की बैठक में भी रखा जाता है। कृत कार्रवाई रिपोर्ट जिस पर कार्रवाई की रिपोर्ट समिति(यों) को सूचित की जानी है, भी समिति को समय-समय पर प्रस्तुत की जाती है।

वर्तमान में, बोर्ड की 12 समितियां हैं जिनमें सांविधिक समितियां अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, स्टेकधारक संबंध समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और निगमित सामाजिक दायित्व समिति शामिल हैं। बोर्ड की अन्य समितियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

क. लेखापरीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों और समय-समय पर कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार होते हैं। अन्य बातों के अलावा, इसमें वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षकों के लिए फीस के निर्धारण की सिफारिश, प्रदत्त की गई किसी अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए लेखापरीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति, वार्षिक और तिमाही वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना, सांविधिक/आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता की समीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ



विचार-विमर्श, आंतरिक जांचों के परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श, व्हिसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा, पार्टियों के संबंध में कंपनी के लेनदेनों की स्वीकृति या कोई बाद का संशोधन, अंतः कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा, कंपनी के वचनबंधों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां आवश्यक हो, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन शामिल होते हैं। इसके अलावा, यह कंपनी की आचार संहिता के सभी पहलुओं को देखती है।

ii. संरचना

31 मार्च, 2017 को लेखापरीक्षा समिति में श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ अध्यक्ष के रूप में, श्री पी.के. गुप्ता, श्री एस.के. श्रीवास्तव और श्री संजय टंडन सदस्यों के रूप में शामिल थे। समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय मामलों में वांछित अनुभव प्राप्त है।

निदेशक (वित्त), सांविधिक लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख लेखापरीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित हैं। अन्य कार्यात्मक निदेशक और वरिष्ठ कार्यात्मक कार्यपालक भी जब आवश्यकता हो तब समिति को आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। समिति लेखांकन प्रथाओं, नीतियों के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ संयुक्त रूप से तथा बाद में कंपनी के साथ लेखापरीक्षा-उपरांत विचार-विमर्श करती है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर कार्य करते हैं।

वर्ष के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश(शों) को स्वीकार नहीं किया गया।

iii. बैठक विवरण

2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 13 (तेरह) बैठकें, वर्ष 2016 में 26 अप्रैल, 10 मई, 25 मई, 11 जून, 13 जुलाई, 7 सितंबर, 4 अक्टूबर, 15 नवम्बर, 5 दिसंबर को तथा वर्ष 2017 में 17 जनवरी, 10 फरवरी, 1 मार्च और 24 मार्च को आयोजित की गईं। बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

क्रं सं.	सदस्य	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ	13	13
2.	श्री एम रविन्द्रन (31.01.2017 तक)	10	09
3.	श्री पी.के. गुप्ता (01.02.2017 से)	03	03
4.	श्री एस के श्रीवास्तव	13	13
5.	श्री संजय टंडन	13	13

iv. जोखिम प्रबंधन

एक टोस जोखिम प्रबंधन ढांचा आपकी कंपनी की व्यापार नीति और संचालन का समर्थन करता है। जोखिम प्रबंधन विन्यास को व्यापार विस्तार और हितों से उत्पन्न होने वाले नए जोखिमों के लिए निरन्तर अद्यतन किया जाता है।

जोखिमों का मूल्यांकन, मात्रा और प्राथमिकता निर्धारण किया जाता है तथा इनमें कमी लाने की योजनाओं की विभिन्न चरणों पर समीक्षा और मॉनिटर किया जाता है। जोखिम प्रबंधन समिति, लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं की समीक्षा एवं निगरानी की जाती है। जोखिम प्रबंधन ढांचे की विस्तृत चर्चा निदेशक मंडल की रिपोर्ट के प्रबंधन और विचार-विमर्श विश्लेषण खंड में की गई है। सभी कार्यात्मक निदेशकों, कोषाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी जोखिम

प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं। निदेशक (विपणन) जोखिम प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है।

v. सतर्कता तंत्र - व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम संबंधी नीति

नीति आपकी कंपनी ने 'व्हिसल ब्लोअर नीति' क्रियान्वित की है जिसमें कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को किसी कर्मचारी द्वारा कानूनों, नियमों, विनियमों या आचार संहिता के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी अनुचित कार्रवाई की रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग व्हिसल ब्लोअर से प्राप्त रिपोर्ट की छानबीन करने और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत है।

नीति के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष असाधारण मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने के लिए प्राधिकृत हैं। इसके अलावा, व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत किसी शिकायत की जांच करते समय, शिकायत की विषय वस्तु को छोड़ कर शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले की पहचान को जांच करने के लिए नामित एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी प्रकट नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने, पता लगाने और उसके शीघ्र निपटान के लिए धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई है। अपनाई जाने वाली प्रणाली को सभी स्तरों पर उचित रूप से सूचित किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/pdf/others/Drfat_Policy2012.pdf पर प्रदर्शित किया गया है।

लेखापरीक्षा समिति व्हिसल ब्लोअर तंत्र के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों तथा धोखाधड़ी की स्थिति की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है। समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान व्हिसल ब्लोअर तंत्र तथा धोखाधड़ी निवारण नीति के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

ख. पणधारक संबंध समिति

i. विचारार्थ विषय

समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों तथा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) से संबंधित मामलों पर ध्यान देना सम्मिलित है। इसके अलावा, समिति डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने को भी स्वीकृति देगी।

हितधारकों की संबंध समिति की भूमिका समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार है।

ii. संयोजन

31 मार्च, 2017 को स्टेकधारक संबंध समिति में श्री संजय टंडन अध्यक्ष के रूप में, डॉ. आशुतोष कर्नाटक और श्री पी.के. गुप्ता सदस्यों के रूप में शामिल थे। कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी के तौर पर कार्य करते हैं।

iii. बैठक और अन्य विवरण

2016-17 के दौरान समिति की बैठक 6 फरवरी, 2017 को आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया।

सेबी/स्टॉक एक्सचेंज/एमसीए/डिपॉजिटरियों/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के द्वारा प्राप्त शेयरधारकों के पत्रों को शिकायत के रूप में माना जाता है। शेयरधारकों से प्राप्त दिन-प्रतिदिन के अनुरोधों पर एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, आर एंड टीए द्वारा सीधे कार्रवाई की जाती है तथा इन्हें शिकायतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। संबंधित तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों तथा समाधान की गई शिकायतों की स्थिति लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारकों/सेबी से 19 शिकायतें सेबी/स्टॉक एक्सचेंज और अन्य वैधानिक निकायों के माध्यम से प्राप्त हुईं, जो कि लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि की प्राप्त न होने से संबंधित थीं और सभी 19 शिकायतों का समाधान हो गया था।

कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं कि शेयरधारकों से संबंधित मामलों/विषयों को उचित प्राथमिकता प्रदान की जाए तथा आर एंड टी द्वारा उन्हें एक उचित समयावधि के भीतर निपटाया जाए।

सदस्य(यों) को अपने अनुरोध, यदि कोई हैं, पंजीकृत कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए आर एंड टी/कंपनी की नामित ईमेल पता admin@mcsregistrars.com और shareholders@gail.co.in हैं। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट www.gailonline.com 'निवेशक क्षेत्र' पर शेयरधारकों की जागरूकता के लिए एक समर्पित खंड है जिसमें वार्षिक रिपोर्टें, वित्तीय सूचनाएं, शेयरधारिता पैटर्न, लाभांश घोषणा, निवेशक की शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) स्थानांतरण, अदत्त लाभांशों आदि के बारे में नवीनतम घटनाक्रमों और अद्यतन जानकारी दी गई है।

ग. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए पूर्ण-कालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंश-कालिक निदेशक(कों) (सरकारी नामितियों) को कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होता है। इसके अलावा, अंश-कालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को उनके आकस्मिक खर्चों के अतिरिक्त निदेशक मंडल एवं समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए क्रमशः रुपये 40,000/- और रुपये 30,000/- का भुगतान सिटिंग फीस के तौर पर किया जा रहा है।

i. विचारार्थ विषय

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं:-

- क. कर्मचारियों को निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) पूल और पीआरपी के वितरण की नीति पर विचार करना और निर्णय लेना।
- ख. निदेशक मंडल द्वारा विचार करने से पूर्व पीआरपी के अलावा वेतन और परिलब्धियों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना।
- ग. अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं तथा निदेशक की स्वतंत्रता के लिए मानदंडों को निर्धारित करना तथा निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कार्मिकों के पारिश्रमिक के संबंध में नीति को निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना। स्वतंत्र निदेशकों तथा बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंडों को निर्धारित करना तथा निदेशक मंडल की विविधता पर निदेशक मंडल द्वारा एक नीति तैयार

करना, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने की योग्यता रखते हैं तथा जो निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकते हैं तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी की सिफारिश करना।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015; कंपनी अधिनियम, 2013 तथा निगमित नियंत्रण संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

ii. निदेशक मंडल का निष्पादन मूल्यांकन

आपकी कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और इसलिए उनका मूल्यांकन भी नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों का पालन करने से छूट प्राप्त है। तथापि, अनुसूची IV (खंड VIII) के साथ पठित धारा 149(8) के अंतर्गत निष्पादन मूल्यांकन की भी आवश्यकता है, जिसे उपरोक्त अधिसूचना के मद्देनजर अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, बोर्ड अपने स्वयं के निष्पादन बोर्ड के मूल्यांकन के लिए एक नीति तैयार कर रहा है।

iii. संयोजन

31 मार्च, 2017 को कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में श्री संजय टंडन अध्यक्ष के रूप में, श्री एस.के. श्रीवास्तव और श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ सदस्य(यों) के रूप में शामिल थे। निदेशक (वित्त) और निदेशक (मानव संसाधन) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित हैं।

iv. बैठक और अन्य विवरण

2016-17 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक 23 जून, 2016 और 22 सितंबर, 2016 को आयोजित की गई। बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

v. निदेशकों को पारिश्रमिक

2016-17 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

क्रं. सं.	निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ते	पीएफ में अंशदान	अन्य लाभ और परिलब्धियां	निष्पादन से संबंधित भुगतान	कुल*
1.	श्री बी.सी. त्रिपाठी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	35.07	6.96	8.12	8.03	58.18
2	डा. आशुतोष कर्नाटक निदेशक (परियोजना)	30.92	5.93	12.56	5.34	54.75
3	श्री सुबीर पुरकायरथ निदेशक (वित्त)	41.60	5.89	6.72	5.07	59.28
4	श्री पी.के.गुप्ता निदेशक (मानव संसाधन)(01.02.2017 से)	5.31	0.96	1.89	0.49	8.65
5	श्री एम. रविन्द्रन निदेशक (मानव संसाधन)(31.01.2017 तक)	64.63	5.09	6.55	5.52	81.79

*अवधि के दौरान भुगतान की गई सेल्फ लीज़ की राशि शामिल है

पूर्ण-कालिक निदेशकों को किए गए भुगतानों में एएस-19 के अनुसार अवकाश, उपदान और सेवानिवृत्ति के उपरांत के लाभ के प्रावधान सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि इनका निर्धारण व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए नहीं किया गया था (वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण की नोट सं. 45 का संदर्भ लें)। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कोई स्टॉक-विकल्प योजना प्रारम्भ नहीं की है।

पूर्ण-कालिक निदेशकों का सेवा अनुबंध पांच साल अथवा सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए है। सेवा छोड़ने की स्थिति में इसके एवज में तीन महीने की नोटिस अवधि अथवा वेतन जरूरी है। अंश-कालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को भारत सरकार द्वारा प्रायः तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अंश-कालिक निदेशक (सरकारी नामिति) जो भारत सरकार के



प्रशासनिक मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें सह-टर्मिनस आधार अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक मंडल में उनके सम्मिलित होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

2016-17 के दौरान अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को भुगतान की गई सिटिंग फीस, जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी द्वारा रिवर्स चार्ज तंत्र द्वारा भुगतान किए गए सेवा प्रभार सम्मिलित नहीं हैं, के विवरण नीचे दिए गए हैं –

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशक(कों) का नाम	भाग ली गई बोर्ड की बैठकों की संख्या	भाग ली गई समितियों की बैठकों की संख्या	राशि (लाख ₹ में)
1.	श्री एस.के. श्रीवास्तव	18	34	17.40
2.	श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ	17	32	16.40
3.	श्री संजय टंडन	15	21	12.30
4.	श्री दिनकर पी श्रीवास्तव	03	अनुपलब्ध	1.20
5.	डॉ. अनूप के पुजारी	03	अनुपलब्ध	1.20
6.	श्रीमती अनुपमा जायसवाल	01	अनुपलब्ध	0.40

vi. निदेशक द्वारा धारित इक्विटी शेयर

नीचे उल्लेख किए गए को छोड़कर, कंपनी के किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के नामों पर कंपनी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कंपनी में कोई भी इक्विटी शेयर नहीं हैं:

क्र. सं.	निदेशक(कों) का नाम	धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2017 को)
1.	श्री पी.के. गुप्ता	400

घ. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

i. विचारार्थ विषय

इस समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के अलावा सीएसआर नीति तैयार करना तथा निदेशक मंडल को इसकी संस्तुति करना, समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति पर होने वाले व्यय की राशि की संस्तुति करना तथा इसकी निगरानी करना तथा निदेशक मंडल द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारी को पूरा करना।

वित्तीय वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
एजीएम	30 th	31 st	32 nd
तिथि एवं समय	17.09.2014 को प्रातः 10:30 बजे	16.09.2015 को प्रातः 10:30 बजे	23.09.2016 को प्रातः 10:30 बजे
स्थान	मानेकशॉ सेन्टर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010	मानेकशॉ सेन्टर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010	मानेकशॉ सेन्टर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली-110010
पारित विशेष प्रस्ताव	अगली एजीएम के सम्पन्न होने तक 2000 करोड़ रुपए तथा 750 मिलियन यूएसडी तक के रक्षित/आरक्षित, विमोचन योग्य, कर योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड द्वारा निजी प्लेसमेंट आधार पर एक या अधिक हिस्सों में, आईएनआर ऋण लेना।	अगली एजीएम के सम्पन्न होने तक 2500 करोड़ रुपए तथा 750 मिलियन यूएसडी तक के रक्षित/आरक्षित, विमोचन योग्य, कर योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड, निजी प्लेसमेंट आधार पर एक या अधिक हिस्सों में, के आईएनआर ऋण लेना।	अगली एजीएम के सम्पन्न होने तक 2500 करोड़ रुपए तक के रक्षित/आरक्षित, विमोचन योग्य, कर योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड, द्वारा निजी प्लेसमेंट आधार पर एक या अधिक हिस्सों में, आईएनआर ऋण लेना।
विवरण	2000 करोड़ रुपए तक के रक्षित, कर योग्य, विमोचन, गैर-परिवर्तनीय आईएनआर बांड गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र स्वरूप के और विदेशी करेंसी बांड (रेग एस बांड) के द्वारा 750 मिलियन यूएसडी तक के माध्यम से राशि जुटाने के लिए प्रस्ताव(वों) या आमंत्रण(णों) करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने हेतु कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन प्रदान किया गया।	2500 करोड़ रुपए तक के सुरक्षित, कर योग्य, विमोच्य, गैर-परिवर्तनीय आईएनआर बांड गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र के स्वरूप के और विदेशी करेंसी बांड (रेग एस बांड) के माध्यम से 750 मिलियन यूएसडी तक के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए पेशकश या आमंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन।	2500 करोड़ रुपए तक के सुरक्षित, कर योग्य, विमोच्य, गैर-परिवर्तनीय आईएनआर बांड गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र के स्वरूप के और विदेशी करेंसी बांड (रेग एस बांड) के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए पेशकश या आमंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन।

सीएसआर समिति की भूमिका समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

ii. संयोजन

31 मार्च, 2017 को कंपनी की सीएसआर समिति में श्री बी.सी. त्रिपाठी अध्यक्ष के रूप में, श्री पी.के. गुप्ता, श्री आशीष चटर्जी, श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ और श्री संजय टंडन सदस्यों के रूप में शामिल थे।

iii. बैठक और अन्य विवरण

2016-17 के दौरान सीएसआर समिति की 03 (तीन) बैठकें वर्ष 2016 में 25 मई और 5 अक्टूबर को तथा वर्ष 2017 में 24 मार्च, 2017 को आयोजित की गई, बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार रही:

क्र. सं.	सदस्य	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री बी. सी. त्रिपाठी	3	3
2.	श्री एम. रविन्द्रन (31.01.2017 तक)	2	2
3.	श्री पी.के. गुप्ता (01.02.2017 से)	1	1
4.	श्री आशुतोष जिंदल (23.12.2016 तक)	2	1
5.	श्री आशीष चटर्जी (23.12.2016 से)	1	0
6.	श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ	3	3
7.	श्री संजय टंडन	3	3

सीएसआर गतिविधियों और उन पर किए गए व्यय का विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट/प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण में दिए गए हैं।

4. वार्षिक आम बैठकें

i. स्थान और समय - पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के स्थान, समय और पारित विशेष संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष 2016-17 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। अपेक्षित आगामी वार्षिक आम बैठक में किसी भी कारोबार में डाक मतपत्र के माध्यम से संकल्प पारित करने के लिए लेनदेन करने का प्रस्ताव नहीं है।

ii. डाक मतपत्र

वर्ष के दौरान, शेयरधारकों ने 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के लिए साधारण प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, अर्थात् मौजूदा प्रत्येक 10/-रुपए के 3 (तीन) इक्विटी शेयरों के लिए पूर्ण प्रदत्त 10/- रुपए का 1 (एक) बोनस शेयर जारी करना।

तदनुसार, बोनस शेयर रिकार्ड तारीख अर्थात् दिनांक 11.03.2017 को पात्र शेयरधारकों को आवंटित किए गए थे। चूंकि बोनस शेयर 1:3 के अनुपात में जारी किए गए थे, अतः कुछ शेयरधारक थे जिनकी पात्रता विभाजित रूप में आई तथा इस तरह के विभाजित शेयरों को समेकित किया गया और खुले बाजार में बेच दिया गया था। संबंधित शेयरधारकों के बीच की लागत और व्यय का समायोजन करने के बाद बिक्री आय संबंधित शेयरधारकों के बीच वितरित की गई थी।

5. संचार के साधन

वित्तीय निष्पादन पर संबंधित एवं विश्वसनीय सूचना का समय पर प्रकटन अच्छी गवर्नेंस का मूल मंत्र है। इसके लिए उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं:

- तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम:** कंपनी के लेखापरीक्षा न किए गए तिमाही परिणाम और लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम संबंधित तिमाही की समाप्ति के अंत में घोषित कर दिए जाते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के वित्तीय परिणामों को अधिकाधिक शेयरधारकों तक पहुंचाने के लिए इसे नीचे दिए गए अनुसार प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया जिनका परिचालन पूरे देशभर में है:

समाप्त तिमाही परिणामों के प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र		
	इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी)	बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी)	इकोनॉमिक टाइम्स (हिन्दी)
30.06.16	09.09.16		09.09.16
30.09.16	17.11.16		17.11.16
31.12.16	11.02.17	11.02.17	

इसके अलावा, इन्हें कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/financial_result.html पर डाला गया है।

क्र. सं.	घोषित लाभांश	लाभांश के अनुमोदन की तारीख	लाभांश (%)	रिकॉर्ड/बही खाता बंद करने की तारीख	लाभांश भुगतान तिथि
1.	अंतरिम लाभांश	बोर्ड-25.01.2017	85 (₹8.5/- प्रति शेयर)	03.02.2017	06.02.2017
2.	अंतिम लाभांश (प्रस्तावित)	शेयरधारक, यदि आगामी एजीएम में अनुमोदित किया जाता है-12.09.2017	27 (₹2.7/- प्रति शेयर)	02.09.2017 से 12.09.2017	

इसके साथ ही आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 112 प्रतिशत (रुपये 11.2 प्रति इक्विटी शेयर) के कुल लाभांश का प्रस्ताव करती है।

iii. निवेशक शिक्षण और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार, भुगतान की देय तारीख से

- एनईएपीएस (एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम) और बीएसई कार्पोरेट अनुपालन और सूचीयन केंद्र** – एनएसई और बीएसई ने कार्पोरेटों के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित की हैं। एनईएपीएस और बीएसई सूचीयन केंद्रों पर वित्तीय परिणाम, शेयरहोल्डिंग पैटर्न आदि जैसे आवधिक अनुपालन इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किए जाते हैं।

- नए रिलीज़, प्रस्तुति आदि:** सरकारी समाचार/प्रेस विज्ञापितियां और निवेशकों/विश्लेषकों को की गई प्रस्तुति समय-समय पर कंपनी की वेबसाइट पर लगाई जाती हैं तथा इनकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाती है।

- वेबसाइट:** कंपनी की वेबसाइट www.gailonline.com में समर्पित खंड निवेशक जोन है जिसमें शेयरधारकों के लिए वांछित सूचना अद्यतन की जाती है।

- वार्षिक रिपोर्ट:** वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित लेखे, समेकित वित्तीय विवरणियां, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट सदस्यों और इसके लिए अन्य पात्रों के लिए परिचालित की जाती है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है।

- एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली):** सेबी निवेशकों की शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली, अर्थात् एससीओआरईएस में संसाधित करता है। तथापि, इस प्रणाली के द्वारा कोई शेयरधारक कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है, कंपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई इस पर अपलोड करती है जिसे शेयरधारक द्वारा देखा जा सकता है। कंपनी और शेयरधारक सेबी के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

- प्रत्येक वर्ष शेयरधारकों को अदत्त/दावा न किए गए लाभांशों का दावा करने के लिए नियमित अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

- हरित पहल-शेयरधारकों को ई-मेल के जरिए महत्वपूर्ण सूचना देना। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई हरित पहल के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा दस्तावेज भेजने की सेवा के लिए आपकी कंपनी द्वारा पिछले कुछ सालों से विभिन्न सूचनाएं/दस्तावेज, जैसे वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सूचना, एनईसीएस सूचना आदि ऐसे शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजे जा रहे हैं जिन्होंने अपने ईमेल डीपी/आर एंड टीए के पास पंजीकृत कराए हैं।

6. सामान्य शेयरधारक सूचना

- आगामी वार्षिक आम बैठक - तारीख, समय और स्थान**

कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक **मंगलवार, 12 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10.30 बजे मानेकशॉ केंद्र, पैरेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010** में आयोजित की जानी निर्धारित की गई है।

- लाभांश का ब्यौरा:**

2016-17 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लाभांश के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके लिए रिकार्ड तारीख/बुक क्लोजर और लाभांश भुगतान तारीखें निम्न विवरणों के अनुसार निर्धारित की गई हैं:

सात वर्ष की अवधि के लिए दावा न किए गए और भुगतान न किए गए लाभांश खातों को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए आईईपीएफ में उनकी ओर से अंतरित करना जरूरी है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने रुपये 14.29 लाख तथा रुपये 12.32 लाख की राशि आईईपीएफ में अंतरित की जो क्रमशः वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए



दावा/भुगतान न किए गए अंतिम लाभांश तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए अंतरिम लाभांश के लिए थी। अब तक रुपये 2.29 करोड़ की राशि आईईपीएफ में अंतरित की जा चुकी है।

बाद के वित्तीय वर्ष के लिए आईईपीएफ को दावा/भुगतान न किए गए लाभांश अंतरित करने की आगामी देय तारीखें निम्नानुसार हैं :-

वित्त वर्ष	लाभांश का प्रकार	लाभांश (%)	भुगतान न किए गए लाभांश का दावा करने की अंतिम तारीख	आईईपीएफ में अंतरण की निर्धारित तिथि
2009-10	अंतिम	55	21.10.2017	21.11.2017
2010-11	अंतरिम	20	22.01.2018	22.02.2018

आईईपीएफ को दावा/भुगतान न की गई राशियां अंतरित करने के बाद, कंपनी/आर एंड टीए के पास कोई दावा नहीं बचेगा। जिन सदस्यों ने अपने लाभांश वारंटों को अभी तक भुनाया नहीं है वे इन वारंटों के बदले आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मांग ड्राफ्ट जारी कराने के लिए आर एंड टीए/कंपनी के पास जा सकते हैं। परन्तु, जिन शेयरधारकों के अदावाकृत/अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित कर दिए गए हैं, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे दावों के संबंध में रिफंड प्राप्ति के पात्र होंगे।

कंपनी ने आईईपीएफ (अदत्त और अदावाकृत राशियों के संबंध में सूचना अपलोड करना) नियमों, 2012 के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर 32वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख तक दावा या भुगतान न किए गए लाभांशों के संबंध में सूचना अपलोड कर दी है।

इसके अलावा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा-परीक्षा, स्थानांतरण और चुकौती) नियम, 2016 की धारा 124(6) और नियम 6(3)(क) की आवश्यकता के अनुसार सभी शेयर जिनके लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए भुगतान या दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ को स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर उनकी विशिष्ट पत्राचार पोस्टिंग पूरी कर ली है जिनके लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या सात वर्षों तक लगातार दावा नहीं किया गया है। अधिक जानकारी www.gailonline.com/InvestorZone पर उपलब्ध है।

iv. अन्य विवरण

पते/बैंक विवरणों/लाभांश आदेश/ईमेल आईडी में परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिए सदस्य निम्न से संपर्क कर सकते हैं:-

- यदि शेयर आर एंड टीए/कंपनी के पास भौतिक रूप में हैं।
- यदि शेयर अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं। आर एंड टीए/कंपनी इस प्रकार के किसी अनुरोध, यदि कोई है, पर विचार नहीं करेगी।

बैंक खाता विवरण और उनके बैंकर का एमआईसीआर कोड, जैसा उनके डीपी के रिकार्ड में दर्ज है, लाभांश/वारंटों पर प्रिंट करने के लिए अथवा नेशनल ऑटोमेटेड विलियरिंग हाउस, जहां लागू हो, के माध्यम से लाभांश भेजने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लाभांश संबंधी गतिविधियों पर एक विस्तृत संदर्भ टिप्पणी 'निवेशक ज़ोन' के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

v. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों का सूचीकरण

स्टॉक एक्सचेंज और पता	प्रतिभूति कोड	सुरक्षा का प्रकार
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) पहली मंजिल, फिरोज जीजीभाई टॉवर दलाल स्ट्रीट मुंबई-400001	532155	इक्विटी शेयर
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. एक्सचेंज प्लाजा, 5 वीं मंजिल, प्लॉट नं सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	गेल-ईक्यू	इक्विटी शेयर
लंदन स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटरी न्यूज सर्विस डिपार्टमेंट (आरएनसी) 10, पेटरनॉस्टर स्क्वायर लंदन ईसी4एम7एलएस	गेल एल 1 गेल यूएस	जीडीआर

इसके अलावा, कंपनी के अपरिवर्तनीय विमोचन योग्य बॉन्ड-सीरीज 1, (8.80%), बॉन्ड सीरीज-1, 2012 (9.14%) और बॉन्ड सीरीज-1, 2015 (8.30%) एनएसई की थोक ऋण मार्केट (डब्ल्यूडीएम) पर सूचीबद्ध हैं। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसिज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, मुंबई-400001 (दूरभाष नंबर 022-40807000) उपर्युक्त बांड सीरीज के लिए बांड ट्रस्टी हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए आपकी कंपनी के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और बॉन्डों के लिए वार्षिक सूचीबद्धता फीस का भुगतान संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों की मांग पर कर दिया गया है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नेशनल सिक्क्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को वार्षिक कस्टडी फीस का भुगतान भी कर दिया है।



वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी की प्रतिभूतियों को व्यापार करने से नहीं रोका गया था।

vi. बाजार मूल्य आंकड़े:

माह	बाजार मूल्य आंकड़े: वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न									
	बीएसई			एनएसई			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)		बाजार सूचकांक	
	उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	मात्रा (शेयरों की संख्या)	उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	मात्रा (शेयरों की संख्या)	बीएसई	एनएसई	सैंसेक्स	निफ्टी
अप्रैल	376.4	335.25	2,715,456	377	335	715106	60938	60938	26101	7992
मई	394.4	356.9	2,231,093	395	357	8064911	62722	62654	26837	8214
जून	392	361.65	3,035,789	392	362	2113601	65149	65141	27105	8308
जुलाई	403	374.6	3,133,855	403	375	882533	64642	64565	28240	8645
अगस्त	389.85	362.35	2,151,364	390	362	1607971	64963	64929	28532	8728
सितंबर	407.8	359	4,881,812	408	358	1781208	63263	63365	29077	8969
अक्टूबर	450.45	371.35	4,578,573	451	372	87887	73073	73047	28478	8807

माह	बाजार मूल्य आंकड़े: वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न									
	बीएसई			एनएसई			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)		बाजार सूचकांक	
	उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	मात्रा (शेयरों की संख्या)	उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	मात्रा (शेयरों की संख्या)	बीएसई	एनएसई	संसेक्स	निफ्टी
नवंबर	455.7	401.3	4,868,087	456	401	2489595	71847	71838	28030	8670
दिसंबर	444.9	410.9	2,789,090	445	411	2795932	74071	74282	26804	8275
जनवरी	493.8	434.1	6,360,128	494	434	7760191	79018	79178	27980	8673
फरवरी	530.2	463.65	3,202,376	531	434	2127130	87457	87423	29065	8982
मार्च	534.4	366.6	15,227,842	534	367	1561982	63669	63754	29825	9218

टिप्पणी: बोनस शेयर, शेयरधारक डेटा के आधार पर पात्र शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 11 मार्च, 2017 को आवंटित किए गए थे।



vii. शेयर अंतरण प्रणाली

आपकी कंपनी के शेयरों का व्यापार अनिवार्यतः डीमैटीरियलाइज्ड रूप में किया जा रहा है तथा ये भारत में दोनों डिपॉजिटरियों, अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के अंतर्गत व्यापार के लिए उपलब्ध हैं। एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड डिपॉजिटरी इंटरफेस और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट हैं।

शेयर हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए और सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 40(2) के अनुसार, कंपनी ने शेयर हस्तांतरण के अधिकार को शेयर हस्तांतरण समिति को सौंप दिया है जो शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, पुनर्मूल्यांकन आदि पर विचार करती है। केवाईसी मानदंडों के पालन के बाद सभी स्थानांतरण/रिमिट/ट्रांसमिशन अनुरोधों पर आर एंड टीए द्वारा निर्णय लिया जाता है। भौतिक रूप में प्राप्त शेयरों को ठहराव की तिथि से निर्धारित अवधि के भीतर परिवर्तित किया जाता है और उन्हें सभी मामलों में वैध और पूर्ण होने वाले दस्तावेजों के अधीन हस्तांतरित किया जाता है।

viii. शेयरधारिता का वितरण

कंपनी की शेयरधारिता का विवरण दिनांक 31 मार्च, 2017 को निम्नानुसार है:-

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %
1	6027	0.00	6027	3.47
2-10	87278	0.01	15008	8.63
11-50	1523478	0.09	54646	31.43
51-100	2953452	0.17	38574	22.18
101-200	4478924	0.26	29043	16.70

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %
201-750	8577275	0.51	23867	13.73
751-5000	8355068	0.49	5299	3.05
5001-10000	2791609	0.17	388	0.22
10001-15000	1849376	0.11	148	0.09
15001 and above*	1660680713	98.19	875	0.50
कुल	1691303200	100.00	173875	100.00


*इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 920651612 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

ix. 31 मार्च, 2017 को 10 सर्वोच्च शेयरधारक

क्र.सं.	शेयरधारक(कों) का नाम	शेयर	%
1	भारत के राष्ट्रपति	920651612	54.43
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	110445783	6.53
3	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	81679097	4.83
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	40839548	2.41
5	भारतीय जीवन बीमा निगम पीएंडजीएस निधि	30660453	1.81
6	मैथ्यू पेसिफिक टाइगर फंड	29709477	1.76
7	सीपीएसई ईटीएफ	23049125	1.36
8	सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल	19283424	1.14
9	डेटशे बैंक ट्रस्ट अमेरिकास	16345528	0.96
10	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	11890484	.70




x. 31 मार्च, 2017 को शेयरधारिता की रूपरेखा



xi. शेयरों का डीमैटीरियलाइजेशन और नकदी

31 मार्च, 2017 को, आपकी कंपनी में 1,73,875 शेयरधारक थे, जिनमें से 1,72,643 शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में शेयरधारिता थी तथा 1,232 शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में इक्विटी शेयर थे। आपकी कंपनी की इक्विटी शेयर का डीमैट आईएसआईएन आईएनई129ए01019 और कंपनी का कार्पोरेट पहचान नंबर L40200DL1984G01018976 है। जिसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आर्बिट्रि किया गया है।



xii. शेयर पूंजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का समायोजन

एक योग्य प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने राष्ट्रीय सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) और कुल निर्गम और सूचीबद्ध पूंजी वाले कुल शेयर पूंजी के समाधान के लिए त्रैमासिक आधार पर शेयर पूंजी लेखा-परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया। लेखापरीक्षा यह पुष्टि करती है कि कुल जारी/प्रदत्त पूंजी भौतिक रूपों में कुल शेयरों के अनुरूप है और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास कुल डिमैटरीयलाइज्ड शेयर हैं।

xiii. मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हैजिंग गतिविधियां


आपकी कंपनी में प्राकृतिक गैस को आयात करने के लिए मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने हेतु एक अनुमोदित प्राकृतिक गैस मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति है। आपकी कंपनी ने आयातित एलएनजी के मूल्य जोखिम को कम करने के लिए वर्ष के दौरान क्रूड आधारित (दिनांकित ब्रेंट) स्वैप लेनदेन किया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में ब्याज और मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के स्थान पर विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दे दी है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित ब्याज और मुद्रा जोखिम को प्रबंधित किया है।

xiv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कनवर्टिबल प्रलेख

31 मार्च, 2017 को, 16345528 (0.97%) इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 2724255 जीडीआर बकाया थे। एक जीडीआर छः आधारभूत इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीआर को इक्विटी शेयरों में बदलने से कुल इक्विटी पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध जीडीआर का बंद मूल्य बताने वाले जीडीआर का निष्पादन नीचे दिया गया है:



xv. प्रमुख संयंत्र स्थल

आपकी कंपनी के प्रमुख संयंत्र निम्न स्थलों पर स्थित हैं :

- | | |
|--|--|
| यू.पी. पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पाता
पो.ओ. पाता-206241
जिला औरैया (उ.प्र.) | एलपीजी रिकवरी संयंत्र, विजयपुर
गेल कॉम्प्लेक्स
विजयपुर-473112
जिला-गुना (म.प्र.) |
| एलपीजी रिकवरी प्लांट, वाघोडिया
जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट
वाघोडिया-391760
जिला: बड़ौदा (गुजरात) | एलपीजी रिकवरी परियोजना, गंधार गांव रोजा टंकारिया, तालुका आमोद जिला -भरुच-392140 (गुजरात) |

एलपीजी रिकवरी संयंत्र, उसर
पो.ओ. मालयन - 402203
तालुका-अलीबाग
जिला-रायगढ़ (महाराष्ट्र)

xvi. पत्राचार के लिए पता

गेल (इंडिया) लिमिटेड
16, भीकाएजी कामा प्लेस,
आर. के. पुरम,
नई दिल्ली-110066
फोन : 91-11-26172580/26182955
फैक्स नं.: 91-11-26185941
वेबसाइट: www.gailonline.com
ई-मेल: shareholders@gail.co.in

शेयरधारक कंपनी के आरएंडटीए से निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
यूनित : गेल (इंडिया) लिमिटेड
एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेस-1, नई दिल्ली-110020
फोन : 91-11-41406149/50/51/52
फैक्स: 91-11-41709881
वेबसाइट: www.mcsregistrars.com
ई-मेल: admin@mcsregistrars.com

7. प्रकटन

क. कंपनी की नीतियां

- क. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 23 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने संबंधित पार्टी लेन-देन नीति तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/LZ-Policies.html पर उपलब्ध है।
- ख. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए आचार संहिता और अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटन के लिए कार्य संहिता और प्रक्रिया निर्धारित की है जिसका उद्देश्य कंपनी में उनकी हैसियत के कारण उन्हें उपलब्ध होने वाली अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के आधार पर कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों/नामित कर्मचारियों को शेयरों की खरीद और/या बिक्री करने से रोकना है। इस संहिता का प्रयोजन मोटे तौर पर शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना, किसी मूल्य संवेदी सूचना का दुरुपयोग रोकना तथा कंपनी के शेयरों में डीलिंग द्वारा किसी इनसाइडर ट्रेडिंग क्रियाकलाप को रोकना है। इनसाइडर ट्रेडिंग संहिता कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/LZ-Policies.html पर उपलब्ध है।
- ग. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को घटनाओं और सूचनाओं के प्रकटन की आवश्यकता का पता लगाने और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 30 के उप-विनियम (4) के खंड (ii) में यथा निर्धारित घटनाओं और सूचना की मैटीरियलिटी का निर्धारण करने वाले मानदंडों को परिभाषित करने हेतु मैटीरियलिटी निर्धारण और प्रकटन के लिए एक नीति तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/LZ-Policies.html पर उपलब्ध है।

ख. अनुपालन की पुष्टि

- क. वित्तीय विवरण, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह पहला वित्तीय विवरण है, जिसे कंपनी ने इंड-एएस के अनुसार तैयार किया है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए और इसमें शामिल समयावधि के लिए, कंपनी ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (भारतीय जीएएपी) के पैरा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए इंड-एएस के अनुरूप हैं, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार में वर्णित है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी का शुरुआती तुलन-पत्र 1 अप्रैल 2015 को तैयार किया गया था, जो इंड-एएस में परिवर्तित करने की कंपनी की तारीख थी। इस टिप्पणी में कंपनी द्वारा अपने भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों का पुनः उल्लेख करने के लिए किए गए प्रमुख समायोजनों को स्पष्ट किया गया है।
वर्ष के दौरान, ऐसा कोई भौतिक महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं है जिसका स्थूल रूप से कंपनी के हितों के साथ कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता है। संबंधित पार्टी प्रकटन के विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों की टिप्पणी संख्या 48 (अनुलग्नक ख) में दिए गए हैं। सरकारी उद्यम होने के नाते, संबंधित पार्टी लेनदेनों पर इंडएएस-24 के अनुसार सहायक कंपनियों सहित सरकारी उद्यमों के साथ लेनदेनों के संबंध में किसी प्रकार के प्रकटन नहीं किए गए हैं।
- ख. निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की आचार संहिता के साथ अनुपालन की पुष्टि की है।
- ग. आपकी कंपनी ने निगमित नियंत्रण गवर्नंस की रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर निर्धारित फॉर्मेट पर स्टॉक एक्सचेंजों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

- घ. कंपनी के सीईओ और सीएफओ ने अन्य बातों के साथ-साथ सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत यथा आवश्यक वित्तीय विवरणियों की सत्यता, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की पुष्टि कर दी है तथा निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षा समिति को अन्य मामले सत्यापित कर दिए हैं।
- ङ आपकी कंपनी ने ऑनलाइन कानूनी अनुपालन प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित कर दिया है जिसमें आपकी कंपनी पर लागू कानूनों का अनुपालन सम्मिलित होता है। अनुपालन रिपोर्ट तैयार की गई है तथा इसे निदेशक मंडल की समीक्षा के लिए छमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।
- च. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को राष्ट्रपति के कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
- छ. लेखा पुस्तकों में व्यय के किसी मद को डेबिट नहीं किया गया है जिनका प्रयोजन व्यापार या व्ययों का नहीं है या जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय तथा वित्तीय व्यय घटक 2016-17 के लिए कुल व्ययों का क्रमशः 4.12% और 1.08% है जबकि 2015-16 में ये 2.95% और 1.60% थे।
- ग. लंबित मामलों का प्रकटन/अनुपालन न करने के उदाहरण
क. गेल स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों की अपेक्षित संख्या के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकता को छोड़ कर सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	सेबी (एलओडीआर) विनियम के अनुसार निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यकता	कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अपेक्षित	वास्तविक
01.04.2016-30.01.2017	6	4	3
31.01.2017-17.03.2017	6	4	6
18.03.2017-31.03.2017	6	4	5

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल में 31.01.2017 से 17.03.2017 तक एक महिला निदेशक थीं।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची V के भाग ग की अनिवार्य आवश्यकताओं को छोड़कर, अनुसूची-II के भाग ड. में यथा निर्धारित निम्नलिखित विवेकाधीन आवश्यकताओं को निम्न सीमा तक क्रियान्वित कर दिया गया है:-

- कंपनी के प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं जो कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति कंपनी के संगम ज्ञापन के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।
- वित्तीय परिणामों का प्रकाशन बहुत व्यापक तौर पर किया जा रहा है तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जा रहा है।
- कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए इसकी वित्तीय विवरणियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों से कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं हुई है।
- कंपनी में एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो लेखापरीक्षा समिति को कार्यात्मक तौर पर और सीएमडी को प्रशासनिक तौर पर रिपोर्ट करता है।



कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों सहित महिला निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के पास है। भारत सरकार महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले में कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों या निदेशक मंडल अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी को कोई दंड अथवा आलोचना प्राप्त नहीं हुई है;

ख. लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, 2010 तैयार किए हैं। आपकी कंपनी निदेशक मंडल की संरचना को छोड़कर इन दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

8. सहायक कंपनियों - निगरानी ढांचा

आपकी कंपनी अपने प्रतिनिधियों को सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में नामित करती है। इसके अलावा, सहायक कंपनियों के निदेशक मंडलों की बैठकों के कार्यवृत्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 24 के प्रावधानों और निगमित नियंत्रण पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा निम्नानुसार सहायक कंपनियों के निष्पादन की समीक्षा की जाती है:-

- (i) सूचीबद्ध न की गई सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश,
- (ii) सहायक कंपनियों आदि की वित्तीय विवरणियों वाली समेकित वित्तीय विवरणियां,
- (iii) महत्वपूर्ण लेनदेनों की आवधिक विवरणियां और व्यवस्थाएं आपकी कंपनी

की सहायक कंपनियों द्वारा की गई।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 16 के अनुसार, आपकी कंपनी ने 'सामग्री सहायक कंपनी (कंपनियों) के लिए नीति बनाई है। यह कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/IZ-Policies.html पर उपलब्ध है। कंपनी के पास सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के प्रावधानों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर केन्द्रीय लोक उद्यम 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भौतिक असूचीबद्ध सहायक कंपनियां नहीं हैं।

9. अनुपालन प्रमाणपत्र

विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम 2 के खंड (ख) से (i) में निर्धारित निगमित नियंत्रण के साथ अनुपालन का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट के निगमित नियंत्रण पर इस खंड में किया गया है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची V (विनियम 34(3) और 53 (घ) के भाग सी में प्रदत्त शर्तों और निगमित नियंत्रण पर केन्द्रीय लोक उद्यम, 2010 के दिशानिर्देशों के संबंध में जांच की है और आपकी कंपनी के अनुपालन को प्रमाणित किया है। प्रमाणपत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट का भाग हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के लागू प्रावधानों और निगमित नियंत्रण पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों तथा पूंजी बाजार से संबंधित अन्य संबंधित नियमों और विनियमों पर कंपनी सचिव द्वारा अनुपालन की पुष्टि करने वाली सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट का भाग है।

निगमित नियंत्रण पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र अनुलग्नक-ग

गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 और डीपीई (डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा जारी केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित नियंत्रण दिशानिर्देश 2010 में निर्धारित अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') के निगमित नियंत्रण की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित नियंत्रण की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो एक लेखा-परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 और डीपीई में निर्दिष्ट निगमित नियंत्रण की शर्तों का अनुपालन किया है:

क) जैसा कि निगमित नियंत्रण रिपोर्ट के पैरा 2 (ii) में बताया गया है, कंपनी ने निदेशक मंडल की संरचना में उल्लिखित अवधि के लिए निदेशकों की न्यूनतम संख्या के संबंध में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों के संबंध में लिखित नियमों की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है।

ख) जैसा कि निगमित नियंत्रण रिपोर्ट के पैरा संख्या 3ग (ii) में बताया गया है, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची IV के खंड VIII के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का कोई आश्वासन है, जिसके आधार पर प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म संख्या : 000018N

(राकेश कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.: 087537

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म संख्या : 008744N

(राजीव कुमार वाधवान)
भागीदार
सदस्यता सं.: 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017



सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अनुलग्नक-घ

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,

गेल (इंडिया) लिमिटेड

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में और गेल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे बाद से गंपनी/कंपनी कहा गया है) द्वारा अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई कि इसने हमें कॉर्पोरेट संचालन/वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए उचित आधार प्रदान किया और इस पर मैंने अपनी राय व्यक्त की है।

गेल के बही खातों, कागजात, लघु बही खातों, फॉर्म और दाखिल की गई रिटर्न तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह कि कंपनी में उचित बोर्ड-प्रक्रिया और अनुपालन-प्रणाली विद्यमान है और उसका नीचे दर्शाए अनुसार ढंग से अनुपालन किया गया है:

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए गेल द्वारा रखे गए बही-खातों, लघु पुस्तकों, फार्मों, दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरिज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप-नियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष ओवरसीज निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम;
- (v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश: -
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमन, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम पूंजी और अपेक्षाओं का विगोपन) विनियम, 2009;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति के मुद्दे और सूची) विनियम, 2008;
 - (च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से निपटने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर स्थानांतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 1998;
- (vi) कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई आंतरिक अनुपालन व्यवस्था के अंतर्गत आवधिक प्रमाण-पत्र के आधार पर कंपनी को सूचीबद्ध करने के लिए, नीचे सूचीबद्ध किए गए अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (उद्योग के लिए लागू) के अधीन अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणाली:
 - 1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
 - 2) पेट्रोलियम नियम, 2002
 - 3) ऑयलफील्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948
 - 4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959
 - 5) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962
 - 6) विस्फोटक अधिनियम 1884 और भारतीय विस्फोटक नियम 1983
 - 7) गैस सिलेण्डर नियम 2004
 - 8) तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974
 - 9) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006
 - 10) सॉल्वेंट, राफिनेट एंड स्लॉप (अधिग्रहण, बिक्री, संग्रहण और ऑटोमोबाइल में उपयोग की रोकथाम) आदेश, 2000
 - 11) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008
 - 12) पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति का रखरखाव) आदेश, 1999
 - 13) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण नियम, 1986)
 - 14) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियम, 1989
 - 15) ध्वनी प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
 - 16) जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर नियम, 1978
 - 17) बैटरिज (प्रबंधन और निपटान) नियम, 2001
 - 18) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
 - 19) जल (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
 - 20) वायु (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
 - 21) खतरनाक रसायन निर्माण, संग्रहण और आयात नियम, 1989
 - 22) एसएमपीवी (यू) नियम, 1990 द्वारा संशोधित अनुसार स्थिर और मोबाइल दबाव वेसल्स (अनफायर्ड) नियम, 1981
 - 23) भारतीय वन अधिनियम, 1927
 - 24) ओजोन अवमूल्यन पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
 - 25) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
 - 26) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951
 - 27) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली का संचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो ऑपरेटर प्रमाण-पत्र दक्षता और लाइसेंस) नियम, 1994

- 28) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933
 29) खान अधिनियम, 1952
 30) शस्त्र अधिनियम, 1959

हमने लागू खंडों के अनुपालन की भी निम्नानुसार जांच की है:

- (क) भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानदंड – आम तौर पर इनका अनुपालन किया जाता है।
 (ख) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ इक्विटी सूचीकरण करार, एनएसई के साथ ऋण सूचीकरण करार तथा लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ जीडीआर सूचीकरण करार; और
 (ग) सीपीएसई (डीपीई दिशानिर्देश) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

टिप्पणी संख्या 1. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149(1) तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015 के नियम 17(1)(क) के अंतर्गत कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

कंपनी का उत्तर: दिनांक 31.03.2017 को कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी। तथापि, वर्ष के दौरान, 31.01.2017 से 18.03.2017 तक कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक थी।

टिप्पणी संख्या 2. कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संदर्भ में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (विनियमन और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ख) तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित नियंत्रण पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 का अनुपालन नहीं किया गया है।

कंपनी का उत्तर: दिनांक 31.03.2017 को, गेल के बोर्ड में सीएमडी सहित चार पूर्णकालिक निदेशक शामिल थे जिनमें से दो सरकार द्वारा नामित निदेशक और पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

गेल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है। सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार से लगातार आग्रह कर रही है।

तथापि, दिनांक 31.01.2017 से 18.03.2017 तक की अवधि के दौरान, गेल के बोर्ड की संरचना सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देश एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार थी।

टिप्पणी संख्या 3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 (खंड VIII) के साथ पठित धारा 149(8) और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियमन 17(10) और 25(4) का अनुपालन नहीं किया गया है, तथा कंपनी ने निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन भी नहीं कराया है।

कंपनी का उत्तर: गेल एक सरकारी कंपनी है, सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एमओपीएंडएनजी के माध्यम से की जा रही है और नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण स्वतंत्र निदेशकों सहित व्यक्तिगत निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या के अभाव में, कंपनी ने 01.04.2017 से 30.01.2017 तक और 19.03.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश और एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम के अनुसार गठित किया जाना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए थे।

आम तौर पर, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची और विस्तृत नोटों को तय करने के लिए एजेंडा को कम से कम सात दिन पहले अग्रिम में भेज दिया गया था, और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। यदि कार्यसूची को अल्प नोटिस पर भेजने के साथ बैठक को बुलाया गया तो उसके आयोजन के लिए उपस्थित सदस्यों की सहमति ली गई थी।

बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से बोर्ड/समिति की बैठक(कों) में लिए गए सभी निर्णयों को पूरा किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं, ताकि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी की जा सके और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने नियमों और विनियमों के अनुपालन में उनके द्वारा धारित तीन इक्विटी शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर के अनुपात में अपने सदस्यों को बोनस इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,
 कंपनी सचिव,
 सीएस सचिन अग्रवाल
 भागीदार

दिनांक: 29 मई, 2017
 स्थान: नई दिल्ली

एफसीएस सं.: 5774
 सी.पी.सं.: 5910

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'अनुलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।



अनुलग्नक-1

सेवा में,
सदस्य,

गेल (इंडिया) लिमिटेड

हमारी सम दिनांकित दिनांक की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड रखना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जैसा कि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना उचित था। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर किया गया था कि सचिवालय के अभिलेखों में सही तथ्य दर्ज किए गए थे। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का अनुसरण किया है, वे हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बही खातों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां-कहीं भी आवश्यक है, हमने कानूनों के अनुपालन, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के रूप में कोई आश्वासन है, जिसके आधार पर प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,**
कंपनी सचिव,
सीएस सचिन अग्रवाल
भागीदार

दिनांक: 29 मई, 2017
स्थान: नई दिल्ली

एफसीएस सं.: 5774
सी.पी.सं.: 5910

सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक-ड

1. सीएसआर नीति और परियोजनाओं संबंधी संक्षिप्त रूपरेखा अथवा प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम

आपकी कंपनी निगमित-सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका यह दृढ़ विश्वास है कि सीएसआर देश के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। सभी हितधारकों के लिए "मूल्य सृजन" संबंधी आपकी कंपनी का विजन सामाजिक अंतःक्षेपों के पीछे मार्गदर्शी बल रहा है। (सहित शीर्ष से लेकर नीचे तक) सीएसआर व्यावसायिकों की समर्पित टीम की बेहतर नियंत्रण संरचना, अर्थपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों के चयन और मूल्यांकन में सहायता करती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अंतःक्षेपों के क्षेत्रों के अनुरूप हैं।

सीएसआर अंतःक्षेपों के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण की अनुपालना करते हुए, जैसाकि सीएसआर नीति में विस्तार से उल्लेख किया गया है, आपकी कंपनी ने सीएसआर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किया है, जो कंपनी के मुख्य कार्य केन्द्रों/संस्थापनाओं के नजदीक स्थित हैं। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत अभिनिर्धारित किया गया है, कंपनी ने सीएसआर अंतःक्षेपों के 7 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है और उनमें से प्रत्येक का शीर्षक उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के आधार पर किया गया है अर्थात् **आरोग्य** (स्वास्थ्य)—पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं पेयजल परियोजनाएं, **उज्वल** (उज्वल भविष्य के ओर)—शिक्षा पहलें, कौशल (कौशल)—आजीविका अर्जन और कौशल विकास पहलें, **उन्नति** (प्रगति)—ग्रामीण विकास, **सशक्त** (सशक्तिकरण)—महिला सशक्तिकरण पहलें, **सक्षम** (सक्षम)—वृद्धजनों और दिव्यांगों की देखरेख तथा **हरित** (ग्रीन) – पर्यावरण केन्द्रित पहलें।

और मूर्त बनाने हेतु एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और स्व-स्थिरता के उपायों को मुख्य परियोजनाओं की अभिकल्पना में शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान सीएसआर क्षेत्र के अंतर्गत की गई कुछ मुख्य पहलें निम्नानुसार हैं :-

गेल रफ्तार - एथलेटिक प्रतिभा की खोज

वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में देश के 53 जिलों में आयोजित परीक्षण में 25,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परीक्षणों में श्रेष्ठ टाइमिंग के साथ कुल 09 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में कठिन प्रशिक्षण अनुसूची में भाग ले रहे हैं, जिसका अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना है। कठिन प्रशिक्षण और अभिप्रेरणा का सीजन-1 के लिए चयनित खिलाड़ियों पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। वे सभी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऊर्जा एवं उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं।



माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर (बाएं से तीसरे), माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री विजय गोयल (बाएं से दूसरे), माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में गेल रफ्तार का भव्य समापन समारोह सम्पन्न हुआ।

इसका बड़ा उद्देश्य देश के युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है, जो माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आह्वान है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के युवाओं को आगे बढ़कर खेल को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। **इस वर्ष के प्रारंभ में इस पहल के दूसरे वर्ष में देश भर के 107 जिलों/स्थलों पर आयोजित परीक्षणों में 1,13,478 खिलाड़ियों ने भाग लिया।**

देश भर में परीक्षण श्रृंखलाओं के बाद, 10 मई, 2017 को सीजन-II समाप्त हुआ, जिसमें 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया जिन्हें ओलम्पिक 2020 और 2024 में भाग लेने के लिए 4 वर्ष की अवधि तक विश्व स्तरीय कोचिंग प्रदान की जाएगी। जमीनी स्तर के इस एथलेटिक्स कार्यक्रम का शानदार समापन त्यागराज खेल परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस शानदार समापन समारोह में श्री धर्मेन्द्र प्रधान – माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, श्री विजय गोयल – युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य, जिनमें शानदार खिलाड़ी पी.टी. ऊषा, ओलम्पियंस रचिता मिस्त्री, अनुराधा बिस्वाल और एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता कविता राउत शामिल हैं, उपस्थित थे।



आपकी कंपनी का यह मानना है कि लोगों की आवश्यकता, समुदायों का लाभ और पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखते हुए कंपनी वृहत समुदाय की प्रगति का दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। कंपनी की सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट www.gailonline.com पर उपलब्ध कराया गया है। जैसाकि सीएसआर नीति में अभिकल्पना की गई है, कंपनी बहु-हितधारक दृष्टिकोण, समुदायों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षा संस्थाओं और अन्य के साथ सहयोग का दृष्टिकोण अपनाती है ताकि परियोजनाओं का विकास किया जा सके और चुनौतियों का प्रभावी तौर पर सामना किया जा सके। कंपनी अपने सीएसआर अंतःक्षेपों का अभिनिर्धारण करने, कार्यान्वयन करने, उन्हें जारी रखने और निगरानी करने के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं की अनुपालना का प्रयास करती है ताकि उनके टिकाऊपन, पैमाने और पारदर्शिता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जा सके। आपकी कंपनी ने वर्ष 2016-17 में सीएसआर अंतःक्षेपों के लिए गत तीन वर्षों के औसत निवल लाभ (कर भुगतान से पूर्व लाभ) का 2.7 प्रतिशत आवंटित किया है।

मुख्य सीएसआर कार्यकलाप

आपकी कंपनी सीएसआर प्रयासों को लक्षित लाभार्थियों के लिए अधिक प्रभावी



गेल सृजन

वर्ष 2013 में उत्तराखण्ड में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसने घाटी में तबाही मचाते हुए इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने बहु-क्षेत्रीय और बहु-जोखिम दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित समुदायों को दीर्घकालिक तौर पर समेकित सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना सृजन (क्रिएशन) प्रारंभ की। इस परियोजना का उद्देश्य रुद्रप्रयाग जिला, उत्तराखण्ड के 10 गांवों का विकास करना और भविष्य में आपदा की स्थिति में कम से कम नुकसान के समग्र उद्देश्य के साथ सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता प्रदान करना है।



गेल श्रीजन के अंतर्गत उपेक्षित वर्ग सहायता कार्यक्रम के लाभार्थी

इस परियोजना में समुदायों के पुनर्वास, आपदा रोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन प्रदान करने, आजीविका अर्जन और उद्यम, आपातकालीन अनुक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करना और आपदा के प्रभाव को कम करने वाली अन्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करने जैसे मुख्य मुद्दों का समाधान किया गया है। प्रारंभ से ही, इस परियोजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 23,000 लोगों को शामिल किया गया है। 7,000 लोगों को 28 कौशलों में कौशल प्रदान किया गया है। 3 सामुदायिक संसाधन प्रशिक्षण केन्द्रों (सीआरटीसी) की स्थापना की गई है, जिनमें विभिन्न आय सृजन इकाईयों जैसे मसाले तैयार करना, जूस बनाना, बेकरी इत्यादि की स्थापना की गई है। आपदा रोधी निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रशिक्षण, आपदा रोधी घरों का निर्माण और आपातकालीन शरण स्थलों, मॉक ड्रिल्स, आपदा राहत कितों का निर्माण, टोल फ्री हेल्पलाइन का प्रावधान, पूर्ण तौर पर सुसज्जित आपदा अनुक्रिया वाहन और गांवों के लिए बचाव राहत योजनाओं का विकास, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित, जैसे कार्यकलापों को प्रारंभ किया गया है। वर्षा जल संचयन जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया है और लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा परम्परागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए जल द्वारा चालित ग्राइंडिंग यूनिटों (घरात) का निर्माण किया गया है। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्रियों जैसे रेडियो शो, भित्ति-चित्रण, बैनर्स और अन्य प्रकार की आईईसीसी सामग्रियों का नियमित तौर पर उपयोग किया जा रहा है।

एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जा रही है, जो उत्तराखण्ड के 04 आपदा संभावित जिलों में 01 मिलियन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक तात्कालिक राहत उपाय के तौर पर अभिघात प्रभावित लोगों को लगभग दो सौ परामर्श सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और मनोचिकित्सकों द्वारा मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया गया।

इस परियोजना को कई पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र मिले हैं, जिनमें शामिल हैं:

- आपदा उपरांत पुनर्वास के लिए एफआईसीसीआई सीएसआर पुरस्कार
- डीएमए सीएसआर पुरस्कार

इस परियोजना का चयन यूपीएस इंटरनेशनल डिजास्टर रिलीफ एंड रेजिलिएंस अवार्ड के फाइनल के लिए किया गया है, जो बिजनेस इन द कम्युनिटी (बीआईटीसी) नेटवर्क, यूके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में से एक है।

बीआईटीसी एक चैरिटी है, जिसे प्रिंस चार्ल्स रेसपान्सिबल बिजनेस नेटवर्क द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

परियोजना आरोग्य - मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू)

देश में प्राथमिक स्वास्थ्य अवसरचना की अत्यधिक कमी को स्वीकारते हुए गेल (इंडिया) लिमिटेड ऐसे कार्यकलापों को लागू करते हुए स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है ताकि कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सुलभ और वहनीय हो सके। वर्तमान में, आरोग्य परियोजना के अंतर्गत आपकी कंपनी देश के 7 राज्यों के 18 जिलों में 26 मोबाइल मेडिकल यूनिटों का संचालन करती है।

परियोजना आरोग्य एमएमयू वाहन ग्रामीणों और समुदायों के निवास स्थलों में स्वास्थ्यकर व्यवहार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और साफ-सफाई संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी करती है। परियोजना आरोग्य एमएमयू स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में शामिल हैं: निःशुल्क चिकित्सक परामर्श, दवाओं का निःशुल्क वितरण, मूलभूत चिकित्सीय उपचार जांच और अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक रेफर करना। अधिकारों और पात्रताओं, सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में सूचना और जागरूकता सामग्री भी प्रदान की जाती है।

गेल अवंत

जबकि गत वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ोतरी हुई है परंतु शिक्षा की गुणवत्ता देश की शिक्षा/साक्षरता एजेंडे का मूलभूत प्रश्न बना हुआ है। गुणवत्तापरक और संगत शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता को समझते हुए, विशेष तौर पर प्रारंभिक स्तर पर, गेल ने उत्तर प्रदेश के औरिया जिले के 60 सरकारी स्कूलों में परियोजना अवंत प्रारंभ की है। इस कार्यक्रम का फोकस स्कूल प्रणाली में सुव्यवस्थित सुधार करना, स्कूलों की विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना, अध्यापकों का विकास, विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए मूल्यांकन डिजाइन तैयार करना, पठन-पाठन उपकरणों का प्रावधान करना और कक्षा-कक्षा में विज्ञान एवं गणित अध्यापन को बढ़ाने के लिए अनुपूरक पुस्तकें/सामग्री प्रदान करने पर है।

इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर नवाचार और प्रायोगिकरण का प्रयोग करते हुए विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी सीखने पर विशेष बल देते हुए बच्चों के शिक्षण परिणामों में सुधार करना है।

• चयनित प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाएं

उज्ज्वल – शिक्षा पर केन्द्रित पहलें

शिक्षा गेल की सीएसआर के माध्यम से अंतःक्षेप के मुख्य क्षेत्रों में से एक रहा है। आपकी कंपनी ने कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में विभिन्न स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना सहित अवसरचना विकास और नवाचार कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।

आपकी कंपनी के प्रमुखशिप कार्यक्रम उत्कर्ष, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले मेधावी बच्चों को सुविधा सभी प्रकार के खर्चों से मुक्त विशेष आवासीय कोचिंग/गहन मेंटरिंग प्रदान करना है ताकि वे आईआईटी/जेईई, एआईईईई और यूपीटीयू जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा कर सकें। वर्ष 2016-17 के लिए इस कार्यक्रम हेतु एक निष्पक्ष चयन परीक्षा के माध्यम से 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इनमें से 96 विद्यार्थियों ने आईआईटी मेन्स में अर्हता प्राप्त की है और इसके अतिरिक्त 70 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की, जिसका परिणाम दिनांक 11.06.2017 को घोषित किया गया।

गेल ने भुवनेश्वर, ओडिशा में जनजातीय परिवारों के लिए होस्टल निर्माण में भी सहायता प्रदान की है।

उज्ज्वल के मुख्य क्षेत्र शिक्षा के अंतर्गत किए गए शिक्षा केन्द्रित अंतःक्षेपों के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने विशेष तौर पर शिक्षा क्षेत्र पर केन्द्रित पहलों को प्रारंभ करने के लिए गेल धर्मार्थ एवं शिक्षा न्यास की स्थापना भी की है। गत वित्त वर्ष में, आपकी कंपनी ने विभिन्न आईआईटी और एनआईटी में अध्ययनरत 187 उत्कर्ष लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की। असम, जम्मू और कश्मीर तथा ओडिशा के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के 404 बच्चों को भी राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान की भागीदारी से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

आरोग्य – सम्पूर्ण स्वास्थ्य, जिसमें स्वास्थ्य और साफ-सफाई, पेयजल और पोषण संबंधी पहलें शामिल हैं।

गत कुछ वर्षों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और पोषण सरकार के मुख्य कार्यकलाप क्षेत्र रहे हैं। इन क्षेत्रों में सरकार के अनुपूरक प्रयासों के रूप में आपकी कंपनी अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से उक्त क्षेत्रों के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। गेल ने अपनी मोबाइल मेडिकल यूनिटों के नेटवर्क को विस्तारित करते हुए इनकी संख्या को 26 तक पहुंचाया है, जो 7 राज्यों के 18 जिलों तक फैली हुई हैं और प्रति वाहन लगभग 20,000 लोगों को लाभ पहुंच रहा है। कारोबार संचालन को और आगे बढ़ाने तथा इस खंड से संबंधित एचआईवी/एड्स की समस्या का समाधान करने में ट्रांसपोर्ट्स/चालकों/ट्रकर्स की भूमिका और महत्व को स्वीकारते हुए अपनी कंपनी पाता (औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश) और विजयपुर (गुना, मध्य प्रदेश) स्थित संस्थापनाओं में आने वाले ट्रकर्स हेतु एसटीआई क्लिनिक के माध्यम से एक जन जागरूकता, एसटीआई उपचार और एचआईवी जांच के द्वारा एचआईवी निवारण को बढ़ावा दे रही है।



गेल आरोग्य के अंतर्गत कंपनी के कार्य केन्द्रों में कार्यरत मोबाइल मेडिकल यूनिटें

स्वास्थ्यकर जीवन पद्धति की प्रासंगिकता और इसमें योग के लाभों को समझते हुए, आपकी कंपनी ने योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली को भी सहायता प्रदान की है।

संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सभी मानवाधिकारों की अनुभूति के लिए आवश्यक है। देश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों तक स्वच्छ जल पहुंचाने के प्रयास के तौर पर आपकी कंपनी ने देश भर के विभिन्न गांवों में बोर-वैल्स, ट्यूब-वैल्स, हैंड पम्प, ओवरहेड टैंकों की स्थापना करने में सहायता प्रदान की है और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया है तथा पानी रोकने के लिए बांधों/सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों में हजारों परिवारों के लिए पेयजल की सुलभता में सुधार करने के लिए 700 से अधिक हैंड पम्प लगाए जा रहे हैं।

स्वच्छता के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्यकलापों को अलग से ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र स्वच्छ भारत के अंतर्गत शामिल किया गया है।

कौशल – आजीविका सृजन और कौशल विकास पहलें

उपेक्षित लोगों को समर्थ बनाना और सशक्त करना ताकि वे आपकी कंपनी की कौशल विकास केन्द्रित पहलों के केन्द्र में निहित बदलावों के कारक बन सकें। आपकी कंपनी गुना (मध्य प्रदेश), देडियापाडा (नर्मदा, गुजरात) और ममीडिकुडुरु (पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश) में तीन कौशल विद्यालयों का संचालन कर रही है, हजनमें 2,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सौर तकनीशियन, सीएमसी अपरेटर, इंस्ट्रूमेंट तकनीशियन, असिसटेंट सर्वेयर, असिसटेंट मेसन, वेल्डिंग सहायक, ऑटो सीएडी इत्यादि सहित सामान्य इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (सीआईपीईटी) संस्थान के 07 केन्द्रों में 214 अभ्यर्थियों को प्लास्टिक उत्पाद निर्माण, इंजेक्शन मॉडलिंग और राफिया संयंत्र संसाधन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दो वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने अन्य सीपीएसई के साथ विजाग (आंध्र प्रदेश), कोच्चि (केरल) और

भुवनेश्वर (ओडिशा) में कौशल विकास संस्थानों की स्थापना में भी योगदान दिया है। वर्ष के दौरान अन्य अल्पकालिक कौशल विकास पहलें जैसे राजमुन्दी कारागार में जिल्दसाजी यूनिट की स्थापना और सेनिटरी नेपकिन यूनिट की स्थापना एवं प्रशिक्षण भी की गई हैं।

सशक्त – महिला सशक्तिकरण पहलें

आपकी कंपनी का दृढ़ मत है कि महिलाओं की स्थिति समाज की प्रगति का सही प्रतिबिम्ब है। जबकि महिलाओं को हमेशा ही लाभार्थियों के एक भाग के तौर पर शामिल किया गया था परंतु अब आपकी कंपनी ने एक विशेष फोकस के साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र पर बल दिया है। गत वित्त वर्ष में दिल्ली की शहरी मलिन बस्तियों की 355 किशोर बालिकाओं और महिलाओं को महिला-पुरुष संवेदनशीलता, विधिक जागरूकता और नियोजनीयता कौशल प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, शहीद वीरगंगा अवंतीबाई मैमोरियल पुस्तकालय, सेहुद गांव, औरंगा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक वाचनालय का निर्माण भी किया जा रहा है।

फोकस क्षेत्रों कौशल और उन्नति की विभिन्न पहलों के माध्यम से 2,000 से अधिक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इनमें प्रदान किए गए कौशलों में परिधान डिजाइन, खाद्य संसाधन, मधुमक्खी पालन, आर्गेनिक फार्मिंग, उत्पाद डिजाइन, वित्तीय साक्षरता इत्यादि शामिल हैं।

सक्षम – वृद्धजनों और दिव्यांगों की देख-रेख

आपकी कंपनी इस तथ्य को लेकर संवेदनशील है कि अंतःक्षेपों द्वारा विकास के क्षेत्र में समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए और सभी के समग्र विकास हेतु विभिन्न हितधारक समूहों के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकारती है। सहायता और सहायक उपकरणों की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करने के लिए चार मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया गया।

उन्नति – ग्रामीण विकास और अवसरचनना पहलें

आपकी कंपनी तीन आधारभूत पंक्तियों अर्थात् लोग, लाभ, ग्रह द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करती है और इस बात का संज्ञान लेती है कि समाज की आर्थिक प्रतिस्पर्धा इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत आपकी कंपनी की पहलें इन तीन लक्ष्यों को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए अभिकल्पित की गई हैं। अपने प्रारंभ से ही समग्र वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम, जलधार परियोजना, 192 स्वयं सहायता समूहों को समेकित करने में सफल रहा है, जिससे झाबुआ जिले की जनजातीय महिलाओं के बीच आय सृजन और बचत को बढ़ावा देने में सहायता मिली है, 60 जल संधारण अवसरचननाओं, 4 पलुराइड अपशमन केन्द्रों, प्रति मिनट 8 लीटर आऊटपलो की क्षमता और 75,000 पेड़/पौधों को लगाया गया है। **इस परियोजना को सीआईआई वाटर अवार्ड, 2016 मिला है**

आपकी कंपनी ने गुंटुर (आंध्र प्रदेश), गंधार (भरुच, गुजरात), मुरेना (मध्य प्रदेश), साहरनपुर, गाजीपुर और औरंगा (उत्तर प्रदेश), पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) और गुना (मध्य प्रदेश) में सड़कों, सामुदायिक केन्द्रों, वाटर टैंकों, तटबंधों इत्यादि के निर्माण के माध्यम से संपदा सृजन में निवेश किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल और उत्तराखंड के चिन्हित किए गए गांवों में स्ट्रीट लाइटों, लेनटर्नस और पृथक लाइटिंग प्रणालियों सहित 4150 सोलर स्ट्रीट यूनिटें लगाई गई हैं।

स्वच्छ भारत पहलें

माननीय प्रधान मंत्री के स्वच्छ भारत आन्दोलन के एक भाग के तौर पर, गेल ने, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय पहल के एक भाग के तौर पर, ओडिशा के 10 जिलों, आंध्र प्रदेश के दो जिलों और मध्य प्रदेश के एक जिले में गत दो वर्षों में 2534 विद्यालयों में 3614 विद्यालय शौचालयों का निर्माण/नवीनीकरण कार्य किया है। आपकी कंपनी सृजित संपदाओं का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन विद्यालयों में बनाई स्वच्छता अवसरचनना का रख-रखाव भी करती है।

स्वच्छ भारत पखवाड़े

गेल द्वारा स्वच्छ भारत पखवाड़े के भाग के तौर पर दिनांक 16.06.2016 से 30.06.2016 तक पन्द्रह दिवसीय कार्यकलापों की श्रृंखला का आयोजन किया गया। पखवाड़े का उद्घाटन कार्यक्रम पुराने किले में आयोजित किया गया, जो गेल द्वारा स्वच्छ भारत के तौर पर रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिए गोद लिया गया एक ऐतिहासिक स्मारक है। सीएमडी द्वारा सभी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।



कार्य स्थल पर आवश्यक साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों/सहायकों द्वारा निभाई जाने वाली गुणनाम भूमिका को स्वीकारते हुए सफाई साधियों को स्वच्छता में उनके योगदान के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। प्रत्येक सफाई-साथी के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया और स्वच्छ भारत पखवाड़े के भाग के रूप में व्यावसायिक, जीवन पद्धति और अन्य बीमारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही दवाओं का वितरण किया गया। इसका आयोजन गेल सीएसआर की दूसरी अग्रणी परियोजना: स्वच्छ भारत मिशन के साथ आरोग्य के साथ समेकन से किया गया।

गेल द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साफ-सफाई के लिए गोद लिया गया दूसरा स्मारक सफदरजंग का मकबरा है। गेल के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कर्मचारी स्वच्छता से इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वच्छता का संदेश देने के लिए स्वयं "श्रम दान" के लिए आगे आते हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 में गेल ने स्वच्छता और साफ-सफाई पर केन्द्रित कई पहलें की हैं। विद्यालय शौचालयों, पृथक तौर पर घरों में शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, जैव-शौचालयों और फैंब शौचालयों का निर्माण तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात राज्यों के गांवों में किया जा रहा है। लगभग स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के तौर पर नगर निगम चंडीगढ़ और जिला कलेक्टर, भरुच (गुजरात) को 100 लीटर क्षमता वाले लगभग 1600 रिंगन कूड़ेदान प्रदान किए गए हैं।



गेल को 'ऑल-राउंड एक्सेलेन्स' श्रेणी के प्रतिष्ठित 'इकोनॉमिक टाइम्स 2 गुड सीएसआर रेटिंग' पुरस्कार प्रदान किया गया। गेल इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला एक मात्र पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। श्री पी. के. गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) बाएं से दूसरे तथा श्रीमती वन्दना चानना, कार्यकारी निदेशक (निगमित संचार तथा निगमित सामाजिक दायित्व) (बाएं) ने पुरस्कार प्राप्त किए।

• कर्मचारी सहभागिता और सीएसआर पहलों का प्रदर्शन

गेल ने इस वर्ष अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को अपनी सीएसआर पहलें दिखाने के लिए कई कदम उठाए हैं। गेल ने विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों में कर्मचारियों को शामिल करने के लिए कई कार्यक्रमों/कार्यकलापों का आयोजन किया।

अभ्युदय, गेल के कॉरपोरेट कार्यालय में नवम्बर, 2016 में गेल के विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों की महिला लाभार्थियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में गेल कई कर्मचारियों ने अत्यधिक सकारात्मक उत्साह के साथ भाग लिया।

स्प्रेड द वार्मथ, एक सप्ताह भर चलने वाला अभियान था, जिसमें कर्मचारियों ने दिल्ली और इसके आसपास उपेक्षित, बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़े, ऊनी कपड़े और अन्य सर्दियों में काम आने वाली चीजें दान की। कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिया तथा कम सुविधा भोगी और बेघर लोगों के लिए ऊनी कपड़े, कम्बल, महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों के लिए कपड़े, जूते इत्यादि दान किए।

गेल की सीएसआर पहलों की कई मंचों पर सराहना की गई और पुरस्कार प्रदान किए गए तथा 15वें फिक्की सीएसआर अवार्ड (रुद्रप्रयाग में पुनर्वास उपरांत कार्य), गोल्डन पीकॉक अवार्ड, डीएमए सीएसआर अवार्ड और जलधर परियोजना

के लिए सीआईआई जल अवार्ड (फेन्स श्रेणी के अतिरिक्त) प्रदान किया गया। सीएसआर के क्षेत्र में आपकी कंपनी की एक बड़ी उपलब्धि यह रही है कि गेल की परियोजना सृजन को 'यूपीएस इंटरनेशनल डिजास्टर रिलीफ एंड रेजिलिएंस अवार्ड' श्रेणी में बिजनेस इन द कम्युनिटी (बीआईटीसी) रिसपांसिबल अवार्ड के फाइनल के लिए चुना गया है। बीआईटीसी प्रिंस चार्ल्स रिसपांसिबल बिजनेस नेटवर्क द्वारा सहायता प्राप्त एक चैरिटी है।

2. बोर्ड की सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के उपबंधों की अनुपालना में, दिनांक 31.03.2017 के अनुसार सीएसआर बोर्ड समिति में श्री बी.सी. त्रिपाठी, अध्यक्ष, श्री पी.के. गुप्ता, श्री आशीष चटर्जी, श्री संजय टंडन और श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ सदस्य के तौर पर कार्यरत हैं।

3. गत तीन वर्षों का औसत निवल लाभ

वित्त वर्ष	कर पूर्व निवल लाभ (₹ करोड़ में)*
2013-14	6014
2014-15	3653
2015-16	2554
कुल (क)	12221
गत तीन वर्षों का औसत = (क)/3	4074

*कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर हेतु कर पूर्व निवल लाभ

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उक्त मद 3 में धनराशि का 2 प्रतिशत)

कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित सीएसआर व्यय 81.47 करोड़ रु. था।

5. वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का ब्यौरा

(क) **वित्त वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल धनराशि** – कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, गेल को अपने सीएसआर कार्यकलापों के लिए वित्त वर्ष 2016-17 में 81.47 करोड़ रु. की धनराशि व्यय करने का अधिदेश था (गत तीन वित्त वर्षों के औसत पीबीटी का 2 प्रतिशत)। गेल ने वित्त वर्ष 2016-17 में सीएसआर कार्यकलापों के लिए 118.93 करोड़ रु. का आबंटन किया, जो गत तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.7 प्रतिशत है और पूर्व वर्षों का 8.95 करोड़ रु. का अग्रेषण है। इसकी तुलना में गेल ने कुल 123.58 करोड़ रु. का व्यय किया है, जिनमें से 92.16 करोड़ रु. वित्त वर्ष 2016-17 की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यकलापों पर खर्च किए गए हैं। यह धनराशि गत तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.26 प्रतिशत है।

(ख) **अव्ययित राशि, यदि कोई हो** – शून्य। निर्धारित धनराशि 81.47 करोड़ रु. की तुलना में, वित्त वर्ष 2016-17 में सीएसआर परियोजनाओं पर 91.16 करोड़ रु. की धनराशि व्यय की गई है। 25.26 करोड़ रु. की धनराशि वित्त वर्ष 2016-17 की सीएसआर परियोजनाओं के लिए अव्ययित धनराशि के तौर पर दर्शाई गई है, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ग) **वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि के तौर-तरीकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :**

गेल ने सीएसआर परियोजनाओं और वित्त वर्ष 2016-17 के कार्यकलापों के लिए गत तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.7 प्रतिशत आबंटित किया है। बढ़े हुए आबंटन (गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2.7 प्रतिशत) और गत वर्ष के उपलब्ध अग्रेषण (चूंकि गेल की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर बजट का लोप नहीं हो सकता) के कारण, वित्त वर्ष 2016-17 में सीएसआर परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए कुल बजटीय आबंटन 118.93 करोड़ रु. था। वित्त वर्ष 2016-17 में सीएसआर कार्यकलापों पर 123.58 करोड़ रु. व्यय किए गए, जिनमें से 92.16 करोड़ रु. विशेष तौर पर वित्त वर्ष 2016-17 में सीएसआर परियोजनाओं/कार्यकलापों पर व्यय किए गए।

निम्नलिखित तालिका में 1 करोड़ रु. से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धता वाली सीएसआर परियोजनाओं को दर्शाया गया है :

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना अथवा चिन्हित की गई गतिविधि	परियोजना को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार गतिविधियां)	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) वह राज्य अथवा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है	परियोजना परिय्य (बजट) अथवा कार्यक्रम-वार धनराशि (केवल वित्त वर्ष 2016-17 के लिए)	परियोजना अथवा कार्यक्रम उप-शीर्ष पर व्यय की गई धनराशि: (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई धनराशि प्रत्यक्ष तौर पर अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
फोकस क्षेत्र – आरोग्य (स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता)							
1	परियोजना आरोग्य – विभिन्न राज्यों में 18 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के संचालन के माध्यम से मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं	(i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र 1) पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) 2) गुना, झाबुआ, उज्जैन, मुरेना (मध्य प्रदेश) 3) लुधियाना (पंजाब) 4) गंधार (भरुच, गुजरात) 5) हरिद्वार (उत्तराखंड) 6) पाता (औरैया, उत्तर प्रदेश)	590.35	589.48	589.48	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	(i) सरकारी विद्यालयों/सामुदायिक केन्द्रों/बिहार के गांवों में सार्वजनिक स्थलों पर प्रीफैब जैव शौचालयों; (ii) गन्डीड मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना के सरकारी विद्यालयों में शौचालयों; (iii) गुंटुर जिला, आंध्र प्रदेश में जूनियर कॉलेजों; (iv) दावनगिरी, कर्नाटक में सरकारी विद्यालयों का निर्माण	(i) स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र गया, नालन्दा, पटना, शेखपुर, लखीम सराय और बेगु सराय (बिहार), जिला रंगा रेड्डी (तेलंगाना), जिला गुंटुर (आंध्र प्रदेश), जिला दावनगिरी और चित्रदुर्ग, कर्नाटक	646.86	631.86	631.86	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
3	जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर, राजस्थान का अवसंरचनात्मक विकास	(i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र अजमेर (राजस्थान)	165.00	74.00	74.00	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
फोकस क्षेत्र – कौशल (कौशल विकास और आजीविका पहलें)							
4	(i) गुना, मध्य प्रदेश और (ii) देडियापाडा (नर्मदा), गुजरात में युवाओं रोजगार परक कौशल विकास प्रशिक्षण	(ii) कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र गुना (मध्य प्रदेश) देडियापाडा (नर्मदा, गुजरात)	478.79*	395.17*	395.17*	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
5	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के 7 केन्द्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए "प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण" में कौशल विकास कार्यक्रम	(ii) कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र गुवाहाटी (असम) मैसूर (कर्नाटक) जयपुर (राजस्थान) अहमदाबाद (गुजरात) अन्य इम्फाल (मणिपुर) बालासोर (उड़ीसा) औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	200.00	194.39	194.39	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
6	कौशल विकास संस्थान, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के लिए अंशदान	(ii) कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)	225.00	225.00	225.00	कार्यान्वयन एजेंसी – एसडीआई विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के माध्यम से



(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना अथवा चिन्हित गतिविधि	परियोजना को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कार्यकलाप)	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम-वार (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) वह राज्य अथवा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है	परियोजना परिय्य (बजट) अथवा कार्यक्रम-वार धनराशि (केवल वित्त वर्ष 2016-17 के लिए)	परियोजना अथवा कार्यक्रम उप-शीर्ष पर व्यय की गई धनराशि: (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई धनराशि प्रत्यक्ष तौर पर अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
7	कौशल विकास सोसायटी, कोच्चि, केरल के लिए अंशदान	(ii) कौशल विकास	स्थानीय क्षेत्र कोच्चि (केरल)	225.00	225.00	225.00	कार्यान्वयन एजेंसी – एसडीआई, कोच्चि, केरल के माध्यम से
अन्य – ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण							
8	गेल इंडियन स्पीड स्टार-एथलेटिक टेलेंट हंट फार वन ईयर (सीजन 1 के चयनित खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण)	(vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों और ओलम्पिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	स्थानीय क्षेत्र और 10 से अधिक राज्यों में शामिल किए गए 53 जिले	139.15*	99.25*	99.25*	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
9	गेल इंडियन स्पीड स्टार-एथलेटिक टेलेंट हंट सीजन-II	-उपरोक्त-	स्थानीय क्षेत्र और देश भर में अन्य 107 जिले/स्थल	1207.50*	1025.92*	1025.92*	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
उन्नति – ग्रामीण विकास परियोजनाएं							
10	परियोजना जलधारा – झाबुआ जिला, मध्य प्रदेश के विभिन्न गांवों में समेकित वाटरशेड विकास और प्रबंध कार्यक्रम	(x) ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र झाबुआ (मध्य प्रदेश)	312.60	12.41	12.41	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
11	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर के प्रावधानों हेतु प्रधान मंत्री उज्वला योजना के लिए अंशदान (वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अंशदान)	(x) ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र और अन्य नोडल एजेंसी (आईओसीएल) के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर एलपीजी कनेक्शंस का वितरण	1216.00	1216.00	1216.00	कार्यान्वयन एजेंसी – मैसर्स आईओसीएल के माध्यम से
12	(i) गाजीपुर, उत्तर प्रदेश (ii) पालाकुरथी क्षेत्र, वारंगल, तेलंगाना (iii) भदोई, उत्तर प्रदेश (iv) पश्चिमी गोदावरी जिला/कृष्णा जिला (आंध्र प्रदेश)/नलगोंडा जिला, (तेलंगाना) में सोलर लाइटों का लगाया जाना	(x) ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र गजीपुर (उत्तर प्रदेश) वरंगल (तेलंगाना) भदोही (उत्तर प्रदेश) पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, नलगोंडा (आंध्र प्रदेश)	425.00	404.92	404.92	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
13	धर्मावरम गांव, दुर्गी मंडल, गुंटुर, आंध्र प्रदेश में विकास कार्य	(x) ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र गुंटुर (आंध्र प्रदेश)	100.00	36.03	36.03	कार्यकारी इंजीनियर पीआर प्रभाग, धर्मावरम के माध्यम से
14	नारम, ममीरीकुडुरु मंडल, गुंटुर, आंध्र प्रदेश में विकास कार्य	(x) ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	100.00	47.50	47.50	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना अथवा चिन्हित गतिविधि	परियोजना को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कार्यकलाप)	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रमलाप (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) वह राज्य अथवा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है	परियोजना परिव्यय (बजट) अथवा कार्यक्रम-वार धनराशि (केवल वित्त वर्ष 2016-17 के लिए)	परियोजना अथवा कार्यक्रम उप-शीर्ष पर व्यय की गई धनराशि: (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई धनराशि प्रत्यक्ष तौर पर अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
15	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर के प्रावधानों हेतु प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अंशदान (वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अंशदान)	(x) ग्रामीण विकास	स्थानीय क्षेत्र और अन्य नोडल एजेंसी (आईओसीएल) के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर एलपीजी कनेक्शंस का वितरण	1629.40	1629.40	1629.40	कार्यान्वयन एजेंसी – मैसर्स आईओसीएल के माध्यम से
उज्ज्वल – शिक्षा केन्द्रित पहले							
16	परियोजना उत्कर्ष – लाभवंचित परिवारों के आईआईटी जेईई विद्यार्थियों के लिए कानपुर में विशेषीकृत आवास	(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र कानपुर (उत्तर प्रदेश)	208.60	192.93	192.93	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
17	भुवनेश्वर, ओडिशा में जनजातीय छात्रावास की स्थापना	(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना	स्थानीय क्षेत्र भुवनेश्वर (उड़ीसा)	100.00	100.00	100.00	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
सक्षम – वृद्धजनों और दिव्यांगों की देखरेख							
18	गोल कार्य स्थलों के आसपास 3-4 शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करना	(ii) वृद्धजनों और दिव्यांगों की देखरेख	स्थानीय क्षेत्र पश्चिमी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) गुना (मध्य प्रदेश) औरैया (उत्तर प्रदेश) नालन्दा (बिहार)	100.00	100.00	99.91	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
		कुल (क)		8069.25	7199.17	7199.17	

*सेवा कर सहित

अन्य व्यय शीर्ष	परियोजनाओं की कुल संख्या	परिव्यय राशि (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)
क्षमता निर्माण, ओवरहेड्स और अन्य विविध खर्च (ख)	लागू नहीं	407.35	375.44
1 करोड़ ₹. से कम लागत की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं (ग)	71	2405.47	1641.05
दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बिना व्यय के कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	32	786.67	0.00
सीएसआर पर कुल व्यय, 2016-17 (क+ख+ग)			9215.65

6. निर्धारित राशि से कम व्यय के कारण

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित धनराशि व्यय की गई है, अतः यह लागू नहीं है।

बोर्ड की सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व वक्तव्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुरूप है।

(पी.के. गुप्ता)
निदेशक (मानव संसाधन)
दिनांक : 08.08.2017

(बी.सी. त्रिपाठी)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति



कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभाव:

- टीईजी के स्थान पर पाइपलाइन बिछाने पर ग्रिड पावर का प्रयोग:** पावर की आवश्यकता हेतु मुंबई क्षेत्र में 06 पाइपलाइनें बिछाने में मौजूदा बिजली प्रणाली में सुधार करके टीईजी (थर्मो इलेक्ट्रिक उत्पादन) की बजाय ग्रिड पावर का उपयोग किया गया है। टीईजी के माध्यम से विद्यमान कैप्टिव बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ईंधन गैस में बचत हुई है।
- एयर कंडीशनरों को 5 स्टार बीईई रेटिंग वाले एयर कंडीशनर से बदलना:** गेल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में पहले से लगे एयर कंडीशनरों को कम ऊर्जा खपत वाली 5 स्टार बीईई (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) रेटिंग अर्थात् एनसीआर क्षेत्र में 12, आरटी चेरलापल्ली-वीएसपीएल में 30, त्रिपुरा क्षेत्र में 18 और असम में 3 एयर कंडीशनरों को बदल दिया गया है।
- अधिक दक्ष लाइटों (एल ई डी) सहित पारंपरिक लाइटों को बदलना:** विभिन्न स्थापनाओं में परंपरागत प्रकाश व्यवस्था; टी-5 ट्यूब-लाइट / टी-8 ट्यूब लाइटों / एफटीएल / एमएलएल / एचपीएसवी को कम ऊर्जा खपत वाली एलईडी के साथ बदला गया है अर्थात् गेल पाता में 2640 नं., जामनगर में टी5 ट्यूब लाइटें, 08 नं. एफटीएल (फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट लैंप) और कांडला में 02 एमएलएल (मिश्रित लाइट लैंप), आबू रोड में 150 एफटीएल, जेएलपीएल में मंसारामपुरा और लोनी में पारंपरिक ट्यूब लाइटें तथा मुंबई क्षेत्र में 37 स्थापनाएं, अगरतला क्षेत्र में गैस टर्मिनलों (एनईईपीसीओ, रोखिया, कोनाबन, जीसीएस, कोनाबल टैपऑफ, डोम, आनंद नगर, महाराजगंज) में 25 एचपीएसवी (उच्च दबाव सोडियम वाष्प) लैंप।
- मोशन सेंसर लगाना:** मंसपुरा में ऊर्जा की बर्बादी को रोकने के लिए कमरों में स्विच-ऑफ एसी पावर के लिए मोशन सेंसर लगाए गए हैं।
- सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी द्वारा वाहनों की आवाजाही को कम करना:** सभी एनसीआर स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसने भौतिक रूप से वाहनों की निगरानी करने की पिछली प्रक्रिया को बदल दिया है। परिणामस्वरूप वाहनों की आवाजाही में कमी आई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी के साथ ईंधन की खपत में भी कमी आई है।
- गेल पाता में जीसीयू-1 यूनिट की मिस्ट कूलिंग प्रणाली में 500 किलोवाट की बजाय 350 किलोवाट की पंप मोटर लगाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक 164,003 किलोवाट की ऊर्जा बचत हुई है।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

ऊर्जा स्रोत के वैकल्पिक उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

- खंभों पर लगी 65 स्टैंड-अलोन सोलर लाइटों को एनसीआर पाइपलाइनों के अंतर्गत एसवी स्टेशनों पर लगाया गया है।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग के रूप में गेल भवन, मुंबई में बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए 4केवी सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल (एसपीवी) प्रणाली स्थापित की गई है।

- फ्लो कंप्यूटर का चौबीस घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिए अगरतला में खायेरपुर में फ्लो कंप्यूटर के लिए एक सौर आधारित फिल्टर माउंटिंग स्रोत की स्थापना की गई है तथा उसे प्रारम्भ किया गया है।
- एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत 03 एसवी स्टेशनों (दीपाखेरी, कर्णपुर, और सैफुरपुल्ला), 10 किलोवाट प्रति घंटा सौर संयंत्रों को ग्रामीण फीडर के ग्रिड पावर पर निर्भरता को कम करने के लिए स्थापित और चालू किया गया है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजीगत निवेश:

- मुंबई में ग्रिड पावर की उपलब्धता के लिए प्रणाली में सुधार हेतु 38.0 लाख रुपए।
- एलईडी सहित पारंपरिक रोशनी के प्रतिस्थापन के लिए 46.93 लाख रुपए।
- सौर पावर प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन और प्रारंभ हेतु 284.79 लाख रुपए।
- विभिन्न स्थानों में बीईई 5 स्टार ए.सी. रेटिंग के साथ पुराने ए.सी. के बदलने हेतु 34.30 लाख रुपए।

(ख) प्रौद्योगिकी अपनाना:

(i) प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए किए गए प्रयास

- पाइपलाइन एकीकरण प्रबंधन को सृष्टण करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार है:-

➤ पाइपलाइन इंटरूजन डिटेक्शन प्रणाली (पीआईडीएस):

पाइपलाइनों की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, गेल ने परीक्षण के आधार पर पियाला से लोनी खंड (जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन का हिस्सा) तक लगभग 72 किलोमीटर तथा विजाग से आईपी-1 खंड (विजाग सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन का हिस्सा) तक लगभग 175 किलोमीटर पाइपलाइन इंटरूजन डिटेक्शन प्रणाली (पीआईडीएस) स्थापित की है। यह प्रणाली पाइपलाइन के साथ पहले से ही बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का उपयोग कर डिस्ट्रीब्यूटेड एकाउस्टिक सेंसिंग तकनीक पर काम करती है। इस प्रणाली के माध्यम से हाथ के औजारों का प्रयोग, मशीन से खुदाई, वाहन संचालन, कृषि गतिविधियां, वाल्व प्रचालन का पता लगाने, फाइबर ब्रेक, स्क्रेपर पिग स्थल आदि का उपयोग करके मैनुअल खुदाई जैसे विभिन्न कार्य स्वचालित रूप से किए जाते हैं और तदनुसार ऑपरेटर एचएमआई ग्राफिक्स स्क्रीन पर अलार्म बजता है।

➤ एकीकृत सुरक्षा कमान और नियंत्रण केंद्र:

घनी आबादी वाले एनसीआर और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में जीएएस / एलपीजी पाइपलाइनों की संरक्षा और सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए, इन्फोहब, नोएडा में एक एकीकृत संरक्षा कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है। उत्तरी क्षेत्र में लगभग 2000 किमी गैस और एलपीजी पाइपलाइन के प्रचालन के लिए पाइपलाइन आरओयू निगरानी, पाइपलाइन सुविधाओं की लाइव सीसीटीवी फुटेज, महत्वपूर्ण पाइपलाइन रखरखाव गतिविधियां आदि जैसे कार्यों की निगरानी की चौबीस घंटे

निगरानी की जा रही है। अपेक्षित कार्य केन्द्रों में किसी भी आपात स्थिति का शीघ्र सामना सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे अनुक्रिया टीम की तैनाती की गई है।

➤ **भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस):**

आपकी कंपनी ने जीआईएस प्लेटफॉर्म में सभी पाइपलाइन परिसंपत्तियों की मैपिंग संबंधी कार्य को पूर्ण कर लिया है। यह कार्य फोटोग्रामेट्री द्वारा सैटेलाइट इमेजिंग का बेस मैप तैयार करके, पाइपलाइन की सेंटर लाइन अलाईमेंट का सर्वेक्षण तथा उसकी गहराई का माप करके, भौगोलिक संदर्भ के साथ केडेस्ट्रल पार्सल का सर्वेक्षण और पाइपलाइन कॉरिडोर और उसके आसपास हित संबंधी प्रमुख बिन्दुओं को ध्यान में रखकर व्यापक फील्ड वर्क के द्वारा पूरा किया गया।

➤ **पाइपलाइन एकीकरण डाटाबेस एप्लीकेशन**

विविध पाइपलाइन एकीकरण डाटा जैसे कि स्रोत पर प्राकृतिक गैस और एलपीजी की गुणवत्ता मानदंड, कैथोडिक प्रतिरक्षण, संक्षरण निगरानी, पिपिंग डेबिस विश्लेषण, अनुरूपी निरीक्षण (आईएलआई), प्रत्यक्ष मूल्यांकन (डीए) आदि प्राप्त करने, निगरानी करने तथा मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आंतरिक इंजीनियरिंग के साथ अनेक डाटा बेस एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं तथा इंटरनेट पोर्टल के द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। इसके द्वारा विविध पाइपलाइन डाटा जो स्थानीय विभागीय स्तर पर अनुरक्षित किए गए थे, कंपनी के डाटा बेस के रूप में एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किए गए हैं। इससे सभी इकाईयों में तथा केन्द्रीय स्तर पर पाइपलाइन मूल्यांकन सक्षम हुआ है।

➤ **गेल सहयोगी**

आपकी कंपनी ने गेल की पाइपलाइन के आसपास निवास कर रहे ग्रामवासियों को शामिल करने के लिए 'गेल सहयोगी' नामक एक योजना आरंभ की है। वे किसी भी अवांछित गतिविधियों जैसे कि खुदाई, अतिक्रमण, वाशआउट, अनावरण, ड्रिलिंग, बोरिंग, लिकेज (कैसी भी), पाइपलाइन आरओयू में तथा उसके आसपास निर्माण कार्य तथा किसी भी प्रकार की चोरी आदि के प्रयास हेतु गेल के नजदीकी अनुरक्षण कार्यालय को या टॉल फ्री नंबर पर रिपोर्ट करेंगे। सहयोगियों को गेल के साथ सहयोग करने के लिए उपर्युक्त प्रोत्साहन/पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में इस योजना को प्रायोगिक आधार पर गेल के चार कार्य केन्द्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है और परिणाम के आधार पर इसे अन्य कार्य केन्द्रों में भी कार्यान्वित किया जाएगा।

➤ **परस्पर सहयोग**

आपकी कंपनी ने पाइपलाइन टर्मिनल तथा अनुरक्षण कार्यालय में साइट स्तर के अधिकारियों को गेल के ओ एंड एम कार्यालय की विभिन्न प्रणाली

और प्रक्रियाओं के बारे में परामर्श प्रदान करने, प्रोत्साहित करने तथा जागरूक करने के लिए परस्पर सहयोग प्रक्रिया आरंभ की है। इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में अत्यधिक अनुभवी वरिष्ठ कार्मिकों की एक टीम का गठन किया गया है।

➤ **डेल्टा पहल**

आपकी कंपनी ने स्वयं अथवा किसी अन्य में सुधार एवं प्रोसेस तथा संयंत्र में सुधार हेतु किसी क्षेत्र का चयन करने के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित करने हेतु डेल्टा पहल को कार्यान्वित किया है। डेल्टा से आशय है – एप्लीकेशन के माध्यम से प्रायोगिक शिक्षण द्वारा सकारात्मक परिवर्तन। यह लोगों की प्रक्रिया और व्यवहार प्रबंधन में सतत सुधार हेतु एक श्रृंखला की शुरुआत करेगा।

(ii) **उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे उत्पाद से प्राप्त लाभ**

पाइपलाइनों की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। पीआईडीएस जैसी इन प्रौद्योगिकियों ने विभिन्न वास्तविक समय कार्यकलापों की निगरानी को संभव बनाया है जो मैनुअल खुदाई, यांत्रिक खुदाई, फाइबर कट आंकड़ों आदि जैसी पाइपलाइन की अखंडता के लिए खतरा होते हैं। इसके अलावा, कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने पर विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मैनुअल वाल्वों को ऑटो क्लोजर तथा संचार प्रणालियों में परिवर्तित करने जैसी स्वचालन प्रणाली प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है।

(iii) **आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्न जानकारी दी जाए:**

क. आयात की गई प्रौद्योगिकी	: लागू नहीं
ख. आयात का वर्ष	:
ग. क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह अपना लिया गया है?	:
घ. यदि पूरी तरह से अपनाया नहीं किया गया है, ऐसे क्षेत्र जहां यह लागू नहीं हुआ है, उसके कारण बताएं।	:

(iv) **आर एंड डी पर व्यय**

क. राजधानी	: ₹16.76 करोड़
ख. आवर्ती/राजस्व	: ₹ शून्य
ग. कुल	: ₹16.76 करोड़

(ग) **विदेशी मुद्रा आय और व्यय -**

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय ₹785.07 थी और विदेशी मुद्रा व्यय ₹8,711.71 करोड़ रुपए था। जिसमें से 7,223 करोड़ रुपए एलएनजी कारगो की खरीद पर व्यय किया गया।



फार्म सं. एओसी - 2

अनुलग्नक-छ

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में),

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित उसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ स्वतंत्र लेनदेनों सहित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटन के लिए फॉर्म

1. स्वतंत्र आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों का विवरण

- क. संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति – इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) और यह गेल की सहयोगी / संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- ख. अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति – गेल द्वारा आईजीएल को पाइपलाइनों का अंतरण।
- ग. अनुबंधों/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि – एनए
- घ. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का मूल्य, यदि कोई हो, की प्रमुख शर्तें – गेल की देसू-मारुति पाइपलाइन और देसू-खेरकलां पाइपलाइन (एसवी-03 तक) का आईजीएल में 31.03.2015 को रु.78,12,220.00 और रु.46,06,281.00 का बही मूल्य (अर्थात् बट्टे खाते में डाला गया मूल्य)।
- कृ. ऐसे अनुबंधों या व्यवस्था या लेनदेन करने का औचित्य – ये पाइपलाइनें आईसीएल के सिटी गैस वितरण नेटवर्क के साथ परस्पर जुड़ी हैं।
- च. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख – 12.08.2016
- दृ. अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो – शून्य
- ज. धारा 188 के लिए प्रथम प्रावधान के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करने की तारीख – आईजीएल को हस्तांतरित गेल की पाइपलाइनों का मूल्य 100 रुपए करोड़ से कम है, इसलिए शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक नहीं थी।

2. स्वतंत्र आधार पर सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों की अवधि

- क. अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों का नाम – पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) और यह गेल (इंडिया) लिमिटेड का संयुक्त उद्यम
- ख. अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति – पुनः गैसीकरण तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की खरीद तथा एलएनजी गैसीकरण टर्मिनल(लों) की पुनः गैसीकरण सुविधा का उपयोग।
- ग. अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि – अनुबंधों की तिथि 26.09.2003; 31.03.2010; 31.12.2015; और गैस खरीद करार दिनांक 26.08.2009 06.09.2012, जो अभी जारी है।
- घ. मूल्य, यदि कोई हो, सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों की विशेष शर्तें – पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को रिगैसिफिकेशन सुविधाएं, आरएलएनजी की आपूर्ति (दीर्घकालीन और तत्काल) प्रदान करनी थी। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ लेनदेन वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग रु. 14,880 करोड़ रुपए (कर सहित) के थे।
- ड. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तिथि(यां) – लागू नहीं, क्योंकि अनुबंध कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में और स्वतंत्र था।
- च. अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो – शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उनकी की ओर से

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.08.2017

फॉर्म सं. एमजीटी-9

अनुलग्नक-ज

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे :

सीआईएन	L40200DL1984G0I018976
पंजीकरण की तारीख	16.08.1984
कंपनी का नाम	गेल (इंडिया) लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सरकारी कम्पनी
पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन नं. 011-26182955 / 26172580
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है (हां/नहीं)	हां
रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं सम्पर्क ब्यौरा	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज- I, नई दिल्ली-110020 फोन नं.(s)-011-41406149/50/51/52

II. कम्पनी का मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप

कम्पनी के कुल कारोबार के 10% अथवा अधिक का अंशदान करने वाले सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा:-

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	गैस विपणन	लागू नहीं	82

III. धारित, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण -

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	कम्पनी का पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारित/सहायक/ संबद्ध	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1.	गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड	वेंज बिजनेस सेंटर # 43-01, सनटेक टॉवर वन, 7 टेमासेक, बुलवर्ड, सिंगापुर-038987	लागू नहीं	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	100	2(87)
2.	गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक	333 क्ले स्ट्रीट, सुइट 700, ह्यूस्टन, टेक्सास - 77002	लागू नहीं	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	100	2(87)
3.	गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी (गेल ग्लोबल यूएसए इंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	333 क्ले स्ट्रीट, सुइट 700, Houston, ह्यूस्टन, टेक्सास- 77002	लागू नहीं	सहायक कम्पनी	-	2(87)
4.	गेल गैस लिमिटेड	16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066	U40200DL2008G0I178614	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	100	2(87)
5.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एम.जी. रोड, गुवाहाटी असम, 781001	U1101AS2007G0I008290	सहायक कम्पनी	70	2(87)
6.	गेल चायना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड	क्लैरीडन हाऊस-2 चर्च स्ट्रीट, हैमिल्टन एचएम 11, बरमुडा	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम / सहयोगी कम्पनी	50	2(6)
7.	अवन्तिका गैस लिमिटेड	अवन्तिका गैस लिमिटेड, 202-बी, द्वितीय तल, एलआईसी बिल्डिंग, जीवन प्रदीप, 12-12ए, अनूप नगर, ए बी रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452008	U40107MP2006PLC018684	संयुक्त उद्यम / सहयोगी कम्पनी	49.97	2(6)
8.	त्रिपुरा नेचुरल गैस कम्पनी लिमिटेड	33 ऑफिस लेन अगरतला, त्रिपुरा-799001	U23201TR19905GC003451	संयुक्त उद्यम / सहयोगी कम्पनी	48.98	2(6)
9.	भायनगर गैस लिमिटेड	परिश्रम भवन, बशीरबाग, हैदराबाद, तेलंगाना-500004	U40200TG2003PLC041566	संयुक्त उद्यम / सहयोगी कम्पनी	49.97	2(6)
10.	रत्नागिरी गैस एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी भवन, कोर 7, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 इस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	U40105DL2005PTC138458	संयुक्त उद्यम / सहयोगी कम्पनी	25.50	2(6)



क्र. सं.	कम्पनी का नाम	कम्पनी का पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारित/सहायक/ संबद्ध	धारित शेयरों का %	लागू खंड
11.	सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड	ए-1/4 लखनपुर यूपीएसआईडी काम्पलेक्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208024	U40200UP2005PLC029538	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	25	2(6)
12.	ग्रीन गैस लिमिटेड	फॉर्चुना टॉवर, दूसरा तल, 10, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001	U23201UP2005PLC030834	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	49.97	2(6)
13.	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	आईजीएल भवन, प्लॉट नं. 4, कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022	L23201DL1998PLC097614	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	22.5	2(6)
14.	महानगर गैस लिमिटेड	एमजीएल हाऊस, ब्लॉक नं. जी 33, बान्द्रा कुर्ला, कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र-400051	U40200MH1995PLC088133	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	32.50	2(6)
15.	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	प्लॉट नं. 27, नरवीर तानाजी वाडी, पीएमटी बस डिपो, कॉमर्शियल बिल्डिंग, प्रथम तल, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411005	U11102PN2006PLC021839	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	22.5	2(6)
16.	ओएनजीसी पेट्रो-एडीशन्स लिमिटेड	प्रथम तल, ओमकारा बिल्डिंग, साई चौकड़ी, मांजलपुर, वडोदरा, गुजरात-390011	U23209GJ2006PLC060282	संयुक्त उद्यम	49.21	2(6)
17.	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001	L74899DL1998PLC093073	संयुक्त उद्यम	12.5	2(6)
18.	तापी पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड	मार्फत केएन्स फिड्यूसिएरीज लिमिटेड, फोर्ट एन डोगलस इसल ऑफ मैन्, आईएम 15 पीडी	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	5	2(6)
19.	साऊथ - ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड	सिडोना होटल (मंडाले) नं. 1, जंक्शन ऑफ 26 स्ट्रीट एवं 66 स्ट्रीट, चनआई थार्जन टॉउनशिप मंडाले म्यामांर	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	4.17	2(6)
20.	वडोदरा गैस लिमिटेड	श्री मुनि कमर्शियल गैस कार्यालय, गैस कार्यालय भवन, डांडिया बाजार वडोदरा 390001	U40106GJ2013PLC076828	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	32.93	2(6)
21.	तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	प्लॉट 2/एच, कल्पना एरिया, बीजेबी नगर, खुर्दा, भुवनेश्वर खोधा या 751014 आईएन	U24120OR2015PLC019575	संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कम्पनी	29.67	2(6)

IV. शेयरहोल्डिंग पद्धति

(कुल इक्विटी प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

I) श्रेणीवार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयर संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयर संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	(1 अप्रैल, 2016 को)				(31 मार्च, 2017 को)				
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) केन्द्र सरकार	711695832	0	711695832	56.11	920651612	0	920651612	54.43	-1.67
ग) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ड) वित्तीय संस्थान/बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयर संख्या (1 अप्रैल, 2016 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयर संख्या (31 मार्च, 2017 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
च) कोई अन्य (विशिष्ट)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ट्रस्ट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
संस्था	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
शैक्षणिक संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (क)	711695832	0	711695832	56.11	920651612	0	920651612	54.43	-1.67
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फण्ड/यूटीआई	19365772	14350	19380122	1.53	96358985	19133	96378118	5.70	4.17
ख) वित्तीय संस्थान/बैंक	36263865	1050	36264915	2.86	45213493	1400	45214893	2.67	-0.19
ग) केन्द्र सरकार	91888984	0	91888984	7.24	123593819	0	123593819	7.31	0.06
घ) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ) उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) बीमा कम्पनिया	157433644	0	157433644	12.41	144791105	0	144791105	8.56	-3.85
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	207373059	2450	207375509	16.35	255636198	3266	255639464	15.11	-1.23
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप-योग (ख)(1)	512325324	17850	512343174	40.39	665593600	23799	665617399	39.36	-1.04
गैर-संस्थान									
क) निगमित निकाय									
भारतीय	9376282	450	9376732	0.74	42819631	400	42820031	2.53	1.79
ख) व्यक्तिगत -									
i) 1 लाख ₹ तक के सामान्य शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	18877196	83672	18960868	1.49	25552796	110896	25663692	1.52	0.02
ii) 1 लाख ₹ से अधिक के मामूली शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	960527	0	960527	0.08	13170171	0	13170171	0.78	0.70
अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
अनिवासी भारतीय	781800	5452	787252	0.06	1013793	7284	1021077	0.06	0.00
ओसीबी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
विदेशी कंपनियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
क्लीयरिंग सदस्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
न्यास और फाउंडेशन	2461969	0	2461969	0.19	5895465	36990	5932455	0.35	0.16
सहकारी समिति	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
आरबीआई सहित एनबीएफसी पंजीकृत	0	0	0	0.00	81235	0	81235	0.00	0.00
उप योग (ख)(2)	32457774	89574	32547348	2.57	88533091	155570	88688661	5.24	2.67
कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	544783098	107424	544890522	42.95	754126691	179369	754306060	44.60	1.64
कुल (क)+(ख)	1256478930	107424	1256586354	99.06	1674778303	179369	1674957672	99.03	-0.03
संरक्षकों द्वारा धारित शेयरजिनके लिए डिपॉजिटरी रसीदें जारी की गई हैं	11891046	0	11891046	0.94	16345528	0	16345528	0.97	0.03
सकल योग (क) + (ख) + (ग)	1268369976	107424	1268477400	100.00	1691123831	179369	1691303200	100.00	0.00



(ii) प्रवर्तकों का शेयरधारण

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2016 को)			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2017 को)			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन का %
		शेयर की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में बंधक/ऋणग्रस्त का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में बंधक/ऋणग्रस्त का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	711695832	56.11	0	920651612	54.43	0	1.68
	कुल	711695832	56.11	0	920651612	54.43	0	1.68

(iii) प्रवर्तकों की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि इसमें कोई परिवर्तन न हो)

नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/ (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग (31.03.2016 से 31.03.2017 तक)	
	प्रारंभ में शेयरों की संख्या (31.03.16) / वर्ष के अंत में (31.03.17)	कम्पनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कम्पनी के कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति	711695832	56.11	1-अप्रैल-2016				
			20-जनवरी-2017	-15315380	सीपीएसई ईटीएफ यूनिटों के माध्यम से भारत सरकार के विनिवेश शेयर	696380452	54.90
			24-मार्च-2017	232126817	बोनस	928507269	54.90
			24-मार्च-2017	-7855657	सीपीएसई ईटीएफ यूनिटों के माध्यम से भारत सरकार के विनिवेश शेयर	920651612	54.43
	920651612	54.43	31 मार्च 2017				

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग पद्धति (जीडीआर एवं एडीआर के निदेशकों, प्रवर्तकों एवं धारकों को छोड़कर):

31.03.2016 और 31.03.2017 को शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग और उनका लेनदेन (जीडीआर एवं एडीआर के निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं धारकों को छोड़कर)								
क्र. सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/ (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक)	
		वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2016) / वर्ष के अंत में (31 मार्च 2017)	कम्पनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	132621001	10.46	1-अप्रैल-2016				
				8-अप्रैल-2016	(1469485)	बिक्री	131151516	10.34
				15-अप्रैल-2016	(483544)	बिक्री	130667972	10.30
				3-जून-2016	(886468)	बिक्री	129781504	10.23
				10-जून-2016	(622577)	बिक्री	129158927	10.18
				17-जून-2016	(1349537)	बिक्री	127809390	10.08
				24-जून-2016	(1245075)	बिक्री	126564315	9.98
				22-जुलाई-2016	(223941)	बिक्री	126340374	9.96
				29-जुलाई-2016	(1003759)	बिक्री	125336615	9.88
				5-अगस्त-2016	(1343286)	बिक्री	123993329	9.77
				12-अगस्त-2016	(679656)	बिक्री	123313673	9.72
				19-अगस्त-2016	(130000)	बिक्री	123183673	9.71

31.03.2016 और 31.03.2017 को शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग और उनका लेनदेन (जीडीआर एवं एडीआर के निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं धारकों को छोड़कर)

क्र. सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक)	
		वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2016) /वर्ष के अंत (31 मार्च 2017)	कम्पनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कम्पनी के कुल शेयरों का %
				9-सितंबर-2016	(1334437)	बिक्री	121849236	9.61
				16-सितंबर-2016	(1100786)	बिक्री	120748450	9.52
				23-सितंबर-2016	(2365671)	बिक्री	118382779	9.33
				30-सितंबर-2016	(1053651)	बिक्री	117329128	9.25
				7-अक्टूबर-2016	(1943052)	बिक्री	115386076	9.10
				14-अक्टूबर-2016	(1044625)	बिक्री	114341451	9.01
				21-अक्टूबर-2016	(2592999)	बिक्री	111748452	8.81
				28-अक्टूबर-2016	(2189361)	बिक्री	109559091	8.64
				4-नवंबर-2016	(1798686)	बिक्री	107760405	8.50
				11-नवंबर-2016	(400000)	बिक्री	107360405	8.46
				25-नवंबर-2016	(820265)	बिक्री	106540140	8.40
				2-दिसंबर-2016	(5384322)	बिक्री	101155818	7.97
				9-दिसंबर-2016	(2045419)	बिक्री	99110399	7.81
				16-दिसंबर-2016	(908676)	बिक्री	98201723	7.74
				23-दिसंबर-2016	(800318)	बिक्री	97401405	7.68
				31-दिसंबर-2016	(1621925)	बिक्री	95779480	7.55
				6-जनवरी-2017	(3439757)	बिक्री	92339723	7.28
				13-जनवरी-2017	(3216181)	बिक्री	89123542	7.03
				20-जनवरी-2017	(1871066)	बिक्री	87252476	6.88
				17-मार्च-2017	(930000)	बिक्री	86322476	5.10
				24-मार्च-2017	26478286	बोनस	112800762	6.67
		110445783	6.53	31-मार्च-2017	(2354979)	बिक्री		
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	61259323	4.83	1-अप्रैल-2016				
				24-मार्च-2017	20419774	बोनस	81679097	4.83
		81679097	4.83	31-मार्च-2017				
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30629661	2.41	1-अप्रैल-2017				
		40839548	2.41	31-मार्च-2017				
4	भारतीय जीवन बीमा निगम का पी एंड जीएस फंड	27656670	2.18	1-अप्रैल-2016				
				31-दिसंबर-2016	(283116)	बिक्री	27373554	2.16
				6-जनवरी-2017	(1713245)	बिक्री	25660309	2.02
				13-जनवरी-2017	(1493811)	बिक्री	24166498	1.91
				20-जनवरी-2017	(327337)	बिक्री	23839161	1.88
				17-मार्च-2017	(320000)	बिक्री	23519161	1.39
				24-मार्च-2017	7281387	बोनस	30800548	1.82
		30660453	1.81	31-मार्च-2017	(140095)	बिक्री		
5	मैथ्यूज पैसिफिक टाइगर फंड	22282108	1.76	1-अप्रैल-2016				
				24-मार्च-2017	7427369	बोनस	29709477	1.76
		29709477	1.76	31-मार्च-2017				



31.03.2016 और 31.03.2017 को शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग और उनका लेनदेन (जीडीआर एवं एडीआर के निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं धारकों को छोड़कर)								
क्र. सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक)	
		वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2016) /वर्ष के अंत (31 मार्च 2017)	कम्पनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कम्पनी के कुल शेयरों का %
6	सीपीएसई ईटीएफ	0	0	1-अप्रैल-2016				
				11-नवंबर-2016	5128902	खरीद	5128902	0.40
				18-नवंबर-2016	(2468)	बिक्री	5126434	0.40
				25-नवंबर-2016	(11226)	बिक्री	5115208	0.40
				2-दिसंबर-2016	102553	खरीद	5217761	0.41
				9-दिसंबर-2016	(31600)	बिक्री	5186161	0.41
				16-दिसंबर-2016	(17064)	बिक्री	5169097	0.41
				23-दिसंबर-2016	(5688)	बिक्री	5163409	0.41
				31-दिसंबर-2016	(18601)	बिक्री	5144808	0.41
				6-जनवरी-2017	83126	खरीद	5227934	0.41
				13-जनवरी-2017	(10948)	बिक्री	5216986	0.41
				20-जनवरी-2017	(3220)	बिक्री	5213766	0.41
				27-जनवरी-2017	15290264	खरीद	20504030	1.62
				3-फरवरी-2017	(3015187)	बिक्री	17488843	1.38
				10-फरवरी-2017	(850724)	बिक्री	16638119	1.31
				17-फरवरी-2017	102882	खरीद	16741001	1.32
				24-फरवरी-2017	(134550)	बिक्री	16606451	1.31
				3-मार्च-2017	(1685069)	बिक्री	14921382	1.18
				10-मार्च-2017	(1010059)	बिक्री	13911323	1.10
				17-मार्च-2017	(845047)	बिक्री	13066276	0.77
				24-मार्च-2017	12536461	बोनस	25602737	1.51
		23049125	1.36	31-मार्च-2017	(2553612)	बिक्री		
7	सरकारी पेंशन निधि ग्लोबल	10616466	0.84	1-अप्रैल-2016				
				6-मई-2016	146945	खरीद	10763411	0.85
				13-मई-2016	1175417	खरीद	11938828	0.94
				20-मई-2016	401707	खरीद	12340535	0.97
				27-मई-2016	74182	खरीद	12414717	0.98
				3-जून-2016	353208	खरीद	12767925	1.01
				24-जून-2016	319811	खरीद	13087736	1.03
				30-जून-2016	305742	खरीद	13393478	1.06
				29-जुलाई-2016	(270823)	बिक्री	13122655	1.03
				26-अगस्त-2016	(973625)	बिक्री	12149030	0.96
				2-सितंबर-2016	(61059)	बिक्री	12087971	0.95
				10-अक्टूबर-2016	738000	खरीद	12825971	1.01
				4-नवंबर-2016	300000	खरीद	13125971	1.03
				11-नवंबर-2016	775381	खरीद	13901352	1.10
				18-नवंबर-2016	119296	खरीद	14020648	1.11
				25-नवंबर-2016	250000	खरीद	14270648	1.13
				2-दिसंबर-2016	428558	खरीद	14699206	1.16
				13-जनवरी-2017	422941	खरीद	15122147	1.19
				20-जनवरी-2017	196200	खरीद	15318347	1.21
				10-फरवरी-2017	200000	खरीद	15518347	1.22
				24-फरवरी-2017	(198874)	बिक्री	15319473	1.21
				3-मार्च-2017	(558433)	बिक्री	14761040	1.16
				10-मार्च-2017	(755181)	बिक्री	14005859	1.10

31.03.2016 और 31.03.2017 को शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग और उनका लेनदेन (जीडीआर एवं एडीआर के निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं धारकों को छोड़कर)

क्र. सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक)	
		वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2016) / वर्ष के अंत (31 मार्च 2017)	कम्पनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कम्पनी के कुल शेयरों का %
				24-मार्च-2017	5009333	बोनस	19015192	1.12
		19283424	1.14	31-मार्च-2017	268232	खरीद		
8	ड्यूश बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिकन्स	11891046	0.94	1-अप्रैल-2016				
				22-अप्रैल-2016	(30000)	बिक्री	11861046	0.94
				29-अप्रैल-2016	(184308)	बिक्री	11676738	0.92
				6-मई-2016	(184362)	बिक्री	11492376	0.91
				13-मई-2016	(148776)	बिक्री	11343600	0.89
				20-मई-2016	(66000)	बिक्री	11277600	0.89
				27-मई-2016	(94800)	बिक्री	11182800	0.88
				3-जून-2016	(4884)	बिक्री	11177916	0.88
				10-जून-2016	(108480)	बिक्री	11069436	0.87
				17-जून-2016	(108000)	बिक्री	10961436	0.86
				30-जून-2016	(900000)	बिक्री	10061436	0.79
				1-जुलाई-2016	(89598)	बिक्री	9971838	0.79
				15-जुलाई-2016	605406	खरीद	10577244	0.83
				22-जुलाई-2016	386262	खरीद	10963506	0.86
				5-अगस्त-2016	578616	खरीद	11542122	0.91
				12-अगस्त-2016	29358	खरीद	11571480	0.91
				26-अगस्त-2016	7584	खरीद	11579064	0.91
				2-सितंबर-2016	436710	खरीद	12015774	0.95
				9-सितंबर-2016	6000	खरीद	12021774	0.95
				21-अक्तूबर-2016	(360000)	बिक्री	11661774	0.92
				28-अक्तूबर-2016	(208572)	बिक्री	11453202	0.90
				4-नवंबर-2016	(156312)	बिक्री	11296890	0.89
				11-नवंबर-2016	(319782)	बिक्री	10977108	0.87
				18-नवंबर-2016	(136770)	बिक्री	10840338	0.85
				25-नवंबर-2016	(293844)	बिक्री	10546494	0.83
				2-दिसंबर-2016	(20238)	बिक्री	10526256	0.83
				16-दिसंबर-2016	(22800)	बिक्री	10503456	0.83
				23-दिसंबर-2016	(6000)	बिक्री	10497456	0.83
				31-दिसंबर-2016	1872	खरीद	10499328	0.83
				6-जनवरी-2017	(24000)	बिक्री	10475328	0.83
				13-जनवरी-2017	46200	खरीद	10521528	0.83
				20-जनवरी-2017	153000	खरीद	10674528	0.84
				27-जनवरी-2017	(2214)	बिक्री	10672314	0.84
				3-फरवरी-2017	49995	खरीद	10722309	0.85
				10-फरवरी-2017	61011	खरीद	10783320	0.85
				17-फरवरी-2017	46626	खरीद	10829946	0.85
				24-फरवरी-2017	554058	खरीद	11384004	0.90
				3-मार्च-2017	995142	खरीद	12379146	0.98
				10-मार्च-2017	(120000)	बिक्री	12259146	0.97
				24-मार्च-2017	4086382	बोनस	16345528	0.97
		16345528	0.97	31-मार्च-2017				



31.03.2016 और 31.03.2017 को शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग और उनका लेनदेन (जीडीआर एवं एडीआर के निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं धारकों को छोड़कर)								
क्र. सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक)	
		वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2016) /वर्ष के अंत (31 मार्च 2017)	कम्पनी के कुल शेयरों का %				शेयर	कम्पनी के कुल शेयरों का %
9	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-	-	1-अप्रैल-2016				
				17-फरवरी-2017	9114557	खरीद	9114557	0.72
				24-फरवरी-2017	18307	खरीद	9132864	0.72
				3-मार्च-2017	(2990)	बिक्री	9129874	0.72
				10-मार्च-2017	(5918)	बिक्री	9123956	0.72
				17-मार्च-2017	(7200)	बिक्री	9116756	0.72
				24-मार्च-2017	2992586	बोनस	12109342	0.72
		11890484	0.70	31-मार्च-2017	(218858)	बिक्री		
10	हर्मिज़ इमर्जिंग एएसआई की ओर से हर्मिज़ इन्वेस्टमेंट फंड	8651958	0.68	1-अप्रैल-2016				
				29-अप्रैल-2016	249345	खरीद	8901303	0.70
				30-सितंबर-2016	461589	खरीद	9362892	0.74
				10-मार्च-2017	(617893)	बिक्री	8744999	0.69
				24-मार्च-2017	2914999	बोनस	11659998	0.69
		11659998	0.69	31-मार्च-2017				

v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के शेयरहोल्डिंग:

क्र. सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि/(कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक)	
		वर्ष के आरंभ में शेयरों की संख्या (1 अप्रैल 2016) /वर्ष के अंत (31 मार्च 2017)	कम्पनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1	श्री एम. रविन्द्रन	75	0.00	1-अप्रैल-2016			75	0.00
				24-मार्च-2017	25	बोनस शेयर जारी करना	100	0.00
		100	0.00	31-मार्च-2017			100	0.00
2	श्री पी.के. गुप्ता	300	0.00	1-अप्रैल-2016			300	0.00
				24-मार्च-2017	100	बोनस शेयर जारी करना	400	0.00
		400	0.00	31-मार्च-2017			400	0.00
3	श्री एन.के. नागपाल	4	0.00	1-अप्रैल-2016			4	0.00
				24-मार्च-2017	1	बोनस शेयर जारी करना	5	0.00
		5	0.00	31-मार्च-2017			5	0.00

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उद्भूत ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता परन्तु भुगतान हेतु देय नहीं

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशि	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	2893.91	5165.04	-	-
ii) ब्याज देय, परन्तु अदा नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज उद्भूत परन्तु देय नहीं	72.66	33.54	-	106.2
कुल (i + ii + iii)	2966.57	5198.58	-	8165.15
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जमा*	0.22	2025.79*	-	2026.01
कमी*	-1145	-3834.81*	-	-4979.81
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव	-	-43.01	-	-43.01
निवल परिवर्तन	-1144.78	-1852.03	-	-2996.81
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
i) मूल राशि	1749.13	3313.01	-	5062.14
ii) ब्याज देय, परन्तु अदा नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज उद्भूत परन्तु देय नहीं	72.07	10.57	-	82.64
Total (i + ii + iii)	1821.2	3323.58	-	5144.78

*पुनः वित्त-पोषण में प्रयुक्त यूएसडी के समकक्ष आईएनआर शामिल है।

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) एवं/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	बी. सी. त्रिपाठी (सीएमडी)	श्री पी.के. गुप्ता (डब्ल्यूटीडी) (01.02.17 से)	श्री सुबीर पुरकायस्थ (डब्ल्यूटीडी) एवं सीएफओ	श्री एम. रविन्द्रन (डब्ल्यूटीडी) (31.03.17 तक)	डॉ. आशुतोष कर्नाटक (डब्ल्यूटीडी)	कुल राशि
1.	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	35.07	5.31	41.60	64.63	30.92	177.53
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	8.12	1.89	6.72	6.55	12.56	35.84
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3.	स्वीट इविचटी	-	-	-	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
5.	अन्य	14.99	1.45	10.96	10.61	11.27	49.28
योग (क)		58.18	8.65	59.28	81.79	54.75	262.65
अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		लागू नहीं					



ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम						कुल राशि
		श्री एस.के. श्रीवास्तव	श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ	श्री संजय टंडन	श्री दिनकर पी श्रीवास्तव	डॉ. अनूप के पुजारी	श्रीमती अनुपमा जायसवाल	
1	स्वतंत्र निदेशक							
	बोर्ड एवं समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	17.40	16.40	12.30	1.20	1.20	0.40	48.90
	कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	17.40	16.40	12.30	1.20	1.20	0.40	48.90
अधिनियम के अनुसार कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक समग्र उच्चतम सीमा								लागू नहीं

टिप्पणी : अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामिती) कम्पनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते:

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से भिन्न मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		कुल
		कंपनी सचिव		
		श्री एन. के. नागपाल (26.05.16 तक)	श्री ए.के. झा (26.05.16 से)	
1.	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	7.49	14.82	22.31
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	0.45	3.58	4.03
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	स्वीट इविवटी	-	-	-
4.	कमीशन	-	-	-
	लाभ के 9% के रूप में	-	-	-
	अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	1.39	4.38	5.77
	कुल	9.33	22.78	32.11

VII. शास्ति/दण्ड/अपराध शमन :

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा, 2013	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दण्ड/लगाए गए शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
शास्ति	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
शमन	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
शास्ति	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
शमन	-	-	-	-	-
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
शास्ति	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
शमन	-	-	-	-	-

लाभांश वितरण नीति

अनुलग्नक-अ

1.0 परिचय:

1.1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के विनियम 43क (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 (सूचीकरण विनियम) दिनांक 8 जुलाई 2016 के अनुसरण में गेल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल (बोर्ड) (गेल/कंपनी) ने 24 मार्च 2017 को लाभांश वितरण नीति को अपनाया है।

1.2 यह नीति गेल लाभांश वितरण नीति ('नीति') के नाम से जानी जाएगी।

2.0 प्रभावी तारीख

यह नीति बोर्ड द्वारा इसे अपनाए जाने की तारीख अर्थात् 24 मार्च 2017 से प्रभावी होगी।

3.0 नीति का उद्देश्य

लाभांश वितरण नीति कंपनी के विकास के लिए पर्याप्त निधियों को बनाए रखने के बाद अपने शेयरधारकों को अपने लाभ का एक हिस्सा देकर कंपनी का आशय दर्शाती है। कंपनी अपने सभी हितधारकों को स्थायी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

4.0 सांविधिक आवश्यकताएं

किसी विशेष वर्ष के दौरान लाभांश भुगतान का निर्णय करते समय बोर्ड निम्नलिखित वैधानिक आवश्यकताओं और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करेगा:

4.1 कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, जिनमें किसी विशिष्ट रिजर्व के लिए लाभ के कुछ भाग को अनिवार्य रूप से हस्तांतरित करना शामिल है, लाभांश घोषणा/लाभ के प्रतिधारण के संबंध में निर्णय लेते समय कंपनी पर लागू होंगे।

4.2 निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 'केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का पूंजीगत पुनर्गठन' पर दिशा-निर्देश दिनांक 27 मई, 2016 को जारी किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ निम्न का उल्लेख किया गया है:

उद्धरण

"पूर्व दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में, प्रत्येक सीपीएसई पीएटी के 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा बशर्ते कि यह मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन हो।

इसके बावजूद, सीपीएसई से इस अधिनियम के तहत अनुज्ञेय अधिकतम लाभांश का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है, जिसके अंतर्गत सीपीएसई स्थापित की गई है, जब तक वित्तीय सलाहकारों के अनुमोदन के साथ प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के स्तर पर मामला दर मामला आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के विश्लेषण के बाद कम भुगतान करने के प्रस्ताव का औचित्य नहीं ठहराया जाता:

- सीपीएसई का निवल-मूल्य और उधार लेने की उसकी क्षमता
- दीर्घकालिक उधार
- पूंजीगत व्यय/व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताएं
- पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के अनुसार आगे लाभ का प्रतिधारण
- नकद और बैंक शेष

विश्लेषण से यह पुष्टि होनी चाहिए कि सीपीएसई द्वारा उच्च निवेश सुनिश्चित करने के लिए इसके निवल मूल्य को बढ़ाने के लिए निधियों का प्रतिधारण बढ़ रहा है। इस संबंध में छूट के लिए रिपोर्ट, यदि कोई हो, वित्तीय

वर्ष की दूसरी तिमाही के समाप्त होने से पहले सीपीएसई द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, डीआईपीएम को प्रस्तुत की जाएगी।"

गैर-उद्धृत

4.3 किसी भी अन्य कानून/दिशानिर्देश/विनियम को यथासंभव लागू करना।

5.0 परिस्थितियां जिसके तहत कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की अपेक्षा हो सकती है या नहीं

कंपनी अपने शेयरधारकों को निरंतर लाभांश का भुगतान कर रही है और भविष्य में भी इसके जारी रखने की संभावना है, जब तक कि कंपनी को निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभांश घोषित करने से रोक नहीं दिया जाता है:

5.1 पर्याप्त लाभ न होना—यदि किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड यह निर्धारित करता है कि कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं है, तो बोर्ड उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित न करने का निर्णय ले सकता है।

5.2 लाभांश रिजर्व से घोषित नहीं किया जाना चाहिए—सामान्यतः बोर्ड, अपने रिजर्व में से किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करेगा, जब तक कि इसके कारणों को स्पष्ट न कर दिया जाए। इस संबंध में किसी भी निर्णय को लाभांश की सिफारिश/घोषणा करते समय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाएगा।

5.3 पिछली हानि और मूल्यह्रास — कंपनी अधिनियम की धारा 123 (1) के अनुसार, कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि पिछला घाटा और पिछले वर्ष या वर्षों का मूल्यह्रास चालू वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की तुलना में समाप्त न हो जाए।

6.0 लाभांश की सिफारिश/घोषणा करने के लिए बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी कारक/मानदंड

बोर्ड द्वारा बैठक में अंतिम लाभांश की सिफारिश की जाती है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करने के बाद अनुमोदित किया जाता है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश(शो) की भी घोषणा कर सकता है।

सामान्यतया, लाभांश की सिफारिश/घोषणा करने से पहले बोर्ड द्वारा कारकों पर विचार किया जाता है जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होते:

6.1 वर्ष के दौरान कंपनी को प्राप्त और अनुमानित लाभप्रदता, प्रति शेयर आय और निवल मूल्य एवं प्रवाह—यदि कंपनी पर्याप्त परिचालन नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं कर सकती, तो उसे दैनिक प्रचालनों को चलाने के लिए अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और कभी-कभार बाहरी वित्त-पोषण पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता होती है।

6.2 एमएंडए आदि जैसे कार्बनिक/अकार्बनिक विकास अवसरों सहित कंपनी की वर्तमान और भावी पूंजी व्यय योजनाओं को पूरा करने के लिए उधार की तुलना में उधार का स्तर, ऋण करार, उधार की लागत और उधार लेने की क्षमता।

6.3 उचित अवधि में बिना किसी कठिनाई के लेनदारों और उधारदाताओं के दायित्व—कंपनी को उचित अवधि में बिना किसी कठिनाई के अपने ऋण दायित्वों को चुकाने में सक्षम होना चाहिए।

6.4 पिछला निष्पादन/लाभांश इतिहास और कंपनी की साख पर पर लाभांश का प्रभाव

6.5 लाभांश वितरण कर या स्रोत पर कर कटौती किसी भी रूप में भारत में कर कानूनों के द्वारा अपेक्षित अनुसार लाभांश की घोषणा और गेल के वित्त पर इसके प्रभाव के समय लागू हो सकती है।



- 6.6 व्यापक आर्थिक स्थिति—देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, नीतिगत फैसले जो सरकार और अन्य इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित परिस्थितियों से किए जा सकते हैं, जिनका कंपनी के व्यापार पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है, वहां प्रबंधन अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त रिजर्व रखने के लिए लाभ के एक बड़े भाग को रखने पर विचार कर सकता है।
- 6.7 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश—केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के पूंजीगत पुनर्गठन' पर डीआईपीएएम के दिनांक 27 मई, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की समाप्ति से पहले डीआईपीएएम को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके छूट की मांग कर सकती है। कंपनी द्वारा इन दिशा-निर्देशों को आवश्यकतानुसार छूट प्राप्त करने के लिए लागू किया जाएगा।
- 6.8 बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाला अन्य कोई कारक।

7.0 प्रतिधारित आय का उपयोग

कंपनी के संगम ज्ञापन में कंपनी के उद्देश्यों के अनुसार प्रतिधारण आय रखी जाएगी। व्यवसाय में रखे जाने वाले लाभ को कंपनी द्वारा बोर्ड के अनुसार उचित रूप में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं में नियोजित किया जाना जारी रखा जाएगा।

8.0 शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाने वाली नीति और मापदंडों का कार्यक्षेत्र

- 8.1 यह नीति, जो ऊपर उल्लिखित सभी प्रासंगिक परिस्थितियों या अन्य कारकों पर विचार करने के बाद प्रत्येक वर्ष बोर्ड को लाभांश की सिफारिश करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराएगी, पर बोर्ड द्वारा उपयुक्तता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तथापि, इस नीति के किसी घटक के अलावा मानदंड के आधार पर या कंपनी के हित में नीति के किसी भी घटक में संशोधन के परिणामस्वरूप, उसका वार्षिक रिपोर्ट में और साथ ही वेबसाइट पर खुलासा किया जाएगा।
- 8.2 गेल में वर्तमान में शेयरों का केवल एक ही वर्ग है अर्थात् इक्विटी शेयर। जब कभी यह शेयरों के किसी भी अन्य वर्ग को जारी रखने का प्रस्ताव करेगा, नीति में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।
- 8.3 नीति के कार्यक्षेत्र में निम्न शामिल नहीं हैं:

- 8.3.1 वरीयता शेयरों पर निर्धारण और घोषित डिविडेंड, यदि कोई हो, को बाद की तारीख में गेल द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि यह शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित इश्यू के अनुसार होगा;
- 8.3.2 वस्तु के रूप में लाभांश, अर्थात् पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान किया गया बोनस शेयर या अन्य प्रतिभूतियों का वितरण जो लागू कानून के अधीन होगा;
- 8.3.3 इक्विटी शेयरों की वापसी खरीद के माध्यम से लाभांश के भुगतान के विकल्प के रूप में नकदी का वितरण

9.0 लाभांश भुगतान का तरीका और समय-सीमा

9.1 अंतरिम लाभांश

- 9.1.1 अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, को बोर्ड द्वारा घोषित किया जाएगा।
- 9.1.2 यदि कोई अंतिम लाभांश घोषित नहीं किया जाता है, तो वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, को वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश के रूप में माना जाएगा।


9.2 अंतिम लाभांश

- 9.2.1 सिफारिश, यदि कोई हो, को बोर्ड द्वारा प्रायः अपनी बैठक में किया जाएगा जो वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करता है और उन्हें अनुमोदित करता है, बशर्ते कि कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त हो।
- 9.2.2 बोर्ड द्वारा अनुशासित लाभांश कंपनी की वार्षिक आम बैठक में स्वीकृत/घोषित किया जाएगा।
- 9.3 लाभांश का भुगतान घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, विद्यमान कानून के अनुसार रिकॉर्ड तारीख/बही खाता समापन अवधि पर लाभांश प्राप्त करने के पात्र शेयरधारकों को इसका भुगतान किया जाएगा।

10.0 संशोधन

- 10.1 यदि नीति किसी नए विनियामक प्रावधान के अनुरूप न हो, तो ऐसे विनियामक प्रावधान इस नीति के संबंधित प्रावधान पर लागू होंगे और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तारीख से तदनुसार संशोधित माना जाएगा।
- 10.2 इस नीति में सभी परिवर्तन और संशोधन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित निर्णय के बाद किया जाएगा।

व्यवसाय उत्तरेदायित्व रिपोर्ट





गेल (इंडिया) लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 2016-17 की व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर)

भाग क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1 कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

L40200DL1984G01018976

2 कम्पनी का नाम

गेल (इंडिया) लिमिटेड

3 पंजीकृत पता

16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

4 वेबसाइट

<http://www.gailonline.com>

5 ई-मेल पता

shareholders@gail.co.in

6 सूचित वित्तीय वर्ष

2016-2017

7 क्षेत्र (त्रों), जिसमें कम्पनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड-वार)

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार कंपनी निम्नलिखित कार्यकलापों में कार्यरत है, जैसा कि नीचे समूह में दिया गया है:

493	पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन
201	मूलभूत रसायनों, उर्वरक एवं नाइट्रोजन कम्पाउंड, प्लास्टिक और प्रारंभिक स्वरूप में सिंथेटिक रबड़ का निर्माण
061	क्रूड पेट्रोलियम का निष्कर्षण,
062	प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण,
351	इलेक्ट्रिक पॉवर उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण

8 तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची, जिसका कंपनी विनिर्माण करती है/उपलब्ध कराती है (तुलनपत्र के अनुसार)

1. प्राकृतिक गैस विपणन एवं ट्रांसमिशन
2. पेट्रोकेमिकल्स (पॉलीइथिलीन एवं पॉलीप्रोपिलीन)
3. अन्य तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादन—(एलपीजी, प्रोपेन, पेन्टेन, नाफ्था आदि)

9 कार्यस्थलों की कुल संख्या जहां व्यावसायिक कार्यकलाप कंपनी द्वारा किए जाते हैं

i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 के ब्योरे दें) सिंगापुर एवं यूएसए

पूर्ण स्वामित्व वाली 3 अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनियां हैं:

1. गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड
2. गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक.
3. गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी

ii. राष्ट्रीय कार्यस्थलों की संख्या

गेल के विविध व्यवसाय खंडों जैसे विपणन एवं ट्रांसमिशन, एलएचसी उत्पादन, गैस आयात आदि में अखिल भारतीय उपस्थिति है। गेल के प्रमुख प्रचालन साइट एवं कार्यालय निम्नानुसार हैं:

- एलपीजी संयंत्र (6) – विजयपुर (मध्य प्रदेश) में दो संयंत्र, वघोडिया (गुजरात), औरैया (उ.प्र.), गंधार (गुजरात) और उसर (महाराष्ट्र) प्रत्येक में एक संयंत्र है।
- पाता (उ.प्र.) में पेट्रोकेमिकल संयंत्र, और पाता (उ.प्र.), विजयपुर (म.प्र.) में सी2/सी3 संयंत्र

- कंप्रेसर स्टेशन – विजयपुर, खेड़ा, झाबुआ एवं कैलारस (मध्य प्रदेश), हजीरा, वघोडिया (गुजरात), औरैया (उ.प्र.), चैनसा (हरियाणा)
- एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क और पंपिंग स्टेशन— जामनगर, कांडला, समखयाली (गुजरात), नसीराबाद, मंसारामपुरा (राजस्थान), लोनी (यू.पी.), विशाखापत्तनम, जीकोंडूरु (आंध्र प्रदेश), चेरलापली (तेलांगना)
- क्षेत्रीय पाइपलाइन नेटवर्क और कार्यालय—अगरतला (त्रिपुरा), वडोदरा (गुजरात), मुंबई (महाराष्ट्र), राजमंड्री (आंध्र प्रदेश), दिल्ली—एनसीआर, कराईकल (पुदुचेरी)
- 13 क्षेत्रीय विपणन कार्यालय—दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), बंगलौर (कर्नाटक), भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़ (हरियाणा), जयपुर (राजस्थान), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), लखनऊ (उ.प्र.), मुंबई (महाराष्ट्र), अहमदाबाद (गुजरात), भुवनेश्वर (ओडिशा) और अमरावती (आंध्र प्रदेश)
- नोएडा (उ.प्र.) और जयपुर (राजस्थान) में 2 गेल प्रशिक्षण संस्थान

10 कंपनी द्वारा सेवारत बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय राष्ट्रीय

भाग ख : कम्पनी का वित्तीय विवरण

- 1 प्रदत्त पूंजी (आईएनआर) 1691.31 करोड़ रुपए
- 2 कुल कारोबार (आईएनआर) 48,789 करोड़ रुपए
- 3 कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर) 3,503 करोड़ रुपए
- 4 कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च (%)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, गेल को वित्त वर्ष 2016-17 में 81.47 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अधिदेशित किया गया था। इसके सीएसआर गतिविधियों पर पिछले 03 वर्षों का निवल औसत शुद्ध लाभ का 2%। परिभाषित लक्ष्य हासिल करने के लिए, गेल ने 2016-17 की सीएसआर गतिविधियों पर 117.42 करोड़ रुपए खर्च करने की प्रतिबद्धता की। इस प्रतिबद्धता की तुलना में, गेल ने 123.58 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया, जिसमें से 92.16 करोड़ रुपए विशेष रूप से वित्त वर्ष 2016-17 में अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर खर्च किए गए हैं जो पिछले तीन वित्तीय वर्ष के निवल शुद्ध लाभ का 2.26% है।

5 पिछले वर्ष के कार्यकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त 4 में खर्च किया गया है:-

पहचाने गए फोकस क्षेत्रों में गतिविधियों पर किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

- क) उन्नति—ग्रामीण विकास पहल – 3781.44 लाख रुपए
- ख) आरोग्य (कुल)—पोषण, स्वास्थ्य और पेयजल और स्वच्छता पहल, जिनमें स्वच्छ भारत सहित – 1963.01 लाख रुपए
 - o आरोग्य— पेयजल – 312.55 लाख रुपए
 - o आरोग्य – स्वास्थ्य— 9 6 9 .00 लाख रुपए
 - o आरोग्य – स्वच्छता पहल – 681.66 लाख रुपए
- ग) गेल कौशल—कौशल विकास और आजीविका सृजन पहल—1194.92 लाख रुपए
- घ) उज्ज्वल – शिक्षा केंद्रित पहल – 562.00 लाख रुपये
- ड.) सक्षम – बुजुर्ग और दिव्यांगों की देखभाल – 117.91 लाख रुपए
- च) सशक्त – महिला सशक्तिकरण – 60.35 लाख रुपए
- छ) हरित— 35.41 लाख रुपए

ज) अन्य-ग्रामीण खेलों के प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त खेल, पैरालिंपिक स्पोर्ट्स और ओलंपिक खेल - 1125.17 लाख रुपए

भाग ग : अन्य विवरण

1 क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?

जी हां।

31 मार्च 2015 को गेल की 5 सहायक कंपनियां थीं। 5 सहायक कंपनियों में से 3 सहायक कंपनियां भारत से बाहर तथा 2 सहायक कंपनियां भारत में परिचालनरत हैं।

2 क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी(यों) की संख्या बताएं।

जी हां

गेल (इंडिया) लिमिटेड की दोनों सहायक कंपनियां, जो भारत में कार्यरत हैं - बीसीपीएल और गेल गैस ने सीएसआर और दूसरी बीआर पहलों का अधिग्रहण कर लिया है।

3 क्या कोई अन्य इकाई/इकाइयां (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी का कारोबार जुड़ा है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई/इकाइयों का प्रतिशत बताएं? (30 प्रतिशत से कम, 30-60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)

जी हां।

गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय उत्तरदायित्व पहलों में इसके सभी हितधारकों जैसे कि भारत सरकार, कर्मचारी, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, ग्राहकों एवं समुदाय का व्यापक स्तर पर सहयोग रहता है और ये हितधारक गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ उसके व्यवसाय उत्तरदायित्व पहलों को हासिल करने में शामिल हैं। ऐसे हितधारकों का प्रतिशत 30 प्रतिशत से कम है।

खंड घ और खंड ड. में संदर्भित सिद्धांतों की सूची निम्नलिखित है:

सिद्धांत सं.	कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय, सामाजिक एवं नियंत्रण मानक (एनवीजी-एसईई) के अनुपालन का निर्धारण करने के सिद्धांत
सिद्धांत 1: (पी1)	नीतिपरक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ व्यवसायों को स्वयं संचालित करना चाहिए और नियंत्रित करना चाहिए।
सिद्धांत 2: (पी2)	व्यवसायों को ऐसे सामान एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों एवं उनका पूरा जीवनचक्र स्थायी हो
सिद्धांत 3: (पी3)	व्यवसायों से सभी कर्मचारियों का हित प्रोत्साहित होना चाहिए।
सिद्धांत 4: (पी4)	व्यवसायों को सभी हितधारकों विशेष रूप से उनके जो अलाभकारी, असुरक्षित एवं उपेक्षित हैं, के संबंध में उनके हितों का सम्मान करना चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
सिद्धांत 5: (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
सिद्धांत 6: (पी6)	व्यवसायों को पर्यावरण पुनरुद्धार का सम्मान, संरक्षण करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करने चाहिए
सिद्धांत 7: (पी7)	व्यवसायों को, जब सार्वजनिक एवं विनियामक नीति तैयार की जाए, उस समय जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए।
सिद्धांत 8: (पी8)	व्यवसायों को समग्र वृद्धि एवं समान विकास में सहायक होना चाहिए।
सिद्धांत 9: (पी9)	व्यवसायों को जिम्मेदारी पूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के लिए कार्य करना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए।

भाग घ : बीआर सूचना

1 बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

निदेशक मंडल की स्थायी विकास समिति

क. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा

(i)	डीआईएन नम्बर नाम पदनाम	02309551 श्री एम रविन्द्रन (31.01.2017 तक) निदेशक (मानव संसाधन)
(ii)	डीआईएन नम्बर नाम पदनाम	01237706 श्री पी के गुप्ता (01.02.2017 से) निदेशक (मानव संसाधन)
(iii)	डीआईएन नम्बर नाम पदनाम	6850526 श्री सुबीर पुरकास्थ निदेशक (वित्त)

(iv)	डीआईएन नम्बर नाम पदनाम	3267102 डॉ आशुतोष कर्नाटक निदेशक (परियोजना)
(v)	डीआईएन नम्बर नाम पदनाम	07352288 श्री अनुपम कुलश्रेष्ठा पार्ट-टाइम गैर अधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक
ख.	बीआर प्रमुख का ब्यौरा	
1.	डीआईएन नम्बर (यदि लागू हो)	3267102
2.	नाम	डॉ आशुतोष कर्नाटक
3.	पदनाम	निदेशक (परियोजना)
4.	टेलीफोन नम्बर	011-43090758
5.	ई-मेल पता	akarnatak@gail.co.in



2 नियमानुसार (एनवीजी के अनुरूप) बीआर नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)										
प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	
1 क्या आपके पास नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
2 क्या नीति को संबंधित स्टेकधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है?										
उपरोक्त प्रश्न का उत्तर - जी हां, नीतियों को संबंधित स्टेकधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाता है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
टिप्पणी - गेल (इंडिया) लिमिटेड, जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, भारत सरकार द्वारा जारी की गई नीतियों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं का पालन करता है। नीतियों को संबंधित स्टेकधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाता है। गतिशील व्यावसायिक परिवेश में गेल (इंडिया) लिमिटेड अपने व्यावसायिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करता है।										
3 क्या नीति राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संगत है? यदि हां तो इसके बारे में बताएं (50 शब्दों में)	हां संदर्भ: क	हां संदर्भ: ख	हां संदर्भ: ग	हां संदर्भ: क	हां संदर्भ: घ	हां संदर्भ: ङ	नहीं	हां संदर्भ: च	हां संदर्भ: क	
	<p>क: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत सीएसआर नियम, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर डीपीई दिशानिर्देश 2014 की संशोधनीयता, आरएंडडी पर डीपीई निर्देश, कॉर्पोरेट नियंत्रण पर डीपीई दिशानिर्देश, सूचीबद्धता करार, भारत सरकार का पीडीआईपीआई प्रस्ताव सं. 89, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।</p> <p>ख, ग: राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं वातावरण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (सुरक्षा, निषेध एवं निवारण) नियम, 2013</p> <p>घ: संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (सुरक्षा, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013</p> <p>ङ: राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर पर्यावरण नीति, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार</p> <p>च: संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं स्थायित्व 2014 पर डीपीई दिशानिर्देश</p>									
प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	
4 क्या नीति, बोर्ड द्वारा स्वीकृत है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
यदि हां, तो क्या यह एमडी/स्वामी/सीईओ/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
टिप्पणी - नीतियां बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं जिसे बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्राधिकार के लिए अधिकृत किया गया है।										
5 क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की जांच के लिए बोर्ड/निदेशक/कर्मचारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
6 नीति को ऑनलाइन देखने के लिंक बताएं?	हां संदर्भ: क,ख,ग जी-123	हां संदर्भ: घ	हां संदर्भ: च	हां संदर्भ: घ	हां संदर्भ: च	हां संदर्भ: घ	नहीं	हां संदर्भ: ङ, घ	हां संदर्भ: घ	
<p>बाहरी स्टेकधारकों के लिए सभी नीतियां गेल की वेबसाइट http://gailonline.com/final_site/index.html पर निम्नलिखित पते पर उपलब्ध हैं:</p> <p>क. आचार संहिता: http://www.gailonline.com/final_site/pdf/InvestorsZone/Code_of_Conduct_2014.pdf</p> <p>ख. धोखाधड़ी रोकथाम नीति: http://www.gailonline.com/final_site/pdf/others/Drfat_Policy2012.pdf</p>										

		<p>ग. गेल (इंडिया) लिमिटेड और टीआईआई के बीच समझौता-ज्ञापन: http://www.gailonline.com/final_site/pdf/CSR/final_policy2010.pdf</p> <p>घ. सतत् विकास नीति: http://www.gailonline.com/final_site/pdf/Sustainability/GAIL_Sustainable_Development_Policy-English.pdf</p> <p>ङ. गेल सीएसआर नीति: http://www.gailonline.com/final_site/pdf/final_policy2010.pdf</p> <p>च. "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने, निषेध एवं निवारण नीति, अधिसूचना के बाद आंतरिक शिकायत समिति का गठन http://www.gailonline.com/final_site/pdf/others/Sexual_Harassment_Women_Workplace.pdf</p> <p>छ (1) गेल सामग्री सहायक नीति http://www.gailonline.com/final_site/pdf/InvestorsZone/GAIL_Material_Subsidiary_policy.pdf</p> <p>छ (2) गेल संबंधित पार्टी लेनदेन नीति http://www.gailonline.com/final_site/pdf/InvestorsZone/GAIL_Related_Party_Transaction_Policy.pdf</p> <p>छ (3) भौतिकता एवं प्रकटन के निर्धारण के लिए गेल की नीति http://www.gailonline.com/final_site/pdf/InvestorsZone/GAIL_Determination_Material_Policy_Disclosure.pdf</p> <p>ज. लाभांश वितरण नीति http://www.gailonline.com/final_site/pdf/InvestorsZone/GAIL%20Dividend%20Distribution%20Policy.pdf</p> <p>सभी नीतियां, जो आंतरिक स्टेकधारकों से संबंधित हैं, गेल इंटरनेट पोर्टल पर उपलब्ध हैं।</p>								
7	क्या नीति को सभी संबंधित बाहरी एवं आंतरिक स्टेकधारकों को औपचारिक रूप से भेज दिया गया है?									
	सभी संबंधित स्टेकधारकों को (वेबसाइट, बैठकों, ई-मेल, परिपत्रों आदि के माध्यम से भेजा गया)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने का आंतरिक ढांचा है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
9	क्या कंपनी के पास स्टेकधारकों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी इस नीति के कार्यप्रणाली की किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करती है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2क	यदि किसी नियम के संबंध में क्र.सं. 1 का उत्तर नहीं है, तो कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि क्यों: (दो विकल्पों पर सही का निशान लगाएं)									
	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को समझा नहीं है	लागू नहीं								
2	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह अपने आपको विनिर्दिष्ट नियमों से संबंधित नीतियों को तैयार करने और लागू करने की स्थिति में हो									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए उपलब्ध वित्तीय या मानवशक्ति संसाधन नहीं हैं									
4	इसे अगले 6 माह के भीतर तैयार करने की योजना है									
5	इसे अगले 1 वर्ष के भीतर तैयार करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									



क्र.सं.	बोर्ड की समितियां	वित्त वर्ष 2016-17 में आयोजित बैठकों की संख्या
1	निगमित सामाजिक दायित्व समिति	03
2	लेखापरीक्षा समिति	13
3	मानव संसाधन समिति	04
4	परियोजना मूल्यांकन समिति	02
5	स्टेकधारक संबंध समिति	01
6	स्टेकधारक शिकायत निवारण समिति	01
7	व्यवसाय विकास एवं विपणन समिति	09
8	वित्त समिति	03
9	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	02

3 **बीआर संबंधी नियंत्रण**

उस आवृत्ति का उल्लेख करें जिससे निदेशक मंडल, बोर्ड अथवा सीईओ समिति, कंपनी के बीआर कार्यनिष्पादन को निर्धारित कर सकें। 3 माह के भीतर, 3-6 माह के भीतर, वार्षिक रूप में, 1 वर्ष से अधिक।

वित्त वर्ष 16-17 में स्थायी विकास समिति द्वारा आयोजित कुल 2 बैठकें आयोजित की गईं, आगे गेल के बोर्ड की विभिन्न उप समितियां हैं जो समय-समय पर व्यापार जिम्मेदारी से संबंधित पहलुओं की समीक्षा करती हैं।

क्या कंपनी बीआर या स्थायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करती है?
इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है?
इसकी प्रकाशित समयावधि क्या है?

जी हां, गेल जीआरआई दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक रूप से बाहरी तौर पर सुनिश्चित स्थायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

http://www.gailonline.com/final_site/SB-Sustainability.html

वार्षिक

निम्न खंड में सूचित बीआरआर प्रारूप के अनुसार जानकारी प्रदान की जाती है; तथापि स्थायित्व गतिविधियों पर अधिक जानकारी के लिए गेल की स्थिरता रिपोर्ट 2016-17 को संदर्भित किया जा सकता है जो इस लिंक पर उपलब्ध होगी: http://www.gailonline.com/final_site/SB-Sustainability.html

भाग ई: सिद्धांत अनुसार निष्पादन

सिद्धांत 1

व्यवसायों को नीतिपरक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ करना चाहिए और नियंत्रित करना चाहिए

1. क्या नीतिपरक, घूस एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी तक सीमित हैं? हां/नहीं

क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य के लिए किया गया है?

जी नहीं, कंपनी के अलावा, यह किसी सहायक या संयुक्त उद्यम कंपनी में अनुपूरक अथवा प्रतिनियुक्ति पर गए गेल कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित है। आचार संहिता, सीडीए नियम/स्थायी आदेश, धोखाधड़ी निवारण नीति एवं व्हीसल ब्लोअर नीति सभी गेल कर्मचारियों पर लागू है जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनियां, सहायक कंपनियां, सरकारी निकायों जिसमें स्वायत्त संस्थान, विनियामक प्राधिकरण आदि शामिल हैं, में अनुपूरक या प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी शामिल हैं।

इसके अलावा, सतर्कता विभाग, सीवीसी दिशानिर्देशों एवं संबंधित परिपत्रों पर आधारित मुद्दों से संबंधित घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। गेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों के लिए, वहां क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जहां गेल की इक्विटी 50 प्रतिशत से अधिक है।

आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों आदि के लिए विस्तारिक "सत्यनिष्ठा संधि" और भ्रष्टाचार निवारण नीति का गेल, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल संविदा (यूएनजीसी) के नियमों का पालन करता है जो भ्रष्टाचार को रोकने जैसे मुद्दों पर नियम को सूचीबद्ध करते हैं।

2. विगत वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत शिकायतों को प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से समाधान किया गया था? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों अथवा अधिक में उनके ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

स्टेकधारक	प्राप्त शिकायतें	लंबित शिकायतें	समाधान का %
शेयरधारक / निवेशक	19	0	100
ग्राहक	52	0	100
कर्मचारी	17	0	100
सतर्कता	97	20	79.38
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता (सत्यनिष्ठा समझौते से संबंधित)	3	0	100
जनसाधारण	140	06	95.71
कुल	328	26	92.07

टिप्पणी: उल्लिखित शिकायतें, उस नियम पर ध्यान दिए बिना कुल शिकायतें हैं, जिसके अंतर्गत वह आती हैं।

गेल में सत्यनिष्ठा संधि लागू करने के लिए, मैसर्स ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे प्रक्रियाओं के प्रापण में पारदर्शिता प्राप्त की जा सकें। स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें गेल में भ्रष्टाचार, घूसखोरी या किसी गैर-नीतिपरक कार्यों को रोकने के लिए सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सिद्धांत 2

व्यवसायों को ऐसे सामान एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों एवं उनके पूरे कार्यकाल को स्थायित्व प्रदान करने में सहयोग करते हों।

1. अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बताएं, जिसके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों/या अवसरों को शामिल किया गया हो।

- प्राकृतिक गैस एवं एलपीजी ट्रांसमिशन
- तरल हाइड्रोकार्बन
- पेट्रोकेमिकल्स (एचडीपीई एवं एलएलडीपीई)

टिप्पणी – नये उत्पादों/प्रक्रिया/सेवाओं को अपनाने की प्रक्रिया –

विस्तृत इंजीनियरिंग, विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन, जिसमें नया गैस प्रोसेसिंग एवं पेट्रोकेमिकल संयंत्र के लिए लागत अनुमान एवं निवेश मंजूरी के मार्गस्थ विभिन्न ग्राहकों को अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए लागत अनुमान एवं निवेश मंजूरी शामिल है।

उपरोक्त सभी परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है और निम्नलिखित कार्यकलापों को शामिल करके पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं, जोखिमों एवं अवसरों को ध्यान में रखते हुए निष्पादित किया जा रहा है।

- ईएमपी (पर्यावरणीय प्रबंधन योजना)
- ईआईए (पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण)
- एसआईए (सामाजिक प्रभाव निर्धारण)
- आरआरए (त्वरित जोखिम निवारण)
- सीसीओई मंजूरी (मुख्य विस्फोटक नियंत्रक)
- एचएजेडओपी (खतरा एवं प्रचालीयता अध्ययन)
- बाजार अध्ययन

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रति यूनिट संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं (वैकल्पिक):

i. पूर्ववर्ती वर्ष के पूरे मूल्य श्रृंखला से प्राप्त स्रोत/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती?

i. प्राकृतिक गैस एवं एलपीजी ट्रांसमिशन:

संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कंपनी, एकीकृत प्रबंधन से निम्नलिखित उद्योग बेहतर पद्धतियों, सुरक्षित मानकों द्वारा पाइपलाइन और कम्प्रेसर/पम्पिंग स्टेशनों के द्वारा ग्राहकों को स्रोत से प्राकृतिक गैस (एनजी) एवं एलपीजी के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है।

गैल की एनजी एवं एलपीजी के ट्रांसमिशन की प्रणाली समग्र निगरानी के लिए केन्द्रीय नियंत्रण प्रणाली सहित स्काडा प्रणाली से समर्थित है।

ii. तरल हाइड्रोकार्बन:

गैल का एलपीजी संयंत्र प्राकृतिक गैस को इसके मूल्य वर्धित उत्पादों अर्थात् तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करता है। संयंत्र को बेहतरीन उद्योग मानकों, पद्धतियों एवं मानकों जैसे ओआईएसडी की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर तैयार किया जाता है। नवीनतम नियंत्रण प्रणाली को सभी एलपीजी संयंत्रों में अपनाया जाता है।

एलपीजी को बल्क में एलपीजी रिटेल कंपनियों को बेचा जाता है और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादों को उद्योगों में उपयोग हेतु बेचा जाता है।

iii. पेट्रोकेमिकल (एचडीपीई एवं एलएलडीपीई):

गैल के पेट्रोकेमिकल संयंत्र में ईथेन, प्रोपेन (सी2/सी3) गैस प्रोसेसिंग यूनिट में प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है और इथिलीन एवं प्रोपिलीन प्राप्त करने के लिए गैस क्रेकर यूनिट में क्रेक किया जाता है। इथिलीन को तीन पॉलीमर यूनिटों में अंतिम उत्पादों—एचडीपीई (उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन) और एलएलडीपीई (लाइनियर कम घनत्व पॉलीइथिलीन) में परिवर्तित किया जाता है।

प्रक्रिया में उत्पादन के वांछित स्तर के लिए ऊर्जा, कच्चे माल, पानी आदि के इष्टतम परिणाम को अपनाया जाता है।

टिप्पणी 2 का संदर्भ

ii. उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग के दौरान विगत वर्ष से (ऊर्जा, जल) में कमी आई है?

वित्तीय वर्ष 16-17 में गैल ने अपने ग्राहकों को पिछले वर्ष बेची गई और आपूर्ति की गई 74 एमएमएससीएमडी गैस की तुलना में 81 एमएमएससीएमडी गैस की बिक्री की है। कुछ नए ग्राहकों को भी तरल एवं अन्य ईंधनों से प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया गया है। चूंकि प्राकृतिक गैस अत्यधिक हल्का जीवाश्म ईंधन है, अतः यह ग्राहक स्तर पर जीएचजी उत्सर्जन की कमी को प्रोत्साहित करता है।

कृपया टिप्पणी 3 भी देखें

3. क्या कंपनी में स्थायी स्रोत के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है (परिवहन सहित)?

गैल ने ई-टेंडरिंग प्रारंभ की है, जो प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित है और ऐसी प्रापण पद्धतियों को ऐसे तरीके में निष्पादित किया जाता है, जो पारदर्शी हो, उचित हो, प्रतिस्पर्धी हो और लागत प्रभावी हो। यह प्रक्रिया भी पेपर बचत की दिशा और संगठन की ग्रीन पहल में सहयोग करती है।

हमारी आईटी टीम भीतरी एवं बाहरी ग्राहकों को समाधान प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ निरंतर रूप से कार्य करती है और संपूर्ण प्रक्रिया में आईटी सहयोगी सेवाओं का विस्तार करती है।

इसके अलावा, हम अपनी निविदाओं को वेबसाइट पर प्रकाशित करते हैं जो कि सार्वजनिक होती है तथा जो भी इन निविदाओं में भाग लेना चाहता है, वह निविदा जारीकर्ता प्राधिकरण में शामिल हुए बिना निविदा में भाग ले सकता है।

ऊर्जा दक्षता एवं स्थायी उत्पादों को प्राप्त करने के उद्देश्य से गैल ने निम्नलिखित प्रावधान प्रारंभ किए हैं:

i) कम्प्रेसर/टर्बाइन/जनरेटर आदि की खरीद के लिए निविदा हेतु मापदंड तय किए हैं। ये मापदंड उपकरण की विनिर्दिष्ट अवधि (अर्थात् 10/15 वर्ष) संबंधी ईंधन/बिजली खपत पर आधारित हैं। लदान मापदंडों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए मूल्यों को निविदा का मूल्यांकन करते समय उद्धृत मूल्यों में जोड़ा जाता है। यह कंपनी को ईंधन/बिजली दक्षता उपकरण प्राप्त करने में मदद करता है।

ii) स्टार रेटिंग बिजली उपकरण।

iii) सभी नए भवन परियोजनाओं में ग्रीन बिल्डिंग परिकल्पना।

स्थायी विकास स्थायी समिति (एसडीएससी) के निर्णय के अनुसार, बिजली का सामान एवं एसी खरीदते समय कम से कम 3 स्टार रेटिंग की प्रक्रिया चल रही है और 10 वर्ष से पुराने बिजली के उपकरणों को लागत लाभ विश्लेषण के बाद बदला जाता है।

इसके अलावा, गैल ने 118 मेगावाट (लगभग) पवन ऊर्जा एवं 5 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता संस्थापित की है।

आपूर्ति श्रृंखला में स्थायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, गैल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति कार्यान्वित की है। स्थानीय विक्रेताओं से सामान खरीदने एवं सतत् भविष्य सुनिश्चित करने के लिए गैल ने डीएमईपी नीति और मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया है।

i. यदि हां, तो आपके कितने प्रतिशत इनपुट स्थायित्व रूप से स्रोत किए गए थे? इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों या अधिक में उनके आंकड़े भी उपलब्ध कराएं।

जी हां, गैल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति लागू की है। नीति में एमएसई से 20 प्रतिशत खरीद का लक्ष्य है, जो ऐसे संगठनों द्वारा प्रदान की गई माल एवं सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई से 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ है। इसके अलावा, गैल सरकार की सभी नीतियों को लागू करता है जो ठोस साधन स्रोत उपलब्ध कराते हैं। सभी निविदाकर्ताओं को गैल की निविदाओं की सामान्य शर्तों को स्वीकार करना अपेक्षित है, जिनमें (क) समाज (ख) पर्यावरण (ग) श्रम मूल्य एवं (घ) मानव अधिकार पहल पर प्रभाव से संबंधित सभी प्रावधानों को स्वीकार करने की वे पुष्टि करते हैं।

4. क्या कंपनी ने स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के लोग शामिल हैं, माल एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु कोई कदम उठाए है? जी हां,

गैल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के लिए "सार्वजनिक प्रापण नीति" लागू की है जिसमें एमएसई को निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा से छूट, खरीद अधिमान आदि जैसे विभिन्न लाभकारी सेवाओं का विस्तार किया गया है। यह नीति ऐसे संगठनों द्वारा प्रदान की गई माल एवं सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4 प्रतिशत उप-लक्ष्य के साथ एमएसई से 20 प्रतिशत प्रापण हेतु



लक्षित है। ये उद्योग, सामान्यतः कार्यस्थल के समीप रहने वाले समुदायों के स्थानीय एवं लघु उत्पादकों के होते हैं।

इसके अलावा, गेल में घरेलू निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई गई है जिसमें घरेलू निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (डीएमईपी) को लागू किया गया है। घरेलू निर्मित सामान को बढ़ावा देने के लिए गेल में इनडैंग समूहों का गठन किया गया है। गेल में कुछ घरेलू स्रोतों का विकास किया गया है जैसे –

- (i) भारत में गेल/अन्य पाइपलाइन कंपनियों को मीटर उपलब्ध कराने हेतु हजीरा (गुजरात) में “मीटर परीक्षण सुविधा”, और
- (ii) रसायनों के कुछ घरेलू प्रतिस्थापन। घरेलू पाइप विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उन निविदादाओं के लिए “डेमो रूट” के माध्यम से भारतीय निविदाकर्ताओं की योग्यता का प्रावधान रखा गया है जिनके पास पीटीआर (प्रमाणिक ट्रेड रिकार्ड) नहीं है। वर्ष 1985 में कोई भी पाइपलाइन का कोई घरेलू निविदादाता नहीं था जबकि आज इसके 19 घरेलू निविदादाता हैं।

यदि हां, तो स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं दक्षता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गेल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) के लिए एक सार्वजनिक खरीद नीति लागू की है जो निविदा शुल्क और ईएमडी, एमएसई को खरीद वरीयता आदि से छूट देता है। इससे निविदा प्रक्रिया में शामिल आपूर्तिकर्ताओं या विक्रेताओं की लेनदेन लागत कम होगी। इसके अलावा, गेल ने कागजी कार्य को कम करने के लिए तथा निविदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई-प्रापण पहल प्रारंभ की है। यह स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने तथा थोक निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में शामिल उनकी निविदा लागत को कम करने में मदद करता है। सभी टेंडरों में प्रि-टेंडर या निविदा-पूर्व बैठक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने तथा निविदा प्रक्रिया में वेन्डरों को सहायता करने के लिए प्रारंभ की गई है।

गेल विभिन्न मंचों जैसे विक्रेताओं की बैठक या एमएसई बैठक या उद्योग सम्मेलन आदि के माध्यम से स्थानीय तथा लघु विक्रेताओं के साथ चर्चा करता और इन पहलों से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें जानकारी देता है। गेल ने हमारे विक्रेताओं को कोचिंग देने की एक विशिष्ट पहल शुरू की है जिसमें बोलीदाताओं को गेल की निविदा में भागीदारी की प्रक्रिया पर कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा, बोलीदाताओं को सभी संगत निबंधन एवं शर्तों (निविदा देने से पूर्व और देने के बाद) की जानकारी दी जाती है।

5 क्या कम्पनी के उत्पादों और अपशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए कोई तंत्र है?

यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्ट के पुनः चक्रण का क्या प्रतिशत है (अलग-अलग रूप से 5 प्रतिशत से कम, 5-10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत से अधिक)

उसका विवरण भी लगभग 50 शब्दों में दें।

जी हां

सतत् विकास नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है।

प्राकृतिक गैस (एनजी), गेल के प्रोसेस संयंत्रों के लिए मुख्य इनपुट घटक है। प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग करने के बाद उसे ग्राहकों को भेजा जाता है और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार उसका केवल कुछ अंश ही प्रदीप्ति होता है। अतः पुनः प्रयोग/पुनर्चक्रित प्राकृतिक गैस के इनपुट या कच्ची सामग्री के रूप में इसकी सीमित संभावना होती है। उत्पादों तथा प्रक्रियाओं का डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है ताकि अपव्यय शून्य/न्यूनतम हो।

गेल विभिन्न पहलों जैसे ऊष्मा पुनः प्राप्ति भाप उत्पादन (एचआरएसजी), निस्सारी उपचार संयंत्र (ईटीपी), मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी), वर्षा जल का संचयन आदि के माध्यम से संसाधनों की उत्पादकता का इष्टतम प्रयोग करने का प्रयास करता है।

जल प्रबंधन

विविध गतिविधियों के भाग के रूप में उत्पन्न अपशिष्ट जल को निस्सारी

उपचार संयंत्र (ईटीपी) के माध्यम से उपचारित किया जाता है। उपचारित जल को विभिन्न गैर-पेययोग्य प्रयोगों जैसे बागवानी आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

गेल सुनिश्चित करता है कि इसकी संस्थापनों में अपशिष्ट जल की अधिकतम मात्रा का प्रयोग हो।

अपशिष्ट प्रबंधन

गेल संयंत्रों में ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधा मौजूद है जिसमें प्राकृतिक उपयोगिता रहित और खतरनाक प्रतीत होने वाले संयंत्र अपशिष्ट का अनुमोदित एजेंसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से निपटान किया जाता है।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन

ई-अपशिष्ट का प्रबंधन वापसी खरीद प्रणाली के माध्यम से वापस करके या राज्य एजेंसियों द्वारा स्वीकृत के पुनः चक्रणकर्ताओं माध्यम से निपटान करके किया जाता है।

नोट 2 देखें

सिद्धांत 3

व्यवसायों के साथ सभी कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा देना चाहिए।

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शायें।**
4355 (31.03.2017 तक पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड और सीएमडी, सीवीओ सहित)
2. **कृपया अस्थायी/संविदा/कैजुअल आधार पर भर्ती किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शायें।**
18249
3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शायें।**
257
4. **कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शायें।**
88
5. **क्या आपके यहाँ प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है?**
जी हाँ,
गेल संघ की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और कर्मचारी संघों, अधिकारी संघों, महिला फोरम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों आदि का उदारतापूर्वक समर्थन करके सामूहिक सौहार्द को प्रभावी रूप से मान्यता देता है। गेल में दो संघ अपने संबंधित कामगारों/स्टाफ के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गेल कर्मचारी संघ (जीईए) निगमित कार्यालय के अतिरिक्त पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/संयंत्रों/प्रतिष्ठानों में नियुक्त गैर-कार्यकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। निगमित कार्यालय में नियुक्त गैर-कार्यकारियों का प्रतिनिधित्व गेल कर्मचारी संघ (जीकेएस) द्वारा किया जाता है।
6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?**
इन मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के सदस्य के रूप में नियमित कर्मचारियों का प्रतिशत 21.41% है।
7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों और वित्तीय वर्ष के अन्त में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या दर्शायें।**

	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अन्त में लंबित शिकायतों की संख्या
क	बाल श्रम, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
ख	यौन उत्पीड़न	03	शून्य
ग	विभेदकारी रोजगार	शून्य	शून्य

8 आपके कितने प्रतिशत निम्नलिखित कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?

क	स्थायी कर्मचारी	कुल: 94 %
ख	स्थायी महिला कर्मचारी	कुल: 87 %
ग	कैजुअल/अस्थायी/संविदा कर्मचारी	स्थल/परियोजनाएं – 100 % सुरक्षा जागरूकता
घ	दिव्यांग कर्मचारी	कुल: 88 %

टिप्पणी - 94 प्रतिशत पुरुष स्थायी कर्मचारियों को पिछले वर्ष सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

साइटों और परियोजनाओं में नियुक्त किये गये सभी कर्मचारियों को अनिवार्य सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन निर्धारित प्रशिक्षणों के अलावा, कर्मचारियों को विभिन्न अवसरों जैसे सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आदि पर आयोजित किये जाने वाले नॉलेज शेयरिंग कार्यक्रमों, ऑनलाइन विज और प्रतिस्पर्धी आयोजनों के माध्यम से कार्यक्षेत्रों तथा व्यवहार पहलुओं में सुरक्षा तथा दक्षता उन्नयन से संबंधित सुझाव भी दिये जाते हैं।

सिद्धांत 4

व्यवसायों को सभी हितधारकों विशेष रूप से उनके जो अलाभकारी अवस्था में असुरक्षित एवं उपेक्षित हैं, के संबंध में उनके हितों का सम्मान करना चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक तथा बाहरी स्टेकधारकों का खाका बनाया है? हाँ/नहीं

जी हाँ,

गेल ने आन्तरिक तथा बाहरी स्टेकधारकों की पहचान की है, जिसमें बाहरी स्टेकधारक जैसे सरकार/नियामक, क्रियान्वयन एजेंसी, सेवा प्रदाता, स्थानीय समुदाय, सिविल सोसायटी, ग्राहक, निवेशक, मीडिया, उपभोक्ता, प्रतिपालन समूह आदि और आन्तरिक स्टेकधारी कर्मचारी के रूप में शामिल हैं।

2. क्या कम्पनी ने उपरोक्त में से उपेक्षित, कमजोर और अधिकारों से वंचित स्टेकधारकों की पहचान की है?

जी हाँ,

गेल कम्पनी की मौजूदा सीएसआर नीति के अनुसार उपेक्षित, कमजोर और अधिकारों से वंचित स्टेकधारकों की पहचान करता है। इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत इनकी पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त 2014 के डीपीई सीएसआर और वहीनीयता दिशानिर्देशों का भी अनुसरण किया जाता है। इनमें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग, दिव्यांग, महिला तथा बाल, जनजातीय, अ.जा.-अ.ज.जा, अल्पसंख्यक, उपेक्षित युवा, वरिष्ठ नागरिक, एचआईवी प्रभावित लोग, हिंसा से प्रभावित लोग शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा, गेल के प्रचालन केन्द्रों में समुदाय के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध निहित होता है।

गेल द्वारा प्रारम्भ की गई सभी सीएसआर परियोजनाओं का उद्देश्य उपेक्षित, कमजोर तथा अधिकारों से वंचित पणधारकों को बेहतर जीवन प्रदान करना है। अधिकारों से वंचित समूहों और समुदाय के व्यापक रूप से सम्पूर्ण और चिरस्थायी विकास के लिए गेल द्वारा विशिष्ट मध्यवर्तन डिजाइन लागू किए गए हैं।

3. क्या कम्पनी द्वारा उपेक्षित, कमजोर और अधिकारों से वंचित लोगों को नियुक्त करने के लिए कोई विशेष पहलें की गई हैं? यदि ऐसा है, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

जी हाँ,

गेल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में परिभाषित क्षेत्रों में गेल की सीएसआर नीति में निर्धारित सात क्षेत्रों में केन्द्रित मध्यवर्तकों के साथ सीएसआर

परियोजनाओं का निष्पादन करता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा सीएसआर नियम के अनुरूप है।

सिद्धांत के अनुसार जो समावेशी और न्यायसंगत विकास की वकालत करता है, यह नोट किया जा सकता है कि गेल की सीएसआर उपस्थिति अखिल भारत – उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर में है।

गेल द्वारा विशिष्ट कार्यकलाप बनाए गए हैं और उन्हें कार्यान्वित किया गया है ताकि उपेक्षित हितधारक समूहों और समुदाय का बड़े पैमाने पर समग्र और स्थायी विकास हो सके।

ऐसा एक उदाहरण विशेष बच्चों के लिए उम्मीद आशा किरण स्कूलों हेतु गेल-एएफडब्ल्यूडब्ल्यूए जैसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को अधिकार संपन्न बनाना तथा शिक्षित करना है। गेल ने फर्नीचर, शिक्षण सहायक इत्यादि जैसी विभिन्न वस्तुओं के योगदान से यह सुविधा दी है।

सिद्धांत 5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

1. क्या कम्पनी की मानवाधिकारों पर नीति केवल कम्पनी को समाहित करती है या समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को भी शामिल किया गया है?

जी हाँ

गेल मानवाधिकारों से संबंधित सभी विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और इसके संयुक्त उद्यमों, सहायक इकाइयों, ठेकेदारों आदि द्वारा भी इसका अक्षरशः अनुसरण किया जाता है।

गेल में, हमारे सभी संचालनों में मानव अधिकारों को समर्थन को सदैव वरीयता दी जाती है। यूएनजीसी सिद्धान्तों पर हस्ताक्षर करने से मानव अधिकारों को समर्थन देने के लिए गेल ने वैश्विक प्रतिबद्धता की है। गेल की नीतियां उपयुक्त रूप से तैयार की गई हैं और मानव अधिकार सिद्धान्तों, भारतीय संविधान और श्रम कानूनों का पूर्ण रूप से पालन करती हैं। हमारे सभी पणधारकों द्वारा उठाये गये मुद्दों के निपटान के लिए एक समर्पित शिकायत समाधान प्रणाली स्थापित की गई है। गेल भारत सरकार के अल्पसंख्यकों और समाज के आर्थिक रूप से अधिकारविहीन वर्गों के विकास के प्रयास का समर्थन करता है। लिंग मुख्यधारा विषयक, सम्मिलिकरण और स्वीकारात्मक कार्यक्रम भी कम्पनी में शुरू किए गए हैं।

महिला कर्मचारियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गेल महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रकोष्ठ महिला कार्यबल तक पहुंचने पर ध्यान केन्द्रित करता है, कार्यस्थल पर भेदभाव बरतने और यौन उत्पीड़न सहित उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श करता है और उनका पर्याप्त रूप से समाधान करता है। गेल सभी लिंगों के समान अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और यह हमारे कर्मचारियों की मुआवजे की नीति में परिलक्षित होता है। प्रत्येक राज्य, जहां गेल का संचालन है, वहां लागू मानदंडों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकताएं भी सुनिश्चित की जाती है।

गेल में कार्य अनुबंध और समझौते मानव अधिकारों को समर्थन देने के लिए उपधाराओं से सन्निहित हैं। गेल में इसके किसी भी संचालन में बाल अथवा जबरन श्रम के लिए असहिष्णु उपागम का अनुसरण किया जाता है।

गेल में हमारे सभी संचालनों में कामगार संघों को मान्यता प्रदान करने और बढ़ावा देने के माध्यम से सामूहिक समझौता, एक महत्वपूर्ण कामगार अधिकार का समर्थन किया जाता है जैसे:

- कर्मचारी संगठनों के साथ नियमित संवाद
- श्रम प्राधिकरणों के साथ समन्वय
- औद्योगिक विवादों का निपटारा
- कार्य केन्द्र स्तरीय मुद्दों की रिकार्डिंग व विश्लेषण
- संघों के साथ दीर्घकालीन निपटारा



2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से समाधान किया गया? यदि ऐसा है तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

कृपया सिद्धान्त 1 देखें, उत्तर-2

सिद्धांत 6

व्यवसायों को पर्यावरण पुनरुद्धार का सम्मान, संरक्षण करना करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करने चाहिए।

1. क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति केवल कम्पनी को समाहित करती है या समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य को भी शामिल करती है?

नीति केवल कम्पनी को ही नहीं बल्कि संयुक्त उद्यमों को छोड़कर इसके अन्य स्टेकधारकों को भी शामिल करती है।

2. क्या कम्पनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग आदि से निपटने के लिये कार्यनीतियां/पहलें हैं? हां/नहीं

यदि हां तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें।

जी हां,

गेल की स्थायित्व रिपोर्ट 2015-16 को विवरण के लिए देखा जा सकता है जो इस लिंक पर उपलब्ध होगी:

http://www.gailonline.com/final_site/SB-Sustainability.html

3. क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और मूल्यांकन करती है? हां/नहीं

जी हां,

उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति कुछ संयंत्रों और कार्यालयों को छोड़कर सभी परिसंपत्तियों में संगठन में लागू की गई है। मुख्य जोखिम अधिकारी, यूनिट/स्थल समिति के अध्यक्ष और जोखिम प्रबंधन समिति, विभिन्न प्रकार के जोखिमों की समीक्षा करती है, चाहे मौजूदा हो और/या भविष्य में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक में अनुमानित हो। जोखिम प्रबंधन विभाग, निदेशक (बीडी) की अध्यक्षता में कार्यकारी निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), द्वि-वार्षिक लेखा परीक्षा समिति तथा बोर्ड को वार्षिक आधार पर कॉरपोरेट स्तर जोखिम संचालन समिति (सीएलआरएससी) के बारे में अवगत करता है।

सामाजिक और पर्यावरण जोखिम सहित यूनिट स्तरीय जोखिम का पता लगाया जाता है और यूनिट प्रभारी/विभाग प्रमुख की अध्यक्षता में साइट/यूनिट स्तरीय जोखिम संचालन समिति के माध्यम से त्रैमासिक निगरानी की जा रही है। संबंधित इकाइयों द्वारा उपशमन उपाय भी किए जाते हैं और उनकी निगरानी की जाती है। गेल ने शीर्ष कॉर्पोरेट प्रमुख जोखिमों की पहचान की है जिसमें मार्केट, उपस्कर, कार्यनीतिक, संयुक्त उद्यम/सहायक और वित्तीय जोखिम शामिल होते हैं।

गेल एफआईपीआई (पूर्व में पेट्रोफाइंड) के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से टेरी द्वारा 'जलवायु परिवर्तन जोखिम: तेल और गैस क्षेत्र की तैयारी' में सक्रिय भागीदार है। यह अध्ययन तेल एवं गैस क्षेत्र, प्रतिभागी कंपनियों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करेगा और चुनौतियों से निपटने, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों का विस्तृत विश्लेषण भी उपलब्ध कराएगा। यह अध्ययन तेल और गैस क्षेत्र के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देगा ताकि जीडीपी के उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के लक्ष्य को 2005 के 33 से 35 प्रतिशत के स्तर से कम करके 2030 तक भारत के आईएनडीसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अध्ययन से यह भी पता चलेगा कि वैश्विक जलवायु नीति उपायों के परिणामस्वरूप वैश्विक बाजार और तकनीकी विकल्प में किस तरह के बदलाव आएंगे; और ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री और 2 डिग्री परिदृश्य में भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कार्य किस तरह प्रभावित होने की संभावना है।

4. क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है?

यदि ऐसा है तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

यदि हां तो क्या कोई पर्यावरणीय रिपोर्ट दर्ज हुई है।

जी हां, गेल की निम्नानुसार वर्णित दो सीडीएम परियोजनाएं हैं -

- i) **गाजीपुर, दिल्ली में लैंडफिल गैस परियोजना का उपयोग:** गेल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर एक अग्रगामी परियोजना लैंडफिल गैस (एलएफजी) को क्रियान्वित किया है। वर्तमान में, पुनः प्राप्त की गई एलएफजी के भाग को एक बंद प्रदीप्त प्रणाली में सुरक्षित रूप से नष्ट किया जा रहा है और इसके एक भाग का प्रयोग लघु टर्बाइन के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए भी किया जा रहा है। मीथेन एलएफजी में एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग करने में कार्बन डाईऑक्साइड से 25 गुना अधिक शक्तिशाली है।

एलएफजी परियोजना न सिर्फ वातावरण में मीथेन के निकास को रोकती है, बल्कि इसे नष्ट भी करती है। अतः यह जीएचजी उत्सर्जनों में मदद करती है। परियोजना को स्वच्छ विकास प्रणाली के तहत कार्बन क्रेडिटों का लाभ लेने के लिए यूएनएफ सीसीसी में सितम्बर 2014 में सफलतापूर्वक पंजीकृत किया जा चुका है।

परियोजना ने स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है जो समाज के प्रति गेल की बचनबद्धता को प्रदर्शित करती है।

जी हां, पर्यावरण मंजूरी "स्थापना हेतु सहमति" प्राप्त की गई थी और "प्रचालन हेतु सहमति" दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से प्रदान की गई है।

- ii) **गेल द्वारा जैसलमेर में संस्थापित 5 मेगावाट सौर विद्युत प्लांट परियोजना:** यह परियोजना यूएनएफसीसीसी द्वारा सीडीएम परियोजना के रूप में पंजीकृत थी।

जी हां,

परियोजना को शुरू करने के लिए सभी विनियामक मंजूरियां ली गई थीं।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हां/नहीं

यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि पर हाइपर लिंक दें।

हां।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता :

- कार्बन डाईऑक्साइड के बहुमूल्य रसायनों में परिवर्तन पर शोध व विकास पहल।
- अपशिष्ट प्लास्टिक का मूल्यवान हाइड्रोकार्बन (डीजल) में परिवर्तन पर शोध व विकास पहल
- चैनसा यूनिट में ग्रीन बिल्डिंग हेतु 4 स्टार जीआरआईएचए रेटिंग।
- गंधार गैस प्रोसेसिंग यूनिट में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 50001 का क्रियान्वयन।
- गेल साइट दिबियापुर, झाबुआ, पाता और विजयपुर में एलईडी आधारित लाइटिंग सिस्टमों बीईई स्टार रेटिंग एयर कंडीशनरों का क्रियान्वयन।

(अधिक जानकारी के लिए स्थायित्व रिपोर्ट 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 को देखें)

गेल की स्थायित्व रिपोर्ट निम्न वेबसाइट पर देखी जा सकती है:-
http://www.gailonline.com/final_site/SB-Sustainability.html

6. क्या कंपनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जनों/अपशिष्ट का सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत्य सीमाओं के भीतर वित्तीय वर्ष हेतु उल्लेख किया जा रहा है?

जी हां।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित हैं (अर्थात् संतोषप्रद हल नहीं निकाला गया है)

शून्य

सिद्धांत 7

व्यवसायों को, जब सार्वजनिक एवं विनियामक नीति तैयार की जाए, उस समय एक जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैम्बर अथवा संगठन का सदस्य है?

यदि हां, तो उस प्रमुख कंपनी का नाम बताएं जिसके साथ आपका कारोबार किया जाता है:

जी हां।

- क. अंतर्राष्ट्रीय गैस यूनियन (आईजीयू)
- ख. लोक उद्यमों की स्टैंडिंग कांफ्रेंस (स्कोप)
- ग. ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई)
- घ. ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया
- ङ. स्थायी व्यवसाय हेतु टेरी परिषद
- च. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
- ज. जीआईआईजीएनएल, दि इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ लिक्विफायड नेचुरल गैस इम्पोर्ट
- झ. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ (फिक्की)
- ञ. ग्लोबल रिपोर्टिंग इन्सियटिव (जीआरआई) फोकल प्वाइंट इंडिया साउथ एशिया फाउंडिंग मेम्बर
- ट. डब्ल्यूआरआई, टीआईआरआई एवं सीआईआई द्वारा संचालित इंडिया जीएचजी कार्यक्रम
- ठ. सीपीएमए केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

2. क्या आपने लोक कल्याण के उन्नति अथवा सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के जरिए समर्थन किया है / लॉबीकृत किया है? हां / नहीं।

यदि हां, तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बाक्स: नियंत्रण एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, महत्वपूर्ण विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, स्थायी व्यवसाय नियम, अन्य)

जी हां।

गेल एक सार्वजनिक-क्षेत्र उद्यम होने के नाते, विभिन्न सरकारी निकायों जैसे एमओपीएनजी, पीपीएसी, ओआईएसडी, पीसीआर आदि को औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिक्रियाएं नियमित आधार पर प्रदान करता है। यह जनता के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार है। इसके अलावा, गेल बेहतर संयुक्त नीतियां बनाने व सुधार लाने के लिए औद्योगिक मुद्दों पर चर्चा करने और सरकार तक सामूहिक रूप से उद्योग की आवाज पहुंचाने के लिए मंच प्रदान करने वाले विभिन्न औद्योगिक निकायों और संघों का भाग है। यह जनकल्याण की प्रगति के लिए एक सार्थक आधार तैयार करता है।

गेल, नियमित रूप से पीएनजीआरबी, विनियामक निकाय से संपर्क करता है, ताकि उन्हें वर्तमान स्थिति और उद्योग के दृष्टिकोण पर अपडेट किया जा सकें।

वित्त वर्ष 2016-17 में, गेल निम्नलिखित संघों का हिस्सा था – अंतर्राष्ट्रीय गैस यूनियन (आईजीयू), जो एक वैश्विक संघ है जिसका लक्ष्य गैस उद्योग की तकनीकी और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है, के भारत के गैस क्षेत्र में विकास के लिए गेल के साथ नजदीकी संबंध हैं। गेल भारत में अकेला आईजीयू में 'चार्टर सदस्य' है। गेल आईजीयू के साथ द्वि-वर्षीय ग्लोबल सम्मेलन 'एशिया गैस भागीदारी समिट' को प्रोत्साहित करता है, जिसका उद्देश्य एशिया में औद्योगिक मुद्दों पर चर्चा करना और गैस बाजार को विकसित करना है। 2016-17 के दौरान, गेल ने 'विकास के लिए गैस: आर्थिक समृद्धि और जीवन स्तर में सुधार' विषय पर नई दिल्ली में 5वीं आईईएफ-आईजीयू (इंटरनेशनल एनर्जी फोरम-इंटरनेशनल गैस यूनियन) अनुसंधान गैस फोरम की मेजबानी करने के लिए आईजीयू से सहयोग किया था। गेल भारत में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आयातकों (जीआईआईजीएनएल) के अंतर्राष्ट्रीय समूह के तीन पूर्ण सदस्यों में से एक है। जीआईआईजीएनएल एलएनजी आयात गतिविधियों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ाने और एलएनजी आयात टर्मिनलों के संचालन के लिए समकक्ष उद्योगों के बीच सूचना

और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए गेल को एक मंच प्रदान करता है। गेल एफआईपीआई (पूर्व में पेट्रोफेड) का एक श्रेणी क और गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है। एफआईपीआई में गेल के हित वाली विशिष्ट कार्यकारी समितियां हैं जिनमें गेल का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होते हैं। एफआईपीआई उद्योग से संबंधित अन्य मुद्दों के बीच संसाधनों का समायोजन करने, सुरक्षा, टैरिफ, निवेश, स्वस्थ पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर काम करने के लिए भारत में व्यापारियों के सरकारी, नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक और प्रतिनिधि निकायों के साथ तेल उद्योग के इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।

गेल सार्वजनिक उद्यमों (एससीओपीई) के स्थायी सम्मेलन का एक सक्रिय सदस्य है जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के पूरे स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च संस्थान है। स्कोप ने विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों / बोर्डों में प्रतिनिधित्व किया है और इसके सदस्य पीएसयू को विभिन्न मंचों में अपना मत व्यक्त करने में मदद करते हैं। सीएमडी, गेल, फिक्की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं और फिक्की हाइड्रोकार्बन समिति के सह-अध्यक्ष हैं। हाइड्रोकार्बन समिति ने देश की ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का प्रयास किया है और अपने बौद्धिक इनपुट के जरिए इस क्षेत्र में कार्यरत भारत सरकार तथा अन्य निकायों के विभिन्न प्रयासों को पूरा करने का प्रयास किया है। सीएमडी गेल, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के भी सदस्य हैं।

गेल विश्व ऊर्जा परिषद (डब्ल्यूईसी) इंडिया की गवर्निंग बॉडी का सदस्य, डब्ल्यूईसी का कंट्री सदस्य है और भारत में प्राकृतिक गैस के विकास के लिए डब्ल्यूईसी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। गेल वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) फोकल प्वाइंट भारत की संवहनीयता तथा पारदर्शी परिसंघ का संस्थापक सदस्य है, जो संवहनीयता रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवसाय में अग्रणी लोगों, राष्ट्रीय सरकारों, नियामकों, संवहनीयता विशेषज्ञों, थिंक टैंक निकायों तथा व्यावसायिक संस्थानों के साथ संलग्न करने में हमारी मदद करता है।

गेल जीआरआई कारपोरेट लीडरशिप ग्रुप ऑन रिपोर्टिंग 2025 जीआरआई गोल्ड कम्यूनिटी तथा जीआरआई दक्षिण एशिया एडवाइजरी ग्रुप में भी प्रतिनिधि है।

गेल, टीआईआरआई-बीसीएसडी (टेरी-स्थायी विकास संबंधी व्यावसायिक परिषद) का भी सदस्य है, जो स्थायी पेशेवरों का एक उद्योग आधारित सहायता संघ है। गेल ने टेरी के साथ मिलकर एक दस्तावेज तैयार किया है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा इस दिशा में सरकारी योजनाओं के साथ विजन को संरेखित करने के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय कॉरपोरेट विजन को दर्शाता है जिसका उद्घाटन पेरिस में आयोजित इंडिया पैविलियन ऑफ कांफ्रेंस ऑफ पार्टिज (सीओपी) 21 में किया गया था।

गेल सीपीएमए (केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन) का सदस्य है जो भारतीय पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च मंच है। 1993 में स्थापित, एसोसिएशन अपने सदस्यों को सामूहिक रूप से अपने विचारों, समस्याओं, और प्रासंगिक मुद्दों पर सुझाव देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह उद्योग, सरकार और समाज के बीच एक संबंध स्थापित करता है। यह सामंजस्यपूर्ण और अनुकूल व्यावसायिक परिस्थितियों को विकसित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए नीतिगत अधिकारियों और उद्योग संगठनों के साथ संपर्क करता है।

इसके अलावा, गेल संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट (यूएनजीसी) के मानव अधिकारों, श्रमिक मानकों, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र में काम कर रहा है।

गेल ने जीएसटी के तहत प्राकृतिक गैस को शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ मामला उठाया है। गेल द्वारा इस मामले को सीधे और साथ ही भारतीय पेट्रोलियम उद्योग (एफआईपीआई) के माध्यम से उठाया गया था। गेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी और



उनसे जीएसटी के तहत प्राकृतिक गैस को शामिल करने पर विचार करने का अनुरोध किया था।

'जीएजी - ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 'डब्ल्यूआरआई-विश्व संसाधन संस्थान 'टीईआरआई- दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट

सिद्धांत 8

व्यवसायों को समग्र वृद्धि एवं समान विकास में सहायक होना चाहिए।

1. क्या कंपनी की नियम 8 से संबंधित नीति के अनुपालन में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/परियोजनाएं हैं? यदि हां, उनके ब्यौरे दें।

जी हां।

गेल, नियम 8 में यथा-सूचीबद्ध लक्ष्यों के अनुसरण में महत्वपूर्ण एवं न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करता है। गेल की सकारात्मक नीतियां, जो भारत सरकार की दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हैं, विविधता एवं साम्यता को बढ़ाती हैं और उनकी प्रजाति, जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु एवं राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बगैर उनकी योग्यता एवं कौशल पर लोगों को मान्यता देती हैं। यह अर्धकुशल एवं अकुशल ठेका कार्मिकों के लिए न्यूनतम क्षतिपूर्णा मजदूरी की शर्तों में उद्योग से संबंधित शाखा विनियमनों का पालन भी करता है। चूंकि गेल में सीएसआर परियोजनाएं देश की आबादी के सबसे अधिक उपेक्षित और कमजोर वर्गों के लिए काम करती हैं, ये सभी संयुक्त वृद्धि और न्यायसंगत विकास का समर्थन/को बढ़ावा देती हैं।

गेल सीएसआर नीति (खंड 2.2.1) के अनुसार, गेल सीएसआर परियोजनाओं का संचालन करती है, विशेष रूप से खंड में मान्यता-प्राप्त लक्ष्य समूहों उदाहरण के लिए गेल आदि के कार्य केंद्रों के आसपास बीपीएल, अ.जा., अ.ज.जा., ओबीएस, पीडब्ल्यूडी और समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

गेल ने 7 पहचाने गए केन्द्रित क्षेत्रों में सामाजिक निवेश किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को उनके प्राप्त होने वाले उद्देश्य द्वारा शीर्षक दिया गया है यथा आरोग्य-पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा पेय जल परियोजनायें, उज्ज्वल (सुनहरे भविष्य की ओर)-शिक्षा केन्द्रित पहल, कौशल-आजीविका सृजन तथा कौशल विकास पहलें, उन्नति-ग्राम विकास, सशक्त-महिला सशक्तिकरण पहलें, सक्षम-बुजुर्ग तथा दिव्यांगों की देखभाल और हरित-पर्यावरण केन्द्रित पहलें। सीएसआर हस्तक्षेप उपेक्षित वर्गों की विभिन्न आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किये गये हैं और संयुक्त वृद्धि तथा न्यायसंगत विकास के लक्ष्यों अनुपालन में हैं।

विशिष्ट ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों उज्ज्वल के लिए गेल सीएसआर नीति प्रावधान का उद्देश्य उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा केंद्र की पहल करना है। दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा पहल ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र सक्षम के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र कौशल के तहत शुरू की गई पहल, वंचित क्षेत्रों, विशेष रूप से युवा और महिलाओं का व्यावसायिक कौशल बढ़ाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है।

ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र उज्ज्वल के अंतर्गत किए जाने वाले शिक्षा केंद्रित कार्यक्रमों के अलावा, कंपनी ने गेल चौरिटेबल और एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना भी की है जो जरूरतमंद बच्चों को मेरिट आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. क्या आंतरिक दल/निजी फाउंडेशन/बाहरी एनजीओ/सरकारी अवसंरचनाएं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यक्रम/परियोजनाएं शुरू करते हैं?

गेल में सीएसआर परियोजनाएं पेशेवर रूप से योग्य तथा अनुभवी बाहरी एजेंसियों जैसे एनजीओ, ट्रस्ट, प्रतिष्ठानों, सरकारी एजेंसियों, पीएसयू, निजी कंपनियों आदि के माध्यम से कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) नियम, 2014 में आदेशानुसार संबंधित डोमेन में 3 साल के स्थापित ट्रैक रिकार्ड के साथ क्रियान्वित की जाती है।

अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के प्रयास में, गेल अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए एक बहु-पणधारी पहल अपनाता है: ज्वलंत

मुद्दों की पहचान करने, परियोजनाओं को विकसित करने और चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए समुदायों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य के साथ मिलकर काम करता है। कार्यकलापों/पहलों की पहचान हो जाने पर उनकी गेल के समर्पित सीएसआर पेशेवरों द्वारा कॉरपोरेट तथा साइट स्तर दोनों पर नजदीकी गहन निगरानी की जाती है।

इसके अलावा, गेल ने अपने गेल चौरिटेबल और एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से पिछले कुछ सालों में कई सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी में कई शिक्षा केंद्रित पहल की हैं।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?

हां,

गेल सीएसआर नीति के संशोधन के बाद, तीसरा पक्ष स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन 2 करोड़ रुपए या अधिक के संचयी मूल्य सहित सभी सीएसआर परियोजनाओं के लिए अधिदेश दिया गया है (खंड 5.2 और 5.3)। वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संचालित करने की प्रक्रिया जारी है।

गेल अपनी सीएसआर परियोजनाओं जैसे मेसर्स दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, मेसर्स मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, मेसर्स हार्डिकॉन और मेसर्स एचआईएमकॉन आदि के प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकारी एजेंसियों और प्रतिष्ठित संस्थानों को वरीयता देता है। तीसरे पक्ष के निर्धारक प्रत्येक कार्यक्रम से संबंधित खूबियों, कमजोरियों, सुधार के अवसर या कार्यक्रम के संशोधनों (यदि कोई हो) और चुनौतियां या खतरे (यदि कोई हो) से संबंधित फीडबैक प्रदान करते हैं।

आम तौर पर, तृतीय-पक्ष निर्धारक द्वारा मामले के अध्ययन और कार्यक्रमों के विश्लेषण के रूप में फीडबैक को समझने; या कार्यक्रमों की स्थिरता या कोई और सुझाव प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आरोग्य अध्ययन के हाल प्रभाव आकलन अध्ययन में यह पाया गया कि लगभग 98.3% लोगों ने बताया कि वे एमएमयू द्वारा दिए गए उपचार के बाद ठीक हो गए। इसके अलावा, 94.24% लोगों के लिए एमएमयू जुड़ने का पहला बिंदु बन गया है। यह लोगों की उक्त अग्रणी कार्यक्रम में आस्था और निर्भरता को दर्शाता है।

लगभग 98.3% लोगों ने बताया कि वे एमएमयू द्वारा दिए गए उपचार के बाद ठीक हो गए। आइए को परियोजना के पूरा होने के बाद शुरू किया जाता है ताकि परियोजना के प्रभाव का स्पष्ट प्रभाव-सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्राप्त हो सके। इसलिए वित्त वर्ष 2015-16 में निष्पादित परियोजनाएं वित्त वर्ष 2016-17 में आइए के लिए हैं। डाटा संग्रह, प्राथमिक और माध्यमिक स्टेकहोल्डर की पसंद स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निर्धारक के माध्यम से उनकी पूर्व शर्त के अनुसार लागू की जाती है।

मूल्यांकन पूरा होने के बाद मूल्यांकन रिपोर्ट को गेल के साथ साझा किया जाता है। प्रभाव आकलन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए परियोजना से संबंधित बिल, वाउचर, चालान या किसी अन्य दस्तावेज की समीक्षा के साथ कार्यक्रम निधि के व्यय का लेखाकरण करना शामिल है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, निर्धारक परियोजना व्यय को युक्तिसंगत बनाने और वर्तमान कार्यक्रम के साथ एक व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करता है, जहां कार्यक्रम की आधार रेखा या आवश्यकता पहचान अध्ययन उपलब्ध है।

4. आपकी कंपनी का समुदाय विकास परियोजनाओं-आईएनआर में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरों का प्रत्यक्ष सहयोग क्या है?

समुदाय पहल किसी 'समुदाय' चुनौती या आवश्यकता का समाधान करने के लिए प्रारंभ की गई परियोजनाओं से संबंधित है। एक जैसी भूगोल या सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को साझा करने वाले लोग समान समस्याओं को साझा करते हैं। इसलिए सामुदायिक पहल की सुविधा प्रदान करने वाली योजनाओं की प्रकृति उपयोगी होती है।

गेल ने मुख्य रूप से गेल संस्थापनाओं के आसपास समुदायों को विकसित

करने के लिए कई सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं।

गेल द्वारा परियोजना जलधर को झाबुआ (मध्य प्रदेश) में जल प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है और इस प्रकार, क्षेत्र में जल की कमी का समाधान किया जाता है। परियोजना के अंतर्गत पूरे वर्ष पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वाटरशेड, बांध, रोक-बांधों, जलाशयों का निर्माण किया गया। गेल को जलधर परियोजना के लिए प्रतिष्ठित सीआईआई-त्रिवेणी पुरस्कार, 2016 प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा, परियोजना आरोग्य में स्थानीय आबादी के लिए निःशुल्क और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एमएमयू (मोबाइल क्लीनिक) का प्रावधान है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत, स्वच्छ विद्यालय गेल ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को 2534 से अधिक स्कूलों में 3614 शौचालय बनाए हैं।

ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों में कार्यकलापों पर किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

- क) उन्नति – ग्रामीण विकास पहल – 3781.44 लाख रुपए
 - ख) आरोग्य (कुल) – पोषण, स्वास्थ्य और पेयजल और स्वच्छता पहल, जिनमें स्वच्छ भारत सहित – 1963.01 लाख रुपए
 - i. आरोग्य- पेयजल – 312.55 लाख रुपए
 - ii. आरोग्य – स्वास्थ्य – 969.00 लाख रुपए
 - iii. आरोग्य – स्वच्छता पहल – 681.66 लाख रुपए
 - ग) गेल कौशल – कौशल विकास और आजीविका सृजन पहल – 1194.92 लाख रुपए
 - घ) उज्वल – शिक्षा केंद्रित पहल – 562.00 लाख रुपए
 - ड.) सक्षम – बुजुर्ग और दिव्यांगों की देखभाल – 117.91 लाख रुपए
 - च) सशक्त – महिला सशक्तिकरण – 60.35 लाख रुपए
 - छ) हरित – 35.41 लाख रुपए
- अन्य – ग्रामीण खेलों के प्रोत्साहन के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता-प्राप्त खेल, पैरालम्पिक स्पोर्ट्स और ओलंपिक खेल – 1125.17 लाख रुपए

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया जाता है? कृपया 50 शब्दों में अथवा अधिक में स्पष्ट करें।

जी हां,

प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए क्रियान्वयन भागीदार के साथ विस्तृत कार्यक्षेत्र, उपलब्धियों, भुगतान जारी करने के लिए एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (वीडियो/फोटोग्राफ, निधि उपयोग, प्रगति रिपोर्ट आदि सहित) किस्तों की संख्या, गेल से समन्वयन टीम तथा क्रियान्वयन भागीदार आदि के विवरण सहित एक समझौता/एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

समझौते में एक खंड भी शामिल होता है जिसमें लाभ प्राप्त करने वाले संगठन से लिखित प्रतिबद्धता ली जाती है कि कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई उपयोगिता/सुविधा का प्रयोग उस विशिष्ट उपयोग के लिए किया गया है जिसके लिए इसे लिया गया था, तथा इसका उपयोग सीएसआर परियोजना के रखरखाव के लिए किया जायेगा जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है, और यह उनको सौंपने के बाद भी कम से कम दो-तीन वर्षों की अवधि के लिए जारी रहेगा।

सभी समुदाय विकास पहलें समुदाय भागीदारी/पारस्परिक बातचीत, जागरूकता पैदा करने, नियुक्ति, पणधारकों परस्पर बातचीत और क्षमता निर्माण को आयाम प्रदान करती हैं और उन्हें शामिल करती हैं। पहलों को सामूहिक प्रयासों और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर प्रक्रिया के जरिए शुरू किया जाता है, जिसमें स्थानीय नियंत्रण ढांचा एवं संस्थान शामिल होते हैं। स्वयं अवधारणा निर्माण की अवस्था पर अंतर्निर्मित होते हैं। कंपनी स्वयं कार्यक्रम अथवा सेवा प्रचालित करने के लिए सामुदायिक प्रेरणा तथा क्षमता का निर्माण करते हुए क्रियान्वयन एजेंसी को चरणबद्ध तरीके से समुदाय में शामिल होने पर भी जोर देती है।

सिद्धांत 9

व्यवसायों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के लिए कार्य करना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?

ग्राहक	प्राप्त शिकायतें	लंबित शिकायतें	लंबित %
	52	0	0

2. क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है, जो स्थानीय कानून के अतिरिक्त/जो स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित है, हां/ नहीं/ लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)

पॉलीमर्स के मामले में, गेल का लोगो, उत्पाद का नाम, लॉट नम्बर, निर्माण तारीख, फीडबैक के लिए ईमेल पता, संयंत्र का पता, ग्रेड नाम का मार्क तथा बैच संख्या का बैगों पर उल्लेख किया जाता है। गेल का पॉलीमर उत्पादों को पाता प्लांट में 25 किग्रा के बुने हुए बैगों में पैक किया जा रहा है।

इसके अलावा, विस्तृत विनिर्देशन, उत्पाद एप्लीकेशन आदि मुद्रित उत्पाद विवरणिका में और गेल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

http://www.gailonline.com/final_site/BV-Petrochemicals.html

तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादों का गेल द्वारा सिर्फ थोक विपणन किया जाता है और ग्राहकों द्वारा उपलब्ध रोड टैंकरों और/अथवा रेलवे वैगनों में पूर्व-कार्य आधार पर बेचा जाता है। ले जा रहे उत्पाद पर तकनीकी/सुरक्षा से संबंधित जानकारी को ट्रक टैंकर/रेल वैगन पर स्थानीय कानूनों के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है और संबंधित ग्राहक/ट्रांसपोर्टर द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादों के थोक में होने से उत्पादन जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए अलग लेबल नहीं होते हैं।

जब एलएचसी को रोड टैंकरों के जरिए ले जाया जाता है। यदि उत्पाद ज्वलनशील हो, तो टैंकरों पर स्पष्ट रूप से लिखा जाता है (ग्राहकों द्वारा नामित)। उत्पाद का नाम, सुरक्षा चिन्ह, खतरनाक रसायन, संकेत, आपात सम्पर्क नं., ट्रांसपोर्टर का नाम और सम्पर्क नं., टैंकरों पर प्रदर्शित किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी विभिन्न फोरमों जैसेकि बैठकों में, आमने-सामने परस्पर बातचीत तथा उत्पाद की जानकारी प्रदान करने हेतु दूरभाष वार्ता, अतिरिक्त अनिवार्य अपेक्षा हेतु ग्राहकों को स्वेच्छा से शामिल होने का प्रयास करती है। पॉलीमर उत्पाद गुणवत्ता के संबंध में ग्राहकों की चिंता को भी गेल पॉलीमर प्रौद्योगिकी सेंटर (जीपीटीसी) द्वारा मामला आधार पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रदान करके दूर किया जाता है।

3. क्या किसी स्टेकधारक द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित ट्रेड पद्धतियों, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में अथवा अधिक में उसके व्यौर दें।

जी हां,

हम निम्नलिखित मामलों की स्थिति, जिनका अनुचित ट्रेड पद्धतियों, प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार, एकाधिकरण के संबंध में निपटान किया गया था/लंबित थे, जैसा कि गेल के संबंध में पहचान की गई है, प्रदान करते हैं:

- i. जीएसपीसीएल ने पीएनजीआरबी में गेल-पीएलएल से जीएसपीएल-पीएलएल कनेक्टिविटी तक कनेक्टिविटी बदलने की अनुमित नहीं देने के लिए प्रतिबंधित ट्रेड पद्धति (आरटीपी) का दावा करते हुए गेल के खिलाफ एक मामला दायर किया, जिसमें पीएनजीआर के द्वारा उनके पक्ष में निर्णय दिया गया। गेल ने निर्णय के खिलाफ एपीटीईएल में अपील की



और एपीटीईएल ने पीएनजीआरबी के निर्णय को बदलते हुए गेल के पक्ष में निर्णय दिया। अब जीएसपीसीएल ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और यह उच्चतम न्यायालय में निपटान हेतु लंबित है।

- ii. जीएसपीसी गैस ने आरटीपी का दावा करते हुए गेल के खिलाफ पीएनजीआरबी में मामला दायर किया परंतु इसे गेल के पक्ष में निर्णित किया गया था। जीएसपीसी गैस ने उक्त आदेश के खिलाफ एपीटीईएल में अपील दायर की है और यह लंबित है।
- iii. जीएसपीसीएल ने आरटीपी का दावा करते हुए पीएनजीआरबी में गेल के खिलाफ आरोप लगाते हुए मामला दायर किया था कि उचित प्रयास (आरई) आधार पर उनकी बुकिंग क्षमता के अनुरोध को गेल ने अस्वीकार कर दिया है, जो आरटीपी पर आरोपित है। पीएनजीआरबी ने गेल के खिलाफ निर्णय दिया। गेल ने उक्त आदेश के खिलाफ एपीटीईएल तथा उच्चतम न्यायालय में अपील की, (दिनांक 13.01.2016 का आदेश देखें) जिसने पीएनजीआरबी के आदेश को खारिज कर दिया और पीएनजीआरबी को पुनर्विचार के लिए शिकायत वापस भेज दी, जो निपटान हेतु लंबित है।
- iv. साबरमती ने गेल एवं बीपीसीएल के खिलाफ पीएनजीआरबी में आरटीपी का दावा करते हुए मामला दायर किया, जिसे पीएनजीआरबी ने बीपीसीएल के पक्ष में आरटीपी का समर्थन किया और गेल के पक्ष में नहीं। बीपीसीएल ने निर्णय के खिलाफ एपीटीईएल में अपील की है और गेल को पक्ष बनाया है और यह निपटान हेतु लंबित है।
- v-vii. स्रावंधी एनर्जी प्रा. लि., बीटा इन्फ्राटेक प्रा. लि. और गामा इन्फ्राप्रोप प्रा. लि. ने पीएनजीआरबी में आरटीपी का आरोप लगाते हुए गेल के विरुद्ध शिकायत दायर की है, जिसमें पीएनजीआरबी ने गेल के खिलाफ निर्णय दिया (दिनांक 11.04.2016 का आदेश देखें) और गेल के खिलाफ रु. 10 लाख का जुर्माना लगाया तथा गेल को आरटीपी बंद करने व हर पक्ष को रु. 2 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही पक्षों को बीजी व एसडी वापस करने का निर्देश दिया। गेल ने एपीटीईएल में मामला दायर किया है।
- viii-x. ओमेक्स ऑटो और रिको कार्स्टिंग और रिको ऑटो इंडस्ट्रीज ने गेल के खिलाफ सीसीआई के समक्ष शिकायत दर्ज की थी जिसमें बाजार में प्रमुख स्थान के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। सीसीआई ने दिनांक 16.10.2016 के आदेश के अनुसार डीजीआई को इस तरह के दुरुपयोग के लिए गेल के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया। डीजीआई, सीसीआई के समक्ष जांच लंबित है।
- xi. जीआईपीसीएल: जीआईपीसीएल ने भी सीसीआई के समक्ष गेल की शिकायत की थी जिसमें उन्होंने बाजार में प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। हालांकि, सीसीआई ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जीआईपीसीएल ने सीओएमपीएटी के समक्ष उस उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिस पर डीजीआई ने इस तरह के दुरुपयोग के लिए गेल के खिलाफ जांच का निर्देश दिया था। गेल ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें जांच पर रोक लगा दी गई है और मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।
- xii. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा गेल के खिलाफ एक आरटीपी शिकायत दर्ज की गई है। गेल ने पीएनजीआरबी के समक्ष आवेदन दिया और विवाद को मध्यस्थ को भेजने का आग्रह किया जिसे पीएनजीआरबी

द्वारा 22.12.2016 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया था, इसलिए, गेल ने पीएनजीआरबी के आदेश के खिलाफ एपीटेल से अपील की है। अब पीएनजीआरबी के समक्ष दोनों शिकायतें और एपीटेल के समक्ष अपील लंबित है।

- xiii. पेसिफिक डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक आरटीपी शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत पीएनजीआरबी के समक्ष लंबित है।
 - xiv-xv. मोहन मेकिन्स और राठी स्टील्स दक्षिण लिमिटेड ने गेल के खिलाफ बाजार में प्रमुख स्थान के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राठी स्टील्स दक्षिण लिमिटेड मामले में सीसीआई ने 14.7.2017 के आदेश द्वारा महानिदेशक को प्रमुख पद के दुरुपयोग करने की जांच के निर्देश दिए हैं।
4. क्या आपकी कम्पनी ने ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि प्रचालनों का निष्पादन किया।

जी हां,

ग्राहक समाधान सूची (सीएसआई) विभिन्न व्यापार अनुभागों में कंपनी के उत्पादों व सेवाओं पर ग्राहक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। गेल में ग्राहक समाधान सूची प्राप्त करने के लिए एक ऑन-लाइन एसएपी सिस्टम है। ग्राहकों को गुणवत्ता, वितरण, सेवा, तकनीकी सहयोग आदि से संबंधित विभिन्न मापदंडों पर सर्वेक्षण के लिए उनकी ईमेल में एक लिंक भेजा जाता है और ग्राहक संतुष्टि के बढ़ते स्तर को निरूपित करते हुए 1 से 10 तक के पैमाने पर ग्राहक फीडबैक प्राप्त किया जाता है। सीएसआई ग्राहकों द्वारा उपरोक्त मापदंडों पर दिये गये अंकों से निरूपित किया जाता है। ग्राहक संतुष्टि सर्वे अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत औसत सीएसआई स्कोर 89 प्रतिशत उत्कृष्ट लक्ष्य के सापेक्ष 92.10 प्रतिशत है।

टिप्पणी 2:

प्रस्तुत डाटा में निम्नलिखित गेल यूनिटें शामिल हैं:

- गंधार, पाता, उसर, वाघोडिया एवं विजयपुर में गैस प्रसंस्करण यूनिट (जीपीयू);
- पाता में पेट्रोकेमिकल यूनिट और पाता और विजयपुर में सी2/सी3 संयंत्र
- दिबियापुर, हजीरा, झाबुआ, खेड़ा, वघोडिया एवं विजयपुर में प्राकृतिक गैस कम्प्रेसर स्टेशन;
- आबू रोड चेरलापल्ली, जी कोडुंरु, जामनगर, कांडला, लोनी, मनसारामपुरा, नसीराबाद, समाखियाली एवं विजाग में एलपीजी पम्पिंग/प्राप्ति स्टेशन;
- अगरतला, बड़ौदा, मुम्बई, पुदुच्चेरी एवं राजामुंद्री में क्षेत्रीय पाइपलाइन कार्यालय;
- जयपुर एवं नोएडा में गेल प्रशिक्षण संस्थान (जीटीआई);
- नई दिल्ली में निगमित कार्यालय; और
- नोएडा में जुबली टॉवर/इन्फो हब; और
- दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), बेंगलूरु (कर्नाटक), भोपाल (मध्य प्रदेश), चंडीगढ़ (हरियाणा), जयपुर (राजस्थान), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), लखनऊ, (उत्तर प्रदेश), मुम्बई, (महाराष्ट्र), अहमदाबाद (गुजरात) में 11 जोनल विपणन कार्यालय।

टिप्पणी 3:

ऊर्जा, सामग्री एवं जल के प्रयोग की उपभोक्ता-वार कमी विस्तार में उपलब्ध नहीं है क्योंकि वर्तमान में गेल में उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा सामग्री एवं जल प्रयोग में कमी का पता लगाने के लिए प्रणाली नहीं है।


पंचवर्षीय रूपरेखा





31 मार्च, 2017 को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)



ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

पांच वर्ष की रूपरेखा (एकल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*
(क) वास्तविक निष्पादन					
1. प्राकृतिक गैस विपणन (एमएमएससीएमडी में)	81.44	79.18	72.07	73.67	81.21
2. प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन (एमएमएससीएमडी में)	104.90	96.22	92.10	92.09	100.38
संस्थापित क्षमता (एमएमएससीएमडी में)	206.03	206.03	206.03	206.03	206.03
क्षमता उपयोग %	50.91%	46.70%	44.70%	44.70%	48.72%
3. एलपीजी ट्रांसमिशन (टीएमटी में)	3136	3145	3093	2819	3362
संस्थापित क्षमता (टीएमटी में)	3780	3780	3780	3780	3780
क्षमता उपयोग %	82.96%	83.20%	81.83%	74.57%	88.93%
4. एलपीजी उत्पादन (टीएमटी में)	1,078	1,027	1,039	855	862
संस्थापित क्षमता (टीएमटी में)	1,112	1,112	1,112	1,112	1,040
क्षमता उपयोग %	96.90%	92.28%	93.45%	76.84%	82.83%
5. एसबीपी सॉल्वेंट/नाफ्था उत्पादन (टीएमटी में)	148	120	99	83	82
संस्थापित क्षमता (टीएमटी में)	128	128	128	128	98
क्षमता उपयोग %	115.82%	93.69%	77.28%	65.16%	83.93%
6. पेंटेन उत्पादन (टीएमटी में)	21	22	23	23	24
संस्थापित क्षमता (टीएमटी में)	74	74	74	74	74
क्षमता उपयोग %	28.20%	29.46%	30.94%	30.89%	32.17%
7. प्रोपेन उत्पादन (टीएमटी में)	130	134	116	128	144
संस्थापित क्षमता (टीएमटी में)	201	201	201	201	306
क्षमता उपयोग %	64.44%	66.84%	57.59%	63.68%	46.99%
8. पॉलीमर (टीएमटी में)	441	440	452	344	604
संस्थापित क्षमता (टीएमटी में)	410	410	810	810	810
क्षमता उपयोग %	107.57%	107.35%	55.76%	42.49%	74.58%
(ख) आय विवरण					
सकल बिक्री	48,005.27	58,012.06	57,291.97	52,003.40	48,788.75
उत्पाद शुल्क	672.60	766.96	722.52	474.71	734.14
निवल बिक्री	47,332.67	57,245.10	56,569.45	51,528.69	48,054.61
सकल मार्जिन (ईबीआईडीटीए)	7,233.73	7,944.66	5,619.92	5,171.62	7,286.96
मूल्य ह्रास और ऋण परिशोधन	980.94	1,176.15	974.26	1,309.79	1,396.78
वित्त लागत	195.02	366.19	361.30	799.86	479.36
कर पूर्व लाभ/(हानि)	6,057.77	6,402.32	4,284.36	3,061.97	5,410.82
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	4,022.20	4,375.27	3,039.17	2,226.43	3,502.91
अंतरिम लाभांश सहित लाभांश	1,217.74	1,319.21	761.08	697.66	1,458.75
कॉर्पोरेट लाभांश कर	203.03	224.20	153.56	142.03	295.33
(ग) इक्विटी, देनदारियां और परिसंपत्तियां					
इक्विटी					
इक्विटी शेयर पूंजी	1,268.48	1,268.48	1,268.48	1,268.48	1,691.30
अन्य इक्विटी	22,959.32	25,803.85	27,851.04	33,826.07	36,458.07
शेयरधारक निधि	24,227.80	27,072.33	29,119.52	35,094.55	38,149.37
देनदारियां					
रक्षित ऋण	4,106.00	4,679.75	3,651.00	2,893.91	1,749.13
आरक्षित ऋण	4,957.50	5,588.33	5,904.92	5,165.34	3,313.01
आस्थगित कर देयता (निवल)	2,300.06	2,566.37	3,308.65	4,071.38	4,655.91
अन्य गैर चालू देनदारियां	1,044.65	1,175.21	2,658.33	1,728.52	2,086.28
वर्तमान देनदारियां (दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर)	8,048.18	8,729.34	8,250.81	6,843.70	6,316.29
कुल इक्विटी और देनदारियां	44,684.19	49,811.33	52,893.23	55,797.40	56,269.99
परिसंपत्तियां					
निवल संयंत्र संपत्ति और उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	19,707.45	21,476.63	27,759.69	28,466.95	28,506.19
चल रहा पूंजीगत कार्य	9,118.99	9,757.19	4,360.03	3,420.20	3,803.39



पांच वर्ष की रूपरेखा (एकल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*
निवेश के लिए निवेश/अग्रिम (लंबित आवंटन और लघु अवधि के निवेश सहित)	3,955.15	4,288.70	4,322.36	8,572.38	9,509.64
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	2,848.41	3,038.49	5,855.82	5,929.42	5,306.26
चालू परिसंपत्तियां	9,054.19	11,250.32	10,595.33	9,408.45	9,144.51
कुल परिसंपत्तियां	44,684.19	49,811.33	52,893.23	55,797.40	56,269.99
निवल मूल्य	24,038	26,858	28,888	30,699	32,350
निवेश की गई पूंजी (निर्माण और निवेश के तहत परिसंपत्तियों सहित)	35,591	39,907	41,984	47,226	47,868
राष्ट्रीय राजकोष का अंशदान (करोड़ रुपए)	5,780	6,993	5,788	4,929	5,909
बाजार पूंजीकरण-एनएसई (करोड़ रुपए)	38,562	47,701	49,192	45,209	63,669
कर्मचारियों की संख्या	3,961	4,022	4,267	4,321	4,355
वर्धित मूल्य	9,046	9,663	7,413	7,129	9,510
मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (लाख रुपए)	228	240	174	165	218
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय	4,385	4,398	3,392	1,460	1,929
(घ) नकद प्रवाह					
उपलब्ध कराया गया निवल नकद/(में प्रयुक्त)					
प्रचालन कार्यकलाप	5,033.41	4,921.57	2,444.07	4,070.62	5,629.30
निवेश कार्यकलाप	(5,472.15)	(3,231.73)	(964.43)	(670.88)	(698.43)
वित्तीय कार्यकलाप	1,865.35	(1,396.80)	(2,988.98)	(3,318.03)	(4,788.31)
(ङ.) मुख्य वित्तीय संकेतक					
प्रदत्त पूंजी का निवल मूल्य प्रति रुपए	18.95	21.17	22.77	24.20	19.13
ऋण से इक्विटी अनुपात	0.38	0.38	0.33	0.26	0.16
ईबीआईडीटीए/सकल कारोबार (%)	15.07	13.69	9.81	9.94	14.94
पूंजी निवेश पर प्रतिलाभ (%)	17.57	16.96	11.07	8.18	12.30
निवल मूल्य पर प्रतिलाभ (%)	16.73	16.29	10.52	7.25	10.83
पूंजी निवेश पर सकल बिक्री (%)	134.88	145.37	136.46	110.12	101.92
लाभांश भुगतान अनुपात (%) (लाभांश कर सहित)	35.32	35.28	30.10	37.71	50.07
आय प्रति शेयर (₹)	31.71	34.49	23.96	17.55	20.71
लाभांश प्रति शेयर (₹)	9.60	10.40	6.00	5.50	8.63

* इन वर्षों के आंकड़े कंपनी अधिनियम, 2013 के भारतीय लेखा मानक (इंड एस) और अनुसूची III के अनुसार हैं। इन वर्षों के लिए सभी अनुपात की गणना इंड एस के अनुसार आंकड़ों के आधार पर की जाती है। इसलिए यह संख्या पिछले वर्षों के साथ पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती।

टिप्पणियाँ

उधार	रक्षित और आरक्षित दोनों ऋणों में दीर्घावधि ऋण और वर्तमान ऋण शामिल हैं
पूंजी निवेश	इक्विटी शेयर पूंजी+अन्य इक्विटी+दीर्घावधि ऋण+आस्थगित कर देयता (निवल)+दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता
निवल मूल्य	इक्विटी शेयर पूंजी+अन्य इक्विटी (परिवर्तनकाल रिजर्व, अन्य व्यापक आय और बांड ऋणमुक्ति रिजर्व)
प्रदत्त पूंजी का निवल मूल्य प्रति रुपए	निवल मूल्य/इक्विटी शेयर पूंजी
ईबीआईडीटीए/सकल कारोबार (%)	ईबीआईडीटीए/सकल कारोबार
निवेश की गई पूंजी पर प्रतिलाभ (%)	पीबीआईटी/निवेश की गई पूंजी
निवल मूल्य पर प्रतिलाभ (%)	पीएटी/निवल मूल्य
पूंजी निवेश पर सकल बिक्री (%)	सकल बिक्री/निवेश की गई पूंजी
लाभांश भुगतान अनुपात (%) (लाभांश कर सहित)	(लाभांश+कॉर्पोरेट लाभांश कर)/पीएटी
प्रति शेयर आय (₹)	अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों का पीएटी/भारित औसत
लाभांश प्रति शेयर (₹)	लाभांश/इक्विटी शेयरों की संख्या

पांच वर्ष की रूपरेखा (एकल)

(यू एस डॉलर मिलियन में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*
(क) आय विवरण					
सकल बिक्री	8,729.82	9,571.37	9,066.62	7,773.30	7,456.63
उत्पाद शुल्क	122.31	126.54	114.34	70.96	112.20
निवल बिक्री	8,607.51	9,444.83	8,952.28	7,702.35	7,344.43
सकल मार्जिन (ईबीआईडीटीए)	1,315.46	1,310.78	889.37	773.04	1,113.70
मूल्य ह्रास और ऋण परिशोधन	178.39	194.05	154.18	195.78	213.48
वित्त लागत	35.46	60.42	57.18	119.56	73.26
कर पूर्व लाभ/(हानि)	1,101.61	1,056.31	678.01	457.69	826.96
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	731.44	721.87	480.96	332.80	535.37
अंतरिम लाभ/अंश सहित लाभ/अंश	221.45	217.66	120.44	104.28	222.95
कॉर्पोरेट लाभ/अंश कर	36.92	36.99	24.30	21.23	45.14
(ख) इक्विटी, देनदारियां और परिसंपत्तियां					
इक्विटी					
इक्विटी शेयर पूंजी	230.67	209.29	200.74	189.61	258.49
अन्य इक्विटी	4,175.18	4,257.36	4,407.51	5,056.21	5,572.07
शेयरधारक निधि	4,405.86	4,466.64	4,608.25	5,245.82	5,830.56
देनदारियां					
रक्षित ऋण	746.68	772.11	577.78	432.57	267.33
आरक्षित ऋण	901.53	922.01	934.47	772.10	506.34
आस्थगित कर देयता (निवल)	418.27	423.42	523.60	608.58	711.59
अन्य गैर चालू देनदारियां	189.97	193.90	420.69	258.37	318.86
वर्तमान देनदारियां (दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर)	1,463.57	1,440.25	1,305.71	1,022.97	965.35
कुल इक्विटी और देनदारियां	8,125.88	8,218.34	8,370.51	8,340.42	8,600.03
परिसंपत्तियां					
निवल संयंत्र संपत्ति और उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	3,583.82	3,543.41	4,393.05	4,255.15	4,356.75
प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य	1,658.30	1,609.83	689.99	511.24	581.29
निवेश के लिए निवेश/अग्रिम (लंबित आवंटन और लघु अवधि के निवेश सहित)	719.25	707.59	684.03	1,281.37	1,453.41
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	517.99	501.32	926.70	886.31	810.98
चालू परिसंपत्तियां	1,646.52	1,856.18	1,676.74	1,406.35	1,397.60
कुल परिसंपत्तियां	8,125.88	8,218.34	8,370.51	8,340.42	8,600.03
निवल मूल्य	4,371.37	4,431.30	4,571.66	4,588.85	4,944.18
निवेश की गई पूंजी (निर्माण और निवेश के तहत परिसंपत्तियों सहित)	6,472.33	6,584.19	6,644.10	7,059.20	7,315.95
राष्ट्रीय राजकोष का अंशदान	1,051.10	1,153.77	915.97	736.77	903.10
बाजार पूंजीकरण-एनएसई (एनएसई)	7,012.55	7,870.15	7,784.78	6,757.70	9,730.86
कर्मचारियों की संख्या	3,961	4,022	4,267	4,321	4,355
वर्धित मूल्य	1,645.03	1,594.29	1,173.13	1,065.62	1,453.46
प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धित	0.42	0.40	0.27	0.25	0.33
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय	797.51	725.69	536.82	218.29	294.85
(ग) नकद प्रवाह					
उपलब्ध कराया गया निवल नकद / (में प्रयुक्त)					
प्रचालन कार्यकलाप	915.33	812.01	386.78	608.46	860.35
निवेश कार्यकलाप	(995.12)	(533.20)	(152.62)	(100.28)	(106.74)
वित्तीय कार्यकलाप	339.22	(230.46)	(473.01)	(495.97)	(731.82)
# संबंधित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को प्रचलित विनिमय दर में अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित रूप	54.99	60.61	63.19	66.90	65.43

* इन वर्षों के आंकड़े कंपनी अधिनियम, 2013 के भारतीय लेखा मानक (इंड एसएस) और अनुसूची III के अनुसार हैं। इन वर्षों के लिए सभी अनुपात की गणना इंड एसएस के अनुसार आंकड़ों के आधार पर की जाती है। इसलिए इस संख्या की पिछले वर्षों के साथ पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती।



पांच वर्ष की रूपरेखा (समेकित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*
(क) आय विवरण					
सकल बिक्री	51,737.86	62,598.79	61,428.73	52,355.08	49,236.70
उत्पाद शुल्क	845.15	955.29	914.00	499.80	761.80
निवल बिक्री	50,892.71	61,643.50	60,514.73	51,855.28	48,474.90
सकल मार्जिन (ईबीआईडीटीए)	8,329.06	9,254.63	6,576.76	5,283.16	7,237.28
मूल्य ह्रास और ऋण परिशोधन	1,333.90	1,663.50	1,432.57	1,495.60	1,543.01
वित्त लागत	437.31	668.71	651.83	821.83	510.99
कर पूर्व लाभ/(हानि)	6,557.85	6,922.42	4,492.36	2,965.73	5,183.28
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	4,373.60	4,786.22	3,160.05	1,869.22	3,368.16
अंतरिम लाभांश सहित लाभांश	1,217.74	1,319.21	761.08	697.66	1,458.75
कॉर्पोरेट लाभांश कर	203.03	224.20	153.56	142.03	295.33
(ख) इक्विटी, देनदारियां और परिसंपत्तियां					
इक्विटी					
इक्विटी शेयर पूंजी	1,268.48	1,268.48	1,268.48	1,268.48	1,691.30
अन्य इक्विटी	27,526.18	31,188.47	32,754.19	35,134.93	37,613.59
शेयरधारक निधि	28,794.66	32,456.95	34,022.67	36,403.41	39,304.89
गैर नियंत्रक ब्याज	1,456.62	1,758.78	1,758.30	27.24	33.00
देनदारियां					
रक्षित ऋण	9,281.57	11,793.64	11,237.71	2,893.91	1,914.22
आरक्षित ऋण	7,190.75	6,743.30	7,053.64	6,156.86	4,096.28
आस्थगित कर देयता (निवल)	2,426.49	2,730.35	3,547.69	4,824.81	5,293.07
अन्य गैर चालू देनदारियां	1,118.16	1,314.52	2,851.76	1,751.04	2,112.24
वर्तमान देनदारियां (दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर)	9,518.30	10,044.39	9,173.48	6,980.31	6,465.37
कुल इक्विटी और देनदारियां	59,786.55	66,841.93	69,645.25	59,037.59	59,219.07
परिसंपत्तियां:					
निवल संयंत्र संपत्ति और उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	24,303.40	27,779.37	33,850.05	29,946.45	30,091.84
प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य	19,894.30	20,400.43	16,247.80	3,406.14	3,956.08
निवेश के लिए निवेश/अग्रिम (लंबित आवंटन और लघु अवधि के निवेश सहित)	1,525.96	1,476.85	1,633.06	9,844.40	10,268.13
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	2,884.07	3,032.90	5,550.71	6,228.24	5,524.29
चालू परिसंपत्तियां	11,178.82	14,152.38	12,363.63	9,612.36	9,378.73
कुल परिसंपत्तियां	59,786.55	66,841.93	69,645.25	59,037.59	59,219.07
निवल मूल्य	26,007	28,958	30,420	31,989	33,492
निवेश की गई पूंजी (निर्माण और निवेश के तहत परिसंपत्तियों सहित)	49,150	55,483	57,620	50,307	50,642
(ग) नकद प्रवाह					
उपलब्ध कराया गया निवल नकद/(में प्रयुक्त)					
प्रचालन कार्यकलाप	6,603.04	4,615.18	4,214.12	3,960.36	6,078.90
निवेश कार्यकलाप	(8,442.69)	(4,142.13)	(2,115.66)	(903.73)	(833.73)
वित्तीय कार्यकलाप	3,641.70	(2.59)	(3,058.47)	(3,027.60)	(4,830.34)
(घ) मुख्य वित्तीय संकेतक					
प्रदत्त पूंजी का निवल मूल्य प्रति (₹)	20.50	22.83	23.98	25.22	19.80
ईबीआईडीटीए/सकल कारोबार (%)	16.10	14.78	10.71	10.09	14.70
पूंजी निवेश पर प्रतिलाभ (%)	14.23	13.68	8.93	7.53	11.24
निवल मूल्य पर प्रतिलाभ (%)	16.82	16.53	10.39	5.84	10.06
पूंजी निवेश पर सकल बिक्री (%)	105.27	112.83	106.61	104.07	97.22
लाभांश भुगतान अनुपात (%) (लाभांश कर सहित)	32.49	32.25	28.94	44.92	52.08
आय प्रति शेयर (₹)	34.48	37.73	24.91	14.74	19.91
लाभांश प्रति शेयर (₹)	9.60	10.40	6.00	5.50	8.63

* इन वर्षों के आंकड़े कंपनी अधिनियम, 2013 के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और अनुसूची III के अनुसार हैं। इन वर्षों के लिए सभी अनुपात की गणना इंड एएस के अनुसार आंकड़ों के आधार पर की जाती है। इसलिए इस संख्या पिछले वर्षों के साथ पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती।

कृपया विभिन्न अनुपात के फार्मूला के लिए पांच वर्ष की रूपरेखा (पृथक) देखें।

पांच वर्ष की रूपरेखा (समेकित)

(यू एस डॉलर मिलियन में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*
(क) आय विवरण					
सकल बिक्री	9,408.59	10,328.13	9,721.27	7,825.87	7,525.10
उत्पाद शुल्क	153.69	157.61	144.64	74.71	116.43
निवल बिक्री	9,254.90	10,170.52	9,576.63	7,751.16	7,408.67
सकल मार्जिन (ईबीआईडीटीए)	1,514.65	1,526.91	1,040.79	789.71	1,106.11
मूल्य ह्रास और ऋण परिशोधन	242.57	274.46	226.71	223.56	235.83
वित्त लागत	79.53	110.33	103.15	122.84	78.10
कर पूर्व लाभ/(हानि)	1,192.55	1,142.13	710.93	443.31	792.19
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	795.34	789.67	500.09	279.40	514.77
अंतरिम लाभांश सहित लाभांश	221.45	217.66	120.44	104.28	222.95
कॉर्पोरेट लाभांश कर	36.92	36.99	24.30	21.23	45.14
(ख) इक्विटी, देनदारियां और परिसंपत्तियां					
इक्विटी					
इक्विटी शेयर पूंजी	230.67	209.29	200.74	189.61	258.49
अन्य इक्विटी	5,005.67	5,145.76	5,183.45	5,251.86	5,748.68
शेयरधारक निधि	5,236.34	5,355.05	5,384.19	5,441.47	6,007.17
गैर नियंत्रक निधि	264.89	290.18	278.26	4.07	5.04
देनदारियां					
रक्षित ऋण	1,687.87	1,945.82	1,778.40	432.57	292.56
आरक्षित ऋण	1,307.65	1,112.57	1,116.26	920.31	626.06
आस्थगित कर देयता (निवल)	441.26	450.48	561.43	721.20	808.97
अन्य गैर चालू देनदारियां	203.34	216.88	451.30	261.74	322.82
वर्तमान देनदारियां (दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर)	1,730.91	1,657.22	1,451.73	1,043.39	988.14
कुल इक्विटी और देनदारियां	10,872.26	11,028.20	11,021.56	8,824.75	9,050.75
परिसंपत्तियां:					
निवल संयंत्र संपत्ति और उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	4,419.60	4,583.30	5,356.87	4,476.30	4,599.09
प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य	3,617.80	3,365.85	2,571.26	509.14	604.63
निवेश के लिए निवेश/अग्रिम (लंबित आवंटन और लघु अवधि के निवेश सहित)	277.50	243.66	258.44	1,471.51	1,569.33
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	524.47	500.40	878.42	930.98	844.31
चालू परिसंपत्तियां	2,032.88	2,334.99	1,956.58	1,436.83	1,433.40
कुल परिसंपत्तियां	10,872.26	11,028.20	11,021.56	8,824.75	9,050.75
निवल मूल्य	4,729.33	4,777.69	4,813.99	4,781.62	5,118.78
निवेश की गई पूंजी (निर्माण और निवेश के तहत परिसंपत्तियों सहित)	8,938.01	9,154.10	9,118.53	7,519.75	7,739.92
(ग) नकद प्रवाह					
उपलब्ध कराया गया निवल नकद/(में प्रयुक्त)					
प्रचालन कार्यकलाप	1,200.77	761.46	666.90	591.98	929.07
निवेश कार्यकलाप	(1,535.31)	(683.41)	(334.81)	(135.09)	(127.42)
वित्तीय कार्यकलाप	662.25	(0.43)	(484.01)	(452.56)	(738.25)
# संबंधित वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को प्रचलित विनिमय दर में अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित रूपए	54.99	60.61	63.19	66.90	65.43

* इन वर्षों के आंकड़े कंपनी अधिनियम, 2013 के भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) और अनुसूची III के अनुसार हैं। इन वर्षों के लिए सभी अनुपात की गणना इंड एएस के अनुसार आंकड़ों के आधार पर की जाती है। इसलिए इस संख्या पिछले वर्षों के साथ पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती।

एकल वित्तीय विवरण



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यगण

यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के कहने पर, 22 मई 2017 की हमारी पिछली स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के क्रम में जारी की जा रही है। हमारी पिछली रिपोर्ट में भारत के सीएंडएजी द्वारा उल्लेख किए गए अनुसार, कंपनियों (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुलग्नक 'क' में कुछ संशोधनों को देखते हुए संशोधित रिपोर्ट जारी की जा रही है। इसके अलावा, हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये परिवर्तन सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण और इस पर पहले व्यक्त किए गए हमारे विचारों को प्रभावित नहीं करते हैं और 31 मार्च 2017 तक कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रबंधक की रिपोर्ट

हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 तक का तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों में यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133, के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन पृथक इंड एएस वित्तीय परिणामों को जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नगदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रकट करते हैं, तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजियों और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उसका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करने; ऐसे निर्णय और अनुमान करने जो उचित और विवेकपूर्ण हों; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करने जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करने वाले तथा तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल-कपट या त्रुटि से मुक्त वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित हों, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व इन पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है। ये हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और विषयों पर विचार किया है, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने अपेक्षित हैं। हमने पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार की है। मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और उचित निश्चय के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें कि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, छल-कपट या त्रुटि के कारण जोखिम मूल्यांकन सम्मिलित है। उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं, को तय करने के उद्देश्य से सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करने वाले वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी से संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता के साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी बेहतर जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त पृथक इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी इच्छित तरीके से प्रदान करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2017 को कंपनी के कार्य व्यवहार और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इसका नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

प्रमुख मामले

हम वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं:—

1. टिप्पणी सं: 35(ग)— पेद्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी विभिन्न अस्थायी परिहर्न प्रभार आदेशों के संबंध में, इन आदेशों को कंपनी द्वारा विद्युत हेतु अपीलीय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) में चुनौती दी गई है और समायोजन, यदि कोई हो, को मामले का अंतिम निर्णय हो जाने पर मान्य किया जाएगा।
2. टिप्पणी सं: 39 — ऐसी इकाई के हानि अध्ययन के आधार पर एक संयुक्त उद्यम इकाई में 974.31 करोड़ रुपये के निवेश के मूल्य में से 783 करोड़ रुपये की हानि के प्रावधान के संबंध में है। इस तरह के मामले को लाभ एवं हानि विवरण में असाधारण मद में शामिल किया गया है।
3. टिप्पणी सं: 42 — वर्ष के दौरान पोट वा भुगतान किए गए प्रमारों के लिए पिछले वर्ष में राजस्व की मान्यता के संबंध में, जबकि ग्राहक ने कंपनी के दावे को विवादित किया हो और अंतिम निर्णय अनिश्चित हो।

हम उपरोक्त मामले पर अपनी राय व्यक्त नहीं करते।

अन्य मामले

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और 1 अप्रैल 2015 को इन पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल परिवर्तन होने की तारीख को प्रारंभिक तुलन-पत्र पहले जारी किए गए वैधानिक वित्तीय विवरणों के आधार पर कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनकी 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015 को समाप्त लेखा-परीक्षा क्रमशः 25 मई 2016 और 27 मई 2015 को हमारे/पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी, जो उन पृथक वित्तीय विवरणों पर अधोषित राय व्यक्त करते हैं, जिन्हें इंड एएस में परिवर्तन होने पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों में अंतर के लिए समायोजन किया गया था, और जिन्हें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है।

हम उपरोक्त मामले पर अपनी राय व्यक्त नहीं करते।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, और कंपनी के बही खातों और रिकार्डों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा हमने उपयुक्त समझा है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम "अनुलग्नक क" में उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट तथ्यों पर विवरण प्रस्तुत करते हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के माध्यम से भारत के महानियंत्रक और लेखापरीक्षक की अपेक्षा के अनुसार, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर, हम निर्दिष्ट तथ्य पर अपनी रिपोर्ट संलग्न अनुलग्नक "ख" में प्रस्तुत करते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि:
 - (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे;
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) और नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण बही खातों के अनुरूप हैं;
 - (घ) हमारी राय में, उपरोक्त पृथक इंड एएस वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;
 - (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के उप-धारा (2) के प्रावधान, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (अ.) दिनांकित 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते।
 - (च) हम कंपनी में लागू पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी प्रचालन पर अपनी राय "अनुलग्नक ग" में सूचित करते हैं; और
 - (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य तथ्यों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - i. कंपनी ने अपने पृथक इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है—वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29(1)(क) देखें।
 - ii. कंपनी ने प्रचलित कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत अपेक्षा अनुसार, जैसा कि व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि अनुबंध पर निकट भविष्य में होने वाले भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए नियम बनाए हैं;
 - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरण हेतु अपेक्षित राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।
 - iv. कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) में धारिता के साथ-साथ अपने वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 9क में अपेक्षित खुलासा किया है। लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर निर्भर करते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रकटीकरण कंपनी द्वारा बनाए गए खातों और अभिलेखों के अनुसार है।

कृते ओ. पी. बगला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 000018एन

(राकेश कुमार)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 087537

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 जुलाई, 2017

कृते जी. एस. माथुर एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 08744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 091007



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक इंड एस वित्तीय विवरणों पर गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों हेतु समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं" के पैरा 1 में संदर्भित।

- (i) (क) जैसा कि हमें सूचित किया गया है कंपनी ने आम तौर पर स्थिर संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा इन स्थिर संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों के संबंध में उचित है। जैसा हमें सूचित किया गया ऐसे सत्यापन में कोई तथ्यात्मक विसंगति नहीं पाई गई।
- (ग) जैसा कि हमें सूचित किया गया और अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमने सत्यापन किया कि अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख नोट निम्न मामलों को छोड़कर कंपनी के नाम पर धारित हैं:

परिसंपत्तियों का विवरण	मामलों की संख्या	क्षेत्र हेक्टेयर में	31.03.2017 को सकल ब्लॉक (₹ करोड़ में)	31.03.2017 को निवल ब्लॉक (₹ करोड़ में)
भूमि				
- फ्रीहोल्ड	10	4.81	19.43	19.43
- लीज़होल्ड	6	175.31	27.36	26.48
- लीज़होल्ड-मूल कीमत में उल्लिखित (गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूर्व भुगतान के रूप में वर्गीकृत)	2	22.01	9.39	9.39
भवन और अवसंरचना	10	-	1.67	1.00

- (ii) जैसा कि हमें सूचित किया गया है प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर सामान सूची, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा अन्य ठेकेदारों के पास पड़े हुए भंडार और अतिरिक्त पुर्जों को छोड़कर, का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के अंत में गैस का स्टॉक टर्मिनलों पर स्थापित टरबाइन फ्लो मीटर/गैस क्रोमेटोग्राफ के पठन के अनुसार, एलपीजी/पेंटेन/एसबीपी सॉल्वेंट का स्टॉक टैंक लेवल गेज मापन के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसे घनत्व के मापन और तापमान के लिए जांच कारक का प्रयोग करते हुए टनों में बदला जाता है। एलपीजी वाष्प मात्रा को मानक फार्मूले द्वारा टन में बदला जाता है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, सामान सूची के भौतिक सत्यापन में कोई तथ्यात्मक विसंगति नहीं पाई गई।

- (ii) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों को अप्रतिभूत ऋण मंजूर किए हैं। ऐसे ऋणों के संबंध में:

- क) जैसा कि हमें सूचित किया गया है और हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है, ऐसे ऋणों की मंजूरी के नियम और शर्तें कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।
- ख) ऐसे ऋणों पर मूलधन चुकौती और ब्याज का भुगतान निर्धारित है और पार्टियां निर्धारित अनुसूची के अनुसार भुगतान कर रही हैं।
- (ग) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कोई भी ऋण की राशि वर्ष के अंत में नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय नहीं है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान मंजूर किए गए ऋणों/निवेशों/गारंटी/प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।
- (v) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 तक के प्रावधानों या अन्य कोई संगत प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।
- (vi) हमने कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा-परीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी रखे गए लेखों और रिकार्डों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा और रिकार्ड बनाए गए हैं और उनका रखरखाव किया जाता है। तथापि, हमने इनकी सत्यता और पूर्णता का निर्धारण करने की दृष्टि से रिकार्डों की विस्तृत जांच नहीं की है।
- (vii) क) कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेस और अन्य किसी सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को, देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए ऊपर संदर्भित कोई सांविधिक देय बकाया नहीं है।
- ख) प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित जिस पर हमने विश्वास किया है आय कर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या उपकर के देय जो विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं और मंच जहां पर विवाद लंबित है, नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	सांविधि का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि किस अवधि से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है	सकल विवादित राशि (₹ करोड़ में)	विरोध/अपील के अंतर्गत जमा राशि	जमा न की गई राशि (₹ करोड़ में)
1	संबंधित राज्य का प्रवेश कर अधिनियम	प्रवेश कर/दंड/ब्याज	2002-03 से 2004-05	माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	18.83	-	18.83
			1999-00 से 2009-10	वाणिज्यिक कर अधिकरण, उ.प्र.	205.34	6.41	198.93
			2008-09	अपर आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर	0.47	-	0.47
			2002-03 से 2005-06	उपायुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, अजमेर	6.19	-	6.19
			2011-12 और 2012-13	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड, भोपाल	4.76	1.77	2.99
		उप-योग			235.59	8.18	227.41

क्र. सं.	सांविधि का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि किस अवधि से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है	सकल विवादित राशि (₹ करोड़ में)	विरोध/अपील के अंतर्गत जमा राशि	जमा न की गई राशि (₹ करोड़ में)
2	केन्द्रीय बिक्री अधिनियम 1956 संबंधित राज्य बिक्री कर / वैट अधिनियम	सीएसटी / बिक्री कर / वैट / दंड / ब्याज	2011-12 और 2012-13	म. प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड, भोपाल	12.26	4.01	8.25
			2005-06 से 2011-12	संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, मुंबई	313.30	24.03	289.27
			2003-2004	माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई	0.63	0.03	0.60
			अक्टूबर 2011 से दिसम्बर 2011	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, त्रिचि	0.59	-	0.59
			2003-2004	माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी	0.29	0.14	0.15
			2014-15	उपायुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, ईरनाकुलम	2.85	0.07	2.78
			2003-04 2008-09 2009-10 2012-13	संयुक्त आयुक्त, (अपील), वाणिज्यिक कर, वडोदरा	93.44	82.98	10.46
			1995-96 से 1996-97	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, ग्वालियर	0.16	0.16	-
		उप-योग			423.52	111.42	312.10
3	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / ब्याज / दंड	मार्च 2000 से फरवरी 2002, अप्रैल 2002 से मार्च 2003 और नवम्बर 2004 से फरवरी 2005	उच्चतम न्यायालय	54.24	-	54.24
			सितंबर 2006 से फरवरी 2014	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली	2646.90	-	2646.90
			जनवरी 2001 से फरवरी 2005	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, मुंबई	196.09	-	196.09
			जुलाई 2004 से मार्च 2011	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद	188.44	-	188.44
			अप्रैल 2008 से मार्च 2010 और जुलाई 2010 से नवम्बर 2010	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता	77.72	-	77.72
		उप-योग			3163.39	0.00	3163.39
4	वित्तीय अधिनियम 1994 (सेवा कर)	सेवा कर / ब्याज / दंड	अक्टूबर 2006 से मार्च 2015	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली	1216.80	23.61	1193.19
			अगस्त 2005 से सितंबर 2009	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद	9.88	-	9.88
			जुलाई 2010 से नवंबर 2010	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली	0.37	-	0.37
			2008-09	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद	0.03	-	0.03



क्र. सं.	सांविधि का नाम	देयताओं की प्रकृति	राशि किस अवधि से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है	सकल विवादित राशि (₹ करोड़ में)	विरोध/अपील के अंतर्गत जमा राशि	जमा न की गई राशि (₹ करोड़ में)
			अप्रैल 2007 से मार्च 2009 और अक्टूबर 2009 से मार्च 2015	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली	1.18	-	1.18
		उप-योग			1228.26	23.61	1204.65
5	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क/ ब्याज/ दंड	मार्च 2006	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली	0.53	0.46	0.07
			अक्टूबर 2015 से मार्च 2016	आयुक्त, सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर (अपील), पुणे	0.77	0.65	0.12
			मार्च 2013 से जुलाई 2014	आयुक्त, सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर (अपील), अहमदाबाद	7.78	7.78	-
		उप-योग			9.08	8.89	0.19
6	आयकर अधिनियम, 1961	आय कर/ ब्याज/ दंड	2008-09 से 2017-18	न्यायिक आकलन अधिकारी (टीडीएस)	4.94	-	4.94
			1999-00, 2013-14 और 2014-15	आयकर आयुक्त (अपील)-22, नई दिल्ली	152.20	152.20	-
			1996-97 से 1998-99 और 2000-01 to 2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली	1808.28	1180.19	628.09
			1997-98 और 1998-99	माननीय उच्चतम न्यायालय	0.26	0.26	-
		उप-योग			1965.68	1332.65	633.03
7	गुजरात नगरपालिका अधिनियम, 1963	अधिसूचित क्षेत्र कर/ जीआईडी सी क्षेत्र/ ब्याज	1998-99 से 2005-06 और 1985-86 से 2009-10	माननीय उच्च न्यायालय, अहमदाबाद	4.33	-	4.33
		कुल			7029.85	1484.75	5545.10

- (viii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंक या सरकार या बांड धारकों को देयों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण प्रस्ताव सहित) के माध्यम से कोई रकम नहीं जुटाई है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए सावधि ऋणों का प्रयोग उन्हीं के लिए किया गया जिनके लिए इन्हें लिया गया था।
- (x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसार कंपनी के बही खातों और रिकॉर्डों की हमारी परीक्षा के आधार पर तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी में वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं हुआ है या किसी कंपनी के अधिकायियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है या सूचना दी गई है।
- (xi) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(अ.) के अनुसार, धारा 197 सरकारी कंपनियों पर नहीं होती। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और अतएव ऐसी कंपनियों से संबंधित आदेश की शर्त 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होती।

- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188, जहां लागू हैं, के अनुपालन में हैं और विवरण लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।
- (xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई अधिमान आवंटन या शेरों या पूर्णतः या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- (xv) जैसा हमें सूचित किया गया, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने किसी निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1क के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते **ओ. पी. बगला एंड कंपनी**
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म संख्या 000018एन

(**राकेश कुमार**)
 (भागीदार)
 सदस्यता संख्या 087537

स्थान: **नई दिल्ली**
 दिनांक: **20 जुलाई, 2017**

कृते **जी. एस. माथुर एंड कम्पनी**
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म संख्या 08744एन

(**राजीव कुमार वाघवान**)
 (भागीदार)
 सदस्यता संख्या 091007

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों हेतु समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं" के पैराग्राफ 2 में संदर्भित

क्र. सं.	निर्देश/उप निर्देश	की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट स्वामित्व/लीज विलेख है? यदि नहीं तो फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए स्वामित्व/लीज विलेख उपलब्ध नहीं हैं?	जैसा हमें सूचित किया गया और हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापित किया कि अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख नोट सं. 37(ख) एवं (ग) में प्रकटन के अनुसार इन भूमियों के क्षेत्रफल सहित मामलों के अतिरिक्त कंपनी के नाम पर हैं।	शून्य
2	क्या माफी/ऋणों/उधारों/ब्याज इत्यादि के बट्टे डालने के कोई मामले हैं, यदि कोई हैं, उनके कारण और संलिप्त राशि	हमें सूचित किया गया है कि कर्ज/ब्याज/ऋण आदि को माफ, बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य
3	क्या तृतीय पक्षों के पास पड़े सामानों और सरकार या अन्य विभागों से उपहार के तौर पर प्राप्त संपत्तियों का उचित रिकॉर्ड रखा गया है।	कंपनी ने तृतीय पक्षों के पास पड़े सामान सहित सामानों का उचित रिकॉर्ड रखा है। सामान सूचियों, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और अन्य ठेकेदारों के पास पड़े भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के अतिरिक्त, का प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया जाता है। हमें सूचित किया गया कि कोई संपत्ति सरकार या अन्य विभागों से उपहार के तौर पर प्राप्त नहीं हुई है।	शून्य

कृते ओ. पी. बगला एंड कंपनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म संख्या 000018एन

(राकेश कुमार)
 (भागीदार)
 सदस्यता संख्या 087537

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 20 जुलाई, 2017

कृते जी. एस. माथुर एंड कम्पनी
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
 फर्म संख्या 08744एन

(राजीव कुमार वाधवान)
 (भागीदार)
 सदस्यता संख्या 091007



स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों हेतु समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं" के पैराग्राफ 3(च) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के अनुच्छेद (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 को गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, छल-कपट और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता और पूर्णता, और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा पर मानकों, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक पहलुओं से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस जोखिम जो एक तथ्यात्मक कमजोरी होती है, का निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण और डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल-कपट या त्रुटि से, के जोखिमों के निर्धारण सहित, पर निर्भर करती हैं। हमारा मानना है कि मैंने/हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक

वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार एक प्रक्रिया है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो

- (1) रिकॉर्डों, जो उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी संपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं, के रखरखाव से संबंधित हैं;
- (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हों कि लेनदेनों को आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारपत्र के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- (3) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश की संभावना सहित, त्रुटि या छल-कपट से तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, सभी तथ्यात्मक पहलुओं से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2017 को प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

कृते **ओ. पी. बगला एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 000018एन

(**राकेश कुमार**)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 087537

स्थान: **नई दिल्ली**
दिनांक: **20 जुलाई, 2017**

कृते **जी. एस. माथुर एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 08744एन

(**राजीव कुमार वाधवान**)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 091007

गेल (इंडिया) लिमिटेड

31 जुलाई 2017 के अनुसार पृथक तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को	
1	परिसंपत्तियां					
	गैर-चालू परिसंपत्तियां					
	क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	27,762.80	27,728.24	26,929.16	
	ख) चल रहा पूंजीगत कार्य	3	3,585.20	3,134.27	3,994.76	
	ग) प्रगत्यधीन परिसंपत्तियां	4	743.39	738.71	743.94	
	घ) निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	4	218.19	285.93	365.06	
	ड) वित्तीय परिसंपत्तियां					
	I - निवेश	5क	9,509.64	8,572.38	10,390.14	
	ii - व्यापार प्राप्तियां	6क	1,103.66	1,100.58	2,395.56	
	iii - ऋण	7क	619.21	694.83	680.49	
	iv - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7ख	6.87	219.09	116.06	
f) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (गैर-वित्तीय)	10क	3,576.52	3,914.92	2,939.87		
		47,125.48	46,388.95	48,555.04		
2	उप योग (1)					
	चालू परिसंपत्तियां					
	क) माल सूची	8	1,698.38	1,609.44	1,931.27	
	ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
	I - निवेश	5ख	-	12.35	-	
	ii - व्यापार प्राप्तियां	6ख	2,724.54	2,708.96	3,076.18	
	iii - नकद और नकद समकक्ष	9ख	451.88	309.32	227.61	
	iv - उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक अधिशेष	9ख	889.97	1,484.55	914.04	
	v - ऋण	7क	752.83	642.53	551.06	
	vi - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7ख	57.39	46.94	90.87	
	ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां (गैर-वित्तीय)	10ख	2,569.52	2,594.36	2,825.00	
उप योग (2)		9,144.51	9,408.45	9,616.03		
कुल परिसंपत्तियां (1+2)		56,269.99	55,797.40	58,171.07		
1	इक्विटी और देनदारियां					
	इक्विटी					
	क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	1,691.30	1,268.48	1,268.48	
	ख) अन्य इक्विटी	12	36,458.07	33,826.07	34,367.32	
	कुल इक्विटी (1)		38,149.37	35,094.55	35,635.80	
	2	देनदारियां				
		गैर-चालू देनदारियां				
		क) वित्तीय देनदारियां				
		I - उधार	13क	3,004.55	5,737.30	7,745.66
		ii - अन्य वित्तीय देनदारियां	14क	814.09	1,108.37	2,160.57
		ख) प्रावधान	15क	812.60	618.36	579.54
ग) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)		18	4,655.91	4,071.38	3,359.35	
घ) अन्य गैर चालू देनदारियां		17क	458.75	0.92	0.92	
उप-योग (2)			9,745.90	11,536.33	13,846.04	
3		चालू देनदारियां				
		क) वित्तीय देनदारियां				
	i - उधार	13ख	-	-	233.80	
	ii - व्यापार देयताएं	16	2,716.01	2,861.60	3,320.48	
	iii - अन्य वित्तीय देनदारियां	14ख	3,818.31	4,658.12	3,656.89	
	ख) अन्य चालू देनदारियां	17ख	1,139.66	1,114.87	859.21	
	ग) प्रावधान	15ख	700.74	531.93	618.85	
	उप योग (3)		8,374.72	9,166.52	8,689.23	
	कुल इक्विटी और देनदारियां (1+2+3)		56,269.99	55,797.40	58,171.07	

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट 1 से 69 पृथक वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग हैं।

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राजीव कुमार वाघवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017



31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

निगमित सूचना

भारत में गेल (इंडिया) लिमिटेड ('गेल' या 'कंपनी') एक लिमिटेड कंपनी है और इसे 16 अगस्त, 1984 को निगमित किया गया था। कंपनी का इक्विटी शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। इसके अलावा, गेल जीडीआर को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2017 को भारत सरकार की कंपनी में 54.43 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी पूंजी धारिता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 में स्थित है।

सहायक कंपनी (समूह) तथा उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी सहित कंपनी भारत में सबसे बड़ी राज्य-स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग और वितरण कंपनी है। कंपनी का व्यापार पोर्टफोलियो विविध है और इसका प्राकृतिक गैस के उत्पादन, एलपीजी, तरल हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण, प्राकृतिक गैस के ट्रांसमिशन और पाइपलाइनों, सिटी गैस, आदि का स्रोत उपलब्ध कराने और व्यापार में हित है। गेल इक्विटी और संयुक्त उद्यम भागीदारी के माध्यम से गैस की आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तेल एवं गैस अन्वेषण और उत्पादन भी करती है। गेल के भारत और विदेशों में तेल और गैस ब्लॉकों में भी भागीदारी हित हैं।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को 22 मई, 2017 को कंपनी के निदेशकों के एक प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

तैयारी का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण को भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित हैं।

कंपनी ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार किया, जिसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 (भारतीय जीएएपी) के पैरा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को इंड-एएस के अनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को लेखा के प्रोद्भूत आधार पर सतत चलने वाली कंपनी के रूप में तैयार किया गया है। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए ऐतिहासिक लागत आधार को अपनाया है जिन्हें विभिन्न आधार पर मापा गया है और ऐसे आधार का संगत लेखांकन नीति में खुलासा किया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है और मूल्य को निकटतम करोड़ (आईएनआर 0,000,000) तक पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:-

1.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

क) मूल परिसंपत्तियां

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मूल्यहास को घटाने के बाद उनकी मूल कर/ड्यूटी क्रेडिट की निवल लागत पर दर्शाया गया है। ऐसी परिसंपत्तियों के चालू होने तक अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित सभी लागत पूंजीकृत हैं। संस्थापित परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों को अंतिम भुगतान किया जाना है, वहां पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया गया है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी की अनंतिम स्वीकृति लंबित मंजूरी शामिल है, बशर्ते कि निपटान वर्ष में लागत और मूल्यहास में आवश्यक समायोजन किया जाए।

(ii) भण्डार और पुर्जे, जो पीपीई (घटक के रूप में या अन्यथा) की परिभाषा को पूरा करते हैं और मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, को अंतर्निहित परिसंपत्तियों में पीपीई के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों की एक निर्धारित राशि को निरीक्षण/जीर्णोद्धार/मरम्मत के लिए रखा जाता है जिन्हें मान्य मानदंड के संतुष्ट पाए जाने पर बदला

गया है। लाभ और हानि विवरण में अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागत को दर्ज किया गया है।

(iii) पीपीई की खरीद के समय तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क पर किए गए व्यय को अंतर्निहित परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियां

(iv) उपयोग का अधिकार (आरओयू), सॉफ्टवेयर, लाइसेंस जैसी अमूर्त संपत्तियां, जिनसे भावी आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और संचित परिशोधन और किसी भी संचित हानि के नुकसान को घटाकर उनकी अधिग्रहण लागत को लिखा गया है।

1.2 प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य

(i) वास्तविक भुगतान/अनुमानित दायित्व के आधार पर प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य के अंतर्गत जहां उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, वहां जब कभी कार्य शुरू होता है, फसल मुआवजे का हिसाब लगाया जाता है।

(ii) प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य में परियोजनाओं में उपयोग के लिए साइट पर प्राप्त सामग्री/उपकरण/सेवाओं आदि सहित निर्माण अवधि शामिल है, जिसे ऐसी परिसंपत्तियों की स्थापना के समय पूंजीकृत किया जाता है।

(iii) निर्माण अवधि के दौरान हुए सभी राजस्व व्यय, जो विशेष रूप से अधिग्रहण/निर्माण परिसंपत्तियों के कारण होते हैं, को ऐसी परिसंपत्तियों के चालू होने के समय पूंजीकृत किया जाता है।

1.3 अन्वेषण और विकास लागत

क) कंपनी, संयुक्त उद्यमों के माध्यम से तेल एवं गैस अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लेखांकन के लिए सफल प्रयास पद्धति अपनाती है, जिसमें संबंधित मेजबान सरकार और अन्वेषण, विकास और उत्पादन गतिविधियों के लिए विभिन्न निकायों के साथ उत्पादन शेयरिंग संविदा (पीएससी) शामिल होती है:

i) सर्वेक्षण की लागत को वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें इन पर खर्च किया जाता है।

ii) प्रगत्यधीन विकास/पूंजीगत कार्य के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में अन्वेषणीय/विकास कुओं की लागत वर्ष में ऐसे अन्वेषणीय कुओं को पूंजीकृत किया जाता है जिसमें उत्पादक परिसंपत्ति का सृजन किया जाता है। सूखे/त्यागे गए कुओं के रूप में निर्धारित होने पर इसकी लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

iii) सभी 'प्रगत्यधीन अन्वेषणीय कुओं' की लागत को उन कुओं के सिवाय और लाभ और हानि विवरण में से घटा दिया जाता है, जिसके लिए वहाँ उचित मात्रा में भंडार मिलने का उचित संकेत हो, और उद्यम भंडार और परियोजना की आर्थिक और प्रचालन व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा हो।

ख) उत्पादक परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

i) उत्पादक परिसम्पत्तियों को पूंजीकरण "पूर्ण कुएं/उत्पादक कुएं" के तौर पर तब किया जाता है जब क्षेत्र/फील्ड में कुएं वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए तैयार हों और उनसे तेल एवं गैस भंडार का विकास प्रमाणित हो गया है।

ii) उत्पादक परिसम्पत्ति की लागत में सफल अन्वेषण कुओं, विकासशील कुओं की लागत और उपकरणों एवं सुविधाओं के समर्थन का प्रारंभिक मूल्यहास तथा सुविधाएं और अनुमानित भावी परित्याग करने की लागत शामिल होती है।

ग) उत्पादक परिसम्पत्तियों में कमी

उत्पादक परिसम्पत्तियों में कमी, "उत्पादन पद्धति की इकाई (यूओपी)" का प्रयोग करके की जाती है। सभी पूंजीगत लागत के लिए प्रभारित उत्पादन की कमी या इकाई की गणना वर्ष के दौरान उत्पादन के

अनुपात में की जाती है जिसे वर्ष के अंत में विकसित रिजर्व प्रमाणित किया जाता है।

घ) उत्पादन परिसम्पत्तियों की उत्पादन लागत

प्रचालक द्वारा दर्शाए गए अनुसार उत्पादन लागत के कंपनी शेयर में कुआँ लेने से पूर्व तथा कुआँ लेने के पश्चात शीर्ष व्यय शामिल होता है जिसमें सहायक उपकरण और सुविधाओं का मूल्यहास एवं वर्तमान प्रचालन लागत शामिल होती है।

ड.) संयुक्त प्रचालनों का लेखांकन

उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी) के जरिए किए गए संयुक्त प्रचालनों में अपने हितों के संबंध में, कंपनी अपने आनुपातिक शेयरों को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आउटपुट की बिक्री से प्राप्त राजस्व, वित्तीय विवरणों में संयुक्त प्रचालन कंपनी के व्यय के रूप में मानती है।

1.4 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) है।
- विदेशी मुद्रा में लेनदेन की प्रारंभिक गणना लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
- वर्ष के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में नामित मौद्रिक मदों (जैसे नकद, वसूली योग्य राशि, ऋण देयताएं आदि) को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों (देयता के लिए बीसी विक्रय दर तथा प्राप्ति योग्य राशि के लिए टीटी क्रय दर) में परिवर्तित किया जाता है।
- विदेशी मुद्रा में नामित गैर-मौद्रिक मदों (निवेश, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आदि) की गणना लेनदेन(नों) की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
- निपटान या लेनदेन में विनिमय अंतर के कारण हुए किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में समायोजित किया जाता है।
- किसी विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को उचित मूल्य का निर्धारण करते हुए उस तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके निकाला जाता है। गैर-मौद्रिक मदों के अंतरण से होने वाले लाभ या हानि को ऐसी मद के उचित मूल्य के निर्धारण से उत्पन्न मद के लाभ या हानि के अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो अन्य व्यापक आय में या लाभ एवं हानि विवरण, जैसी भी स्थिति हो, में होती है।

1.5 उधार लागत

विशेष तौर पर अर्हक परिसम्पत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निधियों की उधार लागत और परिसम्पत्तियों की लागत को पूंजीकरण की योग्यता के साथ उस तिथि तक गणना की जाती है जब परिसम्पत्ति ऐसी निधियों के अस्थाई निवेश से अर्जित किसी आय में से हानि को निकालने के बाद प्रयोग हेतु तैयार होती है। वर्ष के दौरान ज्ञात अन्य उधार लागतों की गणना व्यय के रूप में की गई है।

1.6 अनुदान

मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत को सकल मूल्य पर दर्शाया गया है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय पर लिया जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की तुलना में लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में माना जाता है।

1.7 मालसूची

- पाइपलाइनों में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस के भंडार को पहले आओ, पहले पाओ (एफआईएफओ) आधार पर या वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।
- कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों को भारत औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। तैयार उत्पादों में उत्पाद शुल्क और रायल्टी, जहां कहीं भी हो, शामिल की जाती है।
- प्रक्रियारत स्टॉक का मूल्य भारत औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है। इसका उस भारत औसत

लागत पर मूल्य लगाया जाता है, जहां तैयार उत्पाद, जिसमें इसे बेचे जाने के लिए शामिल किया जाना है, या उपर्युक्त भारत औसत लागत पर बेचे जाने की संभावना है।

- मालसूची के उत्पादन के लिए प्रयोग हेतु स्टोर और पुर्जे तथा अन्य सामग्री का मूल्य भारत औसत मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है। इसका मूल्य भारत औसत लागत जहां तैयार उत्पाद, जिनमें इन्हें बेचे जाने के लिए शामिल किया जाएगा, को उपर्युक्त लागत पर बेचे जाने की संभावना होती है।
- अधिशेष/अप्रचलित स्टोर तथा पुर्जे का मूल्य लागत या निवल प्राप्त योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है।
- पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण में प्रयोग हेतु रखे गए अधिशेष/अप्रचलित स्टोर तथा पुर्जे का मूल्य लागत या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, के न्यूनतम पर लगाया जाता है।
- मार्गस्थ आयातित एलएनजी का मूल्य या निवल प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के सीआईएफ मूल्य पर लगाया जाता है।
- अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का मूल्यांकन पहले आओ, पहले पाओ (एफआईएफओ) आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन किया जाता है।

1.8 राजस्व की गणना

- बिक्री को पर्याप्त जोखिम के अंतरण तथा क्रेता को मालिकाना अधिकार प्रदान करने, जो सामान्य तथा ग्राहकों को वस्तुओं की सुपुर्दगी से मेल खाता हो, के लिए अनुमति दी जाती है। इसमें उत्पाद बिक्री शुल्क शामिल होता है लेकिन मूल्यवर्धित कर को शामिल नहीं किया जाता है। मूल्यों में किसी विगत प्रभाव से संशोधन की गणना ऐसे संशोधन वर्ष में की जाती है। इसे प्राप्त या प्राप्ति योग्य विचार के उचित मूल्य, प्रतिलाभ का निवल और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के आधार पर मापा जाता है।
- परामर्शी/संविदा सेवाएं, यदि कोई हो, से आय को प्रतिशत पूर्णता पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- लाभांश आय की गणना तब की जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
- दावों (जिनमें ग्राहकों से विलंब से प्राप्त ब्याज सहित) की गणना तब की जाती है, जब यह निश्चित हो जाए कि दावे प्राप्त हो जाएंगे।
- निवेशकों द्वारा स्वीकृत दावों के आधार पर बीमा दावों की गणना की जाती है।
- प्राकृतिक गैस की न्यूनतम गारंटी ऑफटेक (एमजीओ) के संबंध में देयता उपलब्ध नहीं कराई जाती है क्योंकि इसके ग्राहकों से वसूली गई एमजीओ द्वारा प्राप्त किया जाता है। एमजीओ के कारण वर्ष के दौरान भुगतान/प्राप्तियों को उनकी प्राप्ति के आधार पर समायोजित किया जाता है।
- एलपीजी के परिवहन से संबंधित न्यूनतम प्रभारों की गणना प्राप्ति आधार पर की जाती है।
- दिनांक 01/04/2015 के बाद संविदा के अनुसरण में प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों के लिए ग्राहकों द्वारा दिए गए अंशदान को आस्थगित राजस्व में जमा किया जाता है और यह संविदा की अवधि की तुलना में परिशोधित होता है। ऐसी संविदा के अंतर्गत, कोई निर्मित/निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्ति, जहां-कहीं लागू हो, का उसके सकल मूल्य पर उल्लेख किया जाता है।

1.9 मूल्यहास/परिशोधन

क) मूर्त परिसम्पत्तियां

नीचे दी गई परिसम्पत्तियों जहां विभिन्न उपयोग अवधि को बाहरी/आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन के बाद हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर मूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान यथानुपात आधार पर स्ट्रेट



लाइन पद्धति (एसएलएम) पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट पद्धति एवं उपयोग अवधि के अनुसार किया जाता है।

विवरण	वर्ष
कर्मचारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए फर्नीचर एवं विद्युत उपकरण	6 वर्ष
कर्मचारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन	2 वर्ष

- (ii) पट्टे वाली भूमि की लागत शाश्वत पट्टे को छोड़कर पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।
- (iii) स्थाई परिसम्पत्तियों की मूल लागत में कमी के समायोजन के कारण मूल्यहास भावी परिस्थिति को देखते हुए प्रभारित किया जाता है।

ख. अमूर्त परिसम्पत्तियां

- (i) अमूर्त परिसम्पत्तियों को पंजीकरण की तारीख से 5 वर्ष के अनधिक लाभदायक जीवन अवधि पर सीधी लाइन विधि (एलएलएम) पर सॉफ्टवेयर और लाइसेंस को परिशोधित किया जाता है। अनिश्चित आयु (जिसके लिए ऐसी किसी अवधि हेतु कोई प्रत्याशित सीमा नहीं है, जिससे इस बात को देखते हुए उनसे निवल नकद प्रवाह का सृजन करने की संभावना हो कि इन अधिकारों का संबंधित पाइपलाइनों की आयु के बाद भी उपयोग किया जा सकता है) परिशोधित नहीं होती, लेकिन इसकी वार्षिक क्षति की दृष्टि से जांच की जाती है।
- (ii) परिसम्पत्तियों की क्षति, यदि कोई हो, के बाद मूल्यहास इसके शेष लाभदायक उपयोग अवधि पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

ग) ग्राहक के परिसर पर संस्थापित पूंजीगत परिसम्पत्तियां

ऐसी भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, ग्राहक के परिसर पर संस्थापित पूंजीगत परिसम्पत्तियों की सुविधाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट लाभदायक उपयोग अवधि के अनुसार एसएलएम आधार पर मूल्यहासित किया जाता है।

1.10 कर्मचारी हितलाभ

- (क) सभी संक्षिप्त अवधि कर्मचारी हितलाभ के लिए लेखांकन अवधि में छूट से वंचित राशि पर पहचान की जाती है जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।
- (ख) भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान, पात्र कर्मचारी के वेतन के एक नियत प्रतिशत के आधार पर इस प्रयोजन के लिए स्थापित एक अलग ट्रस्ट में जमा किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी भावी अवधि में ब्याज की सांविधिक दर, जिसकी प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में की जाएगी, को पूरा करने के लिए निधि परिसम्पत्तियों में किसी कमी के लिए वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- (ग) छुट्टी नगदीकरण, अनुपरिस्थित प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना, दीर्घ सेवा पुरस्कार तथा अन्य टर्मिनल लाभों के अंतर्गत कर्मचारी हितलाभों के लिए परिभाषित बाध्यता के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी गणना अनुमानित इकाई के ऋण प्रक्रिया का उपयोग करके वास्तविक मूल्यांकन आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान, संबंधित योजना परिसम्पत्तियों से अधिक बीमांकिक दायित्वों को मान्यता दी जाती है।
- (घ) पुनः माप में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ एवं हानि विवरण या वर्ष के दौरान होने वाली अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रतिधारित आय में संबंधित ऋण या जमा के रूप में तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है। पुनः माप को बाद की अवधियों में लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
- (ङ) उपदान हेतु प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुरूप एक अलग ट्रस्ट में वित्तपोषित किया जाता है।

1.11 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों की वर्तमान राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि

को की जाती है। यदि आंतरिक/बाहरी तथ्यों के आधार पर नुकसान होने का कोई संकेत हो तो ऐसी हानि की पहचान की जाती है, जहां किसी अन्य परिसम्पत्ति की वर्तमान राशि उसकी वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है।

1.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसम्पत्तियां और पूंजी प्रतिबद्धताएं

- (क) मापन में अनुमान की व्यावहारिक मात्रा वाले प्रावधानों की पहचान की जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता हो तथा ऐसी संभावना हो कि संसाधनों का प्रवाह होगा। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका वित्तीय विवरणों में वर्णन किया जाता है। प्रत्येक मामले में रु. 5 लाख से अधिक आकस्मिक देयताओं को लेखा टिप्पणियों के माध्यम से वर्णित किया जाता है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां निपटान/समायोजन में किसी प्रवाह की बहुत कम संभावना हो।
- (ख) पूंजी खातों में लागू किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि के मामले में रु. 5 लाख से अधिक प्रत्येक मामले में प्रकटन किया जाता है।

1.13 आय पर कर

वर्तमान कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट की गणना केवल तब की जाती है जब यह युक्तिसंगत प्रमाण हो कि कम्पनी विनिर्देशित अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार के बीच रिपोर्टिंग तारीख को सभी अस्थायी अंतर पर तुलन-पत्र पद्धति का प्रयोग करके आस्थगित कर उपलब्ध कराया जाता है तथा कर दर और कर कानूनों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए उनके बही मूल्य को सूचित तारीख को लागू किया गया है या पर्याप्त रूप से लागू किया गया है। लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) में शामिल न की गई मान्य मदों से संबंधित आस्थगित कर सम्पत्ति को मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक सूचित तारीख को आस्थगित कर परिसंपत्तियों के बही मूल्य की समीक्षा की जाती है और उसका उस सीमा तक समायोजन किया जाता है जिसमें यह संभावना न हो कि इससे पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा ताकि परिसम्पत्ति के सभी या कुछ भाग की वसूली की जा सके।

1.14 आरएंडडी व्यय

अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व व्यय को जिस वर्ष यह उपार्जित है उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय को मूर्त परिसम्पत्ति के रूप में समान अर्हता के मामले में पूंजीकृत किया जाता है।

1.15 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष बैंक में और नकद में तथा तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पावधि जमा राशि शामिल है, जोकि मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन होता है।

1.16 खंड की रिपोर्टिंग

कंपनी का प्रबंधन संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक खंड के प्रचालन परिणाम की निगरानी करता है। खंड निष्पादन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और इसे वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा जाता है।

प्रचालन खंड का चयन उत्पादों/सेवाओं की प्रकृति के आधार पर की गई है।

- (क) खंड राजस्व में अंतर-खंड राजस्व सहित खंड पर प्रत्यक्ष रूप से लागू योग्य/आवंटन शामिल है।
- (ख) खंड के परिणामों के निर्धारण के लिए जिन क्षेत्रों में व्यय प्रत्यक्ष रूप से पहचाने जाने योग्य/आवंटित किया जा सकता है, पर विचार किया जाता है।

- ग) ऐसा व्यय जो कंपनी से पूरी तरह से संबंधित है और जिसे खंडों के लिए आबंटन नहीं किया जा सकता, को आबंटित न किए जाने वाले व्यय में शामिल किया जाता है।
- घ) कंपनी की ऐसी संपूर्ण आय जिसे खंडों के लिए आबंटन नहीं किया जा सकता, को आबंटित न किए जाने वाले व्यय में शामिल किया जाता है।
- ड) खंड परिसंपत्तियों और देनदारियों में प्रत्यक्ष रूप से पहचान किए जा सकने वाले संबंधित खंड शामिल हैं। आबंटित न की जा सकने वाले परिसंपत्तियां और देनदारियां उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाती हैं जो पूरी तरह से कंपनी से संबंधित हैं और किसी भी क्षेत्र के लिए आबंटन योग्य नहीं हैं।

1.17 प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को देय कर पश्चात् निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम की गई आमदनी की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के औसत तथा वर्ष के दौरान प्रति शेयर कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों को समायोजित निवल लाभ से विभाजित करके की जाती है।

1.18 पट्टा

पट्टे को प्रारंभिक तारीख को वित्त पट्टा या प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा पट्टा जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है, को वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टों पर अधिग्रहित परिसंपत्तियां, जहां पट्टादाता द्वारा जोखिम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बनाए रखा जाता है, को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे पर किराए को सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है। तथापि, किराया व्यय सीधी रेखा पर आधारित नहीं होता, यदि किराए में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के अनुरूप हो।

पट्टे पर देने वाली संपत्ति को पट्टे के शुरू होने की प्रारंभिक तारीख से न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टेदार परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में वित्त पट्टों को पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष बकाया पर ब्याज की सतत् दर प्राप्त हो सके। वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्ज किया जाता है।

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

पट्टे जिसमें कंपनी सभी परिसंपत्तियों के स्वामित्व के जोखिम को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती तथा किसी परिसंपत्ति के अधिकार को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टा से किराए पर आय को संगत पट्टे की अवधि के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से पट्टेदार तक स्वामित्व के सभी जोखिम हस्तांतरित हो जाते हैं।

1.19 परिसमापन क्षति/मूल्य में कटौती अनुसूची

जब कभी मामले का निपटारा किया जाता है, परिसमापन क्षति/मूल्य कटौती अनुसूची के लिए वसूली गई राशि को समायोजित/विनियोजित किया जाता है।

1.20 उचित मूल्य माप

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर व्युत्पन्न और विशिष्ट निवेश (सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी के अलावा) सहित वित्तीय साधनों को मापती है।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां, जिसके उचित मूल्य की गणना वित्तीय विवरणों में की जाती है या खुलासा किया जाता है, को उचित

मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित निम्न स्तर के इनपुट के आधार पर दर्ज किया जाता है जो पूर्ण रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण होता है:

- स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्भूत (असमायोजित) बाजार कीमत
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक, जिसके लिए निम्नतम स्तर इनपुट उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, को प्रत्यक्ष या परोक्ष माना जाता है।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक, जिसके लिए निम्नतम स्तर इनपुट उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, को स्वीकार योग्य नहीं माना जाता। परिसंपत्तियां और देनदारियां, जिन्हें आवर्ती आधार पर तुलन-पत्र में दर्ज किया जाता है, के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या हस्तांतरण प्रत्येक सूचित अवधि के अंत में पुनः मूल्यांकन श्रेणी में पदानुक्रम में स्तर के आधार पर हुआ है (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर जो पूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण होता है)। उचित मूल्य खुलासे के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों का निर्धारण परिसंपत्तियों या देयताओं के गुणों और जोखिम की प्रकृति के आधार पर किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर को ऊपर स्पष्ट किया गया है।

1.21 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वह संविदा है जो किसी कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य कंपनी की वित्तीय देयता या इक्विटी को बढ़ाता है।

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण करती है, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर या वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(ii) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है और यदि लेनदेन लागत, जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, को लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज नहीं किया जाता है।

(iii) परवर्ती के माप

परवर्ती के माप को वित्तीय परिसंपत्तियों के उद्देश्यों के लिए नीचे दी गई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

व्युत्पन्न और विशिष्ट निवेश के अलावा अन्य किसी वित्तीय परिसंपत्ति, यदि यह किसी व्यवसाय मॉडल में शामिल है, को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति को बनाए रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह की विशिष्ट तारीखों के अनुसार निर्धारित होती हैं जो केवल मूलधन का और बकाया मूलधन राशि के ब्याज का भुगतान होती हैं।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

विशिष्ट निवेश शामिल करने वाली किसी वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में मापा जाता है यदि यह किसी व्यवसाय मॉडल में डाला जाता है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों को हासिल करना होता है, तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों को नकदी प्रवाह की तारीखों के अनुसार निर्धारित होती हैं जो केवल मूलधन का और बकाया मूलधन राशि के ब्याज का भुगतान होती हैं। कंपनी ने अपने निवेश के लिए स्थिर चयन किया है जिसे इक्विटी साधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि बाद में इसके कारोबारी मॉडल पर आधारित अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में होने वाले बदलाव किए जा सकें।



ग) **लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां**
व्युत्पन्न सहित वित्तीय परिसंपत्ति, जिसे उपरोक्त किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित रूप से मूल्य निर्धारण किया जाता है।

(iv) **मान्यता समाप्त करना**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मुख्य रूप से तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय-सीमा समाप्त हो गई हो या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो।

(अ) **सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश**

कंपनी ने लागत पर सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को अपने निवेश के लिए जिम्मेदार बताया है। कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या इस बात के कोई संकेत हैं कि इन निवेशों में सुधार किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, तो निवेश को उसके उचित मूल्य के आधार पर क्षति माना जाता है।

(vi) **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**

कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल के आधार पर नुकसान का आकलन करती है और वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि को दर्ज करती है जो व्यापार प्राप्तियों या अनुबंध राजस्व प्राप्तियों और सभी पट्टे प्राप्तियों आदि से होती हैं।

(ख) **वित्तीय देयताएं**

(i) **वर्गीकरण**

कंपनी सभी वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण करती है जिन्हें बाद में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। व्युत्पन्न सहित ऐसी देनदारियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा।

(ii) **प्रारंभिक मान्यता और माप**

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर, तथा ऋण और उधार एवं देनदारियों के मामले में प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों के निवल पर मापा जाता है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां, ऋण और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट, और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल होते हैं।

(iii) **परवर्ती के माप**

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क) **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं**

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ब्याज-आधारित ऋण और उधार को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब देनदारियां और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया समाप्त की जाती हैं तो लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ख) **लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में, लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर व्यापारिक और वित्तीय देयताओं के लिए निर्धारित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए निर्धारित अनुसार वर्गीकृत किया जाता है यदि उन्हें निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए खर्च किया जाता है। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल होते हैं जिन्हें हेजिंग साधनों के रूप में

विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, जैसा कि इंड एस 109 में परिभाषित है। अलग-अलग समाहित व्युत्पन्न को भी व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iv) **मान्यता समाप्त करना**

देनदारी के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को समाप्त कर दिया जाता है।

क) **वित्तीय साधनों का पूरा होना**

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियां पूरी होने पर और तुलन-पत्र में निवल राशि की सूचना दी जाती है यदि वर्तमान में स्वीकृत राशि को हटाने, और निवल आधार पर समझौता करने, परिसंपत्ति को स्वीकार करने और साथ ही देनदारियों का निपटान का अधिकार हो।

ख) **व्युत्पन्न वित्तीय साधन**

कंपनी क्रमशः अपने विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और वस्तु मूल्य जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों जैसे अग्रिम मुद्रा संविदा, ब्याज दर स्वैप, पूर्ण मुद्रा स्वैप और अग्रिम वस्तु संविदा का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय साधनों की शुरुआत उस तारीख से उचित मूल्य पर की जाती है, जिस पर कोई व्युत्पन्न संविदा की गई है और बाद में उचित मूल्य पर इसका लाभ उठाया जाता है। व्युत्पन्न को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक हो और वित्तीय देनदारियों के रूप में जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

व्युत्पन्न के निष्पक्ष मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से होने वाला कोई भी लाभ या हानि प्रत्यक्ष रूप से लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

1.22 **मानक जारी किंतु अभी तक प्रभावी नहीं**

क) **इंड - एस 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व**

इंड एस 115 को फरवरी, 2015 में जारी किया गया था। नए मानक का मूल सिद्धांत यह है कि किसी कंपनी को प्रस्तावित सामान या सेवाओं के हस्तांतरण को दर्शाए जाने वाले राजस्व की पहचान करनी चाहिए, जो उस राशि को दर्शाती है जिसमें किसी कंपनी से उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में पात्रता की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, नए मानक के लिए प्रकृति, राशि, समय और राजस्व की अनिश्चितता तथा कंपनी द्वारा ग्राहकों के साथ करार करने से उत्पन्न नकदी प्रवाह के बारे में व्यापक प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

यह मानक 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखांकन अवधि से लागू होगा। कंपनी नए मानक को अपेक्षित प्रभावी तारीख को अपनाएगी। कंपनी प्रारंभिक आवेदन पर इंड-एस 115 के प्रभाव का आकलन कर रही है, जो अधिक विस्तृत चल रहे विश्लेषण से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अधीन है।

ख) **इंड एस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में संशोधन**

इंड एस 7 में संशोधन के लिए कंपनियों को खुलासा करना आवश्यक होता है जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तन से होने वाले दोनों परिवर्तनों के साथ-साथ प्रकटीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त-पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देनदारियों के लिए तुलन-पत्र में प्रारंभिक और अंतिम बकाया के बीच पुनः समायोजन शामिल होता है।

1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए यह संशोधन प्रभावी है। कंपनी संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

गेल (इंडिया) लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
I.	आय प्रचालन से राजस्व (सकल) अन्य आय	19 20	48,882.99 1,176.27	52,195.97 891.57
	कुल राजस्व (I)		50,059.26	53,087.54
II.	व्यय उपभोग की गई सामग्री की लागत व्यापार में स्टॉक की खरीद तैयार माल की सूची, व्यापार में स्टॉक और प्रगत्यधीन कार्य में परिवर्तन कर्मचारी लाभ व्यय वित्त लागत मूल्यहास और परिशोधन व्यय उत्पाद शुल्क अन्य व्यय	21 22 23 24 25	3,151.24 33,199.67 42.29 1,257.53 479.36 1,396.78 734.14 4,088.70	3,388.52 38,406.76 412.09 958.44 799.86 1,309.79 474.71 4,275.40
	कुल व्यय (II)		44,349.71	50,025.57
III.	असाधारण मर्दों और कर (I-II) से पहले लाभ/(हानि)		5,709.55	3,061.97
IV.	असाधारण मर्दें: – जोड़ें: निवेश की बिक्री पर लाभ (टिप्पणी सं. 52 देखें) घटा: निवेश की हानि (टिप्पणी संख्या 53 (iv और v) देखें)		489.31 788.04	- -
V.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		5,410.82	3,061.97
VI.	कर व्यय: (1) वर्तमान कर (2) आस्थगित कर (3) पूर्व अवधियों से संबंधित कर का समायोजन		1,319.52 573.38 15.01 1,907.91	187.43 700.07 (51.96) 835.54
VII.	निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ (हानि) (V-VI)		3,502.91	2,226.43
	परवर्ती की अवधि में लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत न करने वाली अन्य व्यापक आय: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ/(नुकसान) उस पर आयकर प्रभाव	"क"	32.23 (11.15) 21.08	34.58 (11.96) 22.62
	निवेश की एफवीटीओसी पर शुद्ध लाभ/(हानि) उस पर आयकर प्रभाव		1,284.97 -	(1,950.62)
			1,284.97	(1,950.62)
	परवर्ती की अवधि में लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत न करने के लिए शुद्ध अन्य व्यापक आय:		1,306.05	(1,928.00)
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ और हानि और ओसीआई, कर का निवल)		4,808.96	298.43
VIII.	आय प्रति शेयर इक्विटी (चालू परिचालन के लिए): (₹ में) (1) मूल (2) तनुकृत	"ख"	20.71 20.71	13.16 13.16
IX.	निरंतर और बंद किए गए कार्यों से प्रति शेयर आय (₹ में) (1) मूल (2) तनुकृत		20.71 20.71	13.16 13.16

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट 1 से 69 पृथक वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग हैं।

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017



31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक 10/- रुपए के जारी, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	राशि
1 अप्रैल 2015 को	11	1,268.48
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2016 को	11	1,268.48
बोनस शेयरों को जारी करके वर्ष के दौरान परिवर्तन		422.82
31 मार्च 2017 को	11	1,691.30

अन्य इक्विटी (टिप्पणी 12 देखें)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष							कुल अन्य इक्विटी
	सुरक्षा प्रीमियम	बांड ऋणमुक्ति रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सामान्य रिजर्व	परिवर्तन रिजर्व	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2016 को शेष	0.27	238.72	-	4,425.68	6,084.44	(1,927.99)	25,004.95	33,826.07
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	3,502.91	3,502.91
अवधि के दौरान रिजर्व की तुलना में अंतरण	-	98.46	-	350.29	-	-	(448.75)	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(1,078.24)	(1,078.24)
लाभांश	-	-	-	-	-	-	(380.54)	(380.54)
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(295.35)	(295.35)
-निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः मापन लाभ (हानि)	-	-	-	-	-	21.08	-	21.08
-एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूति जमा राशि पर निवल (हानि)/लाभ	-	-	-	-	-	1,284.97	-	1,284.97
-बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	(422.82)	-	-	-	(422.82)
31 मार्च, 2017 को शेष	0.27	337.18	-	4,353.14	6,084.44	(621.94)	26,304.98	36,458.07

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष							कुल अन्य इक्विटी
	सुरक्षा प्रीमियम	बांड ऋणमुक्ति रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सामान्य रिजर्व	परिवर्तन रिजर्व	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2015 को शेष	0.27	204.04	1.00	4,195.79	6,084.44	-	23,881.78	34,367.32
अवधि में लाभ	-	-	-	-	-	-	2,226.43	2,226.43
अवधि के दौरान रिजर्व में अंतरण	-	34.68	(1.00)	229.89	-	-	(263.57)	-
आंतरिक लाभांश	-	-	-	-	-	-	(317.12)	(317.12)
लाभांश	-	-	-	-	-	-	(380.54)	(380.54)
निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(142.03)	(142.03)
-निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः मापन लाभ (हानि)	-	-	-	-	-	22.62	-	22.62
-एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूति जमा राशि पर निवल (हानि)/लाभ	-	-	-	-	-	(1,950.62)	-	(1,950.62)
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	0.27	238.72	-	4,425.68	6,084.44	(1,927.99)	25,004.95	33,826.07

टिप्पणी: वर्ष के लिए, कंपनी ने 2.70 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है (पिछले वर्ष: 3.00 रुपए)

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां टिप्पणी "क"

अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक		
इक्विटी में रिजर्व के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में अलग-अलग परिवर्तन नीचे दर्शाया गया है:		
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान		(₹ करोड़ में)
	प्रतिधारित आय	कुल
निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)	32.23	32.23
इस पर आय कर प्रभाव	(11.15)	(11.15)
कुल	21.08	21.08
निवेश के एफवीटीओसीआई पर निवल (हानि)/लाभ	1,284.97	1,284.97
इस पर आय कर प्रभाव	-	-
कुल	1,284.97	1,284.97
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान		
	प्रतिधारित आय	कुल
निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)	34.58	34.58
इस पर आय कर प्रभाव	(11.96)	(11.96)
कुल	22.62	22.62
निवेश के एफवीटीओसीआई पर निवल (हानि)/लाभ	(1,950.62)	(1,950.62)
इस पर आय कर प्रभाव	-	-
कुल	(1,950.62)	(1,950.62)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां टिप्पणी "ख"

आय प्रति शेयर (ईपीएस)		
प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों के कर उपरांत निवल लाभ को इक्विटी शेयर बकाया की भारित औसत संख्या से विभाजित करके गणना की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के योग द्वारा कर पश्चात समायोजित निवल लाभ से विभाजित करके की जाती है।		
निम्नलिखित मूल और तनुकृत ईपीएस गणना में प्रयुक्त आय और शेयर डेटा को प्रभावित करता है:		
		(₹ करोड़ में)
विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष में लाभ	3,502.91	2,226.43
मूल आय के लिए कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ	3,502.91	2,226.43
	संख्या करोड़ में	संख्या करोड़ में
मूल ईपीएस की गणना करने में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (15 मार्च 2017 को जारी 42,28,25,800 बोनस शेयर शामिल हैं)	169.13	169.13
तनुकृत ईपीएस की गणना करते समय इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	169.13	169.13
प्रति इक्विटी शेयर आय रूप में		
मूल	20.71	13.16
तनुकृत	20.71	13.16
प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य रूप में	10	10



31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 2 - परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

लागत	भूमि		भवन		बल्क आवास	संयंत्र और मशीनरी	रेलवे लाइन और साइडिंग	विद्युत उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	परिवहन उपकरण	कार्यालय उपकरण	अन्य उपकरण	इंजनी परिसंपत्तियाँ		कुल
	प्रीहोल्ड	लीजहोल्ड	कार्यालय /अन्य	आवासीय									उत्पादन परिसंपत्तियाँ	सहायक उपकरण एवं सुविधाएं	
1 अप्रैल 2015 को	173.41	71.43	611.92	252.90	0.47	24,509.72	0.27	261.71	73.09	4.31	67.06	66.70	834.50	1.66	26,929.16
अवधि के दौरान जमा/समायोजन	54.30	0.07	105.01	19.26	0.20	1,988.57	-	28.10	25.32	1.05	47.09	46.42	141.05	3.06	2,459.50
अवधि के दौरान निपटान/समायोजन	(43.23)	(9.19)	(24.05)	(18.54)	(0.14)	(530.43)	-	(7.65)	(8.86)	(0.29)	(17.52)	(16.20)	(0.04)	-	(676.14)
31 मार्च 2016 को	184.47	62.31	692.88	253.62	0.53	25,967.86	0.27	282.16	89.55	5.07	96.62	96.93	975.51	4.72	28,712.51
अवधि के दौरान जमा/समायोजन	46.46	25.28	48.07	11.07	0.31	1,067.26	-	32.84	23.17	0.13	22.96	28.58	-	-	1,306.13
अवधि के दौरान निपटान/समायोजन	0.08	(0.79)	(15.28)	(0.10)	(0.19)	108.87	-	(4.95)	(3.65)	0.03	(10.98)	(8.53)	(2.45)	-	62.03
31 मार्च 2017 को	231.01	86.80	725.67	264.59	0.66	27,143.98	0.27	310.04	109.07	5.24	108.60	116.98	973.06	4.72	30,080.67
मूल्यहास और क्षति															
1 अप्रैल 2015 को	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यहास व्यय	-	0.09	29.83	10.07	0.28	1,066.31	-	34.48	10.02	0.80	27.55	20.57	90.05	0.34	1,290.40
क्षति	-	-	-	-	-	8.05	-	-	-	-	-	-	-	-	8.05
क्षति रिवर्सल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान निपटान/समायोजन	-	(1.49)	(11.10)	(5.46)	(0.14)	(256.02)	-	(7.02)	(6.03)	(0.28)	(16.21)	(10.40)	-	-	(314.15)
31 मार्च 2016 को	-	(1.40)	18.73	4.61	0.14	818.34	-	27.46	3.99	0.51	11.34	10.18	90.05	0.34	984.29
मूल्यहास व्यय	-	0.65	34.83	10.75	0.30	1,144.49	-	40.98	12.23	0.69	28.55	22.67	82.46	0.34	1,378.93
क्षति	-	-	-	-	-	7.22	-	-	-	-	-	-	-	-	7.22
क्षति रिवर्सल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवधि के दौरान निपटान/समायोजन	-	0.02	(0.68)	(0.09)	(0.19)	(24.44)	-	(6.55)	(3.24)	(0.06)	(9.94)	(7.40)	-	-	(52.57)
31 मार्च 2017 को	-	(0.73)	52.88	15.28	0.25	1,945.62	-	61.88	12.98	1.14	29.94	25.45	172.51	0.67	2,317.88
निवल बही मूल्य															
1 अप्रैल 2015 को	173.41	71.43	611.92	252.90	0.47	24,509.72	0.27	261.71	73.09	4.31	67.06	66.70	834.50	1.66	26,929.16
31 मार्च 2016 को	184.47	63.71	674.15	249.01	0.39	25,149.54	0.27	254.69	85.56	4.56	85.29	86.75	885.45	4.38	27,728.24
31 मार्च 2017 को	231.01	87.53	672.79	249.31	0.41	25,198.36	0.27	248.15	96.08	4.10	78.65	91.53	800.55	4.04	27,762.80

टिप्पणी: वर्ष के दौरान, अनुसंधान और विकास के लिए 5.84 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.03 करोड़ रुपए) की राशि को पूर्णकृत किया गया है।

टिप्पणी 3 - प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
क. मूल						
I. संयंत्र एवं मशीनरी कैथोडिक सुरक्षा सहित लाइनपाइप निर्माण और संबंधित सुविधाएं घटा: लाइनपाइप और संबंधित सुविधाओं को त्यागने के लिए प्रावधान	1,931.69 124.52	1,807.17	1,425.49 111.58	1,313.91	1,074.97 95.70	979.27
प्रेषण/प्राप्ति टर्मिनल कंप्रेसर स्टेशन टेलीकॉम/टेलीसुपरवाइजरी प्रणाली पेट्रोकेमिकल अन्य		14.62 66.83 28.67 131.05 151.46		14.88 0.08 15.65 123.54 77.26		12.17 12.09 8.20 1,248.78 80.27
प्रगत्यधीन विकास कुएं		11.37		3.80		95.72
II. भवन घटा: भवन को त्यागने के लिए प्रावधान	32.15 5.28	26.87	40.26 5.28	34.98	91.76 5.28	86.48
III. स्टॉक/मार्गस्थ में लाइनपाइपें, पूंजीगत मदें घटा: हानि/अप्रचलन के लिए प्रावधान	1,325.92 10.81	1,315.11	1,525.40 9.88	1,515.52	1,469.29 6.55	1,462.74
क. अमूर्त						
आरओयू साफ्टवेयर और अन्य		5.13 26.92		5.13 29.52		- 9.04
कुल (क+ख)		3,585.20		3,134.27		3,994.76

टिप्पणी 4 - अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

लागत / मूल्यांकन	अमूर्त परिसंपत्तियां			विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां
	प्रयोग का अधिकार	साफ्टवेयर	कुल	
1 अप्रैल 2015 को	718.81	25.13	743.94	365.06
अवधि के दौरान जमा/समायोजन	(5.40)	13.37	7.97	37.81
अवधि के दौरान जमा/समायोजन	(0.07)	(0.33)	(0.40)	(116.94)
31 मार्च 2016 को	713.34	38.16	751.51	285.93
अवधि के दौरान जमा/समायोजन	7.89	10.97	18.86	42.75
अवधि के दौरान जमा/समायोजन	-	(2.63)	(2.63)	(110.49)
31 मार्च 2017 को	721.23	46.51	767.74	218.19
मूल्यहास और क्षति				
1 अप्रैल 2015 को				
मूल्यहास व्यय	-	12.70	12.70	
क्षति	-	-	-	
क्षति रिवर्सल	-	-	-	
अवधि के दौरान निपटान/समायोजन	(0.02)	0.13	0.10	
31 मार्च 2016 को	(0.02)	12.82	12.80	
मूल्यहास व्यय	0.07	11.17	11.24	
क्षति	-	-	-	
क्षति रिवर्सल	-	-	-	
अवधि के दौरान निपटान/समायोजन	-	0.31	0.31	
31 मार्च 2017 को	0.05	24.30	24.35	
निवल बही मूल्य				
1 अप्रैल 2015 को	718.81	25.13	743.94	365.06
31 मार्च 2016 को	713.37	25.34	738.71	285.93
31 मार्च 2017 को	721.18	22.21	743.39	218.19



टिप्पणी 5 - निवेश

(₹ करोड़ में)

निवेश	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
इक्विटी शेयरों में निवेश						
अनुद्धृत, पूर्ण प्रदत्त						
(क) सहायक कंपनियों में:						
1 - गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	71,00,000 (अमेरिकी डॉलर 1 प्रत्येक)	41.94	21,00,000 (अमेरिकी डॉलर 1 प्रत्येक)	9.64	21,00,000 (अमेरिकी डॉलर 1 प्रत्येक)	9.64
2 - गेल गैस लिमिटेड	627,000,000 (₹ 10 प्रत्येक)	627.00	402,000,000 (₹ 10 प्रत्येक)	402.00	300,000,000 (₹ 10 प्रत्येक)	300.00
3 - गेल ग्लोबल यूएसए इंक	36,000,000 (अमेरिकी डॉलर 1 प्रत्येक)	179.17	36,000,000 (अमेरिकी डॉलर 1 प्रत्येक)	179.17	36,000,000 (अमेरिकी डॉलर 1 प्रत्येक)	179.17
4 - त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	1,92,000 (₹ 100 प्रत्येक)	1.92	1,92,000 (₹ 100 प्रत्येक)	1.92	1,92,000 (₹ 100 प्रत्येक)	1.92
5 लंबित आवंटन:- - गेल गैस लिमिटेड		-		34.00		-
कुल (क)		850.03		626.73		490.73
(ब) संयुक्त उद्यम कंपनियों में:						
1 - रत्नागिरी गैस पॉवर प्रा. लिमिटेड	97,43,08,300 (₹ 10 प्रत्येक)	974.31	97,43,08,300 (₹ 10 प्रत्येक)	974.31	97,43,08,300 (₹ 10 प्रत्येक)	974.31
घटा: क्षति हानि के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी सं. 39)		(783.00)		-		-
2 - ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड	99,49,45,000 (₹ 10 प्रत्येक)	994.95	99,49,45,000 (₹ 10 प्रत्येक)	994.95	99,49,45,000 (₹ 10 प्रत्येक)	994.95
3 - सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	1,50,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	15.00	1,50,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	15.00	1,50,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	15.00
4 - ग्रीन गैस लिमिटेड	2,30,42,250 (₹ 10 प्रत्येक)	23.04	2,30,42,250 (₹ 10 प्रत्येक)	23.04	2,30,42,250 (₹ 10 प्रत्येक)	23.04
5 - महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50
6 - अवंतिका गैस लिमिटेड	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50
7 - भाग्यनगर गैस लिमिटेड	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50	2,25,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	22.50
8 - वडोदरा गैस लिमिटेड	7,91,37,831 (₹ 10 प्रत्येक)	79.14	7,91,37,831 (₹ 10 प्रत्येक)	79.14	7,91,37,831 (₹ 10 प्रत्येक)	79.14
9 - तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	15,000 (₹ 10 प्रत्येक)	0.02	15,000 (₹ 10 प्रत्येक)	0.02	-	-
10 - तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (देखें टिप्पणी सं. 50)	25	-	25	-	25	-
11 लंबित आवंटन:- - तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (देखें टिप्पणी सं. 50)		26.87		9.18		-
कुल (ख)		1,397.83		2,163.14		2,153.94
कुल (क+ख)		2,247.86		2,789.87		2,644.67

(₹ करोड़ में)

निवेश	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
ग) सहयोगी कंपनियों में : उद्धृत						
1 - चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड, चीन	15,00,00,000 (HK\$0.01 प्रत्येक)	97.37	15,00,00,000 (HK\$0.01 प्रत्येक)	97.37	15,00,00,000 (HK\$0.01 प्रत्येक)	97.37
2 - पेद्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (प्रत्येक रु. 5/- के प्रीमियम पर 1,00,00,000 इक्विटी शेयर सहित हैं)	9,37,50,000 (₹ 10 प्रत्येक)	98.75	9,37,50,000 (₹ 10 प्रत्येक)	98.75	9,37,50,000 (₹ 10 प्रत्येक)	98.75
3 - महानगर गैस लिमिटेड (वर्तमान निवेश: वर्तमान वर्ष शून्य पिछले वर्ष 10/- रुपए शेयर की दर से 1,23,47,250 शेयरों के लिए 12.35 करोड़ रुपए)	3,21,02,750 (₹ 10 प्रत्येक)	32.10	4,44,50,000 (₹ 10 प्रत्येक)	44.45	4,44,50,000 (₹ 10 प्रत्येक)	44.45
4 - इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	3,15,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	31.50	3,15,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	31.50	3,15,00,000 (₹ 10 प्रत्येक)	31.50
अनुद्धृत						
1 - फेयम गैस कंपनी लिमिटेड घटा: क्षति हानि के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं. 53(iv) देखें)	19,000 (LE 100 प्रत्येक)	8.10 (5.04)	19,000 (LE 100 प्रत्येक)	8.10 -	19,000 (LE 100 प्रत्येक)	8.10 -
2 - ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	99,23,69,000 (₹ 10 प्रत्येक)	992.37	79,30,10,083 (₹ 10 प्रत्येक)	793.01	79,30,10,083 (₹ 10 प्रत्येक)	793.01
कुल (ग)		1,255.15		1,073.18		1,073.18
(घ) अन्य निवेश पूर्ण प्रदत्त अनुद्धृत						
- दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन लिमिटेड (टिप्पणी सं. 51 देखें)	8347 (USD 1 प्रत्येक)	0.11	8347 (USD 1 प्रत्येक)	0.11	8347 (USD 1 प्रत्येक)	0.13
- लंबित आबंटन						
- दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन लिमिटेड (टिप्पणी सं. 51 देखें)		286.51		294.95		338.71
- गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड*	2,07,60,000 (₹ 10 प्रत्येक)	7.14	2,07,60,000 (₹ 10 प्रत्येक)	6.73	2,07,60,000 (₹ 10 प्रत्येक)	20.76
- दर्पण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, वडोदरा	30 (₹ 50 प्रत्येक)	-	30 (₹ 50 प्रत्येक)	-	30 (₹ 50 प्रत्येक)	-
- अशोका अपार्टमेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, वडोदरा	50 (₹ 50 प्रत्येक)	-	50 (₹ 50 प्रत्येक)	-	50 (₹ 50 प्रत्येक)	-
- सानंद मेंबर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद	400 (₹ 10 प्रत्येक)	-	400 (₹ 10 प्रत्येक)	-	400 (₹ 10 प्रत्येक)	-
- ग्रीन फील्ड (ख) कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई	55 (₹ 50 प्रत्येक)	-	55 (₹ 50 प्रत्येक)	-	55 (₹ 50 प्रत्येक)	-
- एविलियन ग्रीनफिल्डस कोऑपहाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई	50 (₹ 5 प्रत्येक)	-	50 (₹ 5 प्रत्येक)	-	50 (₹ 5 प्रत्येक)	-
- सूरज हाइट्स ए कोऑपहाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई	50 (₹ 30 प्रत्येक)	-	50 (₹ 30 each)	-	50 (₹ 30 प्रत्येक)	-
- शील जीत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई	10 (₹ 5 प्रत्येक)	-	10 (₹ 5 प्रत्येक)	-	10 (₹ 5 प्रत्येक)	-



(₹ करोड़ में)

निवेश	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
उद्धृत						
- गुजरात इंडस्ट्रीज पॉवर कंपनी लिमिटेड (*15/- रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित 1,90,200 इक्विटी शेयर सहित)	5,70,600 (₹ 10 प्रत्येक)	5.90	5,70,600 (₹ 10 प्रत्येक)	4.61	5,70,600 (₹ 10 प्रत्येक)	4.85
- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1999-2000 के दौरान ₹.10/- के 3,42,66,845 शेयर ₹.162.34 प्रति शेयर मूल्य पर प्राप्त, वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक ₹.10/- के 1,71,33,422 बोनस शेयर प्राप्त, वर्ष 2010-11 के दौरान ₹.10/- के 5,14,00,267 इक्विटी शेयरों को प्रत्येक ₹.5/- के इक्विटी शेयरों में तथा ₹.5/- के 1:1 बोनस इश्यू में बांटा गया, इसके बाद वर्ष 2016-17 के दौरान 1:2 इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू प्राप्त हुए हैं)।	30,84,01,602 (₹ 5 प्रत्येक)	5,706.97	20,56,01,068 (₹ 5 प्रत्येक)	4,415.28	20,56,01,068 (₹ 5 प्रत्येक)	6,307.84
कुल (घ)		6,006.63		4,721.68		6,672.29
कुल (क+ख+ग+घ)		9,509.64		8,584.73		10,390.14
टिप्पणी 5क - गैर चालू		9,509.64		8,572.38		10,390.14
टिप्पणी 5ख - चालू		-		12.35		-

उद्धृत निवेश की औसत राशि

- बही मूल्य (स्खरखाव लागत)

- बाजार मूल्य

अनुद्धृत निवेश की औसत राशि (सकल क्षति प्रावधान)

5,972.59

17,120.84

4,325.09

4,691.96

10,023.51

3,880.42

6,584.76

10,770.05

3,805.38

क) क) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी कंपनियों में से कुछ शेयर गेल सहित संयुक्त रूप से गेल कर्मचारियों के नाम पर हैं।

ख) निवेश का मूल्य लेखांकन नीति सं. 1.21 के अनुसार लगाया गया है।

ग) निवेश के मूल्य में क्षति की कुल राशि

788.04

घ) सहायक कंपनी, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों के अलावा निवेश का मूल्य प्रत्येक

तुलन पत्र की तारीख को ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर लगाया गया है।

ड.) गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड 14.08.2015 से एसोसिएट के रूप में बंद हो गई है।

टिप्पणी 6 - व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
व्यापार प्राप्तियां	4,531.72	4,607.17	6,032.32
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	703.52	797.63	560.58
	3,828.20	3,809.54	5,471.74
टिप्पणी 6क - गैर-चालू	1,103.66	1,100.58	2,395.56
टिप्पणी 6ख - चालू	2,724.54	2,708.96	3,076.18
	3,828.20	3,809.54	5,471.74

व्यापार प्राप्तियोग्य का व्योरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
गैर-चालू (आरक्षित)			
सही माने गए	1,118.67	1,115.54	2,409.89
संदिग्ध माने गए	671.86	764.02	527.85
	1,790.53	1,879.56	2,937.74
घटाएं: अप्राप्त और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	671.86	764.02	527.85
घटाएं: संभावित ऋण हानि के लिए प्रावधान	15.01	14.96	14.33
टिप्पणी 6 क - कुल गैर-चालू (आरक्षित) निवल	1,103.66	1,100.58	2,395.56
चालू (आरक्षित)			
सही माने गए	2,741.19	2,727.61	3,094.58
	2,741.19	2,727.61	3,094.58
घटाएं: संभावित ऋण हानि के लिए प्रावधान	16.65	18.65	18.40
टिप्पणी 6 ख - कुल चालू (आरक्षित) निवल	2,724.54	2,708.96	3,076.18
कुल व्यापार प्राप्तियां	3,828.20	3,809.54	5,471.74

टिप्पणी:— कोई व्यापार प्राप्तियां कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से पृथक या किसी अन्य व्यक्ति से संयुक्त रूप से या किसी फर्म या प्राइवेट कंपनियों, जिसमें कोई भी निदेशक प्रवर्तक, निदेशक या सदस्य है, से देय नहीं है।

टिप्पणी 7क - ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
संबंधित पार्टियों को ऋण और अन्य प्राप्य (आरक्षित सही माने गए)			
- सहायक कंपनियों को	19.13	60.60	59.65
- सहयोगी कंपनियों को	15.02	98.96	3.17
- संयुक्त उद्यमों को	165.67	129.05	148.06
- अन्यो को ऋण	235.47	262.66	269.84
अन्य ऋण और प्राप्य:			
- कर्मचारियों को ऋण:			
- रक्षित, सही माने गए (निदेशकों और अधिकारियों से देयताओं सहित 0.68 करोड़ रुपए) (पिछला वर्ष: 0.34 करोड़ रुपए)	306.76	201.52	138.61
- आरक्षित, सही माने गए	53.75	91.13	109.59
- सुरक्षा जमा राशि का भुगतान: (आरक्षित)			
- सही माने गए	544.56	455.50	465.65
- संदिग्ध माने गए	6.62	7.23	6.58
घटा: संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	6.62	7.23	6.58
वित्तीय लीज प्राप्य		23.80	25.91
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	9.80	14.14	11.07
कुल ऋण	1,372.04	1,337.36	1,231.55
गैर-चालू	619.21	694.83	680.49
चालू	752.83	642.53	551.06

टिप्पणी - 7ख अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
बाधाओं के रूप में विनिर्दिष्ट न होने वाले व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राप्य	64.26	266.03	206.93
लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर कुल व्युत्पन्न साधन	64.26	266.03	206.93
गैर-चालू	6.87	219.09	116.06
चालू	57.39	46.94	90.87



संबंधित पार्टियों की ऋणों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
- सहायक कंपनियों को ऋण और प्राप्य			
गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	16.25	56.22	53.89
गेल ग्लोबल यूएसए इंक	0.06	0.26	0.15
गेल गैस लिमिटेड	2.66	4.04	5.57
त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड	0.16	0.08	0.04
	19.13	60.60	59.65
- सहायक कंपनियों को प्राप्य			
ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स और पॉलीमर्स लिमिटेड	9.44	98.81	2.03
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	-	0.11	1.12
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	0.04	-	-
महानगर गैस लिमिटेड	5.54	0.04	0.02
	15.02	98.96	3.17
- संयुक्त उद्यम कंपनियों को ऋण और प्राप्य			
भाग्यनगर गैस लिमिटेड	144.40	106.80	99.74
रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	19.87	21.01	46.37
ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लिमिटेड	1.07	0.14	0.11
ग्रीन गैस लिमिटेड	0.04	0.64	0.64
सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	0.05	0.24	0.51
महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	0.04	0.22	0.08
अवंतिका गैस लिमिटेड	0.20	-	0.61
	165.67	129.05	148.06

टिप्पणी 8 - माल सूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित प्रमाणन के रूप में लिया गया)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
कच्ची सामग्रियां:			
गैस का स्टॉक (कैलोरीयुक्त मूल्य के समायोजन के बाद)	-	29.89	-
प्रगत्यधीन कार्य:	9.89	13.13	10.69
तैयार वस्तुएं:			
पॉलीमर्स/एलपीजी और अन्य उत्पाद	395.40	264.59	193.00
ट्रेड में स्टॉक:			
तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित प्राकृतिक गैस*(कैलोरीयुक्त मूल्य के समायोजन के बाद)	482.50	622.47	1,138.47
अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र सहित रु. 0.49 करोड़ (पिछले वर्ष 0.06 करोड़)			
भंडारण और अतिरिक्त पुर्जे:			
भंडारण और अतिरिक्त पुर्जे***	830.46	704.49	612.37
अप्रचलन के लिए प्रावधान	(19.87)	(25.13)	(23.28)
कुल	1,698.38	1,609.44	1,931.27

* मार्गस्थ में शून्य रूपए शामिल हैं (गत वर्ष: रु. 100.89 करोड़)

** मार्गस्थ में 47.69 करोड़ रूपए शामिल हैं (गत वर्ष: 21.80 करोड़ रूपए)

टिप्पणी सं. 1 में दी गई लेखांकन नीति सं. 1.7 के अनुसार मांग सूची का मूल्यांकन किया जाता है।

टिप्पणी 9क - नकदी तथा उसके समकक्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
बैंकों में शेष राशि:						
- चालू खाते में	15.76		34.17		4.26	
- तीन माह से कम मूल परिपक्वता के साथ जमा हस्तगत नकदी	435.72	451.48	274.80	308.97	223.02	227.28
हस्तगत डाक टिकट		0.38		0.33		0.31
		0.02		0.02		0.02
कुल		451.88		309.32		227.61
9ख) - उपर्युक्त के अलावा बैंक बकाया						
तीन माह से अधिक मूल परिपक्वता वाली जमा राशि		251.37		451.00		0.92
निर्धारित खाते में अन्य बैंक अधिशेष:						
- चालू खाता – भंगतान न किया गया लाभांश	2.66		2.32		2.62	
- अल्पावधि जमा राशि—गैस पूल धनराशि (प्रोद्भूत ब्याज सहित लेकिन देय नहीं 4.55 करोड़ रुपए) (पिछले वर्ष 14.91 करोड़ रुपए) (देखें टिप्पणी सं. 38(ख))	267.17		925.12		800.08	
- अल्पावधि जमा राशि—असुतलन और अधिक व्यय (प्रोद्भूत ब्याज सहित लेकिन देय नहीं 3.82 करोड़ रुपए) (पिछले वर्ष 3.93 करोड़ रुपए) (देखें टिप्पणी सं. 38(घ))	97.98		85.71		79.92	
- अल्पावधि जमा राशि—संयुक्त उद्यम परिसंघ (प्रोद्भूत ब्याज सहित लेकिन देय नहीं 0.15 करोड़ रुपए) (पिछले वर्ष 0.26 करोड़ रुपए) (देखें टिप्पणी सं. 38(क))	21.80		20.40		30.50	
- अल्पावधि जमा – सेवा—निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (देखें टिप्पणी सं. 45(III) (ख))	248.99	638.60	-	1,033.55	-	913.12
कुल		889.97		1,484.55		914.04

विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियां (एसबीएन) प्रकटीकरण

धारित विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियों (एसबीएन) के ब्योरे से संबंधित प्रकटीकरण और 08 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान किया गया लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

विवरण		एसबीएन		अन्य मूल्यवर्ग टिप्पणियां		कुल
08.11.2016 को हस्तगत नकद शेष		0.02		0.01		0.03
(+) बैंक खाते से निकासी		-		-		-
(+) अनुमत प्राप्तियां		0.03		0.05		0.08
(-) अनुमत भुगतान		-		-		-
(-) बैंक में जमा राशि		(0.05)		(0.03)		(0.08)
दिनांक 30.12.2016 को हस्तगत नकद शेष		-		0.03		0.03

टिप्पणी: इस खंड के प्रयोजन के लिए, शब्द "विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियां" का वही अर्थ होगा जैसा कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 08 नवंबर 2016 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.3407 (अ.) में दिया गया है।



टिप्पणी 10 - अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
मैट ऋण पात्रता		933.03		952.85		357.07
लंबित मांग की तुलना में अग्रिम आय कर						
-आरक्षित सही माने गए	1,158.11		1,294.74		1,256.09	
-आरक्षित संदिग्ध माने गए	162.21		107.57		107.57	
घटाएं: लंबित मांग की तुलना में संदिग्ध आय कर के लिए प्रावधान	162.21	1,158.11	107.57	1,294.74	107.57	1,256.09
अग्रिम कर	1,613.58		1,026.97		2,935.65	
घटाएं: कर के लिए प्रावधान	1,359.20	254.38	785.40	241.57	2,628.08	307.57
सरकारी प्राधिकारियों के पास बकाया						
आरक्षित सही माने गए:						
सेनवेट ऋण प्राप्ति	111.23		119.55		113.82	
वैट ऋण प्राप्ति	2,129.99		2,481.28		2,359.02	
सेवा कर ऋण प्राप्ति	25.03	2,266.25	22.04	2,622.87	19.96	2,492.80
वसूली योग्य दावे (आरक्षित)						
-सही माने गए	44.65		57.31		62.75	
-संदिग्ध माने गए	18.15		14.77		1.13	
घटाएं: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	18.15	44.65	14.77	57.31	1.13	62.75
अन्य वसूली योग्य अग्रिम नकद या वस्तु में		1,101.07		987.39		878.65
(552.25 करोड़ रुपए सहित पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को [पिछले वर्ष 561.80 करोड़ रुपए])						
पूंजी अग्रिम:						
-सही माने गए आरक्षित	48.23		4.03		11.37	
-संदिग्ध माने गए आरक्षित	0.35		0.35		0.35	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	0.35	48.23	0.35	4.03	0.35	11.37
आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अग्रिम:						
-सही माने गए आरक्षित	33.78		27.32		70.06	
-संदिग्ध माने गए आरक्षित	9.69		8.91		0.99	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	9.69	33.78	8.91	27.32	0.99	70.06
हस्तगत में स्वर्ण सिक्के		0.09		0.09		0.09
पूर्व भुगतान						
पूर्व भुगतान व्यय		57.99		62.67		68.17
पूर्व भुगतान किराया		77.87		81.99		83.36
पूर्व भुगतान कर्मचारी व्यय (कर्मचारियों को ऋण)		170.59		176.45		176.89
कुल		6,146.04		6,509.28		5,764.87
कुल 10क - गैर-चालू		3,576.52		3,914.92		2,939.87
कुल 10ख - चालू		2,569.52		2,594.36		2,825.00

टिप्पणी 11 - इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
अधिकृत: प्रत्येक 10 रुपए के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016: 200,00,00,000; 01 अप्रैल 2015 को प्रत्येक 10 रुपए के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त: प्रत्येक 10 रुपए के 169,13,03,200 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016: 126,84,77,400 इक्विटी शेयर; 01 अप्रैल 2015 को प्रत्येक 10 रुपए के 126,84,77,400 इक्विटी शेयर)	1,691.30	1,268.48	1,268.48

क) वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का पुनः समायोजन

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में	126,84,77,400	1,268.48	126,84,77,400	1,268.48	126,84,77,400	1,268.48
वर्ष के दौरान जारी						
बोनस शेयर*	422,825,800	422.82	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	169,13,03,200	1,691.30	126,84,77,400	1,268.48	126,84,77,400	1,268.48

ख) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

प्रत्येक 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	संख्या	प्रतिशत धारिता	संख्या	प्रतिशत धारिता
(i) भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक)	92,06,51,612	54.43%	711,695,832	56.11%
(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम	11,04,45,783	6.53%	132,621,001	10.46%

ख) कंपनी में 10/- रुपए प्रति शेयर के समकक्ष मूल्य वाले केवल एक वर्ग के इक्विटी शेयर ही हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित अनुसार लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयर धारण के अनुपात में मताधिकारों के लिए पात्र हैं।

ग) 1,63,45,528 (पिछले वर्ष: 1 अप्रैल 2015 को 1,18,91,046) शेयर वैश्विक भंडार प्राप्ति के रूप में धारित हैं।

घ) *वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्य रिजर्व के पूंजीकरण द्वारा धारित प्रत्येक तीन शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर के अनुपात में 4,22,825,800 बोनस शेयर जारी किए हैं।

ड.) कंपनी ने उपर्युक्त बोनस शेयरों को छोड़कर पिछले तत्काल पांच वर्ष पूर्व में नकद के अलावा विचार हेतु कोई शेयर जारी नहीं किया है।



टिप्पणी 12 - अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
अन्य इक्विटी:				
प्रतिभूति प्रीमियम - अंतिम तुलन-पत्र के रूप में	क	0.27	0.27	0.27
प्रतिधारित आय - प्रारंभिक शेष		25,004.95	23,881.78	23,881.78
जमा: अवधि के लिए लाभ		3,502.91	2,226.43	
घटाएँ: विनियोजन				
- बांड विमोचन रिजर्व में अंतरण		98.46	34.68	
- सामान्य रिजर्व में अंतरण		350.29	229.89	
- सीएसआर रिजर्व में अंतरण		-	(1.00)	
- लाभांश		380.54	380.54	
- निगमित लाभांश कर		295.35	142.03	
- अंतरिम लाभांश		1,078.24	317.12	
प्रतिधारित आय - कुल	ख	26,304.98	25,004.95	23,881.78
अन्य रिजर्व:				
- बांड विमोचन रिजर्व				
- प्रारंभिक शेष		238.72	204.04	204.04
'वर्ष के दौरान परिवर्तन		98.46	34.68	
- अंतिम शेष	i	337.18	238.72	
- सीएसआर रिजर्व				
- प्रारंभिक शेष			1.00	1.00
- वर्ष के दौरान परिवर्तन			(1.00)	
- अंतिम शेष	ii	-	-	
- सामान्य रिजर्व				
- प्रारंभिक शेष		4,425.68	4,195.79	4,195.79
- वर्ष के दौरान परिवर्तन				
- लाभ और हानि विवरण से वर्ष के दौरान अंतरण		350.29	229.89	
- बोनस शेयरों का निर्गम		(422.82)	-	
- अंतिम शेष	iii	4,353.14	4,425.68	
- अंतरण रिजर्व	iv	6,084.44	6,084.44	6,084.44
- अन्य व्यापक आय	v	(621.94)	(1,927.99)	-
कुल ग (i+ii+iii+iv+v)	क	10,152.82	8,820.85	10,485.27
कुल (क+ख+ग)		36,458.07	33,826.07	34,367.32

कंपनी ने वर्ष के दौरान 8.50 प्रति शेयर का भुगतान किया है (गत वर्ष 2.50)

टिप्पणी 13 - उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
टिप्पणी 13क - गैर चालू उधार			
प्रतिभूत बांड:			
बांड 2010 सीरीज - I* (8.80 प्रतिशत प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय बांड 2010 - सीरीज-1 7वें वर्ष की समाप्ति से शुरू होकर आवंटन की तारीख 13 दिसंबर, 2010 से 10वें वर्ष की समाप्ति तक 4 बराबर किस्तों में 7वें वर्ष के अंत में कॉल ऑप्शन सहित विमोचनीय है।)	374.98	499.95	499.94
बांड 2012 सीरीज - I* (9.14 प्रतिशत प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय बांड 2010 - सीरीज-1 5वें वर्ष की समाप्ति से शुरू होकर आवंटन की तारीख 11 जून, 2012 से 8वें वर्ष की समाप्ति तक 4 बराबर किस्तों में 5वें वर्ष के अंत में कॉल ऑप्शन सहित विमोचनीय है।)	562.36	749.62	749.50
बांड 2015 सीरीज - I* (8.30 प्रतिशत प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय बांड 2015 - सीरीज-1 7वें वर्ष की समाप्ति से शुरू होकर आवंटन की तारीख 23 फरवरी, 2015 से 10वें वर्ष की समाप्ति तक 4 बराबर किस्तों में 7वें वर्ष के अंत में कॉल ऑप्शन सहित विमोचनीय है।)	499.41	499.34	499.28
*बांड समरूप आधार पर प्रतिभूत है जो ग्राम टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड गैर-कृषि भूमि पर प्रभारित है तथा जिसपर वर्तमान एवं भविष्य हेतु निर्मित पूरी इमारत एवं विजयपुर स्थित सभी कम्प्रेसर स्टेशनों को छोड़कर विजयपुर दादरी पाइपलाइन परियोजनाओं से सम्बद्ध वर्तमान एवं भविष्य हेतु कंपनी की सभी प्लांट तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा सहायक उपकरण और अन्य चल संपत्तियां जो संस्थापित हैं अथवा नहीं या भंडार में पड़े हैं।			
अप्रतिभूत सावधि ऋण:			
- बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड (निकासी की अंतिम तारीख अर्थात् अगस्त 2016 से 5वें वर्ष के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान। ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित फ्लोटिंग ब्याज दर है)	-	-	943.22
- बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड (निकासी की अंतिम तारीख अर्थात् दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 से चौथे, पांचवें और छठे वर्ष के अंत में एक-तिहाई पुनर्भुगतान। ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित फ्लोटिंग ब्याज दर है)	-	222.17	418.18
- मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक (निकासी की अंतिम तारीख अर्थात् जनवरी 2016, जनवरी 2017 और जनवरी 2018 से चौथे, पांचवें और छठे वर्ष के अंत में एक-तिहाई पुनर्भुगतान। ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित फ्लोटिंग ब्याज दर है)	-	222.37	418.88
- सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (निकासी की अंतिम तारीख अर्थात् फरवरी 2016, फरवरी 2017 और फरवरी 2018 से चौथे, पांचवें और छठे वर्ष के अंत में एक-तिहाई पुनर्भुगतान। ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित फ्लोटिंग ब्याज दर है)	-	222.45	419.36
- सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन (निकासी की अंतिम तारीख अर्थात् नवंबर 2017, नवंबर 2018 से पांचवें और छठे वर्ष के अंत में आधा पुनः भुगतान। ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित फ्लोटिंग ब्याज दर है)	-	1,985.62	1,864.11
- केएफडब्ल्यू जर्मनी (कोपरियन सुविधा) (नवंबर 2014 से शुरू होने वाली 14 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में पुनः भुगतान। ऋण पर ब्याज की दर स्थायी है)	44.45	58.13	66.44
- सोसाइटी जनरले (22 अक्टूबर 2012 से शुरू होकर 20 अर्द्ध वार्षिक समान किस्तों में पुनः भुगतान। ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित फ्लोटिंग ब्याज दर है)	214.21	266.87	295.82



(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
- जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) (जून 2013 से शुरू होने वाली 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में पुनः भुगतान। ऋण पर ब्याज की दर स्थायी है)	150.74	184.39	189.37
- केएफडब्ल्यू जर्मनी (सीमेन्स सुविधा) (मार्च 2014 से शुरू होने वाली 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में पुनः भुगतान। ऋण पर ब्याज की दर स्थायी है)	178.93	215.52	232.53
- एसएमबीसी, मिजुहो बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक लिमिटेड (प्रत्येक डॉलर 100 मिलियन) (नवंबर 2017 और नवंबर 2018 में आधे पुनः भुगतान सहित मौजूदा एसएमबीसी ऋण को पुनः वित्तपोषित करने के लिए ऋण जुटाया गया)। ऋण पर 3 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित प्लोटिंग ब्याज दर है।	978.63	-	-
अन्य पार्टियों से सुरक्षित ऋण:			
- तेल उद्योग विकास बोर्ड (संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार और सहायक उपकरण तथा नए और पुराने अन्य चल उपकरण, चाहे स्थापित हों अथवा नहीं तथा चाहे खुले में पड़े हों या डिब्बे में हों या जो अब खुले में पड़े हों या भंडार में हों या जिन्हें इसके बाद से समय-समय पर जमा करके रखा गया हो या स्पर लाइनों सहित दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन के उधार लेने वाले की परियोजना में हों या जहां-कहीं भी यह हों या किसी पार्टी द्वारा उधार लेने वाले के पास हों या मार्गस्थ में हों या गहरे समुद्र में हों या आर्डर या सुपुर्दगी के अधीन हों, जैसे भी हों या जिस किसी भी उधार लेने वाले के कब्जे में हों और प्रतिस्थापन में हों या जमा किए जाने वाले हों, प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हों)। वितरण की तारीख से एक वर्ष की छूट अवधि के समाप्त होने के बाद चार समान किस्तों में वापस अदायगी। ऋण जुलाई 2011 से जून 2013 तक की किस्तों में वितरित जिसकी ब्याज दर वितरण की तारीख के आधार पर 7.67 प्रतिशत से 8.98 प्रतिशत तक होगी।	-	372.50	788.75
- तेल उद्योग विकास बोर्ड (संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार और सहायक उपकरण तथा नए और पुराने अन्य चल उपकरण, चाहे स्थापित हों अथवा नहीं तथा चाहे खुले में पड़े हों या खोल में हों या जो अब खुले में पड़े हों या भंडार में हों या जिन्हें इसके बाद से समय-समय पर जमा करके रखा गया हो या स्पर लाइनों सहित दाहेज विजयपुर पाइपलाइन-।। के उधार लेने वाले की परियोजना में हों या जहां-कहीं भी यह हों या किसी पार्टी द्वारा उधार लेने वाले के पास हों या मार्गस्थ में हों या गहरे समुद्र में हों या आर्डर या सुपुर्दगी के अधीन हों, जैसे भी हों या जिस किसी भी उधार लेने वाले के कब्जे में हों और प्रतिस्थापन में हो या जमा किए जाने वाले हों, प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हों जिसमें झुबुआ और विजयपुर में कंप्रेसर स्टेशनों के संयंत्र और मशीनरी शामिल नहीं हैं)। वितरण की तारीख से एक वर्ष के ऋणस्थान की समाप्ति के बाद चार समान किस्तों में पुनर्भुगतान। ऋण नवंबर 2013 से मार्च 2014 तक की किस्तों में वितरित जिसकी ब्याज दर वितरण की तारीख के आधार पर 8.94 प्रतिशत से 9.27 प्रतिशत तक होगी।	-	237.50	356.25
वित्तीय लीज बाध्यताओं की दीर्घावधि परिपक्वता:			
वित्तीय लीज के अंतर्गत बाध्यताएं	0.84	0.87	4.03
कुल गैर चालू उधार	3,004.55	5,737.30	7,745.66
टिप्पणी 13ख चालू उधार			
आरक्षित			
बैंक से क्रेता की ऋण सुविधा	-	-	233.80
कुल चालू उधार	-	-	233.80
कुल उधार	3,004.55	5,737.30	7,979.46
कुल रक्षित ऋण	1,436.75	2358.91	2,893.72
कुल आरक्षित ऋण	1,567.80	3378.39	5,085.74

टिप्पणी 14 - अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
व्युत्पन्न संविदाओं के लिए भुगतान योग्य जो हेज के रूप में निर्दिष्ट नहीं है।	134.46	55.78	89.27
वित्तीय लीज बाध्यताओं की चालू परिपक्वता: वित्तीय लीज के अंतर्गत देयताएं	0.06	-	0.02
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता रक्षित बांड			
- बांड सीरीज-।	-	-	99.99
- बांड 2010 सीरीज-।	124.99	-	-
- बांड 2012 सीरीज-।	187.39	-	-
- बांड सीरीज 2015	-	-	-
उप-योग	312.38	-	99.99
आरक्षित सावधि ऋण:			
- बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड	-	1,002.29	-
- बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड	217.14	220.90	207.31
- मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक	217.37	221.37	208.14
- सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन	217.47	221.74	208.70
- केएफडब्ल्यू जर्मनी (कोएरसियन सुविधा)	12.26	12.41	11.50
- सोसाइटे जनरले	46.28	47.03	43.81
- जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी)	29.88	30.45	26.75
- केएफडब्ल्यू जर्मनी (सिमन्स सुविधा)	31.12	31.63	29.35
- एसएमबीसी, मिजुहो बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक लिमिटेड (100 मिलियन डॉलर प्रत्येक)	974.53	-	-
उप-योग	1,746.05	1,787.82	735.56
तेल उद्योग विकास बोर्ड से रक्षित ऋण:	-	535.00	656.00
उप-योग	-	535.00	656.00
ग्राहकों/ठेकेदारों/अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	485.16	507.54	438.57
अन्य देय भुगतान			
प्रोद्भूत ब्याज जो उधार और अन्य पर देय न हो	85.52	110.38	111.90
भुगतान/दावा न किया गया लाभांश	2.66	2.32	2.62
गैस पूल राशि अनंतिम (देखें टिप्पणी सं. 38(ग))	655.48	1,006.79	1,998.33
गैस पूल राशि (देखें टिप्पणी सं. 38(घ))	268.56	927.87	816.81
असंतुलन और अधिक प्रभार (देखें टिप्पणी सं. 38(घ))	99.74	85.81	80.38
पूँजीगत व्यय के लिए देय भुगतान	274.61	145.58	118.87
पाइपलाइन टैरिफ में समायोजन	56.82	252.43	236.10
ईएंडपी व्यय देय भुगतान	59.18	83.82	160.51
कर्मचारी लाभ देय भुगतान	196.92	54.50	50.92
अन्य देय भुगतान (मीटर प्रभार, एलपीजी खपत और विविध भुगतान आदि)	254.80	210.85	221.61
कुल अन्य वित्तीय देयताएं	4,632.40	5,766.49	5,817.46
कुल 14क - गैर चालू	814.09	1,108.37	2,160.57
कुल 14ख - चालू	3,818.31	4,658.12	3,656.89
कुल	4,632.40	5,766.49	5,817.46



टिप्पणी 15 - प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
प्रावधान			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (देखें टिप्पणी सं. 45)	872.83	651.58	621.13
संभावित बाध्यताओं के लिए प्रावधान	639.62	497.87	576.65
परित्याग लागत के लिए देयता	0.90	0.84	0.61
कुल	1,513.34	1,150.29	1,198.39
कुल 15क - गैर चालू	812.60	618.36	579.54
कुल 15ख - चालू	700.74	531.93	618.85
कुल	1,513.34	1,150.29	1,198.39

इंड एस 37 में अपेक्षित अनुसार प्रावधान में संचलन का खुलासा टिप्पणी सं. 54 में दिया गया है।

टिप्पणी 16 - भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
भुगतान योग्य व्यापार	2,716.01	2,861.60	3,320.48
कुल	2,716.01	2,861.60	3,320.48

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संबंध में खुलासा टिप्पणी सं. 60 में दिया गया है।

टिप्पणी 17 - अन्य गैर वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ग्राहकों से अग्रिम	707.91	843.62	601.56
सांविधिक देय भुगतान	298.34	225.41	257.27
अन्य देयताएं	132.01	45.84	0.27
आस्थगित आय	9.34	-	-
सरकारी अनुदान			
- भारतीय गैस प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण के लिए दानिश सरकार से	0.81	0.92	1.03
- पूंजी अनुदान (देखें टिप्पणी सं. 61)	450.00	-	-
कुल	1,598.41	1,115.79	860.13
कुल 17क - गैर चालू	458.75	0.92	0.92
कुल 17ख - चालू	1,139.66	1,114.87	859.21
कुल	1,598.41	1,115.79	860.13

टिप्पणी 18 - आस्थगित कराधान

आय कर

31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

क. लाभ और हानि विवरण:

(₹ करोड़ में)

(I) लाभ या हानि खंड	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
चालू आय कर:		
वर्तमान आय कर प्रभार	1,319.52	187.43
पिछले वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	15.01	(51.96)
आस्थगित कर:		
अस्थायी अंतर की शुरुआत और रिवर्सल से संबंधित	573.38	700.07
लाभ या हानि विवरण में सूचित आयकर व्यय	1907.91	835.54
(ii) ओसीआई खंड	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता-प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर:		
निश्चित लाभ योजनाओं के पुनः मापन से निवल हानि/(लाभ)	11.15	11.96
ओसीआई में प्रभारित आयकर	11.15	11.96

ख. 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 के लिए कर व्यय का पुनः समायोजन तथा भारत की घरेलू कर दर से लेखा लाभ का गुणक:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
सतत् प्रचालनों से कर पूर्व लेखा लाभ	5,410.82	3,057.90
बंद प्रचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	-	-
आयकर से पूर्व लेखा लाभ	5,410.82	3,057.90
भारत की सांविधिक आय कर दर 34.608% (31 मार्च 2016: 34.608%)	1,872.58	1,058.28
पिछले वर्षों के संबंध में समायोजन	15.01	(51.96)
कटौती के रूप में व्यय की अनुमति नहीं	341.11	70.72
पिछले वर्षों के अन्य अस्थायी अंतर	-	(84.43)
कटौती जिससे समय में अंतर न हो	-	(68.05)
दीर्घकालिक शेयरों की बिक्री पर लाभ	(169.34)	-
छूट के रूप में आय	(151.45)	(89.02)
अग्रणीत कर दायित्व में प्रभावी कर दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
आयकर की प्रभावी दर - 35.26% (31 मार्च 2016: 27.32%)	1,907.91	835.54
लाभ और हानि विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई है	1,907.91	835.54
बंद प्रचालन के लिए आयकर	-	-
कुल	1907.91	835.54

आस्थगित कर

निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर:

(₹ करोड़ में)

विवरण	तुलन पत्र			लाभ और हानि विवरण	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर प्रयोजनों के लिए त्वरित मूल्यहास	5,737.80	5,110.42	4,190.49	627.38	919.93
अन्य देयताएं	8.84	1.73	3.48	7.11	(1.75)
इंड एस समायोजन	35.46	24.30	50.70	11.16	(26.40)
संदिग्ध ऋण, जमा राशि, संभावित बाध्यता आदि के लिए प्रावधान	(511.79)	(489.72)	(226.18)	(22.07)	(263.54)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	(302.07)	(225.50)	(205.55)	(76.57)	(19.95)
अन्य समायोजन	(312.33)	(349.85)	(453.59)	37.52	103.74
आस्थगित कर व्यय/(आय)					
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	4,655.91	4,071.38	3,359.35	584.53	712.03



तुलन-पत्र में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सतत प्रचालन)	1,126.19	1,065.07
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (सतत प्रचालन)	(5,782.10)	(5,136.45)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल	(4,655.91)	(4,071.38)

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) का पुनः समायोजन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष	4,071.38	3,359.35
लाभ या हानि में मान्यता-प्राप्त अवधि के दौरान कर (आय)/व्यय	573.38	700.07
ओसीआई में मान्यता-प्राप्त अवधि के दौरान कर (आय)/व्यय	11.15	11.96
31 मार्च को अंतिम शेष	4,655.91	4,071.38

टिप्पणी 19 - प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
क) उत्पादों की बिक्री		
गैस	38,213.13	43,613.35
पॉलीमर	5,625.57	3,354.32
एलपीजी	2,399.76	2,534.48
प्रोपेन/पेंटेन/एसबीपीएस/नापथा	737.95	787.45
क्रूड आयल	34.23	34.87
विद्युत	68.05	49.56
ख) सेवाओं की बिक्री		
एलपीजी संचरण/आरएलएनजी शिपर्स प्रभार	1,707.33	1,626.63
ग) टेलीकॉम सेवाओं से आय	2.73	2.74
कुल	48,788.75	52,003.40
जमा: अन्य प्रचालन आय	94.24	192.57
कुल	48,882.99	52,195.97

टिप्पणी 20: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज :				
- बैंकों में जमा राशि	148.47		99.21	
- आय कर/वैट रिफंड	104.07		88.74	
- विलंबित भुगतान के लिए ग्राहक	36.13		42.53	
- संयुक्त उद्यमों, सहायक कंपनियों और संबद्ध कंपनियों आदि को ऋण	1.18		0.83	
- कर्मचारियों को ऋण	55.57		56.55	
- अन्य	33.20		50.57	
घटाएं : निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 26)	0.84	377.78	0.69	337.74
निवेश से लाभांश		433.43		320.07
सरकारी अनुदान से अंतरित राशि		0.12		0.12
विदेशी मुद्रा में लेनदेन तथा परिवर्तन से निवल प्राप्ति		96.77		92.33
बट्टे खाते में डाले गए अतिरिक्त प्रावधान		196.83		97.62
विविध आय	71.75		44.11	
घटाएं : निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 26)	0.41	71.34	0.42	43.69
TOTAL		1,176.27		891.57

टिप्पणी 21: तैयार माल की मालसूची, चल रहे कार्य तथा व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
अवधि के अंत में मालसूची:		
प्रगत्यधीन कार्य	9.89	13.13
तैयार माल	395.40	264.59
व्यापारिक स्टॉक	482.50	652.36
कुल	887.79	930.08
अवधि के आरंभ में मालसूची:-		
प्रगत्यधीन कार्य	13.13	10.69
तैयार माल	264.59	193.00
व्यापारिक स्टॉक	652.36	1,138.47
कुल	930.08	1,342.16
कुल	42.29	412.09

टिप्पणी 22: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी तथा भत्ता	853.48		736.67
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	337.70		183.89
कर्मचारी कल्याण व्यय	162.50		153.50
घटाएं:			
- घटाएं : कर्मचारी हितलाभ व्यय कार्यशील पूंजी में अंतरित (देखें टिप्पणी संख्या 26)	41.67		27.98
- प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति	54.48	1,257.53	87.64
कुल		1,257.53	958.44

टिप्पणी 23: वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज :			
- सावधि ऋण	365.68		544.68
- बांड	153.83		156.86
- अन्य	2.20	521.71	4.38
व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/(हानि)		49.82	136.28
उधार पर विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/हानि		(43.01)	-
घटा : कार्यशील पूंजी में अंतरित ब्याज तथा वित्त प्रभार (देखें टिप्पणी संख्या 26)		49.16	42.34
कुल		479.36	799.86

टिप्पणी 24: मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय	1,390.17	1,303.09
अपूरणीय हानि (देखें टिप्पणी सं. 53 (i) और (ii))	7.22	8.05
घटा : कार्यशील पूंजी में अंतरित मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय (देखें टिप्पणी संख्या 26)	0.61	1.35
कुल	1,396.78	1,309.79



टिप्पणी 25: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
गैस पूल व्यय		14.55		79.56
उपभुक्त भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे		343.44		308.11
बिजली, ईंधन और जल प्रभार				
बिजली प्रभार		487.90		381.12
ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस		1,407.59		1,629.30
जल प्रभार		12.93		8.96
किराया		23.42		19.07
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीनरी	321.34		320.53	
भवन	51.98		39.68	
अन्य	63.96	437.28	60.02	420.23
बीमा		36.89		29.95
दर एवं कर		9.65		6.90
विविध व्यय :				
- यात्रा व्यय		101.97		102.47
- विज्ञापन और प्रचार		44.38		52.56
- वाहन किराया तथा चलाने का व्यय		37.05		33.18
- सर्वेक्षण व्यय		33.87		21.08
- बट्टे खाते में डाला गया शुष्क कूप व्यय		112.44		101.20
- ऑयल तथा गैस उत्पादन व्यय (प्रचालक)		64.34		78.87
- क्रूड ऑयल पर रॉयल्टी (पेट्रोलियम लाभ में सरकार की हिस्सेदारी सहित)		150.30		180.43
- परामर्शदायी प्रभार		84.29		53.05
- दान		2.02		1.14
- अनुसंधान तथा विकास व्यय		13.44		73.46
- बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियां (निवल)		6.07		22.24
- बट्टे खाते डाले गए ऋण/दावे/अग्रिम/भंडार सामग्री		2.85		2.80
- संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों, दावों, जमा और अप्रयुक्त भंडार और		115.08		286.69
- भंडार तथा पूंजीगत मदों का अप्रचलन				
- संभाव्य अनिवार्यताओं/आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		116.34		41.75
- उपलब्ध सुविधाओं पर व्यय		0.54		1.90
- विक्रय और वितरण व्यय		45.33		30.79
- बिक्री पर कमीशन		21.01		12.45
- सुरक्षा व्यय		126.02		106.28
- निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		123.58		160.56
- अन्य व्यय		132.96		129.13
लेखापरीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षा शुल्क	0.61		0.55	
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.10		0.09	
अन्य सेवाएं (प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए)	0.28		0.26	
यात्रा और फुटकर खर्च	0.52	1.51	0.61	1.51
घटाएं : कार्यशील पूंजी में अंतरित निर्माण के दौरान किए गए आकस्मिक व्यय (देखें टिप्पणी संख्या 26)		20.34		101.34
कुल		4,088.70		4,275.40

टिप्पणी 26 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन, मजदूरी और भत्ते	32.99		21.06	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	5.70		4.41	
कल्याण व्यय	2.99	41.68	2.50	27.97
ब्याज तथा वित्त प्रभार		49.16		42.34
मूल्यहास और परिशोधन व्यय		0.61		1.35
बिजली प्रभार		14.92		90.15
उपभुक्त भंडार और अतिरिक्त पुर्जे		-		0.11
बीमा		0.01		0.01
किराया		0.19		0.32
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीनरी	0.03		0.05	
अन्य	0.33	0.36	6.30	6.35
विविध व्यय:				
- यात्रा व्यय		3.88		3.17
- वाहन किराया तथा चलाने का व्यय		0.03		0.09
- परामर्शदायी प्रभार		0.04		0.09
- अन्य व्यय		0.91		1.05
- ब्याज से आय	(0.84)		(0.69)	
- विविध आय	(0.41)	(1.25)	(0.42)	(1.11)
निवल व्यय		110.54		171.89
घटाएं: प्रगतिशील पूंजी में अंतरित				
क) कर्मचारी लाभ व्यय	41.68		27.97	
ख) ब्याज और वित्त प्रभार	49.16		42.34	
ग) मूल्य हास	0.61		1.35	
घ) अन्य व्यय	20.34		101.34	
ड़) अन्य आय	(1.25)	110.54	(1.11)	171.89
बकाया तुलन-पत्र में अग्रणीत		-		-



गेल (इंडिया) लिमिटेड

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पृथक नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1 कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ		5410.82		3061.97
2 जमा:				
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1396.78		1309.79	
विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय दर अंतर	(65.95)		223.43	
वित्त लागत	479.36		799.86	
निवेश पर लाभांश आय	(433.43)		(320.07)	
ब्याज व्यय	(377.78)		(337.74)	
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान	253.48		65.02	
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	(94.11)		237.05	
संभावित देयताओं हेतु प्रावधान	141.75		(78.78)	
अन्य प्रावधान	(1.65)		24.30	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	6.07		22.24	
असाधारण मद – निवेश (निवल) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(489.31)		0.00	
असाधारण मद – क्षति के लिए प्रावधान	788.04		0.00	
		1603.25		1945.10
3 कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से प्रचालन पूर्व लाभ (1+2)		7014.07		5007.07
4 कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नकदी और नकद समकक्ष को छोड़कर)				
व्यापार और अन्य प्राप्य राशि	977.05		557.82	
माल-सूची	(83.68)		319.96	
व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशि	(1087.25)		(1110.33)	
		(193.88)		(232.55)
5 प्रचालनों से उत्पन्न नकदी (3+4)		6820.19		4774.52
6 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(1190.89)		(703.90)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद राशि (5+6)		5629.30		4070.62
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(1694.67)		(1213.81)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	2.54		9.35	
निवेशों की बिक्री/व्यवसाय	501.66		0.00	
अन्य कंपनियों में निवेश	(312.74)		(145.21)	
संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम	(11.61)		24.74	
प्राप्त ब्याज	382.96		333.98	
प्राप्त लाभांश	433.43		320.07	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी		(698.43)		(670.88)
		4930.87		3399.74
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के लिए सरकारी अनुदान	450.00		0.00	

गेल (इंडिया) लिमिटेड

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पृथक नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष	
दीर्घकालिक उधार का पुनर्भुगतान	(2931.19)		(1400.52)	
अल्पकालिक उधार से चुकौती/लाभ	0.00		(233.80)	
वित्त लागत भुगतान	(553.38)		(843.72)	
लाभांश और लाभांश कर भुगतान	(1753.74)		(839.99)	
वित्त गतिविधियों से निवल नकद		(4788.31)		(3318.03)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		142.56		81.71
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		309.32		227.61
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		451.88		309.32

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां आवश्यक था, पुनः समूह बनाया गया है/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समादिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण दर्शाने वाली टिप्पणी

27. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान

कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान और पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूचित राशि, तथा संबंधित प्रकटनों, और पृथक वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं। अनुमानों और पूर्वानुमानों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और ये प्रबंधन के अनुभव तथा अन्य तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिनमें भावी कार्यक्रमों की अपेक्षाएं शामिल होती हैं जो परिस्थितियों के अंतर्गत उपयुक्त मानी जाती हैं। इन पूर्वानुमानों और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता से ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिनके लिए भावी अवधियों में प्रभावित परिसंपत्तियों का देनदारियों की राशि का सामग्री समायोजन करने की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है जहां महत्वपूर्ण निर्णयों, अनुमानों और पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। इन प्रत्येक क्षेत्रों पर आगे सूचना, तथा ये विभिन्न लेखांकन नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, का नीचे तथा वित्तीय विवरणों की संगत टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है। अनुमानों में परिवर्तनों की गणना संभावना के आधार पर की जाती है।

27.1 निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं जिनका पृथक वित्तीय विवरणों में पता लगाई गई राशि का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

आकस्मिकताएं:

आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां, जो कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में व्यवसाय के सामान्य कार्यों से उत्पन्न हो सकती हैं, में कानूनी, ठेकेदार, भूमि उपलब्धता और अन्य दावे शामिल होते हैं। अपनी प्रकृति द्वारा आकस्मिकताओं का समाधान तभी किया जाएगा जब एक या अधिक अनिश्चित भावी कार्यक्रम उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे। आकस्मिकताओं के मौजूदा, तथा संभावित मात्रा के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रक्रिया और भावी कार्यक्रमों के निष्कर्षों के संबंध में अनुमानों का उपयोग शामिल होगा।

27.2 अनुमान और पूर्वानुमान:

किसी निर्धारित तारीख को भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान तथा अनुमान के अन्य प्रमुख स्रोतों में अनिश्चितता होने से अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि का सामग्री समायोजन करने में पर्याप्त जोखिम होता है, जिसका नीचे उल्लेख किया गया है। कंपनी का अपना अनुमान और पूर्वानुमान समेकित वित्तीय विवरणों के तैयार होने पर उपलब्ध मानदण्डों पर आधारित है। तथापि, भावी विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियों और पूर्वानुमान कंपनी के नियंत्रण से उत्पन्न होने वाले बाजार परिवर्तन या परिस्थितियों के कारण बदल सकता है। ऐसे परिवर्तन पूर्वानुमान के होने पर प्रदर्शित होते हैं।

क) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

कंपनी प्रत्येक सूचित तारीख को यह आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेतक है जिससे किसी परिसंपत्ति की हानि का पता लग सके। प्रयुक्त मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भावी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का प्रयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर अनुमानित भावी नकद प्रवाह की छूट दी जाती है जो धनराशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार अनुमानों तथा परिसंपत्तियों के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। उचित मूल्य घटा निपटान की लागत का निर्धारण करने के लिए, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन का पता चल सके तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इस गणना को मूल्यों के गुणक सार्वजनिक व्यापार सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत मूल्य शेयर मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा मिलान किया जाता है।

ख) निश्चित लाभ योजनाएं:

निश्चित लाभा योजना की लागत तथा अन्य रोजगार उपरांत लाभ तथा ऐसी

बाध्यता के वर्तमान मूल्य को वास्तविक मूल्य का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन में अनेक अनुमान लगाना शामिल होता है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न होते हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मूल्य दर तथा भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्य में शामिल जटिलताओं तथा इसकी दीर्घावधि प्रकृति के कारण इन अनुमानों में परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चित लाभ बाध्यता अत्यधिक संवेदनशील होती है। प्रत्येक सूचित तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

ग) वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य माप:

जब तुलन-पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्यों के आधार पर आंका न जा सकता हो, तो डीसीएफ मॉडल सहित मूल्य तकनीकों का प्रयोग करके उनके उचित मूल्य को आंका जाता है। इन मॉडलों के इनपुट को जहां संभव हो, सक्रिय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां ऐसा संभव न हो, वहां उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। निर्णय में परिसंपत्ति जोखिम, ऋण जोखिम तथा अस्थिरता जैसे इनपुट की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों के बारे में पूर्वानुमानों में परिवर्तन से वित्तीय प्रणाली का सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकता है।

घ) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:

वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि प्रावधान डिफाल्ट के जोखिम तथा संभावित हानि दरों के अनुमान पर आधारित होता है। पूर्वानुमान लगाने तथा क्षति का हिसाब लगाने के इनपुट का चयन करने का निर्णय लेती है जिसमें कंपनी का पिछला इतिहास, मौजूदा बाजार स्थिति तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भावी अनुमान लगाना शामिल होता है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में निवेश की क्षति का अनुमान नकद प्रवाह में छूट देकर, नकद प्रवाह/निवल परिसंपत्ति मूल्य अवधि बाहरी एजेंसियों की मूल्य रिपोर्ट, निवेश करने वाली कंपनी के पिछले इतिहास आदि पर आधारित होता है।

28. इंड एस 101 का पहली बार अपनाया जाना

28.1 इंड एस 101 का पहली बार अपनाए जाने पर टिप्पणियां

क) इंड-एस में अंतरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण प्रथम वित्तीय विवरण हैं, कंपनी में इन्हें इंड एस के अनुसार तैयार किया है। 31 मार्च 2016 तक की अवधि तक के लिए कंपनी ने वित्तीय विवरणों को कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (भारतीय जीएएपी) के पैरा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

तदनुसार, समूह ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार में उल्लिखित अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनात्मक अवधि आंकड़ों के साथ 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए लागू इंड एस के अनुरूप हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी का 1 अप्रैल, 2015 तक खुला तुलन-पत्र तैयार किया गया जो इंड एस के लिए कंपनी के लेनदेन की तारीख है। इस टिप्पणी में कंपनी द्वारा इसके भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों का उल्लेख करते हुए मूल समायोजन को स्पष्ट किया गया है।

ख) उपयोग की गई छूट तथा अपवाद:

इंड एस 101 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाया' पहली बार अपनाए जाने वालों को इंड एस के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं को पिछले अनुप्रयोग से कुछ छूट प्रदान करता है। समूह ने निम्नलिखित छूट के लिए आवेदन किया है।

(प) इंड एस वैकल्पिक छूट

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित लागत: इंड एस 101 पिछले जीएएपी के अनुसार आंके गए इंड एस के लेनदेन की तारीख को वित्तीय विवरणों में मान्यता-प्राप्त अनुसार अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) के लिए मूल्य के अनुसार पहली बार अपनाया जाता है तथा इसका उपयोग देयताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद लेनदेन की तारीख को अपनी अनुमानित लागत पर प्रयोग किया जाता है। चूंकि कार्यात्मक मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः समूह ने लेनदेन की तारीख को मानित लागत के रूप में भारतीय जीएएपी वित्तीय स्थिति में मान्यता अनुसार अपनी सभी पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य को जारी रखने का चयन किया है।

पट्टा: समूह ने इंड एस 17 के परिशिष्ट ग 'यह निर्धारित करना कि क्या किसी मौजूदा व्यवस्था में पट्टा शामिल है' के लिए आवेदन दिया है ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या किसी लेनदेन की तारीख को मौजूदा व्यवस्था में तथ्यों तथा उस तारीख को परिस्थितियों के आधार पर कोई पट्टा शामिल किया गया है।

सहायक, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश: इंड एस 101 को पहली बार अपनाने वाले को सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में अपने सभी निवेश के लिए निर्गम मूल्य को बनाए रखने की अनुमति देता है, जैसा कि इंड एस में परिवर्तन की तारीख को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्रदान की गई है। इसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा जाता है और इसका इस्तेमाल मानी गई लागत के रूप में परिवर्तन की तारीख से माना जाता है। कंपनी ने सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में अपने सभी निवेश के लिए निर्गम मूल्य को बनाए रखने को चुना है, जैसा कि परिवर्तन की तारीख को मानी गई लागत के रूप में इसके भारतीय जीएएपी वित्त में माना गया है।

पूर्व में मान्यता-प्राप्त वित्तीय साधनों का पदनाम: इंड एस 101 किसी कंपनी को लेनदेन की तारीख को इंड एस (प्रारंभिक मान्यता की बजाय) में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के जरिए उचित मूल्य के अनुसार विशिष्ट इक्विटी निवेश (सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त प्रबंधन के अलावा) को विनिर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। समूह ने लेनदेन की तारीख को एफओओसीआई के रूप में कुछ इक्विटी निवेश को विनिर्दिष्ट करने के लिए इस छूट का लाभ उठाने का विकल्प चुना है।

व्यवसाय संबद्धता: इंड एस 101 लेनदेन की तारीख से पूर्व किसी विशिष्ट तारीख को या इंड एस 103 'व्यवसाय संबद्धता' को लेनदेन की तारीख से चुनने का विकल्प उपलब्ध कराता है। समूह ने अपने लेनदेन की तारीख के बाद होने वाली व्यवसाय संबद्धता के लिए इंड एस 103 में आवेदन करने का विकल्प चुना है। लेनदेन की तारीख से पूर्व होने वाली व्यवसाय संबद्धता पुनः प्रारंभ नहीं हुई है।

इंड एस अनिवार्य छूट

अनुमान: इंड एस 101 के अनुसार, कंपनी के पहले इंड एस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक अवधि के अंत में इंड एस में परिवर्तन की तारीख को इंड एस के अनुसार कंपनी का अनुमान, जैसी स्थिति हो, पिछले जीएएपी के अनुसार कंपनी का अनुमान, जैसी स्थिति हो, पिछले जीएएपी के अनुसार उसी तारीख को लगाए गए अनुमान के अनुरूप होना चाहिए जब तक कि इस बात का वास्तविक साक्ष्य न हो कि अनुमान गलत थे। कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च 2016 तक के अनुमान भारतीय जीएएपी (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजन के बाद) के अनुसार समान तारीख के लिए किए गए अनुसार है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और माप: इंड एस 101 किसी

कंपनी को लेनदेन की तारीख को मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का जायजा लेने का अधिकार देता है। इसके अलावा, लेनदेन की तारीख को, यदि भूतलक्षी प्रभाव से आवेदन देना अव्यवहारिक हो, तो मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर शोधित लागत पर गणना की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के माप की मानक अनुमति दी जाती है। तदनुसार, समूह ने लेनदेन की तारीख को मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निर्धारित किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं की मान्यता हटाना: एस 101 के अनुसार, कोई कंपनी इंड एस में होने वाले भावी लेनदेन के लिए या लेनदेन की तारीख के बाद इंड एस 109, वित्तीय विवरण में आवश्यकता को हटाने का विकल्प चुनना चाहिए। समूह ने लेनदेन की तारीख को होने वाले या इंड एस में लेनदेन की तारीख के बाद होने वाले वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए मान्यता हटाने की आवश्यकता को चुनने का निर्णय लिया है।

**पूर्व जीएएपी तथा इंड एस के बीच पुनर्समायोजन
31 मार्च 2016 तथा 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का पुनर्समायोजन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
पूर्व जीएएपी (ए) के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक की निधियां)	30,584.87	29,119.52
समायोजन :		
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/ देयताओं पर उत्पन्न होने वाला निवल लाभ (हानि)	4,259.24	6187.24
प्रस्तावित लाभांश की विपरीतता का प्रभाव (उस पर कर सहित)	458.01	458.01
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में समायोजन पर निवल लाभ/(हानि)	(110.81)	(39.74)
अन्य	(45.66)	(38.53)
कर प्रभाव	(50.70)	(50.70)
कुल समायोजन (ख)	4,510.08	6,516.28
इंड एस (क+ख) के अनुसार कुल इक्विटी	35,094.95	35,635.80

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का पुनर्समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016
पूर्व जीएएपी (क) के अनुसार कर पश्चात् लाभ	2,298.90
समायोजन:	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में समायोजन का प्रभाव	(170.94)
व्युत्पन्न संविदाओं के उचित मूल्य का प्रभाव	92.59
लाभ एवं हानि लेखा के विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देनदारियों को मापने का प्रभाव	7.78
वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं की शोधित लागत माप	(18.26)
अन्य व्यापक आय में मान्यता-प्राप्त निश्चित लाभ योजनाओं का पुनः माप	(34.57)
अन्य	12.55
कर प्रभाव	38.38
कुल समायोजन (ख)	(72.47)
इंड एस के अनुसार कर पश्चात् लाभ (ग=क+ख)	2226.43
अन्य व्यापक आय (कर का निवल) (घ)	(1928.00)
कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) (ग+घ)	298.43



टिप्पणी-1

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, इक्विटी व्यवस्था में निवेश को वांछित धारित अवधि और वास्तविकता के आधार पर दीर्घावधि निवेश या वर्तमान निवेश के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी गिरावट के अलावा प्रावधान को घटाकर लागत पर दीर्घावधि निवेश किया गया था। लागत और उचित मूल्य को कम करके चालू निवेश किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत, इन निवेश को उचित मूल्य पर आंके जाने की आवश्यकता है। इन निवेश के परिणामी उचित मूल्य परिवर्तन को प्रतिधारित आय में लेनदेन की तारीख को मान्यता दी गई है और तत्पश्चात् 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है।
- पूर्व जीएएपी के अंतर्गत, एएस 11 के अंतर्गत शामिल विदेशी मुद्रा अग्रेषित संविदा के संबंध में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव, विदेशी मुद्रा अग्रेषित निविदाओं के प्रारंभ होने से उत्पन्न प्रीमियम या छूट को संविदा की आय की तुलना में व्यय का आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। एएस 11 के अंतर्गत शामिल व्युत्पन्न व्यवस्था की आईसीएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन के आधार पर गणना की जाती है। इंड एएस के अंतर्गत, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में विनिर्दिष्ट न किए गए व्युत्पन्न का उचित मूल्य दिया जाता है जिनके परिणाम परिवर्तन को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा में परिवर्तन की तारीख को प्रतिधारित आय के रूप में मान्यता दी गई है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, एक एकल पैकेज के रूप में व्युत्पन्न और अंतर्निहित देयताओं को एक साथ जोड़कर विदेशी मुद्रा उधार लिया गया था। एकल अनुबंध के रूप में ऋण और स्वैप को 'सिंथेटिक लेखा' कहा जाता है और इंड एएस के अंतर्गत इस दृष्टिकोण को अनुमति नहीं दी गई है। एएस के अंतर्गत ऋण देनदारियों को स्वैप अनुबंधों से अलग मान्यता दी गई है। तदनुसार, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए परिवर्तन की तारीख और उसके बाद के लाभ और हानि विवरण के रूप में प्रतिधारित आय में परिणामी परिवर्तनों को समायोजित किया गया है।

टिप्पणी-2

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, तुलन-पत्र की तारीख के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, लेकिन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व प्रस्तावित लाभांश को समायोजित कार्यक्रम माना जाता था। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश के प्रावधान को देयता के रूप में मान्यता दी गई थी। इंड एएस के अंतर्गत, ऐसे लाभांश की पहचान की जाती है, और सामान्य बैठक में शेरधारकों द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है। तदनुसार, प्रावधानों के अंतर्गत शामिल प्रस्तावित लाभांश की देनदारी को प्रतिधारित आय के अनुरूप समायोजन करके उलट दिया गया है। परिणामस्वरूप, कुल इक्विटी उतनी ही राशि से बढ़ी है।

टिप्पणी-3

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, मशीनों के पुर्जों को आम तौर पर लाभ और हानि विवरण के रूप में लिया जाता है। इंड एएस के अंतर्गत, अतिरिक्त पुर्जे पूर्वव्यापी रूप में इंड एएस 16 अनुसार मान्यता-प्राप्त हैं, बशर्ते कि वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हों। अन्यथा, ऐसी वस्तुओं को सूची के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी परिसंपत्ति का मूल्यहास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। आमतौर पर अतिरिक्त पुर्जे इसकी खरीद की तारीख से उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। तदनुसार, पीपीई की परिभाषा को पूरा करने वाले पुर्जों को पूंजी माना जाता है, साथ ही इसके मूल्यहास की इसकी खरीद की तारीख से गणना की जाती है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय (सुविधाओं को सक्षम बनाना), जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, को लाभ और हानि खाते के लिए शुल्क लिया गया था। इंड एएस 16 में यह अपेक्षित है कि कंपनी भूमि पर किए गए पूंजीगत व्यय (उदाहरण के लिए सड़कों, पुलियों, बिजली पारेषण लाइनों, उपरिगामी पुल, पानी और मलजल निकासी व्यवस्था, आदि), जो कंपनी के स्वामित्व में न हों, पर पूंजी लगाए, जो सीधे तौर पर संपत्ति के लाने के कारण हुई है और इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधन इसका

संचालन वांछित ढंग से करने में सक्षम हो। परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा सुविधाएं जुटाने के लिए किए गए व्यय को परिवर्तन की तारीख से पूंजीकृत किया गया है।

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, मरम्मत और जीर्णोद्धार पर किए गए व्यय को अधिकांश मामलों में लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया था। तथापि, प्रमुख मरम्मत और जीर्णोद्धार व्यय को इंड एएस 16 के अंतर्गत प्रतिधारण लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, बशर्ते कि वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता-प्राप्त मानदंडों को पूरा करते हों।

टिप्पणी-4

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, उधार के संबंध में किए गए लेन-देन की लागत को परिशोधित अग्रिम माना जाता है और अवधि के लिए लाभ या हानि के रूप में लिया जाता है। इंड एएस के अंतर्गत, लेनदेन लागत को वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता राशि में शामिल किया गया है और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके लाभ या हानि माना गया है / पूंजीकृत किया गया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, प्रावधानों में छूट नहीं दी गई थी। इंड एएस के अंतर्गत, प्रावधानों को छूट-प्राप्त राशि के रूप में मापा गया है, बशर्ते कि समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक हो। तदनुसार, डिकमिशनिंग देयता के लिए गैर-चालू प्रावधानों पर उनके वर्तमान मूल्यों के लिए छूट दी गई है। 1 अप्रैल 2015 को इसके प्रभाव का प्रतिधारित आय के साथ समायोजन किया गया है; और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने प्राप्तियों की हानि के लिए प्रावधान बनाया है जिसमें केवल व्यय की गई विशिष्ट राशि का नुकसान शामिल है। इंड एएस के अंतर्गत, हानि भत्ता का अनुमान अपेक्षित हानि मॉडल (ईसीएल) के आधार पर निर्धारित किया गया है। ईसीएल मॉडल के कारण, समूह ने 1 अप्रैल 2015 को प्राप्त अपने व्यापार में सुधार किया, जिसे प्रतिधारित आय की तुलना में समाप्त कर दिया गया है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के प्रभाव को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने आरक्षित और अधिशेष के अंतर्गत गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को पूंजीगत रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। इंड एएस के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं दी जाती। सरकारी अनुदान का गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों के अंतर्गत खुलासा किया गया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी एएस पैरा 11 के 46/46क के रूप में अनुमानित व्यय अर्थात् 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' का दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का पुनः विवरण बनाने से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में अनुपालन कर रहा था। मूल्यहास होने वाली परिसंपत्तियों के कारण, विनिमय अंतर को मूल्यहास वाली परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा/घटाया गया, जिसके मूल्यहास को परिसंपत्ति की शेष आयु से विभाजित किया गया था। अन्य मामलों में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता (एफसीएमआईटीडीए) में विनिमय अंतर जमा किया गया था और ऐसी परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत, समूह ने एएस 11 के पैरा के 46/46क के अनुसार खाते को बंद कर दिया है और एफसीएमआईटीडीए को 1 अप्रैल 2015 की प्रतिधारित आय और 31 मार्च 2016 को लाभ-हानि के विवरण के साथ समायोजित किया गया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, पट्टा लेखांकन सामान्यतः लेनदेन पर लागू होता है, जो पट्टे के रूप में होता है। तथापि, इंड एएस 17 के परिशिष्ट ग के अनुसार, जहां कंपनी पट्टादाता है और व्यवस्था को वित्त पट्टा के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से हटाया गया है और संबंधित वित्त पट्टा प्राप्तियों को मान्यता दी जाएगी। परिणामस्वरूप, कंपनी ने पूर्वव्यापी रूप से पट्टे का लेखांकन लागू किया है और परिवर्तनकाल की तारीख को प्रतिधारित आय में तथा तत्पश्चात् लाभ और हानि खाते में बदलाव किया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन अनिश्चित नहीं था। इंड एएस के अंतर्गत, किसी अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन सीमित या अनिश्चित हो सकता है। इंड एएस 38, अनिश्चित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति

के परिशोधन की अनुमति नहीं देता। तदनुसार, अनिश्चित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति का मूल्यहास वित्तीय वर्ष 2015-16 में उलट गया है।

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कर्मचारी को दिया गया ऋण उनके लेनदेन मूल्य पर दर्ज किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दिया जाना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने परिवर्तन की तारीख को इंड एएस के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए गए इन ऋणों को उचित महत्व दिया है। कर्मचारी को ऋण के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को प्रीपेड कर्मचारी की लागत के रूप में मान्यता दी गई है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन ऋणों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। कर्मचारियों को दिए गए ऋण की मात्रा में वृद्धि की राशि ब्याज आय के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रीपेड लाभ को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में ऋण की अवधि की तुलना में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है।

टिप्पणी-5

- पिछले जीएएपी की अवधि के लिए आय विवरण दृष्टिकोण का उपयोग करके आस्थगित कर लेखांकन की आवश्यकता होती है, जो कर योग्य लाभ और लेखा लाभ के बीच अंतर पर केंद्रित होती है। इंड एएस 12 में यह अपेक्षा की जाती है कि कंपनियों तुलन-पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके आस्थगित करों का लेखा-जोखा रखें, जो तुलन-पत्र और इसके कर आधार में किसी परिसंपत्ति या देयता की राशि की मात्रा के बीच अस्थायी अंतर पर केंद्रित हो। इंड एएस 12 दृष्टिकोण के लागू होने के कारण आस्थगित कर की नए अस्थायी अंतर के रूप में पहचान हुई है जो भारतीय जीएएपी के अंतर्गत आवश्यक नहीं था।
- इसके अलावा, विभिन्न परिवर्तनकालीन समायोजन के कारण अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है। लेखांकन नीतियों के अनुसार, कंपनी को ऐसे अंतर का हिसाब में लेना होता है। आस्थगित कर समायोजन को अंतर्निहित लेनदेन के सह-संबंध में या तो प्रतिधारित आय या इक्विटी के एक अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

टिप्पणी-6

- पिछले जीएएपी और इंड एएस दोनों के अंतर्गत, कंपनी ने बीमांकिक आधार पर अपनी रोजगार पश्चात् परिभाषित लाभ योजना से संबंधित लागत को मान्यता दी है। भारतीय जीएएपी के अंतर्गत, बीमांकिक लाभ और हानि सहित पूरी लागत को लाभ या हानि में डाला जाता है। इंड एएस के अंतर्गत, पुनः माप (बीमांकित लाभ और हानि, परिसंपत्ति की सीमा का प्रभाव, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना के बाद की परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ, जिसमें निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज शामिल है) को तुलन-पत्र में अन्य संबंधित आय (ओसीआई) के माध्यम से प्रतिधारित आय में डेबिट या क्रेडिट के साथ तत्काल दर्ज किया जाता है।

टिप्पणी-7

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कंपनी ने अन्य व्यापक आय (ओसीआई) को अलग से प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, पिछले जीएएपी के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण का इंड-एएस के अनुसार लाभ और हानि विवरण तथा कुल अन्य व्यापक आय के साथ समायोजन किया गया है।
- इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कंपनी ने पिछले जीएएपी और इंड एएस के बीच कई प्रस्तुति अंतर बनाए हैं। इन मतभेदों का रिपोर्ट किए गए लाभ या कुल इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिवर्तन की तारीख में इंड एएस के अंतर्गत एक अन्य मद के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, इन वित्तीय विवरणों में पिछले जीएएपी की तुलना में इंड एएस के अंतर्गत कुछ मदों को अलग-अलग वर्णित किया गया है, यद्यपि इन मदों में शामिल परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रभावित न हों।

29) आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं :-

I. आकस्मिक दायित्व

(क) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:-

- (i) व्यापार द्वारा परिसमाप्ति क्षति/मूल्य न्यूनीकरण अनुसूची, प्राकृतिक गैस

मूल्य अंतरण आदि के कारण देय तथा प्राकृतिक गैस संचरण प्रभार आदि के लिए ग्राहकों द्वारा देय 1,622.61 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 1,908.80 करोड़ रुपए) के कानूनी मामलों के दावे।

- (ii) 1,128.26 करोड़ रुपए की आयकर मांग (निवल प्रावधान) (पिछला वर्ष 1,303.67 करोड़ रुपए) जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील/अदालत में अपील दायर की है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने सीआईटी (अपील) द्वारा कंपनी को 628.09 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) की दी गई राहत के खिलाफ आईटीएटी में अपील दायर की है (पिछले साल: 354.33 करोड़ रुपए)।
- (iii) विवादित अप्रत्यक्ष कर की मांग निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
1	सीमा शुल्क	8.55	0.06
2	उत्पाद शुल्क	3,296.34	3,135.32
3	बिक्री कर/वैट	358.91	440.77
4	प्रवेश कर	11.42	16.16
5	सेवा कर	1,363.99	1,272.91
	कुल	5,039.21	4,865.22

- (iv) 162.84 करोड़ रुपए के विविध दावे (पिछले वर्ष: 238.29 करोड़ रुपए)

(ख) कॉर्पोरेट गारंटी

कंपनी ने ऋण/ऋणों को जुटाने के लिए संबंधित पक्षों की ओर से 2,203 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 2,352.00 करोड़ रुपए) के लिए कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। इन कॉर्पोरेट गारंटी के अंतर्गत वर्ष के अंत में बकाया ऋण की राशि 1,306 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 1,390 करोड़ रुपए) है।

II. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:-

- (क) संविदाओं की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम) जो पूंजीगत खाते पर निष्पादित होगा और उपलब्ध नहीं कराया गया है: 3,128.92 करोड़ रुपए (पूर्व वर्ष: 2,036.26 करोड़ रुपए)।

ग) अन्य प्रतिबद्धताएं:-

- i) कंपनी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियों और अन्य कंपनियों में आगे निवेश और ऋण के वितरण के लिए 1525.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1775.46 करोड़ रुपए) की प्रतिबद्धता है।
- ii) संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियों के संबंध में न्यूनतम कार्य योजना के लिए कंपनी द्वारा की गई प्रतिबद्धता का नोट 49 (ख)(अ) में उल्लेख किया गया है।

- 30. बिक्री कर विभाग ने अप्रैल 1994 से मार्च 2001 की अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस का गुजरात से अन्य राज्यों में स्थानांतरण करने के लिए अंतरराज्यीय बिक्री के रूप में गुजरात में हजीरा इकाई के संबंध में 3,449.18 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 3,449.18 करोड़) और उस पर 1,513.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 1,513.04 करोड़ रुपए) के ब्याज की मांग की है। कंपनी के पक्ष में अधिकरण के आदेश से पीड़ित होकर बिक्री कर विभाग ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले में अंतिम सुनवाई नवंबर 2016 में संपन्न हुई और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्रतीक्षित है। प्रबंधन की राय में, इस देयता की बिक्री और खरीददारी की काफी कम संभावना है।

- 31. ग्राहकों के साथ गैस बिक्री करार के संदर्भ में, गैस की वार्षिक प्राप्ति या भुगतान मात्रा (एटीओपीक्यू) का मूल्य प्राप्ति के आधार पर तय किया जाता है और करार के अनुसार ग्राहक को गैस वितरित किए जाने तक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।



32. सीएसआर व्यय के तहत प्रकटीकरण:

डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को वर्तमान वर्ष के दौरान 81.47 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 102.34 करोड़ रुपए) खर्च करने होते हैं। वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि 123.58 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 118.64 करोड़ रुपए) है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	नकदी	अभी नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	-	-	-
(ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा प्रयोजन के लिए	95.09 (106.88)	28.49 (11.76)	123.58 (118.64)
	कुल	95.09 (106.88)	28.49 (11.76)	123.58 (118.64)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

33. शिप या भुगतान शुल्क के प्रति कुछ ग्राहकों के संबंध में न्यायाधीन/विवाद होने के कारण, कंपनी वर्ष के अंत में दावा पत्र जारी कर रही है, जिसकी कुल राशि 1725.43 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 762.47 करोड़ रुपए) है। इसके संबंध में आय को मामले के अंतिम निपटान के रूप में माना जाएगा।

34. कम्पनी द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) के दिशानिर्देशों के अनुसार उर्वरक कंपनियों द्वारा गैर-विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एपीएम गैस के इस्तेमाल हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत चालान की वसूली के लिए कुछ ग्राहकों के संबंध में अदालत में लंबित मामलों को देखते हुए कंपनी ने एफआईसीसी द्वारा कंपनी को प्रदान की गई जानकारी के आधार पर 1975.62 करोड़ रुपए की राशि के दावा पत्र जारी किए हैं।

35. मूल्य निर्धारण और टैरिफ

(क) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल), जो आर-एलएनजी का आपूर्तिकर्ता है, कुछ मामलों पर अनंतिम आधार पर कंपनी को चालान प्रस्तुत कर रही है और इसे देखते हुए कंपनी अपने ग्राहकों को आर-एलएनजी की बिक्री के लिए अनंतिम चालान प्रस्तुत कर रही है। ऐसे अनंतिम चालानों में किसी भी परिवर्तन का प्रभाव लिया जाता है जब कभी इनका निपटान किया जाता है।

(ख) 1 अप्रैल, 2002 से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और यह अब तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित आयात समता कीमतों पर आधारित है। हालांकि, मूल्य निर्धारण तंत्र अनंतिम है और इसे अभी तक एमओपीएनजी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। मूल्य निर्धारण पर प्रभाव, यदि कोई हो, को मामले को अंतिम रूप देने पर मान्यता दी जाएगी।

(ग) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ तथा पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ समय-समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों के अधीन हैं। लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो, पर पीएनजीआरबी आदेशों के द्वारा पाइपलाइन के टैरिफ में संशोधन करके लगाता स्वीकार किया जा रहा है।

(घ) अपीलीय अधिकरण (एपीटेल) के निदेशों के अनुसार, पीएनजीआरबी ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू 06 (छह) अंतिम टैरिफ आदेश जारी किए हैं। कंपनी ने टैरिफ आदेशों में पीएनजीआरबी द्वारा किए गए विभिन्न संचालनों के खिलाफ अपीलीय अधिकरण (एपीटेल) से पहले अपील दायर की है। अग्रिम अपील निपटान के लिए लंबित हैं। इसके बावजूद, कंपनी ने इन आदेशों के अनुसरण में वर्ष के दौरान 360 करोड़ रुपए का शुद्ध राजस्व अर्जित किया है। अनंतिम आदेशों के संबंध में, पीएनजीआरबी ने अभी तक अपने अंतिम आदेश जारी नहीं किए हैं।

(ङ) पाइपलाइनों के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण पर पीएनजीआरबी के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाले माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से

पहले, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एक रिट याचिका दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त रिट याचिका को 11.04.2017 के अपने आदेश के अनुसार खारिज कर दिया है। इस संबंध में, कंपनी ने 12 मई 2017 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है।

36. उरान ट्रॉम्बे पाइपलाइन के लिए परिवहन प्रभार के संबंध में मामलों का निपटान होने तक, ओएनजीसी लिमिटेड की 188.3 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के लिए 222.14 करोड़ रुपए) और 186.13 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 171.65 करोड़ रुपए) संबंधित देनदार की राशि की देयता को चालू वित्त वर्ष के अंत तक जारी रखा गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी के साथ हुई बैठक में ओएनजीसी ने सहमति व्यक्त की है कि कंपनी द्वारा संबंधित ग्राहकों से धनराशि एकत्र होने के बाद ही उक्त पाइपलाइन के परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इसे देखते हुए, पिछले वर्ष किए गए प्रावधान को देखते हुए वर्ष के दौरान 171.65 करोड़ रुपए के उपरोक्त देनदारों की संदिग्ध वसूली को वापस ले लिया गया है।

37. भूमि एवं भवन

(क) फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के रूप में क्रमशः 26.14 करोड़ रुपए और 40.45 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 13.15 करोड़ रुपए और 18.29 करोड़ रुपए) अनंतिम आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

(ख) फ्रीहोल्ड (4.81 हेक्टेयर) और लीजहोल्ड (197.32 हेक्टेयर) भूमि के लिए क्रमशः 19.43 करोड़ रुपए और 36.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7.68 करोड़ रुपए और 16.96 करोड़ रुपए) का मालिकाना अधिकार कंपनी के नाम में अंतरित करना लंबित है। इसमें टिप्पणी सं.10 (अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां - गैर-वित्तीय) में 'पूर्व-भुगतान' के अंतर्गत दर्शाई गई पट्टा धारित भूमि की 9.39 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

(ग) एशियाड गांव, नई दिल्ली में 1.67 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.67 करोड़ रुपए) के दस आवासीय फ्लैटों का मालिकाना अधिकार अभी ओएनजीसी से गेल में अंतरित होना है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले के निपटान के लिए मंत्रिमंडल सचिव के पास भेजा है।

(घ) 'भवन' के निवल ब्लॉक के लिए 2.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.50 करोड़ रुपए) का निर्धारित मूल्य शामिल है जो उपयोग में है।

38. निर्धारित बकाया

(क) 21.80 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 20.40 करोड़ रुपए) (टिप्पणी सं. 9ख में दर्शाई गई है) के पन्ना मुक्ता ताप्ती (पीएमटी) संयुक्त उद्यम परिसंघ की शेष राशि को बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में निर्धारित बकाया के रूप में रखा जाता है। इसमें अर्जित ब्याज शामिल है, लेकिन यह 0.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.26 करोड़ रुपए) के कारण नहीं है। ब्याज से प्राप्त यह आय कंपनी की नहीं है और इसे आय नहीं माना जा सकता।

(ख) 'गैस पूल खाता' के कारण 268.56 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 927.87 करोड़ रुपए) (टिप्पणी सं.14 में दर्शाए गए अनुसार) की देयता कंपनी द्वारा एमओपीएनए के निर्देशों के अनुसार अभिरक्षक के रूप में रखी गई राशि को दर्शाती है। प्राप्त राशि बैंकों में अल्पावधि जमा राशि के रूप में निर्धारित निधि के रूप में रखी जाती है (टिप्पणी सं. 9ख में दर्शाए अनुसार)। इसमें ब्याज भी शामिल है लेकिन यह रु. 4.55 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 14.91 करोड़ रुपए) के कारण नहीं है। ब्याज से प्राप्त यह आय कंपनी की नहीं है और इसे आय नहीं माना जा सकता।

(ग) व्यापार प्राप्य (कुछ ग्राहकों के मामले में वर्ष के दौरान रिवर्सल के बाद) के अंतर्गत संबंधित डेबिट सहित 655.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 1,006.79 करोड़ रुपए) (टिप्पणी सं. 14 में दर्शाए अनुसार) 'अन्य दीर्घावधि देयताओं' के तहत गैस पूल धनराशि (अनंतिम) का ग्राहकों से राशि प्राप्त होने पर निवेश/भुगतान किया जाएगा।

(घ) पाइपलाइन बिछाने में अधिक समय लगना तथा अनिश्चित प्रभार के कारण 99.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 85.81 करोड़ रुपए) (टिप्पणी सं. 14 में दर्शाए गए अनुसार) की देयता कंपनी द्वारा पीएनजीआरबी के निर्देशों के अनुसार अभिरक्षक के रूप में रखी गई राशि दर्शाती है। प्राप्त

राशि बैंकों में अल्पावधि जमा राशि के रूप में निर्धारित निधि के रूप में रखी गई है (टिप्पणी सं. 9ख में दर्शाया गया है)। इसमें अर्जित ब्याज शामिल है लेकिन अल्पावधि जमा पर 3.82 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.93 करोड़ रुपए) देय नहीं है। ब्याज से प्राप्त यह आय कंपनी की नहीं है और इसे आय नहीं माना जा सकता।

39. कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) में 974.31 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश की है, जो 31 मार्च, 2017 को आरजीपीपीएल की प्रदत्त इक्विटी पूंजी 25.50% के बराबर है। आरजीपीपीएल 1 जनवरी 2016 से अपने एलएनजी कारोबार का विलय हटाकर अपने कारोबार का पुनर्गठन कर रही है। विलय हटाने की योजना को आरजीपीपीएल के बोर्ड, गेल और एनटीपीसी सहित सभी शेरधारकों, तथा अधिकांश ऋणदाताओं ने मंजूरी दे दी है, और 23 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली में अनुमोदन के लिए आवेदन दिया गया है। 'परिसंपत्तियों की हानि' पर इंड एएस 36 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए और उपरोक्त निवेश से 31 मार्च 2017 तक नुकसान होने वाली राशि का पता लगाने के लिए, कंपनी ने आरजीपीपीएल और अन्य शेरधारक एनटीपीसी लिमिटेड सहित आरजीपीपीएल की परिसंपत्तियों के नुकसान का अध्ययन किया था। उपरोक्त निवेश के मूल्य में नुकसान के आधार पर वर्ष के दौरान 783 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाभ और हानि विवरण में नुकसान की राशि को असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है।
40. गेल भारत सरकार के निर्णय के अनुसार यूरिया संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की पूलिंग हेतु पूल ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा है। इस योजना में उद्योग के लिए भारित औसत मूल्य की तुलना में प्रत्येक संयंत्र के भारित औसत मूल्य में अंतर के निपटान के जरिए यूरिया उत्पादन हेतु गैस की समान लागत पर विचार किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च 2017 तक, 78.34 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 604.27 करोड़ रुपए) यूरिया संयंत्रों से देय है और तदनुसार प्राय है। देय और प्राय राशि के समायोजन के बाद, वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
41. गेल भारत सरकार के निर्णय के अनुसार अधिसूचित गैस आधारित बिजली संयंत्रों के क्षमता उपयोग के लिए पूल ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा है। यह योजना 31 मार्च 2017 तक लागू थी, और इसमें भारत सरकार के विद्युत क्षेत्र विकास निधि (डीडीएफ) से विद्युत संयंत्रों को सहायता देने की परिकल्पना की गई है। गैस की आपूर्तियां अस्थायी/अनुमानित मूल्य पर आधारित थीं, जिन्हें वास्तविक लागत के आधार पर पुनः समायोजित किया जाना था। तदनुसार, वर्तमान देनदारियों में 31 मार्च 2017 को इस खाते में 87.63 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 510.89 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है जो उपरोक्त विद्युत संयंत्रों और/या भारत सरकार को देय है।
42. व्यापार प्राप्तियों (टिप्पणी सं. 6 में दर्शाया गया है) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) से 7 अक्टूबर 2005 को गैस ट्रांसमिशन समझौते के अनुसरण में वार्षिक अनुबंधित मात्रा (2010 से 2015 तक की अवधि) में कमी के लिए शिप या वेतन शुल्क के 255.36 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 255.36 करोड़ रुपए) शामिल हैं। 22 मार्च 2016 को आईओसीएल ने कंपनी के दावे को विवाद करार दिया है। इस मामले में कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, आईओसीएल द्वारा उठाए गए विवाद का कोई कारण नहीं है और इसलिए वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आईओसीएल ने 28 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सौहार्दपूर्ण समझौते का प्रस्ताव किया है। मामले का अंतिम निष्कर्ष समायोजन, यदि कोई हो, के आधार पर किया जाएगा।
43. पीएनजीआरबी ने 19.02.2014 को संबद्ध आचार संहिता में यह अधिसूचित किया था कि प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन दोनों में संलग्न इकाई दिनांक 31.03.2017 तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक अलग विधिक इकाई का सृजन करेगी, तथापि पहले उपयोग का अधिकार ऐसी इकाई की संबद्ध कंपनी के पास रहेगा। कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उक्त पीएनजीआरबी अधिसूचना को चुनौती दी गई है और मामला लंबित है।
44. कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से देय है। भारत

सरकार द्वारा वेतन संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने तक अनुमानित आधार पर सीपीएसई के लिए तीसरे वेतन संशोधन की सिफारिश के आधार पर 93.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

42. कर्मचारी लाभ पर इंड एएस 19 के तहत प्रकटीकरण निम्नानुसार दिया गया है:

I. अधिवर्षिता लाभ निधि (निश्चित अंशदान निधि)

कंपनी ने अधिवर्षिता लाभ निधि ट्रस्ट में अंशदान देने के लिए 55.83 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 65.66 करोड़ रुपए) की राशि का भुगतान किया है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया है।

II. भविष्य निधि

कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित नियत प्रतिशत पर भविष्य निधि ट्रस्ट में 54.98 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 53.23 करोड़ रुपए) का अंशदान दिया है तथा इसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया है। इसके अलावा, कंपनी का दायित्व भावी अवधि में व्याज की वैधानिक दर के आधार पर निधि परिसंपत्तियों में व्यापक कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करना है। वर्ष के दौरान, निधि में अधिशेष कंपनी की व्याज दर की गारंटी देयता से अधिक है, इसलिए कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार शून्य (पिछले वर्ष शून्य) के प्रावधान को उलट दिया है, और कंपनी द्वारा भावी अवधि में किसी भी मामूली कमी को पूरा करने के लिए शेष प्रावधान को मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत में भविष्य निधि ट्रस्ट को मुआवजा देकर पूरा किया जाएगा जोकि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

III. अन्य लाभ योजनाएं

क) उपदान:

सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। निविदा अवधि 5 वर्ष है और भुगतान 10 लाख रुपए तक सीमित है। तथापि, 01.01.2017 से लागू तीसरे वेतन संशोधन की सिफारिशों को देखते हुए, वर्ष के दौरान 20 लाख रुपए की बढ़ी हुई सीमा के लिए प्रावधान किया गया है। वास्तविक वितरण को उपरोक्त भुगतान संशोधन के संदर्भ में अंतिम आदेश के आधार पर बनाया जाएगा।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)

कंपनी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं में अंशदान देती है, जिसमें बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग किया जाता है। योजना के अंतर्गत पूर्व कर्मचारी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने एक अलग बैंक खाते में पीआरएमएस के लिए 248.99 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) निर्धारित किए हैं।

ग) अर्जित अवकाश लाभ (ईएल)

प्रति वर्ष 30 दिन। सेवा में रहते हुए संचित अर्जित अवकाश बकाया का 75% बशर्ते कि यह एक बार में अधिकतम 90 दिनों के लिए हो; बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी के खाते में 15 दिनों का न्यूनतम शेष हो। सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों की नकद राशि दी जाती है।

घ) टर्मिनल लाभ (टीबी)

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बस सकता है और वह स्थानांतरण यात्रा भत्ता लेने के लिए पात्र होता है।

ड.) अर्द्ध वेतन अवकाश (एचपीएल)

प्रति वर्ष 20 दिनों का संचय। अनुमोदित कंपनी नियम के अनुसार भी न गई एचपीएल के नकदीकरण की अनुमति दी जाती है।

च) दीर्घ सेवा पुरस्कार (एलएसए)

कंपनी के साथ विशिष्ट सेवा अवधि समाप्त होने पर और सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारियों को सेवा की अवधि के आधार पर अर्जित आर्थिक लाभ दिया जाता है।

निम्नलिखित तालिका में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता-प्राप्त निवल लाभ के घटकों को संक्षेप में दिया गया है।



(₹ करोड़ में)

	वित्त-पोषित उपदान		गैर वित्त-पोषित पीआरएमएस		गैर वित्त-पोषित ईएल		गैर वित्त-पोषित टर्मिनल लाभ		गैर वित्त-पोषित एचपीएल		गैर वित्त-पोषित एलएसए	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
क. लाभ और हानि लेखा के विवरण में मान्यता-प्राप्त व्यय												
वर्तमान सेवा लागत	38.28	37.46	17.36	11.35	49.81	21.06	0.57	0.75	10.83	12.48	0.87	1.50
विगत सेवा लागत	144.07	-	10.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभ बाध्यता पर ब्याज	10.80	10.72	16.35	15.38	15.75	16.75	0.84	0.74	12.05	11.31	1.39	1.37
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित आय	(10.60)	(10.79)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष में मान्यता-प्राप्त निवल वास्तविक (लाभ) / हानि	(19.32)	(37.35)	(12.92)	2.77	(15.13)	18.95	(0.93)	0.95	(10.48)	(0.63)	2.69	1.36
अन्य व्यापक आय	19.31	37.35	12.92	(2.77)								
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लाभ एवं हानि खाते में मान्यता-प्राप्त व्यय	182.54	37.39	44.57	26.73	50.43	56.76	0.48	2.44	12.40	23.16	4.95	4.23
ख. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का पुनः समायोजन और निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य												
31.03.2017 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	316.17	150.93	254.74	226.13	257.66	225.44	11.79	11.61	176.42	167.03	21.70	21.36
31.03.2017 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अंतर	153.08	145.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में मान्यता-प्राप्त निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(163.09)	(5.39)	(254.74)	(226.13)	(257.66)	(225.44)	(11.79)	(11.61)	(176.42)	(167.03)	(21.70)	(21.36)
ग. निश्चित लाभ बाध्यताओं में वर्तमान मूल्य में परिवर्तन का पुनः समायोजन												
01.04.2016 को बाध्यता का वर्तमान मूल्य	150.93	140.21	226.13	197.80	225.44	250.11	11.61	9.89	167.03	146.19	21.36	17.13
ब्याज लागत	10.80	10.72	16.35	15.38	15.75	16.75	0.84	0.74	12.05	11.31	1.39	1.37
वर्तमान सेवा लागत	38.28	37.46	17.36	11.35	49.81	21.06	0.57	0.75	10.83	12.48	0.87	1.50
विगत सेवा लागत	144.07	-	10.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(4.94)	(5.48)	(3.04)	(1.17)	(18.21)	(81.44)	(0.30)	(0.72)	(3.01)	(2.32)	(4.61)	-
बाध्यता संबंधी निवल वास्तविक लाभ / (हानि)	(22.97)	(31.98)	(12.92)	2.77	(15.13)	18.95	(0.93)	0.95	(10.48)	(0.63)	2.69	1.36
31.03.2017 को निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	316.17	150.93	254.74	226.13	257.66	225.44	11.79	11.61	176.42	167.03	21.70	21.36
घ. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन का पुनः समायोजन												
01.04.2016 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	145.54	134.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों का संभावित प्रतिलाभ	10.60	10.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान	5.53	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(4.94)	(5.48)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वास्तविक लाभ / (हानि)	(3.65)	5.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2017 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	153.08	145.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड. तुलन-पत्र तारीख को मूल वास्तविक अनुमान												
छूट दर	7.28%	7.80%	7.28%	7.80%	7.28%	7.80%	7.28%	7.80%	7.28%	7.80%	7.28%	7.80%
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	7.28%	8.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लागत में वार्षिक वृद्धि	-	-	10%	10%	-	-	10%	10%	-	-	10%	10%
वेतन में वार्षिक वृद्धि	10%	12%	-	-	10%	12%	-	-	10%	12%	-	-

च. अन्य प्रकटन

(i) तुलन-पत्र में मान्यता-प्राप्त निवल परिसंपत्ति / (देयता) (अनुभव समायोजन प्रभाव सहित)

उपदान	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
31.03.2017 को निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	316.17	150.93	140.21	128.36	123.05
31.03.2017 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य स्थिति {अधिशेष / (कमी)}	153.08 (163.09)	145.54 (5.39)	134.82 (5.38)	125.93 (2.43)	121.60 (1.43)
योजना परिसंपत्तियों का अनुभव समायोजन {लाभ / (हानि)}	(3.65)	4.02	2.05	3.35	5.62
बाध्यता का अनुभवजन्य समायोजन {लाभ / (हानि)}	(22.96)	(34.90)	(32.31)	31.18	20.12
पीआरएमएस	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
31.03.2017 को निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	254.74	226.13	197.80	73.76	55.21
बाध्यता का अनुभव समायोजन {लाभ / (हानि)}	(22.18)	(5.45)	87.17	(16.12)	(2.31)
अर्जित अवकाश	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
31.03.2017 को निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	257.66	225.44	250.11	230.52	202.18
बाध्यता का अनुभवजन्य समायोजन {लाभ / (हानि)}	(3.10)	12.64	(0.65)	(5.93)	(10.42)
टर्मिनल लाभ	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
31.03.2017 को निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	11.79	11.61	9.89	7.90	6.28
बाध्यता का अनुभवजन्य समायोजन {लाभ / (हानि)}	(0.88)	0.70	(0.30)	(0.94)	(0.05)
एचपीएल	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
31.03.2017 को निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	176.42	167.03	146.19	123.96	98.53
बाध्यता का अनुभवजन्य समायोजन {लाभ / (हानि)}	18.12	(4.39)	(5.59)	(9.06)	10.74
दीर्घ सेवा पुरस्कार	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
31.03.2017 को निश्चित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	21.70	21.36	17.13	13.13	11.21
बाध्यता का अनुभवजन्य समायोजन {लाभ / (हानि)}	1.87	(0.17)	(3.93)	(1.31)	(1.13)

(ii) लागत में वृद्धि/कमी का प्रभाव

उत्तर-चढ़ाव विश्लेषण	उपदान				पीआरएमएस			
	वित्त-पोषित				गैर-वित्त-पोषित			
	2016-17		2015-16		2016-17		2015-16	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (-/+ 0.5%)	301.54	331.96	143.81	158.61	235.46	274.95	206.29	248.49
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	-4.63%	5.00%	-4.71%	5.09%	-7.57%	7.93%	-8.77%	9.88%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	317.69	314.54	151.23	150.58	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	0.48%	-0.52%	0.20%	-0.23%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ह्रास दर (-/+ 0.5%)	316.41	315.93	151.21	150.64	254.85	254.65	226.24	226.03
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	0.07%	-0.07%	0.19%	-0.19%	0.04%	-0.04%	0.05%	-0.05%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	316.78	315.56	151.37	150.49	253.40	256.20	224.45	227.83
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	0.19%	-0.19%	0.29%	-0.29%	-0.53%	0.57%	-0.75%	0.75%



उत्तर-चढ़ाव विश्लेषण	अर्जित अवकाश				अर्द्ध वेतन छुट्टी			
	गैर-वित्त पोषित				गैर-वित्त पोषित			
	2016-17		2015-16		2016-17		2015-16	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (-/+ 0.5%)	241.48	275.46	210.09	242.38	167.59	185.95	157.87	176.96
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	-6.28%	6.90%	-6.80%	7.52%	-5.00%	5.40%	-5.48%	5.95%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	274.85	241.85	241.58	210.63	185.61	167.80	176.49	158.20
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	6.67%	-6.14%	7.16%	-6.57%	5.21%	-4.88%	5.66%	-5.29%
ह्रास दर (-/+ 0.5%)	257.53	257.80	225.14	225.74	176.86	175.97	167.45	166.61
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	-0.05%	0.05%	-0.13%	0.14%	0.25%	-0.25%	0.25%	-0.25%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	257.32	258.02	224.99	225.89	177.50	175.33	168.04	166.02
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	-0.14%	0.14%	-0.20%	0.20%	0.62%	-0.62%	0.60%	-0.60%

उत्तर-चढ़ाव विश्लेषण	आवधिक लाभ				दीर्घ सेवा पुरस्कार			
	गैर-वित्त पोषित				गैर-वित्त पोषित			
	2016-17		2015-16		2016-17		2015-16	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (-/+ 0.5%)	11.18	12.46	11.02	12.25	20.91	22.54	20.61	22.17
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	-5.21%	5.66%	-5.07%	5.50%	-3.63%	3.90%	-3.52%	3.77%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ह्रास दर (-/+ 0.5%)	11.79	11.79	11.61	11.62	21.65	21.74	21.33	21.40
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	-0.02%	0.02%	-0.02%	0.02%	-0.20%	0.20%	-0.14%	0.15%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	11.70	11.88	11.54	11.67	21.58	21.81	21.26	21.47
उत्तर-चढ़ाव के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन	-0.74%	0.74%	-0.49%	0.49%	-0.54%	0.54%	-0.05%	0.49%

(iii) उपदान ट्रस्ट की योजना परिसंपत्तियों के निवेश पैटर्न का ब्योरा

विवरण	(निवेश का प्रतिशत)	
	31 st मार्च 2017	31 st मार्च 2016
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	6.57	11.73
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	5.54	5.56
पीएसयू बांड	7.82	7.87
निजी बांड	0.31	0.34
बीमा निवेश	79.77	74.50
कुल	100.00	100.00

संदर्भित मृत्यु दर तालिका	आईएलएम 2006-2008 अंतिम	आईएलएम 2006-2008 अंतिम
	आयु	वापसी दर % (2015-16)
वापसी दर / कर्मचारी आवर्त दर	30 वर्ष तक	3%
	44 वर्ष तक	2%
	44 वर्ष से अधिक	1%

टिप्पणी:

- बीमांकिक मूल्यांकन भावी वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों के अनुमानों को ध्यान में रखता है।
- प्रबंधन ने बीमांकिक द्वारा आयोजित समग्र बीमांकिक मूल्यांकन पर भरोसा किया है।

46. 'उधार लागत' पर इंड एस 23 के अनुसार खुलासा:

वर्ष के दौरान प्रगति में पूंजीगत कार्य के लिए आर्बटित राशि सहित परिसंपत्ति में पूंजीगत उधार लागत 49.16 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 42.34 करोड़ रुपए) थी।

47. 'प्रचालन खंड' पर इंड एस 108 के अनुपालन में, कंपनी ने अपने व्यापारिक क्षेत्रों को अपने रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों के रूप में अपनाया है:

- ट्रांसमिशन सेवाएं

- क) प्राकृतिक गैस
- ख) एलपीजी
- (ii) प्राकृतिक गैस विपणन
- (iii) पेट्रोकेमिकल्स
- (iv) एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन
- (v) अन्य खंड (गेल टेल, ईएंडपी, और पॉवर उत्पादन)

कंपनी में कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

खंड-वार सूचना का खुलासा अनुलग्नक-क में दिया गया है।

- 48. 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' पर इंड एस 24 के अनुपालन में, संबंधित पक्षों के नाम, रिश्ते की प्रकृति और उनके साथ किए गए लेनदेन का विवरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है।
- 49. अन्य कंपनियों में 'हितों के प्रकटीकरण' पर इंड एस 112 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

क) सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी

क्र. सं.	कंपनियों का नाम	संबंध	स्वामित्व अनुपात		
			31 st मार्च 2017	31 st मार्च 2016	1 st अप्रैल 2015
1	गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड (जीजीएसपीएल)	सहायक कंपनी	100%	100%	100%
2	गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक (जीजीयूआई)	सहायक कंपनी	100%	100%	100%
3	गेल गैस लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	100%	100%
4	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल)	सहायक कंपनी	48.98%	48.98%	48.98%
5	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल)	संयुक्त उद्यम	25.00%	25.00%	25.00%
6	ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल)	संयुक्त उद्यम	49.97%	49.97%	49.97%
7	रत्नागिरी गैस एंड पॉवर (प्राइवेट) लिमिटेड (आरजीपीपीएल)	संयुक्त उद्यम	25.50%	25.50%	28.91%
8	ओएनजीसी पेट्रो-एडिशन लिमिटेड (ओपाल)	संयुक्त उद्यम	49.21%	49.21%	49.21%
9	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)	संयुक्त उद्यम	22.50%	22.50%	23.68%
10	अवंतिका गैस लिमिटेड (एजीएल)	संयुक्त उद्यम	49.97%	49.97%	49.97%
11	भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीएल)	संयुक्त उद्यम	49.97%	49.97%	49.97%
12	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल)	संयुक्त उद्यम	30.00%	30.00%	-
13	तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल)	संयुक्त उद्यम	5.00%	25.00%	25.00%
14	वडोदरा गैस लिमिटेड (वीजीएल)	संयुक्त उद्यम	50.00%	50.00%	50.00%
15	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)	सहयोगी कंपनी	22.50%	22.50%	22.50%
16	पेट्रोनेट एनएनजी लिमिटेड (पीएलएल)	सहयोगी कंपनी	12.50%	12.50%	12.50%
17	महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल)	सहयोगी कंपनी	32.50%	49.75%	49.75%
18	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल)	सहयोगी कंपनी	70.74%	70.00%	67.56%
19	गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड (जीएसईजी)	सहयोगी कंपनी	5.96%	5.96%	5.96%
20	फेयम गैस कंपनी एस.ए.ई.	सहयोगी कंपनी	19.00%	19.00%	19.00%
21	नेशनल गैस कंपनी एस.ए.ई. (नेट गैस)	सहयोगी कंपनी	5.00%	15.00%	15.00%
22	चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	सहयोगी कंपनी	3.02%	2.99%	2.99%

इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखा-परीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपर्युक्त सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी के संबंध में

वर्ष के लिए परिसंपत्ति और देनदारियों में आय एवं व्यय में कंपनी का हिस्सा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2015-16
क.	तुलन-पत्र का सार		
	परिसंपत्तियां		
	गैर-चालू परिसंपत्तियां	27,648.22	27,091.81
	वर्तमान परिसंपत्तियां	3,754.25	2,540.48
	कुल	31,402.47	29,632.28
ख.	देनदारियां और प्रावधान		
	गैर-चालू देनदारियां	17,322.08	15,427.68
	चालू देनदारियां और प्रावधान	9,623.36	14,341.62
	कुल	26,945.44	29,769.30
ख.	लाभ और हानि लेखा का सार		
	आय	13,420.56	10,732.51
	व्यय	14,206.64	10,512.30
ग.	आकस्मिक देयताएं (*)	7,723.08	6,202.09

(*) कंपनी में उपलब्ध सूचना के अनुसार



ख) संयुक्त नियंत्रित परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

i) कंपनी के 10 ब्लॉकों में (पिछले वर्ष: 12 ब्लॉक) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत प्रस्तावित ब्लॉक में भागीदारी हित है जिसके लिए कंपनी ने अन्य भागीदारों के साथ-साथ संबंधित मेजबान सरकारों के साथ उत्पादन साझेदारी अनुबंध किया है। तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए कंपनी ब्लॉक-सीबी-ओएनएन-2010/11, जिसमें यह ऑपरेटर है, को छोड़कर नॉन-ऑपरेटर है। कंपनी द्वारा व्यय, आय, परिसंपत्तियों और देनदारियों को संबंधित ब्लॉकों के उत्पादन साझेदारी अनुबंध (अनुबंधों) में अपनी भागीदारी के आधार पर साझा किया जाता है।

भारत में दस एनईएलपी ब्लॉकों में भागीदारी हित चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक निम्न प्रकार हैं:

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	भागीदारी हित
1	एमएन-ओएसएन-2000/2	20%
2	सीबी-ओएनएन-2000/1	50%
3	एए-ओएनएन-2002/1	80%
4	सीबी-ओएनएन-2003/2	20%
5	एएन-डीडब्ल्यू-2003/2	15%
6	सीबी-ओएनएन-2000/1-रिंग फेंसड संविदा	50%
7	सीबी-ओएनएन-2010/11	25%
8	एए-ओएनएन-2010/2	20%
9	जीके-ओएसएन-2010/1	10%
10	सीबी-ओएनएन-2010/8	25%

ii) उपर्युक्त के अलावा, कंपनी ने निम्नलिखित ब्लॉकों में गैर-ऑपरेटर के रूप में कार्य किया है:

सं.	ब्लॉक का नाम	भागीदारी हित
1	ए-1, म्यांमार*	8.5%
2.	ए-3, म्यांमार*	8.5%
3.	सीवाई-ओएस/2	25%

* इसके अलावा, कंपनी के म्यांमार में एसएचडब्ल्यूई अपतटीय मिडस्ट्रीम पाइपलाइन परियोजना में 8.5% भागीदारी हित है, जोकि अपतट, म्यांमार के सुपुर्दगी स्थल से म्यांमार में भूमि स्थल तक गैस के परिवहन के लिए है।

iii) संयुक्त संचालन परियोजना ब्लॉकों के संबंध में वर्ष के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय एवं व्यय में कंपनी का हिस्सा कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जो ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है और नीचे दिए गए हैं: (अंतिम समायोजन उस वर्ष के दौरान लागू होते हैं जिसमें लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त होते हैं):

विवरण	2016-17	2015-16
आय	615.68	752.59
व्यय	466.37	502.01
नियत परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक)	208.52	207.95
उत्पादक परिसंपत्ति (सकल ब्लॉक)	1,064.02	1,066.51
अन्य परिसंपत्तियां	338.24	390.01
देयताएं	141.39	123.60

उपर्युक्त मूल्य में 31 मार्च, 2017 (31 मार्च, 2016 तक जारी किए गए 30 ब्लॉकों सहित) को छोड़कर 32 ईएंडपी ब्लॉकों से संबंधित निम्नलिखित राशि शामिल हैं, जहां कंपनी नॉन-ऑपरेटर है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
आय	-	-
व्यय	29.09	2.48
नियत परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक)	0.01	0.01
अन्य परिसंपत्तियां	0.70	6.17
देयताएं	23.01	25.37

iv) कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रचालित ईएंडपी ब्लॉक का त्याग कर दिया है:

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	भागीदारी हित	त्यागने की तारीख
1	सीवाई-ओएनएन-2005/1	40%	02.06.2016
2	जीके-ओएसएन-2010/2	10%	09.11.2016

v) ईएंडपी संयुक्त उपक्रमों के संबंध में विभिन्न उत्पादन हिस्सेदारी अनुबंध के अंतर्गत प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य योजना का हिस्सा 174.64 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 361.30 करोड़ रुपए) है।

vi) **मात्रात्मक जानकारी:**

क) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के शेयर का विवरण:

i) कूड ऑयल ब्लॉक नं. सीवी-ओएनएन-2000/1 और सीवी-ओएनएन-2003/2:

विवरण	प्रारंभिक स्टॉक		उत्पादन (उपचारित और प्रोसेस्ड कच्चा तेल)		बिक्री*		अंतिम स्टॉक	
	मात्रा (मी.टन)	मूल्य ₹ करोड	मात्रा (मी.टन)	मूल्य	मात्रा (मी.टन)	मूल्य ₹ करोड	मात्रा (मी.टन)	मूल्य ₹ करोड
कच्चा तेल								
31/03/17 को समाप्त वर्ष	746.70	0.73	16503.21	-	16522.99	34.28	726.91	0.68
31/03/16 को समाप्त वर्ष	750.71	0.96	18306.42	-	18310.43	35.06	746.70	0.73

*0.07 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.19 करोड़ रुपए) के लिए परीक्षण उत्पादन बिक्री शामिल है।

ii) प्राकृतिक गैस ब्लॉक नं. ए1 और ए3 (म्यांमार)

विवरण	प्रारंभिक स्टॉक		उत्पादन		बिक्री		अंतिम स्टॉक	
	मात्रा (मिलियम एम3)	मूल्य ₹ करोड	मात्रा (मिलियम एम3)	मूल्य	मात्रा (मिलियम एम3)	मूल्य ₹ करोड	मात्रा (मिलियम एम3)	मूल्य ₹ करोड
प्राकृतिक गैस								
31/03/17 को समाप्त वर्ष	0.57	0.28	421.25	-	414.33	504.44	0.55	0.24
31/03/16 को समाप्त वर्ष	0.510	0.27	438.08	-	438.02	622.14	0.57	0.28

ख) प्रमाणित रिजर्व तथा प्रमाणित विकसित रिजर्व में कंपनी के ब्याज की निवल मात्रा:

विवरण	प्रमाणित रिजर्व		प्रमाणित विकसित रिजर्व	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
कच्चा तेल : 000' मी.टन				
वर्ष के प्रारंभ में	125.62	145.44	125.61	145.43
वृद्धि	21.37	-	0.88	-
कमी	-	-	-	-
उत्पादन	18.10	19.82	18.10	19.82
अंतिम शेष	128.89	125.62	108.39	125.61
प्राकृतिक गैस: मिलियन एम3 में				
क) म्यांमार				
वर्ष के प्रारंभ में	5,342.40	5,787.88	4,943.40	5,388.88
वृद्धि	-	-	-	-
कमी	-	-	-	-
उत्पादन	421.25	445.48	421.25	445.48
अंतिम बकाया	4,921.15	5,342.40	4,522.15	4,943.40
ख) भारत				
वर्ष के प्रारंभ में	1,462.25	1,609.52	-	-
वृद्धि	-	-	-	-
कमी*	-	147.27	-	-
उत्पादन	-	-	-	-
अंतिम शेष	1,462.25	1,462.25	-	-
अंतिम शेष कुल (क+ख)	6,383.40	6,804.65	4,522.15	4,943.40

*हाइड्रोकार्बन महानिदेशक द्वारा क्षेत्रीय विकास योजना के अनुमोदन के अनुसार



टिप्पणियाँ:

- ईएंडपी ब्लॉकों में कंपनी नॉन-ऑपरेटिंग भागीदार हैं जिसके लिए रिजर्व का खुलासा किया गया है।
- प्रारंभिक तेल और गैस रिजर्व मूल्यांकन ईएंडपी ब्लॉक के संबंधित ऑपरटर द्वारा विशेषज्ञ तृतीय पक्ष एजेंसी/आंतरिक विशेषज्ञ मूल्यांकन के माध्यम से किया गया था। वर्ष के अंत में तेल भंडार का आकलन ऑपरटर से प्राप्त सूचना/वर्ष के दौरान कमी के आधार पर किया जाता है। जब कभी संबंधित ब्लॉक में नए महत्वपूर्ण डेटा या हाइड्रोकार्बन की खोज होती है, संबंधित ऑपरटर द्वारा तेल और गैस के भंडार का पुनः आकलन किया जाता है।
- वर्ष 2016-17 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का कंपनी का हिस्सा 1,28,836 बैरल है (पिछले वर्ष 1,45,613 बैरल)।
- ईएंडपी ब्लॉक का व्यक्तिगत रूप से हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है।
- बकाया लागत वसूली का कंपनी का हिस्सा 970.92 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1,196.56 करोड़ रुपए) है जिसे उत्पादन हिस्सेदारी अनुबंध के अनुसार प्रमाणित रिजर्व वाले ईएंडपी ब्लॉकों से प्राप्त भावी राजस्व से वसूला जाएगा।

50. तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) गैस पाइपलाइन का निर्माण, संचालन और रख-रखाव करने के लिए नवंबर, 2014 में कंपनी के एक संयुक्त उद्यम तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) को शामिल किया गया था। वर्तमान में गेल में टीपीसीएल में शून्य मूल्य के 25 इक्विटी शेयर हैं, जैसा कि टिप्पणी सं. 5(ख) 10 में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2017 के अनुसार, गेल ने उपर्युक्त परियोजना के परियोजना-पूर्व व्यय के लिए 26.87 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया है जो 4.15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पिछले वर्ष 9.17 करोड़ रुपए, अर्थात् 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर) के बराबर है। यह राशि टिप्पणी सं. 5(ख) 11 में इक्विटी के खिलाफ अग्रिम के रूप में दर्शाई गई है।

51. कंपनी, दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (एसईएजीपी) में 4.1735% की इक्विटी शेयरधारक है। नवंबर 2010 से अप्रैल 2012 की अवधि के दौरान कंपनी ने इक्विटी अंशदान के लिए एसईएजीपी में 22,536,899 अमरीकी डॉलर जमा कराए हैं। इसमें से, एसईएजीपी ने गेल को 8347 अमरीकी डॉलर के अंकित मूल्य के 8347 अमरीकी डॉलर शेयर जारी किए हैं और 22,558,552 अमरीकी डॉलर की शेष राशि को कंपनी के बही खातों में इक्विटी के समक्ष अग्रिम के रूप में दर्शाई गई है। सीईएजीपी के 31 मार्च 2016 को उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित खातों के अनुसार, इक्विटी की तुलना में अग्रिम राशि आरक्षित, ब्याज मुक्त है और इसकी चुकौती नहीं की जा सकती है। इस राशि को टिप्पणी सं. 5(घ) में अन्य निवेश के रूप में दर्शाया गया है।

52. 489.31 करोड़ रुपए (निवल व्यय) (पिछले वर्ष शून्य) की असाधारण मद, महानगर गैस लिमिटेड (एक संबद्ध कंपनी) के 1,23,47,250 इक्विटी शेयरों के आंशिक ऑफ लोड से दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ को दर्शाती है जिसे जून 2016 में प्रारंभिक पब्लिक प्रस्ताव के जरिए टिप्पणी सं. 5(ग) 3 में दर्शाया गया है।

53. परिसंपत्ति के नुकसान पर इंड एस 36 के अनुपालन में, कंपनी ने 31.03.2017 को अपनी निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में हानि का आकलन किया है:

- वर्ष के दौरान कंपनी को गेल टेल की परिसंपत्ति के संबंध में 0.40 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष - 0.14 करोड़ रुपए) की निवल हानि हुई है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में हानि के रूप में दर्शाया गया है।
- वर्ष के दौरान कंपनी को अप्रयुक्त समर्पित पाइपलाइनों के संबंध में 6.82 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7.91 करोड़ रुपए) की निवल हानि हुई है और

इसे लाभ एवं हानि विवरण में नुकसान के रूप में दर्शाया गया है।

- समृद्ध फीड गैस की अनुपलब्धता के कारण 16 जुलाई 2014 से गैस प्रोसेसिंग यूनिट, उसर के संबंध में कंपनी के प्रबंधन द्वारा किसी हानि को आवश्यक नहीं माना गया था। प्रबंधन ने भविष्य में समृद्ध फीड गैस की उपलब्धता होने तक संयंत्र को संरक्षण मोड में रखने का निर्णय लिया है।
- वर्ष के दौरान कंपनी ने फेयम गैस कंपनी एस.ए.ई, मिन्न में निवेश के मूल्य में से 5.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की क्षति प्रदान की है।
- वर्ष के दौरान कंपनी ने रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) में निवेश के मूल्य में से 783 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की क्षति प्रदान की है, जैसा कि टिप्पणी सं. 5(ख)1 में दर्शाया गया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 788.04 करोड़ रुपए की उपर्युक्त कुल राशि को लाभ एवं हानि विवरण में असाधारण मद के रूप में दर्शाया है।

54. 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों' पर इंड एस 37 के अनुपालन में, संभावित दायित्व के प्रावधान के बारे में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जमा (ओसीआई सहित)	वर्ष के दौरान परिवर्तन / समायोजित (ओसीआई सहित)	अंतिम शेष
प्रत्यक्ष कर	785.40	1302.94	729.14	1359.20
आस्थगित कर	4071.38	584.53	-	4655.91
अप्रत्यक्ष कर	205.87	79.77	-	285.64
कर्मचारी लाभ	651.58	282.75	61.50	872.83
कानूनी और मध्यस्थ मामले	292.00	82.16	20.18	353.98

55. विदेशी मुद्रा प्रकटन व्युत्पन्न साधन या अन्यथा द्वारा बाधित नहीं होगी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मुद्रा	राशि	
		31.03.2017	31.03.2016
उधार, जिसमें प्रोद्भूत ब्याज शामिल है लेकिन जो देय नहीं है।	अमेरिकी डॉलर	62.08*	88*
	यूरो	-	-
	अन्य	-	-
व्यापार देयताएं/जमा और प्रतिधारण धन	अमेरिकी डॉलर	295.28	588.92
	यूरो	30.94	35.09
	अन्य	9.53	10.96
व्यापार/अन्य प्राप्तियां और बैंक बकाया	अमेरिकी डॉलर	130.94	100.91
	यूरो	-	-
	अन्य	0.26	0.44
संविदाओं की निष्पादित होने वाली अप्रत्याशित राशि	अमेरिकी डॉलर	431.75	83.59
	यूरो	37.66	5.30
	अन्य	16.66	5.08

*वह राशि शामिल नहीं है जो विदेशी मुद्रा प्रवाह के खिलाफ बाधा हो।

56. कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा का विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत शामिल है।

क. किए गए निवेश और दिए गए ऋण को संबंधित टिप्पणी सं. 5 और 7 के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ख. मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण के संबंध में कंपनी द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
1	गेल गैस लिमिटेड	-	118.00
2	गेल ग्लोबल (अमेरिका) इंक	745.90	762.66
3	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	802.34	802.34
4	गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लि.	654.30	669.00

ग. कंपनी द्वारा कोई सुरक्षा राशि प्रदान नहीं की गई है।

57. दिनांक 31.03.2017 तक 561.80 करोड़ रुपए की पुनः गैसीकरण क्षमता की बुकिंग के लिए पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) को ब्याज-मुक्त अग्रिम दिया गया है (पिछले वर्ष 561.80 करोड़ रुपए)। पीएलएल के विनियामक चालान के खिलाफ उक्त अग्रिम को 15 वर्षों के अंदर समायोजित किया जाना है। उपरोक्त अग्रिम में, पीएलएल ने अक्टूबर 16 से मार्च 17 तक 9.55 करोड़ रुपए का समायोजन किया है। 552.25 करोड़ रुपए की शेष राशि (पिछले वर्ष 561.80 करोड़ रुपए) को टिप्पणी सं.10 में अग्रिम रूप में अग्रेनीत किया गया है।
58. कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड (जीजीएसपीएल) को दिए गए 7,500,000 अमेरिकी डॉलर के बकाया ऋण में से वर्ष के दौरान 5,000,000 अमेरिकी डॉलर को सममूल्य पर प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर के 5,000,000 इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है।
59. ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट गारंटियों के संबंध में, कंपनी ने दावा किया है कि इन गारंटियों का उचित मूल्य शून्य है क्योंकि लाभार्थी कंपनियों को ऋणदाता द्वारा ब्याज दर में कोई छूट नहीं दी गई है।
60. कुछ मामलों में, कंपनी 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से अपनी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त कर चुकी है। नियम के अनुसार, सभी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान 7-10 दिनों के भीतर किया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में सभी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि 33.28 करोड़ रुपए है। अधिनियम के अंतर्गत विलंब के लिए कोई ब्याज या भुगतान नहीं किया गया था।
61. 21 सितंबर 2016 को हुई बैठक में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने अनुमानित पूंजीगत लागत के 40% पूंजी अनुदान को मंजूरी दी है, जो कि 12,940 करोड़ रुपए है, अर्थात् कंपनी को जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के

निष्पादन के लिए 5,176 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त खाते में पूंजीगत अनुदान के लिए 450 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं।

62. इस वर्ष के दौरान कंपनी ने कर्मचारियों (मूर्त परिसंपत्तियों) के उपयोग के लिए प्रदान किए गए फर्नीचर और बिजली के उपकरण के मूल्य में मूल्यहास की अनुमानित उपयोगी आयु को 7 वर्ष से 6 वर्ष में बदल दिया है और तदनुसार अवशिष्ट मूल्य का मूल्यहास किया गया है। तथापि, इस परिवर्तन का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई सामग्री प्रभाव नहीं पड़ा है।
63. सेबी की सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकता (एलओडीआर) के विनियमन 34(3) और 53(ड.) के अनुपालन में अपेक्षित सूचना अनुबंध-ग में दी गई है।
64. **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

कंपनी प्राकृतिक व्यवसाय के जोखिम से उत्पन्न विभिन्न वित्तीय जोखिमों के साथ-साथ वस्तु की कीमतें, विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दरों से संबंधित बाजार जोखिमय ऋण जोखिम और तरलता जोखिम सहित वित्तीय साधनों के उपयोग के साथ-साथ उजागर होती हैं।

क. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें बाजार की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण भावी नकद प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव हो जाता है। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार, जमा, तथा व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दर में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होता है। बाजार की ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। बाजार में ब्याज दर जोखिम को उपयुक्त व्युत्पन्न और उत्पादों के माध्यम से कांट-छांट दिया जाता है, जैसे कि ब्याज दर स्वैप और पूर्ण मुद्रा स्वैप, जिसमें यह विनिर्दिष्ट अंतराल पर, स्थायी और परिवर्तनीय दर ब्याज के बीच के अंतर के लिए सहमत मूल प्रधान राशि के आदान-प्रदान हेतु सहमति देता है।

ब्याज दर उतार-चढ़ाव

स्वैप अनुबंधों के प्रभाव पर विचार करने के बाद, विदेशी मुद्रा ऋण और उधार की फ्लोटिंग दर हिस्से पर ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के लिए निम्न तालिका उतार-चढ़ाव को दर्शाती है:-

विवरण	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016		
	अमेरिकी डॉलर (लिबोर)		अन्य	अमेरिकी डॉलर (लिबोर)		अन्य
वृद्धि / कमी (आधार बिंदु में)	+10	-10	शून्य	10	-10	शून्य
कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	-0.49	0.49		-1.43	1.43	

*लिबोर—लंदन इंटरबैंक प्रस्ताव दर

अन्य सभी परिवर्तनों के स्थिर होने पर, निम्न तालिका कॉर्पोरेट लिंकड जमा योजना (सीएलटीडी) पर ब्याज दरों में पर्याप्त संभव परिवर्तन के उतार-चढ़ाव को दर्शाती है:-

विवरण	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016		
	₹ (मिबोर)		अन्य	₹ (मिबोर)		अन्य
वृद्धि / कमी (मिबोर)	+100	-100	शून्य	+100	-100	शून्य
कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	1.36	-1.36		+0.25	-0.25	

*मिबोर—मुंबई इंटरबैंक प्रस्ताव दर



ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में होने वाले बदलावों के कारण वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होता है। कंपनी स्थानीय मुद्रा में और विदेशी मुद्रा में, मुख्यतः अमेरिकी डॉलर में व्यापार करती है। कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा व्यापार का भुगतान और प्राप्तियां प्राप्त की हैं और इसलिए उसे विदेशी मुद्रा जोखिम हो सकता है। अपने बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को साधारण व्युत्पन्न उत्पादों जैसेकि विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंध, स्वैप अनुबंध या ऐसे जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए

भावी अनुबंधों के माध्यम से कम कर सकती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों की अंतर्निहित अनुबंध की आवश्यकता और कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग परिपक्वता हो सकती है।

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव

निम्न तालिका कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अमेरिकी डालर, यूरो और अन्य मुद्राओं में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, जबकि अन्य सभी परिवर्तन स्थिर हैं। कंपनी के कर पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक परिसंपत्ति के उचित मूल्य और विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न सहित देनदारियों में परिवर्तन के कारण है।

विवरण	31 मार्च 2017				31 मार्च 2016			
	अमेरिकी डॉलर		अन्य मुद्रा		अमेरिकी डॉलर		अन्य मुद्रा	
विनिमय दर में वृद्धि/कमी (%)	1%	-1%	1%	-1%	1%	-1%	1%	-1%
कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	-45.62	45.62	-1.86	1.86	-63.65	63.65	-2.22	2.22

ग. वस्तु मूल्य जोखिम

कंपनी विपणन और अपनी आंतरिक खपत के आधार पर एलएनजी का आयात करती है तथा भारत में ग्राहकों को कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव के बैक टू बैक प्रभाव से बचा कर रखा जाता है। हालांकि, आयातित मात्रा का एक हिस्सा बैक टू बैक आधार पर अनुबंधित नहीं होता। चूंकि अधिकतर एलएनजी खरीद अनुबंध की कीमतें कच्चा तेल आधारित सूचकांक पर आधारित हैं, इसलिए कंपनी कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है। इस क्रूड लिंकड कीमत जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'प्राकृतिक गैस मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति' के अनुरूप उचित व्युत्पन्न उत्पाद ले रही है।

31 मार्च 2017 को, मुक्त व्युत्पन्न अनुबंध के संबंध में कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है।

घ. इक्विटी मूल्य जोखिम

कंपनी के सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी निवेश इन निवेशों के भावी मूल्यों के बारे में अनिश्चितता से उत्पन्न बाजार मूल्य जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। कंपनी नियमित आधार पर कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निवेश की समीक्षा के माध्यम से इक्विटी मूल्य जोखिम का प्रबंधन करती

है। कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी के सभी इक्विटी निवेश निर्णयों की समीक्षा करता है और स्वीकृति प्रदान करता है।

किसी सूचित तारीख को, उचित मूल्य पर सूचीबद्ध न किया गया इक्विटी निवेश 293.76 करोड़ (पिछले वर्ष 301.79 करोड़ रुपए) था।

सूचित तारीख को, उचित मूल्य पर सूचीबद्ध इक्विटी निवेश का जोखिम 5712.87 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4419.89 करोड़ रुपए) था। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इक्विटी निवेश के शेयर मूल्य में (+/-) 10% की विविधता ओसीआई पर लगभग (+/-) 571 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 442 करोड़ रुपए) और कंपनी के इक्विटी निवेश पर लगभग का प्रभाव हो सकता है। इन परिवर्तनों का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. नकदी जोखिम

नकदी वह जोखिम है जिसमें कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कंपनी का उद्देश्य नकदी और अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। कंपनी अपनी नकदी की स्थिति पर नजर रखती है और एक सुदृढ़ नकद प्रबंधन प्रणाली स्थापित करती है। यह अपनी अल्पावधि और दीर्घकालिक निधि आवश्यकताओं जैसे ओवरड्राफ्ट सुविधा और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के माध्यम से दीर्घकालिक उधार लेने के वित्तपोषण के पर्याप्त स्रोत भी रखता है।

नकदी जोखिम – 31.03.2017 के अनुसार परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण	मांग पर	3 माह से कम	3 से 12 माह	>1 से 5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
उधार (गैर-चालू) #	-	-	-	2652.22	391.20	3043.42
उधार (चालू) #	-	235.97	1837.86	-	-	2073.83
उधार पर ब्याज##	-	126.47	239.72	499.82	62.95	928.96
व्यापार देयताएं	-	2716.01	-	-	-	2,716.01
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)	-	1744.48	-	-	-	1744.48
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर-चालू)	-	-	-	609.45	-	609.45
कुल	-	4822.93	2077.58	3761.49	454.15	11116.15

उधार में व्युत्पन्न अनुबंधों का प्रभाव शामिल है।

इसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन यह 31.03.2017 को देय नहीं है बल्कि इसके ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा।

नकदी जोखिम - 31.03.2016 के अनुसार परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण	मांग पर	3 माह से कम	3 से 12 माह	>1 से 5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
उधार (गैर-चालू) #	-	-	-	4863.65	604.87	5468.52
उधार (चालू) #	-	190.43	2126.37	-	-	2316.80
उधार पर ब्याज ##	-	199.45	309.60	873.15	110.98	1493.18
भुगतान योग्य व्यापार	-	2,861.60	-	-	-	2,861.60
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)	-	1776.13	565.19	-	-	2341.32
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर-चालू)	-	-	-	936.19	-	936.19
कुल	-	5027.61	3001.16	6672.99	715.85	15417.61

उधार में व्युत्पन्न अनुबंधों का प्रभाव शामिल है।

इसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन यह 31.03.2016 को देय नहीं है बल्कि इसके ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा।

नकदी जोखिम - 01.04.2015 के अनुसार परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण	मांग पर	3 माह से कम	3 से 12 माह	>1 से 5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
उधार (गैर-चालू) #	-	-	-	6573.13	1033.06	7606.19
उधार (चालू) #	-	421.69	1213.50	-	-	1635.19
उधार पर ब्याज ##	-	220.66	399.05	1283.71	194.31	2097.73
भुगतान योग्य व्यापार	-	3,320.48	-	-	-	3,320.48
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)	-	1,410.91	610.79	-	-	2,021.70
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर-चालू)	-	-	-	2103.02	-	2103.02
कुल	-	5373.74	2223.34	9959.86	1227.37	18784.31

उधार में व्युत्पन्न अनुबंधों का प्रभाव शामिल है।

इसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन यह 01.04.2015 को देय नहीं है बल्कि इसके ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा।

3. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन का कोई ग्राहक या प्रतिपक्ष निष्पादन करने में असफल हो जाता है या देय भुगतान करने में असफल हो जाता है, जिसके कारण कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है जो नकदी और नकद समकक्ष, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और वित्तीय संस्थाओं के पास जमा राशि और मुख्य रूप से बकाया प्राप्तियों से संबंधित ग्राहकों को ऋण जोखिम से होता है। कंपनियों द्वारा जारी गारंटियों के संबंध में ऋण जोखिम भी विद्यमान रहता है। प्रत्येक खंड अपने स्वयं के ऋण जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है। व्यापार करने के

जोखिम-प्रतिफल बकाया के भाग को ऋण जोखिम माना जाता है। किसी भी व्यवसाय अनुबंध में प्रवेश करने पर कंपनी द्वारा जोखिम को ऋण जोखिम के रूप में उजागर किया जाता है।

व्यापार प्राप्ति योग्य

ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित प्रत्येक व्यवसाय यूनिट द्वारा किया जाता है। बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। प्रमुख ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हानि विश्लेषण किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	न विगत में देय और न ही क्षति	विगत में देय लेकिन क्षति नहीं				कुल
		30 दिन से कम	30 से 60 दिन	60 से 90 दिन	90 दिन से अधिक	
31 मार्च 2017 को	2,259.71	153.46	311.37	-	1,103.66	3,828.20
31 मार्च 2016 को	2,246.79	152.57	309.60	-	1,100.58	3,809.54
01 अप्रैल 2015 को	2,551.35	173.27	351.56	-	2,395.56	5,471.74



संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

निम्नलिखित तालिका में व्यापार प्राप्तियों के लिए संदिग्ध लेखाओं के भत्तों में परिवर्तन को संक्षेप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
वर्ष का प्रारंभ	797.63	629.83
क्षति के लिए प्रावधान		
गैर-संग्रह के रूप में वर्ष के दौरान बट्टे खाते में खाली गई प्राप्तियां	-94.12	167.80
वापिस की गई अप्रयुक्त राशि		
वर्ष की समाप्ति	703.52	797.63

वित्तीय साधन और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में तुलन-पत्र से ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी के निधि विभाग द्वारा प्रबंधित अधिशेष निधि और विदेशी मुद्रा लेनदेन के उद्देश्य से अपने पैनलबद्ध बैंक की अनुमोदित सीमा के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन और अधिशेष निधियों का निवेश केवल पैनलबद्ध बैंकों के साथ किया जाता है। सभी बैंकों की ऋण सीमाओं की प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

4. पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में निर्गम पूंजी और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अपने व्यवसाय का समर्थन करने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए ठोस ऋण दर और उचित पूंजी अनुपात बनाए रखे।

कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करती है। पूंजी ढांचे को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी

शेयरधारकों के लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

65. लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य माप

मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य निर्धारित करने और प्रकट करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजित) कीमतें

स्तर 2: अन्य तकनीकें, जिनके लिए सभी इनपुट, जिनका दर्ज किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता हो।

स्तर 3: ऐसी तकनीकें जो इनपुट का उपयोग करती हैं, जिनका दर्ज किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा पर आधारित न हो।

31 मार्च 2017 को कंपनी ने वित्तीय स्थिति के विवरण पर उचित मूल्य पर किए गए निम्नलिखित वित्तीय साधनों का पालन किया था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अग्रेनीत राशि	उचित मूल्य		
	31 मार्च 2017	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :				
गैर-चालू				
व्यापार प्राप्तियां	1103.66	-	-	-
ऋण और प्राप्तियां	619.21	-	-	-
निवेश	3503.01	-	-	-
चालू				
व्यापार प्राप्तियां	2724.54	-	-	-
ऋण और प्राप्तियां	752.83	-	-	-
निवेश	-	-	-	-
नकद और नकद समकक्ष	451.88	-	-	-
निर्धारित बैंक जमा	889.97	-	-	-
लाभ और हानि खाते के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	6.87	-	6.87	-
चालू				
व्युत्पन्न साधन	57.39	-	57.39	-
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
निवेश	6006.63	5712.87	-	293.76

(₹ करोड़ में)

विवरण	अग्रणीत राशि	उचित मूल्य		
	31 मार्च 2017	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:				
गैर-चालू				
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.84			
ब्याज – ऋण और उधार	3003.71			
अन्य देयताएं	738.94			
चालू				
व्यापार देयताएं	2716.01			
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.06			
ब्याज – ऋण और उधार	2058.43			
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	85.52			
अन्य देयताएं	1614.99			
लाभ और हानि खाते के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	75.15		75.17	
चालू				
व्युत्पन्न साधन	59.31		59.31	

टिप्पणी: ब्याज-आधारित ऋण और उधार लेने की लागत लगभग उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर है।

31 मार्च 2016 तक, कंपनी के पास वित्तीय स्थिति विवरण पर उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय साधन थे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अग्रणीत राशि	उचित मूल्य		
	31 मार्च 2016	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :				
गैर-चालू				
व्यापार प्राप्तियां	1100.58			
ऋण और प्राप्तियां	694.83			
निवेश	3863.05			
चालू				
व्यापार प्राप्तियां	2708.96			
ऋण और प्राप्तियां	642.53			
निवेश	-			
नकद और नकद समकक्ष	309.32			
निर्धारित बैंक जमा	1484.55			
लाभ और हानि खाते के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	219.09		219.09	
निवेश				
चालू				
व्युत्पन्न साधन	46.94		46.94	
निवेश				
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
निवेश	4721.68	4419.89		301.79
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:				
गैर-चालू				
व्यापार देयताएं	-			



(₹ करोड़ में)

विवरण	अग्रणीत राशि	उचित मूल्य		
	31 मार्च 2016	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.87			
ब्याज – ऋण और उधार	5736.43			
अन्य देयताएं	1079.89			
चालू				
व्यापार देयताएं	2861.60			
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.00			
ब्याज – ऋण और उधार	2322.82			
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	110.38			
अन्य देयताएं	2197.62			
लाभ और हानि खाते के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	28.48		28.48	
चालू				
व्युत्पन्न साधन	27.30		27.30	

टिप्पणी: ब्याज—आधारित ऋण और उधार लेने की लागत लगभग उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर है।

31 मार्च 2015 तक, कंपनी के पास वित्तीय स्थिति विवरण पर उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय साधन थे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अग्रणीत राशि	उचित मूल्य		
	1 अप्रैल 2015	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :				
गैर-चालू				
व्यापार प्राप्तियां	2395.56			
ऋण और प्राप्तियां	680.49			
निवेश	3738.61			
चालू				
व्यापार प्राप्तियां	3076.18			
ऋण और प्राप्तियां	551.06			
निवेश				
नकद और नकद समकक्ष	227.61			
निर्धारित बैंक जमा	914.04			
लाभ और हानि खाते के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	116.06		116.06	
निवेश				
चालू				
व्युत्पन्न साधन	90.87		90.87	
निवेश				
अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
निवेश	6651.53	6312.69		338.84
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:				
गैर-चालू				
व्यापार देयताएं	0			

विवरण	अग्रणीत राशि	उचित मूल्य		
	31 मार्च 2015	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	4.03			
ब्याज – ऋण और उधार	7741.63			
अन्य देयताएं	2078.28			
चालू				
उधार	233.80			
व्यापार देयताएं	3320.48			
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.02			
ब्याज – ऋण और उधार	1491.55			
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	111.90			
अन्य देयताएं	2046.44			
लाभ और हानि खाते के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	82.29		82.29	
चालू				
व्युत्पन्न साधन	6.98		6.98	

टिप्पणी: ब्याज-आधारित ऋण और उधार लेने की लागत लगभग उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस राशि में शामिल किया गया है, जिस पर प्रणाली को मौजूदा लेनदेन में बाध्यकारी या परिसमाप्ति बिक्री के अलावा, इच्छुक पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किया जा सकता है।

मूल्यांकन के लिए उल्लेखनीय अप्रभावी इनपुट का वर्णन:

निम्नलिखित तालिका मूल्यांकन तकनीकों और वित्तीय साधनों के लिए प्रयुक्त इनपुट को दर्शाती है:

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को
निवेश	जोखिम समायोजित छूट दर का प्रयोग करके छूट प्राप्त नकद प्रवाह		

निम्न तालिका स्तर 3 के उचित मूल्यों के लिए समापन शेष की तुलना में प्रारंभिक बकाया का समायोजन दर्शाती है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
01 अप्रैल 2015 को शेष	338.84
जमा: अन्य व्यापक आय के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों की तुलना में सहयोगी कंपनियों में निवेश से पुनः गैसीकरण	20.76
घटा: अन्य व्यापक आय में मान्यता-प्राप्त उचित मूल्य हानि	57.81
31 मार्च 2016 को शेष	301.79
घटा: अन्य व्यापक आय में मान्यता-प्राप्त उचित मूल्य हानि	8.03
31 मार्च 2017 को शेष	293.76

66.

क. व्यापार प्राप्तियों और देनदारियों के लिए अधिकांश मामलों में बकाया राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है। ये पुष्टी सामंजस्य और परिणामी समायोजन के अधीन हैं, जो प्रबंधन की राय में सामग्री नहीं हैं।

ख. प्रबंधन की राय में, अचल परिसंपत्तियों और गैर-मौजूदा निवेश के अलावा, व्यापार के सामान्य दौर में प्राप्ति पर परिसंपत्ति का मूल्य, नियत परिसंपत्तियों के अलावा और गैर-वर्तमान निवेश उस मूल्य से कम नहीं होगा, जैसा कि तुलन-पत्र में उल्लेख किया गया है।



67. वर्ष के दौरान कच्चे माल का मूल्य, भंडार/पुर्जे और उपभोग के घटक।

क्र. सं.	विवरण	2016-17			2015-16		
		मात्रा	₹ करोड़ में	%	मात्रा	₹ करोड़ में	%
i)	कच्ची सामग्री उपभुक्त गैस (एमएमएससीएम)						
	-स्वदेशी	1,208.45	2,427.05	77	999.32	2,802.50	82
	-आयातित	268.78	724.19	23	197.78	586.02	18
उप योग (क)		1,477.23	3,151.24	100	1,197.10	3,388.52	100
ii)	भंडार, प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे घटक						
	-स्वदेशी		210.00	61		193.57	63
	-आयातित		133.44	39		114.54	37
उप योग (ख)			343.44	100		308.11	100
कुल		1,477.23	3,494.68		1,197.10	3,696.63	

68. अन्य मात्रात्मक विवरण अनुलग्नक-घ में दिया गया है।

69. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां आवश्यक था, पुनः समूह बनाया गया है/ पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए व्यवसाय खंडों के बारे में सूचना

(अनुलग्नक - क)
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	टांसमिशन सेवाएं*		प्राकृतिक गैस विपणन*	पेट्रोकेमिकल	एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन	अन्य खंड**	गैर-आवंटन योग्य	कुल	समाप्ति	समेकित योग
		प्राकृतिक गैस	एलपीजी								
1	राजस्व	4,194.53	514.52	34,630.35	5,625.58	3,137.72	686.05	-	48,788.75	-	48,788.75
	अतिरिक्त बिक्री/ अन्य आय	411.31	-	2,747.34	20.44	53.96	17.77	-	3,250.82	3,250.82	-
	अंतर खंड बिक्री	4,605.84	514.52	37,377.69	5,646.02	3,191.68	703.82	-	52,039.57	3,250.82	48,788.75
2	परिणाम	2,345.69	252.00	1,320.68	449.63	1,236.84	199.33	-	5,804.17	-	5,804.17
	खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ) गैर-आवंटित व्यय (निवल)	-	-	-	-	-	-	-	725.20	-	725.20
	प्रचालन लाभ	2,345.69	252.00	1,320.68	449.63	1,236.84	199.33	(725.20)	5,078.97	-	5,078.97
3	व्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	-	479.36	-	479.36
	व्याज/ लाभांश आय	-	-	-	-	-	-	-	811.21	-	811.21
	करधान के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	1,907.91	-	1,907.91
3	सामान्य कार्यकलापों से लाभ/ (हानि) अतिरिक्त सामान्य मदें	2,345.69	252.00	1,320.68	449.63	1,236.84	199.33	(2,301.26)	3,502.91	-	3,502.91
	निवल लाभ/ (हानि)	2,345.69	252.00	1,320.68	449.63	1,236.84	199.33	(2,301.26)	3,502.91	-	3,502.91
	अन्य सूचना	24,488.03	814.94	-	9,964.20	946.39	1,682.53	-	37,896.09	-	37,896.09
3	खंड परिसंपत्तियां* गैर-आवंटित परिसंपत्तियां	24,488.03	814.94	-	9,964.20	946.39	1,682.53	18,373.90	56,269.99	-	56,269.99
	खंड देयताएं गैर-आवंटित देयताएं	4,949.89	82.11	-	675.32	209.04	149.58	-	6,065.94	-	6,065.94
	कुल देयदारियां	4,949.89	82.11	-	675.32	209.04	149.58	-	18,120.62	-	18,120.62
3	नियत परिसंपत्तियां अर्जित करने की लागत	1,015.10	44.98	-	173.07	54.08	4.57	-	1,324.99	-	1,324.99
	मूल्य ह्रास	723.45	51.44	-	414.80	46.36	116.16	-	1,396.78	-	1,396.78
	मूल्य ह्रास के अलावा गैर नकद व्यय	133.78	1.23	23.26	9.92	67.46	113.47	-	1,140.83	-	1,140.83

उत्पाद शुल्क सहित बिक्री

* गैस संचरण व्यवसाय में गैस ट्रेडिंग संबंधी परिसंपत्तियां और देयता शामिल हैं।

** अन्य खंड में गैल टेल, ईएंडपी और विद्युत सृजन शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए व्यवसाय खंडों के बारे में सूचना

(अनुलग्नक - क)
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	टांसमिशन सेवाएं*		प्राकृतिक गैस विपणन*	पेट्रोकोमिकल	एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन	अन्य खंड**	गैर-आवंटन योग्य	कुल	समाप्ति	समेकित योग
		प्राकृतिक गैस	एलपीजी								
1	राजस्व अतिरिक्त बिक्री/अन्य आय अंतर खंड बिक्री	3,700.66	486.01	40,336.68	3,354.32	3,321.93	803.80	-	52,003.40	-	52,003.40
		291.63	-	3,353.23	27.58	5.22	17.52	-	3,695.18	-	3,695.18
	कुल राजस्व	3,992.29	486.01	43,689.91	3,381.90	3,327.15	821.32	-	55,698.58	3,695.18	52,003.40
2	परिणाम खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ) गैर-आवंटित व्यय (निवल)	1,848.60	263.49	1,393.99	(789.29)	741.48	265.06	-	3,723.33	-	3,723.33
		-	-	-	-	-	-	-	519.31	519.31	-
	प्रचालन लाभ	1,848.60	263.49	1,393.99	(789.29)	741.48	265.06	(519.31)	3,204.02	-	3,204.02
	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	799.86	799.86	-	799.86
	ब्याज/लामांश आय	-	-	-	-	-	-	657.81	657.81	-	657.81
	कराधान के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	835.54	835.54	-	835.54
	सामान्य कार्यकलापों से लाभ/(हानि)	1,848.60	263.49	1,393.99	(789.29)	741.48	265.06	(1,496.90)	2,226.43	-	2,226.43
	अतिरिक्त सामान्य मदें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निवल लाभ/(हानि)	1,848.60	263.49	1,393.99	(789.29)	741.48	265.06	(1,496.90)	2,226.43	-	2,226.43
3	अन्य सूचना खंड परिसंपत्तियां गैर-आवंटित परिसंपत्तियां	24,622.83	838.22	-	10,103.47	702.78	1,771.32	-	38,038.62	-	38,038.62
		-	-	-	-	-	-	-	17,758.78	17,758.78	-
	कुल परिसंपत्तियां	24,622.83	838.22	-	10,103.47	702.78	1,771.32	17,758.78	55,797.40	-	55,797.40
	खंड देयताएं	5,291.24	83.21	-	568.21	155.94	131.40	-	6,230.00	-	6,230.00
	गैर-आवंटित देयताएं	-	-	-	-	-	-	14,472.66	14,472.66	-	14,472.66
	कुल देनदारियां	5,291.24	83.21	-	568.21	155.94	131.40	14,472.66	20,702.66	-	20,702.66
	नियत परिसंपत्तियां अर्जित करने की लागत	486.45	39.27	-	1,717.20	32.11	138.51	53.93	2,467.47	-	2,467.47
	मूल्य ह्रास	682.27	47.21	-	367.48	39.60	128.04	45.19	1,309.79	-	1,309.79
	मूल्य ह्रास के अलावा गैर नकद व्यय	118.30	2.41	201.81	8.20	4.20	113.19	6.59	454.70	-	454.70

उत्पाद शुल्क सहित बिक्री

* गैस संवर्ण व्यवसाय में गैस ट्रेडिंग संबंधी परिसंपत्तियां और देयता शामिल हैं।

** अन्य खंड में गैल टेल, ईएंडपी और विद्युत सृजन शामिल हैं।

संबंधित पार्टी प्रकटन

(अनुलग्नक-ख)

संबंधित पार्टी प्रकटन

I) संबंध

- क) संयुक्त उद्यम कंपनियां/सहयोगी कम्पनिया/कर्मचारी ट्रस्ट
- 1) महानगर गैस लिमिटेड
 - 2) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
 - 3) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
 - 4) भाग्यनगर गैस लिमिटेड
 - 5) त्रिपुरा नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - 6) सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
 - 7) ग्रीन गैस लिमिटेड
 - 8) महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
 - 9) अवन्तिका गैस लिमिटेड
 - 10) गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड
 - 11) ओएनजीसी पेट्रो-एडशिन्स लिमिटेड (ओपीएएल)
 - 12) तापी पाइपलाइन कम्पनी लि.
 - 13) नेशनल गैस कंपनी 'नेट गैस'
 - 14) फेयम गैस कंपनी
 - 15) चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड
 - 16) आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - 17) केरल गेल गैस लिमिटेड
 - 18) राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
 - 19) वडोदरा गैस लिमिटेड
 - 20) हरिद्वार गैस प्राइवेट लिमिटेड
 - 21) गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
 - 22) गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट
 - 23) गेल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ कोष
 - 24) गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी मृत्यु-सह-अधिवर्षिता उपदान योजना

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) पूर्णकालिक निदेशक (केएमपी):

- 1) श्री बी.सी. त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एम रविन्द्रन (31.01.2017 तक)
- 3) डॉ. आशुतोष कर्नाटक
- 4) श्री सुवीर पुरकायस्थ, निदेशक (वित्त) और सीएफआर
- 5) श्री पी के गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) (01-02-2017 से)

ii) कंपनी सचिव

- 1) श्री एन के नागपाल (25.05.2016 तक)
- 2) श्री अनिल कुमार झा (26.05.2016 से)

ग) अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों हेतु अनिगमित संयुक्त उद्यम :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) एनईसी-ओएसएन-97 / 1 | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 50 प्रतिशत गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है।) |
| 2) ए-1, म्यांमार | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 8.5 प्रतिशत) |
| 3) ए-3, म्यांमार | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 8.5 प्रतिशत) |
| 4) एसएचडब्ल्यूई अपतट पाइपलाइन | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 8.5 प्रतिशत) |
| 5) सीवाई-ओएस / 2 | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 25 प्रतिशत) |
| 6) आरएम-सीबीएम-2005 / III | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 35 प्रतिशत गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है) |
| 7) टीआर-सीबीएम-2005 / III | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 35 प्रतिशत गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है) |
| 8) एमआर-सीबीएम-2005 / III | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 45 प्रतिशत गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है) |
| 9) ए डी-7, म्यांमार | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 10 प्रतिशत गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है) |
| 10) ब्लॉक-56, ओमान | (भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 25 प्रतिशत गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है) |



II) सामान्य व्यवसाय के दौरान संबंधित पक्षों के साथ निम्नानुसार लेन-देन किए गए थे :

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
क) उपर्युक्त मद संख्या 1 (क) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :		
1) बिक्री		
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	1,870.08	2,023.01
महानगर गैस लिमिटेड	964.86	1,145.50
अन्य	628.42	574.98
2) उपर्युक्त (1) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि		
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	82.57	78.49
महानगर गैस लिमिटेड	160.97	156.51
अन्य	31.53	32.89
3) क्रय		
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	13,078.18	12,685.96
अन्य	2.19	2.95
4) उपर्युक्त (3) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार देय योग्य राशि		
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	675.16	501.87
अन्य	0.07	0.07
5) प्राप्त/प्राप्य अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति	14.74	8.75
6) उपर्युक्त (5) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि	1.54	1.44
7) लाभांश आय		
महानगर गैस लिमिटेड	81.86	77.78
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	29.93	18.90
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	23.44	18.75
चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	25.17	24.02
अन्य	9.02	2.82
8) अन्य आय		
भाग्यनगर गैस लिमिटेड	8.40	7.58
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	3.09	15.36
अन्य	0.79	0.58
9) उपर्युक्त (8) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि		
भाग्यनगर गैस लिमिटेड	8.40	7.58
अन्य	0.06	0.16
10) देनदारों के लिए सृजित प्रावधान	2.64	3.16
11) तुलन पत्र की तारीख के अनुसार निवेश	1,372.33	1,389.31
12) तुलन पत्र तिथि से इक्विटी के आवंटन हेतु अग्रिम	26.87	9.17
13) तुलन पत्र की तारीख से दिया गया अग्रिम/ऋण	703.79	670.09

(₹ करोड़ में)

ख) उपर्युक्त मद संख्या 1 (ख) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :	प्रबंधन मुख्य कार्मिक (केएमपी)		केएमपी से संबंधित	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
1) पारिश्रमिक	-	-	0.89	0.75
बी सी त्रिपाठी	0.58	0.60	-	-
एम रविन्द्रन	0.82	0.51	-	-
आशुतोष कर्नाटक	0.48	0.46	-	-
सुबीर पुरकस्यथ	0.59	0.40	-	-
प्रभात सिंह	-	0.31	-	-
पी के जैन	-	0.04	-	-
पी के गुप्ता	0.07	-	-	-
एन के नागपाल	0.09	0.43	-	-
अनिल कुमार झा	0.22	-	-	-
2) प्राप्ति योग्य बकाया ब्याज युक्त ऋण	0.30	0.02	0.11	0.11
3) प्रदत्त ऋणों पर अर्जित ब्याज	0.26	0.13	0.12	0.08
4) सेल्फ लीज	0.07	0.10	-	-

* पारिश्रमिक में मूल वेतन, भत्ते, प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि में अंशदान और परिलब्धियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को लोक उद्यम ब्यूरो के परिपत्र के अनुसार भुगतान पर 1000 किमी. प्रति माह की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
ग) उपर्युक्त मद संख्या 1 (ग) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :		
1) न्यूनतम कार्य योजना वचनबद्धता	-	-
2) सर्वेक्षण, उत्पादन, रॉयल्टी एवं अन्य व्यय	198.58	249.38
3) सीडब्ल्यूआईपी एवं अन्य परिसंपत्ति	(1.87)	52.81
4) तुलन पत्र की तिथि को बकाया राशि (अग्रिम का निवल)	23.58	29.03
5) बड़े खाते में डाली गई राशि-शुष्क कूप व्यय	-	0.57
6) प्रचालन से बिक्री/व्यय	581.16	716.63
7) तुलन पत्र की तिथि को बकाया राशि (बिक्री के एवज में)	48.82	43.36

सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और 53(च) द्वारा अपेक्षित अनुसार प्रकटीकरण

(अनुलग्नक-ग)
(₹ करोड़ में)

क. सहायक कंपनी	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	31.3.2017 को राशि	31.3.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	31.3.2016 को राशि	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
1 ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम क सहायक कंपनी के लिए: गेल (ग्लोबल) सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	16.11	57.08	56.03	56.03
ख कंपनियां जिनमें निदेशकों की रुचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2 गेल (इंडिया) लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में सहायक कंपनियों द्वारा निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ करोड़ में)

ख. सहायक कंपनी	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	31.3.2017 को राशि	31.3.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	31.3.2016 को राशि	31.3.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि
1 ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम क संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए: भाग्यनगर गैस लिमिटेड	105	105	75	75
ख कंपनियां जिनमें निदेशकों की रुचि है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2 गेल (इंडिया) लिमिटेड और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के शेयरों में सहायक कंपनियों द्वारा निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. लाइसेंसयुक्त क्षमता, संस्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन

अनुलग्नक - घ

	वर्तमान वर्ष - 2016-17				पिछला वर्ष - 2016-17			
	लाइसेंसयुक्त क्षमता	संस्थापित क्षमता	गैस थ्रूपूट	उत्पादन	लाइसेंसयुक्त क्षमता	संस्थापित क्षमता	गैस थ्रूपूट	उत्पादन
i) प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएमडी)	206.03	206.03	100.38	-	206.03	206.03	92.09	-
ii) एलपीजी (मी/टन)	1,085,376	1,040,182	-	861,576	1,170,376	1,112,373	-	854,757
iii) प्रोपेन (मी/टन)	201,085	306,000	-	143,783	201,085	201,085	-	128,041
iv) एथीलीन (मी/टन)**	850,000	896,000	-	617,403	850,000	896,000	-	355,619
v) एचडीपीई/एलएलडीपीई (मी/टन)**	810,000	810,000	-	604,064	810,000	810,000	-	344,168
vi) पेंटेन	73,545	73,545	-	23,663	73,545	73,545	-	22,720
vii) नापथा	97,773	97,773	-	82,060	127,773	127,773	-	83,261
viii) कच्चा तेल (मी/टन)	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) सीएनजी (000'केजी)	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सी2/सी3**	-	1,242,594	-	841,535	-	562,800	-	511,905
xi) ब्यूटेन-1**	30,000	30,000	-	22,033	30,000	30,000	-	9,416

टिप्पणी:

*एल पी वैक्स, जीपीई श्रेड्स, पॉली लंप्स शामिल है

** आंतरिक खपत किया गया



मात्रात्मक सूचना

अनुलग्नक-घ
(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्रारंभिक स्टॉक		खरीद		बिक्री		आंतरिक खपत		अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	एलएनजी और आरएलएनही सहित प्राकृतिक गैस (एमएमएसीएम)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	291.29	622.41	29,849.37	36,350.91	27,098.06	38,213.13	2,545.10	4,558.83	277.50	482.01
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	313.13	1,138.47	27,095.19	41,795.28	24,791.65	43,613.35	2,069.57	5,017.82	291.29	622.41
2	एलपीजी (मी/टन)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	4,455.44	10.18	-	-	858,329.77	2,399.76	-	-	8,166.99	12.35
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	5,446.24	13.29	-	-	855,514.83	2,534.48	-	-	4,455.44	10.18
3	पेंटेन (मी/टन)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	998.10	2.56	-	-	22,153.10	93.74	2,394.97	-	267.00	0.52
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	242.11	0.59	-	-	21,645.28	97.22	424.29	-	998.10	2.56
4	प्रोपेन (मी/टन)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	2,322.23	6.00	-	-	118,468.83	397.76	25,050.99	-	2,516.15	4.70
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	2,258.93	6.16	-	-	124,822.11	428.20	-	-	2,322.23	6.00
5	नाफ्था (मी/टन)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	700.89	1.54	-	-	82,702.87	246.45	-	-	396.53	0.71
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	977.05	2.29	-	-	83,289.37	262.03	-	-	700.89	1.54
6	पॉलीमर (मी/टन)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	20,354.62	181.04	-	-	577,577.76	5,377.28	4,253.46	-	42,584.05	327.87
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	12,951.23	114.99	-	-	333,758.08	3,248.85	2,996.48	-	20,354.62	181.04
7	सी2/सी3 (मी/टन)*										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	3,825.59	16.03	-	-	-	-	1,187,686.46	-	3,309.98	10.46
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	3,563.12	18.84	-	-	-	-	511,904.90	-	3,825.59	16.03
8	एथीलीन (मी/टन)*										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	1,339.81	9.01	-	-	-	-	617,739.97	-	1,002.46	5.23
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	1,161.66	8.57	-	-	-	-	355,441.24	-	1,339.81	9.01
9	ब्यूटेन-1 (मी/टन)*										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	1,248.82	12.37	-	-	2,644.63	26.00	20,013.12	-	624.25	4.83
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	531.85	5.08	-	-	-	-	8,699.44	-	1,248.82	12.37
10	कच्चा तेल (मी/टन)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	746.70	0.73	-	-	16,522.99	34.23	-	-	726.91	0.68
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	750.71	0.96	-	-	18,310.43	34.87	-	-	746.70	0.73
11	सीएनजी (000'केजी)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	विद्युत (केडब्ल्यूएच)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	-	-	-	-	205,048,522	68.05	28,633,021	-	-	-
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	-	-	-	-	139,354,919	49.56	24,400,682	-	-	-
13	अन्य उत्पाद (मी/टन)										
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	3,841.41	25.13	-	-	59,327.36	222.29	10,077.64	-	5,172.56	28.05
	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	3,267.13	22.23	-	-	-	105.47	8,467.52	-	3,841.41	25.13

टिप्पणी: (i) प्रारंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और अंतिम स्टॉक के पुनः समायोजन में अंतर माप की क्षमता के कारण है।

(ii) ईंधन और कच्ची सामग्री के लिए प्रयुक्त प्राकृतिक गैस।

(* पाता में अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए एथीलीन, ब्यूटेन और सी2/सी3 की आंतरिक रूप से खपत की जाती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में सहायक कम्पनियों/सहयोगी कम्पनियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित वित्तीय विवरण

भाग 'क' - सहायक कम्पनी

क्र. सं.	विवरण	गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	गेल (ग्लोबल) यूएसए इंक (समेकित)	गेल गैस लिमिटेड	टीएनजीसीएल
		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
1	इस तारीख को समाप्त सहायक कम्पनी का वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2017	31 दिसंबर, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2017
2	क) रिपोर्टिंग करेंसी (ख) संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को विनिमय दर	यूएसडी 65.43	यूएसडी 68.53	₹ लागू नहीं	₹ लागू नहीं
3	शेयर पूंजी	41.94	179.17	627.00	1.92
4	आरक्षित एवं अधिशेष	47.30	92.46	152.11	62.77
5	कुल परिसम्पत्तियां	381.89	1,023.68	1,258.32	110.47
6	कुल देयताएं	292.65	752.05	479.21	45.77
7	निवेश	83.62	-	102.90	-
8	कारोबार	3,227.28	110.50	2,816.47	66.98
9	कराधान पूर्व लाभ	(27.36)	(82.70)	99.43	17.17
10	कराधान हेतु प्रावधान	2.06	(27.25)	34.41	5.87
11	कराधान पश्चात लाभ	(29.42)	(55.45)	63.73	11.30
12	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-
13	% शेयरहोल्डिंग	100%	100%	100%	48.98%

टिप्पणी :

- उन सहायक कम्पनियों के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन शुरू करना है : लागू नहीं
- उन सहायक कम्पनियों के नाम जो वर्ष के दौरान परिसमाप्त हो गए हैं अथवा बेचे गए हैं : लागू नहीं

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

भाग 'ख' - सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

विवरण	महानगर गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	इंद्रपथ गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-17	मीन गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-17	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-17	अवंतिका गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-17	भायानगर गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-17	चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-17	तलवर फाटिलाइजर लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पोलिमर्स लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	गैल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	ओएनजीसी पेट्रो एडिथन्स लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	रत्नागिरी गैस एंड पावर (प्रा.) लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	वडोदरा गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) 31-03-16	नेशनल गैस कंपनी 'नेट गैस'	फ्रेम गैस कंपनी 31-12-16
1 नवीनतम लेख-परिष्कृत तुलन पत्र की तारीख	32,10,27,40	31,50,00,000	15,00,00,000	23,04,25,50	22,50,00,000	22,50,00,000	22,50,00,000	150,00,00,000	93,75,00,000	0	992,37	0	99,49,45,000	97,43,08,300	791,37,831	3,00,00,000		19,000
2 वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी / संयुक्त उद्यमों के शेयरों की संख्या	32.10	31.50	15.00	23.04	22.50	22.50	22.50	97.37	98.75	-	992.37	-	994.95	191.31	791.14	83.62	8.10	
सहयोगी / संयुक्त उद्यम में निवेश का विस्तार	32.50%	22.50%	25%	49.97%	22.50%	49.97%	49.97%	3.02%	12.50%	29.67%	7%	50%	49.21%	25.50%	32.93%	5%	19%	
3 संयुक्त निवृत्त/महत्वपूर्ण प्रभाव	सहयोगी कंपनी	सहयोगी कंपनी	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	निदेशक मंडल या संबंधित निवेशकर्ता के प्राथमी निकाय में प्रतिनिधित्व	सहयोगी कंपनी	संयुक्त उद्यम	सहयोगी कंपनी	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	निदेशक मंडल या संबंधित निवेशकर्ता के प्राथमी निकाय में प्रतिनिधित्व		
4 समेकित न होने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6 वर्ष में लाभ/हानि				22.38	16.00	9.54	6.54	82.87	212.93	(0.01)	(387.24)			(47.02)	0.90	(2.53)		1.69
(i) समेकन पर विचार किया गया	1111.5	122.37	11.42															
(ii) समेकन पर विचार नहीं किया गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* अन्य व्यापक आय सहित

टिप्पणी:

1 सहयोगी या संयुक्त उद्यम का नाम जिसके द्वारा अभी प्रचालन शुरू किया जाना है:

{ (क) गैल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड

(ख) तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड

2 सहयोगी या संयुक्त उद्यम का नाम जिससे वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया/बंटा गया:

लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा

कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायथ

निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक

निदेशक (परिचालन)

बी.सी. त्रिपाठी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 20 जुलाई 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया जाना व्यक्त होता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है जो सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करता हो या उसका पूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(नंदना मुंशी)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.07.2017



अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची (टाउनशिप)

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)			मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
	01.04.2016 को	वर्ष के दौरान जमा/समायोजन	वर्ष के दौरान विक्री/समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2016 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
भूमि : फ्री होल्ड	1,918.57	-	-	1,918.57	-	-	-	1,918.57	1,918.57	1,918.57
भूमि : लीज होल्ड	1,415.04	128.16	67.07	1,476.13	320.59	35.10	26.29	1,146.73	1,146.73	1,094.45
भवन, सड़कें आदि	35,402.13	237.71	(10.15)	35,649.99	11,190.05	1,292.21	12.59	23,180.32	23,180.32	24,212.08
ड्रेनेज, सीवेज एवं जल आपूर्ति प्रणाली आदि	1,720.01	54.21	(63.16)	1,837.38	83,712	59.55	(25.09)	915.62	915.62	882.89
फर्नीचर, फिक्सचर एवं अन्य उपकरण	2,348.99	369.62	(14.77)	2,733.38	1,484.06	166.90	28.04	1,110.46	1,110.46	864.93
परिवहन उपकरण	23.85	-	-	23.85	16.88	4.35	0.03	2.65	2.65	6.97
योग	42,828.59	789.70	(21.01)	43,639.30	13,848.70	1,558.11	41.86	28,274.35	28,274.35	28,979.89

टाउनशिप, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के प्रावधानों पर 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
	आय		
1	मकान किराए की वसूली	203.15	231.92
2	उपयोगिताओं की वसूली	324.43	270.72
3	अन्य वसूली	41.68	47.59
4	आय की तुलना में अधिक खर्च	7,141.59	6,211.16
	कुल	7,710.85	6,761.39
	व्यय		
1	बिक्री, वेतन और पीएफ अंशदान	984.06	870.83
2	उपभोक्ता, स्टोर्स और दवाइयां	41.36	31.96
3	सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए राजसहायता	111.58	85.61
4	मरम्मत और रखरखाव	1,445.96	1,156.25
5	मूल्यह्रास	1,558.11	1,339.36
6	उपयोगिताएं: बिजली, गैस और पानी	1,563.81	1,465.23
7	भूमि किराया	18.37	22.66
8	कल्याण - स्कूल	1,098.01	946.66
9	बस किराया प्रभार	79.76	92.56
10	क्लब और मनोरंजन	86.11	74.64
11	विविध खर्च - कर, लाइसेंस शुल्क, आईएनएस आदि	283.62	279.39
12	बागवानी व्यय	440.09	396.24
	कुल	7,710.85	6,761.39

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों के सम्बंध में रिपोर्ट

हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद 'होलिडिंग कंपनी' के रूप में उल्लेख किया गया है) और उसकी सहायक कम्पनियों (होलिडिंग कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों का 'समूह' के रूप में एक साथ उल्लेख किया गया है), सहयोगी कर्पणियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र, उस समय समाप्त होने वाले वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और व्याख्यात्मक सूचना (जिसका इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में उल्लेख किया गया है) का संश्लेषण सम्मिलित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होलिडिंग कम्पनी का निदेशक-मण्डल कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसका इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में उल्लेख किया गया है) की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार इसकी संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक शामिल हैं। समूह में सम्मिलित कम्पनियों एवं इसकी संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों के निदेशक-मण्डल समूह की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु और जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा इनका पता लगाने के लिए; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन करने तथा लागू करने के लिए; राय देने एवं आंकलन करने के लिए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; उपयुक्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को लागू करने तथा अनुक्षण हेतु जिन्हें लेखाकरण रिपोर्टों की परिशुद्धता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित किया जा रहा था, जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत हैं, जो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और वास्तविक गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे ये धोखे के कारण हों या चूक के कारण, जिन्हें नियंत्रक कम्पनी के निदेशक द्वारा, जैसा कि ऊपर व्यक्त है, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया हो, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त लेखाकरण रिपोर्टों के रखरखाव हेतु जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा करते समय, हमने उस अधिनियम के उपबंधों को लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मानकों एवं मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बने नियमों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा सम्बंधी प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन कार्यविधि सम्मिलित है। चयनित कार्यविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें धोखे या गलती के कारण होने वाले स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित महत्वपूर्ण गलत कथन के जोखिम का निर्धारण शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा नियंत्रक कम्पनी के निदेशक-मण्डल द्वारा तैयार लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगतता भी शामिल है, साथ ही स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे अन्य विषयगत पैराग्राफों के उप-पैराग्राफ (क), (ख) एवं (घ) में उल्लिखित अपनी रिपोर्टों के अनुसार प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मत

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण इस तरह अपेक्षित तरीके से अधिनियम के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार समूह की, इसके संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों की समेकित कार्य स्थिति (वित्तीय स्थिति) तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु उनके समेकित लाभ (अन्य विस्तृत आय सहित वित्तीय

निष्पादन), और उनके समेकित नकदी प्रवाह को भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों की अनुरूपता में एक सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

मामले का महत्व

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

1. नोट सं. 32 (की)-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी विभिन्न अनंतिम परिवहन टैरिफ आदेशों के संबंध में, इन आदेशों को बिजली संबंधी अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) में चुनौती दी गई है और समायोजन, यदि कोई हो, को मामले पर अंतिम रूप से निर्णय होने पर ही स्वीकार किया जाएगा।
2. नोट सं.-36-वर्ष के दौरान जहाज के लिए राजस्व पहचान के संबंध में या शुल्क भुगतान प्रमाण जहां उपभोक्ता ने कंपनी के दावे को विवादित किया और अंतिम परिणाम अनिश्चित है।

इन मामलों पर हमारी राय में परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

(क) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की तुलनात्मक वित्तीय सूचना और इन समेकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों में 1 अप्रैल 2015 को शामिल लेनदेन तारीख को प्रारंभिक तुलन-पत्र हमारे/पूर्ववर्ती लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अनुसार तैयार पूर्व में जारी सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं, जिसकी 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित रिपोर्ट को क्रमशः स्वतंत्र लेखापरीक्षक के लेनदेन पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धान्तों में अंतर के लिए समायोजित अनुसार उन समेकित वित्तीय विवरणों पर बिना संशोधित मत पर व्यक्त किए गए हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा हमारे द्वारा दी गई है।

(ख) हमने निम्नलिखित सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है:

- (i) गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 381.89 करोड़ रुपये की कुल परिसम्पत्तियां, 3227.28 करोड़ रुपये के कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए 0.23 करोड़ रुपये की निवल नकद प्रवाह राशि को दर्शाती हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों एवं वित्तीय विवरण में विचार किया गया है।
- (ii) गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक, जिसका वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2016 को 1023.68 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां, कुल राजस्व 110.50 करोड़ रुपये और अंतिम वर्ष के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह 7.95 करोड़ रुपये दर्शाता है। प्रबंधन ने बाद में 31 मार्च, 2017 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं और इसका समेकित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के वित्तीय विवरणों पर कोई सामग्री प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (iii) त्रिपुरा नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके वित्तीय विवरण/सूचना की लेखा-परीक्षा की गई है और ये 31 मार्च, 2017 को 110.47 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां, कुल राजस्व 66.98 करोड़ रुपये और अंतिम वर्ष के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह 12.68 करोड़ रुपये दर्शाता है। प्रबंधन द्वारा हमें इनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना उपलब्ध कराई गई है।
- (iv) गेल गैस लिमिटेड, जिसके वित्तीय विवरण/सूचना की लेखा-परीक्षा नहीं की गई है और ये 31 मार्च, 2017 को 1258.32 करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियां, कुल राजस्व 2816.47 करोड़ रुपये और अंतिम वर्ष के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह 110.24 करोड़ रुपये दर्शाता है। प्रबंधन द्वारा हमें इनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना उपलब्ध कराई गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय सिर्फ इन सहायक कम्पनियों के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटनों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 एवं 11 के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक पूर्वोक्त सहायक कम्पनियों का संबंध है, दूसरे लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर और अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर, जैसा भी मामला हो, पर आधारित है।

(ग) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह की 572.09 करोड़ रुपए तथा चार्ट के अनुसार समेकित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के वित्तीय विवरणों में विचार किए गए अनुसार संबद्ध और संयुक्त नियंत्रित कम्पनियों के संबंध में 0.87 करोड़ रुपए की निवल लाभ/(हानि) हिस्सेदारी शामिल है जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं किया गया है/लेखा गैर-लेखापरीक्षित हैं। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय सिर्फ इन सहायक कम्पनियों के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक पूर्वोक्त सहायक कम्पनियों का संबंध है, दूसरे लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर और गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जैसा भी मामला हो, पर आधारित है।



कंपनी का नाम	लेखापरीक्षित/ गैर-लेखापरीक्षित	तुलन पत्र की तारीख*	निवल लाभ	अन्य विस्तृत आय	स्टॉक में लाभ हटना
			(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
सहभागी					
चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	गैर-लेखापरीक्षित	31.12.2016	2744.80	-	-
महानगर गैस लिमिटेड	गैर-लेखापरीक्षित	31.03.2017	393.43	(0.66)	0.01
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	गैर-लेखापरीक्षित	31.03.2017	570.96	(0.870)	0.01
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	लेखापरीक्षित	31.03.2017	1723.13	(1.79)	0.34
फेयम गैस कंपनी	लेखापरीक्षित	31.12.2016	8.91	-	-
नेशनल गैस कंपनी 'नेट गैस'	लेखापरीक्षित	31.12.2016	154.70	-	-
बीसीपीएल	गैर-लेखापरीक्षित	31.03.2017	(547.40)	(0.19)	-
संयुक्त उद्यम					
सेन्ट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड	लेखापरीक्षित	31.03.2017	48.49	(0.12)	0.005
ग्रीन गैस लिमिटेड	लेखापरीक्षित	31.03.2017	44.80	(0.02)	0.01
महाराष्ट्र नेचरल गैस लिमिटेड	लेखापरीक्षित	31.03.2017	76.56	(0.28)	-
अवन्तिका गैस लिमिटेड	लेखापरीक्षित	31.03.2017	19.07	0.01	-
भाग्यनगर गैस लिमिटेड	लेखापरीक्षित	31.03.2017	13.10	-	0.005
रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर-लेखापरीक्षित	31.03.2017	(3081.13)	-	-
ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड	गैर-लेखापरीक्षित	31.03.2017	(1490.35)	-	-
तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	गैर-लेखापरीक्षित	31.03.2017	(0.02)	-	-
वडोदरा गैस लिमिटेड	गैर-लेखापरीक्षित	31.03.2017	2.74	-	-

*प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त कंपनियों की रिपोर्टिंग तारीख और 31 मार्च, 2017 के बीच कोई महत्वपूर्ण लेनदेन या अन्य कोई घटना नहीं हुई है। प्रबंधन का विचार है कि लेनदेन महत्वपूर्ण नहीं है और इसका समेकित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के वित्तीय विवरणों पर कोई सामग्री प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ऊपर उल्लिखित अनुसार लेखापरीक्षित और गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा 20 मई 2017 तक प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत अन्य लेखा-परीक्षकों की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों पर आधारित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्न अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में और अन्य लेखापरीक्षकों को रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी के संबंध में परिवर्तित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- जैसा कि भारत की केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 जैसा की आदेश के पैराग्राफ 2 में संदर्भित है, अधिनियम समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं होगा।
- जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) के द्वारा अपेक्षित है, हम अनुप्रयोज्य सीमा में रिपोर्ट देते हैं कि :-
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त किया, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
 - हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित उचित लेखाबहियों को कानूनन यथा अपेक्षित रखा गया है, जैसा कि इन बहियों एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से व्यक्त होता है।

- समेकित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), समेकित नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण का इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है और ये समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित संगत लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
- हमारी राय में पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुपालन में हैं।
- एक सरकारी कंपनी होने के नाते कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधानों को कंपनी के लिए लागू नहीं किया गया है।
- हम यहां, स्थान में वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता की उपयुक्तता पर सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षक की राय पर विचार करते हुए हमारी राय के लिए अनुलग्नक 'क' में एक रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
- अन्य मामलों के संबंध में कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना है:
 - समेकित वित्तीय विवरण समूह एवं इसकी संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 (1) को देखें।

- (ii) होल्टिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, सम्बद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने निष्पन्न संविदाओं सहित लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार दीर्घावधि संविदाओं पर कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि, यदि कोई हो, नहीं हुई है।
- (iii) इसमें भारत में गठित होल्टिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को स्थानान्तरित किए जाने हेतु अपेक्षित अन्तरण राशियों में कोई देरी नहीं हुई है।
- (iv) होल्टिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और भारत में शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ने 8 नवंबर 2016 से 30

दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियां (एसबीएन) में होल्टिंग और लेनदेन के अनुसार इसके वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.12 में अपेक्षित प्रकटन दिया है। लेखा-परीक्षा पद्धतियों के आधार पर और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व पर विश्वास तथा सहायक कंपनियों के अन्य लेखा-परीक्षकों के विकल्प पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रकटन कंपनी द्वारा रखे गए बही खातों और रिकार्डों के अनुसार है।

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017



अनुलग्नक क

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट

वर्ष 31 मार्च, 2017 के लिए और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण के हमारे लेखांकन के साथ संयोजन में हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद 'होलिडिंग कंपनी' के रूप में उल्लेख किया गया है) और इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों, जो भारत में उस तारीख से निगमित हैं, की वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होलिडिंग कंपनी का निदेशक मण्डल, उसकी सहायक कंपनियां, उसकी सहयोगी कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, जो भारत में निगमित हैं, कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर निर्देशक टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को कंपनी द्वारा ध्यान में रखकर स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक नियंत्रण मानकों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो कारोबार का व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व त्रुटियों का पता लगाने व उन्हें रोकने, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी वित्तीय रिपोर्ट देने पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित विचार व्यक्त करना है। हम अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ("मार्गदर्शी टिप्पणी") वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर निर्देशक टिप्पणी और आईसीएआई द्वारा जारी व कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर लागू हो सकने की सीमा तक, दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानकों के अनुसार करते हैं। जो मानक और निर्देश टिप्पणी आवश्यक हैं, उनका हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ पालन करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं बरकरार रखा गया है कि नहीं और यदि ऐसा नियंत्रण सभी सामग्रियों के संबंध में प्रभावी रूप से परिचालित है, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और क्रियान्वयन करते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का क्रियान्वयन शामिल है।

हमारे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का यह आकलन कि वस्तु की मौजूदा कमजोरी और रूपरेखा एवं आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच तथा मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण के आर्थिक गलत विवरण के जोखिम के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए गए अन्य मामले पैराग्राफ में निर्दिष्ट उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षण साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षण विचार के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने और

साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण की तैयारी करने के लिए बनाई गई है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो

- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो तर्कसंगत विवरण में, सही और निष्पक्षता से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और व्यवस्थापन को प्रकट करते हैं;
- (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी करने की मंजूरी के लिए आवश्यकतानुसार रिकॉर्ड किये जाते हैं और कंपनी की आय एवं व्यय केवल कंपनी के निदेशक और प्रबंधन के अधिकार के अनुसार बनाए जाते हैं;
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या व्यवस्थापन पर रोक या समय पर पहचान, जिनका वित्तीय विवरणों पर आर्थिक प्रभाव हो सकता है, के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण गटजोड़ की संभावना या अनुपयुक्त प्रबंधन, नियंत्रण की अवहेलना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत वास्तविक विवरण हो सकता है और पहचान में आने से बच सकता है। इसके साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का कोई भी अनुमान जोखिम का विषय है क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, होलिडिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के पास, सभी सामग्रियों के संदर्भों में, वित्तीय रिपोर्ट देने पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2017 तक प्रभावी तरीके से परिचालन कर रहा था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर निर्देश टिप्पणी में निर्दिष्ट आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानकों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहां तक कि 1 (एक) सहयोगी कंपनी और 6 (छह) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, से संबंधित है, लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई अनुरूप सूचना पर आधारित है। संयुक्त उद्यम कंपनी ग्रीन गैस लिमिटेड की एक रिपोर्ट में, लेखा परीक्षकों ने गंभीर संदेह जताते हुए और भौतिक कमजोरी एवं वित्तीय रिपोर्ट देने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में घाटे को रिपोर्ट करते हुए उचित राय दी है।

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

(राकेश कुमार)

(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राजीव कुमार वाधवन)

(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
1	परिसंपत्तियां				
	गैर-चालू परिसंपत्तियां				
	क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	29,334.08	29,206.08	28,289.47
	ख) कार्यशील पूंजी	3	3,907.85	3,402.11	4,164.26
	ग) मूर्त परिसंपत्तियां	4	757.76	740.37	747.20
	घ) निर्माणाधीन मूर्त परिसंपत्तियां	4	218.19	285.93	365.06
	च) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	i-निवेश	5	10,268.13	9,844.40	11,872.00
	ii-व्यापार प्राप्तियां	6	1,103.66	1,100.58	2,398.76
	iii-ऋण	7क	623.92	699.15	680.49
	iv-अन्य बैंक शेष	9ख	4.91	10.73	2.30
v-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7ख	6.87	219.09	116.06	
छ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (गैर-वित्तीय)	10	3,614.97	3,916.79	2,939.96	
उप-योग		49,840.34	49,425.23	51,575.56	
2	चालू परिसंपत्तियां				
	क) मांग सूची	8	1,708.14	1,618.30	1,938.39
	ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	i-व्यापार प्राप्तियां	6	2,750.73	2,723.46	3,117.75
	ii-नकद तथा उसके समतुल्य	9क	519.68	104.85	75.82
	iii-उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	9ख	901.28	1,740.88	1,124.63
	iv- ऋण	7A	739.93	584.76	498.03
	v-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7ख	57.39	46.94	90.87
	ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां (गैर-वित्तीय)	10	2,701.58	2,793.18	2,940.67
	उप-योग (2)		9,378.73	9,612.36	9,786.16
कुल परिसंपत्तियां (1+2)			59,219.07	59,037.59	61,361.72
1	इक्विटी तथा देयताएं				
	इक्विटी				
	क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	1,691.30	1,268.48	1,268.48
	ख) अन्य इक्विटी	12	37,613.59	35,134.93	36,028.84
ग) गैर-नियंत्रक ब्याज		33.00	27.24	18.99	
कुल इक्विटी (1)		39,337.89	36,430.66	37,316.32	
2	देयताएं				
	गैर-चालू देयताएं				
	क) वित्तीय देयताएं				
	i-उधार	13क	3,179.84	5,864.85	7,887.63
	ii-अन्य वित्तीय देयताएं	14क	814.34	1,108.60	2,160.71
	ख) प्रावधान	15क	820.47	625.22	585.04
	ग) आस्थगित कर देयता (निवल)	18	5,293.07	4,824.81	3,874.87
घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तिया	17क	476.59	16.35	11.57	
उप-योग (2)		10,584.31	12,439.84	14,519.82	



(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
3	चालू देयताएं				
	क) वित्तीय देयताएं				
	i-उधार	13ख	729.19	811.68	835.68
	ii-व्यापार देयताएं	16	2,740.65	2,909.15	3,415.91
	iii-अन्य वित्तीय देयताएं	14ख	3,940.49	4,768.40	3,774.26
	ख) अन्य चालू देयताएं	17ख	1,147.88	1,121.07	867.47
	ग) प्रावधान	15ख	738.66	556.80	632.27
	उप-योग (3)		9,296.87	10,167.10	9,525.59
	कुल इक्विटी ओर देयताएं (1+2+3)		59,219.07	59,037.59	61,361.72

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट 1 से 51 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग हैं।

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण सहित टिप्पणियां

निगमित सूचना

भारत में गेल (इंडिया) लिमिटेड ('गेल' या 'कंपनी' या 'मूल') एक लिमिटेड कंपनी है और इसे 16 अगस्त, 1984 को गठित किया गया था। कंपनी का इक्विटी शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। इसके अलावा, गेल जीडीआर को लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध किया गया है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 में स्थित है।

सहायक कंपनी (समूह) तथा उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी सहित कंपनी भारत में सबसे बड़ी राज्य-स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग और वितरण कंपनी है। कंपनी का व्यापार पोर्टफोलियो विविध है और इसका प्राकृतिक गैस के उत्पादन, एलपीजी, तरल हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण, प्राकृतिक गैस के ट्रांसमिशन और पाइपलाइनों, सिटी गैस, आदि का स्रोत उपलब्ध कराने और व्यापार में हित है। गेल इक्विटी और संयुक्त उद्यम भागीदारी के माध्यम से गैस की आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तेल एवं गैस अन्वेषण और उत्पादन भी करती है।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को 22 मई, 2017 को कंपनी के निदेशकों के एक प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

तैयारी का आधार

समूह तथा अपनी सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम सहित के समेकित वित्तीय विवरण को यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है। सभी समयावधियों सहित 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, समूह ने भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार किया, जिसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 (भारतीय जीएएपी) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं।

लेखा और ऐतिहासिक लागत तथा प्रोद्भूत आधार पर समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। जहां परिसंपत्तियों और देनदारियों की अलग-अलग आधार पर गणना की गई है, वहां इस तथ्य को प्रासंगिक लेखांकन नीति में दर्शाया गया है।

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए ('आईएनआर') में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है और मूल्य को निकटतम करोड़ तक पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो।

समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के 31 मार्च 2017 तक के वित्तीय विवरणों को शामिल किया गया है। नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह को निवेश प्राप्तकर्ता सहित अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय प्रतिलाभ की जानकारी हो या अधिकार हो तथा उसमें निवेशक पर अपने अधिकार के द्वारा उस प्रतिलाभ को प्रभावित करने की क्षमता हो। विशेष रूप से, समूह तभी किसी निवेशक को नियंत्रित करता है यदि उसे निम्नलिखित का अधिकार हो:

- निवेशक पर अधिकार (अर्थात् मौजूदा अधिकार जो उसे निवेशक की संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की मौजूदा क्षमता देता है)
- निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय प्रतिलाभ की जानकारी, या अधिकार, और
- निवेशक को अपने प्रतिलाभ पर प्रभाव डालने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता।

आम तौर पर, ऐसा माना जाता है कि मताधिकारों के बहुमत से ही नियंत्रण होता है। इस धारणा का समर्थन करने के लिए और जब समूह में मतदाता का बहुमत या निवेशक का समान अधिकार कम हो, तो समूह सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का यह आकलन करने में विचार करता है कि क्या इसमें किसी

निवेशक के पास अधिकार है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- निवेशक के अन्य मतदाताओं के साथ संविदात्मक व्यवस्था
- अन्य संविदागत व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले अधिकार
- समूह के मतदान अधिकार और संभावित मतदान अधिकार
- समूह के दूसरे मताधिकार धारकों की संख्या और विस्तार के अनुपात में मतदान अधिकारों की संख्या।

समूह पुनः आकलन करता है कि क्या यह किसी निवेशक को नियंत्रित करता है अथवा नहीं, और यदि तथ्य और परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि नियंत्रण के एक या एक से अधिक तत्वों में परिवर्तन हुआ है। किसी सहायक कंपनी का सुदृढीकरण तब शुरू होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करता है और जब गुप सहायक कंपनी का नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अर्जित या निपटान की गई सहायक कंपनी की परिसंपत्तियां, देनदारियां, आय और व्यय को समूह द्वारा नियंत्रण प्राप्त किए जाने की तारीख से तब तक समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है, जब तक समूह का सहायक कंपनी पर नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता।

समूह और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समान लेनदेन के लिए समान लेखांकन नीतियों और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं का उपयोग करके समेकित किया गया है। आवश्यकता होने पर, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है ताकि उनकी लेखांकन नीतियों का समूह की लेखांकन नीतियों, यदि साकार हों, के समान किया जा सके।

यदि सुदृढीकरण में प्रयुक्त सहायक कंपनियों का वित्तीय विवरण मूल अर्थात् टिप्पणी 30 में उल्लिखित अनुसार को छोड़कर की समान रिपोर्टिंग तारीख से निकाला जाता है।

समेकन प्रक्रिया

क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों को आंतरिक-समूह बकाया राशि और इंद्रा-गुप लेनदेन को पूरी तरह समाप्त करने के बाद परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के बही खातों में जोड़कर क्रमानुसार जोड़ा जाता है जिससे परिणामस्वरूप अवास्तविक लाभ या हानि होती है।

ख) प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल निवेश का बही-खाता मूल्य और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के मूल भाग को समाप्त करना।

ग) कंपनियों और समूह के बीच लेनदेन (इंद्रागुप लेनदेन से हुई लाभ या हानि को परिसंपत्तियों, जैसे मांग सूची और नियत परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है, को पूरी तरह समाप्त करना) से संबंधित पूर्ण इंद्रागुप परिसंपत्तियों और देनदारियों, आय, व्यय और नकद प्रवाह समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित नकदी प्रवाह को हटाना। इंद्रागुप हानि उस हानि का संकेतक है जिसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है। इंड एएस 12 आयकर अस्थायी अंतर पर लागू होता है जो आंतरिक लेनदेन से उत्पन्न लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होते हैं।

घ) लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का प्रत्येक घटक समूह के मूल के इक्विटी धारकों और गैर-नियंत्रित हितां के लिए जिम्मेदार है, भले ही यह गैर-नियंत्रण वाले हितां में घाटा संतुलन होने के कारण होता है।

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहयोगी कंपनी वह कंपनी है जिस पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव का अर्थ निवेशक की वित्तीय और परिचालन नीति के निर्णय में भाग लेने के अधिकार से है, लेकिन उन नीतियों पर उसका नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता।

संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा जिन पार्टियों का व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण होता है, उनका संयुक्त उद्यम की निवल संपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक करार के द्वारा नियंत्रण के लिए साझा होने



की व्यवस्था है, जो तभी मौजूद होती है जब नियंत्रण के बारे में पार्टियां एकमत से सहमत हों।

अपनी सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम में समूह का निवेश इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है। इक्विटी पद्धति के तहत, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में निवेश शुरू में लागत पर आधारित होता है। अधिग्रहण की तारीख के बाद से सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों में समूह के शेयर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए दीर्घावधि निवेश के रूप में बही मूल्य में समायोजित किया जाता है। सहयोगी कंपनी या संयुक्त उपक्रम की साख को दीर्घावधि निवेश के रूप में बही मूल्य में शामिल किया गया है और इसे व्यक्तिगत हानि के तौर पर नहीं परखा जाता।

लाभ और हानि विवरण सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के संचालन के परिणामों में समूह के शेयर को दर्शाता है। उन निवेशकों के ओसीआई में कोई भी परिवर्तन समूह के ओसीआई के शेयर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, जब सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम की इक्विटी में सीधे तौर पर परिवर्तन देखा जाता है, तो समूह इक्विटी में हुए परिवर्तनों, जहां लागू हों, के विवरण में किसी भी परिवर्तन के कारण अपने हिस्से में बदलाव लाता है। समूह और सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के बीच लेनदेन के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित लाभ और हानि को सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। किसी सहयोगी कंपनी और किसी संयुक्त उद्यम में समूह के लाभ या हानि के हिस्से को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।

समूह की सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों को समूह के रूप में उसी रिपोर्टिंग अवधि के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि टिप्पणी 28 में उल्लेख किया गया है। जब कभी आवश्यक होता है, लेखांकन नीतियों में ऐसे समूह के अनुसार समायोजन किया जाता है।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:-

1.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

क) मूर्त परिसंपत्तियां

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मूल्यहास घटाने के बाद उनकी निवल कर/ड्यूटी क्रेडिट की मूल निवल लागत पर दर्शाया गया है। ऐसी मूल परिसंपत्तियों के चालू होने तक अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित सभी लागत पूंजीकृत हैं। स्थापित परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों को अंतिम भुगतान किया जाना है, वहां पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया गया है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी की अनंतिम स्वीकृति लंबित मंजूरी शामिल है, बशर्ते कि निपटान वर्ष में लागत और मूल्यहास में आवश्यक समायोजन किया जाए।
- भण्डार और पुर्जे, जो पीपीई (घटक के रूप में या अन्यथा) की परिभाषा को पूरा करते हैं और स्वीकृत मानदंडों को पूरा करते हैं, को अंतर्निहित परिसंपत्तियों में पीपीई के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों की एक निर्धारित राशि को निरीक्षण/जीर्णोद्धार/मरम्मत के लिए रखा जाता है जिन्हें मान्य मानदंड के संतुष्ट पाए जाने पर बदला गया है। लाभ और हानि विवरण में अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागत को दर्ज किया गया है।
- पीपीई की खरीद के समय तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क पर किए गए व्यय को अंतर्निहित परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियां

उपयोग का अधिकार (आरओयू), सॉफ्टवेयर, लाइसेंस जैसी अमूर्त संपत्तियां, जिनसे भावी आर्थिक लाभ उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और संचित परिशोधन और किसी भी संचित हानि के नुकसान को घटाकर उनकी अधिग्रहण लागत को लिखा गया है।

1.2 प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य

- वास्तविक भुगतान/अनुमानित दायित्व के आधार पर प्रगत्यधीन पूंजीगत

कार्य के अंतर्गत जहां उपयोग का अधिकार अपेक्षित हो, वहां जब कभी कार्य शुरू होता है, फसल मुआवजे का हिसाब लगाया जाता है।

- प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य में परियोजनाओं में उपयोग के लिए साइट पर प्राप्त सामग्री/उपकरण/सेवाओं आदि सहित निर्माण अवधि शामिल है, जिसे ऐसी परिसंपत्तियों की स्थापना के समय पूंजीकृत किया जाता है।
- निर्माण अवधि के दौरान हुए सभी राजस्व व्यय, जो विशेष रूप से अधिग्रहण/निर्माण परिसंपत्तियों के कारण होते हैं, को ऐसी परिसंपत्तियों के चालू होने के समय पूंजीकृत किया जाता है।

1.3 अन्वेषण और विकास लागत

- क) कंपनी, संयुक्त उद्यमों के माध्यम से तेल एवं गैस अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लेखांकन के लिए सफल प्रयास पद्धति अपनाती है, जिसमें संबंधित मेजबान सरकार और अन्वेषण, विकास और उत्पादन गतिविधियों के लिए विभिन्न निकायों के साथ उत्पादन शेयरिंग संविदा (पीएससी) शामिल होती है:
 - सर्वेक्षण की लागत को वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें इन पर खर्च किया जाता है।
 - चल रहे विकास/पूंजीगत कार्य के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में अन्वेषणीय/विकास कुओं की लागत वर्ष में ऐसे अन्वेषी कुओं को पूंजीकृत किया जाता है जिसमें उत्पादक परिसंपत्ति का सृजन किया जाता है। सूखे/त्याग गए कुओं के रूप में निर्धारित होने पर इसकी लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
 - सभी प्रगत्यधीन अन्वेषी कुओं की लागत को उन कुओं के सिवाय और लाभ और हानि विवरण में से घटा दिया जाता है, जिसके लिए वहाँ उचित मात्रा में भंडार मिलने का उचित संकेत हो, और उद्यम भंडार और परियोजना की आर्थिक और प्रचालन व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा हो।

ख) उत्पादक परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

- उत्पादक परिसम्पत्तियों को पूंजीकरण "पूर्ण कुएं/उत्पादक कुएं" के तौर पर तब किया जाता है जब क्षेत्र/फील्ड में कुएं वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए तैयार हों और उनसे तेल एवं गैस भंडार का विकास प्रमाणित हो गया है।
- उत्पादक परिसम्पत्ति की लागत में सफल अन्वेषण कुओं, विकासशील कुओं की लागत और उपकरणों एवं सुविधाओं के समर्थन का प्रारंभिक मूल्यहास तथा सुविधाएं और अनुमानित भावी परित्याग करने की लागत शामिल होती है।

ग) उत्पादक परिसम्पत्तियों में कमी

उत्पादक परिसम्पत्तियों में कमी, "उत्पादन पद्धति की इकाई (यूओपी)" का प्रयोग करके की जाती है। सभी पूंजीगत लागत के लिए प्रभारित उत्पादन की कमी या इकाई की गणना वर्ष के दौरान उत्पादन के अनुपात में की जाती है जिसे वर्ष के अंत में विकसित रिजर्व प्रमाणित किया जाता है।

घ) उत्पादन परिसम्पत्तियों की उत्पादन लागत

प्रचालक द्वारा दर्शाए गए अनुसार उत्पादन लागत के कंपनी शेयर में कुओं लेने से पूर्व तथा कुओं लेने के पश्चात शीर्ष व्यय शामिल होता है जिसमें सहायक उपकरण और सुविधाओं का मूल्यहास एवं वर्तमान प्रचालन लागत शामिल होती है।

ड.) संयुक्त प्रचालनों का लेखांकन

उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी) के जरिए किए गए संयुक्त प्रचालनों में अपने हितों के संबंध में, कंपनी अपने आनुपातिक शेयरों को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आउटपुट की बिक्री से प्राप्त राजस्व, वित्तीय विवरणों में संयुक्त प्रचालन कंपनी के व्यय के रूप में मानती है।

1.4 विदेशी मुद्रा लेनदेन

- कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) है।

- ii) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की प्रारंभिक गणना लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
- iii) वर्ष के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में नामित मौद्रिक मदों (जैसे नकद, वसूली योग्य राशि, ऋण देयताएं आदि) को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों (देयता के लिए बीसी विक्रय दर तथा प्राप्ति योग्य राशि के लिए टीटी क्रय दर) में परिवर्तित किया जाता है।
- iv) विदेशी मुद्रा में नामित गैर-मौद्रिक मदों (निवेश, संपत्ति संयंत्र और उपकरण आदि) की गणना लेनदेन(नों) की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
- v) निपटान या लेनदेन में विनिमय अंतर के कारण हुए किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में समायोजित किया जाता है।
- vi) किसी विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक मदों को उचित मूल्य का निर्धारण करते हुए उस तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके निकाला जाता है। गैर-मौद्रिक मदों के अंतरण से होने वाले लाभ या हानि को ऐसी मद के उचित मूल्य के निर्धारण से उत्पन्न मद के लाभ या हानि के अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो अन्य व्यापक आय में या लाभ एवं हानि विवरण, जैसी भी स्थिति हो, में होती है।

1.5 उधार लागत

विशेष तौर पर अर्हक परिसम्पत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निधियों की उधार लागत और परिसम्पत्तियों की लागत को पूंजीकरण की योग्यता के साथ उस तिथि तक गणना की जाती है जब परिसम्पत्ति ऐसी निधियों के अस्थाई निवेश से अर्जित किसी आय में से हानि को निकालने के बाद प्रयोग हेतु तैयार होती है। वर्ष के दौरान ज्ञात अन्य उधार लागतों की गणना व्यय के रूप में की गई है।

1.6 अनुदान

मूल्यहास वाली परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत को सकल मूल्य पर दर्शाया गया है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय पर लिया जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की तुलना में लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में माना जाता है।

1.7 मालसूची

पाइपलाइनों में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस के भंडार को पहले आओ, पहले पाओ (एफआईएफओ) आधार पर या वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है।

कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों को भारत औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। तैयार उत्पादों में उत्पाद शुल्क और रायल्टी, जहां कहीं भी हो, शामिल की जाती है।

प्रक्रियारत स्टॉक का मूल्य भारत औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है। इसका उस भारत औसत लागत पर मूल्य लगाया जाता है, जहां तैयार उत्पाद, जिसमें इसे बेचे जाने के लिए शामिल किया जाना है, या उपर्युक्त भारत औसत लागत पर बेचे जाने की संभावना है।

मालसूची के उत्पादन के लिए प्रयोग हेतु स्टोर और पुर्ज तथा अन्य सामग्री का मूल्य भारत औसत मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है। इसका मूल्य भारत औसत लागत जहां तैयार उत्पाद, जिनमें इन्हें बेचे जाने के लिए शामिल किया जाएगा, को उपर्युक्त लागत पर बेचे जाने की संभावना होती है।

अधिशेष/अप्रचलित स्टोर तथा पुर्जा का मूल्य लागत या निवल प्राप्त योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है।

पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण में प्रयोग हेतु रखे गए अधिशेष/अप्रचलित पूंजीगत स्टोर तथा अन्य का मूल्य लागत या निवल प्राप्त योग्य मूल्य, के न्यूनतम पर लगाया जाता है।

अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का मूल्यांकन पहले आओ, पहले पाओ (एफआईएफओ) आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर

मूल्यांकन किया जाता है।

1.8 राजस्व की गणना

- (i) विक्री को पर्याप्त जोखिम के अंतरण तथा क्रेता को मालिकाना अधिकार प्रदान करने, जो सामान्य तथा ग्राहकों को वस्तुओं की सुपुर्दगी से मेल खाता हो, के लिए अनुमति दी जाती है। इसमें उत्पाद विक्री शुल्क शामिल होता है लेकिन मूल्यवर्धित कर को शामिल नहीं किया जाता है। मूल्यों में किसी विगत प्रभाव से संशोधन की गणना ऐसे संशोधन वर्ष में की जाती है। इसे प्राप्त या प्राप्ति योग्य विचार के उचित मूल्य, प्रतिलाभ का निवल और भत्ते, व्यापार छूट और मात्रा छूट के आधार पर मापा जाता है।
- (ii) परामर्शी/संविदा सेवाएं, यदि कोई हो, से आय को प्रतिशत पूर्णता पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- (iii) लाभांश आय की गणना तब की जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
- (iv) दावों (जिनमें ग्राहकों से विलंब से प्राप्त ब्याज सहित) की गणना तब की जाती है, जब यह निश्चित हो जाए कि दावे प्राप्त हो जाएंगे।
- (v) निवेशकों द्वारा स्वीकृत दावों के आधार पर बीमा दावों की गणना की जाती है।
- (vi) प्राकृतिक गैस की न्यूनतम गारंटी ऑफ़टेक (एमजीओ) के संबंध में देयता उपलब्ध नहीं कराई जाती है क्योंकि इसके ग्राहकों से वसूली गई एमजीओ द्वारा प्राप्त किया जाता है। एमजीओ के कारण वर्ष के दौरान भुगतान/प्राप्तियों को उनकी प्राप्ति के आधार पर समायोजित किया जाता है।
- (vii) एलपीजी के परिवहन से संबंधित न्यूनतम प्रभारों की गणना प्राप्ति आधार पर की जाती है।
- (viii) दिनांक 01/04/2015 के बाद संविदा के अनुसरण में प्राप्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों के लिए ग्राहकों द्वारा दिए गए अंशदान को आस्थगित राजस्व में जमा किया जाता है और यह संविदा की अवधि की तुलना में परिशोधित होता है। ऐसी संविदा के अंतर्गत, कोई निर्मित/निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्ति, जहां-कहीं लागू हो, का उसके सकल मूल्य पर उल्लेख किया जाता है।

1.9 मूल्यहास/परिशोधन

क) मूर्त परिसंपत्तियां

नीचे दी गई परिसंपत्तियों जहां विभिन्न उपयोग अवधि को बाहरी/आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन के बाद हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान यथानुपात आधार पर स्ट्रेट लाइन पद्धति (एसएलएम) पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पद्धति एवं उपयोग अवधि के अनुसार किया जाता है।

विवरण	वर्ष
कर्मचारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए फनीचर एवं विद्युत उपकरण	6 वर्ष
कर्मचारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन	2 वर्ष

- (ii) पट्टे वाली भूमि की लागत शाश्वत पट्टे को छोड़कर पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।
- (iii) स्थाई परिसंपत्तियों की मूल लागत में कमी के समायोजन के कारण मूल्यहास भावी परिस्थिति को देखते हुए प्रभारित किया जाता है।

ख. अमूर्त परिसंपत्तियां

- i. अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकरण की तारीख से 5 वर्ष के अनधिक लाभदायक जीवन अवधि पर सीधी लाइन पद्धति (एलएलएम) पर सॉफ्टवेयर और लाइसेंस को परिशोधित किया जाता है।



- ii. अनिश्चित आयु (जिसके लिए ऐसी किसी अवधि हेतु कोई प्रत्याशित सीमा नहीं है, जिससे इस बात को देखते हुए उनसे निवल नकद प्रवाह का सृजन करने की संभावना हो कि इन अधिकारों का संबंधित पाइपलाइनों की आयु के बाद भी उपयोग किया जा सकता है) परिशोधित नहीं होती, लेकिन इसकी वार्षिक क्षति की दृष्टि से जांच की जाती है।
- iii. परिसम्पत्तियों की क्षति, यदि कोई हो, के बाद मूल्यहास इसके शेष लाभदायक उपयोग अवधि पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

ग) ग्राहक के परिसर पर स्थापित पूंजीगत परिसम्पत्तियां

ऐसी भूमि, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, ग्राहक के परिसर पर स्थापित पूंजीगत परिसम्पत्तियों की सुविधाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट लाभदायक उपयोग अवधि के अनुसार एसएलएम आधार पर मूल्यहासित किया जाता है।

1.10 कर्मचारी हितलाभ

- (क) सभी संक्षिप्त अवधि कर्मचारी हितलाभ के लिए लेखांकन अवधि में छूट से वंचित राशि पर पहचान की जाती है जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।
- (ख) भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान, पात्र कर्मचारी के वेतन के एक नियत प्रतिशत के आधार पर इस प्रयोजन के लिए स्थापित एक अलग ट्रस्ट में जमा किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी भावी अवधि में ब्याज की सांविधिक दर, जिसकी प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में की जाएगी, को पूरा करने के लिए निधि परिसम्पत्तियों में किसी कमी के लिए वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- (ग) छुट्टी नगदीकरण, प्रतिपूरक अनुपस्थिति, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना, दीर्घ सेवा पुरस्कार तथा अन्य टर्मिनल लाभों के अंतर्गत कर्मचारी हितलाभों के लिए परिभाषित बाध्यता के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी गणना अनुमानित इकाई के ऋण प्रक्रिया का उपयोग करके वास्तविक मूल्यांकन आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान, संबंधित योजना परिसम्पत्तियों से अधिक बीमांकिक दायित्वों को मान्यता दी जाती है।
- घ) पुनः माप में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ एवं हानि विवरण या वर्ष के दौरान होने वाली अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रतिधारित आय में संबंधित ऋण या जमा के रूप में तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है। पुनः माप को बाद की अवधियों में लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
- ड.) उपदान हेतु प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुरूप एक अलग ट्रस्ट में वित्तपोषित किया जाता है।

1.11 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों की वर्तमान राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को की जाती है। यदि आंतरिक/बाहरी तथ्यों के आधार पर नुकसान होने का कोई संकेत हो तो ऐसी हानि की पहचान की जाती है, जहां किसी अन्य परिसम्पत्ति की वर्तमान राशि उसकी वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है।

1.12 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसम्पत्तियां और पूंजी प्रतिबद्धताएं

- (क) मापन में अनुमान की व्यावहारिक मात्रा वाले प्रावधानों की पहचान की जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता हो तथा ऐसी संभावना हो कि संसाधनों का प्रवाह होगा। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका वित्तीय विवरणों में वर्णन किया जाता है। प्रत्येक मामले में रु. 5 लाख से अधिक आकस्मिक देयताओं को लेखा टिप्पणियों के माध्यम से वर्णित किया जाता है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां निपटान/समायोजन में किसी प्रवाह की बहुत कम संभावना हो।
- ख) पूंजी खातों में लागू किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि के मामले में रु. 5 लाख से अधिक प्रत्येक मामले में प्रकटन किया जाता है।

1.13 आय पर कर

वर्तमान कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट की गणना केवल तब की जाती है जब यह युक्तिसंगत प्रमाण हो कि कम्पनी विनिर्देशित अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार के बीच रिपोर्टिंग तारीख को सभी अस्थायी अंतर पर तुलन-पत्र पद्धति का प्रयोग करके आस्थगित कर उपलब्ध कराया जाता है तथा कर दर और कर कानूनों पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए उनके बही मूल्य को सूचित तारीख को लागू किया गया है या पर्याप्त रूप से लागू किया गया है।

लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) में शामिल न की गई मान्य मदों से संबंधित आस्थगित कर सम्पत्ति को मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक सूचित तारीख को आस्थगित कर परिसंपत्तियों के बही मूल्य की समीक्षा की जाती है और उसका उस सीमा तक समायोजन किया जाता है जिसमें यह संभावना न हो कि इससे पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा ताकि परिसम्पत्ति के सभी या कुछ भाग की वसूली की जा सके।

1.14 आरएंडडी व्यय

अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व व्यय को जिस वर्ष यह उपार्जित है उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय को मूर्त परिसम्पत्ति के रूप में समान अर्हता के मामले में पूंजीकृत किया जाता है।

1.15 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष बैंक में और नकद में तथा तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पावधि जमा राशि शामिल है, जोकि मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन होता है।

1.16 खंड की रिपोर्टिंग

कंपनी का प्रबंधन संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक खंड के प्रचालन परिणाम की निगरानी करता है। खंड निष्पादन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और इसे वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा जाता है।

प्रचालन खंड का चयन उत्पादों/सेवाओं की प्रकृति के आधार पर की गई है।

- क) खंड राजस्व में अंतर-खंड राजस्व सहित खंड पर प्रत्यक्ष रूप से लागू योग्य/आवंटन शामिल है।
- ख) खंड के परिणामों के निर्धारण के लिए जिन क्षेत्रों में व्यय प्रत्यक्ष रूप से पहचाने जाने योग्य/आवंटित किया जा सकता है, पर विचार किया जाता है।
- ग) ऐसा व्यय जो कंपनी से पूरी तरह से संबंधित है और जिसे खंडों के लिए आवंटन नहीं किया जा सकता, को आवंटित न किए जाने वाले व्यय में शामिल किया जाता है।
- घ) कंपनी की ऐसी संपूर्ण आय जिसे खंडों के लिए आवंटन नहीं किया जा सकता, को आवंटित न किए जाने वाले व्यय में शामिल किया जाता है।
- ड) खंड परिसंपत्तियों और देनदारियों में प्रत्यक्ष रूप से पहचान किए जा सकने वाले संबंधित खंड शामिल हैं। आवंटित न की जा सकने वाले परिसंपत्तियां और देनदारियां उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाती हैं जो पूरी तरह से कंपनी से संबंधित हैं और किसी भी क्षेत्र के लिए आवंटन योग्य नहीं हैं।

1.17 प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को देय कर पश्चात् निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम की गई आमदनी की

गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के औसत तथा वर्ष के दौरान प्रति शेयर कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों को समायोजित निवल लाभ से विभाजित करके की जाती है।

1.18 पट्टा

पट्टे को प्रारंभिक तारीख को वित्त पट्टा या प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा पट्टा जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है, को वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टों पर अधिग्रहित परिसंपत्तियां, जहां पट्टादाता द्वारा जोखिम के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बनाए रखा जाता है, को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टे पर किराए को सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है। तथापि, किराया व्यय सीधी रेखा पर आधारित नहीं होता, यदि किराए में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के अनुरूप हो।

पट्टे पर देने वाली संपत्ति को पट्टे के शुरू होने की प्रारंभिक तारीख से न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टेदार परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ में वित्त पट्टों को पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त प्रभारों और पट्टा देयता की कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष बकाया पर ब्याज की सतत दर प्राप्त हो सके। वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्ज किया जाता है।

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

पट्टे जिसमें कंपनी सभी परिसंपत्तियों के स्वामित्व के जोखिम को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती तथा किसी परिसंपत्ति के अधिकार को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टा से किराए पर आय को संगत पट्टे की अवधि के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से पट्टेदार तक स्वामित्व के सभी जोखिम हस्तांतरित हो जाते हैं।

1.19 परिसमापन क्षति/मूल्य में कमी अनुसूची

जब कभी मामले का निपटारा किया जाता है, परिसमापन क्षति/मूल्य में कमी अनुसूची के लिए वसूली गई राशि को समायोजित/विनियोजित किया जाता है।

1.20 उचित मूल्य माप

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर व्युत्पन्न और विशिष्ट निवेश (सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी के अलावा) सहित वित्तीय साधनों को मापती है।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां, जिसके उचित मूल्य की गणना वित्तीय विवरणों में की जाती है या खुलासा किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें निम्नानुसार वर्णित निम्न स्तर के इनपुट के आधार पर दर्ज किया जाता है जो पूर्ण रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण होता है:

- स्तर 1—समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार कीमत
- स्तर 2—मूल्यांकन तकनीक, जिसके लिए निम्नतम स्तर इनपुट उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, को प्रत्यक्ष या परोक्ष माना जाता है।
- स्तर 3 — मूल्यांकन तकनीक, जिसके लिए निम्नतम स्तर इनपुट उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण होता है, को स्वीकार योग्य नहीं माना जाता।

परिसंपत्तियां और देनदारियां, जिन्हें आवर्ती आधार पर तुलन-पत्र में दर्ज किया जाता है, के लिए कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या हस्तांतरण प्रत्येक सूचित अवधि के अंत में पुनः मूल्यांकन श्रेणी में पदानुक्रम में स्तर के

आधार पर हुआ है (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर जो पूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण होता है)।

उचित मूल्य खुलासे के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के वर्गों का निर्धारण परिसंपत्तियों या देयताओं के गुणों और जोखिम की प्रकृति के आधार पर किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर को ऊपर स्पष्ट किया गया है।

1.21 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वह संविदा है जो किसी कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य कंपनी की वित्तीय देयता या इक्विटी को बढ़ाता है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण करती है, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर या वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

(ii) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है और यदि लेनदेन लागत, जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, को लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज नहीं किया जाता है।

(iii) परिवर्ती माप

परिवर्ती माप को वित्तीय परिसंपत्तियों के उद्देश्यों के लिए नीचे दी गई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

व्युत्पन्न और विशिष्ट निवेश के अलावा अन्य किसी वित्तीय परिसंपत्ति, यदि यह किसी व्यवसाय मॉडल में शामिल है, को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्ति को बनाए रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह की विशिष्ट तारीखों के अनुसार निर्धारित होती हैं जो केवल मूलधन का और बकाया मूलधन राशि के ब्याज का भुगतान होती हैं।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

विशिष्ट निवेश शामिल करने वाली किसी वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य के रूप में मापा जाता है यदि यह किसी व्यवसाय मॉडल में डाला जाता है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों को हासिल करना होता है, तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों को नकदी प्रवाह की तारीखों के अनुसार निर्धारित होती हैं जो केवल मूलधन का और बकाया मूलधन राशि के ब्याज का भुगतान होती हैं। कंपनी ने अपने निवेश के लिए स्थायी चयन किया है जिसे इक्विटी साधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि बाद में इसके कारोबारी मॉडल पर आधारित अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में होने वाले बदलाव किए जा सकें।

ग) लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

व्युत्पन्न सहित वित्तीय परिसंपत्ति, जिसे उपरोक्त किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित रूप से मूल्य निर्धारण किया जाता है।

iv) मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को मुख्य रूप से तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार



की समय-सीमा समाप्त हो गई हो या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो।

v) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश

कंपनी ने लागत पर सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को अपने निवेश के लिए जिम्मेदार बताया है। कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या इस बात के कोई संकेत हैं कि इन निवेशों में सुधार किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, तो निवेश को उसके उचित मूल्य के आधार पर क्षति माना जाता है।

vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल के आधार पर नुकसान का आकलन करती है और वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि को दर्ज करती है जो व्यापार प्राप्तियों या अनुबंध राजस्व प्राप्तियों और सभी पट्टे प्राप्तियों आदि से होती हैं।

ख) वित्तीय देयताएं

(i) वर्गीकरण

कंपनी सभी वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण करती है जिन्हें बाद में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। व्युत्पन्न सहित ऐसी देनदारियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा।

(ii) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर, तथा ऋण और उधार एवं देनदारियों के मामले में प्रत्यक्ष लेनदेन लागतों के निवल पर मापा जाता है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देनदारियां, ऋण और उधार में बैंक ओवरड्राफ्ट, और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल होते हैं।

(iii) परवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके ब्याज-आधारित ऋण और उधार को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब देनदारियां और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया समाप्त की जाती हैं तो लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ख) लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में, लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर व्यापारिक और वित्तीय देयताओं के लिए निर्धारित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए निर्धारित अनुसार वर्गीकृत किया जाता है यदि उन्हें निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए खर्च किया जाता है। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल होते हैं जिन्हें हेजिंग साधनों के रूप में हेज साधनों के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, जैसा कि इंड एएस 109 में परिभाषित है। अलग-अलग समाहित व्युत्पन्न को भी व्यापार के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधन के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(iv) मान्यता समाप्त करना

देनदारी के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को समाप्त कर दिया जाता है।

क) वित्तीय साधनों का पूरा होना

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियां पूरी होने पर और तुलन-पत्र में निवल राशि की सूचना दी जाती है यदि वर्तमान में स्वीकृत राशि को हटाने, और निवल आधार पर समझौता करने, परिसंपत्ति को स्वीकार करने और साथ ही देनदारियों का निपटान का अधिकार हो।

ख) व्युत्पन्न वित्तीय साधन

कंपनी क्रमशः अपने विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और वस्तु मूल्य जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों जैसे अग्रिम मुद्रा संविदा, ब्याज दर की अदला-बदली, पूर्ण मुद्रा अदला-बदली और अग्रिम वस्तु संविदा का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय साधनों की शुरुआत उस तारीख से उचित मूल्य पर की जाती है, जिस पर कोई व्युत्पन्न संविदा की गई है और बाद में उचित मूल्य पर इसका लाभ उठाया जाता है। व्युत्पन्न को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में लिया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक हो और वित्तीय देनदारियों के रूप में जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

व्युत्पन्न के निष्पक्ष मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से होने वाला कोई भी लाभ या हानि प्रत्यक्ष रूप से लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

1.22 मानक जारी किंतु अभी तक प्रभावी नहीं

क) इंड - एएस 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

इंड एएस 115 को फरवरी, 2015 में जारी किया गया था। नए मानक का मूल सिद्धांत यह है कि किसी कंपनी को प्रस्तावित सामान या सेवाओं के हस्तांतरण को दर्शाए जाने वाले राजस्व की पहचान करनी चाहिए, जो उस राशि को दर्शाती है जिसमें किसी कंपनी से उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में पात्रता की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, नए मानक के लिए प्रकृति, राशि, समय और राजस्व की अनिश्चितता तथा कंपनी द्वारा ग्राहकों के साथ करार करने से उत्पन्न नकदी प्रवाह के बारे में व्यापक प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।

यह मानक 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखांकन अवधि से लागू होगा। कंपनी नए मानक को अपेक्षित प्रभावी तारीख को अपनाएगी। कंपनी प्रारंभिक आवेदन पर इंड-एएस 115 के प्रभाव का आकलन कर रही है, जो अधिक विस्तृत चल रहे विश्लेषण से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अधीन है।

ख) इंड एएस 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में संशोधन

इंड एएस 7 में संशोधन के लिए कंपनियों को खुलासा करना आवश्यक होता है जो वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तन से होने वाले दोनों परिवर्तनों के साथ-साथ प्रकटीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त-पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न देनदारियों के लिए तुलन-पत्र में प्रारंभिक और अंतिम बकाया के बीच पुनः समायोजन शामिल होता है।

1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखा अवधि के लिए यह संशोधन प्रभावी है। कंपनी संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रही है और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
I.	आय			
	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	19	49,333.81	52,552.31
	अन्य आय	20	1,006.46	751.87
	कुल राजस्व (I)		50,340.27	53,304.18
II.	व्यय			
	उपभुक्त सामग्रियों की लागत		3,226.34	3,383.66
	व्यापार में स्टॉक की खरीद		33,215.68	38,374.24
	तैयार माल, व्यापार स्टॉक और डब्ल्यूआईपी की मांग सूची में परिवर्तन	21	42.29	412.08
	कर्मचारी लाभ व्यय	22	1,286.65	987.70
	वित्त लागत	23	510.99	821.83
	मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय	24	1,543.01	1,495.60
	उत्पाद शुल्क		761.80	499.80
	अन्य व्यय	25	4,206.86	4,380.39
	कुल व्यय (II)		44,793.62	50,355.29
III.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)		5,546.65	2,948.88
IV.	असाधारण मदें			
	जमा: निवेश की विक्री पर लाभ(संदर्भ टिप्पणी सं. 42)		210.65	-
V.	कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		5,757.30	2,948.88
VI.	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर		1,337.62	206.68
	(2) आस्थगित कर		456.73	936.62
	(3) पूर्व अवधियों से संबंधित कर का समायोजन		15.01	(51.96)
			1,809.36	1,091.34
VII.	एसोसिएट की हिस्सेदारी से पूर्व कर पश्चात् लाभ (V-VI)		3,947.94	1,857.54
VIII.	वर्ष हेतु संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों में लाभ/(हानि) का हिस्सा		(574.02)	16.85
IX.	वर्ष के लिए लाभ (VII+VIII)		3,373.92	1,874.39
X.	अन्य व्यापक आय	क		
	अन्य व्यापक आय को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा:		-	-
	विदेशी प्रचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर आय कर प्रभाव		(5.33)	(13.38)
			-	-
	निवल अन्य व्यापक आय को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा:		(5.33)	(13.38)
XI.	अन्य व्यापक आय को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:			
	निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)		32.23	34.58
	आय कर प्रभाव		(11.15)	(11.96)
			21.08	22.62



(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
	भूमि और भवनों का पुनः मूल्यांकन		-	-
	आय कर प्रभाव		-	-
	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर निवल (हानि)/लाभ		1,284.97	(1,936.59)
	आय कर प्रभाव		-	-
			1,284.97	(1,936.59)
	निवल अन्य व्यापक आय को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:		1,306.05	(1,913.97)
	वर्ष हेतु संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों में अन्य व्यापक आय का हिस्सा		(0.87)	0.80
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, निवल कर		1,299.85	(1,926.55)
XII.	लाभ और हानि अवधि और ओसीआई, कर योग्य निवल के लिए कुल व्यापक आय:		4,673.77	(52.16)
	वर्ष के लिए लाभ के कारण:		3,373.92	1,874.39
	मूल कंपनी के इक्विटी धारक		3,368.16	1,869.22
	गैर-नियंत्रक ब्याज		5.76	5.17
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय के कारण:		1,299.85	(1,926.55)
	मूल कंपनी के इक्विटी धारक		1,299.85	(1,926.55)
	गैर-नियंत्रक ब्याज		-	-
XIII.	सतत प्रचालन के लिए प्रति शेयर आय (₹ में)			
	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण बेसिक		19.91	11.05
	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण तनूकृत		19.91	11.05
XIV.	प्रचालन बंद करने के लिए प्रति शेयर आय (₹ में)			
	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण बेसिक		-	-
	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण तनूकृत		-	-
XV.	प्रचालन जारी रखने और बंद करने के लिए प्रति शेयर आय (₹ में)			
	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण बेसिक		19.91	11.05
	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण तनूकृत		19.91	11.05

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट 1 से 51 समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग हैं।

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां “क”

अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

इविचटी में प्रत्येक प्रकार के रिजर्व द्वारा ओसीआई की तुलना में गैर-समूह को नीचे दर्शाया गया है:

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रतिधारित आय	कुल
विदेशी प्रचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर आय कर प्रभाव	(5.33) -	(5.33) -
कुल	(5.33)	(5.33)
निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि) उस पर आय कर प्रभाव	32.23 (11.15)	32.23 (11.15)
कुल	21.08	21.08
निवेश पर एफवीटीओसीआई पर निवल (हानि)/लाभ उस पर आय कर प्रभाव	1,284.97 -	1,284.97 -
कुल	1,284.97	1,284.97

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रतिधारित आय	कुल
विदेशी प्रचालनों के अंतरण पर विनिमय अंतर आय कर प्रभाव	(13.38) -	(13.38) -
कुल	(13.38)	(13.38)
निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि) उस पर आय कर प्रभाव	34.58 (11.96)	34.58 (11.96)
कुल	22.62	22.62
निवेश पर एफवीटीओसीआई पर निवल (हानि)/लाभ उस पर आय कर प्रभाव	(1,936.59) -	(1,936.59) -
कुल	(1,936.59)	(1,936.59)



31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रत्येक 10 रुपए के जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	1 अप्रैल, 2016 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन*	31 मार्च 2017 को
मूल कंपनी के स्वामियों के कारण	11	1,268.48	422.82	1,691.30
कुल		1,268.48	422.82	1,691.30

* वर्ष के दौरान कंपनी ने इक्विटी शेयरधारकों द्वारा धारित प्रत्येक तीन इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक 10 रुपए के एक इक्विटी के अनुपात में बोनस शेयर जारी किया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	टिप्पणी सं.	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2016 को
मूल कंपनी के स्वामियों के कारण	11	1,268.48	-	1,268.48
कुल		1,268.48	-	1,268.48

ख. अन्य इक्विटी (देखें टिप्पणी सं.12)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय	अन्य कुल इक्विटी	गैर नियंत्रक ब्याज
	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	बांड विमोचन रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सामान्य रिजर्व			
1 अप्रैल, 2016 को अधिशेष	32,379.04	0.27	238.72	-	4,425.68	(1,908.77)	35,134.93	27.24
समेकन पर प्रारंभिक शेष में समायोजन अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(2.78)	-	-	-	-	-	(2.78)	-
विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमय अंतर*	3,368.16	-	-	-	-	(5.33)	3,368.16	5.76
अवधि के दौरान रिजर्व में अंतरण	(98.46)	-	98.46	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	(1,763.76)	-	-	-	(422.82)	-	(422.82)	-
लाभांश							(1,763.76)	
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)								
-निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)						20.21	20.21	
-एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर निवल (हानि)/लाभ						1,284.97	1,284.97	
31 मार्च 2017 को बकाया	33,882.20	0.27	337.18	-	4,002.86	(608.92)	37,613.59	33.00

जारी...

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय	अन्य कुल इक्विटी	गैर नियंत्रक व्याज
	प्रतिधारित आय	प्रतिभूति प्रीमियम	बांड विमोचन रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सामान्य रिजर्व			
1 अप्रैल, 2015 को अधिशेष	31,609.97	0.27	204.04	1.00	4,195.79	17.77	36,028.84	18.99
समेकन पर प्रारम्भिक शेष में समायोजन	3.11	-	-	-	-	-	3.11	3.08
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	1,869.22	-	-	-	-	-	1,869.22	5.17
विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमय अंतर*	-	-	-	-	-	(13.38)	(13.38)	-
अवधि के दौरान रिजर्व में अंतरण	(263.57)	-	34.68	(1.00)	229.89	-	-	-
लाभांश	(839.69)	-	-	-	-	-	(839.69)	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)								
-निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ (हानि)	-	-	-	-	-	23.42	23.42	-
-एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर निवल (हानि)/लाभ	-	-	-	-	-	(1,936.59)	(1,936.59)	-
31 मार्च 2016 को बकाया	32,379.04	0.27	238.72	-	4,425.68	(1,908.77)	35,134.93	27.24

वर्ष के लिए, कंपनी ने 2.70 रुपए प्रति शेयर अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है (पिछले वर्ष 3 रुपए प्रति शेयर)

*अन्य व्यापक आय में विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व शामिल

विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व का प्रयोग विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अंतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को रिकार्ड करने के लिए किया जाता है।

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017



टिप्पणी 2 - संपत्ति संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

लागत/मूल्यांकन	भूमि		भवन		बैंक आवास	संयंत्र और मशीनरी	रेलवे लाइन और साइडिंग	विद्युत उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	परिवहन उपकरण	कार्यालय उपकरण	अन्य उपकरण	ईएंडपी परिसंपत्तियां			कुल
	प्रीहोल्ड	लीज होल्ड	कार्यालय /अन्य	आवासीय									संपत्ति उत्पादन	सहायक उपकरण और सुविधाएं	अप्रमाणित लीजहोल्ड लागत	
1 अप्रैल 2015 को अधिशेष अवधि के लिए जमा/समायोजन अवधि के लिए निपटान/समायोजन	187.70	75.23	630.15	252.90	0.47	24,832.33	0.27	261.75	73.91	4.32	68.38	66.70	1,832.99	1.66	0.72	28,289.47
31 मार्च 2016 को अवधि के लिए जमा/समायोजन अवधि के लिए निपटान/समायोजन	54.30 (43.23)	7.22 (9.19)	123.07 (24.05)	19.26 (18.54)	0.20 (0.14)	2,043.97 (537.75)	-	28.1 (7.65)	125.38 (8.86)	1.05 (0.29)	48.26 (17.58)	46.42 (16.20)	312.93 70.56	3.06	-	2,713.23 (612.89)
31 मार्च 2017 को अवधि के लिए जमा/समायोजन अवधि के लिए निपटान/समायोजन	198.77	73.26	729.17	253.62	0.53	26,338.55	0.27	282.20	90.43	5.08	99.06	96.92	2,216.48	4.72	0.75	30,389.81
	46.63	25.28	58.02	11.07	0.31	1,232.30	-	32.85	23.50	0.13	28.96	28.58	39.36	-	-	1,527.00
	0.08	(0.79)	(15.28)	(0.10)	(0.19)	108.69	-	(4.95)	(3.65)	0.03	(10.97)	(8.53)	31.96	-	(0.75)	95.55
31 मार्च 2017 को	245.48	97.75	771.91	264.59	0.65	27,679.54	0.27	310.11	110.28	5.24	117.04	116.97	2,287.81	4.72	-	32,012.36
मूल्यहास और हानि																
मूल्यहास व्यय	-	0.20	31.04	10.07	0.28	1,084.03	-	34.50	10.17	0.80	28.25	20.57	254.25	0.34	-	1,474.50
हानि	-	-	-	-	-	8.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.05
अवधि के लिए जमा/समायोजन	-	(1.49)	(10.25)	(5.46)	(0.14)	(264.72)	-	(7.02)	(6.03)	(0.28)	(16.14)	(10.40)	23.10	-	-	(298.82)
31 मार्च 2016 को	-	(1.29)	20.79	4.61	0.14	827.36	-	27.48	4.14	0.52	12.11	10.17	277.35	0.34	-	1,183.73
मूल्यहास व्यय	-	0.76	36.31	10.75	0.30	1,164.02	-	41.00	12.36	0.69	29.34	22.67	205.73	0.34	-	1,524.28
हानि	-	-	-	-	-	7.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.22
अवधि के लिए निपटान/समायोजन	-	0.02	(0.61)	(0.09)	(0.19)	(24.26)	-	(6.55)	(3.24)	(0.06)	(9.93)	(7.40)	15.37	-	-	(36.94)
31 मार्च 2017 को	-	(0.51)	56.49	15.27	0.25	1,974.34	-	61.93	13.26	1.16	31.52	25.44	498.45	0.68	-	2,678.28
निचल रही मूल्य																
1 अप्रैल 2015 को	187.70	75.23	630.15	252.90	0.47	24,832.33	0.27	261.75	73.91	4.32	68.38	66.70	1,832.99	1.66	0.72	28,289.47
31 मार्च 2016 को	198.77	74.55	708.38	249.01	0.39	25,511.19	0.27	254.73	86.29	4.55	86.94	86.75	1,939.13	4.38	0.75	29,206.08
31 मार्च 2017 को	245.48	98.26	715.42	249.32	0.40	25,705.20	0.27	248.17	97.02	4.08	85.52	91.53	1,789.36	4.04	-	29,334.08

टिप्पणी 3 - कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		1 अप्रैल, 2015 को
A. मूल						
I. संयंत्र और मशीनरी						
कैथोडिक सुरक्षा सहित लाइनपाइप निर्माण और संबंधित सुविधाएं	2,250.84		1,690.97		1,224.06	
घटाएं : लाइनपाइप तथा संबंधित सुविधाओं हेतु प्रावधान	124.52	2,126.32	111.58	1,579.39	95.70	1,128.36
प्रेषण/प्रापण टर्मिनल		14.62		14.88		12.17
कम्प्रेसर स्टेशन		66.83		0.08		12.09
दूरसंचार/टेली सुपरवाइजरी सिस्टम		28.67		15.65		8.20
पेट्रोकेमिकल		134.55		124.47		1,255.85
अन्य		151.46		77.26		80.27
कूप का विकास		11.37		5.22		109.06
रेलवे साइडिंग		-		-		-
II. भवन	32.15	-	40.26		91.77	
घटाएं : भवन के परित्याग हेतु प्रावधान	5.28	26.87	5.28	34.98	5.28	86.49
III. लाइनपाइप, स्टॉक/मार्गस्थ पूंजीगत मद	1,325.92	-	1,525.40		1,469.29	
घटाएं : हानि/अव्यवहृत हेतु प्रावधान	10.81	1,315.11	9.88	1,515.52	6.55	1,462.74
ख. अमूर्त						
ओरओयू		5.13		5.13		-
सॉफ्टवेयर और अन्य		26.92		29.52		9.04
कुल (निवल)		3,907.85		3,402.11		4,164.26

टिप्पणी 4 - अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रयोग का अधिकार	सॉफ्टवेयर/ लाइसेंस	कुल	विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां
1 अप्रैल 2015	719.16	28.04	747.20	365.06
अवधि के लिए जमा/समायोजन	(5.40)	13.45	8.05	37.81
अवधि के लिए निपटान/समायोजन	(0.07)	1.31	1.24	(116.94)
31 मार्च 2016 को	713.69	42.80	756.49	285.93
अवधि के लिए जमा/समायोजन	7.89	24.57	32.46	42.75
अवधि के लिए निपटान/समायोजन	-	(2.64)	(2.64)	(110.49)
31 मार्च 2017 को	721.58	64.73	786.31	218.19
मूल्यहास और हानि				
मूल्यहास व्यय	-	14.39	14.39	-
हानि	-	-	-	-
अवधि के लिए निपटान/समायोजन	(0.02)	1.75	1.73	-
31 मार्च 2016 को	(0.02)	16.14	16.12	-
मूल्यहास व्यय	0.07	12.06	12.13	-
अवधि के लिए निपटान/समायोजन	-	0.30	0.31	-
31 मार्च 2017 को	0.05	28.50	28.56	-
निवल बही मूल्य				
1 अप्रैल 2015 को	719.16	28.04	747.20	365.06
31 मार्च 2016 को	713.71	26.66	740.37	285.93
31 मार्च 2017 को	721.53	36.23	757.76	218.19



टिप्पणी 5 - निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
(क)	संयुक्त उद्यम कंपनियां:						
	अनुद्भूत निवेश						
1	- सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 1,50,00,000; 01.04.2015 को 1,50,00,000) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	43.67 11.42 3.30	51.79	37.90 7.87 2.10	43.67	15.00 22.90 -	37.90
2	- ग्रीन गैस लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 2,30,42,250 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 2,30,42,250; 01.04.2015 को 2,30,42,250) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	103.97 22.38 -	126.35	86.75 17.22 -	103.97	23.04 63.71 -	86.75
3	- रत्नागिरी गैस पावर प्रा. लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 97,43,08,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 97,43,08,300; 01.04.2015 को 97,43,08,300) जमा: लाभ/(हानि) का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	47.02 (47.02) -	-	237.27 (190.25) -	47.02	974.31 (737.04) -	237.27
4	- ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 99,49,45,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 99,49,45,000; 01.04.2015 को 99,49,45,000) जमा: अवधि के दौरान लाभ/(हानि) का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	1,300.18 (733.40) -	566.78	1,385.91 (85.73) -	1,300.18	994.95 390.96 -	1,385.91
5	- महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 2,25,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 2,25,00,000; 01.04.2015 को 2,25,00,000) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	64.46 16.01 5.72	74.75	49.63 15.55 0.72	64.46	22.50 27.13 -	49.63
6	- अवंतिका गैस लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 2,25,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 2,25,00,000; 01.04.2015 को 2,25,00,000) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	35.31 9.54 -	44.85	26.83 8.48 -	35.31	22.50 4.33 -	26.83
7	- भाग्यनगर गैस लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 2,25,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 2,25,00,000; 01.04.2015 को 2,25,00,000) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	38.53 6.56 -	45.09	36.15 2.38 -	38.53	22.50 13.65 -	36.15
8	- वडोदरा गैस लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 7,91,37,831 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष का लंबित आवंटन) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	123.88 1.36 -	125.24	119.07 4.81 -	123.88	79.14 - -	79.14
9	- तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 15,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 15,000; 01 अप्रैल 2015 को शून्य) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	0.02 (0.01) -	0.01	0.02 - -	0.02	- - -	-
	जारी.						

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
10	तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड लंबित आवंटन:- तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड	- 26.87	- 26.87	- 9.18	- 9.18	- -	- -
11	गेल गैस लिमिटेड के माध्यम से - आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 100,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 100,00,000; 01.04.2015 को 100,00,000) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	14.23 (0.65) -	13.58	14.23 -	14.23	9.52 -	9.52
12	- केरल गेल गैस लिमिटेड प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 119,28,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 119,28,000; 01.04.2015 को 119,28,000) जमा: लाभ का शेयर घटाएं: प्राप्त लाभांश	12.58 0.51 -	13.09	12.58 -	12.58	12.08 -	12.08
13	- राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 25,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2016 को 25,000; 01.04.2015 को 25,000) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	7.63 5.74 -	13.37	7.63 -	7.63	- -	-
14	- हरिद्वार गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त 75,00,000 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष: शून्य)		7.15		-		-
15	- गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड (प्रत्येक 10 रुपए के पूर्ण प्रदत्त 25,00,000 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष: शून्य) निवेश के लिए अग्रिम (लंबित आवंटन) -राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड -एपीजीडीसी: 2.97 करोड़ -वडोदरा गैस लिमिटेड: 2.97 करोड़		2.50		-		-
	कुल (क)		1,121.89		1,815.16		2,012.16
ख)	सहयोगी कंपनियों में उद्धृत						
1	- चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड, चीन प्रत्येक एचके डॉलर 0.01 के पूर्ण प्रदत्त 15,00,00,000 इक्विटी शेयर (31.03.2016 को 15,00,00,000; 01.04.2015 को 15,00,00,000) जमा: लाभ/(हानि) का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	398.84 51.16 25.17	424.83	360.25 62.61 24.02	398.84	97.37 262.88 -	360.25
2	- इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 3,15,00,000 इक्विटी शेयर (31.03.2016 को 3,15,00,000; 01.04.2015 को 3,15,00,000) जमा: लाभ का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	566.09 122.17 29.93	658.33	494.71 90.28 18.90	566.09	31.50 463.21 -	494.71
3	- पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 9,37,50,000 इक्विटी शेयर (31.03.2016 को 9,37,50,000; 01.04.2015 को 9,37,50,000) जारी.	832.81		739.40		98.75	



(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
4	जमा: लाभ/(हानि) का शेयर	212.93		112.16		640.65	
	घटा: प्राप्त लाभांश	23.44	1,022.30	18.75	832.81	-	739.40
	- महानगर गैस लिमिटेड	859.95		798.05		44.45	
	प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 3,21,02,750 इक्विटी शेयर (31.03.2016 को 4,44,50,000; 01.04.2015 को 4,44,50,000) अवधि के दौरान जमा/निपटान	(12.35)		-			-
1	जमा: लाभ का शेयर	(167.73)		139.68		753.60	
	घटा: प्राप्त लाभांश	81.86	598.01	77.79	859.94	-	798.05
	अनुद्धृत						
	- फॉयोउम गैस कंपनी						
2	प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त एलई के 19,000 इक्विटी शेयर (31.03.2016 को 19,000; 01.04.2015 को 19,000)	4.24		2.56		8.10	
	जमा: लाभ/(हानि) का शेयर	(1.32)		1.68		(5.15)	
	घटा: प्राप्त लाभांश	-	2.92	-	4.24	0.39	2.56
	- नेशनल गैस कंपनी "नेट गैस" (जीजीएसपीएल के माध्यम से)						
3	प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम एलई 34.5 में प्राप्त प्रति शेयर एलई 5/- के 3,000,000 इक्विटी शेयर (31.03.2016 को 3,000,000; 01.04.2015 को 3,000,000)	38.61		22.16		83.62	
	जमा: लाभ/(हानि) का शेयर	(24.41)		16.45		(53.90)	
	घटा: प्राप्त लाभांश	-	14.20	-	38.61	7.56	22.16
	- ब्रह्मपुत्र कैकर एंड पालीमर लिमिटेड						
3	क) प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 99,23,69,000 इक्विटी शेयर (31.03.2016 को 79,30,10,083; 01.04.2015 को 79,30,10,083)	607.03		791.18		793.01	
	अवधि के दौरान जमा/निपटान	199.36		-		-	
	जमा: लाभ/(हानि) का शेयर	(387.37)		(184.15)		(1.83)	
	घटा: प्राप्त लाभांश	-	419.02	-	607.03	-	791.18
	कुल (ख)		3,139.60		3,307.56		3,208.31
(ग)	अन्य निवेश						
	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर निवेश (पूर्ण प्रदत्त):						
	अनुद्धृत						
	- दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन लिमिटेड (हांग कांग में पंजीकृत)		0.04		0.04		0.04
	निवेश के लिए अग्रिम (लंबित आवंटन - दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड):		286.59		295.02		338.80
	- दर्पण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, वडोदरा (₹.1500/-)						
	- अशोका अपार्टमेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, वडोदरा (₹.2,500/-)						
	- सानंद मेंबर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद (₹.4000/-)						
	- ग्रीन फील्ड (ख) कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई (₹.2,750/-)						
	- एविलियन ग्रीनफील्ड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई (₹.250/-)						
	- सूरज हाइट्स ए कोऑपहाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई (₹.1500/-)						
	जारी...						

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
	- शील जीत कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मंबई (₹. 50/-)			
	- गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन लिमिटेड प्रत्येक ₹. 10/- के पूर्ण प्रदत्त 2,07,60,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष: 5,70,600) (₹.15/- प्रति शेयर प्रीमियम पर अर्जित 1,90,200 इक्विटी शेयर) जमा: लाभ/(हानि) का शेयर घटा: प्राप्त लाभांश	7.14	6.73	-
	उद्धृत - ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रत्येक 5/- रुपए के पूर्ण प्रदत्त 30,84,01,602 इक्विटी शेयर (1999-2000 के दौरान ₹.10/- के 3,42,66,845 शेयर ₹. 162.34 प्रति शेयर मूल्य पर प्राप्त, वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्येक ₹.10/- के 1,71,33,422 बोनस शेयर प्राप्त, वर्ष 2010-11 के दौरान ₹.10/- के 5,14,00,267 इक्विटी शेयरों को प्रत्येक ₹.5/- के इक्विटी शेयरों में तथा ₹.5/- के 1:1 बोनस इश्यू में बांटा गया, इसके बाद वर्ष 2016-17 के दौरान 1:2 इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू प्राप्त हुए हैं)।	5,706.97	4,415.28	6,307.84
	- गुजरात इंडस्ट्रीज पॉवर कंपनी लिमिटेड 10/- रुपए के पूर्ण प्रदत्त 5,70,600 शेयर (₹.15/- प्रति शेयर प्रीमियम पर प्राप्त 1,90,200 इक्विटी शेयर शामिल हैं)	5.90	4.61	4.85
	कुल (ग)	6,006.64	4,721.68	6,651.53
	कुल चालू	-	-	-
	कुल गैर-चालू	10,268.13	9,844.40	11,872.00

उद्धृत निवेश की औसत राशि

- बही मूल्य (रखरखाव लागत)	8,410.44	7,072.96	8,700.25
- बाजार मूल्य	17,120.84	10,023.51	10,770.05

अनुद्धृत निवेश की औसत राशि

	1,857.69	2,771.44	3,171.75
--	----------	----------	----------

क) संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट में उपर्युक्त निवेश में से, गेल के नाम पर कुछ शेयर हैं।

ख) निवेश का मूल्य समेकित वित्तीय विवरणों की तुलना में टिप्पणी 4.03 में लेखांकन नीति सं. (xix) के अनुसार लगाया गया है।

ग) सहायक कंपनी, संबद्ध और संयुक्त उद्यमों के अलावा निवेश का मूल्य प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर लगाया गया है।

घ) गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन लिमिटेड 14.08.2015 से एसोसिएट के रूप में बंद हो गई है।



टिप्पणी 6 : व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
व्यापार प्राप्तियां		4,559.16	4,622.75	6,077.09
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		704.77	798.71	560.58
कुल व्यापार और अन्य प्राप्तियां		3,854.39	3,824.04	5,516.51
चालू		2,750.73	2,723.46	3,117.75
गैर-चालू		1,103.66	1,100.58	2,398.76

व्यापार प्राप्तियों का प्रतिभूति ब्यौरा

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
गैर-चालू (असुरक्षित)				
सही माने गए	1,118.67		1,115.54	2,413.09
संदिग्ध माने गए	686.87		778.98	545.38
	1,805.54		1,894.52	2,958.47
घटाएं: अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	686.87		778.98	545.38
घटाएं: संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	15.01	1,103.66	14.96	14.33
चालू (असुरक्षित)				
अच्छे माने गए	2,767.38		2,742.11	3,136.15
संदिग्ध माने गए	17.90		19.73	19.48
	2,785.28		2,761.84	3,155.63
घटाएं: अप्राप्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	17.90		19.73	19.48
घटाएं: संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	16.65	2,750.73	18.65	18.40
कुल व्यापार और अन्य प्राप्तियां		3,854.39	3,824.04	5,516.51

टिप्पणी:- कोई व्यापार प्राप्तियां कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से पृथक या किसी अन्य व्यक्ति से संयुक्त रूप से या किसी फर्म या प्राइवेट कंपनियों, जिसमें निदेशक पार्टनर, निदेशक या सदस्य हैं, से देय नहीं हैं।

टिप्पणी 7 क - वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
संबंधित पार्टियों को ऋण और अन्य प्राप्य (असुरक्षित अच्छे माने गए)				
- एसोसिएट को		15.02	98.96	3.04
- संयुक्त उद्यमों को		171.88	131.77	150.58
- अन्यो को ऋण		235.47	262.72	269.84
अन्य ऋण और प्राप्य:				
- कर्मचारियों को ऋण:				
- रक्षित, सही माने गए		360.51	292.65	248.20
- आरक्षित, सही माने गए		0.02	0.02	0.02
- सुरक्षा जमा राशि का भुगतान:				
- आरक्षित, सही माने गए	547.99		458.93	469.24
- आरक्षित, संदिग्ध माने गए	3.54		3.54	3.54
घटाएं: संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	3.54	547.99	3.54	469.24
अन्य प्राप्य				
वित्तीय लीज प्राप्य		21.88	23.80	25.91
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		11.08	15.06	11.69
कुल ऋण और प्राप्य		1,363.85	1,283.91	1,178.52
चालू		739.93	584.76	498.03
गैर-चालू		623.92	699.15	680.49
		1,363.85	1,283.91	1,178.52

टिप्पणी - 7 ख अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
व्युत्पन्न उपकरण			
बाधाओं के रूप में विनिर्दिष्ट न होने वाले व्युत्पन्न:			
व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राप्य	64.26	266.03	206.93
लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर	64.26	266.03	206.93
कुल व्युत्पन्न उपकरण			
चालू	57.39	46.94	90.87
गैर-चालू	6.87	219.09	116.06

टिप्पणी 8 - मांग सूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित प्रमाणन के रूप में लिया गया)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
कच्ची सामग्रियां:			
गैस का स्टॉक (कैलोरीयुक्त मूल्य के समायोजन के बाद)	-	29.89	-
कार्य प्रगति पर:			
चल रहा स्टॉक	10.65	13.45	11.12
तैयार वस्तुएं:			
पॉलीमर्स / एलपीजी और अन्य उत्पाद	395.40	264.59	193.00
ट्रेड में स्टॉक			
तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित प्राकृतिक गैस (कैलोरीयुक्त मूल्य के समायोजन के बाद)	481.98	622.15	1,138.52
अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र रु. 0.49 करोड़ (पिछले वर्ष 0.06 करोड़)			
भंडारण और अतिरिक्त पुर्जे:			
भंडारण और अतिरिक्त पुर्जे**	839.98	713.35	619.02
घटाएं: अप्रयुक्त के लिए प्रावधान	19.87	25.13	23.27
कुल	1,708.14	1,618.30	1,938.39

* गैस के स्टॉक में मार्गस्थ में शून्य रूप शामिल हैं (पिछले वर्ष: रु. 100.89 करोड़)

** भंडारण और अतिरिक्त पुर्जे में मार्गस्थ में 48.51 करोड़ रूप शामिल हैं (पिछले वर्ष: 22.12 करोड़ रूप टिप्पणी सं. 1 में दी गई लेखांकन नीति सं. 1.7 के अनुसार मांग सूची का मूल्यांकन किया जाता है।

टिप्पणी 9क - नकदी तथा बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
बैंकों में शेष राशि:			
- चालू खाते में	68.22	70.88	45.77
- तीन माह से कम मूल परिपक्वता के साथ जमा	449.32	32.72	29.34
हस्तगत नकद	2.12	1.23	0.69
हस्तगत डाक टिकट	0.02	0.02	0.02
कुल	519.68	104.85	75.82



9 ख) उपर्युक्त के अलावा बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को
तीन माह से अधिक मूल परिपक्वता वाली जमा राशि निर्धारित खाते में अन्य बैंक बकाया:	256.28		708.33		206.61
- चालू खाता - देय लाभांश	-		-		-
- अल्पावधि जमा राशि - गैस पूल धनराशि	2.66		2.32		2.62
(प्रोद्भूत ब्याज सहित लेकिन देय नहीं 4.55 करोड़ रुपए) (पिछले वर्ष 14.91 करोड़ रुपए)	267.17		925.12		800.08
- अल्पावधि जमा राशि - असंतुलन और अधिक व्यय	346.96		85.71		79.92
(प्रोद्भूत ब्याज सहित लेकिन देय नहीं 3.82 करोड़ रुपए) (पिछले वर्ष 3.93 करोड़ रुपए)					
- अल्पावधि जमा राशि-संयुक्त उद्यम-संयुक्त उद्यम परिसंघ (प्रोद्भूत ब्याज सहित लेकिन देय नहीं 0.15 करोड़ रुपए) (पिछले वर्ष 0.26 करोड़ रुपए)	21.80		20.40		30.50
- अन्य	11.32		9.73		7.20
कुल	906.19		1,751.61		1,126.93
चालू	901.28		1,740.88		1,124.63
गैर-चालू	4.91		10.73		2.30

विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियां (एसबीएन) प्रकटीकरण

धारित विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियों (एसबीएन) के ब्यौरे से संबंधित प्रकटीकरण और 08 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान किया गया लेनदेन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	एसबीएन*	अन्य मूल्यवर्ग टिप्पणियां	कुल
08.11.2016 को हस्तगत नकद शेष	0.51	0.25	0.76
(+) बैंक खाते से निकासी	-	-	-
(+) अनुमत प्राप्तियां	10.22	12.95	23.16
(-) अनुमत भुगतान	-	-	-
(-) बैंक में जमा राशि	(10.73)	(11.69)	(22.41)
दिनांक 30.12.2016 को हस्तगत नकद शेष	-	1.51	1.51

*इस खंड के प्रयोजन के लिए, शब्द "विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियां" का वही अर्थ होगा जैसा कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 08 नवंबर 2016 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3407 (अ.) में दिया गया है।

टिप्पणी 10 - अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
मैट ऋण पात्रता		948.00		968.15		372.25
लंबित मांग की तुलना में अग्रिम आय कर						
– आरक्षित सही माने गए	1,158.11		1,294.74		1,256.09	
– आरक्षित संदिग्ध माने गए	162.21		107.57		107.57	
घटाएं: लंबित मांग की तुलना में संदिग्ध आय कर के लिए प्रावधान	162.21	1,158.11	107.57	1,294.74	107.57	1,256.09
अग्रिम कर	1,650.44		1,041.70		2,951.58	
घटाएं: कर के लिए प्रावधान	1,393.51	256.93	797.81	243.89	2,638.21	313.37
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष आरक्षित सही माने गए:						
सेनवेट ऋण प्राप्ति		111.24		119.66		113.84
वैट ऋण प्राप्ति		2,129.99		2,481.28		2,359.02
सेवा कर ऋण प्राप्ति		25.05		22.04		19.96
वसूली योग्य दावे (आरक्षित):						
– सही माने गए	192.84		232.87		153.95	
– संदिग्ध माने गए	18.15		14.77		1.13	
घटाएं: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	18.15	192.84	14.77	232.87	1.13	153.95
अन्य वसूली योग्य अग्रिम नकद या वस्तु में (552.25 करोड़ रुपए सहित पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को [पिछले वर्ष 561.80 करोड़ रुपए])		1,104.70		992.58		881.47
पूंजी अग्रिम (आरक्षित):						
– सही माने गए	48.23		4.03		11.37	
– संदिग्ध माने गए	0.35		0.35		0.35	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	0.35	48.23	0.35	4.03	0.35	11.37
अन्य अग्रिम		0.22		0.03		-
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों (असुरक्षित) को अग्रिम:						
– सही माने गए	33.80		27.33		70.08	
– संदिग्ध माने गए	9.69		8.91		0.99	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	9.69	33.80	8.91	27.33	0.99	70.08
हस्तगत स्वर्ण सिक्के		0.09		0.09		0.09
पूर्व भुगतान						
पूर्व भुगतान व्यय		58.81		64.75		68.80
पूर्व भुगतान किराया		77.95		82.08		83.45
पूर्व भुगतान कर्मचारी व्यय (कर्मचारियों को ऋण)		170.59		176.45		176.89
कुल		6,316.55		6,709.97		5,880.63
चालू		2,701.58		2,793.18		2,940.67
गैर-चालू		3,614.97		3,916.79		2,939.96



टिप्पणी 11 - इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
शेयर पूंजी			
अधिकृत			
प्रत्येक 10 रुपए के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 01 अप्रैल 2015 को प्रत्येक 10 रुपए के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर; प्रत्येक 10 रुपए के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त			
प्रत्येक 10 रुपए के 169,13,00,039.184 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 01 अप्रैल 2015 को प्रत्येक 10 रुपए के 126,84,77,400 इक्विटी शेयर; प्रत्येक 10 रुपए के 126,84,77,400 इक्विटी शेयर)	1,691.30	1,268.48	1,268.48
	1,691.30	1,268.48	1,268.48

संबंधित सूचना:-

क) मूल कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले हितधारकों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	संख्या	होल्डिंग का %	संख्या	होल्डिंग का %	संख्या	होल्डिंग का %
i) भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक)	920,651,612	54.43%	711,695,832	56.11%	711,733,651	56.11%
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम	110,445,783	6.53%	132,621,001	10.46%	116,105,407	9.15%

ख) कंपनी में 10/- रुपए प्रति शेयर के समकक्ष मूल्य वाले केवल एक वर्ग के इक्विटी शेयर ही हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित अनुसार लामांश प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयर धारक के अनुपात में मताधिकारों के लिए पात्र हैं।

ग) 1,63,45,528 (पिछले वर्ष: 1 अप्रैल 2015 को 1,18,91,046; 1,79,47,027) शेयर वैश्विक भंडार प्राप्तियों के रूप में धारित हैं।

घ) वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का पुनः समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में	1,268,477,400	1,268.48	1,268,477,400	1,268.48	1,268,477,400	1,268.48
वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर*	422,825,800	422.82	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	1,691,303,200	1,691.30	1,268,477,400	1,268.48	1,268,477,400	1,268.48

* वर्ष के दौरान मूल कंपनी ने इक्विटी द्वारा धारित प्रत्येक तीन इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक 10 रुपए के एक इक्विटी के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं।

टिप्पणी 12 - अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
सुरक्षा प्रीमियम - अंतिम तुलन-पत्र के रूप में		0.27		0.27		0.27
प्रतिधारित आय		32,379.04		31,609.97		27,884.54
जमा: अवधि के लिए लाभ		3,368.16		1,869.22		2,668.48
जमा: समायोजन प्रतिधारित आय एसोसिएट/संयुक्त उद्यम		(2.77)		3.11		1,824.34
घटाएं: समायोजन						
- बांड विमोचन रिजर्व में अंतरण		(98.46)		(34.68)		(36.76)
- सामान्य रिजर्व में अंतरण		(350.29)		(229.89)		(304.00)
- सीएसआर रिजर्व में अंतरण		-		1.00		30.00
- लाभांश		(388.58)		(380.54)		-
- निगमित लाभांश कर		(296.97)		(142.03)		(76.09)
- अंतरिम लाभांश		(1,078.21)		(317.12)		(380.54)
कुल		33,532.19		32,379.31		31,610.24
अन्य रिजर्व:						
- बांड विमोचन रिजर्व						
- प्रारंभिक शेष	238.72		204.04			
- वर्ष के दौरान परिवर्तन	98.46	337.18	(34.68)	238.72		204.04
- सीएसआर रिजर्व						
- प्रारंभिक शेष	-		1.00		1.00	
- वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	(1.00)	-	-	1.00
- विदेशी मुद्रा मार्गस्थ रिजर्व		(0.93)		4.40		17.77
- सामान्य रिजर्व (मार्गस्थ रिजर्व सहित)						
- प्रारंभिक शेष	4,425.68		4,195.79			
- बोनस शेयरों का निर्गम	(422.82)		-			
- पीएंडएल के अवधि फार्म विवरण के दौरान अंतरण	350.29	4,353.14	229.89	4,425.68		4,195.79
- अन्य व्यापक आय	(1,913.17)					
जमा: अवधि के लिए ओसीआई (एफसीटीआर के अलावा)	1,305.18	(607.99)		(1,913.17)		-
कुल		4,081.40		2,755.63		4,418.60
कुल योग		37,613.59		35,134.93		36,028.84

टिप्पणी 13क - उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
गैर चालू उधार						
प्रतिभूत बांड:						
- बांड 2010 सीरीज - I*		374.98		499.95		499.94
(8.80 प्रतिशत प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय बांड 2010 - सीरीज-1 7 वर्ष की समाप्ति से शुरू होकर आवंटन की तारीख 13 दिसंबर, 2010 से 10 वर्ष की समाप्ति तक 4 बराबर किस्तों में विमोचनीय है जिसे 7वें वर्ष के समाप्त होने पर वापस लिया जा सकता है)						
- बांड सीरीज 2012*		562.36		749.62		749.50
(9.14 प्रतिशत प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय बांड 2010 - सीरीज-1 5 वर्ष की समाप्ति से शुरू होकर आवंटन की तारीख 11 जून, 2012 से 5 वर्ष की समाप्ति तक 4 बराबर किस्तों में विमोचनीय है जिसे 5वें वर्ष के समाप्त होने पर वापस लिया जा सकता है)						
जारी.						



(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
<p>— बांड सीरीज 2015*</p> <p>(8.30 प्रतिशत प्रतिभूत गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय बांड 2015 — सीरीज-1 7 वर्ष की समाप्ति से शुरू होकर आवंटन की तारीख 23 फरवरी, 2015 से 10 वर्ष की समाप्ति तक 4 बराबर किस्तों में विमोचनीय है जिसे 7वें वर्ष के समाप्त होने पर वापस लिया जा सकता है)</p> <p>*बांड समान रूप से प्रतिभूत है जो गांव टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड गैर-कृषि भूमि पर प्रभारित हैं तथा उस पर निर्मित पूरी इमारत में संपूर्ण संयंत्र और मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार और सहायक उपकरण तथा विजयपुर में नए और पुराने दोनों में स्टेशनों के अन्य चल पुर्जे, चाहे स्थापित हों या नहीं या भंडार में पड़े हों।</p> <p>अप्रतिभूत आवधिक ऋण:</p> <p>— बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड (अंतिम निकासी की तारीख अर्थात् अगस्त 2016 से 5वें वर्ष के अंत में बुलेट का पुनः भुगतान)। ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित प्लोटींग ब्याज दर है)</p> <p>- बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड (अंतिम निकासी की तारीख अर्थात् दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 से चौथे, पांचवें और छठे वर्ष के अंत में बुलेट का पुनः भुगतान)। ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित प्लोटींग ब्याज दर है)</p> <p>- मिजुहो कार्पोरेट बैंक (अंतिम निकासी की तारीख अर्थात् जनवरी 2016, जनवरी 2017 और जनवरी 2018 से चौथे, पांचवें और छठे वर्ष के अंत में एक-तिहाई पुनः भुगतान) (ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित प्लोटींग ब्याज दर है)</p> <p>— सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन (अंतिम निकासी की तारीख अर्थात् नवंबर 2017, नवंबर 2018 से पांचवें और छठे वर्ष के अंत में आधा पुनः भुगतान) (ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित प्लोटींग ब्याज दर है)</p> <p>— सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (अंतिम निकासी की तारीख अर्थात् नवंबर 2017, नवंबर 2018 से पांचवें और छठे वर्ष के अंत में आधा पुनः भुगतान) (ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित प्लोटींग ब्याज दर है)</p> <p>— केएफडब्ल्यू जर्मनी (कोपरियन सुविधा) (नवंबर 2014 से शुरू होने वाली 14 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में पुनः भुगतान) ऋण पर ब्याज की दर फिक्स है)</p> <p>— सोसाइटी जनरले (22 अक्टूबर 2012 से शुरू होकर 20 अर्द्ध वार्षिक समान किस्तों में पुनः भुगतान) (ऋण पर 6 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित प्लोटींग ब्याज दर है)</p> <p>— जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) (जून 2013 से शुरू होने वाली 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में पुनः भुगतान) ऋण पर ब्याज की दर फिक्स है)</p> <p>—केएफडब्ल्यू जर्मनी (सीमेन्स सुविधा) (मार्च 2014 से शुरू होने वाली 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में पुनः भुगतान) ऋण पर ब्याज की दर फिक्स है)</p> <p>पुनः वित्त-पोषण के लिए बैंकों का सकृहन</p> <p>(समूहन में एसएमबीसी, मिजुहो बैंक लिमिटेड, डीबीएस बैंक लिमिटेड, प्रत्येक डॉलर 100 मिलियन) (नवंबर 2017 और नवंबर 2018 में आधे पुनः भुगतान सहित मौजूदा एसएमबीसी ऋण को पुनः वित्तपोषित करने के लिए ऋण जुटाया गया)। ऋण पर 3 माह के लिबोर प्लस विस्तार से संबंधित प्लोटींग ब्याज दर है।</p> <p>जारी.</p>	499.41	499.34	499.28
	-	-	943.22
	-	222.17	418.18
	-	222.37	418.88
	-	222.45	419.36
	-	1,985.62	1,864.11
	44.45	58.13	66.44
	214.21	266.87	295.82
	150.74	184.39	189.37
	178.93	215.52	232.54
	978.63	-	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
अन्य पार्टियों से रक्षित ऋण: - तेल उद्योग विकास बोर्ड (संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार और सहायक उपकरण तथा नए और पुराने अन्य चल उपकरण, चाहे स्थापित हों अथवा नहीं तथा चाहे खुले में पड़े हों या खोल में हों या जो अब खुले में पड़े हों या भंडार में हों या जिन्हें इसके बाद से समय-समय पर जमा करके रखा गया हो या स्पर लाइनों सहित दादरी-बवाना-नांगल पाइपलाइन के उधार लेने वाले की परियोजना में हों या जहां-कहीं भी यह हों या किसी पार्टी द्वारा उधार लेने वाले के पास हों या मार्गस्थ में हों या गहरे समुद्र में हों या आर्डर या सुपुर्दगी के अधीन हों, जैसे भी हों या जिस किसी भी उधार लेने वाले के कब्जे में हों और प्रतिस्थापन में हो या जमा किए जाने वाले हों, द्वारा प्रतिभूत हों)। वितरण की तारीख से एक वर्ष की छूट अवधि के समाप्त होने के बाद चार समान किस्तों में वापस अदायगी। ऋण जुलाई 2011 से जून 2013 तक की किस्तों में वितरित जिसकी ब्याज दर वितरण की तारीख के आधार पर 7.67 प्रतिशत से 8.98 प्रतिशत होगी।	-	372.50	788.75
- तेल उद्योग विकास बोर्ड (संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार और सहायक उपकरण तथा नए और पुराने अन्य चल उपकरण, चाहे स्थापित हों अथवा नहीं तथा चाहे खुले में पड़े हों या खोल में हों या जो अब खुले में पड़े हों या भंडार में हों या जिन्हें इसके बाद से समय-समय पर जमा करके रखा गया हो या स्पर लाइनों सहित दाहेज विजयपुर पाइपलाइन- II के उधार लेने वाले की परियोजना में हों या जहां-कहीं भी यह हों या किसी पार्टी द्वारा उधार लेने वाले के पास हों या मार्गस्थ में हों या गहरे समुद्र में हों या आर्डर या सुपुर्दगी के अधीन हों, जैसे भी हों या जिस किसी भी उधार लेने वाले के कब्जे में हों और प्रतिस्थापन में हो या जमा किए जाने वाले हों, द्वारा प्रतिभूत हों जिसमें झबुआ और विजयपुर में कंप्रेसर स्टेशनों के संयंत्र और मशीनरी शामिल नहीं हैं)। वितरण की तारीख से एक वर्ष की छूट अवधि के समाप्त होने के बाद चार समान किस्तों में वापस अदायगी। ऋण नवंबर 2013 से मार्च 2014 तक की किस्तों में वितरित जिसकी ब्याज दर वितरण की तारीख के आधार पर 8.94 प्रतिशत से 9.27 प्रतिशत होगी।	-	237.50	356.25
अन्य उधार*	175.29	127.55	141.96
वित्तीय लीज बाध्यताओं की दीर्घावधि परिपक्वता: वित्तीय लीज के अंतर्गत बाध्यताएं:	0.84	0.87	4.03
कुल गैर चालू उधार	3,179.84	5,864.85	7,887.63

टिप्पणी 13ख - उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
चालू उधार			
90 दिनों में पुनर्भुगतान सहित कोटक महिन्द्रा बैंक से खरीददार ऋण आरक्षित	-	-	233.80
अन्य अल्पावधि उधार#	729.19	811.68	601.88
कुल चालू उधार	729.19	811.68	835.68
कुल उधार	3,909.03	6,676.53	8,723.31
कुल रक्षित ऋण	1,601.84	2,358.91	3,013.93
कुल आरक्षित ऋण	2,307.19	4,317.62	5,709.38

*ओडीबीआई से गेल गैस लिमिटेड द्वारा लिया गया 118.11 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 51.32 करोड़ रुपए) और एचडीएफसी बैंक से 51.11 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 71.56 करोड़ रुपए) का ऋण शामिल है।

गेल ग्लोबल यूएसए इंक द्वारा लिया गया अन्य (699.73 करोड़ रुपए) सहित 719.71 करोड़ रुपए का अल्पावधि ऋण शामिल है।



टिप्पणी 14 - अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
बाध्यता के रूप में विनिर्दिष्ट न होने वाले व्युत्पन्न: व्युत्पन्न संविदाओं के लिए देय भुगतान (अग्रेषण/स्वैप/वस्तु)	134.46	55.78	89.27
लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर कल वित्तीय देयताएं	134.46	55.78	89.27
वित्तीय लीज बाध्यताओं की चालू परिपक्वता: वित्तीय लीज के अंतर्गत देयताएं	0.06	-	0.02
दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता: रक्षित बांड			
– बांड सीरीज- I	-	-	99.99
– बांड 2010 सीरीज- I	124.99	-	-
– बांड सीरीज 2012	187.39	-	-
	312.38	-	99.99
आरक्षित आवधिक ऋण:			
– बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड	-	1,006.11	-
– बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड	217.14	220.90	207.31
– मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक	217.37	221.37	208.14
– सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन्स	217.47	221.74	208.70
– सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन्स	-	-	-
– केएफडब्ल्यू जर्मनी (कोएरसियन सुविधा)	12.26	12.41	11.50
– सोसाइटी जनरले	46.28	47.03	43.81
– जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी)	29.88	30.45	26.75
– केएफडब्ल्यू जर्मनी (सिमन्स सुविधा)	31.12	31.63	29.35
– अन्य सिंडिकेशन ऋण	974.53	-	-
	1,746.05	1,791.64	735.56
अन्य पार्टियों से सुरक्षित ऋण:			
– तेल उद्योग विकास बोर्ड	-	535.00	656.00
– अन्य ऋण	43.88	48.47	62.01
ग्राहकों/ठेकेदारों/अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	558.23	561.65	491.66
अन्य देय भुगतान			
प्रोद्भूत ब्योज जो उधार और अन्य पर देय न हो भुगतान/दावा न किया गया लाभांश	85.52 2.66	110.47 2.32	112.10 2.62
गैस पूल राशि	268.56	927.87	816.81
गैस पूल राशि अनंतिम	655.48	1,006.79	1,998.33
असंतुलन और अधिन प्रभार शुल्क	99.74	85.81	80.38
पूँजीगत व्यय के लिए देय भुगतान	274.61	145.58	118.87
पाइपलाइन टैरिफ में समायोजन जारी.	56.82	252.43	236.10

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
ईएंडपी व्यय देय भुगतान	59.18		83.82		160.51	
कर्मचारी लाभ देय भुगतान	196.92		54.50		50.92	
अन्य देय भुगतान (मीटर प्रभार, एलपीजी खपत और विविध भुगतान आदि)	188.77	1,888.26	144.64	2,814.23	155.93	3,732.57
अन्य देयताएं		71.51		70.23		67.89
ऋण चुकाने की लागत पर कुल अन्य वित्तीय देयताएं		4,620.37		5,821.22		5,845.70
कुल अन्य वित्तीय देयताएं		4,754.83		5,877.00		5,934.97
कुल 14ख – चालू		3,940.49		4,768.40		3,774.26
कुल 14क – गैर चालू		814.34		1,108.60		2,160.71
कुल		4,754.83		5,877.00		5,934.97

टिप्पणी 15 - प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
प्रावधान						
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		882.06		652.92		622.28
संभावित बाध्यताओं के लिए प्रावधान		639.62		497.87		576.65
परित्याग लागत के लिए देयता		7.23		6.35		4.97
अन्य प्रावधान		30.22		24.88		13.41
कुल		1,559.13		1,182.02		1,217.31
कुल 15ख – चालू		738.66		556.80		632.27
कुल 15क – गैर चालू		820.47		625.22		585.04
कुल		1,559.13		1,182.02		1,217.31

टिप्पणी 16 - भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को
भुगतान योग्य व्यापार		2,740.65		2,909.15		3,415.91
कुल		2,740.65		2,909.15		3,415.91



टिप्पणी 17 - अन्य गैर वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
ग्राहकों से अग्रिम	707.91	843.62	601.56
सांविधिक देय भुगतान	436.34	275.98	263.08
अन्य देयताएं	0.58	1.25	1.70
आस्थगित आय	27.59	14.28	10.14
सरकारी अनुदान			
– पूंजी अनुदान (भारत सरकार द्वारा जेएचबीडीपीएल के लिए)	450.00	-	(0.00)
– भारत के गैस प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण के लिए दानिश सरकार	0.81	0.92	1.03
– पूंजीगत अनुदान (औद्योगिक विकास केन्द्र के लिए पीएनजी आपूर्ति हेतु टीआईडीसीएल द्वारा)	1.24	1.37	1.53
कुल	1,624.47	1,137.42	879.04
कुल 17ख – चालू	1,147.88	1,121.07	867.47
कुल 17क – गैर चालू	476.59	16.35	11.57
कुल	1,624.47	1,137.42	879.04

टिप्पणी 18 - आस्थगित कराधान

क) निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को	1 अप्रैल, 2015 को
आस्थगित कर देयताएं			
मूल्य ह्रास	5,896.36	5,217.41	4,264.30
अन्य देयताएं	8.84	1.63	2.67
स्वतंत्र एएस समायोजन	35.75	24.52	50.70
अशोध्य ऋण और संभावित बाध्यता के लिए प्रावधान	(513.45)	(491.32)	(226.18)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	(302.07)	(225.50)	(205.55)
अन्य समायोजन	(419.87)	(403.09)	(455.15)
एसोसिएट्स में अवास्तविक लाभ पर आस्थगित कर	587.51	701.16	444.08
आस्थगित कर देयता	5,293.07	4,824.81	3,874.87

ख) लाभ और हानि विवरण:-

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्तमान आय कर		
वर्तमान आय कर प्रभार	1,337.62	206.68
पिछले वर्ष के चालू आय कर के संबंध में समायोजन	15.01	(51.96)
आस्थगित कर		
अस्थायी अंतर की उत्पत्ति और विपरीत क्रम	456.73	936.62
लाभ और हानि विवरण में सूचित आय कर व्यय	1,809.36	1,091.34

ओसीआई खंड

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता-प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर		
आस्थगित लाभ योजनाओं के पुनः माप पर निवल हानि (लाभ)	(11.15)	(11.96)
लाभ और हानि विवरण में सूचित आय कर व्यय	(11.15)	(11.96)

टिप्पणी 19 - प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
क) उत्पादों की बिक्री		
गैस	35,670.00	42,185.29
पॉलीमर	5,625.57	3,354.32
एलपीजी	2,399.76	2,534.48
प्रोपेन / पेंटेन / एसबीपीएस / नाफथा	737.95	787.45
क्रूड आयल	144.73	187.13
सिटी गैस	2,816.80	1,559.16
पावर	68.05	49.56
ख) सेवाओं की बिक्री		
एलपीजी संचरण / आरएलएनजी शिपर्स प्रभार	1,771.11	1,694.95
ग) टेलीकॉम सेवाओं से आय	2.73	2.74
कुल	49,236.70	52,355.08
जमा: अन्य प्रचालन आय	97.11	197.23
कुल	49,333.81	52,552.31

टिप्पणी 20: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
नमन पर ब्याज :		
- बैंकों में जमा	148.47	99.21
- विलंबित भुगतान के लिए ग्राहक	32.71	42.45
- कर्मचारियों को ऋण	55.57	56.55
- अन्य	143.36	141.10
घटाएं : निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 26)	0.84	0.69
	379.27	338.62
व्यापार निवेश से लाभांश	265.66	177.80
निवेशकी बिक्री पर लाभ	-	6.73
पूंजी आरक्षित से अंतरित अनुदान की राशि	0.12	0.12
विदेशी मुद्रा में लेनदेन तथा परिवर्तन से निवल प्राप्ति	92.19	92.10
बढते खाते में डाले गए अतिरिक्त प्रावधान	196.83	97.62
सरकार का परिशोधन अनुदान	1.44	1.58
विविध आय	71.36	37.72
घटाएं : निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 26)	0.41	0.42
कुल	1,006.46	751.87



टिप्पणी 21: तैयार माल की मालसूची, प्रगतिशील कार्य तथा व्यापारगत स्टॉक में (वृद्धि)/कमी

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को
वर्ष की समाप्ति पर मालसूची:				
प्रगतिशील कार्य		9.89		13.13
तैयार माल		395.40		264.59
व्यापार गत स्टॉक		482.50		652.36
कुल		887.79		930.08
अवधि के आरंभ में माल सूची:-				
प्रगतिशील कार्य		13.13		10.69
तैयार माल		264.59		193.00
व्यापारगत स्टॉक		652.36		1,138.47
कुल		930.08		1,342.16
कुल		42.29		412.08

टिप्पणी 22: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को
वेतन, मजदूरी तथा भत्ता		887.31		775.85
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान		340.96		186.38
कर्मचारी कल्याण व्यय		171.58		156.84
घटाएं :				
घटाएं : कर्मचारी हितलाभ व्यय कार्यशील पूंजी में अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 26)		58.72		43.73
– प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति		54.48		87.64
कुल		1,286.65		987.70

टिप्पणी 23: वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को
निम्न पर ब्याज :				
– सावधि ऋण		365.68		544.68
– बांड		153.83		156.86
– अन्य		36.24		30.59
व्युत्पन्न के निष्पक्ष मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/(हानि)		49.82		136.28
उधार पर विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/हानि		(43.01)		-
घटा : कार्यशील पूंजी में अंतरित ब्याज तथा वित्त प्रभार (संदर्भ नोट संख्या 26)		51.57		46.58
कुल		510.99		821.83

टिप्पणी 24: मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को
मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय		1,536.40		1,488.90
अपूरणीय हानि (संदर्भ नोट संख्या 2-3)		7.22		8.05
घटा : कार्यशील पूंजी में अंतरित मूल्यहास तथा परिशोधन व्यय (संदर्भ नोट संख्या 26)		0.61		1.35
कुल		1,543.01		1,495.60

टिप्पणी 25: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को
गैस पूल व्यय		14.55		79.56
उपभुक्त भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे		346.95		309.37
बिजली, ईंधन और जल प्रभार				
बिजली प्रभार	488.96		381.97	
ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस	1,410.47		1,632.15	
जल प्रभार	12.96	1,912.39	9.01	2,023.13
किराया		71.04		61.78
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीनरी	340.84		333.83	
भवन	52.19		40.24	
अन्य	64.07	457.10	60.02	434.09
बीमा		37.28		30.39
दर एवं कर		16.14		13.10
विविध व्यय :				
– यात्रा व्यय		104.94		106.06
– विज्ञापन और प्रचार		45.63		53.43
– वाहन किराया तथा चलाने का व्यय		38.83		34.82
– सर्वेक्षण व्यय		33.87		21.08
– बट्टे खाते में डाला गया शुष्क कूप व्यय		112.44		101.20
– ऑयल तथा गैस उत्पादन व्यय (प्रचालक)		64.34		78.87
– क्रूड ऑयल पर रॉयल्टी (पेट्रोलियम लाभ में सरकार की हिस्सेदारी सहित)		150.30		180.43
– परामर्शदायी प्रभार		86.96		55.33
– दान		2.02		1.14
– अनुसंधान तथा विकास व्यय		13.44		73.46
– बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियां (निवल)		6.07		22.24
– बट्टे खाते डाले गए अप्राप्य ऋण/दावे/अग्रिम/भंडार सामग्री		2.85		2.80
– संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों, दावों, जमा और अप्रयुक्त भंडार और पूंजीगत मदों के लिए प्रावधान		115.08		286.69
– संभाव्य अनिवार्यताओं/ आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		116.34		41.75
– विक्रय और वितरण व्यय		50.89		38.34
– बिक्री पर कमीशन		24.30		15.18
– सुरक्षा व्यय		128.42		108.28
– निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		123.58		160.56
– अन्य व्यय		154.75		153.45
लेखापरीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षा शुल्क	0.69		0.61	
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.10		0.09	
अन्य सेवाएं (प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए)	0.28		0.26	
यात्रा और फुटकर खर्च	0.56	1.63	0.63	1.59
निवेशों की बिक्री पर निवल हानि		-		-
घटाएं : कार्यशील पूंजी में अंतरित निर्माण के दौरान किए गए आकस्मिक व्यय (संदर्भ नोट संख्या 26)		25.27		107.72
कुल		4,206.86		4,380.39



टिप्पणी 26 - निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को
कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ वेतन, मजदूरी और भत्ते भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान कल्याण व्यय	32.99 5.70 2.99	41.68	21.06 4.41 2.50	27.97
ब्याज तथा वित्त प्रभार		49.16		42.34
मूल्यहास		0.61		1.35
बिजली, ईंधन और जल प्रभार बिजली प्रभार जल प्रभार	14.92 -	14.92	90.15 -	90.15
उपभुक्त भंडार और अतिरिक्त पुर्ज बीमा किराया		- 0.01 3.22		0.11 0.01 3.79
मरम्मत और अनुरक्षण संयंत्र और मशीनरी भवन अन्य	0.03 - 0.33	0.36	0.05 - 6.30	6.35
विविध व्यय: - यात्रा व्यय - वाहन किराया तथा चलाने का व्यय - परामर्शदायी प्रभार - सुरक्षा व्यय - अन्य व्यय	4.83 0.37 0.04 0.61 0.91	6.76	4.85 0.63 0.09 0.55 1.19	7.31
घटा: - ब्याज से आय - विविध आय - बिक्री	0.84 0.41 -	1.25	0.69 0.42 -	1.11
निवल व्यय		115.47		178.27
घटाएं: प्रगतिशील पूंजी में अंतरित				
क) कर्मचारी लाभ व्यय ख) ब्याज और वित्त प्रभार ग) मूल्य ह्रास घ) अन्य व्यय घटाएं: ड) अन्य आय		41.68 49.16 0.61 25.27 1.25		27.97 42.34 1.35 107.72 1.11
बकाया तुलन-पत्र में अग्रणीत		115.47		178.27

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण दर्शाने वाली टिप्पणी

27) महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान और पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूचित राशि, तथा संबंधित प्रकटनों, और समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं। अनुमानों और पूर्वानुमानों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और ये प्रबंधन के अनुभव तथा अन्य तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिनमें भावी कार्यक्रमों की अपेक्षाएं शामिल होती हैं जो परिस्थितियों के अंतर्गत उपयुक्त मानी जाती हैं। इन पूर्वानुमानों और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता से ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिनके लिए भावी अवधियों में प्रभावित परिसंपत्तियों का देनदारियों की राशि का सामग्री समायोजन करने की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है जहां महत्वपूर्ण निर्णयों, अनुमानों और पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। इन प्रत्येक क्षेत्रों पर आगे सूचना, तथा ये विभिन्न लेखांकन नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, का नीचे तथा वित्तीय विवरणों की संगत टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है। अनुमानों में परिवर्तनों की गणना संभावना के आधार पर की जाती है।

27.1 निर्णय:

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं जिनका पृथक वित्तीय विवरणों में पता लगाई गई राशि का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

27.2 आकस्मिकताएं:

आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां, जो कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में व्यवसाय के सामान्य कार्यों से उत्पन्न हो सकती हैं, में कानूनी, ठेकेदार, भूमि उपलब्धता और अन्य दावे शामिल होते हैं। अपनी प्रकृति द्वारा आकस्मिकताओं का समाधान तभी किया जाएगा जब एक या अधिक अनिश्चित भावी कार्यक्रम उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे। आकस्मिकताओं के मौजूदा, तथा संभावित मात्रा के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रक्रिया और भावी कार्यक्रमों के निष्कर्ष के संबंध में अनुमानों का उपयोग शामिल होगा।

27.3 अनुमान और पूर्वानुमान:

किसी निर्धारित तारीख को भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान तथा अनुमान के अन्य प्रमुख स्रोतों में अनिश्चितता होने से अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि का सामग्री समायोजन करने में पर्याप्त जोखिम होता है, जिसका नीचे उल्लेख किया गया है। कंपनी का अपना अनुमान और पूर्वानुमान समेकित वित्तीय विवरणों के तैयार होने पर उपलब्ध मानदण्डों पर आधारित है। तथापि, भावी विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियों और पूर्वानुमान कंपनी के नियंत्रण से उत्पन्न होने वाले बाजार परिवर्तन या परिस्थितियों के कारण बदल सकता है। ऐसे परिवर्तन पूर्वानुमान के होने पर प्रदर्शित होते हैं।

क) गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि: कंपनी प्रत्येक सूचित तारीख को यह आकलन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेतक है जिससे किसी परिसंपत्ति की

हानि का पता लग सके। प्रयुक्त मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भावी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का प्रयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर अनुमानित भावी नकद प्रवाह की छूट दी जाती है जो धनराशि के समय मूल्य के वर्तमान बाजार अनुमानों तथा परिसंपत्तियों के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। उचित मूल्य घटा निपटान की लागत का निर्धारण करने के लिए, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे/किसी लेनदेन का पता चल सके तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इस गणना को मूल्यों के गुणक सार्वजनिक व्यापार सहायक कंपनियों के लिए उद्धृत मूल्य शेरर मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा मिलान किया जाता है।

ख) निश्चित लाभ योजनाएं: निश्चित लाभ योजना की लागत तथा अन्य रोजगार उपरांत लाभ तथा ऐसी बाध्यता के वर्तमान मूल्य को वास्तविक मूल्य का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन में अनेक अनुमान लगाना शामिल होता है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न होते हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मूल्य दर तथा भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्य में शामिल जटिलताओं तथा इसकी दीर्घावधि प्रकृति के कारण इन अनुमानों में परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चित लाभा बाध्यता अत्यधिक संवेदनशील होती है। प्रत्येक सूचित तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

ग) वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य माप: जब तुलन-पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्यों के आधार पर आंका न जा सकता हो, तो डीसीएफ मॉडल सहित मूल्य तकनीकों का प्रयोग करके उनके उचित मूल्य को आंका जाता है। इन मॉडलों के इनपुट को जहां संभव हो, सक्रिय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां ऐसा संभव न हो, वहां उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। निर्णय में परिसंपत्ति जोखिम, ऋण जोखिम तथा अस्थिरता जैसे इनपुट की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों के बारे में पूर्वानुमानों में परिवर्तन वित्तीय प्रणाली का सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकता है।

घ) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि: वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि प्रावधान डिफाल्ट के जोखिम तथा संभावित हानि दरों के अनुमान पर आधारित होता है। पूर्वानुमान लगाने तथा क्षति का हिसाब लगाने के लिए इनपुट का चयन करने का निर्णय लेती है जिसमें कंपनी का पिछला इतिहास, मौजूदा बाजार स्थिति तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भावी अनुमान लगाना शामिल होता है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में निवेश की क्षति का अनुमान नकद प्रवाह में छूट देकर, नकद प्रवाह/निवल परिसंपत्ति मूल्य अवधि बाहरी एजेंसियों की मूल्य रिपोर्ट, निवेश करने वाली कंपनी के पिछले इतिहास आदि पर आधारित होता है।

28) समेकित वित्तीय विवरण कंपनी इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा सहयोगी कंपनियों के लेखाओं का नीचे दिए गए अनुसार समेकन दर्शाती है जिसमें आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां होती हैं:



क) समूह सूचना:-

क्र. सं.	कंपनियों का नाम	देश जहां निगमन हुआ	मुख्य कार्यकलाप	संबंध	31.03.2017 को मालिकाना अनुपात	31.03.2016 को मालिकाना अनुपात	01.04.2015 को मालिकाना अनुपात
1	गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	एनएनजी ट्रेडिंग	सहायक कंपनी	100%	100%	100%
2	गेल ग्लोबल (अमेरिका) इंक (संदर्भ*1)	अमेरिका	ईएंडपी	सहायक कंपनी	100%	100%	100%
3	गेल गैस लिमिटेड (संदर्भ*2)	भारत	सिटी गैस	सहायक कंपनी	100%	100%	100%
4	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल)	भारत	पेट्रोकेमिकल	सहायक कंपनी	48.98%	48.98%	48.98%
5	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	भारत	सिटी गैस	संयुक्त उद्यम	25.00%	25.00%	25.00%
6	ग्रीन गैस लिमिटेड	भारत	सिटी गैस	संयुक्त उद्यम	49.97%	49.97%	49.97%
7	रत्नागिरी गैस एंड पॉवर (प्राइवेट) लिमिटेड (आरजीपीपीएल)	भारत	एनएनजी टर्मिनल एंड पॉवर	संयुक्त उद्यम	25.50%	25.50%	28.91%
8	ओएनजीसी पेट्रो-एडिशनस लिमिटेड (ओपाल)	भारत	पेट्रोकेमिकल	संयुक्त उद्यम	49.21%	49.21%	49.21%
9	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)	भारत	सिटी गैस	संयुक्त उद्यम	22.50%	22.50%	23.68%
10	अवंतिका गैस लिमिटेड	भारत	सिटी गैस	संयुक्त उद्यम	49.97%	49.97%	49.97%
11	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	भारत	सिटी गैस	संयुक्त उद्यम	49.97%	49.97%	49.97%
12	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	भारत	उर्वरक	संयुक्त उद्यम	30.00%	30.00%	-
13	तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड #	इस्त्रे ऑफ मैन	गैस पाइपलाइन	संयुक्त उद्यम	5.00%	25.00%	25.00%
14	वडोदरा गैस लिमिटेड	भारत	सिटी गैस	संयुक्त उद्यम	50.00%	50.00%	50.00%
15	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (संदर्भ*3)	भारत	सिटी गैस	सहयोगी कंपनी	22.50%	22.50%	22.50%
16	पेट्रोनेट एनएनजी लिमिटेड (संदर्भ*4)	भारत	एनएनजी टर्मिनल	सहयोगी कंपनी	12.50%	12.50%	12.50%
17	महानगर गैस लिमिटेड	भारत	सिटी गैस	सहयोगी कंपनी	32.50%	49.75%	49.75%
18	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	भारत	पेट्रोसायन	सहयोगी कंपनी	70.74%	70.00%	67.56%
19	गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड *5	भारत	विद्युत	सहयोगी कंपनी	5.96%	5.96%	5.96%
20	फेयम गैस	मिस्र	सिटी गैस	सहयोगी कंपनी	19.00%	19.00%	19.00%
21	नेशनल गैस कंपनी "नेट गैस"	मिस्र	सिटी गैस	सहयोगी कंपनी	5.00%	15.00%	15.00%
22	चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	बरमुडा	सिटी गैस	सहयोगी कंपनी	3.02%	2.99%	2.99%

- *1. गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक के समेकित वित्तीय विवरण में इसकी 100% सहायक कंपनी, गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी शामिल है।
- *2. गेल गैस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसे आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, केरल गेल गैस लिमिटेड, हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड तथा गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड में क्रमशः 50%, 17.07%, 50%, 80% और 30% ब्याज शामिल है।
- *3. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के संभावित वित्तीय विवरण में इसकी दो सहायक कंपनियां शामिल हैं।
- *4. पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त उद्यम कंपनी में इसका 26% ब्याज अर्थात् अडानी पेट्रोनेट (दहेज) पोर्ट प्रा. लिमिटेड शामिल है।
- *5. सहयोगी कंपनी के रूप में 14.08.2015 तक समेकन # वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

ख) गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक, फेयम गैस तथा नेशनल गैस कंपनी "नेट गैस" (जिनका लेखा संबंधित देशों में स्थानीय रिपोर्टिंग की आवश्यकता के कारण 31 दिसंबर 2016 तक लिया जाता है) को छोड़कर मूल कंपनी (अर्थात् 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष) के रूप में इसकी रिपोर्टिंग तारीख तक सभी समूह कंपनियों, इसके संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी कंपनियों के लेखा लिए जाते हैं तथा चाइना गैस होल्डिंग

लिमिटेड, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुई है, लेकिन स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के कारण समेकन के समय तक वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं करा सकी, अतः प्रबंधन ने 31 दिसंबर, 2016 तक वित्तीय सूचना प्रदान की तथा इसका इस्तेमाल समेकन में किया गया है। इस तारीख के बाद कोई समायोजन (लाभांश और आंतरिक समूह लेनदेन को छोड़कर) नहीं किया गया है, क्योंकि संबंधित कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित अनुसार कोई महत्वपूर्ण सामग्री लेनदेन नहीं होता है।

- ग) सामग्री गैर-नियंत्रण हित वाली आंशिक रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बारे में सूचना अनुलग्नक-क में दी गई है।
- घ) संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी कंपनियों की संक्षिप्त वित्तीय सूचना अनुलग्नक-ख में दी गई है।

29) इंड एस 101 का पहली बार अपनाया जाना

क) इंड एस में अंतरण

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण प्रथम वित्तीय विवरण है, समूह में इन्हें इंड एस के अनुसार तैयार किया है। 31 मार्च 2016 तक की अवधि तक के लिए समूह ने वित्तीय विवरणों को कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (भारतीय जीएएपी) के पैरा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

तदनुसार, समूह ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार में उल्लिखित अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनात्मक अवधि आंकड़ों के साथ 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए लागू इंड एस के अनुरूप हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह का 1 अप्रैल, 2015 तक मुक्त तुलन-पत्र तैयार किया गया जो इंड एस के लिए समूह के लेनदेन की तारीख है। इस टिप्पणी में समूह द्वारा इसके भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरणों का उल्लेख करते हुए मूल समायोजन को स्पष्ट किया गया है।

ख) उपयोग की गई छूट तथा अपवाद:

इंड एस 101 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार अपनाना' पहली बार अपनाने वालों को इंड एस के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं को पिछले अनुप्रयोग से कुछ छूट प्रदान करता है। समूह ने निम्नलिखित छूट के लिए आवेदन किया है।

(i) इंड एस वैकल्पिक छूट

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/अमूर्त परिसंपत्तियों की अनुमानित लागत: इंड एस 101 पिछले जीएएपी के अनुसार आंके गए इंड एस के लेनदेन की तारीख को वित्तीय विवरणों में मान्यता-प्राप्त अनुसार अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) के लिए मूल्य के अनुसार पहली बार अपनाया जाता है तथा इसका उपयोग देयताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद लेनदेन की तारीख को अपनी अनुमानित लागत पर प्रयोग किया जाता है। चूंकि कार्यात्मक मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः समूह ने लेनदेन की तारीख को मानित लागत के रूप में भारतीय जीएएपी वित्तीय स्थिति में मान्यता अनुसार अपनी सभी पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य को जारी रखने का चयन किया है।

पट्टा: समूह ने इंड एस 17 के परिशिष्ट ग 'यह निर्धारित करना कि क्या किसी मौजूदा व्यवस्था में पट्टा शामिल है' के लिए आवेदन दिया है ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या किसी लेनदेन की तारीख को मौजूदा व्यवस्था में तथ्यों तथा उस तारीख को परिस्थितियों के आधार पर कोई पट्टा शामिल किया गया है।

संचयी अंतरण में परिवर्तन: इंड एस 101 संचयी अंतरण लाभ और हानि की अनुमति देता है जिसे लेनदेन की तारीख को शून्य पर पुनः निर्धारित किया गया है। यह किसी सहायक कंपनी या इक्विटी पद्धति निवेशकर्ता के बनने या अर्जन की तारीख से इंड एस 21 के अनुसार संचयी मुद्रा अंतरण के अंतरण का निर्धारण करने से राहत प्रदान करता है। समूह ने सभी संचयी अंतरण लाभ को पुनः निर्धारण करने का निर्णय लेते हुए इसे अपने लेनदेन की तारीख को मुक्त प्रतिधारित आय में अंतरित करके शून्य कर दिया है।

संयुक्त उद्यम: इंड एस 101 आनुपातिक समेकन से इक्विटी पद्धति में परिवर्तन करने के लिए छूट उपलब्ध कराता है। छूट के अनुसार, जब आनुपातिक समेकन से इक्विटी पद्धति में परिवर्तन किया जाता है तो कंपनी को अपने निवेश को संयुक्त उद्यम में लेनदेन की तारीख से इंड एस में मान्यता देनी चाहिए। इस प्रारंभिक निवेश को परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि के योग के अनुसार मापा जाना चाहिए कि कंपनी का पूर्व में आनुपातिक रूप से समेकन हुआ था, जिसमें अर्जन से उत्पन्न होने वाली साख भी शामिल है। उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित लेनदेन की तारीख से इंड एस में संयुक्त उद्यम में निवेश के संतुलन को प्रारंभिक मान्यता में निवेश की मानित लागत माना जाता है। समूह को अपने संयुक्त उद्यम के लिए इस छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया है।

पूर्व में मान्यता-प्राप्त वित्तीय साधनों का पदनाम: इंड एस 101 किसी कंपनी को लेनदेन की तारीख को इंड एस (प्रारंभिक मान्यता की बजाय) में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के जरिए उचित मूल्य के अनुसार विशिष्ट इक्विटी निवेश (सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त प्रबंधन के अलावा) को विनिर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। समूह ने लेनदेन की तारीख को एफओओसीआई के रूप में कुछ इक्विटी निवेश को विनिर्दिष्ट करने के लिए इस छूट का लाभ उठाने का विकल्प चुना है।

व्यवसाय संबद्धता: इंड एस 101 लेनदेन की तारीख से पूर्व किसी विशिष्ट तारीख को या इंड एस 103 'व्यवसाय संबद्धता' को लेनदेन की तारीख से चुनने का विकल्प उपलब्ध कराता है। समूह ने अपने लेनदेन की तारीख के बाद होने वाली व्यवसाय संबद्धता के लिए इंड एस 103 में आवेदन करने का विकल्प चुना है। लेनदेन की तारीख से पूर्व होने वाली व्यवसाय संबद्धता पुनः प्रारंभ नहीं हुई है।

(ii) इंड एस अनिवार्य छूट

अनुमान: इंड एस 101 के अनुसार, कंपनी के पहले इंड एस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक अवधि के अंत में इंड एस में परिवर्तन की तारीख को इंड एस के अनुसार कंपनी का अनुमान, जैसी स्थिति हो, पिछले जीएएपी के अनुसार कंपनी का अनुमान, जैसी स्थिति हो, पिछले जीएएपी के अनुसार उसी तारीख को लगाए गए अनुमान के अनुरूप होना चाहिए जब तक कि इस बात का वास्तविक साक्ष्य न हो कि अनुमान गलत थे। समूह ने यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च 2016 तक के अनुमान भारतीय जीएएपी (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजन के बाद) के अनुसार समान तारीख के लिए किए गए अनुसार है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और माप: इंड एस 101 किसी कंपनी को लेनदेन की तारीख को मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का जायजा लेने का अधिकार देता है। इसके अलावा, लेनदेन की तारीख को, यदि भूतलक्षी प्रभाव से आवेदन देना अव्यवहारिक हो, तो मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर शोधित लागत पर गणना की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के माप की मानक अनुमति दी जाती है। तदनुसार, समूह ने लेनदेन की तारीख को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निर्धारित किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताओं की मान्यता हटाना: एस 101 के अनुसार, कोई कंपनी इंड एस में होने वाले भावी लेनदेन के लिए या लेनदेन की तारीख के बाद इंड एस 109, वित्तीय विवरण में आवश्यकता को हटाने का विकल्प चुनना चाहिए। समूह ने लेनदेन की तारीख को होने वाले या इंड एस 109 में लेनदेन की तारीख के बाद होने वाले वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए मान्यता हटाने की आवश्यकता को चुनने का निर्णय लिया है।

गैर-नियंत्रित हित: इंड एस 110 कंपनियों से मूल धनराशि के मालिकों को अन्य व्यापक आय के प्रत्येक घटक तथा गैर-नियंत्रित हितों तथा लाभ एवं हानि का लेखा-जोखा रखने की अपेक्षा करता है। इस आवश्यकता का तब भी पालन किया जाना चाहिए जब इसके कारण घाटे वाले गैर-नियंत्रित हित हों। इंड एस 101 में यह अपेक्षा की जाती है कि लेनदेन की तारीख से उपर्युक्त आवश्यकता का भविष्य में पालन किया जाए। परिणामस्वरूप, समूह ने उपर्युक्त आवश्यकता को भविष्य में अपनाने का निर्णय लिया है।



पूर्व जीएएपी तथा इंड एस के बीच पुनर्समायोजन

31 मार्च 2016 तथा 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का पुनर्समायोजन

विवरण	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
पूर्व जीएएपी (ए) के अनुसार कुल इक्विटी (शेयरधारक की निधियां)	35,396.24	34,022.67
समायोजन :		
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों/ देयताओं पर उत्पन्न होने वाला निवल लाभ (हानि)	4,259.24	6187.24
प्रस्तावित लाभांश की विपरीतता का प्रभाव (उस पर कर सहित)	467.69	458.01
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में समायोजन पर निवल लाभ/(हानि)	(110.71)	-39.74
अन्य	(44.66)	(37.35)
कर प्रभाव	(45.23)	(49.93)
समूह कंपनियों में इंड एस कार्यान्वयन के कारण समेकित आंकड़ों का समायोजन	(3,464.67)	(3,224.58)
कुल समायोजन (ख)	1,034.42	3,293.65
इंड एस (क+ख) के अनुसार कुल इक्विटी	36,430.66	37,316.32

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का पुनर्समायोजन

विवरण	31 मार्च, 2016
पूर्व जीएएपी (क) के अनुसार कर पश्चात् लाभ	2,251.62
समायोजन:	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में समायोजन का प्रभाव	(171.18)
व्युत्पन्न संविदाओं के उचित मूल्य का प्रभाव	92.59
लाभ एवं हानि लेखा के विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देनदारियों को मापने का प्रभाव	7.78
वित्तीय परिसंपत्तियों/वित्तीय देयताओं की शोधित लागत माप	(18.26)
अन्य व्यापक आय में मान्यता-प्राप्त निश्चित लाभ योजनाओं की माप	(34.57)
अन्य	14.17
कर प्रभाव	37.83
समूह कंपनियों में इंड एस कार्यान्वयन के कारण समेकित आंकड़ों में समायोजन	(305.59)
कुल समायोजन (ख)	(377.23)
इंड एस के अनुसार कर पश्चात् लाभ (ग=क+ख)	1,874.39
अन्य व्यापक आय (कर का निवल) (घ)	(1,926.55)
कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) (ग+ख)	(52.16)

टिप्पणी-1

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, इक्विटी व्यवस्था में निवेश को वांछित धारित अवधि और वास्तविकता के आधार पर दीर्घावधि निवेश या वर्तमान निवेश के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी गिरावट के अलावा प्रावधान को घटाकर लागत पर दीर्घावधि निवेश किया गया था। लागत और उचित मूल्य को कम करके चालू निवेश किया गया था। इंड एस के अंतर्गत,

इन निवेश को उचित मूल्य पर आंके जाने की आवश्यकता है। इन निवेश के परिणामी उचित मूल्य परिवर्तन को प्रतिधारित आय में लेनदेन की तारीख को मान्यता दी गई है और तत्पश्चात् 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है।

- पूर्व जीएएपी के अंतर्गत, एस 11 के अंतर्गत शामिल विदेशी मुद्रा अग्रेषित संविदा के संबंध में, विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव, विदेशी मुद्रा अग्रेषित निविदाओं के प्रारंभ होने से उत्पन्न प्रीमियम या छूट को संविदा की आय की तुलना में व्यय का आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। एस 11 के अंतर्गत शामिल व्युत्पन्न व्यवस्था की आईसीएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन के आधार पर गणना की जाती है। इंड एस के अंतर्गत, उपलब्ध साधन के रूप में विनिर्दिष्ट न किए गए व्युत्पन्न का उचित मूल्य दिया जाता है जिनके परिणाम परिवर्तन को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा में परिवर्तन की तारीख को प्रतिधारित आय के रूप में मान्यता दी गई है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, एक एकल पैकेज के रूप में व्युत्पन्न और अंतर्निहित देयताओं को एक साथ जोड़कर विदेशी मुद्रा उधार लिया गया था। एकल अनुबंध के रूप में ऋण और स्वैप को 'सिंथेटिक लेखा' कहा जाता है और इंड एस के अंतर्गत इस दृष्टिकोण को अनुमति नहीं दी गई है। एस के अंतर्गत ऋण देनदारियों को स्वैप अनुबंधों से अलग मान्यता दी गई है। तदनुसार, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए परिवर्तन की तारीख और उसके बाद के लाभ और हानि लेखा के रूप में प्रतिधारित आय में परिणामी परिवर्तनों को समायोजित किया गया है।

टिप्पणी-2

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, तुलना-पत्र की तारीख के बाद निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, लेकिन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व प्रस्तावित लाभांश को समायोजित कार्यक्रम माना जाता था। तदनुसार, प्रस्तावित लाभांश के प्रावधान को देयता के रूप में मान्यता दी गई थी। इंड एस के अंतर्गत, ऐसे लाभांश की पहचान की जाती है, और सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है। तदनुसार, प्रावधानों के अंतर्गत शामिल प्रस्तावित लाभांश की देनदारी को प्रतिधारित आय के अनुरूप समायोजन करके उलट दिया गया है। परिणामस्वरूप, कुल इक्विटी उतनी ही राशि से बढ़ी है।

टिप्पणी 3

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, मशीनों के पुर्जों को आम तौर पर लाभ और हानि विवरण के रूप में लिया जाता है। इंड एस के अंतर्गत, अतिरिक्त पुर्जे पूर्वव्यापी रूप में इंड एस 16 अनुसार मान्यता-प्राप्त हैं, बशर्ते कि वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हों। अन्यथा, ऐसी वस्तुओं को सूची के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। आमतौर पर अतिरिक्त पुर्जे इसकी खरीद की तारीख से उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। तदनुसार, पीपीई की परिभाषा को पूरा करने वाले पुर्जों को पूंजी माना जाता है, साथ ही इसके मूल्यह्रास की इसकी खरीद की तारीख से गणना की जाती है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय (सुविधाओं को सक्षम बनाना), जिसका स्वामित्व समूह के पास नहीं है, को लाभ और हानि खाते के लिए शुल्क लिया गया था। इंड एस 16 में यह अपेक्षित है कि समूह भूमि पर किए गए पूंजीगत व्यय (उदाहरण के लिए सड़कों, पुलियों, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों, उपरिगामी पुल, पानी और मलजल निकासी व्यवस्था, आदि), जो कंपनी के स्वामित्व में न हो, पर पूंजी लगाए, जो सीधे तौर पर संपत्ति के लाने के कारण हुई है और इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधन इसका संचालन वांछित ढंग से करने में सक्षम हो। परिणामस्वरूप, समूह द्वारा सुविधाएं जुटाने के लिए किए गए व्यय को परिवर्तन की तारीख से पूंजीकृत किया गया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, मरम्मत और जीर्णोद्धार पर किए गए व्यय को अधिकांश मामलों में लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया गया था। तथापि, प्रमुख मरम्मत और जीर्णोद्धार व्यय को इंड एस 16 के अंतर्गत प्रतिधारण लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, बशर्ते कि वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता-प्राप्त मानदंडों को पूरा करते हों।

टिप्पणी-4

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, उधार के संबंध में किए गए लेन-देन की लागत को परिशोधित अग्रिम माना जाता है और अवधि के लिए लाभ या हानि के रूप में लिया जाता है। इंड एएस के अंतर्गत, लेनदेन लागत को वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता राशि में शामिल किया गया है और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके लाभ या हानि माना गया है/पूँजीकृत किया गया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, प्रावधानों में छूट नहीं दी गई थी। इंड एएस के अंतर्गत, प्रावधानों को छूट-प्राप्त राशि के रूप में मापा गया है, बशर्ते कि समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक हो। तदनुसार, अनुमानित देयता के लिए गैर-चालू प्रावधानों पर उनके वर्तमान मूल्यों के लिए छूट दी गई है। 1 अप्रैल 2015 को इसके प्रभाव का प्रतिधारित आय के साथ समायोजन किया गया है; और 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, समूह ने प्राप्तियों की हानि के लिए प्रावधान बनाया है जिसमें केवल व्यय की गई विशिष्ट राशि का नुकसान शामिल है। इंड एएस के अंतर्गत, हानि भत्ता का अनुमान अपेक्षित हानि मॉडल (ईसीएल) के आधार पर निर्धारित किया गया है। ईसीएल मॉडल के कारण, समूह ने 1 अप्रैल 2015 को प्राप्त अपने व्यापार में सुधार किया, जिसे प्रतिधारित आय की तुलना में समाप्त कर दिया गया है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के प्रभाव को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, समूह ने आरक्षित और अधिशेष के अंतर्गत गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को पूँजीगत रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। इंड एएस के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं दी जाती। सरकारी अनुदान का गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों के अंतर्गत खुलासा किया गया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, समूह एएस पैरा 11 के 46/46क के रूप में अनुमानित व्यय अर्थात् 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' का दीर्घवधिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का पुनः विवरण बनाने से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में अनुपालन कर रहा था। मूल्यह्रास होने वाली परिसंपत्तियों के कारण, विनिमय अंतर को मूल्यह्रास वाली परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा/घटाया गया, जिसके मूल्यह्रास को परिसंपत्ति की शेष आयु से विभाजित किया गया था। अन्य मामलों में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाता (एफसीएमआईटीडीए) में विनिमय अंतर जमा किया गया था और ऐसी परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत, समूह ने एएस 11 के पैरा के 46/46क के अनुसार खाते को बंद कर दिया है और एफसीएमआईटीडीए को 1 अप्रैल 2015 की प्रतिधारित आय और 31 मार्च 2016 को लाभ-हानि विवरण के साथ समायोजित किया गया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, पट्टा लेखांकन सामान्यतः लेनदेन पर लागू होता है, जो पट्टे के रूप में होता है। तथापि, इंड एएस 17 के परिशिष्ट ग के अनुसार, जहां समूह पट्टादाता है और व्यवस्था को वित्त पट्टा के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से हटाया गया है और संबंधित वित्त पट्टा प्राप्तियों को मान्यता दी जाएगी। परिणामस्वरूप, समूह ने पूर्वव्यापी रूप से पट्टे का लेखांकन लागू किया है और परिवर्तनकाल की तारीख को प्रतिधारित आय में तथा तत्पश्चात् लाभ और हानि खाते में बदलाव किया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन अनिश्चित नहीं था। इंड एएस के अंतर्गत, किसी अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन सीमित या अनिश्चित हो सकता है। इंड एएस 38, अनिश्चित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति के परिशोधन की अनुमति नहीं देता। तदनुसार, अनिश्चित जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति का मूल्यह्रास वित्तीय वर्ष 2015-16 में उलट गया है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, कर्मचारी को दिया गया ऋण उनके लेनदेन मूल्य पर दर्ज किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दिया जाना आवश्यक है। तदनुसार, समूह ने

परिवर्तन की तारीख को इंड एएस के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए गए इन ऋणों को उचित महत्व दिया है। कर्मचारी को ऋण के उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को प्रीपेड कर्मचारी की लागत के रूप में मान्यता दी गई है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन ऋणों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। कर्मचारियों को दिए गए ऋण की मात्रा में वृद्धि की राशि ब्याज आय के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूर्व-प्रदत्त लाभ को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में ऋण की अवधि की तुलना में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिशोधित किया जाता है।

टिप्पणी-5

- पिछले जीएएपी की अवधि के लिए आय विवरण दृष्टिकोण का उपयोग करके आस्थगित कर लेखांकन की आवश्यकता होती है, जो कर योग्य लाभ और लेखा लाभ के बीच अंतर पर केंद्रित होती है। इंड एएस 12 में यह अपेक्षा की जाती है कि कंपनियां तुलन-पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके आस्थगित करों का लेखा-जोखा रखें, जो तुलन-पत्र और इसके कर आधार में किसी परिसंपत्ति या देयता की राशि की मात्रा के बीच अस्थायी अंतर पर केंद्रित हो। इंड एएस 12 दृष्टिकोण के लागू होने के कारण आस्थगित कर की नए अस्थायी अंतर के रूप में पहचान हुई है जो भारतीय जीएएपी के अंतर्गत आवश्यक नहीं था।
- इसके अलावा, विभिन्न परिवर्तनकालीन समायोजन के कारण अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है। लेखांकन नीतियों के अनुसार, समूह को ऐसे अंतर का हिसाब में लेना होता है। आस्थगित कर समायोजन को अंतर्निहित लेनदेन के सह-संबंध में या तो प्रतिधारित आय या इक्विटी के एक अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

टिप्पणी-6

- पिछले जीएएपी और इंड एएस दोनों के अंतर्गत, समूह ने बीमाकिक आधार पर अपनी रोजगार पश्चात् परिभाषित लाभ योजना से संबंधित लागत को मान्यता दी है। भारतीय जीएएपी के अंतर्गत, बीमाकिक लाभ और हानि सहित पूरी लागत को लाभ या हानि में डाला जाता है। इंड एएस के अंतर्गत, पुनः माप (बीमाकिक लाभ और हानि, परिसंपत्ति की सीमा का प्रभाव, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना के बाद की परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ, जिसमें निवल परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज शामिल है) को तुलन-पत्र में अन्य संबंधित आय (ओसीआई) के माध्यम से प्रतिधारित आय में डेबिट या क्रेडिट के साथ तत्काल दर्ज किया जाता है।

टिप्पणी-7

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, गैर-नियंत्रित हितों को समेकित तुलनपत्र में देनदारियों और मूल शेरधारकों की इक्विटी में अलग से प्रस्तुत किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत गैर-नियंत्रित हितों को कुल इक्विटी के अंदर समेकित तुलन-पत्र में अलग से मूल मालिकों की इक्विटी के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, पिछले जीएएपी के अंतर्गत सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में गैर-नियंत्रित हितों का भाग समायोजित किया जाता है ताकि समूह के लाभ का पता लगाया जा सके, जबकि इंड एएस के अंतर्गत इसे मूल और गैर-नियंत्रित हितों की अवधि के लिए लाभ या हानि के आवंटन के रूप में परिलक्षित किया जाता है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, एक कंपनी दूसरी कंपनी को नियंत्रित करती है जब उसका किसी अन्य कंपनी के मताधिकार का आधे से अधिक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो या निदेशक मंडल की संरचना पर नियंत्रण हो ताकि उसे इसके कार्यकलापों का आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल) के मामले में, क्योंकि कंपनी ने टीएनजीसीएल के पास 50% इक्विटी शेर नहीं थे, अतः इसे पिछले जीएएपी के अंतर्गत सहायक कंपनी नहीं माना गया था। तथापि, चूंकि कंपनी के पास टीएनजीसीएल के इक्विटी शेरों में 48.98% की हिस्सेदारी है, इसलिए इसे पिछले जीएएपी के अंतर्गत लेखांकन के समेकन की आनुपातिक पद्धति का उपयोग करते हुए कंपनी को संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। इंड एएस 110 समेकित वित्तीय विवरण के अंतर्गत किए गए नियंत्रण मूल्यांकन के आधार पर, टीएनजीसीएल को इंड एएस के अंतर्गत कंपनी की सहायक



कंपनी माना जाता है क्योंकि कंपनी में टीएनजीसीएल की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए पर्याप्त प्रभावी वोटिंग हित हैं।

- इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) के मामले में, बीसीपीएल के 50% से अधिक इक्विटी शेयरों के बाद कंपनी को पिछले जीएएपी के अंतर्गत सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इंड एस 110 के अंतर्गत, बीसीपीएल को एक सहयोगी कंपनी माना जाता है क्योंकि कंपनी में बीसीपीएल के निदेशक मंडल में अधिकांश निदेशक नहीं हैं और बीसीपीएल की संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन पर इसका पूरा अधिकार नहीं है।
- 1 अप्रैल 2015 को विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व में दर्शाए जाने वाले बकाया को शून्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, पिछले जीएएपी के अंतर्गत अंतरण रिजर्व बकाया को प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है। इस समायोजन के परिणामस्वरूप कुल इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, समेकित वित्तीय विवरणों में कर व्यय की गणना को मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के कर व्यय के अतिरिक्त एक-एक करके जोड़ा गया था। कर व्यय में कोई समायोजन नहीं किया गया था। इंड एस के अंतर्गत, आस्थगित कर को समूह कंपनियों के अवितरित लाभ में शामिल किया गया है। इसके अलावा, आस्थगित कर को इंड एस में परिवर्तन के दौरान किए गए समायोजनों में शामिल किया गया है।

टिप्पणी-8

- पिछले जीएएपी के अंतर्गत, समूह ने अन्य व्यापक आय (ओसीआई) को अलग से प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, पिछले जीएएपी के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण का इंड-एस के अनुसार लाभ और हानि विवरण तथा कुल अन्य व्यापक आय के साथ समायोजन किया गया है।
- इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह ने पिछले जीएएपी और इंड एस के बीच कई प्रस्तुति अंतर बनाए हैं। इन मतभेदों का रिपोर्ट किए गए लाभ या कुल इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, कुछ परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिवर्तन की तारीख में इंड एस के अंतर्गत एक अन्य मद के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, इन वित्तीय विवरणों में पिछले जीएएपी की तुलना में इंड एस के अंतर्गत कुछ मदों को अलग-अलग वर्णित किया गया है, यद्यपि इन मदों में शामिल परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रभावित न हों।

30) आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (उपलब्ध न कराई गई सीमा तक):-

I. आकस्मिक दायित्व

- (क) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:-
- (i) व्यापार द्वारा परिसमाप्ति क्षति/मूल्य न्यूनीकरण अनुसूची, प्राकृतिक गैस मूल्य अंतरण आदि के कारण देय तथा प्राकृतिक गैस संचरण प्रभार आदि के लिए ग्राहकों द्वारा देय 1,622.61 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 1,908.80 करोड़ रुपए) के कानूनी मामलों के दावे।
 - (ii) 1,128.26 करोड़ रुपए की आयकर मांग (निवल प्रावधान) (पिछले वर्ष 1,303.67 करोड़ रुपए) जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपीलीय प्राधिकारी/अदालत में अपील दायर की है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने सीआईटी (अपील) द्वारा कंपनी को 628.09 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) की दी गई राहत के खिलाफ आईटीएटी में अपील दायर की है (पिछले साल: 354.33 करोड़ रुपए)।
 - (iii) विवादित अप्रत्यक्ष कर की मांग निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
1	सीमा शुल्क	8.55	0.06
2	उत्पाद शुल्क	3,296.34	3,135.32
3	बिक्री कर/वैट	358.91	440.77
4	प्रवेश कर	11.42	16.16
5	सेवा कर	1,363.99	1,272.91
कुल		5,039.21	4,865.22

- (iv) 162.84 करोड़ रुपए के विविध दावे (पिछले वर्ष: 238.29 करोड़ रुपए)
- (ख) समूह कंपनियों की आकस्मिक देनदारियों में उनकी लेखा-परीक्षित/गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर हिस्सेदारी निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
क) सहायक कंपनियां	6,765.45	5,273.11
ख) संयुक्त उद्यम	335.75	307.87
ग) सहयोगी कंपनियां	621.88	621.12

II. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं:-

- (क) संविदाओं की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम) जो पूंजीगत खाते पर निष्पादित होगा और उपलब्ध नहीं कराया गया है: 3,128.92 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: 2,036.26 करोड़ रुपए)।
- (ख) संविदाओं की अनुमानित राशि में कंपनी का शेयर पूंजीगत लेखाओं में निष्पादित किया जाना है और समूह कंपनियों के लेखा-परीक्षित/गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के लिए उपलब्ध नहीं है:-

(₹ करोड़ में)

Particular	2016-17	2015-16
क) सहायक कंपनियां	280.54	328.41
ख) संयुक्त उद्यम	414.21	661.52
ग) सहयोगी कंपनियां	205.74	316.97

ग) अन्य प्रतिबद्धताएं: -

- i) कंपनी की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनियों और अन्य कंपनियों में आगे निवेश और ऋण के वितरण के लिए 1525.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1775.46 करोड़ रुपए) की प्रतिबद्धता है।
- 31) उरण ट्रॉम्बे पाइपलाइन के लिए परिवहन प्रभार से संबंधित मामलों के निपटान, ओएनजीसी लिमिटेड की 188.3 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 222.14 करोड़ रुपए) की देनदारी, और मौजूदा वित्त वर्ष के अंत में 186.13 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 171.65 करोड़ रुपए) की समान राशि के संबंधित देनदार बने हुए हैं। वर्ष के दौरान, ओएनजीसी ने कंपनी के साथ हुई बैठक में सहमति व्यक्त की है कि कंपनी द्वारा उक्त पाइपलाइन के परिवहन शुल्क का भुगतान संबंधित ग्राहकों से एकत्र करने के बाद ही किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त देनदारों की संदिग्ध वसूली के लिए पिछले वर्ष किए गए 171.65 करोड़ रुपए के प्रावधान को वर्ष के दौरान वापस ले लिया गया है।
- 32) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से संबंधित मामले
- क) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ और पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ समय-समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी विभिन्न विनियमों के अधीन है। जब कभी पीएनजीआरबी के आदेश द्वारा पाइपलाइन के टैरिफ को संशोधित किया जाता है, तो लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो, पर निरंतर नजर रखी जा रही है।
 - ख) अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) के निर्देशों के अनुसार, पीएनजीआरबी ने वित्त वर्ष 2016-17 में लागू 06 (छह) अंतिम टैरिफ आदेश जारी किए हैं। कंपनी ने इन टैरिफ आदेशों में पीएनजीआरबी द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों के खिलाफ अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष अपील दायर की है। उपर्युक्त अपील निपटान के लिए लंबित है। फिर भी, कंपनी ने इन आदेशों के अनुसरण में वर्ष के दौरान 360 करोड़ रुपए

का शुद्ध राजस्व अर्जित किया है। अनंतिम आदेशों के संबंध में, पीएनजीआरबी ने अभी तक अपने अंतिम आदेश जारी नहीं किए हैं।

- ग) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पाइपलाइनों के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण पर पीएनजीआरबी के क्षेत्राधिकार को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त रिट याचिका को 11.04.2017 के अपने आदेश के द्वारा खारिज कर दिया है। इस संबंध में, कंपनी ने 12 मई 2017 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है।
- घ) पीएनजीआरबी ने दिनांक 19.02.2014 को संबद्ध आचार संहिता में एक प्रविष्टि अधिसूचित की है कि प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन दोनों में संलग्न कंपनी 31.03.2017 तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए एक अलग कानूनी कंपनी बनाएगी और पहले उपयोग का अधिकार, ऐसी कंपनी के साथ संबद्ध रहेगा। कंपनी ने पीएनजीआरबी की उक्त अधिसूचना को मानवदंड से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के जरिए चुनौती दी गई है और यह फौसला लंबित है।
- 33) क) पन्ना मुक्ता ताप्ती (पीएमटी) संयुक्त उद्यम परिसंघ की 21.80 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 20.40 करोड़ रुपए) (टिप्पणी सं. 12ख में दर्शाया गया है) को बैंकों में अल्पकालिक जमा में निर्धारित शेष के रूप में रखा गया है। इसमें अर्जित ब्याज शामिल है, लेकिन यह 0.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.26 करोड़ रुपए) तक देय नहीं है। यह ब्याज कंपनी की आय नहीं है और इसे आय के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
- ख) (i) 'गैस पूल खाता' के कारण 268.56 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 927.87 करोड़ रुपए) (टिप्पणी सं. 14 में दर्शाए गए अनुसार) की देयता, एमओपीएनजी के निर्देशों के अनुसार अभिरक्षक के रूप में कंपनी द्वारा रखी गई राशि को दर्शाता है। प्राप्त राशि को बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में निर्धारित निधि के रूप में रखा जाता है (टिप्पणी सं.12ख में दर्शाए गए अनुसार)। इससे ब्याज अर्जित होता है लेकिन यह 4.55 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 14.91 करोड़ रुपए) तक देय नहीं है। यह ब्याज कंपनी से संबंधित नहीं है और इसे आय के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
- (ii) व्यापार प्राप्तियों (टिप्पणी सं.6 में दर्शाए अनुसार) के अंतर्गत संबंधित डेबिट के साथ 'अन्य दीर्घकालिक देयताओं' के अंतर्गत 655.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष रुपए 1,006.79 करोड़) की गैस पूल धनराशि (अनंतिम) दर्शाई गई है (वर्ष के दौरान कुछ ग्राहकों के मामले में इस प्रक्रिया के वापसी के बाद) जिसका ग्राहकों से प्राप्त होने के बाद निवेश/भुगतान किया जाएगा।
- ग) पाइपलाइन बिछाने में 99.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 85.81 करोड़ रुपए) अधिक राशि लगने की देयता और असंतुलन प्रभार (टिप्पणी 14 में दर्शाए अनुसार), पीएनजीआरबी के निर्देशों के अनुसार अभिरक्षक के रूप में कंपनी द्वारा धारित राशि को दर्शाता है। प्राप्त राशि बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में निर्धारित निधि के रूप में रखी गई है (टिप्पणी सं.12ख में दर्शाए अनुसार)। इसमें प्राप्त ब्याज शामिल है, लेकिन यह अल्पावधि जमा के रूप में 3.82 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3.93 करोड़ रुपए) तक देय नहीं है। यह ब्याज कंपनी से संबंधित नहीं है और इसे आय के रूप में शामिल नहीं किया गया है।
- 34) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार गेल यूरिया संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की पूर्ण हेतु पूल प्रचालक के रूप में कार्य कर रहा है। इस योजना में उद्योग के लिए भारत औसत मूल्य की तुलना में प्रत्येक संयंत्र के भारत औसत मूल्य में अंतर के निपटान के जरिए यूरिया उत्पादन के लिए गैस की समान लागत पर विचार किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च 2017 तक 78.34 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 604.27 करोड़ रुपए) यूरिया संयंत्रों से देय है और

तदनुसार प्राप्य है। देय और प्राप्य राशि के प्राप्त होने के बाद, वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

- 35) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार गेल गैस आधारित बिजली संयंत्रों के क्षमता उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस की पूर्ण हेतु पूल प्रचालक के रूप में कार्य कर रहा है। यह योजना, जो 31 मार्च 2017 तक लागू थी, में भारत सरकार के विद्युत क्षेत्र विकास कोष (डीडीएफ) से बिजली संयंत्रों को सहायता देने की परिकल्पना की गई है। गैस की आपूर्ति अस्थायी/अनुमानित मूल्य के आधार पर थी, जिन्हें वास्तविक लागत के आधार पर समायोजित किया जाना था। तदनुसार, वर्तमान देनदारियों में 31 मार्च 2017 तक इस खाते में 87.63 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 510.89 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है जो उपर्युक्त विद्युत संयंत्रों और/या भारत सरकार को देय है।
- 36) दिनांक 7 अक्टूबर 2005 को गैस ट्रांसमिशन समझौते के अनुसरण में, व्यापार प्राप्तियों (टिप्पणी सं.6 में दर्शाए अनुसार) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) से वार्षिक अनुबंधित मात्रा (2010 से 2015 तक की अवधि के लिए) में कमी के लिए शिप या वेतन प्रभार के लिए 255.36 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 255.36 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है। आईओसीएल ने दिनांक 22 मार्च 2016 को कंपनी के दावे को विवादित करार दिया है। इस मामले में कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, आईओसीएल द्वारा उठाए गए विवाद का कोई कारण नहीं है और इसलिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आईओसीएल ने 28 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता करने का प्रस्ताव किया है। मामले के अंतिम परिणाम पर समायोजन, यदि कोई हो, किया जाएगा।
- 37) दिनांक 31.03.2017 को 561.80 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 561.80 करोड़ रुपए) की पुनः गैसीकरण क्षमता की बुकिंग के लिए पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) को ब्याज मुक्त अग्रिम दिया गया है। पीएलएल के पुनः गैसीकरण बीजक की तुलना में 15 वर्षों के अंदर उक्त अग्रिम समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त अग्रिम में से, पीएलएल ने अक्टूबर 16 से मार्च 17 तक 9.55 करोड़ रुपए का समायोजन किया है। 552.25 करोड़ रुपए की शेष राशि (पिछले वर्ष 561.80 करोड़ रुपए) को टिप्पणी सं.10 में अग्रिम के रूप में अग्रणीत किया गया है।
- 38) 1 जनवरी 2017 से देय कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है। ऐसे वेतन संशोधन के संबंध में सीपीएसई के लिए तीसरे वेतन संशोधन समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिश रिपोर्ट के आधार पर, 93.95 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष: शून्य रुपए) का प्रावधान अनुमानित आधार पर किया गया है।
- 39) कंपनी द्वारा अपने संबंधित दलों से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई कॉर्पोरेट गारंटियों के संबंध में, कंपनी ने कहा है कि इन गारंटियों का उचित मूल्य शून्य है क्योंकि लामार्थी कंपनियों को ऋणदाता द्वारा ब्याज दर में कोई रियायत नहीं दी गई है।
- 40) 21 सितंबर 2016 को हुई बैठक में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (भारत सरकार) ने अनुमानित पूंजीगत लागत के 40% पूंजी अनुदान को मंजूरी दी है, जो कि 12,940 करोड़ रुपए है, अर्थात् कंपनी को जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के निष्पादन के लिए 5,176 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त खाते में पूंजीगत अनुदान के लिए 450 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं।
- 41) तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन का निर्माण, संचालन और रख-रखाव करने के लिए नवंबर 2014 में कंपनी के तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम को निगमित किया गया था। वर्तमान में, गेल के टीपीसीएल में शून्य मूल्य के 25 इक्विटी शेयर हैं, जैसा कि टिप्पणी सं.5 सीएफएस में दर्शाया गया है।
- 31 मार्च 2017 के अनुसार, गेल ने उक्त परियोजना के पूर्व परियोजना व्यय के



लिए 26.87 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया है जो 4.15 मिलियन अमरीकी डालर (पिछले वर्ष 9.17 करोड़ रुपए, जो कि 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के समकक्ष है। इस राशि को टिप्पणी सं.5 में इक्विटी के साथ अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए टीपीसीएल के वित्तीय विवरणों के प्राप्त होने तक, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में इसका प्रभाव शामिल नहीं है। प्रबंधन की राय में कंपनी का समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अप्रैल 2016 में शेयरधारकों के बीच हुए निवेश समझौते के अनुसार कंपनी की संयुक्त उद्यम में 5% इक्विटी हिस्सेदारी होगी।

- 42) अन्य असाधारण मदों में जून 2016 में आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के जरिए महानगर गैस लिमिटेड (एक सहयोगी कंपनी) के 1,23,47,250 इक्विटी शेयरों के आंशिक ऑफ लोड से दीर्घावधि निवेश की बिक्री पर लाभ के रूप में 210.65 करोड़ रुपए (निवल व्यय) (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।
- 43) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने कर्मचारियों (मूल परिसंपत्तियों) के उपयोग के लिए प्रदान किए गए फर्नीचर और बिजली के उपकरण के मूल्य में मूल्यह्रास की अनुमानित उपयोगी आयु को 7 वर्ष से 6 वर्ष में बदल दिया है और तदनुसार अवशिष्ट मूल्य का मूल्यह्रास किया गया है। तथापि, इस परिवर्तन का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई सामग्री प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 44) सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में, लेखाओं में निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियों का खुलासा किया गया है।

I) गैल गैस लिमिटेड

क) कंपनी ने टीटीजेड, बंगलुरु, देवास, कोटा, मेरठ और सोनीपत में परियोजना कार्यकलापों को वित्त-पोषण करने के लिए ओआईडीबी और एचडीएफसी से आवधिक ऋण लिया है। जहां-कहीं भी परियोजनाओं पर व्यय का खर्च ऋण के भुगतान के बाद किया गया था, उस पर उधार लेने की लागत को उचित रूप से पूंजीकृत किया गया था और चल रहे प्रारंभिक पूंजीगत कार्य से पूरा होने वाली परियोजनाओं के संबंध में इक्विटी द्वारा इन्हें वित्त-पोषित माना जाता है। इंड एएस 16 'उधार लागत' के संदर्भ में, सावधि ऋणों से संबंधित 13.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 17.07 करोड़ रुपए) की कुल वित्त लागत खर्च की गई थी, जिसमें से 2.41 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.24 करोड़ रुपए) को इस अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया था।

ख) हरियाणा और गुजरात राज्य में गैस की बिक्री पर वसूली गई वैट की मात्रा की तुलना में गैस की खरीद पर 112.67 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 169.83 करोड़ रुपए) का वसूला जाने वाला दावा दर्शाता है। शेष रिफंड की वसूली की जा रही है और इसे सही माना जा रहा है।

ग) वर्ष 2016-17 के दौरान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा उत्तर गोवा जिले के भौगोलिक क्षेत्र में शहर गैस वितरण नेटवर्क का प्राधिकार गेल गैस लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के परिसंघ को दिया गया है। परिसंघ कंपनी नामतः गोवा नेचुरल गैस लिमिटेड को आरओसी के साथ दिनांक 13 जनवरी, 2017 को पूंजीकृत किया गया है। बीपीसीएल के साथ किए गए समझौता-ज्ञापन के अनुसार, संयुक्त निविदाएं प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागत जैसे विकासशील पीएफआर और/या डीएफआर, आवेदन धनराशि, बोली बॉन्ड, बोली दस्तावेज, मानचित्र आदि को पार्टियों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। गेल गैस लिमिटेड द्वारा 1504 करोड़ रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी जमा कर दी गई है जो बीपीसीएल और गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रत्येक 752 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित है।

घ) निर्माण के दौरान 21.98 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 22.13 करोड़ रुपए) के अनुमानित व्यय को परिसंपत्ति की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आवंटित लागत

के अनुपात में चल रही परियोजना और पूंजीगत कार्य पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है।

ड.) सीडब्ल्यूआईपी में निर्माणाधीन परिसंपत्तियां शामिल हैं जो पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं, जहां सभी मामलों की जांच के बाद इनका पूंजीकरण किया जाएगा। पीएनजीआरबी द्वारा आयोजित बोली हेतु किए गए व्यय से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत 0.68 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.67 करोड़ रुपए) रखे गए हैं।

च) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शोलापुर और भोपाल से संबंधित असफल भौगोलिक क्षेत्र के सर्वेक्षण और जांच में 0.40 करोड़ रुपए के राजस्व व्यय का भुगतान किया है। चूंकि इन भौगोलिक क्षेत्रों को गेल गैस लिमिटेड के अलावा अन्य संस्थाओं से सम्मानित किया गया है, इसलिए उन भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन गेल गैस लिमिटेड द्वारा नहीं किया जाएगा।

छ) मथुरा में सीएनजी स्टेशन के लिए 4.05 करोड़ रुपए के व्यय को चल रहे पूंजीकृत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत दिखाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के साथ पाइपलाइनों को बिछाने के लिए एनएचएआई की अनुमति पहले ही प्राप्त हो चुकी है और निर्माण कार्य चल रहा है और इसे समय-समय पर पूंजीकृत किया जाएगा।

ज) बही खातों में दर्ज समस्त भूमि विभिन्न सरकारी एजेंसियों से प्राप्त की जाती है। दिनांक 31.03.2017 को कुल भूमि मूल्य 23.88 करोड़ रुपए है जिसमें से 12.79 करोड़ रुपए निःशुल्क भूमि है और 11.09 करोड़ रुपए पट्टेदार भूमि है। 12.79 करोड़ रुपए की फ्रीहोल्ड भूमि में से 1.90 करोड़ रुपए की फ्रीहोल्ड भूमि (3004.42 वर्ग मीटर) के बिक्री विलेख का निष्पादन लंबित है। फ्रीहोल्ड भूमि का नामांतरण चल रहा है।

झ) बंगलुरु नगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) बस डिपो में स्थापित सीएनजी स्टेशन के लिए बीएमटीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि (693 वर्ग मीटर) पर 4.14 करोड़ रुपए का निःशुल्क निर्माण किया गया है। इसका प्रलेखन निष्पादन के लिए लंबित है।

डीलर, गोदाम और विकासकर्ता द्वारा प्रदान की गई भूमि पर 3.26 करोड़ रुपए से भवन का निर्माण किया गया है।

5 अक्टूबर 2019 को समाप्त होने वाली 05 वर्षों की अवधि के लिए एमपीएकेवीएन लिमिटेड से पट्टे पर ली गई जमीन (2080 वर्ग मीटर) पर 2.24 करोड़ रुपए का निर्माण किया गया।

ञ) 14 सीएनजी स्टेशनों ने लाइसेंसिंग आवश्यकता और अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना अपना अभियान शुरू किया है।

II) त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड

क) औद्योगिक विकास केंद्र को पीएनजी आपूर्ति के लिए त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीएल) से प्राप्त पिछले जीएएपी अनुदान के अंतर्गत पूंजीगत रिजर्व में जमा किया गया है। इंड-एएस 20 के अनुसार, सरकारी अनुदान शेयरधारकों के अलावा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होते हैं। तदनुसार, तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान को बंद करके पूंजीगत रिजर्व बकाया को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ख) कंपनी को ग्राहकों से नकद प्राप्त होता है और वह उस नकद राशि से संयंत्र की किसी मद और उपकरणों का निर्माण करने के लिए नकद राशि का उपयोग करता है तथा ग्राहकों को सामान और सेवाओं की अतिरिक्त आपूर्ति करके संयंत्र और उपकरण की किसी मद का उपयोग करता है। इंड - एएस के अंतर्गत, ऐसी परिसंपत्तियों को कंपनी के बही खातों में दर्ज किया जाएगा और पूंजीगत रिजर्व की राशि को आस्थगित राजस्व में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।

III) महानगर गैस लिमिटेड

(क) कंपनी ने बिक्री शेयरधारकों ("प्रस्ताव") द्वारा बिक्री के प्रस्ताव के जरिए

जून 2016 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) को पूरा किया है। कंपनी के इक्विटी शेयर 1 जुलाई, 2016 से स्टॉक विनिमय (बीएसई और एनएसई) में सूचीबद्ध हैं।

ख) 05 जनवरी, 2016 को मौजूदा शेयरधारकों ने 94,92,545 आरक्षित अनिवार्य डिबेंचर (यूसीसीडी) (अंकित मूल्य प्रति 10/- रुपए) का प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य के 160 (एक सौ साठ) इक्विटी शेयर के लिए 17(सत्रह) आरक्षित सीसीडी के अनुपात में अधिकार आधार पर प्रस्ताव किया गया था। महाराष्ट्र सरकार को उनके आवेदन पर 9436178 आरक्षित सीसीडी आवंटित किए गए और शेष 56,367 आरक्षित सीसीडी रद्द किए गए थे। महाराष्ट्र सरकार को आवंटित इन आरक्षित सीसीडी को 7 जून, 2016 को समान संख्या के इक्विटी शेयरों के समकक्ष परिवर्तित किया गया था।

IV) इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

क) कंपनी ने विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों से एक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि पर विभिन्न सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं। तथापि, ऐसी भूमि पर निर्मित/स्थापित परिसंपत्तियां आमतौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट दरों पर मूल्यह्रास होता है, क्योंकि प्रबंधन प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त पट्टे की व्यवस्था के नवीकरण न होने का अनुमान नहीं लगाता है।

v) ओएनजीसी पेट्रो एंड्रिंस लिमिटेड

क) ओपाल द्वारा अपने विशाल पेट्रोकेमिकल परिसर के लिए दिए गए अनेक एलएसटीके टेकों में से, और धोखाधड़ी के आरोप (अर्थात् ओपाल के एक ठेकेदार मैसर्स फर्नास कंस्ट्रक्शन इंडा प्राइवेट लिमिटेड (एफसीआईपीएल) के खिलाफ योग्यता के लिए फर्जी समापन प्रमाणन, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच के बाद, ओपाल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट के लिए एकीकृत उपयोग और ऑफ साइट पैकेज दिया गया था।

सूचना के अनुसार, एफसीआईपीएल और ईआईएल के प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है और मामला न्यायाधीन है तथा ओपाल ने एफसीआईपीएल को दिनांक 27 अप्रैल 2017 के पत्र सं. ओपाल/बीडीए/सीईओ/पीसीसी/325/16-17 द्वारा 'एफसीआईपीएल' के अनुबंध के ठेके आदि का उल्लंघन करने पर निकाल दिया है।

ख) कंपनी के प्रचालन पट्टे पर कुछ कार्यालय/आवासीय परिसर हैं, जो संबंधित समझौते के अनुसार उचित नोटिस देकर रद्द किए जा सकते हैं। वर्ष के दौरान रद्द करने योग्य प्रचालन पट्टे पर 29.53 मिलियन (मार्च 2016 को समाप्त वर्ष: 27.3 मिलियन रुपए) का भुगतान किया गया है।

VI) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड

क) वर्ष के दौरान कंपनी को 9965 करोड़ रुपए की संशोधित परियोजना लागत के लिए 1045 करोड़ रुपए की लागत हेतु वित्त-पोषण पैटर्न के साथ अनुमोदन प्राप्त हुआ है। भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदित वित्त-पोषण पैटर्न के आधार पर, कंपनी को असम सरकार को छोड़कर अपने प्रवर्तकों से 14.87 करोड़ रुपए का इक्विटी अंशदान प्राप्त हुआ है। कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय को अनुमोदित वित्त-पोषण पैटर्न के भाग के रूप में अपना संपूर्ण पूंजीगत अनुदान की अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की है, तथापि, भारत सरकार ने बजट आवंटन में 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में जारी किए जाएंगे और शेष राशि के वर्ष 2017-18 या 2018-19 के संशोधित अनुमान में आवंटित होने की संभावना है। अनुमोदित वित्त-पोषण पैटर्न का ऋण घटक तभी लिया जाएगा, जब इक्विटी और पूंजीगत सब्सिडी को आवश्यकता के आधार पर पूरी तरह से निकाल लिया जाए। इस प्रस्ताव को 2 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक प्रारंभिक अवधि के लिए

678.78 करोड़ रुपए (अंतिम) की राजस्व सब्सिडी के लिए भी प्रस्तुत किया गया है ताकि कंपनी के नियंत्रण से परे कारणों से होने वाले नकद नुकसान अर्थात् स्थापना और फीडस्टॉक की कमी के बाद स्थिरीकरण अवधि को पूरा किया जा सके।

ख) कंपनी ने अपने जीएसयू और सी2+ वसूली यूनिट को लकवा, जिला: शिवसागर असम में 04 दिसंबर, 2016 से शुरू कर दिया है और तदनुसार, गेल से संयंत्र परिसंपत्तियों के संशोधन और अधिग्रहण लागत पर कुल 344.19 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत 216.53 करोड़ रुपए पर विचार किया गया) को पूंजीकृत किया गया है।

ग) 15 वर्षों तक प्राकृतिक गैस (फीडस्टॉक) की आपूर्ति के लिए मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड (एक प्रवर्तक) के साथ हुए दीर्घकालिक समझौते के अनुसार, कंपनी दोनों कंपनियों की संयुक्त समिति के माध्यम से मात्रा और गुणवत्ता में प्राकृतिक गैस की अल्प आपूर्ति के लिए समायोजन योग्य राशि का पता लगा रही है। राशि को अंतिम रूप देने पर, कंपनी आने वाले वर्ष में लेखाओं में आवश्यक समायोजन करेगी।

VII) ग्रीन गैस लिमिटेड

क) कंपनी के ठेकेदार मैसर्स टोरेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड को आगरा में स्टील पाइपलाइन बिछाने और संबद्ध कार्य के लिए तीन ठेके दिए गए थे। ठेकेदार ने बाद में उक्त परियोजना कंपनी से संबंधित विविध प्रभारों के लिए 5.32 करोड़ रुपए का दावा किया था और उनका मानना था कि उक्त दावे संगत नहीं थे और ये मनमानी और काल्पनिक तथ्यों पर आधारित हैं। इसके अलावा, कंपनी ने परियोजना में विलंब के लिए ठेकेदार पर 104 करोड़ रुपए का प्रति दावा किया तथा यह मामला एकमात्र मध्यस्थ के अधीन है। कार्यवाही दिसंबर 2016 से चल रही है।

VIII) भाग्यनगर गैस लिमिटेड

क) 20 अगस्त, 2014 को आयोजित कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में, बोर्ड को अधिमान आधार पर 50 करोड़ रुपए के समेकित प्रति इक्विटी शेयर 10 रुपए के मूल्य पर 10 रुपए के अंकित मूल्य के कुल 5 करोड़ इक्विटी शेयरों तक समय-समय पर, एक या एक से अधिक शाखाएं बनाने, प्रस्तुत, जारी और आवंटित करने के लिए कंपनी की सहमति प्रदान की गई थी। तदनुसार, गेल और एचपीसीएल को 2,24,87,500 शेयर जारी और आवंटित किए गए थे। एपीआईआईसी को शेयरों का आबंटन करने का अधिकार, कंपनी को उनके द्वारा आवंटित भूमि के हस्तांतरण के कारण लंबित है। कंपनी के उक्त निर्णय से आहत होकर काकीनाडा सीपोर्ट लिमिटेड, जो शेयरधारकों में से एक है, ने कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी), चेन्नई पीठ से संपर्क किया, जोकि उक्त मुद्दे के स्थगन सहित विभिन्न राहत प्राप्त कर रहे थे, जिसे सीएलबी द्वारा रद्द 14 सितंबर, 2014 को कंपनी के पक्ष में खारिज कर दिया गया था। इस बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ, पीड़ित शेयरधारक ने हैदराबाद उच्च न्यायालय में अन्य बातों के साथ-साथ एक याचिका और एक आवेदन दायर किया, जिसमें उक्त शेयरों के आवंटन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली है, लेकिन उसने सीएलबी के आदेश के खिलाफ कोई स्थागन आदेश नहीं दिया है। मामला न्यायाधीन है।

ख) निम्नलिखित भूमि के संबंध में बिक्री विलेख अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है:-

- एपीआईआईसी द्वारा मदर स्टेशन, शमीरपेट, हैदराबाद में आवंटित 2.18 एकड़ भूमि - 218 लाख रुपए।
- एपीआईआईसी द्वारा मेधाल गांव, आर.आर. जिला, हैदराबाद में आवंटित 180 वर्ग मीटर भूमि - 10.80 लाख रुपए।



- एपीआईआईसी द्वारा मदर स्टेशन, सरपवारम, वकलापुड़ी, काकीनाडा में आवंटित 1.50 एकड़ भूमि – 145.68 लाख रुपए।

(IX) अन्य प्रासंगिक जानकारी

क) सहायक कंपनी, गेल गैस लिमिटेड के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों, जिनमें नामतः चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड, रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लिमिटेड, तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और वडोदरा गैस लिमिटेड शामिल हैं, के संबंध में 21 मई, 2017 तक उपलब्ध लेखाओं में गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और प्रासंगिक टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया है।

45) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसार 'प्रचालन खंड' पर इंड – एएस 108 के अनुपालन में, अपेक्षित सूचना इस अनुसूची के अनुलग्नक-ग में दी गई है। **प्रचालन खंड:** प्रचालन खंड का निम्न प्रकार से चयन किया गया है:-

- ट्रांसमिशन सेवाएं
- क) प्राकृतिक गैस
- ख) एलपीजी
- प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग
- पेट्रोकेमिकल्स
- एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन
- शहर गैस वितरण
- गैर-आबंटन योग्य

46) 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' पर इंड – एएस 24 के अनुपालन में, संबंधित पार्टियों का नाम, संबंध की प्रकृति और उनके साथ दर्ज लेनदेन का विवरण अनुबंध-घ में दिया गया है।

47) 'प्रति शेयर आय' पर इंड एएस-33 के अनुपालन में, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों को देय वर्ष के लाभ को विभाजित करके मूल और प्रति शेयर कम की गई ईपीएस राशियों को विभाजित करके गणना की जाती है। प्रति शेयर कम की गई ईपीएस की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए वर्ष के लाभ को विभाजित करके की जाती है जो कि इक्विटी शेयरों की तुलना में प्रति शेयर कम की गई सभी संभावित इक्विटी के रूपांतरण पर जारी की जाएगी।

मूल और प्रति शेयर कम की गई ईपीएस गणना में प्रयुक्त आय और शेयर डेटा निम्नलिखित को दर्शाते हैं:

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कर के बाद अंश के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला निवल लाभ – (₹ करोड़)	3,368.17	1,869.22
इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या को भाजक के रूप में उपयोग किया जाता है	1,69,13,03,200	1,69,13,03,200
प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	10	10
आय प्रति शेयर (मूल और प्रति शेयर आमदनी) – (₹)	19.91	11.05
नाममात्र मूल्य प्रति इक्विटी शेयर – (₹)	19.91	11.05

48) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के समेकित उद्यमों की अतिरिक्त सूचना को अनुबंध-ड. में दर्शाया गया है।

49) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी प्राकृतिक व्यवसाय के जोखिम से उत्पन्न विभिन्न वित्तीय जोखिमों के साथ-साथ वस्तु की कीमतें, विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दरों से संबंधित बाजार जोखिमय ऋण जोखिम और तरलता जोखिम सहित वित्तीय साधनों के उपयोग के साथ-साथ उजागर होती हैं।

1) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें बाजार की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण भावी नकद प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव हो जाता है। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार, जमा, तथा व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

क) ब्याज दर जोखिम:-

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दर में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होता है। बाजार की ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपनी ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। बाजार में ब्याज दर जोखिम को उपयुक्त व्युत्पन्न और उत्पादों के माध्यम से कांट-छांट दिया जाता है, जैसे कि ब्याज दर स्वैप और पूर्ण मुद्रा स्वैप, जिसमें यह विनिर्दिष्ट अंतराल पर, फिक्स्ड और परिवर्तनीय दर ब्याज के बीच के अंतर के लिए सहमत मूल प्रधान राशि के आदान-प्रदान हेतु सहमति देता है।

ब्याज दर उतार-चढ़ाव

स्वैप अनुबंधों के प्रभाव पर विचार करने के बाद, विदेशी मुद्रा ऋण और उधार की फ्लोटिंग दर हिस्से पर ब्याज दरों में तर्कसंगत रूप से संभव परिवर्तन के लिए निम्न तालिका उतार-चढ़ाव को दर्शाती है:-

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016		अन्य
	अमेरिकी डॉलर (लिबोर)	अन्य	अमेरिकी डॉलर (लिबोर)	अन्य	
वृद्धि / कमी (आधार बिंदु में)	+10	-10	10	-10	शून्य
कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	-0.49	0.49	-1.43	1.43	शून्य

*लिबोर—लंदन इंटरबैंक प्रस्ताव दर

अन्य सभी परिवर्तनों के स्थिर होने पर, निम्न तालिका कॉर्पोरेट लिंक्ड जमा योजना (सीएलटीडी) पर ब्याज दरों में पर्याप्त संभव परिवर्तन के उतार-चढ़ाव को दर्शाती है:-

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016		अन्य
	₹ (मिबोर)	अन्य	₹ (मिबोर)	अन्य	
वृद्धि / कमी (मिबोर)	+100	-100	+100	-100	शून्य
कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	1.36	-1.36	+0.25	-0.25	शून्य

नीचे दी गई तालिका, समूह के कर पूर्व लाभ पर संभावित वृद्धि या कमी के प्रभाव को संक्षेप में दर्शाती है, जैसाकि ऋण और उधार पर ब्याज दरों के परिवर्तनीय घटकों

पर लागू होता है। भारतीय रुपए में ऋण में संभावित ब्याज दर के प्रबंधन अनुमानों पर वृद्धि/कमी आधारित है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	आईआर आधार बिंदु में वृद्धि/कमी		आईआर आधार बिंदु में वृद्धि/कमी	
वृद्धि/कमी (आधार बिंदु में)	+100	-100	+100	-100
कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	-0.82	0.82	-2.15	2.15

ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में होने वाले बदलावों के कारण वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होता है। कंपनी स्थानीय मुद्रा में और विदेशी मुद्रा में, मुख्यतः अमेरिकी डॉलर में व्यापार करती है। कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा व्यापार का भुगतान और प्राप्तियां प्राप्त की हैं और इसलिए उसे विदेशी मुद्रा जोखिम हो सकता है। अपने बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को साधारण व्युत्पन्न उत्पादों जैसेकि विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंध, स्वैप

अनुबंध या ऐसे जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए भावी अनुबंधों के माध्यम से कम कर सकती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों की अंतर्निहित अनुबंध की आवश्यकता और कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग-अलग परिपक्वता हो सकती है।

विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव

निम्न तालिका कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अमेरिकी डालर, यूरो और अन्य मुद्राओं में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, जबकि अन्य सभी परिवर्तन स्थिर हैं। कंपनी के कर पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक परिसंपत्ति के उचित मूल्य और विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न सहित देनदारियों में परिवर्तन के कारण है।

विवरण	31 मार्च 2017				31 मार्च 2016			
	अमेरिकी डॉलर		अन्य मुद्रा		अमेरिकी डॉलर		अन्य मुद्रा	
विनिमय दर में वृद्धि/कमी (%)	1%	-1%	1%	-1%	1%	-1%	1%	-1%
कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में)	-45.62	45.62	-1.86	1.86	-63.65	63.65	-2.22	2.22

ग) वस्तु मूल्य जोखिम

कंपनी विपणन और अपनी आंतरिक खपत के आधार पर एलएनजी का आधार पर आयात करती है तथा भारत में ग्राहकों को कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव के बैक टू बैक प्रभाव से बचा कर रखा जाता है। हालांकि, आयातित मात्रा का एक हिस्सा बैक टू बैक आधार पर अनुबंधित नहीं होता। चूंकि अधिकतर एलएनजी खरीद अनुबंध की कीमतें कच्चा तेल आधारित सूचकांक पर आधारित हैं, इसलिए कंपनी कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना कर रही है। इस क्रूड लिंकड कीमत जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'प्राकृतिक गैस मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति' के अनुरूप उचित व्युत्पन्न उत्पाद ले रही है।

31 मार्च 2017 को, खुले व्युत्पन्न अनुबंध के संबंध में कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है।

घ) इक्विटी मूल्य जोखिम

कंपनी के सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी निवेश इन निवेशों के भावी मूल्यों के बारे में अनिश्चितता से उत्पन्न बाजार मूल्य जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। कंपनी नियमित आधार पर कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निवेश की समीक्षा के माध्यम से इक्विटी मूल्य जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी के सभी

इक्विटी निवेश निर्णयों की समीक्षा करता है और स्वीकृति प्रदान करता है।

किसी सूचित तारीख को, उचित मूल्य पर सूचीबद्ध न किया गया इक्विटी निवेश 293.76 करोड़ (पिछले वर्ष 301.79 करोड़ रुपए) था।

सूचित तारीख को, उचित मूल्य पर सूचीबद्ध इक्विटी निवेश का जोखिम 5712.87 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4419.89 करोड़ रुपए) था। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इक्विटी निवेश के शेयर मूल्य में (+/-) 10% की विविधता ओसीआई पर लगभग (+/-) 571 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 442 करोड़ रुपए) और कंपनी के इक्विटी निवेश पर लगभग का प्रभाव हो सकता है। इन परिवर्तनों का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II) नकदी जोखिम

नकदी वह जोखिम है जिसमें कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कंपनी का उद्देश्य नकदी और अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। कंपनी अपनी नकदी की स्थिति पर नजर रखती है और एक सुदृढ़ नकद प्रबंधन प्रणाली स्थापित करती है। यह अपनी अल्पावधि और दीर्घकालिक निधि आवश्यकताओं जैसे ओवरड्राफ्ट सुविधा और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के माध्यम से दीर्घकालिक उधार लेने के वित्तपोषण के पर्याप्त स्रोत भी रखती है।



नकदी जोखिम - 31.03.2017 के अनुसार परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण	मांग पर	3 माह से कम	3 से 12 माह	> 1 से 5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
उधार (गैर-चालू) #	-	-	0	2825.80	428.18	3253.98
उधार (चालू) #	9.48	253.78	1878.96	-	-	2142.22
उधार पर ब्याज ##	-	126.47	239.72	499.82	62.95	928.96
व्यापार देयताएं	-	2828.40	-	-	-	2828.40
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)	54.84	1750.25	17.93	-	-	1823.02
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर-चालू)	-	-	-	609.69	-	609.69
कुल	64.32	4958.89	2136.61	3935.31	491.13	11,586.27

उधार में व्युत्पन्न अनुबंधों का प्रभाव शामिल है।

इसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन यह 31.03.2017 को देय नहीं है बल्कि इसके ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा।

नकदी जोखिम - 31.03.2016 के अनुसार परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण	मांग पर	3 माह से कम	3 से 12 माह	> 1 से 5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
उधार (गैर-चालू) #	-	-	-	5013.41	604.87	5618.28
उधार (चालू) #	111.50	208.84	2174.15	-	-	2494.94
उधार पर ब्याज ##	-	199.45	309.6	873.15	110.98	1493.18
व्यापार देयताएं	-	2935.73	-	-	-	2,935.73
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)	43.25	1780.18	579.91	-	-	2403.34
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर-चालू)	-	-	-	936.37	-	936.37
कुल	155.20	5124.21	3063.66	6822.93	715.85	15881.85

उधार में व्युत्पन्न अनुबंधों का प्रभाव शामिल है।

इसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन यह 31.03.2016 को देय नहीं है बल्कि इसके ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा।

नकदी जोखिम - 01.04.2015 के अनुसार परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण	मांग पर	3 माह से कम	3 से 12 माह	> 1 से 5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
उधार (गैर-चालू) #	-	-	-	6744.99	1033.6	7778.05
उधार (चालू) #	33.67	441.35	1272.40	-	-	1747.41
उधार पर ब्याज ##	-	220.66	399.05	1283.71	194.31	2097.73
व्यापार देयताएं	-	3381.71	-	-	-	3381.71
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)	40.96	1413.45	622.84	-	-	2077.25
अन्य वित्तीय देयताएं (गैर-चालू)	-	-	-	2103.16	-	2103.16
कुल	74.63	5457.17	2294.29	10131.86	1227.37	19185.32

उधार में व्युत्पन्न अनुबंधों का प्रभाव शामिल है

इसमें अर्जित ब्याज भी शामिल है, लेकिन यह 01.04.2015 को देय नहीं है बल्कि इसके ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा।

III) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें किसी वित्तीय साधन का कोई ग्राहक या प्रतिपक्ष निष्पादन करने में असफल हो जाता है या देय भुगतान करने में असफल हो जाता है, जिसके कारण कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है जो नकदी और नकद समकक्ष, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और वित्तीय संस्थाओं के पास जमा राशि और मुख्य रूप से बकाया प्राप्तियों से संबंधित ग्राहकों को ऋण जोखिम से होता है। कंपनियों द्वारा जारी गारंटियों के संबंध में ऋण जोखिम भी विद्यमान रहता है। प्रत्येक खंड अपने स्वयं के ऋण जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है। व्यापार करने के

जोखिम—प्रतिफल बकाया के भाग को ऋण जोखिम माना जाता है। किसी भी व्यवसाय अनुबंध में प्रवेश करने पर कंपनी द्वारा जोखिम को ऋण जोखिम के रूप में उजागर किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां

ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित प्रत्येक व्यवसाय यूनिट द्वारा किया जाता है। बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। प्रमुख ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हानि विश्लेषण किया जाता है।

विवरण	न विगत में देय और न ही क्षति	विगत में देय लेकिन क्षति नहीं				कुल
		30 दिन से कम	30 से 60 दिन	60 से 90 दिन	90 दिन से अधिक	
31 मार्च 2017 को	2276.69	156.78	311.92	.49	1108.51	3854.39
31 मार्च 2016 का	2251.37	157.23	310.26	0.28	1104.90	3824.04
01 अप्रैल 2015 को	2581.51	181.99	352.82	0.30	2399.89	5516.51

संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

निम्नलिखित तालिका में व्यापार प्राप्तियों के लिए संदिग्ध लेखाओं के भत्तों में परिवर्तन को संक्षेप में दर्शाया गया है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
वर्ष का प्रारंभ	798.71	630.91
क्षति के लिए प्रावधान		
गैर-संग्रह के रूप में वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई प्राप्तियां	-93.94	167.80
अप्रयुक्त वापिस की गई राशि		
वर्ष की समाप्ति	704.77	798.71

वित्तीय साधन और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में तुलन-पत्र से ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी के निधि विभाग द्वारा प्रबंधित अधिशेष निधि और विदेशी मुद्रा लेनदेन के उद्देश्य से अपने पैनलबद्ध बैंक की अनुमोदित सीमा के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन और अधिशेष निधियों का निवेश केवल पैनलबद्ध बैंकों के साथ किया जाता है। सभी बैंकों की ऋण सीमाओं की प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

IV) पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में निर्गम पूंजी और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अपने व्यवसाय का समर्थन करने और शेरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए टोस ऋण दर और स्वस्थ पूंजी अनुपात बनाए रखे।

कंपनी अपने पूंजी ढांचे का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करती है। पूंजी ढांचे को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी

शेरधारकों के लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेर जारी कर सकती है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

50) लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य माप

मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य निर्धारित करने और प्रकट करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजित) कीमतें
- स्तर 2: अन्य तकनीकें, जिनके लिए सभी इनपुट, जिनका दर्ज किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता हो।
- स्तर 3: ऐसी तकनीकें जो इनपुट का उपयोग करती हैं, जिनका दर्ज किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा पर आधारित न हो।



31 मार्च 2017 को कंपनी ने वित्तीय स्थिति के विवरण पर उचित मूल्य पर किए गए निम्नलिखित वित्तीय साधनों का पालन किया था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अग्रणीत राशि	उचित मूल्य		
	31 मार्च 2017	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :				
गैर-चालू				
व्यापार प्राप्तियां	1,103.66	-	-	-
निवेश	4261.49	-	-	-
ऋण और प्राप्तियां	623.92	-	-	-
चालू				
व्यापार प्राप्तियां	2,750.73	-	-	-
ऋण और प्राप्तियां	739.93	-	-	-
नकद और नकद समकक्ष	519.68	-	-	-
निर्धारित बैंक जमा	649.91	-	-	-
लाभ और हानि खाते के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	6.87	-	6.87	-
चालू				
व्युत्पन्न साधन	57.39	-	57.39	-
अन्य व्यापक आय के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
निवेश	6006.63	5712.87	-	293.76
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:				
गैर-चालू				
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.84	-	-	-
ब्याज – ऋण और उधार	3179.00	-	-	-
अन्य देयताएं	814.34	-	-	-
चालू				
व्यापार देयताएं	2,740.65	-	-	-
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.06	-	-	-
ब्याज – ऋण और उधार	2102.31	-	-	-
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	85.52	-	-	-
अन्य देयताएं	2481.79	-	-	-
लाभ और हानि खाते के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	75.15	-	75.17	-
चालू				
व्युत्पन्न साधन	59.31	-	59.31	-

टिप्पणी: ब्याज—आधारित ऋण और उधार लेने की लागत लगभग उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर है।

31 मार्च 2016 तक, कंपनी के पास वित्तीय स्थिति विवरण पर उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय साधन थे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अग्रणीत राशि	उचित मूल्य		
	31 मार्च 2016	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :				
गैर-चालू				
व्यापार प्राप्तियां	1,100.58			
निवेश	5122.72			
ऋण और प्राप्तियां	699.15			
चालू				
व्यापार प्राप्तियां	2,723.46			
ऋण और प्राप्तियां	584.76			
नकद और नकद समकक्ष	104.85			
निर्धारित बैंक जमा	1043.28			
लाभ और हानि खाते के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	219.09		219.09	
निवेश	5122.72			
चालू				
व्युत्पन्न साधन	46.94		46.94	
निवेश				
अन्य व्यापक आय के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
निवेश	4721.68	4419.89		301.79
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:				
गैर-चालू				
व्यापार देयताएं	-			
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.87			
ब्याज – ऋण और उधार	5,864.85			
अन्य देयताएं	1107.73			
चालू				
व्यापार देयताएं	2,909.15			
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.00			
ब्याज – ऋण और उधार	3186.79			
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	110.47			
अन्य देयताएं	2282.82			
लाभ और हानि खाते के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	28.48		28.48	
चालू				
व्युत्पन्न साधन	27.30		27.30	

टिप्पणी: ब्याज-आधारित ऋण और उधार लेने की लागत लगभग उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर है।



31 मार्च 2015 तक, कंपनी के पास वित्तीय स्थिति विवरण पर उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय साधन थे :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अग्रणीत राशि	उचित मूल्य		
	31 मार्च 2015	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :				
गैर-चालू				
व्यापार प्राप्तियां	2,398.76			
ऋण और प्राप्तियां	680.49			
निवेश	5220.47			
चालू				
व्यापार प्राप्तियां	2,398.76			
ऋण और प्राप्तियां	680.49			
निवेश				
नकद और नकद समकक्ष	75.82			
निर्धारित बैंक जमा	920.32			
लाभ और हानि खाते के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	116.06		116.06	
निवेश				
चालू				
व्युत्पन्न साधन	90.87		90.87	
निवेश				
अन्य व्यापक आय के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
निवेश	6651.53	6312.69		338.84
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:				
गैर-चालू				
व्यापार देयताएं	-			
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	4.03			
ब्याज – ऋण और उधार	7,887.63			
अन्य देयताएं	2156.68			
चालू				
व्यापार देयताएं	3,415.91			
वित्तीय पट्टा बाध्यताएं	0.02			
ब्याज – ऋण और उधार	2389.24			
ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	112.20			
अन्य देयताएं	2108.48			
लाभ और हानि खाते के जरिए अंकित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:				
गैर-चालू				
व्युत्पन्न साधन	82.29		82.29	
चालू				
व्युत्पन्न साधन	6.98		6.98	

टिप्पणी: ब्याज-आधारित ऋण और उधार लेने की लागत लगभग उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस राशि में शामिल किया गया है, जिस पर प्रणाली को मौजूदा लेनदेन में बाध्यकारी या परिसमाप्ति बिक्री के अलावा, इच्छुक पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किया जा सकता है।

मूल्यांकन के लिए उल्लेखनीय अप्रभावी इनपुट का वर्णन:

निम्नलिखित तालिका मूल्यांकन तकनीकों और वित्तीय साधनों के लिए प्रयुक्त इनपुट को दर्शाती है:

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	01 अप्रैल 2015 को
निवेश	जोखिम समायोजित छूट दर का प्रयोग करके छूट प्राप्त नकद प्रवाह		

निम्न तालिका स्तर 3 के उचित मूल्यों के लिए समापन शेष की तुलना में प्रारंभिक शेष का समायोजन दर्शाती है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
01 अप्रैल 2015 को शेष	338.84
जमा: अन्य व्यापक आय के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों की तुलना में सहयोगी कंपनियों में निवेश से पुनः गैसीकरण	20.76
घटा: अन्य व्यापक आय में मान्यता-प्राप्त उचित मूल्य हानि	57.81
31 मार्च 2016 को शेष	301.79
घटा: अन्य व्यापक आय में मान्यता-प्राप्त उचित मूल्य हानि	8.03
31 मार्च 2017 को शेष	293.76

51) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटन के अनुरूप जहां आवश्यक था, पुनः समूह बनाया गया है / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017



क) तथ्यात्मक गैर नियंत्रक ब्याज तथ्यात्मक वाली आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बारे में सूचना:-

निम्नलिखित तालिका में टीएनजीसीएल से संबंधित सूचना का सार दिया गया है जिसमें किसी आंतरिक समूह को हटाने से पहले तथ्यात्मक गैर-नियंत्रक ब्याज शामिल है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क) गैर-नियंत्रक ब्याज द्वारा धारित इक्विटी ब्याज का अनुपात त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड	51.02%	51.02%	51.02%
ख) आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की वित्तीय सूचना का सार			
तुलन-पत्र			
गैर-चालू परिसंपत्तियां	73.63	75.49	49.47
चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष के अलावा)	18.14	12.60	15.52
नकद और नकद समकक्ष	18.70	6.02	8.35
गैर-चालू देयताएं	22.54	25.61	21.98
चालू देयताएं	23.23	15.11	14.13
इक्विटी	64.69	53.39	37.23
गैर-नियंत्रक ब्याज के कारण	33.00	27.24	18.99
लाभ और हानि			
राजस्व	66.98	65.85	-
व्यय	49.81	50.12	-
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	17.17	15.73	-
आय कर व्यय	5.87	5.60	-
कर-पश्चात् लाभ/(हानि)	11.30	10.13	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-
कुल व्यापक आय लाभ/(हानि)	11.30	22.92	-
गैर-नियंत्रक ब्याज के कारण	5.76	5.17	-
गैर-नियंत्रक ब्याज की तलुना में भुगतान किया गया लाभांश	-	-	-

क) संयुक्त उद्यमों की वित्तीय सूचना का सार 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	ग्रीन गैस लिमिटेड	महानगर नेचुरल गैस लिमिटेड	अवंतिका गैस लिमिटेड	भान्यनगर गैस लिमिटेड	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा. लिमिटेड	ओएनजीसी पेट्रोएडिशनल्स लिमिटेड	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	वडोदरा गैस लिमिटेड
लेखों की स्थिति		लेखा- परिक्षित	लेखा- परिक्षित	लेखा- परिक्षित	लेखा- परिक्षित	लेखा- परिक्षित	गैर लेखा- परिक्षित	गैर लेखा- परिक्षित	गैर लेखा- परिक्षित	गैर लेखा- परिक्षित
परिसंपत्तियां										
गैर-चालू परिसंपत्तियां	36,271.59	153.07	223.63	650.00	254.97	336.66	6,497.17	28,156.08	0.01	261.78
चालू परिसंपत्तियां										
नकद और नकद समकक्ष	507.25	87.05	4.65	13.57	1.59	44.44	350.67	5.24	0.05	12.83
अन्य चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर)	2,159.47	14.45	79.47	86.34	22.17	40.19	687.34	1,229.49	0.01	39.56
कुल चालू परिसंपत्तियां	2,666.72	101.50	84.12	99.91	23.76	84.63	1,038.01	1,234.74	0.05	52.39
देयताएं										
गैर-चालू देयताएं										
गैर-चालू वित्तीय देयताएं (ब्यापार के अलावा तथा अन्य देयताएं तथा प्रावधान)	25,091.11	-	-	249.89	157.25	53.95	5,519.19	19,110.84	-	13.17
अन्य गैर-चालू देयताएं	451.18	12.58	15.71	33.15	7.85	8.55	9.09	364.24	-	15.33
कुल गैर-चालू देयताएं	25,542.29	12.58	15.71	283.04	165.10	62.50	5,528.28	19,475.08	-	28.49
चालू देयताएं										
चालू वित्तीय देयताएं (ब्यापार के अलावा तथा अन्य देयताएं तथा प्रावधान)	11,283.12	26.60	30.66	111.02	19.41	262.38	2,487.75	8,345.29	0.02	5.62
अन्य चालू देयताएं	2,885.72	8.20	8.56	23.66	4.46	6.19	2,415.94	418.69	0.01	29.55
कुल चालू देयताएं	14,168.84	34.80	39.22	134.68	23.87	268.58	4,903.69	8,763.98	0.03	35.17
इक्विटी समूह के मालिकाना हितलाभ का प्रतिशत										
संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी में हितलाभ	(772.83)	207.18 25.00%	252.83 49.97%	332.20 22.50%	89.75 49.97%	90.21 49.97%	(2,896.79) 25.50%	1,151.76 49.21%	0.03 30.00%	250.50 50.00%
संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी में हितलाभ	170.83	51.80	126.35	74.74	44.85	45.08	(738.79)	566.78	0.02	125.25
संयुक्त उद्यम में ब्याज की अग्रेनीत राशि	170.83	51.80	126.35	74.74	44.85	45.08	(738.79)	566.78	0.02	125.25
राजस्व										
मूल्य ह्रास	3,736.31	240.61	219.50	535.83	131.44	131.21	2,368.27	109.45	-	124.61
वित्त आय	3,225.98	9.37	6.80	28.48	7.29	8.22	2,828.63	337.19	-	3.37
वित्तीय लागत	114.68	-	-	-	-	-	-	114.68	-	-
आय कर व्यय	1,488.56	-	-	17.03	7.29	17.58	749.30	697.35	-	2.01
अन्य व्यय	425.74	26.35	24.07	41.37	13.76	5.26	-	314.93	-	7.79
	2,850.81	156.40	143.83	372.39	84.03	87.05	1,871.47	135.65	-	108.70
वर्ष के लिए लाभ	(4,369.46)	48.49	44.80	76.56	19.07	13.10	(3,081.13)	(1,490.35)	-	2.74
अन्य व्यापक आय										
वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी के लाभ में समूह की हिस्सेदारी समेकन समायोजन	(0.40)	(0.12)	(0.02)	(0.28)	0.01	(0.00)	-	-	-	-
	(712.70)	12.09	22.38	17.16	9.54	6.54	(47.02)	(733.40)	-	1.37
	(10.84)	(3.97)	-	(6.87)	-	0.01	-	-	(0.01)	-
संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी के लाभ में समूह की हिस्सेदारी	(723.55)	8.12	22.38	10.29	9.54	6.56	(47.02)	(733.40)	(0.01)	1.37
सहयोगी कंपनी से प्राप्त लाभांश	9.02	3.30	-	5.72	-	-	-	-	-	-

* आजीपीपीएल के लिए गैर-मान्यताप्राप्त हानि राशि प्रतिबंध



संयुक्त उद्यमों की वित्तीय सूचना का सार 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	ग्रीन गैस लिमिटेड	महानगर नेचुरल गैस लिमिटेड	अवंतिका गैस लिमिटेड	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	रत्नागिरी गैस एंड पाँवर प्रा. लिमिटेड	ओएनजीसी पेट्रोएडिशनस लिमिटेड	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	वडोदरा गैस लिमिटेड
परिसंपत्तियां										
गैर-चालू परिसंपत्तियां	36,047.24	135.69	191.02	555.31	196.23	327.28	9,285.10	25,356.61	-	254.66
चालू परिसंपत्तियां										
नकद और नकद समकक्ष	146.09	64.27	3.91	22.90	4.43	22.20	27.68	0.66	0.05	7.33
अन्य चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर)	901.17	12.10	60.34	70.64	17.96	30.04	612.21	97.88	0.00	43.98
कुल चालू परिसंपत्तियां	1,047.26	76.37	64.24	93.54	22.39	52.24	639.89	98.54	0.05	51.31
देयताएं										
गैर-चालू देयताएं										
गैर-चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देयताएं तथा प्रावधान)	22,238.92	-	-	216.86	120.14	42.06	7,784.96	14,074.90	-	13.17
अन्य गैर-चालू देयताएं	177.24	10.84	13.33	21.00	1.12	7.32	8.28	115.35	-	7.54
कुल गैर-चालू देयताएं	22,416.16	10.84	13.33	237.86	121.27	49.38	7,793.24	14,190.25	-	20.70
चालू देयताएं										
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देयताएं तथा प्रावधान)	9,284.27	19.25	23.33	103.38	22.18	248.23	245.97	8,621.93	0.00	11.08
अन्य चालू देयताएं	1,750.54	7.28	10.55	21.13	4.50	4.79	1,701.43	0.86	-	26.43
कुल चालू देयताएं	11,034.81	26.52	33.88	124.51	26.68	253.02	1,947.40	8,622.80	0.00	37.50
इक्विटी										
समूह के स्वामित्व हितलाभ का प्रतिशत	3,643.53	174.70	208.05	286.49	70.67	77.11	184.35	2,642.11	0.05	247.76
संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी में हितलाभ	1,633.17	43.67	103.97	64.46	35.31	38.53	47.02	1,300.18	0.02	123.88
सहयोगी कंपनी में ब्याज की अग्रेनीत राशि	1,633.17	43.67	103.97	64.46	35.31	38.53	47.02	1,300.18	0.02	123.88
राजस्व	2,298.37	221.29	203.29	507.84	124.90	122.27	1,115.00	3.78	-	127.85
मूल्य ह्रास	653.86	8.34	4.80	15.79	5.19	7.63	587.36	24.76	-	2.98
वित्त आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय लागत	864.37	-	0.29	7.22	7.49	19.65	798.54	31.17	-	1.71
आय कर व्यय	194.70	17.76	18.87	41.54	4.43	1.49	-	110.61	-	2.13
अन्य व्यय	1,681.47	162.32	144.93	367.64	90.80	88.75	815.57	11.45	-	107.24
वर्ष के लिए लाभ	(1,096.02)	32.87	34.40	75.66	16.98	4.75	(1,086.47)	(174.21)	-	13.79
अन्य व्यापक आय	0.19	0.12	0.06	(0.01)	0.00	0.01	-	-	-	-
वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी के लाभ में समूह की हिस्सेदारी	(309.46)	8.25	17.22	17.02	8.49	2.38	(277.09)	(85.73)	-	6.89
समेकन समायोजन	82.17	(2.48)	-	(2.19)	-	-	86.84	-	-	(2.27)
संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी में समूह की हिस्सेदारी	(227.30)	5.77	17.22	14.83	8.48	2.38	(190.25)	(85.73)	-	4.62
सहयोगी कंपनी से प्राप्त लाभांश	2.82	2.10	-	0.72	-	-	-	-	-	-

ख) सहयोगी कंपनी की वित्तीय सूचना का सार 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल	चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	महानगर गैस लिमिटेड	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	पेट्रोनेट एलएनजी लि.	फेयम गैस कंपनी	राष्ट्रीय गैस कंपनी	बीसीपीएल
परिसंपत्तियां								
गैर-चालू परिसंपत्तियां	56,850.81	34,352.37	1,828.32	2,742.90	9,010.96	1.24	214.02	8,701.00
चालू परिसंपत्तियां								
नकद और नकद समकक्ष	4,889.93	3,880.85	146.66	496.10	320.99	12.21	33.08	0.04
अन्य चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर)	15,128.15	7,728.20	649.27	852.34	4,581.64	101.58	480.58	734.54
कुल चालू परिसंपत्तियां	20,018.08	11,609.05	795.93	1,348.44	4,902.63	113.79	513.67	734.58
देयताएं								
गैर-चालू देयताएं								
गैर-चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देयताएं एवं प्रावधान)	20,347.39	10,417.73	2.90	1.58	2,835.79	-	-	7,089.40
अन्य गैर चालू देयताएं	1,809.13	653.48	151.63	202.86	736.74	0.04	-	64.37
कुल गैर-चालू देयताएं	22,156.52	11,071.21	154.53	204.44	3,572.53	0.04	-	7,153.77
चालू देयताएं								
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देयताएं एवं प्रावधान)	12,691.96	9,162.26	427.89	685.02	1,208.63	1.26	134.13	1,072.77
अन्य चालू देयताएं	11,853.76	9,264.29	201.80	275.91	954.04	98.37	309.56	749.79
कुल चालू देयताएं	24,545.72	18,426.56	629.68	960.93	2,162.67	99.63	443.69	1,822.56
इक्विटी समूह के स्वामित्व हितलाभ का प्रतिशत	30,166.65	16,463.65	1,840.04	2,925.97	8,178.39	15.36	284.00	459.25
संयुक्त उद्यम/एसोसिएट में हितलाभ	3,045.48	424.83	598.01	658.34	1,022.30	2.92	14.20	324.88
सहयोगी कंपनी में ब्याज की अग्रेनीत राशि	3,046.76	424.83	598.01	658.34	1,022.30	2.92	14.20	324.88
राजस्व	57,581.19	25,327.73	2,239.07	4,222.51	24,616.03	43.31	354.05	778.49
मूल्य ह्रास	1,013.47	-	95.13	193.57	369.07	0.35	3.66	351.68
वित्त आय	21.23	-	-	16.33	-	4.90	-	-
वित्तीय लागत	1,174.84	659.01	1.02	1.21	209.65	0.05	1.13	302.77
आय कर व्यय	1,140.31	-	207.23	288.83	654.52	2.75	51.52	(64.54)
अन्य व्यय	49,182.81	21,923.92	1,542.26	3,151.61	21,659.66	26.34	143.04	735.98
वर्ष के लिए लाभ	5,048.53	2,744.80	393.43	570.96	1,723.13	8.91	154.70	(547.40)
अन्य व्यापक आय	(3.51)	-	(0.66)	(0.87)	(1.79)	-	-	(0.19)
वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी में समूह की हिस्सेदारी समेकन समायोजन	176.00	82.87	127.65	128.27	215.17	1.69	7.74	(387.38)
मान्यता-प्राप्त संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी के लाभ में समूह की हिस्सेदारी	(530.96)	(56.88)	(377.23)	(36.02)	(25.68)	(3.01)	(32.14)	-
मान्यता-प्राप्त संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी के लाभ में समूह की हिस्सेदारी	(354.96)	25.99	(249.59)	92.25	189.49	(1.32)	(24.41)	(387.37)
सहयोगी कंपनी से प्राप्त लाभांश	160.39	25.17	81.86	29.93	23.44	-	-	-



सहयोगी कंपनियों की वित्तीय सूचना का सार 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल	चाइना गैस होल्डिंग लि.	महानगर गैस लिमिटेड	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	पेट्रोनेट एलएनजी लि.	फेयम गैस कंपनी	राष्ट्रीय गैस कंपनी	बीसीपीएल
परिसंपत्तियां								
गैर-चालू परिसंपत्तियां	53,187.63	30,815.50	1,631.45	2,556.62	8,888.72	20.43	156.48	9,118.42
चालू परिसंपत्तियां								
नकद और नकद समकक्ष	7,638.39	4,543.32	22.19	453.76	2,176.71	22.37	393.93	26.11
अन्य चालू परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर)	10,584.51	6,816.96	716.84	368.71	1,409.20	168.73	616.22	487.85
कुल चालू परिसंपत्तियां	18,222.89	11,360.28	739.03	822.47	3,585.91	191.10	1,010.14	513.96
देयताएं								
गैर-चालू देयताएं								
गैर चालू वित्तीय देयताएं (ब्यापार के अलावा तथा अन्य देयताएं एवं प्रावधान)	21,466.30	10,564.22	4.84	-	3,632.92	3.85	-	7,260.47
अन्य गैर चालू देयताएं	1,529.05	615.39	131.13	179.11	594.18	0.06	-	9.19
कुल गैर-चालू देयताएं	22,995.35	11,179.61	135.97	179.11	4,227.10	3.90	-	7,269.65
चालू देयताएं								
चालू वित्तीय देयताएं (ब्यापार के अलावा तथा अन्य देयताएं एवं प्रावधान)	10,979.14	8,399.03	355.88	522.16	803.09	2.15	-	896.83
अन्य चालू देयताएं	9,389.39	6,635.51	150.20	161.86	781.98	183.16	909.24	567.43
कुल चालू देयताएं	20,368.53	15,034.54	506.08	684.02	1,585.07	185.32	909.24	1,464.26
इक्विटी समूह के स्वामित्व हित का प्रतिशत	28,046.64	15,961.63	1,728.43	2,515.96	6,662.46	22.32	257.39	898.46
संयुक्त उद्यम/एसोसिएट में हित	3,291.12	398.84	859.94	566.09	832.81	4.24	22.16	607.04
सहयोगी कंपनियों में ब्याज की अग्रेनीत राशि	3,292.09	398.84	859.94	566.09	832.81	4.24	22.16	607.04
राजस्व	59,373.76	25,426.47	2,285.13	4,064.21	27,133.42	69.31	393.30	1.92
मूल्य ह्रास	684.14	0	82.61	184.15	321.60	0.29	4.53	90.96
वित्त आय	7.05	0	-	1.87	-	5.18	-	-
वित्तीय लागत	821.82	500.59	2.22	9.92	238.75	0.83	0.90	68.61
आय कर व्यय	704.81	0	160.74	218.88	285.98	2.68	30.04	6.49
अन्य व्यय	53,488.74	22,766.55	1,728.67	3,230.72	25,359.24	55.89	239.29	108.38
वर्ष के लिए लाभ	3,667.20	2,159.32	310.89	418.67	927.85	4.44	118.54	(272.51)
अन्य व्यापक आय	1.27	0	1.69	(0.35)	(0.03)	-	-	(0.04)
वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी में समूह की हिस्सेदारी समेकन समायोजन	264.60	64.51	155.52	94.12	115.98	0.84	17.78	(184.15)
(165.34)	(25.92)	(93.63)	(22.74)	(22.57)	0.84	(1.33)	-	
मान्यता-प्राप्त संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी के लाभ में समूह की हिस्सेदारी	99.26	38.59	61.90	71.38	93.41	1.68	16.45	(184.15)
सहयोगी कंपनी से प्राप्त लाभांश	139.45	24.02	77.79	18.90	18.75	-	-	-

(अनुलग्नक-ग)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए व्यवसाय खंड के बारे में सूचना

क्र. सं.	खंड	ट्रांसमिशन सेवाएं*		प्राकृतिक गैस विपणन**	पेट्रोकेमिकल	एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन्स	सिटी गैस	अन्य खंड***	गैर-आवंटन योग्य	कुल	हटाया गया	कुल समेकित
		प्राकृतिक गैस	एलपीजी									
1	राजस्व बाहरी बिक्री / अन्य आय आंतरिक खंड बिक्री	4,194.53	514.52	34,630.35	5,625.58	3,137.72	337.45	796.55	-	49,236.70	-	49,236.70
		411.31	-	5,974.62	20.44	53.96	2,543.13	17.77	-	9,021.23	9,021.23	-
	कुल राजस्व	4,605.84	514.52	40,604.97	5,646.02	3,191.68	2,880.58	814.32	-	58,257.93	9,021.23	49,236.70
2	परिणाम खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ) गैर-आवंटित व्यय (निवल)	2,345.63	251.12	1,294.02	449.64	1,237.72	134.95	(40.18)	-	5,672.90	-	5,672.90
		2,345.63	251.12	1,294.02	449.64	1,237.72	134.95	(40.18)	(49.55)	49.55	5,623.36	-
	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	-	510.99	510.99	-	510.99
	ब्याज / लाभांश से आय	-	-	-	-	-	-	-	644.93	644.93	-	644.93
	कराधान के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	1,809.36	1,809.36	-	1,809.36
	सामान्य कार्यकलापों से लाभ / (हानि)	2,345.63	251.12	1,294.02	449.64	1,237.72	134.95	(40.18)	(1,724.96)	3,947.94	-	3,947.94
	एसोसिएट और संयुक्त उद्यमों से लाभ (हानि) की हिस्सेदारी	-	-	-	-	-	-	-	(574.02)	(574.02)	-	(574.02)
	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निवल लाभ / (हानि)	2,345.63	251.12	1,294.02	449.64	1,237.72	134.95	(40.18)	(2,298.98)	3,373.92	-	3,373.92
3	अन्य सूचना खंड परिसंपत्तियां गैर-आवंटित परिसंपत्तियां	24,536.27	814.06	-	9,964.21	947.27	260.87	2,526.64	-	39,049.32	-	39,049.32
		24,536.27	814.06	-	9,964.21	947.27	260.87	2,526.64	19,582.24	19,582.24	58,631.56	-
	खंड देयताएं	4,934.63	82.11	-	677.10	207.26	192.30	181.00	-	6,274.40	-	6,274.40
	गैर-आवंटित देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	13,019.27	13,019.27	-	13,019.27
	कुल देयताएं	4,934.63	82.11	-	677.10	207.26	192.30	181.00	13,019.27	19,293.67	-	19,293.67
	स्थायी परिसंपत्तियां प्राप्त करने की लागत	1,015.10	44.98	-	173.07	54.08	248.38	42.53	33.19	1,611.32	-	1,611.32
	मूल्य ह्रास**	723.45	51.44	0.05	414.80	46.36	22.91	239.43	44.57	1,543.01	-	1,543.01
	मूल्य ह्रास के अलावा गैर नकद व्यय**	133.78	1.23	23.26	9.92	67.46	-	113.47	791.71	1,140.83	-	1,140.83

उत्पाद शुल्क से निवल बिक्री

* पूर्व अवधि समायोजन को छोड़कर

** गैस ट्रांसमिशन में शामिल गैस व्यापार व्यवसाय की परिसंपत्तियां और देयताएं

*** अन्य खंड में गैल टेल, ईएंडपी, शहर गैस और विद्युत उत्पादन शामिल है।

टिप्पणियां (समेकन के समय उपलब्ध सूचना के अनुसार)

1. सहायक कंपनी जीजीएसपीएल शामिल है।
2. सहायक कंपनी गैल गैस और टीएनपीएल शामिल है।
3. सहायक कंपनी जीजीयूआई शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए व्यवसाय खंड के बारे में सूचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	खंडट्रांसमिशन सेवाएं*		प्राकृतिक गैस विपणन**	पेट्रोलसायन	एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन्स	सिटी गैस	अन्य खंड***	गैर-आवंटन योग्य	कुल	हटाया गया	कुल समकित
		प्राकृतिक गैस	एलपीजी									
1	राजस्व बाहरी बिक्री / अन्य आय आंतरिक खंड बिक्री	3,700.66	486.01	40,336.68	3,354.32	3,321.93	199.42	956.06	-	52,355.08	-	52,355.08
		291.63	-	5,373.00	27.58	5.22	1,428.06	17.52	-	7,143.01	7,143.01	-
	कुल राजस्व	3,992.29	486.01	45,709.68	3,381.90	3,327.15	1,627.48	973.58	-	59,498.09	7,143.01	52,355.08
2	परिणाम खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ) गैर-आवंटित व्यय (निवल)	1,848.57	262.61	1,418.76	(789.32)	742.36	94.38	53.87	-	3,631.23	-	3,631.23
		1,848.57	262.61	1,418.76	(789.32)	742.36	94.38	53.87	(376.94)	-	3,254.29	-
	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	-	821.83	821.83	-	821.83
	ब्याज / लाभान्श से आय करधान के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	516.42	516.42	-	516.42
	सामान्य कार्यकलापों से लाभ / (हानि)	1,848.57	262.61	1,418.76	(789.32)	742.36	94.38	53.87	(1,773.70)	1,857.54	-	1,857.54
	एसोसिएट और संयुक्त उद्यमों से लाभ (हानि) की हिस्सेदारी असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-	-	16.85	16.85	-	16.85
	निवल लाभ / (हानि)	1,848.57	262.61	1,418.76	(789.32)	742.36	94.38	53.87	(1,756.85)	1,874.39	-	1,874.39
3	अन्य सूचना खंड परिसंपत्तियां गैर-आवंटित परिसंपत्तियां	24,661.56	837.34	-	9,944.20	862.90	290.38	2,673.36	-	39,269.74	-	39,269.74
		24,661.56	837.34	-	9,944.20	862.90	290.38	2,673.36	19,066.70	-	58,336.43	-
	खंड देयताएं गैर-आवंटित देयताएं	5,235.49	83.21	-	568.21	155.94	145.76	196.70	-	6,385.31	-	6,385.31
	कुल देयताएं	5,235.49	83.21	-	568.21	155.94	145.76	196.70	15,520.47	21,905.78	-	21,905.78
	स्थायी परिसंपत्तियां प्राप्त करने की लागत	486.45	39.27	-	1,717.20	32.11	191.72	301.10	53.93	2,821.78	-	2,821.78
	मूल्य हास* मूल्य हास के अलावा गैर नकद व्यय*	682.27	47.21	0.05	367.48	39.60	21.56	292.24	45.19	1,495.60	-	1,495.60
		118.30	2.41	201.81	8.20	4.20	-	113.19	6.59	454.70	-	454.70

उत्पाद शुल्क से निवल बिक्री

* पूर्व अवधि समायोजन को छोड़कर

** गैस ट्रांसमिशन में शामिल गैस व्यापार व्यवसाय की परिसंपत्तियां और देयताएं

*** अन्य खंड में गैल टेल, ईएंडपी, सिटी गैस और विद्युत उत्पादन शामिल है।

**** अन्य खंड में गैल टेल, ईएंडपी, सिटी गैस और विद्युत उत्पादन शामिल है।

टिप्पणियां (समेकन के समय उपलब्ध सूचना के अनुसार)

1. सहायक कंपनी जीजीएसपीएल शामिल है।
2. सहायक कंपनियां गैल गैस और टीएनजीसीएल शामिल है।
3. सहायक कंपनी जीजीयूआई शामिल है।

संबंधित पार्टी प्रकटन

अनुलग्नक-घ

I) संबंध

क) संयुक्त उद्यम कंपनियां/सहयोगी कम्पनियां/कर्मचारी ट्रस्ट

- 1) महानगर गैस लिमिटेड
- 2) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
- 3) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
- 4) भाग्यनगर गैस लिमिटेड
- 5) त्रिपुरा नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- 6) सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
- 7) ग्रीन गैस लिमिटेड
- 8) महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
- 9) अवन्तिका गैस लिमिटेड
- 10) गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड
- 11) ओएनजीसी पेट्रो-एडशिन्स लिमिटेड (ओपीएएल)
- 12) तापी पाइपलाइन कम्पनी लि.
- 13) नेशनल गैस कंपनी 'नेट गैस'
- 14) फेयम गैस कंपनी
- 15) चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड
- 16) आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- 17) केरल गेल गैस लिमिटेड
- 18) राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
- 19) वडोदरा गैस लिमिटेड
- 20) हरिद्वार गैस प्राइवेट लिमिटेड
- 21) गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
- 22) गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट
- 23) गेल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ कोष
- 24) गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी मृत्यु-सह-अधिवर्षिता उपदान योजना

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) पूर्णकालिक निदेशक (केएमपी):

- 1) श्री बी.सी. त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एम रविन्द्रन (31.01.2017 तक)
- 3) डॉ. आशुतोष कर्नाटक
- 4) श्री सुबीर पुरकायस्थ, निदेशक (वित्त) और सीएफआर
- 5) श्री पी के गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) (01-02-2017 से)
- 6) एन गंगोपाध्याय
- 7) वी शिवशंकर
- 8) ई एस रंगनाथन
- 9) अशोक कुमार दास
- 10) अनिल कुमार
- 11) विनय कुमार शुक्ला
- 12) जिलेदार
- 13) राजीव कुमार माथुर
- 14) पंकज पटेल
- 15) अरविंद मधुकर तांबेकर

ii) स्वतंत्र निदेशक

- 1) श्री आशीष चटर्जी
- 2) श्री एस के श्रीवास्तव
- 3) श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ
- 4) श्री संजय टंडन
- 5) श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव
- 6) डॉ अनुप कुमार पुजारी

iii) कंपनी सचिव

- 1) श्री एन के नागपाल (25.05.2016 तक)
- 2) श्री अनिल कुमार झा (26.05.2016 से)



ग) अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों हेतु अनिगमित संयुक्त उद्यम ::

1) एनईसी-ओएसएन-97 / 1	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 50 प्रतिशत) गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है।)
2) ए-1, म्यांमार	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 8.5 प्रतिशत)
3) ए-3, म्यांमार	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 8.5 प्रतिशत)
4) एसएचडब्ल्यूई अपतट पाइपलाइन	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 8.5 प्रतिशत)
5) सीवाई-ओएस / 2	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 25 प्रतिशत)
6) आरएम-सीबीएम-2005 / III	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 35 प्रतिशत) गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है।)
7) टीआर-सीबीएम-2005 / III	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 35 प्रतिशत) गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है।)
8) एमआर-सीबीएम-2005 / III	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 45 प्रतिशत) गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है।)
9) ए डी-7, म्यांमार	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 10 प्रतिशत) गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है।)
10) ब्लॉक-56, ओमान	(भागीदारी हित के साथ गैर-प्रचालक : 25 प्रतिशत) गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है।)

सामान्य व्यवसाय के दौरान संबंधित पक्षों के साथ निम्नानुसार लेन-देन किए गए:

क) उपर्युक्त मद संख्या 1(क) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :	2016-17	2015-16
1) बिक्री		
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	1,870.08	2,023.01
महानगर गैस लिमिटेड	964.86	1,145.50
अन्य	628.42	574.98
2) उपर्युक्त (1) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि		
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	82.57	78.49
महानगर गैस लिमिटेड	160.97	156.51
अन्य	31.53	32.89
3) क्रय		
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	13,078.18	12,685.96
अन्य	2.19	2.95
4) उपर्युक्त (3) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार भुगतान योग्य राशि		
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	675.16	501.87
अन्य	0.07	0.07
5) प्राप्त/प्राप्य अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति	14.74	8.75
6) उपर्युक्त (5) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि	1.54	1.44
II) 7) लाभांश आय		
महानगर गैस लिमिटेड	81.86	77.78
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	29.93	18.90
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	23.44	18.75
चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	25.17	24.02
अन्य	9.02	2.82

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2015-16
8) अन्य आय		
भाग्यनगर गैस लिमिटेड	8.40	7.58
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	3.09	15.36
अन्य	0.79	0.58
9) उपर्युक्त (8) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि		
भाग्यनगर गैस लिमिटेड	8.40	7.58
अन्य	0.06	0.16
10) देनदारों के लिए सृजित प्रावधान	2.64	3.16
11) तुलन पत्र की तारीख के अनुसार निवेश	1,372.33	1,389.31
12) तुलन-पत्र तिथि से इक्विटी के आवंटन हेतु अग्रिम	26.87	9.17
13) तुलन-पत्र की तारीख से दिया गया अग्रिम/ऋण	703.79	670.09

(₹ करोड़ में)

ख) उपर्युक्त मद संख्या 1(ख) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :	प्रबंधन प्रमुख कार्मिक (केएमपी)		केएमपी से संबंधित	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
1) पारिश्रमिक	5.58	6.63	0.89	0.75
2) प्राप्ति योग्य बकाया ब्याज आधारित ऋण	0.30	0.29	0.11	0.11
3) प्रदत्त ऋणों पर अर्जित ब्याज	0.26	0.57	0.12	0.08
4) सेल्फ लीज	0.07	0.10	-	-

* पारिश्रमिक में मूल वेतन, भत्ते, प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि में अंशदान और परिलब्धियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को लोक उद्यम ब्यूरो के परिपत्र के अनुसार भुगतान पर 1000 किमी. प्रति माह की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

(₹ करोड़ में)

ग) उपर्युक्त मद संख्या 1 (ग) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :	2016-17	2015-16
1) न्यूनतम कार्य योजना वचनबद्धता	-	-
2) सर्वेक्षण, उत्पादन, रॉयल्टी एवं अन्य व्यय	198.58	249.38
3) सीडब्ल्यूआईपी एवं अन्य परिसंपत्तियां	(1.87)	52.81
4) तुलन पत्र की तिथि को बकाया राशि (अग्रिम का निवल)	23.58	29.03
5) बड़ेखाते में डाली गई राशि-शुष्क कूप व्यय	-	0.57
6) प्रचालन से बिक्री/व्यय	581.16	716.63
7) तुलन पत्र की तिथि को बकाया राशि (बिक्री के एवज में)	48.82	43.36

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा यथापेक्षित अतिरिक्त जानकारी

अनुलग्नक - ड.

क्र. सं.	कंपनी का नाम (शेयर %)	31 मार्च, 2017 को स्वामित्व हित का अनुपात	निवल सम्पत्ति* (अर्थात् कुल सम्पत्ति से कुल देयताएं घटाए)		लाभ अथवा हानि का अंश**		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
			संयोजित निवल सम्पत्ति के % के रूप में	राशि (करोड़ ₹ में)	संयोजित निवल लाभ या हानि के %	राशि (करोड़ ₹ में)	संयोजित ओसीआई के % के रूप में	राशि (करोड़ ₹ में)	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि (करोड़ ₹ में)
1	गेल (इंडिया) लि. (मूल इक्विटी धारक)		97.06%	38,149	117.25%	3,955.85	100.07%	1,300.72	112.47%	5,256.58
2	सहायक कम्पनी									
क)	भारतीय									
i)	गेल गैस लिमिटेड	100.00%	1.98%	779	1.89%	63.73	0.00%	-	1.36%	63.73
ii)	त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड	48.98%	0.08%	32		554	0.00%	-	0.12%	554
ख)	विदेशी									
i)	गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लि.	100.00%	0.23%	89	-0.87%	(29.42)	0.00%	-	-0.63%	(29.42)
ii)	गेल ग्लोबल (सूएसा) इंक	100.00%	0.69%	272	-1.64%	(55.45)	0.00%	-	-1.19%	(55.45)
3	सभी सहायक कम्पनियों में अल्पतम हित		0.08%	33	0.17%	5.76	0.00%	-	0.12%	5.76
4	सहायोगी कम्पनियों (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)									
क)	भारतीय									
i)	महानगर गैस लिमिटेड	32.50%			3.29%	111.15	-0.02%	(0.22)	2.37%	110.93
ii)	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	12.50%			6.32%	213.15	-0.02%	(0.22)	4.56%	212.93
iii)	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	70.74%			-11.48%	(387.24)	-0.01%	(0.13)	-8.29%	(387.37)
iv)	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	22.50%			3.63%	122.37	-0.02%	(0.20)	2.61%	122.17
ख)	विदेशी									
i)	फेयम गैस	19.00%			0.05%	1.69	0.00%	-	0.04%	1.69
ii)	प्राकृतिक गैस कंपनी 'नेट गैस'	5.00%			-0.07%	(2.53)	0.00%	-	-0.05%	(2.53)
iii)	चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	3.02%			2.46%	82.87	0.00%	-	1.77%	82.87
5	संयुक्त उपक्रम									
क)	भारतीय									
i)	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	49.97%			0.19%	6.55	0.00%	(0.00)	0.14%	6.55
ii)	केंद्रीय यूपी गैस लिमिटेड	25.00%			0.34%	11.45	0.00%	(0.03)	0.24%	11.42
iii)	ग्रीन गैस लिमिटेड	49.97%			0.66%	22.39	0.00%	(0.01)	0.48%	22.38
iv)	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)	22.50%			0.48%	16.06	0.00%	(0.06)	0.34%	16.00
v)	अवतिका गैस लिमिटेड	49.97%			0.28%	9.53	0.00%	0.01	0.20%	9.54
vi)	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	30.00%			0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)
vii)	बड़ोदरा गैस लिमिटेड	32.93%			0.03%	0.90	0.00%	-	0.02%	0.90
viii)	रत्नागिरी गैस पावर प्राइवेट लिमिटेड	25.50%			-1.39%	(47.02)	0.00%	-	-1.01%	(47.02)
ix)	ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लिमिटेड	49.21%			-21.74%	(733.40)	0.00%	-	-15.69%	(733.40)
ख)	विदेशी									
i)	तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड #	5.00%								
ii)	गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड #	50.00%								

* समूह कम्पनियों में निवल सम्पत्तियों की कुल निवल सम्पत्तियों के आधार पर समझा जाता है और समूह कम्पनियों यदि कोई है, के बीच सामान्य लेन-देन को हटाए बिना सकल आधार पर समझा जाता है।

** मूल कंपनी से लाभ का अंश समकन से संबंधित लेनदेन को हटाकर समकन समायोजन करने के बाद दर्शाया जाता है।

इक्विटी वृद्धि/निवेश अब तक नहीं किया गया है और अतएव वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं।

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-2017		2015-2016	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1 एसोसिएट्स / संयुक्त उद्यम लाभ में कर पूर्व और शेयर के बाद निवल लाभ		5,183.28		2,965.73
2 जोड़ें:				
मूल्यहास	1,543.01		1,495.60	
विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय दर अंतर	(65.95)		223.43	
विदेशी सहायक कंपनियों के अंतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	48.88		(10.99)	
ब्याज व्यय	461.17		685.55	
निवेशों पर लाभांश आय	(265.66)		(177.80)	
ब्याज व्यय	(379.27)		(338.62)	
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान	261.37		65.22	
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	(93.94)		238.13	
संभावित बाध्यताओं हेतु प्रावधान	141.75		(78.78)	
अन्य प्रावधान	5.12		36.27	
निवेश की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(210.65)		(6.73)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल)	6.07		(22.24)	
संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियों से हानि/(लाभ) का अंश	574.02		(16.85)	
गैर-नियंत्रक लाभ	5.76		5.17	
		2,031.68		2,097.36
3 कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से प्रचालन पूर्व लाभ (1+2)		7,214.96		5,063.09
4 कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नकदी और बैंक शेष को छोड़कर)				
व्यापार और अन्य प्राप्य राशि	1,245.51		445.36	
माल-सूची	(84.84)		317.85	
व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशि	(1,087.83)		(1,146.15)	
		72.84		(382.95)
5 प्रचालनों से उत्पन्न नकदी (3+4)		7,287.80		4,680.15
6 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(1,208.89)		(719.79)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद राशि (5+6)		6,078.90		3,960.36
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(2,041.70)		(1,451.18)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	46.47		(9.35)	
निवेशों की बिक्री/व्यवसाय	501.66		-	
अन्य कंपनियों में निवेश	(228.72)		(27.85)	
संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम	71.08		(69.98)	
प्राप्त ब्याज	382.41		334.56	
प्राप्त लाभांश	435.07		320.07	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी		(833.73)		(903.73)



31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-2017		2015-2016	
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के लिए सरकारी अनुदान	450.81		-	
दीर्घकालिक उधार से प्राप्त आय	810.53		848.92	
दीर्घकालिक उधार का पुनर्भुगतान	(3,702.32)		(2,273.60)	
अल्पकालिक उधार से चुकोती/आय	(82.49)		(24.00)	
ब्याज भुगतान किया गया	(537.69)		(733.76)	
लाभांश और लाभांश कर भुगतान किया गया	(1,763.42)		(839.99)	
गैर-नियंत्रित ब्याज में परिवर्तन	(5.76)		(5.17)	
वित्त गतिविधियों से निवल नकद		(4,830.34)		(3,027.60)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		414.83		29.03
01.04.2016 को नकदी एवं नकदी समतुल्य (आरंभिक शेष)		104.85		75.82
31.03.2017 को नकदी एवं नकदी समतुल्य (अंतिम शेष)		519.68		104.85

टिप्पणी :

- 1 नकदी एवं नकदी समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:
तुलन पत्र के अनुसार नकदी और बैंक शेष
वसूल न की गई विदेशी मुद्रा पर (आय)/हानि

519.68	104.85
---------------	---------------

-	-
---	---

519.68	104.85
---------------	---------------

519.68	104.85
---------------	---------------

- 2 निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

निदेश मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ए.के. झा
कंपनी सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

डा. आशुलोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजनाएं)

बी.सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. बागला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 000018एन

कृते जी. एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं.: 08744एन

(राकेश कुमार)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 087537

(राजीव कुमार वाधवन)
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 मई, 2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 22 मई 2017 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया जाना व्यक्त होता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने अनुलग्नक-क में वर्णित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की किंतु उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुलग्नक-ख में वर्णित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। पुनश्च, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ख) अनुलग्नक-ग में वर्णित कंपनियों पर, निजी कंपनियां/विदेशों में संबंधित कानूनों के अंतर्गत गठित कंपनियां होने से, उनके सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति अथवा पूरक लेखापरीक्षा किए जाने के लिए, लागू नहीं होती। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इन कंपनियों के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की और न ही इनकी पूरक लेखापरीक्षा की। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतया सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पृष्ठताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है जो सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करता हो या उसका पूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(नंदना मुंशी)
महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2017



(अनुलग्नक-क)

कंपनियों का नाम जिनकी अनुपूरक लेखा-परीक्षा की गई

क्र.सं.	कंपनियों के नाम	संबंध
1	गेल गैस लिमिटेड	सहायक कंपनी
2	ओएनजीसी पेट्रो-एडिशनस (ओपीएल)	संयुक्त उद्यम
3	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
4	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
5	अवंतिका गैस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
6	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	सहयोगी
7	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	सहयोगी

*लेखा-परीक्षा चल रही है।

(अनुलग्नक-ख)

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों का नाम, जिनकी अनुपूरक लेखा-परीक्षा नहीं की गई है:

क्र.सं.	कंपनियों के नाम	संबंध
1.	त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी
2.	रत्नागिरी गैस एंड पॉवर (प्राइवेट) लिमिटेड (आरजीपीपीएल)	संयुक्त उद्यम
3.	ग्रीन गैस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
4.	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

(अनुलग्नक-ग)

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों की सूची, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और 143(6)(ख) लागू नहीं होती।

निजी कंपनी

क्र.सं.	कंपनियों के नाम	संबंध
1.	महानगर गैस लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
2.	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	सहयोगी कंपनी
3.	वडोदरा गैस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
4.	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

विदेशों में गठित कंपनियां:

क्र.सं.	कंपनियों के नाम	संबंध
1.	गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	सहायक कंपनी
2.	गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक	सहायक कंपनी
3.	फेयम गैस	सहयोगी
4.	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	सहयोगी
5.	चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	सहयोगी

शब्दावली

गैस उद्योग से संबंधित विशिष्ट शब्दावली

सीबीएम	कोल बेड मीथेन
सीजीडी	शहर गैस वितरण
सीएनजी	संपीडित प्राकृतिक गैस
डीयूपीएल	दहेज उरण पनवेल पाइपलाइन
डीजीएच	हाइड्रोकार्बन महानिदेशक
डीवीपीएल	दहेज-विजयपुर पाइपलाइन
ई एंड पी	अन्वेषण और उत्पादन
ईएसए	बाह्य संरक्षा लेखापरीक्षा
जीआरईपी	गैस पुनर्वास तथा विस्तार परियोजना
जीपीयू	गैस प्रोसेसिंग इकाई
जीटीआई	गैस प्रशिक्षण संस्थान
एचडीपीई	उच्च घनत्व का पॉलीइथिलीन
एचवीजे	हजीरा विजयपुर जगदीशपुर
जेएलपीएल	जामनगर-लोनी पाइपलाइन
एलएलडीपीई	लीनियर निम्न घनत्व पॉलीइथिलीन
एलएचसी	तरल हाइड्रोकार्बन
एलएनजी	तरलीकृत प्राकृतिक गैस
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एमडीपीई	मध्यम घनत्व का पॉलीइथिलीन
एमएससीएम	मिलियन मानक घन मीटर
एमएमबीटीयू	मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट
एमएमएससीएमडी	मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन
एमएमटी	मीट्रिक मिलियन टन
एमएमटीपीए	मीट्रिक मिलियन टन प्रति वर्ष
एमओपी एंड एनजी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटी	मीट्रिक टन
एनईएलपी	नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति
ओ एंड एम	प्रचालन और अनुरक्षण
ओएलएचसी	अन्य तरल हाइड्रोकार्बन
पीई	पॉली इथिलीन
पीएनजी	पाइप प्राकृतिक गैस
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
एसबीपी साल्वेंट	विशेष ब्यायलिंग प्वाइंट साल्वेंट
टीपीए	टन प्रति वर्ष
वीएसपीएल	विजाग-सिकन्दराबाद पाइपलाइन

सामान्य संक्षिप्त शब्द

बीडी	व्यापार विकास
बीआईएस	व्यवसाय सूचना प्रणाली
सीएसआर	निगमित सामाजिक दायित्व
ईआरपी	इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
एचआर	मानव संसाधन
एचएसई	स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
जेवीसी	संयुक्त उद्यम कंपनियां
एमडब्ल्यू	मेगा-वाट
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई
क्यूसी	गुणवत्ता चक्र
एससीएडीए	पर्यवेक्षीय नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण
टीक्यूएम	समग्र गुणवत्ता प्रबंधन

वित्तीय शब्दावली

बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
सीएजीआर	कंपाउंडेड वार्षिक विकास दर
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
ईबीआईडीटीए	ब्याज, मूल्यहास, कर और परिशोधन पूर्व आय
ईडी	उत्पाद शुल्क
ईपीएस	प्रति शेयर आय
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीआईडीटीए	ब्याज, मूल्यहास, कर तथा परिशोधन पूर्व लाभ
पीबीआईटी	ब्याज और कर पूर्व लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल
आरओआईसी	निवेश की गई पूंजी पर प्रतिफल
आरओएनडब्ल्यू	निवल मूल्य पर प्रतिफल



गेल की अखिल भारतीय उपस्थिति



*मानचित्र पैमाने के अनुसार नहीं

- पाता संयंत्र
- क्षेत्रीय कार्यालय
- एलपीजी संयंत्र

- एलएनजी टर्मिनल प्रचालन के अधीन
- नगर गैस वितरण सहायक कंपनी और जेवी के माध्यम से

- मौजूदा पाइपलाइनें
- निर्माणाधीन पाइपलाइनें
- अधिकृत पाइपलाइन
- एलपीजी पाइपलाइन

नवजीवन • नवस्पंदन • नवनिरूपण

गेल की वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 का आवरण पृष्ठ “नवजीवन • नवस्पंदन • नवनिरूपण” की विचारधारा को प्रदर्शित करता है।

प्रकृति से संदर्भ का प्रयोग करते हुए, इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का डिजाइन स्वच्छ ईंधन – प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के जरिए अर्थपूर्ण आर्थिक विकास प्राप्त करने की राष्ट्रीय आकांक्षा के लिए गेल की प्रतिबद्धता को दर्शाने का प्रयास करता है।



दृश्य रूप में “पाइपलाइन वृक्ष” के डिजाइन की केन्द्रीय एकीकरण विशेषता फूल, तितली और पौधे के तीन प्रतीक बनाती है, जो अवधारणा के तीन शब्दों को प्रदर्शित करती है। ये प्रतीक चिह्न विस्तार की तीन अवस्थाएं हैं जो ऊर्जा के वितरण की प्रतीक हैं।



फूल स्थायी ऊर्जा नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचालनों और परियोजना को शुरू करने में नवजीवन के प्रयास का प्रतीक है।



तितली नवस्पंदन की सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक है क्योंकि गेल समृद्धि और सामाजिक-आर्थिक विकास का अग्रदूत बनने की ओर अग्रसर है।



पौधे भारत के पूर्वी और दक्षिणी भाग में गैस ग्रिड की उपस्थिति को दर्शाती है जो ऊर्जा पारिस्थितिकी-प्रणाली को पुनः निरूपित करेगी।



गेल (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 16 भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066

वेबसाइट: www.gailonline.com

निगमित पहचान नं. : L40200DL1984G01018976